राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 2] बारहवीं विधान सभा के दूसरे सत्र का उनतीसवां दिवस [संख्या : 20

बुधवार;

4 अगस्त, 2004

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : कृपया, जिसका मोबाइल बजा है, बन्द कर लें। (व्यवधान) बार बार कहने पर भी आप लोगों पर असर क्यों नहीं होता है, यह बात मेरे समझ नहीं आती है।

श्री नवरतन राजोरिया - (अनुपस्थिति), श्री जोगेश्वर गर्ग - (अनुपस्थिति), श्री हरज्ञान सिंह गुर्जर - (अनुपस्थिति), श्री बाबूलाल नागर।

दी जयपुर सैंट्रल को-आपरेटिव बैंक, जयपुर में अनुसूचित जाति/जनजाति का बैकलॉग

489. **श्री बाबूलाल नागर (दूदू)** : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि दी जयपुर सैंट्रल को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, जयपुर में वर्ष 1984 से आज तक शाखा प्रबन्धक के पद पर डी ग्रेड अधिकारियों से सी-ग्रेड अधिकारियों की पदोन्नति की गई है ? यदि हां, तो किस-किस वर्ष में कितने स्वीकृत पदों पर ?

(श्री बाबूलाल नागर)

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त पदोन्नति में अनुसूचित जाति/जनजाति के आरक्षण की पूर्ति की गयी है ? यदि हां, तो अनुसूचित जाति/जनजाति के कितने डी-ग्रेड अधिकारियों को सी-ग्रेड अधिकारियों के पद पर पदोन्नत किया गया ? क्या विभाग में बैकलॉग रिक्त चल रहा है ? यदि हां, तो बैक लॉग की पूर्ति कब तक कर दी जायेगी ?

(3) क्या यह सही है कि अनुसूचित जाति/जनजाति के रिक्त चल रहे दो बैक लॉग पदों की पूर्ति करने के लिए रजिस्ट्रार, सहकारी समिति ने वर्ष 2003-2004 में दो बार पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित करने के निर्देश बैंक प्रबन्धन को दिये गये है ? यदि हां, तो अब तक विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक नहीं करने के क्या कारण है ?

(4) क्या यह सही है कि उक्त बैंक के अनुसूचित जाति के अधिकारी माणक चन्द रैगर ने पदोन्नति के सम्बन्ध उच्च अधिकारियों को निवेदन किया तो जयपुर को-आपरेटिव सेण्ट्रल बैंक के प्रबन्ध निदेशक श्री एन.के. बोहरा द्वारा स्पष्टीकरण एवं सी.सी.ए नियम-16 के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का नोटिस दिया गया, जो अनुसूचित जाति के अधिकारी के विरूद्ध घोर अत्याचार व मानसिक आघात है ? क्या सरकार अनुसूचित जाति/जनजाति विरोधी प्रबन्धं निदेशक एन. के बोहरा के विरूद्ध कार्यवाही कर निलम्बित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

सहकारिता मंत्री (श्री मदन दिलावर) : (1) जी हां। जयपुर सेण्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड द्वारा वर्ष 1984 के अब तक डी ग्रेड अधिकारियों को सी-ग्रेड अधिकारियों के पद पर की गई तदर्थ पदोन्नतियों, वर्ष एवं स्वीकृत पदों का विवरण निम्नानुसार है-

क्र.सं.	वर्ष	स्वीकृत	पदोन्नत पद
1.	1984	4	4
2.	2001	5	4

(2) जी नहीं। जी हां। दिनांक 18-08-2004 को पदोन्नति सिमति की

(श्री मदन दिलावर)

बैठक नियत की गयी है, जिसमें नियमानुसार आरक्षण की पूर्ति की जा सकेगी।

(3) जी हां। दिनांक 19-02-2004 एवं 10-03-2004 को बैठकों का आयोजन किया गया था, परन्तु प्रशासक, बैंकों के अन्य कार्य एवं चुनावों में व्यस्त होने के कारण उक्त बैठकों का आयोजन नहीं हो पाया।

(4) श्री माणक चन्द रेगर द्वारा विभागीय निर्देशों की अवहेलना करने एवं अपने पत्र में असंसदीय भाषा का प्रयोग करने के कारण श्री रैगर से स्पष्टीकरण मात्र चाहा गया था।

श्री बाबूलाल नागर : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से 3-4 बातें मैं मंत्री महोदय से जानना चाह रहा हूं। क्या यह सही है कि वर्ष 1984 और वर्ष 2001 में तदर्थ पदोन्नति से 8 लोगों को पदोन्नत किया गया जिससें अनुसूचित जाति/जनजाति के आरक्षण की अपेक्षा की गयी। यदि उपेक्षा की गयी है तो मैं यह जानना चाह रहा हूं कि जिन अधिकारियों ने यह उपेक्षा की है उनके खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे, नम्बर-एक, नम्बर-दो, क्या यह सही है कि सहकारी विभाग के रजिस्ट्रार श्री राम लुभायाजी ने दिनांक 04-11-2003 को पदोन्नति से आरक्षण का कोटा पूरा करने के लिये निर्देश दिये तथा क्या यह भी सही है कि 23-04-2002 को रजिस्ट्रार उस समय उषा शर्माजी थी, उन्होंने 3 माह में आवश्यक रूप से आरक्षण की पूर्ति के लिये बैठक बुलाकर पूर्ति करने के निर्देश दिये ? यह दोनों बात यदि यही है तो विभाग द्वारा पदोन्नति की बैठक डी.पी.सी. आयोजित नहीं की, इसके लिए कौन-कौन अधिकारी जिम्मेदार है। उनके खिलाफ कार्यवाही आप करेंगे ? दूसरा आपने यह जवाब दिया (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपने जवाब नहीं दिया। आपको पूछना है, वह बताओ आप तो।

श्री बाबूलाल नागर : मैंने पूछा है, मंत्री महोदय ने जवाब दिया है। अध्यक्ष महोदय, माणक चन्द रैगर अनुसूचित जाति का रेनवाल में शाखा प्रबन्ध है। यह लेटर की फोटो कापी है मेरे पास।

श्री अध्यक्ष : वह तो पूछा है। (व्यवधान) वह तो पूछा है और इन्होंने जवाब दे दिया।

श्री बाबूलाल नागर : इसने प्रबन्ध निदेशक, एम.डी. को-आपरेटिव बैंक, जयपुर को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने यह हवाला दिया है, विभाग के नियमों का हवाला दिया है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न पूछें, प्रश्न।प्रश्न पूछे, प्रश्न। (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर : संक्षिप्त कर रहा हूं। हां, प्रश्न कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न पूछें, प्रश्न कहां पूछ रहे है। (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर : अध्यक्ष महोदय, उसने यह हवाला दिया कि नये नियमों के अनुसार पदोन्नति में, मेरा मामला बनता है और जयपुर सेन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक के प्रबन्ध निदेशक एन.के. बोहराजी ने, मेरे पास नोटिस भी है। उन्होंने यह नोटिस दिया कि आपने जो उच्च अधिकारियों को यह बात कही है यह विभाग के.....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप तो इंफोर्मेशन दे रहे है, आप इन्फोर्मेशन लीजिए।

श्री बाबूलाल नागर : यह विभाग के खिलाफ गयी है। 16 सी.सी.ए. अनुसूचित जाति के इस अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी क्योंकि आपने पदोन्नति के लिये उच्च अधिकारियों को पत्र क्यों भेजे। जबकि लैटर इन्होंने एम.डी. को लिखा है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाह रहा हूं कि एक अनुसूचित जाति का अधिकारी जो अपने हक के लिये ....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं, प्रश्न पूछिये, प्रश्न।

श्री बाबूलाल नागर : क्या यह सही है कि माणक चन्द रैगर ने अपने हक के लिये एम.डी. को पत्र लिखा और उसके खिलाफ 16 सी.सी.ए के तहत कार्यवाही करने की एम.डी. ने चेतावनी दी ? क्या ऐसे अधिकारी के खिलाफ उस माणक चन्द रैगर को मानसिक आघात पहुंचा, उसके खिलाफ क्या कार्यवाही करने का आप मन रखते हैं, यह बतादे।

श्री अध्यक्ष : बता तो दिया, जवाब तो दे दिया उसका।

श्री बाबूलाल नागर : कहां जवाब दे दिया, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : जवाब दिया है कि उसन व्यवधान।

श्री बाबूलाल नागर : नहीं, मैं पढ़कर बताता हूं, जवाब तो दिया है। यह कहा है, अध्यक्ष महोदय, श्री माणक चन्द रैगर द्वारा विभागीय निर्देशों की अवहेलना करने एवं अपने पत्र में असंसदीय भाषा का प्रयोग करने के कारण आप पढ़कर बता दें... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यही तो बताया है, यही तो जवाब दिया है। (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से मैं जानना चाह रहा हूं कि माणक चन्द रैगर ने असंसदीय भाषा क्या लिखी है, वह बता दें मुझे।

श्री अध्यक्ष : हां, यह पूछो आप, यह पूछिये।

श्री बाबूलाल नागर : चारों बातों में, चारों अलग-अलग बतायें।

श्री मदन दिलावर : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने 4-5 बातें पूछी है। सबसे पहले पूछा कि आरक्षण की उपेक्षा की गयी क्या, किन्तु अधिकारियों ने यह उपेक्षा की है ? माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे भी दुख है इस बात का कि वास्तव में पूर्ववर्ती सरकार ने, इस दबाव में, किसके दवाब में उनके साथ ज्यादती हुई, मैं नहीं जानता। परन्तु जिन्होंने भी की है, उनके खिलाफ तो कार्यवाही होनी चाहिए। लेकिन में इतनी-सी जानकारी देना चाहता हूं, हुई हो तो मैं कह रहा हूं, क्योंकि रिकार्ड यह बताता है, अभी तक का, कि जो प्रश्न मैं बता रहा हूं कि उसमें तो पदोन्नति में किसी भी प्रकार की ज्यादती नहीं हुई है, क्योंकि 1984 के बाद जो डी.पी.सी. होनी चाहिए थी, वह डी.पी.सी. नहीं हुई और इस कारण से, जिसका नाम ले रहे है, मिस्टर रैगर, क्योंकि एक बार एड-हॉक पर पदोन्नति दी जा चुकी है इनको, इसलिए दूसरी बार एड-हॉक पर ही पदोन्नति नहीं दी जाती है। परन्तु उस समय डी.पी.सी. करनी चाहिए थी, जो डी.पी.सी. नहीं हुई, यह ज्यादती डी.सी.पी. नहीं होने के कारण से हुई है।

(श्री मदन दिलावर)

मैंने स्पष्ट कहा है, खण्ड दो में, कि जी नहीं। और मैंने यह भी स्वीकार किया है कि यह डी.सी.पी. होनी चाहिए और मैंने तारीख तय कर दी है कि 18-08-2004 को पदोन्नति समिति की बैठक होगी और उसमें नियमानुसार आरक्षण की पूर्ति कर दी जाएगी। यह मैंने माननीय सदस्य को स्पष्ट कहा है। लेकिन इनको पीड़ा यह है कि श्री रैगर ने चिट्ठी और चिट्ठी लिखने के बाद, एम.डी. ने नोटिस दिया कि उन्होंने ऊपर के अधिकारियों को क्यों बताया, ऐसा माननीय सदस्य ने कहा है। अध्यक्ष महोदय, ऐसा कुछ भी नहीं है। श्री रैगर ने चिट्ठी लिखी और चिट्ठी में कुछ असंसदीय भाषा का प्रयोग था। इसलिये इनको इस प्रकार का नोटिस दिया गया कि आपको इस प्रकार की बात नहीं करनी चाहिए थी। अब माननीय सदस्य ने भी चाहा कि वह भाषा क्या थी तो भाषा कुछ तो मैं यहां बताने में असमर्थ रहता हूं क्योंकि भाषा अच्छी नहीं है। परन्तु फिर भी.... (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर : आप इस सदन को गुमराह मत करें। लैटर की प्रति मेरे पास है। आप तो उसमें भाषा बता दें।

श्री मदन दिलावर : मेरे पास है ना, मेरे पास भी है। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, लिखा है कि अपना राज अपने चहेतों को दे रहे हैं। आप व्यक्तिगत रूप से इस प्रकार से कह रहे हैं, बड़ा पत्र है...। लेकिन जो उसके बाद उन्होंने जो पत्र लिखा है और उन्होंने कहा है कि मेरे से गलती से हो गयी। (व्यवधान) सुन तो लें, बता रहा हूं ना।....

श्री अध्यक्ष : सुनिये, बैठे-बैठे नहीं बोलिये। जवाब सुनिये।

श्री मदन दिलावर : सुन लीजिये। जो पत्र है उसके बाद में जो स्पष्टीकरण मांगा उस स्पष्टीकरण मं उन्होंने जो लिखा है वह है-उपरोक्त विषय में अनुरोध है कि आपके पत्रांक जे.सी.सी.बी./प्र.का./34810 दिनांक 25-02-2004 द्वारा चाहे गये स्पष्टीकरण के जवाब श्रीमान को शाखा पत्रांक, दिनांक 26-05-2004 को प्रेषित कर निवेदन किया गया था जो मेरी व्यक्तिगत समस्या पदोन्नति के क्रम में था, का समाधान आपके नेतृत्व ही सम्भव है, क्योंकि आप एक न्यायप्रिय व कुशल प्रशासक हैं। स्वयं ने इस बात को

(श्री मदन दिलावर)

स्वीकार किया है कि यह अधिकारी बहुत अच्छे हैं व जब-जब भी आपके व्यक्तिगत सम्पर्क किया तो आपने हमेशा मार्गदर्शन कर एक आशा कि किरण दिखायी है। इस विश्वास के साथ मैं मेरी पदोन्नति का प्रकरण आपसे निवेदन करके पूर्ण विश्वास के साथ निस्तारण करवाना चाहता था। आपने जो मार्गदर्शन मुझे प्रदान किया है, उसके लिए मैं ह्रदय से आपका आभारी हूं। स्पष्टीकरण श्रीमान को व्यक्तिगत भी निवेदन कर दिया है व लिखित में भी दिनांक 26-05-2004 को निवेदन कर पुनः मेरी समस्या का समाधान करने हेतु सानुरोध प्रार्थना करता हूं। अगर आपके नेतृत्व में मेरी समस्या का समाधान नहीं हो सका तो कभी भी सम्भव नहीं है। मैं पूर्ण विश्वास के साथ आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप द्वारा मेरी पदोन्नति के लिए दिये गये न्याय को मैं स्वीकार करूंगा। (व्यवधान)

आप सुनिये तो सही, यह उन्होंने कहा है मेरे से, इस पत्र से यह लग रहा है कि मेरे से पहले पत्र लिखने में कुछ गलतियां हुई हैं, भावावेश में मैंने पहले कोई पत्र लिख दिया और आप न्यायप्रिय हैं। (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर : वह भी निकाल दो, वह भी पढ़कर बता दो।

श्री मदन दिलावर : इस बात को उन्होंने स्वीकार किया है और जहां तक सम्भव है डी.पी.सी का (व्यवधान) आप सुनो तो सही।

श्री सी.डी. देवल : यह दबाव में लिखाया होगा।

श्री अध्यक्ष : बैठिये आप।

श्री बाबूलाल नागर : अध्यक्ष महोदय, मेरी सदन से प्रार्थना है कि मेरा एक-एक प्रश्न का जवाब आ जाने दीजिये।

श्री मदन दिलावर : इनका एक-एक का जवाब दूंगा मैं।

श्री बाबूलाल नागर : एक-एक का जवाब आ जाने दीजिये।

श्री सी.डी. देवल : यह गुमराह कर रहे हैं सदन को।

श्री महावीर प्रसाद जैन : कोई जनहित की बात तो हो सकती है पर यह (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कोई आवश्यक नहीं है कि मंत्री आपको हर पत्र पढ़कर के क्योंकि कान्फिडेन्शियल होते है कई पत्र जो... (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर : मंत्रीजी यह बताकर आज सदन को गुमराह कर रहे हैं कि असंसदीय भाषा लिखी है। उन्होंने कोई असंसदीय भाषा नहीं लिखी है।

श्री अध्यक्ष : क्या गुमराह किया ? क्या गुमराह कर दिया ? क्या गुमराह कर दिया आपको ? नहीं, क्या कहकर गुमराह कर दिया ?

श्री बाबूलाल नागर : मैं बताऊं, यह कहा है न कि असंसदीय भाषा लिखी है। बता दो भाषा, असंसदीय भाषा क्या है क्या ?

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें। स्थान ग्रहण करें, आपको पूछना है तो पूछिये। आप प्रश्न पूछिये।

श्री बाबूलाल नागर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने यह जवाब दिया, 01-03-1996 का न्यायालय का हवाला दिया। बड़ा अफसोस है।

श्री अध्यक्ष : आप प्रश्न पूछिये। आप प्रश्न पूछिये।

श्री बाबूलाल नागर : मैं पूछ रहा हूं, अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री महोदय ने जवाब में कहा कि 01-03-1996 को...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : वे कुछ भी कहेंगे लेकिन आप प्रश्न पूछिये। आप प्रश्न पूछिये।

श्री बाबूलाल नागर : अध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने तो दो, कम से कम आप। यह एक इतना महत्वपूर्ण मामला है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह अपनी वकालत कर रहे हैं। पूरी-पूरी गारन्टी लेकर आये है।

श्री बाबूलाल नागर : हां। बिलकुल गारन्टी लेकर आये हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : वकालत की पूरी गारन्टी लेकर आये हैं। आप उस पत्र को पढ़ो। यह कोई सार्वजनिक हित का मामला है ? यह एक व्यक्तिगत मामला है। यह सदन में कोई...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष : यहां पर सार्वजनिक मामले पर चर्चा होती है, व्यक्तिगत मामले पर नहीं होती है।

श्री बाबूलाल नागर : मंत्री ने यह गलत जवाब दिया है।

एम माननीय सदस्य : सुनो तो सही आप।

श्री बाबूलाल नागर : मंत्रीजी, यह बता दें कि 01-03-1996 का जो आपने हवाला दिया है कि एक बार जो पदोन्नति हो जाएगी उसको दुबारा उसका लाभ नहीं मिलेगा। अफसोस है मंत्री महोदय, कि विभाग के अधिकारियों ने यह...(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं, भाषण नहीं, प्रश्न पूछिये आप।

श्री बाबूलाल नागर : आपको गुमराह किया है या आपकी यह अज्ञानता रही है ? मैं निवेदन करना चाहता हूं, एक मिनट (व्यवधान)...

श्री मदन दिलावर : मेरी कोई अज्ञानता नहीं है, अध्यक्ष महोदय, अज्ञानता तो इनकी है कि यह अध्ययन करके नहीं आये।

श्री अध्यक्ष : आप प्रश्न पूछिये।

श्री बाबूलाल नागर : क्या यह सही है कि अजीत सिंह सेकिण्ड के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया है 08-05-2000 को, कि रोस्टर में अनूसूचित जाति के 16 परसेन्ट और अनुसूचित जनजाति के 12 परसेन्ट पद आरक्षित करने बाबत निर्देशित किया है। 1996 के बाद का यह आर्डर है। क्या यह बात सही है, यह बता दें।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, यह तो, यह आर्डर तो ठीक है।

श्री बाबूलाल नागर : क्या यह सही है कि इस आदेश के बाद सहकारिता विभाग के रजिस्ट्रार, उस समय श्रीमती उषा शर्माजी थीं, उन्होंने एक आदेश निकाला था कि एक पद के विपरीत 13-05-2003 को (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : फिर वही भाषण देने लग गये आप।

श्री बाबूलाल नागर : क्या यह सही है कि 13-05-2003 को सहकारिता विभाग के रजिस्ट्रार ने यह आदेश निकाला रखा है कि रिक्त पद के लिए एक पद के लिए पांच व्यक्ति और दो रिक्त पद के लिए आठ व्यक्ति, 3 रिक्त के लिए 10 व्यक्ति और चार से अधिक के लिए तीन गुना अनुसूचित जाति के लोगों को...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्रश्न पूछिये आप। प्रश्न पूछने के बजाय भाषण दे रहे हैं।

श्री बाबूलाल नागर : अफसोस की बात है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न पूछिये। आपको भाषण देते हुये 10 मिनिट हो गये।

श्री बाबूलाल नागर : मैं भाषण नहीं दे रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : नहीं, आप भाषण दे रहे हैं, आप प्रश्न पूछते नहीं है।

श्री बाबूलाल नागर : क्या यह सही है कि रजिस्ट्रार, सहकारिता विभाग ने एक आदेश दिनांक 13-05-2003 को जारी किया है, जिसमें 1996 वाला, जो आपने हवाला दिया है, उसको निरस्त किया है और सभी विभागाध्यक्षों को निर्देशित किया है कि जो यह प्रोविजन है, माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय का, इसकी पालना की जाए और एक बार जिसको लाभ मिल गया उसको बाद में भी उसका लाभ मिलेगा जब तक रोस्टर को पूरा करते हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप कृपया, अपना स्थान ग्रहण करें। आपने पूछ लिया। बृजकिशोर शर्मा।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि सहकारिता विभाग के रजिस्ट्रार महोदय को सेण्ट्रल कॉ-आपरेटिव बैंक और अरबन को-आपरेटिव बैंकों में जो पद खाली पड़े है, उन पदों को भरने के लिए कई बार लिखा है और क्या ऐसे बैकों में जिन रजिस्ट्रार महोदय ने अब तक उनको स्वीकृति प्रदान

(श्री बृजकिशोर शर्मा)

नहीं की है वह कब तक कर दी जायेगी। ? ऐसा एक स्पेसिपिक मामला दौसा अरबन कॉ-ऑपरेटिव बैंक का मैं देना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह अलग से प्रश्न है, साहब।

श्री बाबूलाल नागर : मूल प्रश्नकर्ता का अध्यक्ष महोदय, जवाब दे दें पहले। इसके बाद में कोई भी माननीय सदस्य पूछे।

श्री अध्यक्ष : आपको भी देंगे, मूल प्रश्नकर्ता का भी देंगे, लेकिन उन्होंने कहा है।

श्री बाबूलाल नागर : तीन-चार प्रश्न मैंने अलग-अलग किये हैं। आप कहो तो दुबारा तसल्ली से निवेदन कर दूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मूल प्रश्नकर्ता ने दस मिनट तो भाषण कर लिया। प्रश्न पूछ लिये। उनके जवाब आप दे दो। अब आप नहीं बोलेंगे। आपने चार प्रश्न पूछ लिये।

श्री बाबूलाल नागर : एक का भी जवाब नहीं दिया, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : दिलवा रहीं हूं, विराजिये। दिलवा रहीं हूं। मूल प्रश्नकर्ता को भी केवल दो सप्लीमेन्ट्री पूछने का अधिकार है। आप तो दस प्रश्न पूछ चुके हैं, बैठिये-बैठिये।

श्री मुरारी लाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, इससे सम्बन्धित ही मेरा भी एक प्रश्न है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप इनका जवाब देने दीजिए। प्लीज, जवाब देने दीजिए आप। फिर पूछिएगा, इनको जवाब देने दीजिए। माननीय सदस्य, इनको जवाब देने दीजिये।

श्री मदन दिलावर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे विनम्र शब्दों में निवेदन कर रहा हूं कि पहले तो माननीय सदस्यों को नियमों की जानकारी नहीं है कि व्यक्ति विशेष को लाभ देने के लिए यहां विधान सभा में इस प्रकार के प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर : मैंने पूछा, उसका जवाब दो। क्या जानकारी नहीं है ? पढ़कर आते नहीं है। अधिकारी जैसा बता देते हैं, वैसा जवाब दे रहे हैं। मैं आपसे बहस कर सकता हूं, चुनौती देता हूं आपको कि मुझे नियमों की जानकारी नहीं है ? सदन को गुमराह कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें।

श्री मदन दिलावर : अध्यक्ष महोदय, यह नियमों की जानकारी करके आये। अब मैं, इनको प्रश्नों का जवाब दे देता हूं।

एक माननीय सदस्य : क्या है चुनौती यह ?

श्री मदन दिलावर : माणक चन्द रैगर के नाम से, नाम लेकर (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नहीं, सदन को गुमराह कर रहे हैं या नहीं कर रहे है, यह मैं नहीं कह सकती, लेकिन आसन में मैं यह कर रही हूं कि इस सदन का प्रागंण किसी एक व्यक्ति के लिए न तो उसकी पैरवी के लिए और न उसकी मुखालफत करने के लिए इस सदन के प्रागंण का उपयोग किया जा सकता है। (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर : मैंने राजस्थान के अनुसूचित जाति, जनजाति के तमाम अधिकारियों की बात की है। एक व्यक्ति का तो खाली लास्ट में हवाला दिया है।

श्री अध्यक्ष : आप सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं। (व्यवधान) आप एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर : धमकी दी है आपके अधिकारी ने। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं इस सदन में।

श्री बाबूलाल नागर : नहीं, मैंने पूरे राजस्थान की बात की है। अध्यक्ष महोदय, पूरे राजस्थान की बात कर रहा हूं मैं। (व्यवधान)

श्री सुरेश मीणा : जब भी अनुसूचित जाति का हवाला आता है तो वह कह देते हैं कि.....(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : यह अनुसूचित जाति का मामला है। अध्यक्ष महोदय, सरकार किसी एक व्यक्ति के साथ अन्याय कर सकती है तो माननीय सदस्य को अधिकार है..(व्यवधान) किसी भी नागरिक के अधिकारों के हनन का मामला उठायें यहां पर। (व्यवधान)

श्री बृजकिशोर शर्मा : यह आपने कहा है, यह इससे सम्बन्धित है। सहकारी बैंकों का जिक्र किया है।

श्री सुरेश मीणा : वह जनरल से भर्ती करेगा। वह जनरल के लोगों से भर ली गयी है इसलिए कहा है। (व्यवधान)

श्री बृजकिशोर शर्मा : मैंने अपना एक पूरक प्रश्न आपके माध्यम से मंत्रीजी से पूछा है।

श्री सुरेश मीणा : यह जनरल के लोगों से भर ली गयी।

श्री मदन दिलावर : यह आपने किया था।

श्री सुरेश मीणा : यह अत्याचार हमारे ऊपर हो रहा है, यह अत्याचार हम सहन नहीं करेंगे (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण करें। माननीय मंत्रीजी, कुछ कहेंगे, आपको कहना है कुछ ? हां, बोलिये। आप बीच में नहीं बोलिये। नहीं, अब नहीं बोलेंगे आप। हां।

श्री मदन दिलावर : माननीय सदस्य ने यह पूछा कि मैंने सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया है तो....(व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर : हाईकोर्ट का दिया है आपने।

श्री अध्यक्ष : आप बीच में नहीं बोलिये।

श्री मदन दिलावर : मैंने आपके समक्ष किसी प्रकार का सुप्रीम कोर्ट का हवाला नहीं दिया। (व्यवधान) सुप्रीम कोर्ट के आदेश को कोट नहीं किया, पर यह पता नहीं कि कहां से यह कह रहें है कि माननीय मंत्रीजी ने यह कहा कि सुप्रीम कोर्ट का है। मैंने यह नहीं कहा था।

श्री बाबूलाल नागर : एक बार जिसको लाभ मिल जाता है, आप दुबारा बता दो आपने यह कौनसे एक्ट में, कौनसे नियम में कहा ? आपने उदाहरण दिया, आप दुबारा बता दो...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री मदन दिलावर : मैंने यह निवेदन किया था कि यदि...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, यदि यह बीच-बीच में इसी तरह से बोलेंगे तो कोई आवश्यक नहीं है आपको जवाब देना या तो आप स्थान ग्रहण करें, स्थान पर बैठे रहेंगे, आप स्थान पर बैठे रहेंगे। (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर : मैं आपके माध्यम से निवेदन कर रहा हूं कि माननीय मंत्रीजी ने घूमाफिरा कर एक प्रश्न का भी जवाब नहीं दिया है।

श्री अध्यक्ष : आप बीच में नहीं बोलेंगे।

श्री बाबूलाल नागर : यह दुर्भाग्य है इस हाउस का कि माननीय मंत्रीजी ने एक प्रश्न का भी जवाब नहीं दिया है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आसन पांवों पर। आसन पांवों पर। (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के अनुसूचित जाति, जनजाति गरीबों का मामला है।....इस तरह हम चुप नहीं रह सकते। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आसन पावों पर। (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर : यह गरीबों का मामला है। इसका जवाब देना पड़ेगा मंत्रीजी को। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आसन पांव पर होता है, आप ध्यान नहीं रखते।

श्री बाबूलाल नागर : मैं बैठा हूं, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : कहां बैठे हो आप ? मंत्रीजी जवाब दे रह हैं। जब वह अपना जवाब पूरा कर ले उसके बाद यदि आपकी कोई शंका हो तो उस बारे में फिर पूछ सकते हैं। लेकिन एक मिनट नहीं होता, सैकण्ड नहीं होता, सेन्टेन्स पूरा नहीं होता, उससे पहले ही आप कुछ न कुछ कहने लग जाते हैं।

श्री बाबूलाल नागर : हां तो जवाब दिलवाइये।

श्री अध्यक्ष : हां, तो दे रहे है जवाब। लेकिन आप बीच में नहीं बोलेंगे।

श्री मदन दिलवार : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि एक बार किसी भी कर्मचारी या अधिकारी को एडहाक पर प्रमोशन देते हैं तो क्या होता है कि दूसरी बार उसका प्रमोशन ड्यू होता है, उसको एडहाक पर से एडहाक पर प्रमोशन नहीं देते हैं। मैंने यह निवेदन किया था। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सारी गडबडियां हुई हैं, बैकलॉग रहा है। यह 40-50 साल से यह लोग शासन कर रहे थे, इन्होंने ने ही सारी गडबडियां की है और मैं भी अनुसूचित जाति का हूं और ये सारी गडबडियां करने वाले यह लोग है और दोषारोपण हम पर करने का प्रयास कर रहे हैं। इन लोगों को सजा मिलनी चाहिए कि अनुसूचित जाति के लोगों के साथ गलत किया है।...(व्यवधान)... यह डी.पी.सी. बैठाकर....(व्यवधान)

श्री सी.डी. देवल (रायपुर) : यह बार-बार...(व्यवधान)...आसन का संरक्षण विपक्ष को चाहिए। आप मंत्रीजी को संरक्षण दे रहे हैं जो बार-बार गलती करते हैं। हाउस में इनका एक ही जवाब है कि पिछली सरकार ने यह किया और आज आपकी सरकार है आपने क्या किया ?

श्री अध्यक्ष : आपका संरक्षण विपक्ष को चाहिए और आप इन मंत्रीजी का संरक्षण कर रही है। आप इस बात को सोचिये। यह गलत जवाब दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर : जो मंत्रीजी ने जवाब दिया है, अध्यक्ष महोदय, मैंने जानकारी चाही है...(व्यवधान)....एक का भी जवाब मंत्री महोदय ने सही नहीं दिया। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेशचन। मैंने अगला प्रश्न पुकार लिया। (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर : माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब नहीं दिया गया।

श्री अध्यक्ष : मैंने अगला प्रश्न पुकार लिया है। (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर : एक भी प्रश्न का जवाब मंत्री महोदय ने नहीं दिया। अध्यक्ष महोदय यह गम्भीर मामला है। पूरे राजस्थान के दलित समाज के अधिकारियों का मामला है। अधिकारियों में फ्रस्ट्रेशन आ रहा है। मेरा आपसे आग्रह है। मेरा आपसे विनम्रतापूर्वक, आपकी इजाजत से मेरा आग्रह है...(व्यवधान) मंत्री महोदय ने एक भी जवाब नहीं दिया।

(अध्यक्ष महोदय ने इशारे से अंकित करने से मना किया)

श्री मुरारी लाल मीणा : x x x

श्री बंशीलाल खटीक : x x x

श्री ओ.पी. महेन्द्र : x x x

श्री सी.डी. देवल : x x x

श्री बाबूलाल नागर : x x x

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन। (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर : x x x

श्री अध्यक्ष : दूदू से आने वाले माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। नैक्स्ट क्वेश्चन। (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर : x x x

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन। (व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य : x x x

(व्यवस्था सूचक घंटी)

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो रहा है।

श्री बाबूलाल नागर : x x x

श्री सी.डी. देवल : x x x

श्री अध्यक्ष : यह भी सदन के नियमों के विरूद्ध है कि कोई एक सदस्य इस तरह से बोलता चला जाये, आसन की अवहेलना करे, बैठे नहीं, यह भी नियमों के विपरीत है। आसन की गरिमा के विपरीत है। परमम्पराओं के विपरीत है। नैक्स्ट क्वेश्चन जीतराम।

श्री सी.डी. देवल : xxx

श्री मुरारी लाल मीणा : xxx

श्री संयम लोढ़ा : xxx

श्री घनश्याम तिवाडी : पूरा हो गया न। नहीं पूछ सकते। अगला प्रश्न आ गया। अगला प्रश्न आ गया। (व्यवधान)

श्री मुरारी लाल मीणा : xxx

श्री संयम लोढ़ा : xxx

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें। मंत्रीजी, अपना जवाब दें। (व्यवधान) मंत्रीजी जवाब दें।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा : xxx

श्री संयम लोढ़ा : xxx

श्री रमेश खींची : xxx

श्री अशोक बैरवा : xxx

श्री बाबूलाल नागर : xxx

(व्यवस्था सचूक घंटी)

श्री मांगीलाल गरासिया : xxx

अनेक माननीय सदस्य : xxx

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन। बिराजिये। श्री जीताराम।

रामगढ़ ताप विद्युत केन्द्र का विस्तार

490. **श्री जीतराम (मालपुरा) :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि सरकार द्वारा रामगढ़ ताप विद्युत केन्द्र के विस्तार के लिये केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है ? यदि हां, तो कब और कितनी राशि का एवं प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

ऊर्जा मंत्री (श्री घनश्याम तिवाड़ी) : जी नहीं। रामगढ़ ताप विद्युत केन्द्र में वर्तमान में कोई विस्तार योजना प्रस्तावित नहीं है। पूर्व में स्वीकृत विस्तार योजना का कार्य कर लिया गया है। विद्युत गृह की वर्तमान स्थापित क्षमता 110.50 मेगावाट है।

श्री जीतराम : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं क्या रामगढ़ ताप विद्युत केन्द्र के विस्तार की गुन्जाइश है ? यदि हां, तो प्रदेश में बिजली की कमी को देखते हुए सरकार इससे विस्तार की योजना बनाने का क्या विचार रखती है ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, पूर्व में रामगढ़ में 35.5 मेगावाट गैस टरबाइन से काम चल रहा था, बाद में 78.02 को 37.5 मेगावाट गैस टरबाइन के लिये और काम दिनांक 24-05-2003 को 37.5 मेगावाट स्टीम टरबाइन का और किया। समस्या यह है कि वहां पर हमको 10 लाख घन फीट गैस की आवश्यकता है और अभी पांच लाख घन फीट गैस ही प्राप्त हो रही है। अभी भी 7.5 के लिए हमको कह रहे हैं गैस की उपलब्धता अगर बढेगी और गैस की उपलब्धता के आधार पर आवश्यकता होगी तो निश्चित रूप से इसका विस्तार करने सोचेंगे, लेकिन अभी तक पांच लाख घन मीटर गैस की आपूर्ति हो पा रही है।

श्री जीतराम : गैस की उपलब्धता के लिये केन्द्र सरकार से बातचीत हो रही है ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : गैस की उपलब्धता के बारे में हम बार-बार लिख रहे हैं और गैस की उपलब्धता अगर होगी तो इसको बढाने का निश्चित रूप से प्रयत्न करेंगे।

श्री जीतराम : ठीक है, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री गोविन्द राम मेघवाल

श्री हरज्ञान सिंह गुर्जर : पहले मेरा भी था।

श्री अध्यक्ष : आपका नाम पुकारा गया था, आप अनुपस्थित थे। श्री गोविन्द राम मेघवाल।

बीकानेर शहर के विकास कार्यों हेतु एशियन विकास बैंक से प्राप्त राशि

491. **श्री गोविन्द राम चौहान** (नोखा) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) बीकानेर शहर के लिये एशियन विकास बैंक के माध्यम से संचालित शहरी विकास योजनाओं हेतु कितनी राशि आबंटित की गयी ?

(2) क्या यह सही है कि माह जून, 2004 तक आबंटित राशि का उपयोग किया जाना था ? यदि हां, तो कब तक कितनी राशि का वार्डवार उपयोग किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) पी.बी.एम. चिकित्सालय, बीकानेर पर कितनी राशि व्यय की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) आबंटित राशि में शेष बची राशि को सरकार कहां-कहां कितनी-कितनी व कब तक व्यय करने का विचार रखती है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री विकास एवं आवासन (श्री प्रताप सिंह सिंघवी) : (1) एशियन विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना के अन्तर्गत बीकानेर शहर के लिये 131.27 करोड़ रूपये के

(श्री प्रताप सिंह सिंघवी)

विकास कार्यों के लिये एवं 22.71 करोड़ रूपये आकस्मिक व्यय हेतु प्रावधान किया गया था।

(2) जी नहीं।

(3) पी.बी.एम. चिकित्सालय, बीकानेर पर कोई राशि व्यय नहीं की गयी है।

(4) बीकानेर में 131.28 करोड़ रूपये के कार्यादेश जारी किये जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त बीकानेर रेल बाई-पास बनाने हेतु लगभग 60 करोड़ रूपये की राशि प्रावधानित है। अतः प्रावधानित राशि में बचत नहीं है।

श्री गोविन्द राम चौहान : अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि शहरी विकास में 131.27 करोड़ का खर्च बताया है। यह प्रावधानित राशि बताई है। मेरी जानकारी के अनुसार करीब 153-54 करोड़ बन रहा है। मात्र आज तक 32 करोड़ रूपये खर्च हुए हैं। दूसरा पाइन्ट इसमें यह है कि यह रूपया कुछ लिमिटेड वार्डों में खर्च हुआ है जबकि यह राशि पूरे शहर के लिए थी। कच्ची बस्ती में अभी तक एक भी पैसा खर्च नहीं हुआ, एक भी पैसा नहीं लगा। हमारा सूरसागर है, पूरे राजस्थान में सभी जानते हैं सूरसागर के नाम से कि भंयकर गंदगी है। पूरे शहर में उसकी वजह से बीमारी फैल रही है। मेरा मंत्री महोदय, आपसे निवेदन है कि सूरसागर के खर्च के लिए इसमें प्रावधान क्या है, बीकानेर शहर की पानी की निकासी के लिए इसमें क्या प्रावधान है, जो हास्पिटल है, उसमें भी खर्च की आवश्यकता है क्या, हास्पिटल खर्च के लिए भी प्रावधान रखा है क्या ? आज तक कितना खर्चा हुआ है, यह भी सदन के पटल पर रखा जाए।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : जैसा माननीय सदस्य ने सूरसागर के बारे में पूछा बीकानेर में बरसाती पानी के सुनियोजित निकास हेतु रिहायशी क्षेत्रों में स्वच्छ वातावरण बनाने हेतु, सूरसागर में गंदगी को जाने से रोकने की दृष्टि से कार्य करवाया जा रहे है। इसके लिए 16.86 करोड़ रूपये के तीनों कार्यों के कार्यादेश दिये जा चुके हैं।

सूरसागर तालाब के कैचमेन्ट क्षेत्र में बस्तियों के विकास के उपरान्त तालाब में बरसाती पानी के साथ कालोनी की गंदगी भी सूरसागर में जाती है।

(श्री प्रताप सिंह सिंघवी)

सूरसागर की वर्षो पुरानी समस्या के समाधान के लिए लगभग 13 करोड़ रूपये खर्च किये जा रहे है जिसमें 2.5 किलोमीटर नयी ड्रेनेज चैनल का निर्माण कराया जा रहा है तथा 6.0 किलोमीटर लम्बी पुरानी एस्केप चैनल को ठीक कराया जा रहा है। साथ ही शहर की मुख्य सड़कों पर पानी भरने की समस्या के समाधान हेतु कोट गेट, फड़ बाजार आदि क्षेत्रों में नालों के निर्माण का कार्य करवाया जा रहा है।

स्टील व सीमेन्ट् की दरों में भारी वृद्धि के बावजूद उक्त कार्यों को अतिशीघ्र पूर्ण कराये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

श्री गोविन्द राम चौहान : अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि अभी तक कितने रूपये खर्च किये जा चुके है ? हमारी जानकारी 32 करोड़ की है, क्या यह सही है और वो किन-किन वार्डों में हुए है ?

मेरा एक आरोप है कांग्रेस की पूर्व सरकार पर कि जो 32 करोड़ रूपये खर्च हुए हैं पूरे के पूरे शहर का जो अन्दरूनी हिस्सा है, शहर के विधान सभा क्षेत्र में पड़ते है मात्र उनमें खर्च हुआ है। मेरा आग्रह है कि जो बकाया पैसा है, वह पूरे शहर में लगना चाहिए। इसलिए आप बताएं कि वार्ड वाइज कितना खर्च हुआ है और उसमें पूरा कितना ख़र्च हुआ ?

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : अध्यक्ष महोदय, जब से हमारी सरकार आयी है...

श्री अध्यक्ष : यह मत बोलो, आप तो जवाब दो। समय बता दो कि इस मसय से, इस समय के बाद से।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : मैं बता रहा हूं, पूरा ही बता दूं, अध्यक्ष महोदय। पूर्व सरकार के समय लगभग डेढ़ वर्ष तक कोई भी कार्य नहीं हुआ। जनवरी, 2000 से जुलाई, 2001 तक पिछली सरकार कन्सलटैन्ट की नियुक्ति के मुद्दे पर ए.डी.बी. से विवाद में उलझी रही। पूरा जवाब सुन लें, फिर कुछ पूछना। पूरा जवाब सुन लें तो पूरी जानकारी मिल जायेगी इनको।

श्री अमराराम (धोद) : माननीय सदस्य ने पूछा कि आज तक कितना खर्चा हुआ ? यह बताओ आप तो।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : वह बता रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : आज तक का बता दो, आज तक कितना खर्चा हुआ, वह बता दो आप।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : जब से हमारी सरकार आयी है, कार्यों की गति में वृद्धि हुई है। जनवरी, 2004 से जून, 2004 तक की अवधि में प्रोजेक्ट में लगभग 150 करोड़ की राशि व्यय की गयी है।

श्री अध्यक्ष : यह बताओ। यह बता दिया।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : जबकि पिछली सरकार के समय पिछले वर्ष इसी अवधि में मात्र 7.6 करोड़ की राशि खर्च की गयी थी।

श्री अध्यक्ष : प्रतिपक्ष के नेता महोदय, आप कुछ पूछना चाह रहे थे ? हां, पूछ लें।

डा. बुलाकीदास कल्ला (नेता, प्रतिपक्ष) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि सूरसागर की समस्या के समाधान के लिए कितनी राशि प्रावधित की गयी थी और क्या यह सही है कि यह कार्य वर्तमान में इ.पी.आई. द्वारा बन्द रक दिया गया है?

दूसरा मेरा प्रश्न है, क्या यह सही है कि कच्ची बस्तियों के काम अभी तक शुरू ही नहीं हुए है ? क्या यह भी सही है कि इसमें जो कार्य आपने हास्पिटल से सम्बन्धित हाथ में लिये थे, उसके लिए 9 करोड़ रूपये की राशि प्रावधित की गयी थी, उसमें हास्पिटल का काम आपने अभी तक शुरू ही नहीं किया है, इनको कब तक शुरू करने का विचार है ?

तीसरा प्रश्न यह है कि रेलवे बाईपास, जिसके लिए लगभग 61 करोड़ रूपये की राशि प्रावधित थी, उसका कार्य आप कब शुरू कर रहे हैं और रेलवे से कब तक एग्रीमेन्ट कर के उस काम को शुरू कर रहें हैं ?

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : जैसा प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने पूछा एक तो मेडिकल कालेज के बारे में और दूसरा रेलवे बाइपास के बारे में...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : क्या करते हैं, मंत्रीजी, जरा ध्यान रखा करें आप। क्या करते हैं आप ?

श्री अमराराम (धोद) : यह संसदीय कार्य मंत्री हैं, संसदीय कार्य मंत्री का यह हाल है तो फिर बाकी का क्या होगा ?

श्री अध्यक्ष : ठीक है, ठीक है।

श्री गोविन्द राम चौहान : अध्यक्ष महोदय, कच्ची बस्तियों में कांग्रेस के राज पर एक पैसे का काम नहीं हुआ, अब प्रतिपक्ष के आदरणीय नेता प्रश्न पूछ रहे हैं। मैं कह रहा हूं यह तो कांग्रेस राज में आपको करना चाहिए था न। यही मेरा प्रश्न है।

डा. बुलाकीदास कल्ला : अभी तो आप कह रहे थे सारा काम शहर में हुआ, अभी आप कह रहे हो काम शुरू नही हुआ, तो दो तरह की बातें कैसे कर रहे हो आप ?

श्री बाबूलाल नागर : कांग्रेस की सरकार ने जो काम किया न... (व्यवधान)....इतना काम करोगे तो नानी याद आ जायेगी सरकार को। (व्यवधान)

श्री गोविन्द राम चौहान : कांग्रेस राज्य में कच्ची बस्ती में एक पैसे का काम नहीं हुआ है क्योंकि वहां गरीब और दलित बसता है पूरा पैसा अन्दरूनी क्षेत्र में लगा है और पूरे शहर में पैसा लगना चाहिए, पूरे 55 वार्डों में लगाना चाहिए था। इन लोगों ने जहां इनका विधान सभा क्षेत्र था वहां मात्र पैसा लगाया है।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार) : जरा जवाब तो दिलवा दो, तेरे-मेरे में मत आओ आप।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : पिछली सरकार ने ऐसा ही किया था, जहां चाहे वहां ही काम किया है।

श्री गोविन्द राम चौहान : पूरे प्रकरण की आप जांच कराने की सोचते हैं ?

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं, प्रश्न पूछिये आप।

श्री गोविन्द राम चौहान : कहां कितना पैसा खर्च हुआ है, वह वार्ड वाइज रिपोर्ट मंगवा लें आप। मेरा यही आग्रह है कि इन लोगों को 55 वार्डों पर पैसा खर्च करना चाहिए। जो सड़कें आ रही है, जो कच्ची बस्ती आ रही है, जो वहां की मूल हमारी समस्या है....(व्यवधान)...यह पूरे पर खर्च होना चाहिए।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार) : सदन पूरा परेशान है...(व्यवधान).. मंत्रीजी, बताओ तो सही आप कहना क्या चाह रहे हो ? 15 मिनट हो गई।

श्री अध्यक्ष : आपका ज़वाब आ गया ? (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : हमारे तो तीनों प्रश्न में से एक भी जवाब नहीं दिया सूरसागर, रेलवे बाईपास और हास्पिटल का, इन तीनों का कोई जवाब नहीं आया।

श्री अमराराम (धोद) : मंत्रीजी के पास जवाब ही नहीं है। (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : आपकी एक-एक बात का मैं दे रहा हूं जवाब।

श्री गोविन्द राम चौहान : मुझे तो बड़ा दुख होता है, सूरसागर की बात अभी कह रहे थे, प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय नेता मंत्री रहे हैं और यह जानते हैं सूरसागर की प्राब्लम है...(व्यवधान) ... इसलिए मेरा निवेदन है कि इस सूरसागर के बारे में जांच करवायी जाए।.....(व्यवधान)...कितने करोड़ों रूपये कांग्रेस के राज में खर्च हुए और सूरसागर वहीं का वहीं पड़ा है।

एक माननीय सदस्य : हरेक को स्वायत्त शासन मंत्री बना दिया क्या, यह हर बार खड़े हो जाते हैं।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी का यह हाल है कि वह अभी तो उत्तर में मंगा रहे हैं, क्या उत्तर देंगे ? सदन का सदुपयोग होना चाहिए। अभी तो उत्तर आ रहा है फिर मंत्रीजी जवाब देंगे।

श्री गोविन्द राम चौहान : मेरा मूल प्रश्न यही है। व्यक्तिगत में किसी पर आरोप लगाना नहीं चाहता लेकिन मेरी मांग है कि सूरसागर में आज तक करोड़ों रूपये पिछले पांच साल में खर्च हो चुके होंगे सूरसागर में आज तक भी समस्या वैसी की वैसी खड़ी है। (व्यवधान)

श्री सी.डी. देवल : 6 महीने में हो गया क्या ....(व्यवधान)...8 साल मिले थे आपको।

श्री गोविन्द राम चौहान : इसलिए मेरा आग्रह है कि हमारी सरकार इसमें प्राथमिकता से सूरसागर के लिए...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं।

डा. एन.एस. गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न आपकी इजाजत से।

श्री मोहन लाल गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं भी एक पूरक प्रश्न पूछना चाहता हूं, इस ए.डी.बी. योजना के तहत.....(व्यवधान)

श्री गोविन्द राम चौहान : जो रेलवे बाइपास का मुद्दा है, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि रेलवे में, केन्द्र में आपकी सरकार है, आप इसको प्राथमिकता से करें, दोनों मिल कर करें ताकि हमारी रेलवे की समस्या दूर हो सके।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, भाषण नहीं।.....(व्यवधान)....

श्री गोविन्द राम चौहान : अध्यक्ष महोदय, दिल्ली में कांग्रेस की सरकार है, रेलवे का जो प्रोजेक्ट है ए.डी.बी. योजना के तहत...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, भाषण नहीं प्रश्न पूछिये। ......(व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता : कितना समय स्वीकृत किया गया और उन छह शहरों में कितना रूपया खर्च हुआ ? इसका ब्यौरा भी मैं जानना चाहूंगा पूरक प्रश्न के माध्यम से कि आज तक ए.डी.बी. योजना के तहत 6 शहरों में कितना पैसा खर्च हुआ ?

डा. एन.एस. गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : आप जवाब तो सुनें।

श्री अध्यक्ष : आप जवाब देने दें मंत्रीजी को।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : सूरसागर का कार्य भारत सरकार की पब्लिक सैक्टर कम्पनी ई.पी.आई.एल. द्वारा किया जा रहा है। इस कार्य को अतिशीघ्र पूर्ण करवाया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, हो गया आपका। प्रश्नकर्ता, हो गया जवाब आपका।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : दूसरा मेडिकल सेक्टर के बारे में पूछा, जब डालर की कीमत 49 रूपये थी तब सरकार ने परियोजना में अधिक राशि की उपलब्धता को देखते हुये कुछ नये हाथ में लेना किया था जिसमें परियोजना के 6 शहरों में मेडिकल कालेज व डिस्पेन्सरियों में मूलभूत सुविधाओं के विकास हेतु प्रस्ताव ए.डी.बी. को भिजवाये गये जिसकी सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त हो गयी थी। स्वीकृति देते समय ए.डी.बी. द्वारा यह शर्त भी लगायी गयी थी कि बीसलपुर प्रोजेक्ट से जयपुर शहर में जलापूर्ति करना उनकी पहली प्राथमिकता है...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: किसका जवाब देने लगे आप ? बीसलपुर का देने लग गये आप तो।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : एक मिनट, जवाब दे दूं। अध्यक्ष महोदय, जवाब में ही है पूरी बात तो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : जब इतना विस्तृत पूछेंगे तो उत्तर भी विस्तृत होगा।

श्री अध्यक्ष : बीसलपुर का जवाब दे रहे हैं, आप तो बीकानेर से जयपुर पर क्यों आ गये ? आप बीकानेर से जयपुर क्यों आ गये ?

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : सुनिये तो सही। अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार की भी पहली प्राथमिकता बीसलपुर प्रोजेक्ट थी।

एक माननीय सदस्य : बन्टाधार हो गया इस सरकार का, बहुत अच्छा जवाब दे रहे हो, दे दो पूरा।

डा. श्रीगोपाल बाहेती : अध्यक्ष महोदय, यह जयपुर इसलिए आ गये हैं कि सारा पैसा ए.डी.बी. का यह जयपुर में ले आये। जो पैसा बचाया ए.डी.बी. का, चाहे पुष्कर का हो, चाहे बीकानेर का हो, चाहे जैसलमेर का हो वह सब जयपुर ले आये बीसलपुर में, यह इसलिए जयपुर आ गये..... (व्यवधान)....

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : इसका काम हम जल्दी ही चालू करने वाले हैं। जयपुर, अजमेर कोटा, में कार्य शुरू करवाये जा चुके है। डालर की वर्तमान दरों को मद्देनजर रखते हुये ए.डी.बी. इस परियोजना की बचत को बीसलपुर पर प्रथम प्राथमिकता के आधार पर शामिल करना चाहती है। बीकानेर में प्रारम्भिक प्रावधान 154 करोड़ का था जिसके विरूद्ध रेल बाइपास के निर्माण मिला कर लगभग 195 करोड़ के काम हो जायेंगे। जिसके विरूद्ध रेल बाइपास के निर्माण में मिलाकर लगभग 195 करोड़ से ज्यादा के काम हो जायेंगे। बीकानेर शहर में चल रहे कार्यों में बचत हुई तो मेडिकल के कार्य भी हाथ में लिए जा सकेंगे। अध्यक्ष महोदय, जब से केन्द्र की सरकार बनी है, रूपये की कीमत डालर के मुकाबले गिरने लगी है जिससे प्रोजेक्ट में अतिरिक्त राशि उपलब्ध होने की सम्भावना बढ़ गयी है। (व्यवधान) 49 थी, 46 हो गयी है। अगर रूपये की कीमत इस तरह से गिरती रही तो बीकानेर में मेडिकल कार्य हाथ में लेने की पूरी कोशिश की जाएगी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन।

डा. एन.एन. गुर्जर : पिछली सरकार ने ए.डी.बी.. से 1500 करोड़ रूपये का लोन लिया था। उन कार्यों की व्यवस्था ठीक नहीं थी, उन कार्यों को समय पर पूरा नहीं करवाया गया इसलिए क्या सरकार पिछली सरकार के कार्यकलापों की जांच करवाएगी (व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता : कितना पैसा स्वीकृत हुआ और कितना पैसा खर्च हुआ, माननीय नगरीय विकास मंत्री।

श्री अध्यक्ष : मैंने अगला प्रश्न पुकार लिया है।

परिचालकों की पदोन्नति में अनुसूचित जाति/ जनजाति का बैकलॉग

492. **श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर)** : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि अनुसूचित जाति/जनजति के परिचालकों को सहायक निरीक्षक के पदों पर पदोन्नति हेतु बैकलॉग अनुसार लाभ नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? अब तक कितने सहायक निरीक्षक के पद अनुसूचित जाति/जनजाति के वर्गवार रिक्त हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि वर्ष 2004 में परिचालकों की पदोन्नति हेतु सरकार विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

यातायात मंत्री (श्री युनूस खान) : (1) जी नहीं। दस गुना जोन ऑफ कन्सीडरेशन की सूची में अनुसूचित जाति/जनजाति के योग्य प्रत्याशी उपलब्ध नहीं होने से वर्तमान में सहायक यातायात निरीक्षक के पद पर अनुसूचित जाति/जनजाति के पदों का बैकलॉग निम्नानुसार है-

अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
8	9

(2) जी हां। वर्ष 2004-05 में परिचालकों की पदोन्नति के लिए विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित करने की कार्यवाही विचाराधीन है।

श्री नाथूराम अहारी : अध्यक्ष महोदय, पहले प्रश्न में मंत्रीजी ने जवाब दिया है कि योग्य प्रत्याशी नहीं मिलने के कारण पदोन्नति नहीं की गयी। क्या राजस्थान रोडवेज में कोई ऐसा परिचालक नहीं है जिसको सहायक निरीक्षक के पद पर पदोन्नत किया गया जा सके ?

दूसरा मेरा प्रश्न है, आपने बताया कि परिचालकों को भी पदोन्नत नहीं किया गया तो परिचालकों में भी कोई ऐसा परिचालक नहीं बचा जिसको

(श्री नाथूराम अहारी)

सहायक निरीक्षक में पदोन्नत किया जा सके। आपने अनुसूचित जनजाति के जितने भी पद खाली है, उसमें नहीं भरे हैं। यह पक्षपातपूर्ण रवैया है। आपका यह तरीका ठीक नहीं है। आप इसे भरें।

श्री अध्यक्ष : जवाब आने दीजिये पहले।

श्री मुरारी लाल मीणा : यह इससे सम्बन्धित ही है बिलकुल। फिर आप हमको बैठा देंगी।

श्री अध्यक्ष : पहले मूल प्रश्नकर्ता का जवाब आने दीजिये।

श्री युनूस खान : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो मुद्दा उठाया, वैसे जोन ऑफ कन्सीडरेशन में ज्यादा से ज्यादा नियमों के अनुसार फाइव टाइम और उससे ज्यादा अगर लें सेवन टाइम तक कन्सीडर किया जाता है लेकिन हमने उसके बावजूद भी दस गुना तक कन्सीडर किया है। उसके बावजूद भी यह लिस्ट में नहीं आए। अभी डी.सी.पी. हमारी 19-02-2004 को हुई उसमें एस.सी.एस.टी. के लोगों को लिखा है। जो हमारे बाकी पद 8 और 9 अनुसूचित जाति के खाली है उसके लिए वापस डी.पी.सी. की कार्यवाही चल रही है। डी.पी.सी. अतिशीघ्र हो जाएगी। अवेलेबिलिटी के आधार पर लिया जाएगा।

हमारे परिचालकों में योग्य नहीं है, बहुत सारे लोगों की ए.सी.आर. वगैरहा खराब होती है, कोई सस्पेन्ड है, कोई टर्मिनेट हो गए इसलिए इसमें जो कन्सीडर हो सकते है, उनको लेने के बाद हमने यह कार्यवाही की है और बाकी हमारा अभी विचाराधीन है और कोई योग्य होगा तो उनको जरूर लिया जाएगा और यह बैकलॉग अतिशीघ्र भरा जाएगा। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : एस.सी.एस.टी. की ए.सी.आर. खराब होती है या जनरल की भी होती है ?

श्री नाथूराम अहारी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा पूछना चाहता हूं कि यह 8 और 9 रिक्तियां है वह कब तक पूरी करेंगे ? इसका समय भी बताएं आप।

श्री अध्यक्ष : श्री जीतमल खांट।

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि आपने 8 और 9 जो पद रिक्त बताए है, सहायक निरीक्षक के कुल कितने पद हैं और उसमें से एस.सी.एस.टी. का कितना प्रतिशत बैकलॉग है ?

श्री अध्यक्ष : बैकलॉग तो बता दिया। हाथ उठाने की जरूरत नहीं है, मैंने देख लिखा।

श्री जीतमल खांट : दूसरा एस.सी., एस.टी. के कितने निरीक्षक अब तक कार्यरत हैं ?

श्री अध्यक्ष : श्री संयम लोढ़ा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि आपने अपने उत्तर में बताया कि आप इस साल पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित करते जा रहे है। मैं आपसे सिर्फ यह पूछना चाहता हूं कि अनुसूचित जाति/जनजाति का जो बैकलॉग सामने आया है, क्या इस साल सरकार उसको भर देगी ?

श्री अध्यक्ष : श्री अमराराम (धोद)

श्री अमराराम (धोद) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि आपने कि आपने फरवरी, 2004 में डी.पी.सी. की है। अगर आपकी मंशा होती तो रोडवेज में इतने एस.सी. और एस.टी. के कन्डक्टर हैं, आपका यह बहाना है कि उनकी ए.सी. आर. खराब है। क्या जितनी पदोन्नति दी है उनके किसी के रिमार्क नहीं है ? केवल यह बहाना बनाकर आप एस.सी., एस.टी. के लोगों को प्रमोशन नहीं देना चाहते। योग्यता का मतलब है सीनियर पास आपका सब-इन्सपेक्टर होता है। आप तो यह बंता दें कितने एस.सी. और एस.टी. के कन्डक्टर हैं जो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट भी है ?

श्री अध्यक्ष : पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट तो अलग से प्रश्न है। वह इसमें थोड़े ही सम्मिलित है। वह थोडे ही बता पाएँगे।

श्री अमराराम (धोद) : है, एस.सी., एस.टी. का यह तो बता देंगे और क्या आप पदोन्नति में एस.सी. और एस.टी. का पद भरने के लिए नियमों में शिथिलता देकर इनको भरने का इरादा रखते है ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : डा. एन.एस. गुर्जर। एन.एस. गुर्जर पुकारा है नाम मैंने, आपका गुर्जर नाम है क्या ? (व्यवधान)

श्री मुरारी लाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, एक घण्टे से आप नाम बोल ही नहीं रही हैं हमारा।

श्री अध्यक्ष : मैंने एन.एस. गुर्जर पुकारा है ना। आपको भी समय दे दूंगी।

डा. एन.एस. गुर्जर (टोडारायसिंह) : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि बैकलॉग जो नहीं भरा जाता है उसमें मंत्रीजी बताने का कष्ट करेंगे कि इनमें कितने लोगों के खिलाफ इन्क्वायरी पेण्डिंग है ? जो योग्य हैं उनके खिलाफ इन्क्वायरी बैठा दी जाती है कोई न कोई आरोप लगाकर, ऐसे कितने लोग हैं ? किसी की ए.सी.आर. खराब कर दी जाती है, कितने लोग है और उस आधार पर कि इनके खिलाफ इन्क्वायरी पेण्डिंग है या इनकी ए.सी.आर. ठीक नहीं है। उसके आधार पर इस बैकलॉक में पदोन्नति देने में उनको रोक दिया जाता है, ऐसे कितने कैसेज है ? क्या इसकी आप जांच करायेंगे ?

श्री अध्यक्ष : श्री मुरारी लाल मीणा।

श्री मुरारी लाल मीणा (बांदीकुई) : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि विभागीय पदोन्नतियों में एस.सी., एस.टी. के अभ्यार्थी नहीं मिलने पर उन पदों को सामान्य वर्ग से भरा जा सकता है ? अगर नहीं तो जिन विभागों में ऐसा किया गया है, दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : विभाग नहीं, आप तो ट्रान्सपोर्ट का पूछिये उनसे केवल।

श्री मुरारी लाल मीणा : उनसे सम्बन्धित ही है।

श्री अध्यक्ष : विभाग नहीं बता पाएगें। सब विभागों का नहीं बता पाएगे। (व्यवधान) सब विभाग अलग से प्रश्न है। कैसे बता पाएगें ?

श्री मुरारी लाल मीणा : यह प्रश्न सबके लिए है। क्या एस.सी., एस.टी. के योग्य अभ्यार्थी नहीं मिलते है तो उन पदों को क्या जनरल से भरा जा सकता है ? इस विभाग का ही बता दो और यदि कहीं भर दिए गए हैं तो उनके खिलाफ आप क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : अब उनको जवाब देने दीजिये।

श्री रामसिंह विश्नोई : प्रदेश में रोडवेज के अन्दर जो कण्डक्टर है, कितने प्रतिशत कण्डक्टरों के ऊपर गबन के मामले विचाराधीन है ?

श्री अध्यक्ष : यह अलग से प्रश्न है। अब आप जवाब तो देने दो।

श्री युनूस खान : अध्यक्ष महोदय, अभी सम्माननीय सदस्य ने पूछा, कोई भी नियुक्ति हो चाहे पदोन्नति हो, सब नियमानुसार होती है और बात आयी शिथिलता की, मैंने निवेदन किया था मेरे जवाब में कि फाइव टाइम और सेवन टाइम तक लिया जा सकता है जो ऑफ कन्सीडरेशन में, लेकिन उसके बाहर भी जाकर हमने टेन तक लिया है। निश्चित रूप से हमने शिथिलता दी है। मैंने भी यह निवेदन किया है कि हम अगले माह सितम्बर में इनका बैकलॉग भरने के लिए डी.पी.सी. वापस बैठाएगे और यह जो बैकलॉग है, पूरा भरने की कोशिश करेंगे।

माननीय अन्य सदस्यों ने जो सवाल पूछे हैं उनमें बहुत सारे इस मूल प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है और अलग से अगर कोई सवाल पूछेंगे तो उनका निश्चित रूप से जवाब दिया जाएगा (व्यवधान) माननीय सदस्य श्री मुरारी लाल मीणा ने पूछा कि एस.सी., एस.टी. के जनरल कोटे से भी भरे जा सकते हैं, निश्चित रूप से नहीं भरे जा सकते और जितनी नई नियुक्तियों हो रही हैं, नया संविधान संशोधन हो गया.... उसके बाद में नयी नियुक्तियों में बैकलॉक भरा जा रहा है। मैं, उदाहरण देकर बताना चाहूंगा कि अभी राजस्थान पुलिस में दो सौ सब इन्सपेक्टर्स लिये गये हैं, उनमें जनरल के मात्र 8 लिये गये हैं, बाकी सारे एस.टी., एस.सी. के बैकलॉग को भरने के लिये गये हैं। चूंकि भर्तियां नहीं हुई इसलिए यह इतना बैकलॉग बढ़ गया। मेरा इतना ही जवाब है।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन। श्री हीरालाल बामनवास।...(व्यवधान)

डा. एन.एस. गुर्जर : इतने क्या....(व्यवधान) सरकार में हम नहीं ले जा सके इन पर इंक्वायरी पेन्डिंग कर दी, ए.सी.आर. खराब कर दी....(व्यवधान)।

डा. भंवर लाल राजपुरोहित : अध्यक्ष महोदय, एक अहम प्रश्न है। राजस्थान रोडवेज में शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले लाखों ड्राइवर हैं। रोडवेज में शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले कितने ड्राइवर है। रोडवेज में शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले कितने ड्राइवर हैं, ऐसे ड्राइवरों की संख्या बताइये..... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री हीरालाल बामवास। नैक्स्ट क्वेश्चन....(व्यवधान)

श्री जीतमल खांट : मैंने पाइन्टेड सवाल किया है उसका उत्तर दो। निरीक्षक सात हैं तो निरीक्षकों के कुल कितने पद हैं और उसमें एस.टी., एस.सी. का कितना प्रतिशत बैकलॉग है। यह आप बताइये।

श्री भंवर लाल राजपुरोहित : अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल का जवाब.... (व्यवधान) शराब पीकर, गाड़ी चलाने वाले कितनें ड्राइवर है ? ऐसे ड्राइवरों की लिस्ट दी जाए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैंने नैक्स्ट क्वेश्चन पुकार लिया है।

प्रश्न संख्या-493

श्री हीरालाल बामनवास। (अनुपस्थितः कृपया आगे देखें)

डा. श्रीगोपाल बाहेती : (व्यवधान) अब शांत रहें। जवाब देने दें।

जिला दुग्ध संघों में निर्वाचित संचालक मण्डल

494. डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे-

(1) क्या यह सही है कि 1997 में निर्वाचित संचालक मण्डल वाले जिला दुग्ध संघ लाभ में चल रहे हैं ?

(2) क्या यह सही है कि 5 जिला दुग्ध संघ, जिसमें प्रशासक हैं, घाटे में चल रहे हैं ? यहि हां, तो क्यों ? सरकार द्वारा चुने हुए संघों को क्यों भंग किया गया है ?

(डा. श्रीगोपाल बाहेती)

(3) क्या उक्त संघों को भंग करना संवैधानिक दृष्टि से सही है ? यदि हां, तो किस प्रकार ?

सहकारिता मंत्री **(श्री मदन दिलावर)** : (1) जी नहीं। वर्ष 1997 में निर्वाचित संचालक मण्डल वाले जिला दुग्ध संघों में से एक संघ तीन अकेंक्षित वर्षो क्रमशः 2000-2001, 2001-2002 एवं 2002-2003 में हानि में रहा है।

(2) जी नहीं। उक्त 5 जिला दुग्ध संघों, जिनमें प्रशासक नियुक्त हैं, में से 4 जिला दुग्ध संघ लाभ में तथा एक जिला दुग्ध संघ घाटे में है।

(3) जी हां। राज्य के दस जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघों में वर्ष 1997 में निर्वाचित संचालक मण्डलों का कार्यकाल समाप्त हो जाने के कारण राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2001 की धारा 30 (2-ख) के अन्तर्गत प्रशासक नियुक्त किये गये हैं, जिसे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा वैध ठहराया गया है। वर्तमान में उक्त प्रशासक नियुक्ति का प्रकरण माननीय उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है।

डा. श्रीगोपाल बाहेती : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि किस आर्डिनेंस के तहत आपने उनको भंग किया, ऐसी क्या जल्दी थी, ऐसी कौनसी इमरजेन्सी थी कि बिना राष्ट्रपति की एप्रूवल के, बिना विधान सभा की एपूबल के आपने उसको लागू कर दिया, जबकि वह संघ फायदे में थे।

दूसरा प्रश्न यह है कि जिन्होंने अकाल के अन्दर गांव में पानी की व्यवस्था जानवरों के लिये चारे की व्यवस्था की और रोजगार दिया, फिर ऐसी क्या बात आ गयी, क्या इसमें राजनीति थी जिसके आधार पर आपने भंग किया ? और किया तो क्यों किया ?

श्री अध्यक्ष : कार्यकाल समाप्त हो गया।

डा. श्रीगोपाल बाहेती : हां, तो यह स्वीकार करें आप।

श्री मदन दिलावर : माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरा सदन इस बात को जानता है कि आर्डिनेस लाना सरकार का अधिकार है। माननीय सदस्य जिन संघों के

(श्री मदन दिलावर)

बारे में प्रश्न पूछ रहे है तो इनका कार्यालय समाप्त हो गया था। कार्यकाल पूरा होने के बाद भी दो बार लगातार कार्यकाल बढ़ाया गया। फिर भी उनके संचालक मण्डल यह चाहते थे कि निरन्तर हम तो बिना चुने हुये ही यहां बैठे रहें। ऐसी स्थिति में पहले वाले एक्ट में प्रावधान नहीं था इसलिए आर्डिनेंस लाना पड़ा। यह एक तरीके से लोकतन्त्र का उपहास ही है कि एक बार जितने समय के लिये जनता चुनकर भेजती है उससे भी ज्यादा समय तक बैठे रहें तो सरकार का दायित्व यह बनता था कि आर्डिनेंस लाकर उनको हटा दें।

दूसरा, कहा गया कि वह फायदे में थे और उन्होंने अकाल के समय में बहुत सारा काम किया है। वैसे तो विधान सभा है, लोक सभा है, यहां पूरा अच्छा काम करते हैं फिर भी पांच साल बाद चुनाव कराना आवश्यक हो जाता है, उसी प्रकार चुनाव कराये जाते हैं। इन्होंने कहा कि फायदे में थे, मैं बताना चाहूंगा जिन दुग्ध संघों के ऊपर हमारे चेयरमैन बैठे हुये थे, उनको हटाया है उनकी स्थिति बताना चाहता हूं। माननीय सदस्य ने कहा है कि वह फायदे में चल रहे थे, मेरी जानकारी के अनुसार फायदे में नहीं चल रहे थे। सबसे पहले अजमेर के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। 1997-98 की स्थिति देखेंगे आप, तो यह तो यह 80 .....(व्यवधान)

श्री रामसिंह विश्नोई : इससे क्या मतलब है ? इस प्रश्न से क्या मतलब है....(व्यवधान)

डा. श्रीगोपाल बाहेती : आपने खुद ने, मंत्रीजी ने अपने जवाब में बताया है कि दस में से एक संघ घाटे में था।

श्री मदन दिलावर : आपके कहा है कि लाभ में चल रहे थे..... (व्यवधान)

डा. श्रीगोपाल बाहेती : जहां तक बात कार्यकाल की है तो जी.एस.एस. और दूसरे संगठन जो गांव स्तर पर बने हुये हैं वह तो इनसे पुराने हैं। यह स्पष्ट रूप से आपका राजनीतिक भेदभाव, राजनीतिक हस्तक्षेप है, तो कृपा करके सहकारिता से प्ले मत करिये। सहकारिता गांवों के विकास की रीढ की हड्डी है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी, यह कब भंग हुई, यह तो बताओ आप।

श्री मदन दिलावर : भंग तो अभी लगभग एक-डेढ़ महीने पहले हुई हैं।

श्री अध्यक्ष : पिछले तीन साल का घाटा बता दो आप तो। बात खतम हुई।

श्री मदन दिलावर : पिछले तीन साल का...(व्यवधान) अलग से मैं इन्हें बताऊंगा

श्री अध्यक्ष : तीन साल का घाटा बताइये। लाभ या घाटा जो कुछ है वह बता दीजिये।

श्री मदन दिलावर : घाटा बता रहा हूं। बांसवाडा का अभी तक संचित घाटा 70,52,000 रूपये और भी मैं बता देता हूं उसके बाद....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : टू मच। Too much

श्री मदन दिलावर : बीकानेर का यदि आप देखें तो 11,23,23,000 रूपये का घाटा है...(व्यवधान)

डा. श्रीगोपाल बाहेती : अध्यक्ष महोदय, या तो यह जवाब गलत है या मंत्रीजी सदन को गुमराह कर रहे हैं। जो जवाब दिया है उसको पढिये आप। आपने लिखा है कि दस में से एक संघ घाटे में है और अब आप कह रहे हैं कि इतने घाटे में है...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : तो 160 लाख रूपये का घाटा...(व्यवधान)

डा. श्रीगोपाल बाहेती : सदन को क्यों मंत्रीजी गुमराह कर रहे हैं और मेरा कहना यह है यदि ऐसा है, मंत्रीजी तय करें कि इसके खिलाफ ...(व्यवधान) यह बताइये।

श्री मदन दिलावर : वह आगे बता रहा हूं। जयपुर का एक करोड़ सात लाख छह हजार रूपये, पाली का दो करोड़ दस लाख छत्तीस हजार रूपये...(व्यवधान) भीलवाड़ा का तियालीस लाख अठारह हजार का घाटा था.....

डा. श्रीगोपाल बाहेती : जवाब यह सही है या वह सही है। यह जवाब क्या दिया है....(व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा : क्या यह भी सही है कि इन संघो में इनका मुद्राभिषेक नहीं किया....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी ने आपको स्पष्ट कारण बता दिया कि क्यों भंग किया गया। भंग इसलिए किया गया कि समय पूरा हो गया था। घाटे में थे। अब और क्या चाह रहे हो आप और क्या चाहते हैं ....(व्यवधान)

डा. श्रीगोपाल बाहेती : दस में से एक लिखा है..(व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा (खंण्डार) : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि मुद्राभिषेक नहीं होने की वज़ह से इनको हटा दिया...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : हां, पूछिये।

श्री रामसिंह विश्नोई : मंत्री महोदय, क्या यह सही है कि आर.सी.डी.एफ. के ऊपर करोड़ो रूपयों का कर्जा लिया हुआ था मदर डेयरी का। उस समय समस्त प्रदेशों के संघों से पैसा उधार लेकर आर.सी.डी.एफ. ने मदर डेयरी को पैसे चुकाकर यह कर्जा साफ किया।

क्या यह सही है कि चुनाव होने शेष है तो चुनाव, संघ कराता है, गवर्नमेन्ट कराती है या डेयरी कराती है, यह आप खुलासा करे। इनकों भग करने का औचित्य बता दीजिये, किस कारण से भंग किया।

श्री अध्यक्ष : औचित्य तो बता दिया ना।

श्री रामसिंह विश्नोई : एक एम.एल.ए. कार्यकाल पूरा होता है, विधान सभा भंग करने की कहां जरूरत है। चुनाव तो टाइम पर ही होते हैं। जब तक चुनाव नहीं हो जाते हैं तब तक चाहे सरपंच हो, प्रधान हो, प्रमुख हो, एम.एल.ए. हो, सब बने रहते हैं...

श्री अध्यक्ष : गलत है...

श्री रामसिंह विश्नोई : और यह काम गवर्नमेन्ट का होता है, यह संघ का काम नहीं होता है...

श्री अध्यक्ष : कोई आवश्यक नहीं है।

श्री मदन दिलावर : माननीय अध्यक्ष महोदय, आप तो जानती हैं जब अयोधया में.....

श्री बाबूलाल नागर : अयोध्या कहां से आ गया ?

श्री मदन दिलावर : राम जन्मभूमि पर मंदिर बनाया गया तब हमारी सरकार को पूरा कार्यकाल नहीं होने के बावजूद भी....(व्यवधान)

डा. श्रीगोपाल बाहेती : जवाब नहीं मिलता है तो....(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : उत्तर प्रदेश और राजस्थान की सरकार का कार्यकाल पूरा नहीं होने दिया...(व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर : यह किस स्तर पर मंत्री महोदय ले रहे हैं। यह बात किस तरह से लेते हो ? (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : सरकार हत्यारी थी इसलिए भंग किया....(व्यवधान) केन्द्र सरकार के अनुसार नहीं चल रही थी, इसलिये हटा दिया....(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : कांग्रेस का तो , अध्यक्ष महोदय, पहले से ही राम निकाला है....

श्री मदन दिलावर : तो सरकार को यह अधिकारी है....(व्यवधान) मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता...(व्यवधान)

श्री राकेश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय कांग्रेस का तो उस समय से ही.....(व्यवधान) करोड़ रूपयों तक खा गये....(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : चुनाव के समय कांग्रेस सरकार ने उनसे निरन्तर चन्दा लिया इसके कारण से खतम हो गये....(व्यवधान)

श्री हीरालाल (बामनवास) : राम की इंटे खाने वालो....(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : आपका मुद्राभिषेक नहीं किया....(व्यवधान) आपका मुद्राभिषेक उन सबने नहीं किया इसलिए आपने उनको भंग किया है...(व्यवधान)

श्री हीरालाल (बामनवास) : मंत्री महोदय, जवाब देने के बजाय.... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : करोड़ों रूपये खा गये.....(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, उन्होंने मंत्रीजी का रूद्राभिषेक नहीं किया। इसलिए उनको भंग कर दिया और यह पूरे राजस्थान में रूद्राभिषेक करवा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

श्री संयम लोढ़ा : x x x

श्री महीपाल सिंह यादव : x x x

श्री जालम सिंह रावलोत : x x x

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ। प्रश्नकाल समाप्त हुआ। आसन पांवों पर।

श्री हीरालाल (बामनवास) : x x x

श्री अध्यक्ष : कृपया शांत रहें, अपना स्थान ग्रहण कर लें (व्यवधान) माननीय मुख्य सचेतक महोदय, आप भी बैठे-बैठे क्यों बोलते है ?

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्न स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है :-

1. श्री हरिमोहन शर्मा, सदस्य की ओर से तहसील हिण्डोली के रानीपुरा में एक विधवा महिला की कथित भुख से हुई मौत के सम्बन्ध में।

उक्त प्रस्ताव इतनी गंभीर प्रकृति का नहीं है कि सदन की..... (व्यवधान)

मुझे पूरा कम्प्लीट करने देंगे कि नहीं देंगे।

श्री रामसिंह विश्नोई : भूख से मर गई।

श्री अध्यक्ष : मुझे कम्प्लीट करने दीजिये। फिर सुन लीजिये, उक्त प्रस्ताव इनता गंभीर प्रकृति का नहीं है कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इस पर विचार किया जाए, अतः अनुमति देने में असमर्थ हूं। लेकिन माननीय सदस्य को दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं। आज यद्यपि बहुत सूचनाएं प्राप्त हुई हैं और करीब 34 सूचनाएं इस सम्बन्ध में प्राप्त हुई हैं इसलिए उनको पढ़ा हुआ मान लिया जायेगा। लेकिन पांच सदस्य ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक प्रक्रिया के नियम में बोला नहीं है, इसलिए 5 को तो बोलने की अनुमति होगी और बाकी माननीय सदस्यों को पढ़ा हुआ मान लिया जायेगा। वह पांच माननीय सदस्य है-

(1) श्री मदन राठौड़, सदस्य की ओर से किसानों को जैविक खाद का वितरण करने तथा इसका उत्पादन करने वाले किसानों को ऋण/अनुदान उपलब्ध करवाने का प्रावधान करने के सम्बन्ध में।

(2) श्री बंशीलाल खटीक, सदस्य की ओर से राजसमन्द झील एवं नन्दसमन्द बांध के कैचमेन्ट एरिया में बाघेरी नाका बनाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। (व्यवधान)

माननीय सदस्य, आप क्या करते हैं, आसन पावों पर है और आप इस तरीके से शोरगुल करने लग जाते हैं।

(3) श्री महीपाल सिंह यादव, सदस्य की ओर से ग्राम हुलमाना खुर्द तहसील मुण्डावर, जिला अलवर में किये गये एक भू-आबंटन को निरस्त करने के सम्बन्ध में।

(4) श्री रणधीर सिंह भिंडर, सदस्य की ओर से प्रतापगढ़ के पी.जी. महाविद्यालय में स्थापित महाराणा प्रताप की मूर्ति को समाजकंटकों द्वारा खण्डित करने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(5) श्री भागीरथ चौधरी, सदस्य की ओर से खातोलीं मोड़ (निम्बार्क तीर्थ द्वार) से सलेमाबाद तक की 10 किलोमीटर सड़क को चौड़ा करने के सम्बन्ध में।

जो चार पर्चियां आज आई हैं वह है :-

(1) श्रीमती राजकुमारी शर्मा, सदस्य की ओर से सीकर शहर के जीवन नगर एवं पीपराली रोड तक अम्बेडकर नगर में विद्युत लाइन के तार ऊपर से गुजरने से होने वाले नुकसान के सम्बन्ध में।

(2) श्री रघुवीर सिंह मीणा, सदस्य की ओर से सार्वजनिक निर्माण विभाग में पदोन्नति में हुई धांधली के सम्बन्ध में।

(3) श्री तगाराम चौधरी, सदस्य की ओर से बाड़मेर विधान सभा क्षेत्र में बिजली की आवश्यकता, कृषि, कुओं एवं पेयजल आदि पर चर्चा के सम्बन्ध में।

(4) श्री हेमराज मीणा, सदस्य की ओर से किशनगंज व शाहबाद में जंगलों के अवैध कटान को रोकने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को चार-चार मिनट बोलने की अनुमति होगी।

स्थगन प्रस्ताव पर बोलिये, श्री हरिमोहन शर्मा।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव....(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : सराड़ा के सम्बन्ध में माननीय गृह मंत्रीजी ने कहा था कि मैं सदन में....(व्यवधान)

श्री नन्दलाल पूनिया : अध्यक्ष महोदय, पाइन्ट ऑफ इन्फार्मेशन....(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : वहां साम्प्रदायिक दंगा हुआ है, लोग पलायन कर रहे हैं। अनुसूचित जाति का एस.पी. था उसको हटा दिया गया है।

(मोहम्मद माहिर आजाद)

मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप कोई समय निश्चित कर दें कि माननीय गृह मंत्रीजी, चूंकि आज सदन का आखिरी दिन है, वह सराड़ा की स्थिति से सदन को अवगत करायें और स्टेटमेन्ट उस सम्बन्ध में दें।

श्री नन्दलाल पूनिया : अध्यक्ष महोदय, पाइन्ट ऑफ इन्फार्मेशन।

श्री अध्यक्ष : सराड़ा के बारे में गृह मंत्रीजी बिलकुल तैयार थे। लेकिन माननीय सदस्यों ने ही कह दिया कि आप वहां पर जा आये हैं, सारी स्थिति को आपने देख लिया है तो खुद ने ही उन्हें मान कर दिया कि कोई आवश्यकता नहीं है। आपको इसका जवाब देने की स्टेटमेन्ट देने की, इसलिए वह नहीं दे रहे है और यदि दिलाना चाहते है तो वह तैयार हैं, बिलकुल वह देने के लिए।

श्री संयम लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, जवाब दिलायें।

मोहम्मद माहिर आजाद : जरूरी है।

श्री अध्यक्ष : जिन माननीय सदस्यों ने उठाया था, उन्होंने ही ना कर दिया।

श्री संयम लोढ़ा : मैंने भी उठाया था, आपने फरमाया था कि.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपने ना क्यों किया ? (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : मैंने व्यक्तिगत रूप से आपसे आग्रह किया था कि हम स्टेटमेन्ट (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, वह रोटी नहीं खा रहे है... (व्यवधान)

श्री नन्दलाल पूनिया : अध्यक्ष महोदय, पाइन्ट ऑफ इन्फार्मेशन।

श्री मुरारी लाल मीणा : एस.पी. को इसलिए हटा दिया.....(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : बयान होना चाहिए..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी कुछ कहना चाहते हैं। आप एक प्रश्न उठाते हैं, माननीय मंत्री खडे होते हैं। आप एक साथ इतने लोग खडे हो जाते हैं। मैं समझती हूं कि सदन की परम्पराओं का, सदन की नियमों का थोडा ध्यान रखें।

श्री नन्दलाल पूनिया : अध्यक्ष महोदय, पाइन्ट ऑफ इन्फार्मेशन।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, यह घटना बहुत ही ज्यादा संवेदनशील थी, आठ आदिवासी छर्रे और गोलियां लगने के कारण से हास्पिटल में भर्ती हुए। समुदाय विशेष के प्रति बहुत ज्यादा उग्रता उस क्षेत्र में आयी इसलिए सदन के माननीय सदस्यों, प्रतिपक्ष के नेता और हम सब लोगों ने मिलकर के तय किया कांग्रेस और हम सब विधायक, जिसमें मांगीलालजी भी थे, रघुवीजी भी थे, हम सब लोग जाकर के उनको समझाइश करके शांत करने की कोशिश की। प्रशासन ने भी बार-बार उनको बैठाने का प्रयास किया और चार दिन के बाद, यानि यह घटना 30 तारीख की है शाम को शुरू हुई तो कल शाम 8 बजे जाकर के वहां के बाजार खुलाने में सफल हुये। आदिवासियों को समझाइश करके, गुड खिलाकर के उनका गुस्सा शांत किया। वह इस बात पर अडे हुये थे कि हमारे आठ लोग हास्पिटल में पड़ें हैं और ऐसे समय में आप लोग बाजार खोलने के लिए जा रहे हैं। वहां के जो दुकानदार थे उनके प्रति भी बहुत उग्रता उन्हें आ रही थी। बड़ी मुश्किल से इन सबको मिला जुलाकर बैठक की, लगभग दो-ढाई बाजार लोगों के बीच में बैठक की, बिन्दु तय किये जिसमें सारी कार्यवाही हुई। मैं तो यहां बयान देनें की तैयारी के साथ में आया था लेकिन माननीय सदस्यों ने कहा कि इसमें फिर से उग्रता लाने में लाभ नहीं होगा। बड़ी मुश्किल से जाकर शांति हुई है। फिर से एक-दूसरे में एक आ रहा है। जिनके ऊपर जो कार्यवाही होनी है, वह सारी कार्यवाही हुई है। अगर कहीं कोई आपके कमी लगती है कि इसमें यह चीजें कम रह गयी हो तो आप मुझे बताये, मैं उसकों पूरी करूंगा। फिर भी अगर सदन चाहेगा तो मेरे पास जानकारी है, मैं, जवाब देने के लिए तैयार हूं। यह राय मेरी नहीं है, आपकी और प्रतिपक्ष के नेता, जोशीजी नाथद्वार के विधायक भी, रघुवीर सिंहजी हमने सबने बात करने के बाद यह तय किया कि अब इस विषय को बिना किसी ज्यादा उग्रता लाये ठीक कर सकें तो ज्यादा लाभ होगा।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

इतनी उग्रमता थी कि कोई सीमा नहीं थी। अगर यह नहीं करते तो यह किसी भी प्रकार की स्थिति में जा सकती थी। गोलियां चल रहीं है और लोग सामने पैदल जा रहे हैं। कोई पीछे मुडने का काम नहीं करता। इस प्रकार की स्थिति में जैसे-तैसे करके शांत किया है। अगर सदन चाहेगा तो मैं तो देने के लिए तैयार हूं। अब मैं सोचता हूं कि हित में यह होगा कि चार-पांच दिन के बाद में शांत वातावरण को बनाने में सफल हुए हैं। उसको अगर आप चाहे तो वह शांत बन सकता है और रह सकता है।

श्री बाबूलाल नागर : आप यह बतायें अनुसूचित जाति के एस.पी. को, जिसने दंगा नहीं होने दिया, को स्वयं को हटा दिया....(व्यवधान)

श्री मुरारी लाल मीणा : एस.पी. को क्यों हटा दिया ? (व्यवधान) इतना ही दोषी कलक्टर था उसको क्यों नहीं हटाया ? (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर : कलक्टर को नहीं हटाया। जो अनुसूचित जाति का एस.पी. था, जिसके दंगा नहीं होने दिया क्या उसको पुरस्कार स्वरूप हटा दिया ? (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, वहां दो स्थितियों हो गई। एक तो बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक परिवार वहां से अपने आपको असुरक्षित महसूस करते हुए पलायन कर रहे हैं और दुसरा, वहां के अनुसूचित जाति के एस.पी. को हटाने के कारण वहां पुलिसकर्मियों ने कल से खाना नहीं खाया है, मैस में रोटियां इकट्ठी पडी हुई है। ये दोनों स्थिति नई हो गई इसलिए हम आपसे निवेदन कर रहे है कि गृह मंत्रीजी इस पर अपना स्टेटमेन्ट दे उसके लिए आप समय निर्धारित कर दें।

श्री बाबूलाल नागर : आपको कलक्टर के खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए थी क्योंकि ला एण्ड आर्डर मेन्टेन करने की जिम्मेदारी उसकी थी। आपने कलक्टर को तो हटाया नहीं और एस.पी. को हटा दिया गया क्योंकि वह अनुसूचित जाति का था। (व्यवधान) आपने कलक्टर को नहीं हटाया, वह बड़ा आदमी था, एस.पी. जिसने दंगा नहीं होने दिया, दलित समाज का था, उसको हटा दिया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मुझे यह बात समझ में नहीं आती कि यह मंत्रीजी ने कह दिया, जिसने प्रश्न उठाया उसने बात हो गई, प्रतिपक्ष के नेता ने कह दिया, फिर भी मंत्रीजी तैयार है तो आप अब क्या कहना चाह रहे है ?

मोहम्मद माहिर आजाद : हम इतना सा निवेदन कर रहे हैं कि इसके लिए समय निश्चित कर दो।

श्री अध्यक्ष : आप खडे होकर बार-बार क्या कहना चाह रहे है ?

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वार) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मंत्रीजी ने जो वक्तव्य दिया है, हम भी चाहते है कि इस पर वक्तव्य न हो, यह बड़ा स्पष्ट हो जाना चाहिए। दो-तीन बिन्दु हैं जिन पर मैं गृह मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय गृह मंत्रीजी वहां गए, हमारे सदस्य भी गए, आपने शांति व्यवस्था कायम की, उसके लिए धन्यवाद। पर एक जो इम्प्रेशन बन गया, 29 तारीख की घटना हुई और हमने एस.पी. को सस्पेण्ड कर दिया। अच्छा होता कि 29 तारीख की घटना के बाद जो एडमिनिस्टेटिव यूनिट है, जिसमें तहसीलदार है, एस.डी.एम. है, कलक्टर है, वह भी इसके लिए उतने ही इक्वली रेस्पोन्सिबल है।

इसलिए मेरी आपसे विनती है कि यह एक ऐसा मामला है जिस पर यहां चर्चा न करके हम शांति बनाये रखें उतना ही अच्छा है क्योंकि चर्चा से वहां पर वातावरण खराब हो जायेगा और उसका बहुत बड़ा इम्पेक्ट होगा। मेरा आपसे यही निवेदन है कि कृपया इसको इस एंगल से भी देखें और यदि आप उचित समझते है कि एडमिनिस्टेटिव की गलती है तो उनके खिलाफ भी एक्शन लेना चाहिए जिससे एक मैसेज जनता में जाए क्योंकि जनता में एक इम्प्रेशन है कि उस परिस्थितियों में एस.पी. के निर्देश से गोली चली जिससे व्यवस्था ठीक हुई। एक पक्ष यह भी है कि यदि वहां गोली नहीं चलती तो शायद मुसलमानों के घर जल जाते। इसलिए पुलिस ने जो इमीजिएट एक्शन का स्टेन्ड लिया, आपके निर्णय के शायद पुलिस डिमोरलाइज न हो जाए, इसको भी आप दिखवा लें। इसके बाद यदि आप ठीक समझे हो, हमारे जो विधायक है, तीन-चार दिन बाद आपसे फिर मिल लेंगे, आप भी इस दृष्टि से

(डा. सी.पी. जोशी)

देख ले, यदि एडमिनिस्ट्रेटिव के खिलाफ एक्शन लेना चाहें (व्यवधान) आप इस बात को एश्योर करें।

अखबारों में जो खबर आई है, मैं समझता हूं कि वह सही नहीं है। वहां अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों में भय है, वह भय समाप्त होना चाहिए, वहां से लोगों का पलायन नहीं होना चाहिए।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि उदयपुर में दूसरी घटना हो गई है। एक घटना कोटड़ा में हुई, और एक घटना यह हुई है। आप कृपया यह देखें कि पुलिस एडमिनिस्ट्रेटिव के मामले में कोई निर्देश दें जिससे ऐसी घटना रिकरेज न हो, इस सम्बन्ध में भी जरूर व्यवस्था करें।

माहिर आजादजी की भावना ठीक है। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा होनी चाहिए, इस सम्बन्ध में आप प्रीकाशन लें लेकिन इसकी चर्चा सदन में नहीं करके कोई एक्शन आप लेना चाहते है, माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि ऐसे संवेदनशील मामले की चर्चा को हम अवोइड करेंगे तो हम परपज को ज्यादा अच्छी तरह से सोल्व कर सकेंगे। मेरा निवेदन है कि जो कमियां-खामियां रह गई है उनके सम्बन्ध में आप सदन के बाहर जो भी निर्णय लें, पर एडमिन्सिट्रेशन में मैसेज जरूर जाना चाहिए कि हम दोनों पक्षों पर कार्यवाही करेंगे, इसको आप एश्योर करें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप क्या चाहते हैं ? सारी बात तो हो गयी। माननीय मंत्री महोदय ने सारी बात तो कह दी।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि दोनों पक्षों में सदभाव कायम हो। आप चर्चा मत कराओ लेकिन वहां दोनां समुदायों में सम्बन्ध वापस अच्छे बने इसके प्रयास करें और जो पलायन कर रहे हैं, उनको सुरक्षा प्रदान कर वापस वहीं रखने का काम करें। यह तो सरकार का काम है। (व्यवधान)

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : ....(व्यवधान)....राह चलते आदमी को चाकू घुसा कर मार दिया। आदिवासियों में प्रतिशोध की भावना है। सारे आदिवासी गांवों में नहीं रहते है अलग-अलग पांगो में रहते है। उनके मन में उनके द्वारा चलाई गयी गोलियों के घाव हैं और यह बात मन में है कि कहीं सरकार इन आक्राताओं को संरक्षण न दे। जो निर्दोष लोग गोलियों से घायल है उनका सही ढंग से इलाज हो।

अध्यक्ष महोदय, माहिर आजाद साहब को तकलीफ हो रही है लेकिन उस इलाके का सर्वे कराकर आप देखिए, प्रतापगढ़ से लेकर कोटड़ा तक, सारे गांवों में जो-जो अल्पसंख्यक लोग रहते है उन्होंने आदिवासियों की बहू-बेटियों को अपने घर पर रखा हुआ है, उनके ऊपर रोजाना जुल्म करते हैं। ऐसी हालत में कानून और व्यवस्था इसका इलाज नहीं है, इसका इलाज है प्रतिशोध की भावना। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह गलत बात है।

मोहम्मद माहिर आजाद : जो गलत काम करता है, उसको सजा देओ ना। जो एस.पी. सही काम कर रहा था, आपने उसको सजा दी, उसको हटा दिया, सिर्फ इसलिए की वह अनुसूचित जाति का है। (व्यवधान)

श्री कनकमल कटारा (महिला एवं बाल विकास मंत्री) : मैं खुद भी वहां पर गया हूं। यह घटना बहुत दुख:दायी है। जो लोग निर्दोष थे, घायल होकर अस्पताल में है, दो लोगों की हालत तो ऐसी है कि उन पर विदेशी हथियार से गोलियां चलाई गई हैं। एक आदमी का पैर काटना पड सकता है। उसकी हड्डी अलग हो गई है।

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा) : गृह मंत्रीजी ने स्टेटमेन्ट दे दिया। आप मेहरबानी करें, इसको राजनीतिक रूप न दें। आप विराजें। अध्यक्ष महोदय, मेरा सुझाव है कि यह संवेदनशील मसला है, मैं सरकार से निवेदन कर रहा हूं। (व्यवधान)

श्री कनकमल कटारा : इनके इलाज के लिए एस.एम.एस से विशेषज्ञों का दल भेजा जाए। एक हुडजी नाम का व्यक्ति है उसके पीछे से सरिया घुसेडने से पैर की हड्डी निकल कर बाहर आ गई, हड्डी टूट गई और उसकी स्थिति

(श्री कनकमल कटारा)

भी बहुत खराब है, पैर काटना पड़ सकता है। गुड्डू नाम का व्यक्ति, जिसने सराड़ा में सरपंच की भी हत्या की थी, वह ऐसा उपद्रवी है कि वहां पर पूरी पाल के लोग उसे नहीं चाहतें उसने ऐसी घटना की है। मैं खुद देखकर आया हूं, हास्पिटल में 8 लोग भर्ती हैं, उनकी हालत चिंन्तानक है। (व्यवधान)

श्री रघुवीर सिंह मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप अपना स्थान ग्रहण करें। घटना की गम्भीरता को समझते हुए नाथद्वार से आने वाले माननीय वरिष्ठ सदस्य ने सारी बात कह दी, उसके बाद मैं नहीं समझती इस पर कुछ कहना शेष है। अब आप क्या कहेंगे, सारी बात तो आ गई।

श्री रघुवीर सिंह मीणा : मैं कोई ऐसी बात नहीं कह रहा हूं जिससे वातावरण बिगड़े। (व्यवधान) हमें सुन तो लो।

श्री कनकमल कटारा : माननीय अध्यक्ष महोदय, शांत करने में कोई दिक्कत नहीं लेकिन अभी धलियाकोट में भी यही स्थिति हुई। (व्यवधान) जैसा माननीय सदस्य कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों में भय का वातावरण है, वे ऐसा भय का वातावरण बनाकर खुद सुरक्षित रहना चाहते है ?

श्री अध्यक्ष : मामले की गम्भीरता को प्रतिपक्ष ने भी समझ लिया है, प्रतिपक्ष के वरिष्ठ सदस्य ने इस बारे में कह दिया है। गृह मंत्रीजी भी घटना गंभीरता को समझ रहे है फिर मैं भी नही समझती कि इस पर और अधिक वाद- विवाद हो। आप स्थान ग्रहण करें और कुछ नहीं, नैक्स्ट। (व्यवधान) श्री हरिमोहन शर्मा।

आपको दो मिनट बोलना है, आप बोलिये। (व्यवधान) और कुछ नहीं। बाकी सदस्य स्थान ग्रहण करें। श्री हरिमोहन शर्मा

श्री रघुवीर सिंह मीणा : हम कुई सुझाव दे रहे हैं, आपको सुनना तो चाहिए। गृह मंत्रीजी और हम साथ गए हैं। वहां पर्याप्त सुविधाएं नहीं है, हास्पिटल में। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो।

श्री रघुवीर सिंह मीणा : xxx

श्री अध्यक्ष : इस विषय पर कोई विवाद नहीं करने [illegible], [illegible] गलत बात है। (कोई बोल तो अंकित न हो)

श्री अमराराम (धोद) : xxx

श्री अध्यक्ष : अब आप क्या कहना चाह रहे है ?

श्री अमराराम (धोद) : xxx

श्री अध्यक्ष : नहीं, मैं समझ रही हूं। आप प्रिविलेज मोशन की बात कर रहें है। सदन के विशेषाधिकारी का हनन हुआ है, किसी व्यक्ति, किसी सदस्य का नहीं हुआ है। (व्यवधान) आप क्या कहना चाहते है ? क्या आप चाहते है कि सरकारी मुलाजिम को विधायक जाकर पीटे, मारे, उसकी घडी छीने, गले की चेन छीने आप किस प्रिसिवलेज के बारे में कहना चाह रहे हैं ?

श्री अमराराम (धोद) : xxx

श्री अध्यक्ष : इस पर कोई चर्चा नहीं होगी। आपको कोई बात करनी है मेरे ? में आकर बात करना आप।

श्री अमराराम (धोद) : xxx

श्री अध्यक्ष : कोई अंकित नहीं हो।

श्री भवानी सिंह राजावत : xxx

श्री नन्दलाल पूनिया : xxx

श्री अमराराम (धोद) : xxx

श्री अध्यक्ष : प्रिविलेज मोशन पर ऐसे नही बोला जाता।

श्री अमराराम (धोद) : xxx

श्री महावीर प्रसाद जैन : xxx

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

श्री अमराराम (धोद) : x x x

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो। सदन में आने का मतलब यह नहीं होता है। (व्यवधान) सदन में चुनकर आने का मतलब आपको लाइसेन्स नहीं मिल गया है कि आप चाहे जिससे मारपीट करें, चाहें जिससे कपडे फाडे, चाहे जिसको पीटें (व्यवधान)

श्री भवानी सिंह राजावत : x x x

श्री बंशीलाल खटीक : x x x

श्री जालम सिंह रावलोत : x x x

श्री अमराराम (धोद) : x x x

श्री अध्यक्ष : श्री हरिमोहन शर्मा, स्थगन प्रस्ताव पर कुछ कहेंगे।

श्री अमराराम (धोद) : x x x

श्री अध्यक्ष : सदन के अध्यक्ष द्वारा आपका प्रस्ताव ग्राहय नहीं किया है, उस पर चर्चा नहीं की जा सकती।

श्री अमराराम (धोद) : x x x

श्री नन्दलाल पूनिया : x x x

श्री बंशीलाल खटीक : x x x

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें।

श्री नन्दलाल पूनिया : x x x

श्री अध्यक्ष : श्री हरिकिशन शर्मा, स्थगन प्रस्ताव पर कुछ कहेंगे। (व्यवधान) माननीय सदस्य, ग्राहय नहीं किया है और जो प्रिविलेज मोशन सदन के द्वारा ग्राहय नहीं किया जाता उस पर चर्चा नहीं होती है। उस पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता है।

श्री नन्दलाल पूनिया : x x x

श्री अध्यक्ष : कोई पाइंट ऑफ इन्फार्मेशन नहीं है। जीरो ऑवर है, ना पाइन्ट ऑफ इन्फार्मेशन। स्थान ग्रहण करें। हरिमोहन शर्मा।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जिस घटना की ओर (व्यवधान)

श्री नन्दलाल पूनिया : xxx

श्री अध्यक्ष : कोई इन्फार्मेशन नहीं है, हरिमोहन शर्मा बोल रहे है, बैठिए आप। बैठिय आप स्थान ग्रहण करें।

श्री नन्दलाल पूनिया : xxx

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें। मैंने का स्थान ग्रहण करें।

श्री श्रवण कुमार : xxx

श्री नन्दलाल पूनिया : xxx

श्री अध्यक्ष : आप इनको बोल दें। क्या बोलते है यह ? (व्यवधान)

श्री नन्दलाल पूनिया : इसमें फफूंद, कीडे-मकौड़े हैं। डा. किरोड़ी लालजी जैसे योग्य मंत्री हैं, फिर भी यह देखो, क्या हो रहा है ? तीन-चार दिन पहले बोतल में कीड़े-मकोडें मिले थे। अखबार में भी आया था।

श्री अध्यक्ष : आप रखिए।

श्री नन्दलाल पूनिया : आप कहें तो टेबल पर दूं।

श्री अध्यक्ष : रखिए सदन की मेज पर। सदन की मेज पर रखिए आप।

(श्री नन्दलाल पूनिया द्वारा एक बोतल सदन के पटल पर रखी गयी)

हिण्डौली तहसील के रानीपुरा में एक विधवा महिला की कथित भूख से हुई मौत

श्री हरिमोहन शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस घटना पर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं वो सब लोगों के हृदय को द्रवित

(श्री हरिमोहन शर्मा)

करने वाली घटना है और मानवता के आधार पर इस प्रकार का जो घटनाक्रम हुआ है, उस घटना से सभी लोगा चिंतित होंगे और भविष्य में इस प्रकार घटनाक्रम न हो इसके लिए सामूहित रूप से जिन-जिन लोगों का भी दोष हो उनके लिखाफ यह सदन एकमत होकर ठीक तरीक से कार्यवाही करेगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन चाहता हूं और माननीय मुख्य मंत्री को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अपने बजट भाषण में यह माना था कि कुपोषण और भूख से मुक्ति हर आदमी का अधिकार है और उन्होंने इस सन्दर्भ में एम.एस. स्वामीनाथान का उद्धरण दिया था कि केन्द्र में इतने भण्डार हैं, हर व्यक्ति को भूख से बचाना उसका अधिकार है और मौलिक अधिकार के रूप में माननीय मुख्य मंत्री ने कल्पना की थी और इसीलिए उन्होंने अपने बजट में यह की थी कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में 10 क्विंटल गेहूं इसलिए रखेंगे कि जो गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले लोग हैं जिनके पास खाने-पीने की व्यवस्था नहीं है, जो भुखमरी के शिकार है, उसको सरपंच अपनी मर्जी से 10 किलों का फ्री परमिट देगा, यह उन्होंने अपने बजट में व्यवस्था की है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान इस और आकर्षित करना चाहता हूं कि एक मोहिनी बाई नाम की विधवा महिला जाति से माली, जिसके सात साल की एक बच्ची थी, रानीपुरा गांव, जो हिण्डौनी विधान सभा क्षेत्र में है, उसमें वह निवास करती थी। आय का कोई साधन नहीं था। जब पहले अकाल पड़ा तो सरकार की ओर से उसको समय-समय पर खाने के लिए गेहूं की व्यवस्था की गई और उसको बोरियां दी गई उसके लिए जो भी आवश्यक संसाधन थे वो जुटाये गये। इसके बाद वो व्यवस्थाएं बन्द हो गई, लगातार उन व्यवस्थाएं के बन्द होने के बाद उसने भीख मांगना चालू किया, गांवों में मौहल्ले-मौहल्ले में जाकर अपनी छोटी बच्ची के साथ वो भीख मांगती रही और भीख मांगने का परिणाम यह आया कि उसको बाद में भीख देना भी बन्द कर दिया, उसका तिरस्कार किया गया, उसकी बच्ची की अवहेलना की और उसके साथ ऐसा व्यवहार रहा कि जिसके कारण उसने मजबूरी में भीख मांगकर अपना पेट पालना भी बंद कर दिया।

(श्री हरिमोहन शर्मा)

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह महिला पंचायत में गई, यह महिला पटवारी के पास गई, यह महिला ग्राम सेवक के पास गई कि मेरे पास खान-पीने का कुछ भी नहीं है, लेकिन इसके बाद सब ने हाथ खडे कर दिये और एक भी सरकार व्यकित ने किसी भी योजना के अन्तर्गत उसको खाद्य पदार्थ मुहैया नहीं कराया। इधर जनता के व्यवहार से लगातार, उसके मान-सम्मान की उपेक्षा की गई उससे प्रताडित थी। दूसरी ओर सरकार की ओर से कोई व्यवस्था नहीं थी इस कारण वो महिला अपने घर में में लगातार खाद्य पदार्थों के अभाव में भूख से मरती रही और इसके परिणामस्वरूप दिनांक 29-07-2004 को मृत्यु हो गई, भूख से उस की मृत्यु हो गई।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि आज तक जिला प्रशासन की ओर से कलक्टर वहां नहीं पहुंच और वहां जो अधिकारी पहुंचे उससे पहले ही जिला कलक्टर ने यह कह दिया कि वो पीलिया से भरी है, बिना किसी जांच के, बिना वहां गये यह कह दिया। जबकि वहां की ए.एन.एम. चन्द्रकान्ता, जो उस गांव में निवास करती थी, उस ए.एन.एम ने खुद ने अपने बयानों में कहा कि मैंने इसकी गरीबी हालत को देखकर मेरी जेब से, मेरे पास से इसको खाने-पीने का कई बार इन्तजाम किया है और मैंने हर गांव में एक-एक घर का सर्वे किया है इस गांव में एक भी मरीज पीलिया का बीमार नहीं है और इस गांव में न वह बीमार थी और न वह पीलिया से ग्रसित थी। राज्य सरकार के जिन अधिकारियों को अपना कर्तव्य निर्वहन करना था, जिनको उसके लिए सामान उपलब्ध कराना था वो असत्य बयान देकर इस भूख से हुई जघन्य मौत पर वे पर्दा डालना चाहते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं जिस दिन वो मरी, उसको गांववासी ले जाने लगे तो आटे की आवश्यकता थी, पूरे गांव वालों ने किराये के मकान में वो रहती थी, एक पाव भर आटा भी उसके मकान में नहीं मिला।

श्री अध्यक्ष : दो मिनट के बजाय आप पूरे पांच मिनट बोल लिये हैं। माननीय मंत्रीजी कुछ कहना चाहेंगे ?

श्री हरिमोहन शर्मा : उसका कोई पोस्टमार्टम नहीं किया गया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कलक्टर की सूचना आई होगी आपके पास। कुछ कहना चाहेंगे ?

श्री हरिमोहन शर्मा : यह सरकार अपनी घोषणाओं के बाद, अपने बजट भाषण के बाद जो 10 क्विंटल गेहूं पंचायत में पहुंचाना था उसको वहां नही पहुंचा पायी और भूख के कारण उस बेसहारा विधवा औरत की मौत हो गई। उसके लिए यह सरकार, पूरा प्रशासन जिम्मेदार है और इस जिम्मेदारी से नहीं निकल सकते।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप 6 मिनट बोल लिये। आप मुझे व्यवस्था देने दीजिये।

श्री हरिमोहन शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मैं आपको इस बात के लिए भी धन्यवाद देता हूं कि आपके व्यवस्था देकर मुझे जनहित की बात को उठाने का मौका दिया।

श्री अध्यक्ष : आप 6 मिनट बोल चुके हैं। मुझे व्यवस्था देने दीजिये। माननीय मंत्रीजी, चूंकि स्थगन प्रस्ताव आपको पूर्व में गया होगा। नहीं गया ? इसकी सूचना नहीं हुई आपको ?

श्री किरोड़ी लाल मीणा : नहीं हुई।

श्री अध्यक्ष : नहीं हुई। ऐसा है आप जानकारी करिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : जानकारी दे रहे है।

श्री अध्यक्ष : जानकारी करिए, कलक्टर से रिपोर्ट मांगिए, टेलीफोन करिए। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : जानकारी प्राप्त कर ली।

श्री अध्यक्ष : प्राप्त कर ली तो आप बता दीजिये।

डा. दिगम्बर सिंह : यह मामला दोनों से जुड़ा हुआ है, इसमें मैं भी बोलना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष : हां, दोनों जवाब दे दीजिए।

डा. दिगम्बर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ बोलना चाहूंगा। मुझे तो आज जानकर बड़ा दुख हुआ है कि माननीस सदस्य कह रहे है वह महिला श्रीमती मोहिनी ग्राम सेवा के पास में गई, बी.डी.ओ. के पास गई, प्रधान के पास पाई।

श्री अध्यक्ष : डाक्टर के पास गई वह हां, डाक्टर के पास गई पीलिया था उसको।

डा. दिगम्बर सिंह : तो मेरे ख्याल से सदस्य जो वहां के विधान सभा के प्रजेन्टीव हैं, आपके पास भी आई होगी तो इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या होगी।

श्री हरिमोहन शर्मा : मेरे पास आती तो मैं माकूल व्यवस्था कर देता।

डा. दिगम्बर सिंह : कि इन्होंने पूरा प्रबन्ध नहीं किया।

श्री ओम बिरला : माननीय सदस्य, भीख आज से नहीं मांग रही थी, भीख पांच साल से मांग रही थी।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, जब आप बोल रहे थे तो शांतिपूर्वक ट्रेजरी बेंचज के सभी सदस्य सुन रहे थे, अब आप भी तो उनकी बात सुनें।

श्री हरिमोहन शर्मा : इन्होंने मुझसे पूछा कि वह महिला आपके पास आई तो उसका जवाब तो देना ही थी।

श्री अध्यक्ष : उनकी बात सुनिए आप। बैठ जांए बात नहीं करें।

डा. किरोड़ी लाल मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, हिण्डोली से आने वाले माननीय सदस्य ने अपने विधान सभा क्षेत्र के ग्राम रानीपुरा में मोहिनी देवी, माली महिला की मौत का जिक्र यहां पर किया और यह कह रहे हैं कि वह भूख से मरी कुपोषण के कारण मरी। अध्यक्ष महोदय, यह बात सही नहीं है। मोहिनी देवी 15-20 दिन से अत्यन्त बीमार थी और पूरी तरह से बैड रिडन थी, बिस्तरों पर थी।

श्री अध्यक्ष : बूढ़ी नहीं थी, बैड रिडन बताया, खाट पर सोई हुई थी।

डा. किरोड़ी लाल मीणा : इस अवधि में उसकी एक बच्ची है रामघनी, जिसने उसकी सेवा चाकरी की और जब उससे पूछा गया तो कहा यह 15-20 दिन से खाना नहीं खा रही है। बाबूलाल बैरानी, जो उनका पडौसी है उसने यह बताया कि यह मोहिनी देवी पीलिया रोग से पीडिंत थी।

श्री अध्यक्ष : शांति से सुनिये तो सही थोड़ा आप जवाब।

डा. किरोड़ी लाल मीणा : और पीलिया रोग से पीडित 15-20 दिन से थी और जांच के दौरान यह भी पाया गया कि गांव में पीलिया के दों रोगी और हैं जिनका उपचार चल रहा है। इसके पति की मुत्यु 7-8 वर्ष पूर्व हो गई जब मरे थे तब वह डेढ लाख रूपये छोड़कर गये थे, इसकी पांच बच्चियों हैं जिनकी शादी इन्होंने दी है और जैसा कि यह बता रहे थे, माननीय सदस्य कि अकाल राहत के दौरान इसको असहाय की सहायाता दी गई इसलिए मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके जरिये कहना चाहता हूं कि इसकी भूख के कारण मौत नहीं होकर पीलिया के कारण मृत्यु हुई है और उसकी जो अकेली बच्ची बच गई है उसको हम समस्त प्रकार की सहायकता देगे रिहेबिटेट करने के लिए यह मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं।

श्री हरिमोहन शर्मा : एक मिनट, अध्यक्ष महोदय आप बात सुनिये आपने कहा है कि पड़ौसी ने कहा कि वह पीलिया से पीडित थी।

श्री अध्यक्ष : आप दूसरे मंत्रीजी का जवाब भी तो देने दीजिये, इतनी तत्परता क्यों दिखाते हैं ?

श्री विष्णु मोदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको फोन किया था मैंने और बात नहीं कर पाया।

श्री अध्यक्ष : आप बीच में कहां आ गये ?

श्री विष्णु मोदी : मैडम, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है।

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी खड़ें है, जवाब देने दीजिये।

श्री विष्णु मोदी : हो गया जवाब तो।

श्री अध्यक्ष : हो कैसे गया ? नो, नो सिट डाउन बैठो।

डा. दिगम्बर सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मंत्रीजी ने बताया सत्य है कि महिला की मृत्यु उसकी बीमारी के कारण और प्रोबेबली पीलिया के कारण ही हुई है। 15-20 दिन से बीमार थी बैड रिडन थी।

डा. चन्द्रशेखर बैद : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट मैं भी कहना चाह रहा हूं। पड़ौसी की रिपोर्ट पर कह रहे हो आप कि पीलिया था, उसके पडौसी ने कहा पीलिया है आपने पीलिया मान लिया और जो ए.एन.एम. की और डाक्टर की रिपोर्ट है उसको नहीं माना, पडौसी की रिपोर्ट पर पीलिया मान लिया।

श्री अध्यक्ष : डाक्टर ने क्या रिपोर्ट दी है ?

डा. चन्द्रशेखर वैद : यह पडौसी की रिपोर्ट पर इन्होंने माना है।

श्री अध्यक्ष : पड़ौसी की रिपोर्ट का हवाला कैसे दिया ?

श्री हरिमोहन शर्मा : मैं बताता हूं आपको ए.एन.एम चन्द्रकांता, जिसकी पोस्टिंग वहां थी उसने यह कहा है कि यह बहुत गरीब थी, मैं भी मेरी जेब से इसकी मदद करती थी, कोई पीलिया की बीमारी नहीं है और मैं इसके रोज घर जाती थी, यह उसने पब्लिकली स्टेटमेन्ट दिया है और रानीपुरा में एक भी पीलिया का मरीज नहीं है। (व्यवधान) पूरे पंचायत मुख्यालय पर यह उसका स्टेटमेन्ट है।

श्री बंशीलाल खटीक : यह सरासर असत्य है, सदन को क्यों गुमराह कर रहे है ?

श्री हरिमोहन शर्मा : यह उसका स्टेटमेन्ट है कि एक भी आदमी पीलिया का मरीज रानीपुरा में नहीं है। आप अन्दाज से बात करते हैं।

श्री बंशीलाल खटीक : माननीय सदस्य, आपकी संवेदनशीलता का पता चल रहा है।

श्री हरिमोहन शर्मा : आपके कलक्टर तक वहां नहीं गये, डाक्टर अभी तक वहां पर नहीं गये और फिर अगर आप जैसा बकौल आप फरमाते हैं कि बारां में मुख्य मंत्रीजी ने आर्थिक इसलिए दी कि वह भूखे से मरी थी आप क्यों दें आए, आप भी उसको दे रहे हैं तो जो फण्डामेन्ट आप बारां में कहते हैं कि साहब मुख्य मंत्रीजी ने अन्य जाने वालों ने आर्थिक सहायता दी है तो

(श्री हरिमोहन शर्मा)

हम मानते हैं कि यहां भूख से मरी है, आप क्यों दे रहे हैं, फिर आप किन आधारों पर दे रहे हैं ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय सदस्य, आप अपने आरोप वापस ले लीजिये।

श्री हरिमोहन शर्मा : माननीय संसदीय मंत्री महोदय, आप बिराजें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपने आरोप लगाया वह वापस ले लीजिए, सहायता की घोषणा हो जाएगी।

श्री हरिमोहन शर्मा : लेकिन यह सौ फीसदी सही है कि उस गरीब महिला के पास महीनों से खाने को कुछ नहीं था, सरकार की कोई व्यवस्था नहीं थी। आपने कहा 10 क्विंटल पंचायत में रखवा देंगे, एक किलो गेहूं आपका पंचायत में नहीं गया और खाने-पीने की कोई व्यवस्था नहीं की गई और भूख के कारण वह मर गई और बहाना बनाना चाहते हैं पीलिया के आधार पर बेबुनियाद और असत्य रिपोर्ट है इनको तर्कसंगत आधार पर ....(व्यवधान) अपने मन से यह रिपोर्ट तैयार कर लाये।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़ (गंगानगर) : मान्यवर, आपके कहने से वह भूख से नहीं मरी है। (व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा (खण्डार) : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से चिकित्सा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं। (व्यवधान)

डा. श्रीगोपल बाहेती : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य बिलकुल सही कह रहे हैं, मान्यवर वहां कोई ध्यान नहीं दिया। यदि यह ध्यान देते तो वह औरत नहीं मरती। (व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा (खण्डार) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं चिकित्सा मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि ए.एन.एम. का कहीं दुर्भावना से ट्रान्सफर मत कर देना, क्योंकि उसने सही बोला है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपको चार मिनट का समय दिया है, आप 10 मिनट से अपनी बात कह रहे हैं। (व्यवधान) इन्होंने जवाब दिया है। (व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा (खण्डार) : सही जानकारी देने वाली ए.एन.एम. को मत मार देना। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : भूख से मरी है वह, यह एम्पलायड है। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, जब मंत्रीजी खुद कह रहे हैं कि वह 15-20 दिन से भूखी थी उसने खाना नहीं खाया, इसके मायने क्या हो गये ?

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़ (गंगानगर) : माननीय सदस्य तो शायद ए.एन.एम. के पीछे पड़े हुए हैं उसका वहां से ट्रान्सफर करवाना चाहते हैं यह।

श्री विष्णु मोदी : अध्यक्ष महोदय, एक जरूरी सूचना आपके माध्यम से सदन को देना चाहता हूं।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़ (गंगानगर) : पोस्टमार्टम हुआ नहीं, तो किस आधार पर आप कह रहे हैं भूख से भरी होगी।

श्री अध्यक्ष : आप क्या फरमाना चाहते हैं, आप किस नियम में ?

श्री विष्णु मोदी : जो सतलुज रीवर है वह तिब्बत से निकलती है।

श्री हरिमोहन शर्मा : अध्यक्ष महोदय, यह तिब्बत बीच में कहां से आ गया ? यहां बातें कर रहे हैं गम्भीर और तिब्बत कहां से आ गया बीच में ?

डा. सी.पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में अकाल की सम्भावना नहीं होती है लेकिन ऐसी घटना के सम्बन्ध में सरकार कोई न कोई व्यवस्था करनी चाहिए, हम मेडिकल रिपोर्ट पर नहीं जाना चाहते, हम मेडिकल डाक्टर आया नहीं, डिस्पेन्सरी वहां पर है नहीं, सरकार कम से कम संवेदनशील होकर यह एश्योर करे कि राजस्थान में अकाल के दौरान जो व्यवस्था में कमी है उसको ठीक करेंगे। हम नहीं कह रहे हैं भूख से मरी है लेकिन कम से कम माननीय अध्यक्ष महोदय, आश्वासन देना पड़ेगा, एडमिट करना पड़ेगा। (व्यवधान) यह बहुत ही गम्भीर मामला है। (व्यवधान) भगवान ने बरसात की दी।

श्री बाबूलाल वर्मा (राज्य मंत्री ग्रामीण, विकास एवं पंचायती राज) : बून्दी जिला परिषद की बैठक में खुद जाकर आया था, माननीय विधायक महोदय भी वहां बिराजमान थे और कुपोषण के बारे में चिकित्सा विभाग के अधिकारियों से बात की, किसी प्रकार की कोई जानकारी ही नहीं आई।

श्री हरिमोहन शर्मा : मान्यवर, जिला परिषद की बैठक किस तारीख को हुई थी ?

श्री बाबूलाल वर्मा (राज्य मंत्री ग्रामीण, विकास एवं पंचायती राज) : जिलाधीक्ष महोदय से चर्चा हुई थी, वहां के माननीय जनप्रतिनिधि वहां पर मौजूद थे लेकिन किसी माननीय सदस्य ने कुपोषण के बारे में नहीं बताया। (व्यवधान) किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं की। माननीय सदस्य भी वहां मौजूद थे। (व्यवधान) मैं खुद भी मीटिंग में था।

श्री हरिमोहन शर्मा : जिला परिषद की बैठक हुई क्या ? (व्यवधान) वहां कोई बैठक-हुई है क्या ? (व्यवधान)

श्री बाबूलाल वर्मा : 4 तारीख को 11 बजे। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : आप प्रभारी मंत्री होने के नाते....(व्यवधान)

श्री बाबूलाल वर्मा : चार तारीख को जिला परिषद की बैठक में मैं खुद गया हूं।

श्री हरिमोहन शर्मा : वाकई आप नहीं थे, आप हमारे प्रभारी मंत्री हो, आप भी नहीं आये।

श्री अध्यक्ष : हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य, आप हृदय रोगी हैं, इतना जोर से बोलते हैं, मुझे बड़ा ख्याल रहता है, आप स्थान ग्रहण करें।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : इनकी भी जांच करवा दो।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, इनके ध्यान में एक बात लाई गई है, हो सकता है कि वह पीलिया से मरी हो लेकिन फिर भी सरकार का यह दायित्व है कि सरकार भविष्य के अन्दर राजस्थान के अन्दर किसी भी व्यक्ति को भूख से नहीं मरने दे।

इसकी व्यवस्था करने की जिम्मेदारी सरकार की है और सरकार को चाहिए कि वो इस बारे में सदन को आश्वस्त करे। आश्वस्त करो आप।

डा. किरोड़ी लाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। अध्यक्ष महोदय, आपका आदेश शिरोधार्य है और जैसे सी.पी. जी यहां पर कह रहे थे कि भूख से नहीं मरी....

श्री हरिमोहन : कहां कहा है इन्होंने ? इन्होंने यह नहीं कहा कि भूख से नहीं मरी।

श्री अध्यक्ष : आप बार-बार उठते है। आपने अपनी बात कह दी, अब बार-बार उठने की आवश्यकता नहीं है आपको।

डा. किरोड़ी लाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, इस ढंग की कोई घटना हो जाये तो उन घटनाओं को हम गम्भीरता से ले रहे हैं। इसके परिवार में एक बच्ची बची है, उसकी जो भी आर्थिक स्थिति है, उसका जायजा लेकर उसको पूरा सहयोग देंगे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप क्या कर रहे हैं। माननीय सदस्य ? इतने वरिष्ठ सदस्य होकर वक्ता और शासन के बीच आ रहे हैं।

डा. किरोड़ी लाल मीणा : हम पूरा सहयोग देंगे और ऐसे मामलों को चिन्हित करेंगे और ऐसी स्थिति नहीं आयेगी राजस्थान में कहीं भी, जो भूख के कारण से या कुपोषण के कारण किसी को मरना पड़े।

श्री विष्णु मोदी (मसूदा) : अध्यक्ष महोदय, सतलज नदी है वो तिब्बत से निकलती है और पिराची उसकी एक ट्रिब्यूटरी है और उसके बैड में एक बहुत बड़ा रॉक कटकर उसके बैड को उसने रोक लिया। (व्यवधान) एक मिनट।

श्री अध्यक्ष : 295 के बाद में जब अकाल पर चर्चा हो तब बोलना।

श्री विष्णु मोदी : आज तो अकाल पर चर्चा नहीं है मैडम। आज अकाल पर चर्चा नहीं है और मैं अकाल की बात नहीं कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : सॉरी, विद्युत पर। विद्युत पर जब चर्चा है तो विद्युत पर चर्चा के समय आप इस बात को उठा सकते है।

श्री विष्णु मोदी : मैडम, मैं एक मिनट लूंगा खाली और आपको बताना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : आप विद्युत पर बोला, जब कहना न। विद्युत पर बोलोगे उसी समय इस बात को भी कहना। बिजली से सम्बन्धित मामला है उसमें कहना आप। 295 श्री मदन राठौड़।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) : अध्यक्ष महोदय, आपकी टेबल पर जो बोतल रखी है उसमें क्या है ? (व्यवधान) 295 में पहली बार अवसर मिला है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ने यह नहीं बताया कि इसे कहां से लाये हैं। पहले 295 हो जाए उसके बाद में बता देना। अब तो 295 पढ रहे हैं। (व्यवधान) क्यों बोल रहे हो ?

श्री नन्दलाल पूनिया : मैं बता देता हूं साहब। यह दिलीप को जनता पान भण्डार पर दी गई थी और बी.सी. तिवाड़ी सेल्स एजेन्सी के सप्लायर ने दी है।

श्री अध्यक्ष : आपको मौका दूंगी लेकिन उनको बोल लेन दें उसके बाद। इसमें कीड़े है छोटे-छोटे से । लेकिन यह भी पता नहीं कि यह फिर से बन्द की गई या सचमूच में है।

श्री अमराराम (धोद) : यह मिला रहे हैं। यह लोगों को कोल्ड ड्रिंक के नाम से पिला रही है बहुराष्ट्रीय कम्पनी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सेवन-अप है, आप पीना मत सेवन-अप को। ठण्डा पीओ ही मत आप।

श्री मदन राठौड़ : उसमें कीटनाशकों की चर्चा है यह सुनकर के मन में चिन्ता हुई इसलिए 295 के तहत मैं कुछ विचार रख रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : इसकी फेक्ट्री कहां है ? बनाता कौन है ? बता नहीं सील का भी, आजकल ऐसे ही हो जाता है।

श्री नन्दलाल पूनिया : अभी बताते है।

श्री अध्यक्ष : कुछ पता नहीं लगता। सील को आजकल चतुराई से खोलकर के फिर वापस ऐसे के ऐसे कर देते हैं, पता भी नहीं लगता।

श्री जीतमल खांट : माननीय सदस्य, ईमानदार हैं इसलिए पूरा भरोसा है इन पर।

श्री अध्यक्ष : 295 श्री मदन राठौड़।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

किसानों को जैविक खाद का वितरण तथा उत्पाद करने वाले किसानों को ऋण/अनुदान उपलब्ध करवाने का प्रावधान

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) : अध्यक्ष महोदय, विधान सभा के नियम 295 के अन्तर्गत मैं ध्यानकर्षित कर निवेदन करता हूं कि जब से वैज्ञानिकों ने जानकारी दी कि रासायनिक खाद व कीटनाशकों के प्रयोग से उत्पादित अन्न, फल और सब्जी के उपयोग से हमारे शरीर में जहर प्रवेश कर रहा है, जिससे हमारे स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ा रहा है तो अत्याधिक चिन्ता हुई। लेकिन यह जानकार मिली कि रासायनिक खाद व कीटनाशक के स्थान पर इसका मजबूत विकल्प जैविक खाद या वर्मी कम्पोस्ट के प्रयोग से उत्पादित अन्न, फल, सब्जी का उपयोग स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है तो विचार आया कि राजस्थान के इस सर्वोच्च सदन के माध्यम से राज्य के किसानों तक यह विचार पहुंचाना उपयोगी रहेगा। अतः वर्मी कम्पोस्ट का फैसलों में उपयोग करने का आग्रह करता हूं।

जैविक खाद गोबर, कृषि अवशेष, पेड़ पत्तों व विशेष नस्ल के केंचुओं के माध्यम से तैयार की जाती है। केंचुए किसान के मित्र माने जाते हैं। ये भूमि में असंख्य छेद बनाकर उसे नरम बना देते हैं जिससे भूमि में वर्ष के जल का पुनर्भरण होता है और किसान को फसल की अधिक उपज मिलती है।

वर्मी कम्पोस्ट के उपयोग से मृदा में जैविक गतिविधियों बढ़ती है, पोषक तत्वों को घुलनशील अवस्था में उपलब्ध कराती है, फसलों में पानी की आवश्यकता में 40 प्रतिशत कमी करता है पर्याप्त उपज होती है।

जैविक खाद से उत्पादित अन्न, फल व सब्जी की अधिक कीमत मिलती है क्योंकि गुणवत्ता बढ़ती है। जैविक खाद गोबर से बनता है। अतः पशुधन की रक्षा में सहायक है। गोबर एकत्रित करने के लिए ग्रामीण महिलाओं को रोजगार मिलेगा। पशुधन रक्षा से दूध डेयरी संचालन भी सुलभ होगा।

(श्री मदन राठौड़)

इस प्रकार जैविक खाद से उत्पादित खाद्य पदार्थों के सेवन से रासायनिक व कीटनाशकों के उपयोग से बचा जा सकता है। जैविक खाद में उपयोग हेतु चर्चा इस पवित्र सदन में इसलिए रख रहा हूं कि हम सभी जन-प्रतिनिधि अपने-अपने क्षेत्र में जनता को जागृत करें व हमारा किसान भी इसके लाभ समझें ताकि इसका सर्वाधिक उपयोग हो। जैविक खाद का उत्पादन अधिक हो व इसे पर्याप्त मार्केट भी उपलब्ध हो।

मैं सहकारिता मंत्रीजी को भी आग्रह करना चाहता हूं कि कृपया समस्त ग्राम सेवा सहकारी समितियों को निर्देशित करें कि जहां तक सम्भव हो जैविक खाद का वितरण किसानों को करवायें ताकि इसका लाभ मिले सके तथा जैविक खाद उत्पादन के लिए किसानों को ऋण व अनुदान का प्रावधान रखें। वन मंत्रीजी से आग्रह है कि सरकारी उद्यान बन पौधशाला तथा कृषि अनुसन्धानशाला में भी जैविक खाद का यथासम्भव उपयोग हो।

श्री अध्यक्ष : श्री बंशीलाल खटीक।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द) : अध्यक्ष महोदय, आज पहली बार आपके आर्शीवाद से मुझे मौका मिला इसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार।

श्री अध्यक्ष : आप तो 295 पर आओ।

राजसमन्द झील एवं नन्दसमन्द बांध के कैचमेन्ट एरिया में बाघेरी नाका बनाने से उत्पन्न स्थिति

श्री बंशीलाल खटीक : अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के तहत निवेदन है कि राजसमन्द जिले में राजसमन्द झील एवं नन्दसमन्द बांध के केचमेन्ट एरिया मं नियम विरूद्ध 12 मीटर ऊंचाई का बाघेरी का नाका बनाने कि परियोजना को स्वकृत करने से राजसमन्द झील को सुखाने तथा राजसमन्द एंव नाथद्वार से मातृकुण्डियातक के क्षेत्र को हमेशा के लिएं रेगिस्तान में बदलने और राज्य के लगभग 128 करोड़ रूपये बर्बाद करने से उत्पन्न स्थिति से नाथद्वार, रेलमगरा, राजसमन्द, मातृकुण्डिया, भीलवाड़ा, देवली, टोंक तक के किसानों एवं आम जनता में गम्भीर रोष व्याप्त है।

(श्री बंशीलाल खटीक)

बाघेरी का नाका बनने के पीछे जिन गांवों को पेयजल उपलब्ध कराने की वकालत की जा रही है, वे सभी गांव उक्त दोनों तालाबों के कमाण्ड एरिया में होने से वहां कुओं का व भू-जल स्तर अपने आप ही बढ़ जायेगा जिससे पेयजल की समस्या के समाधान के साथ-साथ किसान कुओं से सिंचाई कर लाखों टन अनाज व चारा उत्पन्न कर सकेंगे जिससे उनकी समृद्धि व खुशहाली में वृद्धि होगी।

अतः इस गम्भीर समस्या के समाधान हेतु माननीय सिंचाई मंत्रीजी विशेष अनुरोध है कि तुरन्त बाघेरी का का नाका का कार्य बन्द करवायें तथा तकनीकी विशेषज्ञों की समिति बनाकर इस परियोजना की उच्चस्तरीय समीक्षा करवाई जावे तथा इस परियोजना में शेष बची राशि से नन्दसमन्द बांध की ऊंचाई को दो फिट बढ़ाई जावे तथा खारी फीडर की चौड़ाई बढ़ाकर भराव क्षमता बढ़ाने के प्रयास किये जाने चाहिए जिससे इस पूरे क्षेत्र का कायाकल्प होगा।

अतः इस अति लोक महत्व के विषय पर किसानों में व्याप्त गम्भीर रोष के कारण प्रक्रिया के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर बोलने की अनुमति प्रदान करावें।

श्री अध्यक्ष : वह तो पढ़ लिया, अब क्या बोल रहे हो ? वह तो पढ़ दिया। आपने अपना 295 पढ़ दिया उसक आगे एक शब्द भी नहीं बोल सकते। बस ठीक है।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : आपके विधायक रो रहे हैं, आप सुनते नहीं।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें। आप तो नहीं रो रहे हैं न। श्री महीपाल यादव।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, आज एक बात तो प्रमाणित हो जाएगी कि आज जब घर जायेंगे तो आपको कहेंगे कि घर पर ही आपका कठोर नियंत्रण नहीं है, विधान सभा पर भी आपका कठोर नियंत्रण है।

श्री अध्यक्ष : श्री महीपाल सिंह यादव।

अलवर जिले की तहसील मुण्डावर के ग्राम हुलमाना खुर्द में किये गये भू-आबंटन को निरस्त करने के सम्बन्ध में

श्री महीपाल सिंह यादव (बानसूर) : अध्यक्ष महोदय, मैं राज़स्थान विधान सभा के कार्य संचालन एंव प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख कर रहा हूं....

श्री अध्यक्ष : आपका शायद माइक ओन नहीं है। माइन ओन नहीं है। ओन है तो आप बहुत धीरे बोल रहे हैं।

श्री जुबेर खान : लम्बाई ज्यादा है।

श्री महीपाल सिंह यादव : ग्राम हुलमाना खुर्द तहसील मुण्डावर जिला अलवर में भूमि अलाटमेन्ट नियम विरूद्ध पाये जाने पर उससे सम्बन्धित.....

श्री अध्यक्ष : आप क्या पढ़ रहे हैं ? व्हाट आर यू रीडिंग ? जो लिखा हुआ है, वह तो नहीं पढ़ रहे हैं।

श्री महीपाल सिंह यादव : लिखा हुआ ज्यादा लम्बा है, उससे शोर्ट कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : यह क्या पता कि शोर्ट है कि लम्ब और है ? (व्यवधान)

श्री महीपाल सिंह यादव : ग्राम हुलमाना खुद तहसील मुण्डावर जिला अलवर के निवासी एक सैनिक, जो ड्राइवर था, की दुर्घटना में मृत्यु उपरान्त कोर्ट इन्क्वायरी में लापरवाही से ड्राइविंग कर सरकारी सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने का दोषी पाये जाने पर कोर्ट मार्शल की सजा हुई थी व उसका कोई जायज वारिस नहीं था। ऊंची पहुंच के आधार पर कूटरचित दस्तावेज तैयार करके/कराके उक्त अवैध आबंटन किया गया, जिसमें आबाद गांव को भी आबंटित कर दिया गया।

दूसरी ओर जिला कलक्टर के अधीनस्थी का मानना/कहना है कि 13 साल बाद अतिक्रमण ही नियमित हो जाता है। यह तो 40 साल पुराना कब्जा हो गया। चोरी/हेराफेरी/डकेती/धोखाधड़ी के आधार पर कोई सम्पत्ति/भूमि

(श्री महीपाल सिंह यादव)

कितनी भी अवधि पार हो जाने पर भी अपराधी के पास जायज नहीं हो सकती। उक्त अलाटियों ने अपने परिवार के गुजारे के लिए यहां सरकारी भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया न ही धारा 91 की कार्यवाही हुई पैनल्टियां ही जमा कराई। यह कूट दस्तावेजों के आधार पर षडयंत्रपूर्वक सरकारी सम्पत्ति को हड़पने के लिए सामूहिक रूप से किया गया अपराध है जो (1) तहसील स्तर पर बिना आपूर्ति मृतक के नाम ही अलाटमेन्ट कर देना (2) कोई वारिस नहीं होने पर अलाटमेन्ट कर देना (3) जल्दबाजी/हड़बड़ी में आबाद गांव को ही अलाट कर देना (4) राज्य सरकार द्वारा मना कर देने पर भी पूर्व तत्कालीन मंत्री द्वारा सीधी प्रार्थना पत्र जारी कर उचंती में फर्जी पत्र तैयार कराकर भिजवा देना (5) उसके आधार पर जिला कलक्टर द्वारा अलाटमेन्ट कर देना व जारी अलाटमेन्ट आदेश की प्रति सरकार को सूचनार्थ नहीं भेजना। जैसाकि इस अलाटमेन्ट से सम्बन्धित एक तारांकित प्रश्न संख्या 591, दिनांक 23-03-1987 द्वारा सर्वश्री.....

श्री अध्यक्ष : यह कहा है, यह कहां है ? आप क्या पढ़ रहे हैं ?

श्री महीपाल सिंह यादव : गिरधारी लाल मीणा व जगजीत सिंह ग्राम हुलनामा खुर्द (अलवर) में भू-आबंटन जो स्थगित होने पर पुनः एक अप्रेल, 1987 को विधान सभा की अतारांकित प्रश्न सूची में स्थगित प्रश्न के रूप में आया, जिसका विवरण राजस्थान विधान सभा सभा की कार्यवाही वृतान्त दिनांक 1 अप्रेल, 1987 के पृष्ठ संख्या 162 व (परिशिष्ट 24 पृष्ठ 792 से 794 तक अंकित है। से स्पष्ट है कि उस समय उक्त विषय से सम्बन्धित पत्रावली शासन सचिवालय उपलब्ध थी लेकिन उससे अलाटमेन्ट पत्र भेजा नहीं गया। उक्त प्रश्न के उत्तर में जिला कलक्टर द्वारा जारी आदेश की प्रति प्रेषित की थी जिसकी प्रति भी सूचना राज्य सरकार को पृष्ठांकित नहीं है। उपरोक्त प्रश्न के पश्चात उक्त स्तर के षडयंत्रकारियां ने सभी सम्बन्धित कार्यालयों से इस मामले का रिकार्ड ही गायब करा दिया। इसे देखने से स्पष्ट हो रहा है कि राज्य सरकार से आदेश हुये ही नहीं। अगर पत्र गया भी तो उचंती में नियम विरूद्ध तैयार कराके फर्जी रूप में भिजवाया गया। उपरोक्त सम्पूर्ण आबंटन कार्य शुरू से अन्त तक नियम विरूद्ध व कूट दस्तावेज तैयार करके उसके

आधार पर किया/करवाया गया है। (6) आबाद गांव पर कई वर्ष फसल दिखा देना, (7) शासन सचिवालय, कलक्टर, तहसील व ग्राम पंचायत तक से सम्बन्धित रिकार्ड/पत्रावलियों गायब करा देना आदि से षडयंत्र स्वतः ही स्पष्ट हो रहा है।

श्री अध्यक्ष : माननीय अध्यक्ष, आप क्या पढ़ रहे हैं ? लिखा कुछ है और आप पढ़ कुछ रहे हैं। यह लिखकर जो आपने दिया है, उसका ही रिकार्ड होगा, चाहे आप कुछ भी पढ़ो। यह जो आपने लिखकरी हमको दिया है, बस उसी का आएगा।

श्री महीपाल सिंह यादव : नहीं, वहीं से पढ़ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : नहीं, वह नहीं पढ़ रहे है आप।

श्री महीपाल सिंह यादव : नहीं, लास्ट का पैरा आ गया, लास्ट की दो लाइन है।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, लास्ट पैरा भी देख लिया मैंने।

श्री महीपाल सिंह यादव : अतः उपरोक्त मरे/जिन्दा षडयंत्रकारियों के विरूद्ध शीघ्र आपराधिक मुकदमा दर्ज करवाया जावे व आबंटन निरस्त होने तक उक्त भूमि के बेचान पर रोक लगाई जाये तथा इस आबंटन को शीघ्रातिशीघ्र निरस्त करने/करवाने की कृपा कर अनुगृहित करें। अध्यक्ष महोदय, आबाद ग्राम को ही अलाट कर दिया, यह हालात है। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : बस हो गया, हो गया। श्री रणधीर सिंह भीण्डर।

प्रतापगढ़ में पी.जी. विश्वविद्यालय स्थापित महाराणा प्रताप की मूर्ति को समाज कंटकों द्वारा खण्डित करना

श्री रणधीर सिंह भीण्डर (बल्लभनगर) : अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख का प्रस्ताव निवेदन कर रहा हूं।

(श्री रणधीर सिंह भीण्डर)

महाराणा प्रताप मेवाड़ ही नहीं, पूरे विश्व के लिए प्रेरणा के स्त्रोत रहे हैं। इनकी देशभक्ति, बलिदान व वीरता का हर व्यक्ति अनुसरण करना चाहता है। वैसे तो उन कार्यों ने उन्हें अमर कर दिया है परन्तु फिर भी कई जगह लोगों ने उनके नाम से हवाई अड्डा, कई भवनों, यूनिवर्सिटी के नाम उनके नाम पर रखे है। कई जगह उनकी मूर्तियां भी लगी हैं। ऐसी ही एक मूर्ति राजकीय पी.पी. महाविद्यालय, प्रतापगढ़ में लगाई गई थी। मूर्ति को न केवल एक बार बल्कि दो बार खण्डित करके समाजकंठकों ने उस इतिहास पुरूष को अपमानित करने का प्रयास किया है। दिनांक 20-07-2004 की रात्रि में फिर समाजकंठकों ने प्रताप की मूर्ति खण्डित की व तलवार तोड़ डाली। वहां के समस्त नागरिकों ने रोष व्यक्त करने के लिए एक दिन का बन्द रखा, परन्तु इतने दिन बाद भी दोषियों को पकड़ा नहीं गया है।

अतः इस प्रस्ताव के द्वारा मैं सरकार का ध्यान इस घटना की ओर आकर्षित करना चाहता हूं ताकि दोषियों को पकड़ा जाकर उन्हें दण्डित किया जाये। साथ ही खण्डित मूर्ति की जगह दूसरी मूर्ति लगाने की कार्यवाही की जाये। धन्यवाद।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, एक सैकण्ड, इसमें मुल्जिम पकड़ लिया है और पूर्ति की भी रिपेयरिंग कर दी है।

श्री अध्यक्ष : गुड। श्री भागीरथ चौधरी।

खातोली मोड (निम्बाई तीर्थद्वार) से सलेमाबाद तक की 10 किलोमीटर-सड़क को चौड़ा करने के सम्बन्ध में

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़) : अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया क. नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख का प्रस्ताव निवेदन करना चाहता हूं। निम्बार्क सम्प्रदाय के आद्य प्रवर्तक भगवान श्री निम्बार्काचार्य जी के 5100वें जयन्ती महोत्सव पर इस निम्बार्काचार्य पीठ में दिनांक 20 नवम्बर, 20004 से 26 नवम्बर, 2004 तक सप्त दिवसीय अखिल भारतीय विराट सनातन धर्म सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है जो अपने आप में एक अद्वितीय

(श्री भागीरथ चौधरी)

समारोह होगा जिसमें चारों पीठों के शंकराचार्यजी, चतुःसम्प्रदाय वैष्णवाचार्य, विभिन्न सम्प्रदायों के धर्मचार्य तथा अनेक संतः महासंत, मण्डलेश्वर, महामण्डलेश्वर, युगसंत श्री मोरारी बापू तथा विश्वविख्यात विद्वान एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति पधार रहें है। साथ ही सुअवसर पर देश-विदेश के लाखों श्रद्धालुओं का आवागन होगा। वर्तमान में निम्बार्कातीर्थ सलेमाबाद से खातोली मोड़ तक की सिंगलरोड तीन मीटर होने के कारण नित्य आवागमन में भारी असुविधा होती है।

निम्बार्क तीर्थ सलेमाबाद पौराणिक तीर्थस्थल एवं श्री निम्बार्काचार्य पीठ होने के कारण यहां पर नित्य श्रद्धालुओं का आवागमन बना रहता है। अतः कृपया इस विराट सम्मेलन से पूर्व इस सड़क मार्ग का दोनों तरफ से एक-एक मीटर चौड़ा कराने का श्रम करायें ताकि गणमान्य अगन्तुओं एवं श्रद्धालुओं का आवागमन में सुविधा न हो और कानून व्यवस्था भी आसानी से सम्भव हो सके।

मैं प्रक्रिया के निमय, 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के प्रस्ताव के जरिये इस महत्वपूर्ण विषय की और माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय का ध्यान अकर्षित कर निवेदन करना चाहता हूं कि इस विराट सनातन धर्म सम्मेलन के आयोजन को सफल बनाने के उद्देश्य से सदन में आवश्यक घोषणा कर लाखों श्रद्धालुओं को सुविधा मुहैया कराने की कृपा करें। धन्यवाद।

श्री विष्णु मोदी : अध्यक्ष महोदय, मैं जो निवेदन कर रहा हूं आपसे....

श्री अध्यक्ष : अब एक बार इस पर थोड़ा सा उन्हें बोलने का मौका दो, फिर आप जब विद्युत की चर्चा हो तब अपनी बात कहिएगा।

श्री विष्णु मोदी : यह विद्युत से कतई रिलेटेड नहीं है। मैडम, मैं एक मिनट का समय चाह रहा हूं....

श्री अध्यक्ष : यह विद्युत से कतई सम्बन्धित नहीं है। विद्युत के ऊपर आपको भाषण का मौका दिया जायेग, तब आप कह दीजिये।

श्री विष्णु मोदी : यह विद्युत से कतई सम्बन्धित नहीं है। यह सतलुज से निकलने वाली, सतलुज नहर की पिराची ट्रिब्यूट्री है और उसके अन्दर एक रॉक कटकर नही के बैड में गिर गई और वहां पर सैकडों मील में पानी/झील की नदी बन गई। चाइना गवर्नमेन्ट ने गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया से कहा कि इसको ठीक करने लिए (व्यवधान) मैं एक निवेदन कर रहा हूं कि चाहना गवर्नमेन्ट ने कहा है कि....

श्री अध्यक्ष : आप माननीय सदस्य को बोलने दो। आप माननीय सदस्य को बोलने दो।

श्री नन्दलाल पूनिया : अध्यक्ष महोदय, मेरे मकान सी-9, जालूपुरा के सामने.....(व्यवधान) हम क्या करें, हम भी तो निवेदन कर रहे है।

श्री विष्णु मोदी : ......अगर रॉक ज्यादा टूट गई तो भांखड़ा के अन्दर फूलड आ जाएगा और मैं आपके माध्यम से सिंचाई मंत्रीजी से.....

श्री अध्यक्ष : आप कहना चाह रहे है और वह भी कहना चाह रहे है।

श्री नन्दलाल पूनिया : अध्यक्ष महोदय, मेरे मकान सी-9, जालूपुरा के सामने दिलीप नाम का व्यक्ति पान की दुकान और ठण्डे पेय की दुकान रखता है और उस दुकान पर चाय और ठण्डा पेय पदार्थ....

श्री अध्यक्ष : राजगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य, एक बार स्थान ग्रहण करें। उन्हें बोलने दें। राजगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य, एक बार आप स्थान ग्रहण कर लें फिर बाप बोल लेना, वे बैठ गये।

श्री नन्दलाल पूनिया : पिछली एक तारीख को और बी.सी. तिवाड़ी जो डिस्ट्रीब्यूटर है....

श्री विष्णु मोदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो सतुलज रीवर है जो तिब्बत से निकलती है और पिराजी उसकी एक ट्रिब्यूट्री है तो उसके बैंक के ऊपर बहुत बड़ी रॉक कटकर पानी को रोक लिया और वहां सैकड़ों मील में झील बन गई। चाइना गवर्नमेन्ट ने गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया को खबर की है और उसका सीधा इम्पेक्ट क्या होगा कि अगर बड़ा हिस्सा पहाड़ का कट गया तो पानी एकदम से भाखड़ा डेम में आयेगा और भाखड़ा डेम का पंजाब

(श्री विष्णु मोदी)

गवर्नमेन्ट पहले ही उसको रखती है तो उसका सीधा असर आईजीएनपी पर आयेगा और दूसरा चण्डीगढ़ और उस के आसपास में पिछले तीन दिन में छः सौ मिलिमीटर बारिश हो गई है तो घग्घर में पानी आया है, हरियाणा ने वैसे कई जगह रोका हुआ है, तो घग्घर में भी बाढ़ की स्थिति बनने वाली है और यह भाखड़ा डेम के कारण आइजीएनपी में भी बाढ़ की स्थिति बनने वाली है। मैं आपके माध्यम से माननीय अकाल राहत मंत्रीजी को, माननीय सिंचाई मंत्रीजी को यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस सारी वस्तुस्थिति पर नजर रखकर जो कुछ कारगर कदम उठाये जाने चाहिये, वह उठा लेने चाहिए। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : यह चाइना गवर्नमेन्ट का कैसे, आपको कैसे कह दिया, चाइना गवर्नमेन्ट ने सूचित किया। चाइना गवर्नमेन्ट कहां से बीच में आ गई।

श्री किरोड़ी लाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, चण्डीगढ़ बरसात ज्यादा हुई थी उसके कारण घर-घर में पानी आया....

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय सदस्य यह इत्तला सदन को, माननीय अध्यक्षजी, आपको दे रहे हैं और सरकार को परिचित नहीं कर रहे हैं जबकि वे इस सरकार के कांश-कीपर है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : क्या है ?

श्री रामनारायण चौधरी : यह इनकी स्थिति है।

श्री अध्यक्ष : He is saying that he is conscience keeper of this governemt.

श्री रामनारायण चौधरी : He is iformation director to the House कि वह आपको तो देनी चाहिए थी, आपको नहीं देकर सीधा इधर दे रहे हैं और उधरे कहते हैं कि राजस्थान सरकार का तो मैं मालिक हूं और उसकी आत्म मेरे हाथ में है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : किस ने कहा ?

श्री रामानारायण चौधरी : प्रचारित करते हैं सब जगह।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय सदस्य, राजस्थान सरकार की मालिक तो राजस्थान की जनता है, राजस्थान का मालिक कोई एक हो नहीं सकता। यह कौन से प्रवक्ता है। आप क्या हों ? यह अन्तरराष्ट्रीय स्तर का मामला आपने उठाया है।

श्री रामनारायण चौधरी : नहीं, राजस्थान की सरकार का मालिक नहीं है। (व्यवधान) और अब पछता रही है। (व्यवधान) हां, आठ महीने पहले भूल हो गई, उसका जनता पश्चाताप कर रही है, अब तो जनता यह सोचती है कि चार साल और पांच महीने कब खतम हों।

श्री अध्यक्ष : बहुत मुश्किल से खतम होंगे चार साल पांच महीने। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल मीणा : महावीरजी, सुनो। चण्डीगढ़ में ज्यादा बरसात हो जाने के कारण पानी आया है और हमने हनुमानगढ़ और गंगानगर के कलक्टर्स को साचेत कर दिया है, किसी प्रकार का कोई हादसा नहीं होना चाहिए, जैसे चण्डीगढ़ में कोई बस गिर गई बताई पूरी सवारियों सहित, इसलिए मैं माननीय सदस्य को और सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी इस सम्बन्ध में पूरी तैयारी है।

श्री चौधरी विनोद कुमार : इसमें कितने हजार क्यूसेक्स पानी आ रहा है, घर-घर में कितने हजार क्यूसेक्स पानी आ रहा है।

डा. किरोड़ी लाल मीणा : वह बतायेंगे सिंचाई मंत्रीजी (व्यवधान) आपके बराबर।

श्री नन्दलाल पूनिया : (सादलपुर) अध्यक्ष महोदय, मेरा मकान सी-9, जालूपुरा, जयपुर में है।

श्री अध्यक्ष : तो मकान के लिए भी आपको नीचे देखना पड़ेगा कि मेरा मकान कहां है।

श्री नन्दलाल पूनिया : उस मकान के आगे नगर परिषद द्वारा लाइसेन्स शुदा दिलीप पान भण्डार की एक दुकान है, उसमें पानी भी मिलते हैं और कोल्ड ड्रिक्न्स भी मिलती है और वह अपनी रोटी-रोजी चलाता है। आज

(श्री नन्दलाल पूनिया)

से चार दिन पहले एक तारीख को जो सप्लायर है सेवन अप का, मिस्टर बी.सी. तिवाड़ी जिसके मोबाइल नम्बर हैं 9414021804, वह उस दुकान पर आया और उस दिलीप को माल सप्लाई किया और उस दिलीप ने देखा कि उस बोतल में....

श्री अध्यक्ष : आपने खरीद क्या ? आप तो यह बताओ या किसी और ने दी आपको या आपने खरीदी।

श्री नन्दलाल पूनिया : मेरे को उस दिलीप ने दी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह कोई बात नहीं हुई। (व्यवधान)

श्री नन्दलाल पूनिया : कैसे नहीं साहब, दिलीप ने मुझे आकर कहा कि मेरे को तिवाड़ी यह सप्लाई करके गया है उसमें कीड़े-मकोड़े हैं, मैंने लेने से मना किया तो कहा कि आगे से तुमको माल सप्लाई नहीं करेंगे...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपने यह कहा कि यह अधिकृत रूप से दुकान है। वह एम.एल.ए. क्वार्टस की बात है, क्या माननीय अध्यक्ष महोदय की जानकारी में है कि वहां पर कोई दुकान अपने ने लगा रखी है।

श्री नन्दलाल पूनिया : एक बोतल में पूरा पान पराग का खोल था, और अखबार में भी आया था। मैं माननीय डा. किरोड़ी लाल मीणा जो हमारे इस विभाग के मंत्री है, जो बहुत एफिशिएन्ट है, मैं उनके निवेदन करना चाहता हूं कि चार दिन पहले जब अखबार में आया था, उसके बाद में भी विभाग इस बात पर सोया रहा तो यह आदमी के मानव जीवन के साथ बड़ा खिलवाड़ होगा। आज हमारे स्वास्थ्य के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और जिसका सप्लायर आपके सामने हैं, मैं उसका नाम आपको बता रहा हूं, यह बी.सी. तिवाड़ी हैजो डिस्ट्रीब्यूटर है, जो सप्लाई करता है। उन्होंने मेरे मकान के आगे जो जनता पान मण्डार है जिसका प्रोपराइटर दिलीप है उसको देकर गया, लेने से मना करने पर वह छोड़ गया और यह धमकी दी कि भविष्य में यह नहीं लोगे तो भविष्य में आपको कभी नहीं दूंगा। वह आदमी सुबह मेरे पास बोतल वापिस ले जाने के लिए भी कहा कि मुझे यह बोतल वापिस दो,

(श्री नन्दलाल पूनिया)

मैंने कहा बोतल वापस नहीं दूंगा। यह डिस्ट्रीब्यूटर है, यह जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है और सरकार की क्या मंशा है, सरकार इस पर क्या कार्यवाही करना चाहती है, करेगी या नहीं करेगी, इस सम्बन्ध में मैं माननीय अध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगा कि इस सम्बन्ध में वह सरकार को निर्देशित करें कि ऐसा विभाग को अपना कार्य करने में अक्षम है, तो मैं तो यह समझता हूं कि किरोड़ीलाल मीणा बहुत एक अच्छे कार्यकर्ता हैं, अच्छे राजनीतिज्ञ हैं और इस भावना से कि इनको अच्छा, महत्वपूर्ण विभाग नहीं मिला, इसलिए एक सप्लाई जैसे विभाग की तरफ इन्होंने ध्यान देना छोड़ दिया।

श्री अध्यक्ष : ठीक है।

श्री नन्दलाल पूनिया : अध्यक्ष महोदय, इसकी कृपया जांच करवाइये और मैं तो इन किरोड़ीलाल मीणा से बहुत उम्मीद रखता हूं कि ऐसे कार्यों पर यह अपनी खुद पर्सनल निगाह उचित कार्यवाही करें, मैं यही इनसे निवेदन करना चाहता हूं।

श्री गोविन्द राम चौहान : अध्यक्ष महोदय, मेरा 295 का एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा था, छह साल से मेरे नोखा का हास्पिटल, जिसमें सोलह लाख रूपये खर्च हो चुके, वह बन्द पड़ा है।

श्री अध्यक्ष : नहीं, अब कोई महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि गत 75 दिनों से कानासर ग्राम के विस्थापित अपनी मांगों को लेकर के अनशन पर बैठे हैं उनके ऊपर आज तक किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की.....

श्री अध्यक्ष : डा. बुलाकीदास कल्लाह छह प्रतिवेदन उपस्थित करेंगे।

श्री गोविन्दराम चौहन : अध्यक्ष महोदय, हमारे पचास बैड का हास्पिटल है...

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें। प्रतिपक्ष के नेता खड़े हैं, स्थान ग्रहण करें।

समिति के प्रतिवेदन

समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन

जनलेखा समिति, वर्ष 2004-2005 के छह प्रतिवेदन

डा. बुलाकीदास कल्ला (सभापति, जनलेखा समिति) : अध्यक्ष महोदय, मैं सभापति/जनलेखा समिति, 2004-2005 समिति के निम्नांकित प्रतिवेदनों का उपस्थापन करता हूं :-

1. जनलेखा समिति, 2001-2002 के 112वें प्रतिवेदन (11वीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिश की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्वित विषयक समिति का 76वां प्रतिवेदन।

2. जनलेखा समिति, 2002-2003 के 169वें प्रतिवेदन (11वीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्वित विषयक समिति का 77वां प्रतिवेदन।

3. जनलेखा समिति, 2000-2001 के 66वें प्रतिवेदन (11वीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्वित विषयक समिति का 78वां प्रतिवेदन।

4. जनलेखा समिति, 2001-2002 के 99वें प्रतिवेदन (11वीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्वित विषयक समिति का 79वां प्रतिवेदन।

5. जनलेखा समिति, 2001-2002 के 114वें प्रतिवेदन (11वीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्वित विषयक समिति का 80वां प्रतिवेदन।

6. जनलेखा समिति, 2002-2003 के 178वें प्रतिवेदन (11वीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्वित विषयक समिति का 81वां प्रतिवेदन।

श्री अध्यक्ष : श्री शांतिलाल चपलोत।

राजकीय उपक्रम समिति, वर्ष 2004-2005 के तीन प्रतिवेदन

श्री शांतिलाल चपलोत (सभापति, राजकीय उपक्रम समिति) : अध्यक्ष महोदय, मैं सभापति, राजकीय उपक्रम समिति, 2004-2005 समिति के निम्नांकित प्रतिवेदनों का उपस्थापन करता हूं:-

1. राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1994-95) से सम्बन्धित समिति का 15वां प्रतिवदेन।

2. राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड (अकेंक्षण प्रतिवेदन वाणिज्यिक) वर्ष 1998-99) से सम्बन्धित समिति का 16वां प्रतिवेदन।

3. राजस्थान वित्त निगम से सम्बन्धित राजकीय उपक्रम समिति, 2000-2001 के 23वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्वित विषयक समिति का 17वां प्रतिवेदन।

याचिकाओं का उपस्थापन

श्री अध्यक्ष : श्री रामकिशोर मीणा, याचिका में उपस्थित करेंगे।

श्री राजकिशोर मीणा (सिकराय) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नांकित याचिकाओं का उपस्थापन करता हूं

कालाखोअम्बाड़ी से राजाड-महाना ग्राम तक सड़क स्वीकृति

1. जिला दौसा के ग्राम कालाखो अम्बाड़ी से राजाड़ा-महाना तक सड़क स्वीकृत कराने बाबत चार व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित,

सिकराय में बालिका सीनियर विद्यालय की क्रमोन्नति

2. जिला दौसा के सिकराय क्षेत्र में बालिका सीनियर विद्यालय क्रमोन्नत करने बाबत पांच व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित,

खारण्डी (दौसा) नदी पर पुलिया निर्माण

3. जिला दौसा स्थित खारण्डी नदी पर पुलिया निर्माण करने बाबत पांच व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित,

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

सीकर शहर के जीवन नगर एवं पीपराली रोड़ तक अम्बेडकर नगर में विद्युत लाइन के तार ऊपर से गुजरने से होने वाला नुकसान

श्री अध्यक्ष : श्रीमती राजकुमारी शर्मा, पर्ची पर बोलें। आज रह गये न पर्ची वाले, इसलिए मैंने कहा चार....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अब कैसे होगा ?

श्री अध्यक्ष : इन सब बातों में पर्ची रह गयी है।

श्री धनश्याम तिवाड़ी : रह गई और अब होगी कैसे, नियमों के विरूद्ध हो जायेगा। अपन ने जब कार्य सूची ले ली है तो पर्चियों कैसे आयेंगे, नहीं आयेंगी।

श्री रामनारायण चौधरी : अब नहीं आयेगी...(व्यवधान) और कैसे आपको सब अधिकार है, मरज़ी आये जब बुलायें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : कैसे अधिकार तो सब कुछ है लेकिन अध्यक्ष महोदय, एक-एक करके जैसे प्रश्न की परम्परा नई पड़ गयी थी फिर आपने कहा कि वह नहीं होगा, अब माननीय सदस्यता नयी हैं, यह बोलना चाहती हैं, इनकी पर्ची निकली हैं लेकिन जब नियमों में प्रावधान, कार्य सूची चालू होने के बाद..(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : बिजली की चर्चा है लेकिन बाकी की तो.....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : कार्य सूची चालू हो गई, अब तो पर्ची नहीं आयेगी, चारों ही नहीं आयेगी।

श्री रामनारायण चौधरी : बोलने दो , महिला है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : बोलने में आपत्ति नहीं है, मैं तो ध्यान आकर्षित कर रहा हूं।

श्री अमराराम (धोद) : लास्ट दिन है आज।

श्री रामनारायण चौधरी : आसन ने अपनी मंशा जाहिर कर दी है सरकार के सामने, हमें तो कोई आपत्ति नहीं है।

श्री अमराराम (धोद) : इस सत्र का लास्ट दिन है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं-नहीं।

श्री रघुवीर सिंह मीणा : नहीं। मैं कह रहा हूं आपको। 27 पद बाकी है। 27 पद आपने खाली छोड़ हैं जब आप कोर्ट का नाम ले रहे है.....

श्री अध्यक्ष : श्री हेमराम मिस्टर रघुवीर सिंह मीणा, आपकी जगह हेमराज मीणा आ गये है अब। (व्यवधान)

श्री हेमराज चौधरी : वर्किंग अरेन्जमेन्ट में भी.....(व्यवधान)....आपने दूसरे लोगों को लगा दिया।

श्री अध्यक्ष : मिस्टर हेमराज।

किशनगंज शाहबाद वन क्षेत्र में अवैध कटाई बाबत

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत कहूंगा कि वन विभाग में मेरे विधान सभा क्षेत्र किशनगंज शाहबाद में अवैध कटान लगातार जारी है, सरकार के प्रयास के बाद भी अवैध कटान लगातार रूक नहीं रहे हैं। मेरे क्षेत्र पूरे हाडौती संभाग के बारे में विचार करें तो सबसे ज्यादा फोरेस्ट किशनगंज शाहबाद क्षेत्र में है और तारा आदिवासी एरिया है और सारे आदिवासी लघु वन उपज से अपनी आजीविका निर्वहन करते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत मंत्रीजी को जानकारी देना चाहूंगा किं किशनगंज में पंचायत समिति लींगलोद, सींगरी, बालापुर, बालापुरा, किशनपुरा, खेड़ली, बादीपुरा और आस-पास के पूरे क्षेत्र में हजारों बीघा भूमि पर वनों की कटाई निरन्तर जारी है। यह वो पेड़ है, अध्यक्ष महोदय, जो सरकार ने प्लाटेशन के रूप में लगाये थे। एक बार सरकार ने प्लान्ट लगाये, विभाग ने मेहनत की उसके बाद लगातार वन विभाग के छोटे-बड़े सब कर्मचारी इसमें मिले हुए हैं, उनके सहयोग से लगातार कटान जारी है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत यह भी कहना चाहूंगा इसी तरह मेरे क्षेत्र में कैलवाड़ा एक रेन्ज है। केलवाड़ा में सबसे ज्यादा कटाई हुई है। अध्यक्ष महोदय, ग्राम चण्डालिया, बालदा, चन्दनहेडा पहाड़ी के आसपास राड़ी, सालेरी, सूखा, सेमली, टसर प्लाटेशन जो सरकार ने डवलप किया है, विभाग ने डवलप किया है वो टसर प्लाटेशन को पूरा करके और उसके खेत बना दिये गये हैं, सीताबाड़ी डेगडे,

(श्री हेमराज मीणा)

जहां पर बन विभाग के बड़े-बड़े रेन्जर्स, सुरक्षा गार्ड है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान इस और दिलाना चाहूंगा सीताबाड़ी पर्यटन जैसी जगह है जहां पर पेड़-पौधों की सुन्दरता के कारण से उसका अपना अस्तित्व है उसी के पास रेन्ज का आफिस है जहां रेन्जर बैठता है।... रेन्जर का घर भी वहां पर है और उसके आस-पास पूरी नर्सरी लगी हुई है और पूरा प्लाटेशन लगा हुआ है। रेन्जर के घर और आफिस के पास-पास की जगह पर भी सारे पेड़ का कटान हो चुका है और वह सारे खेत बन गये। अध्यक्ष महोदय, ऐसा लगता है कि सारे फोरेस्ट के अधिकारी जिसमें रेन्जर, डी.एफ.ओ. और एस.ई.एफ. यह सब उसमें मिले हुए है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा फोरेस्ट विभाग ने फ्लाइंग स्क्वड बनाई गई है उसको चैक करने के लिए। बारां जिले में कितनी चैक करने के लिये जायेगी। वहां फ्लाइंग स्क्वड गई कि नहीं गई ? अध्यक्ष महोदय, यह एक दिन का कटान नहीं है यह 2-4 महीनों से लगातार कटान चल रहा है और पूरी गर्मी कटान चला होगा। उसके बाद यह खेत बनने की स्थिति में आये होंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा जैसा मंत्री महोदय ने एक प्रश्न के जवाब में दिया कि किशनगंज, शाहबाद में 28 वर्ग किलोमीटर जगह में वन का कटान हुआ है यह सरकार ने यहां एक प्रश्न के जवाब में बताया है। अध्यक्ष महोदय, वन विभाग द्वारा कई विकास के काम भी हुए है लेकिन अहाज वह विकास के काम कहीं दिखाई नहीं देते है। मैं चाहूंगा कि मंत्रीजी इन विकास के कामों का एक बार वैरीफिकेशन कराये कितना पैसा हमने वन विभाग के माध्यम से दिया है, कितने पौधे लगाये हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी चाहूंगा कि किशनगंज शाहबाद में अवैध कटान के लिये कौन-कौन अधिकारी दोषी है, कौन-कौन अधिकारी दोषी है, कौन-कौन डी.एफ.ओ. और रेंजर इसमें मिले हुए है और फ्लाइंग स्क्वड के कौन से लोग मिले हुए हैं, उनके खिलाफ भी कठोर कार्यवाही की जानी चाहिये क्योंकि आपने कार्यवाही की तो है लेकिन कार्यवाही छोटे कर्मचारी के खिलाफ तो हो गई लेकिन जो बड़े हाथी इसमें मिले हुए है क्योंकि इनकी एक चैन और एक सिस्टम बना हुआ है। उस सिस्टम के कारण यह अवैध कटान हुआ है और सरकार ने जवाब भी दिया है कि 26 वर्ग किलो

(श्री हेमराज मीणा)

मीटर में पूरे किशनगंज-शाहबाद में अतिक्रमण हुए हैं और वहां पर पेड़ कटे है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह चाहूंगा मंत्री महोदय यह बताये कि इस कटान को कैसे रोकेंगे और कौन-कौन अधिकारी लिप्त है और उसकी जांच कब तक करायेंगे और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कब तक कार्यवाही करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : ठीक है, ठीक है।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन मंत्री) : माननीय अध्यक्ष, जो चिंता माननीय सदस्य ने प्रकट की है और जैसे ही मुझे जानकारी प्राप्त हुई मैंने सी.सी.एफ, मिस्टर भाटिया को आदेश दिया है, वह स्पॉट पर वैरीफिकेशन करने वहां चले गये है। जैसे ही उनकी रिपोर्ट हमको प्राप्त होगी तो निश्चित रूप से मेरे विभाग में जो भी कर्मचारी और अधिकारी अगर इसमें सम्मिलित पाये गये तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी। अध्यक्ष महोदय, 1991 लेन्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत जो लोग इस पर अतिक्रमण कर के कृषि कार्य करते हैं तो उनके विरूद्ध निश्चित रूप से कार्यवाही होती है, पैनल्टी इम्पोज होती है और लगान की 50 गुना के आधार पर उनके खिलाफ कार्यवाही होती है और इस प्रकार के पेड़ कटान की जानकारी पर जो इन्होंने दी है, जांच आने के बाद निश्चित रूप से कार्यवाही करेंगे।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, इतना मैं भी कहना चाहूंगी कि यह किशनगंज शाहबाद में ही नहीं बल्कि सब जगह पर पेड़ का जो अवैध कटान हो रहा है उसको गम्भीरता से लेना चाहिये, कार्यवाही करनी चाहिये। वन नहीं रहेंगे तो क्या रहेगा।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : अध्यक्ष महोदय, जहां-जहां भी राजस्थान में इस प्रकार के अवैध कटान की जानकारी मुझे प्राप्त हुई हैं मैं स्वयं मौके पर आज तक पहुंचा हूं। जमवारामगढ़ में वहां वदम्बा के उपयोगी पेड़ थे मै 12 किलोमीटर चलकर वहां पहुंचा और तत्काल वहां के अधिकारी रेन्जर और जितने अधीनस्थ अधिकारी है, उनको निलम्बित किया गया। इसी प्रकार कल जानकारी प्राप्त हुई है। बारां के पास में, तो एक रेंजर और जितने अधिकारी है उनको

(श्री लक्ष्मीनारायण दवे)

निलम्बित किया गया। अब मैंने हमारे विभाग के क्षेत्रीय अधिकारी की जिम्मेदारी फिक्स कर रखी है और जहां कहीं पर भी इस प्रकार की शिकायत आयेगी तो निश्चित रूप से अधिकारी पेलेलाइज होंगे यह मैं आपके माध्यम से आपको और पवित्र सदन को आश्वासन देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद।

श्री कन्हैयालाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि जो किसान अपने पेड़ को अपने खेत में से काटकर बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं उनके ऊपर कम से कम पाबन्दी नहीं लगाये।

श्री अध्यक्ष : विद्युत मंत्रीजी प्रस्ताव करेंगे।

विभिन्न विषयों पर विचार

राज्य में बिजली की स्थिति पर विचार

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राज्य की बिजली की स्थिति पर विचार किया जाये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाह रहा हूं। आज चूंकि सदन का आखिरी दिन है और माननीय मुख्य मंत्रीजी की तरफ से भोज भी है इसलिए समय का निर्धारण अध्यक्ष महोदय, कृपा, पूर्वक ऐसा कर दें कि ज्यादा से ज्यादा सदस्य बोलें। हम भी चाहते है कि अच्छी सार्थक बहस हो। आप समय का बंटवारा आसन की की तरफ से फरमा दें तो उस प्रकार से माननीय सदस्य आपनी मनः स्थिति बना लेंगे कि मुझे कम से कम बोलना है। अध्यक्ष महोदय, मेरी प्रार्थना है कि 7 बजे तक हम कनक्लूड कर दें, मंत्रीजी का उत्तर हो जाये तो उसके पश्चात सब मुख्य मंत्रीजी के भोज में भी जाना चाहेंगे।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, यह बात सही है कि आज अभी तक 26 लोगों के नाम आये है। 10 सदस्यों के नाम आये हैं सत्ता पक्ष से और 17 सदस्यों के नाम आये है प्रतिपक्ष से श्री अमराराम धोद और श्री सुभाष शर्मा का नाम भी आया है। इस तरीके से 26 के नाम तो आ चुके हैं और शायद सुनकर और भी किसी के मन में आय जाये तो आप यह मानकर

(श्री अध्यक्ष)

चलिए कि 27-28 लोग बोलने वाले है। पहले तो मैं सदन से यह चाहूंगी कि सदन मुझे इस बात की सलाह दे कि कब तक सदन को चलाना है, 6 बजे तक, 5 बजे तक या 7 बजे (व्यवधान) उसके बाद में माननीय मुख्य मंत्रीजी आपको "लक्ष्य" दिखा रही है फिर आपको भोजन करवा रही है आपने बजट जो पास किया है तो उसका भी ध्यान रखिए। (व्यवधान) मैं मानती हूं कि विद्युत का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, 7 बजे तक चल गया तो उसमें क्या दिक्कत है। भोजन तो सवा आठ बजे जाकर कर लेंगे।

श्री रामनारायण चौधरी : हमारे भोजन के लिये आप हमें प्रतिदिन 300 रूपये देती हो और हमें विश्वास है वह हमें मिलेंगे। इसलिए हमारे घर पर व्यवस्था है आप उसकी चिन्ता मत करो।

श्री अध्यक्ष : इसे घर पर व्यवस्था से मत जोडिये, यह परम्परा रही है इस सदन की, कि जो कोई वित्त मंत्री होता है बजट पास करने के बाद वित्त मंत्री की ओर भोज दिया जाता है। यह 300-400 रूपये का प्रश्न नहीं है। यह परम्परा रही है इस सदन की इसलिए मैं उस परम्परा .....(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : 7 बजे जवाब शुरू हो जाये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, जब प्रतिपक्ष के संचेतक महोदय से अनौपारिक बात हुई थी तब यह तय हुआ था कि सलेक्टिवली वो अपने नाम दे दें, सलेक्टिवली हम अपने नाम दे देंगे। हमने ताक 10 नाम दिये जबकि हमारे बहुत से माननीय सदस्य बोलना चाहते थे, मेरा आपके माध्यम से संचेतक जी से निवेदन है कि आप भी इनकी संख्या कम कर दें ताकि बात भी आ जाये और समय पर सारी चर्चा भी समाप्त हो जाये।

श्री अध्यक्ष : नहीं, सदस्यों की संख्या कम न भी करे तो टाइम लिमिट कर दें तो काम चल सकता है।

मोहम्मद माहिर आजाद : यह भोज काहे का है, या दोनों का एक ही में का चला रहे हो आप। पहले तो यह क्लियर करों कि आप यह भोज है काहे का। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : एक भोज पर ही जब माननीय सदस्य अपने भत्ते की बात कर रहे हैं कि हमें 300 रूपया रोटी के लिये मिलता है तो आप दूसरे की बात ही क्यों कर रहे हो ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : पौत्र का हो या पौत्री का हो या बेटे का हो, मैं भोज देने वाला नहीं हूं मैं भोज खाने वाला हूं जिसका हो उसी का।

एम माननीय सदस्य : नहीं यह भोज पण्डितों वाला है या वैसा है।

श्री अध्यक्ष : मान लीजिए कि 30 सदस्य भी बोलने वाले हो और 30 सदस्यों को यदि 10-10 मिनट का समय दिया जाये तो 300 मिनट होते है। 300 मिनट का मतलब है 5 घण्टे में अपना काम हो सकता है। डेड बजे है तो 10 मिनट से ज्यादा किसी को नहीं मिलेंगे और 9 मिनट पर जो कोई भी आसन पर होगा लिखेंगे, 9 मिनट पर घंटी बजायेंगे और एक मिनट में आपको अपना भाषण कन्क्यूड कर देना होगा। 10 मिनट का समय सबको दिया जायेगा। (व्यवधान) पहले सत्ता पक्ष से बोलेंगे फिर विपक्ष से।

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, चर्चा तो हमने शुरू करवाई है पहले इधर मौका दीजिए।

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न है आपके सामने, आपने घनश्याम जी तिवाड़ी, शिक्षा मंत्री को फरमाने के लिए कहा है कि राज्य में बिजली की स्थिति पर विचार किया जाये। इसके पहले कि सदन इस पर विचार करें सत्ता पक्ष की तरफ से, माननीय घनश्याम जी की तरफ से आज के दिन राजस्थान में बिजली की क्या स्थिति है उस स्थिति के सम्बन्ध में सरकार का दृष्टिकोण, स्टेटमेन्ट आना चाहिये और उसके ऊपर बहस होती। अब तिवाड़ी साहब ने एक लाइन में फरमा दिया कि राज्य में बिजली की स्थिति पर विचार किया जाये। क्या स्थिति है ?

श्री अध्यक्ष : वह आप बताओ।

श्री रामनारायण चौधरी : नहीं, सरकार बतायेगी पहले।

श्री अध्यक्ष : पहले बाप बताना चाहते हो।

श्री रामनारायण चौधरी : सरकार ही बतायेगी।

श्री अध्यक्ष : तैयार है, ठीक है बता रहे हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : कायदा ही यह होता है....It is kind of statement.

श्री अध्यक्ष : हां, बता देंगे। वैसे दबाव तो नहीं है लेकिन आप जैसे कहते हैं, वैसे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : हां, ठीक है, अध्यक्ष महोदय।

मोहम्मद माहिर आजाद : पहले आप खुद कहें, फिर हम कहें, फिर हम कहें, जवाब आप फिर दें नहीं....(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : नहीं, मैं रूकूंगा, जवाब भी दूंगा।

श्री हरिमोहन शर्मा : ये तो भाग जाऐंगे।

मोहम्मद माहिर आजाद : अपना वर्जन दे दें और उसके बाद में हम अपनी बात कहें...(व्यवधान)।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अपना-अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय मंत्रीजी को बोलने दें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, मैं, राज्य में विद्युत... (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो अपने पहले व्यवस्था दी थी, वही ठीक थी कि पहले माननीय सदस्यों को विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान करें और फिर बाद में मंत्रीजी इस पर अपना वक्तव्य दें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, आप तो उदार-मना हो, उनकी बात मानी, हम तैयार है, सरकार वक्तव्य दे रही है।

श्री अध्यक्ष : देखिए सब तरह की परम्पराएं इस सदन में रही हैं। यह परम्पराए भी रही है। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : हम जो मुद्दे रखेंगे, उसका जवाब कौन देगा, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : प्रतिपक्ष यदि यह चाहता है कि पहले मंत्री बोलें और वह स्थिति बताएं तो वे तैयार है इसके लिए, फिर आप बोलियेगा।

श्री संयम लोढ़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी बात का जवाब कौन देगा। जो हम बात रखेंगे, उसका जवाब कौन देगा।

श्री अध्यक्ष : ये देंगे, सरकार देगी जवाब।

श्री संयम लोढ़ा : ये पहले वक्तव्य देंगे, फिर भाग जायेंगे।

श्री रामनारायण चौधरी : राजस्थान सरकार का दृष्टिकोण पेश कर रहे है कि यह हमारी स्थिति है और हम कहेंगे, यह स्थिति है उसके बाद में इनको जवाब देना होगा। भाग कैसे जाऐंगे, कोई खेल-खेल रहे है क्या, भाग जाऐंगे। (व्यवधान) यह भाग कैसे जायेंगे।

श्री अध्यक्ष : भाग क्यों जाऐंगे ?

श्री संयम लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, सरकार पिछले एक महीने से दावा कर रही है कि बिजली बराबर मिल रही है, इतने घण्टे मिल रही है, बार-बार दावा कर रही है और हम सरकार को वास्तविक स्थिति से अवगत कराना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपको समय मिलेगा, आपको समय मिलेगा। माननीय सिरोही से आने वाले सदस्य, आपको भी नाम सम्मिलित है। आपको मौको मिलेगा, तब बोलियेगा, आप।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय रामनारायणी ने जो बात कही, मैं आपके आदेश से, राज्य की बिजली की स्थिति पर तथ्यात्मक विवरण आपके सामने पेश कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय, माह दिसम्बर, 2003 में जब हमारी सरकार ने कार्यभार सम्भाला था उस समय राज्य में रबी की फसल के दौरान किसानों को 5-6 घण्टे बिजली दी जा रही थी, जो काश्तकारों की मांग के अनुरूप नहीं थी। कम विद्युत उपलब्धता के कारण काश्तकारों में भारी असन्तोष था। हमने काश्तकारों को 8 घण्टे बिजली उपलब्ध कराने की घोषणा की एवं इसका शत-

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

प्रतिशत क्रियान्वयन किया है। राज्य सरकार ने पड़ौसी राज्य से बिजली खरीदने पर 200 करोड़ रूपये अतिरिक्त खर्च कर राज्य के सभी भागों में 8 घण्टे बिजली उपलब्ध करायी। गत वर्ष में निर्वाचन सरकार के कार्यकाल में दिसम्बर, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रेल अर्थात 5 महीनों में 100524 करोड़ यूनिट बिजली उपलब्ध करायी जबकि नयी सरकार ने इन्हीं 5 महीनों के दौरान 1200.82 करोड़ यूनिट बिजली उपलब्ध करायी जो पिछले वर्ष के इन्हीं 5 महीनों में उपलब्ध होने वाली बिजली से 195.58 करोड़ यूनिट एवं 19.45 प्रतिशत अधिक रहा। अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार किसानों के प्रति तुरन्त मिलने चाहिए। गत वर्षो में आवेदनों के बाद में लगभग 10-12 वर्ष तक किसान को कनेक्शन का इंतजार करना पड़ता था। इन देरी से कृषक वर्ग अत्यन्त पीड़ित था। अत: राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि गत 10 वर्षो से लम्बित 175473 कृषि आवेदकों को आगामी 3 वर्षो में कनेक्शन दे दिये जाऐंगे। अत: राज्य सरकार ने कृषि नीति के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष 60 हजार मांग पत्र जारी करने का निर्णय लिया है एवं इस वर्ष 62 हजार मांगपत्र जारी करने करने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी है। इस बार 62 हजार कनेक्शन देंगे हम किसानों को। हमने देने की प्रक्रिया को भी सरल बनाने का निर्णय किया है। इससे राज्य के किसानों को राहत मिलेगी।

उपरोक्त कार्य के लिये राज्य सरकार ने लगभग 63 करोड़ रूपये की अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था की है जिससे 60 हजारों लोगों को कनेक्शन देने के उपरान्त राज्य में कृषि उपभोक्ताओं के आवेदन प्राप्त होने के 2-3 माह में कनेक्शन देना सम्भव हो सकेगा तथा कनेक्शन लेने की परेशानी का भी निराकरण हो जाएगा। अध्यक्ष महोदय, नयी कृषि नीति में तखमीना के आधार पर मांग पत्र जारी करने की व्यवस्था को समाप्त कर हॉर्स पावर पर आधारित मांग पत्र जारी करने की व्यवस्था की है। इस व्यवस्था से निचले स्तर पर तखमीना बनाने में विसंगतियों एवं कृषकों को अनावश्यक रूप से परेशान किये जाने की घटनाओं से छुटकारा मिलेगा। इस प्रकार प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाया गया है। इससे आम सहमति से क्षेत्रीय भार तय किया जाएगा।। जिससे प्रत्येक कृषकों को पूर्व में ही पता होगा कि मांग पत्र की राशि क्या होगी तथा

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

वह कार्यालयों के चक्कर नहीं कटेगा। नयी कृषि नीति क्या होगी तथा वह कार्यालयों के चक्कर नहीं कटेगा। नयी कृषि नीति के अन्तर्गत सभी 3, 5, 7.5, 10, 12.5, 15, 20 और 30 हार्स पावर के किसानों के लिये अलग-अलग चार्ज की राशि तय की गयी है। इससे यह स्पष्ट है कि मांग पत्र की राशि पूर्व में मांग पत्र जारी ली जाने वाली राशि के लगभग बराबर ही है तथा नयी व्यवस्था में पोल एवं ट्रान्सफार्मर का पूरा खर्चा निगम द्वारा ही बहन किया जाएगा। अतः कम या ज्यादा पोल लगाने से सम्बन्धित गम्भीर शिकायतों का मूल कारण ही समाप्त हो जाएग। केवल इतना ही नहीं, बल्कि मांग पत्र जारी करने में भी कोई समय नहीं लगेगा तथा मांग पत्र की राशी जमा कराने के बाद कनेक्शन लगने वाले खम्भों एवं ट्रान्सफार्मर की कीमत वहन करने की पूरी जिम्मेदारी निगम की ही रहेगी।

अध्यक्ष महोदय, नयी कृषि नीति में किसानों को अच्छी बोल्टेज तथा लगातार विद्युत उपलब्धता की व्यवस्था की गयी है। वह सुनिश्चित करने के लिये 25 या 40 के.वी.ए. के छोटे ट्रान्सफार्मरों से कनेक्शन ट्रान्सफार्मर से अधिकतम 270 लीटर की दूरी पर होगी। इस तरह नये ट्रान्सफार्मर से 2 या 3 उपभोक्ताओं को सीधी लाइन से एरियल बंच केवल डालकर कनेक्शन दिये जायेंगे। इससे लाइन को टेप कर विद्युत चोरी की सम्भावना समाप्त हो जाएगी। इस व्यवस्था से ट्रान्सफार्मर जलने की सम्भावना भी नगण्य हो जाएगी। ए.बी.सी. के कारण बीच में से लाइनों को अनाधिकृत उपयोग के लिए प्रयोग में लाना भी सम्भव नहीं हो सकेगा। इससे विद्युत व्यवस्था में सुधार तो आयेगा ही तथा किसानों को अच्छी वोल्टेज भी मिलेगी। अध्यक्ष महोदय, मोटर चलने की घटना या ट्रान्सफार्मर जलने की घटना बीते दिनों की बात हो जाएगी।

जिस प्रकार नयी कृषि नीति में नये तकनीकी सुधारों के साथ राज्य के एक लाख 70 हजार लम्बित आवेदकों को फायदा होगा उसी प्रकार से तकनीकी से राज्य के वर्तमान 6 लाख 87 हजार कृषि उपभोक्ताओं को भी लाभ पहुंचाने के लिए राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में फीडर सुधार कार्यक्रम

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

हाथ में लिया है। राज्य में कुल 4 हजार 11 के.वी.ए. फीटर ग्रामीण क्षेत्रों में 600 फीडर पर सुधार कार्यक्रम हेतु राज्य सरकार ने इस वित्तीय वर्ष में योजना मद में अतिरिक्त 400 करोड़ रूपये उपलब्ध कराये हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में फीडर सुधार कार्यक्रम के लिये इतनी बड़ी राशि की व्यवस्था राज्य के इतिहास में पहली बार सम्भव हुई है। यह राज्य सरकार का ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों के प्रति अति संवेदनशील होने का प्रतीक है। अध्यक्ष महोदय, इस फीडर सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत मुख्य रूप से एक सौ एवं 63 के.वी.ए. के ट्रान्सफार्मर को 25 के.वी.ए. के ट्रान्सफार्मर में बदला जाएगा तथा प्रत्येक ट्रान्सफार्मर से 2 या 3 कृषि उपभोक्ताओं को ए.वी.सी. द्वारा सीधा जोड़ा जाएगा तथा फीडर के रख-रखाव का कार्य भी किया जाएगा। प्रत्येक फीडर पर सर्किट ब्रेकर तथा सब -स्टेशन पर केपिसेटर आदि की व्यवस्था भी की जाएगी। इसके ग्रामीण क्षेत्रों को सर्व रूप से निरन्तर एवं उच्च गुणवत्ता की बिजली उपलब्ध करायी जा सकेगी। इस फीडर सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत एक फीडर पर लगभग 60 से 70 लाख रूपये की राशि खर्च होगी। अतः राज्य के 600 चयनित फीडरों पर लगभग 400 करोड़ की राशि राज्य सरकार द्वारा योजना मद में उपलब्ध करायी गयी है।

फीडर सुधार कार्यक्रम के उपरान्त जिन ग्रामीण फीडरों पर तकनीकी उपाय से छीजत को 15 प्रतिशत तक घटना सम्भव हो सकेगा, उन फीडरों पर 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति की जा सकेगी तथा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में वितरण की असमानता को समाप्त कर दिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, यह वह कार्यक्रम है जो आगे चलकर 1-2 साल के अन्दर इस बात को समाप्त कर देगा कि शहर में 24 घण्टे और गांव में 8 घण्टे, यह अन्यायपूर्ण है, इस 400 करोड़ खर्च होने के बाद में जिन फीडरों पर 15-20 प्रतिशत के बीच में छीजत आयेगी उनको अवाध रूप से 24 घण्टे बिजली देने का सरकार बचत देगी। यह मैं आपको बता रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से राज्य सरकार ने किसानों को लगातार एवं उच्च गुणवत्ता की विद्युत आपूर्ति करने के लिये प्रतिबद्ध है, उसी प्रकार

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

घरेलू उपभोक्ताओं को कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिये भी संवेदनशील है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में, गत वर्ष की तुलना में 60 हजार अधिक ग्रामीण घरेलू कनेक्शन देने की योजना है तथा इसके लिये विद्युत निगमों को 50 करोड़ की अतिरिक्त राशि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी। राज्य में 71 लाख घरेलू आवास है इनमें से गत वर्ष तक 31 लाख को विद्युतीकृत किया गया था। राज्य सरकार का यह प्रयत्न है, अध्यक्ष महोदय, 71 लाख में से, 71 लाख मकान है गांवों में 71 लाख, में से सिर्फ 31 लाख को अब तक दिया गया है, 40 लाख बचे हुए है। राज्य सरकार का प्रयत्न है कि वर्ष 2012 तक शत-प्रतिशत ग्रामीण घरेलू आवासों को विद्युतीकरण किया जा सके। इस प्रकार सभी 40 लाख ग्रामीण घरेलू आवासों को कनेक्शन देने के लिये 4 हजार करोड़ रूपये की आवश्यकता होगी। इस हेतु केन्द्र सरकार से अधिक से अधिक सहयोग की अपेक्षा है।

राज्य सरकार ने अपने स्तर पर एक निर्णय लिया है कि ग्रामीण घरेलू आवास कनेक्शन देने की प्रक्रिया का सरल एवं सस्ता बनाया जाए। अत: ऐसे कनेक्शन के लिए मात्र 1500 रूपये की राशि निर्धारित की गयी है। इसमें मीटर एवं मीटर बाक्स का खर्चा भी शामिल है तथा उपभोक्ता के आवास तक विद्युत लाइन ले जाने का खर्चा भी शामिल है। राज्य सरकार यह मानती है कि मांग-पत्र की कमी राशि तय करने से तथा प्रक्रिया सरल करने से ग्रामीण घरेलू आवास कनेक्शन हेतु अधिक से अधिक आवेदक आऐंगे तथा वर्ष 2012 तक शेष 40 लाख ग्रामीण घरेल आवासों को कनेक्शन देना सम्भव होगा।

अध्यक्ष महोदय, आप चाहे गांव में कनेक्शन लें, चाहे ढाणी में कनेक्शन लें, चाहे 10 पोल लगाने पड़े, चाहे 20 पोल लगाने पड़े, चाहे नया ट्रान्सफार्मर रखना पड़े, केवल 1500 रूपये में हम कनेक्शन उपलब्ध करायेंगे। यह हमने कर लिया है और इस साल 60 हजार को हम कनेक्शन देने का तय कर चुके है।

अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण विद्युतीकरण के मामले में अन्य राज्यों की तुलना में हम आगे हैं। ग्रामीण विद्युतीकरण की पुरानी परिभाषा के अनुसार

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

राज्य में जनगणना, यह महत्वपूर्ण मुद्दा है। अध्यक्ष महोदय, जनगणना 1991 के अनुसार कुल 39810 गांवों में से 38622 ग्रामों को विद्युतीकरण घोषित किया जा चुका है। केन्द्र सरकार की नयी ग्रामीण विद्युतीकरण की परिभाषा के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में दस परसेन्ट विद्युतीकरण होना आवश्यक है। अतः इस नयी परिभाषा के अनुसार राज्य में वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर 41353 गांव हैं। जिनमें से करीब आधे ग्राम विद्युतीकृत तथा आधे ग्राम विद्युतीकृत नहीं है। यदि उचित संख्या में आवेदन प्राप्त होते हैं तो वर्ष 2007 तक सम्पूर्ण गांवों को विद्युतीकृत कर दिया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं, आपके ध्यान के लिए निवेदन कर रहा हूं कि जब हम यहां जवाब देते हैं कि 39 हजार में से 38 हजार कर दिये किन्तु अब तो नयी नीति अपने ने बदली है, उसे बदलने के हिसाब से एक गांव को विद्युतीकरण जब माना जाएगा जब उसमें 10 परसेन्ट घरों में बिजली लग जाए। पंचायत में, पंचायत समिति में या वहां का जो आयुर्वेदिक औषधालय है या वहीं के जो स्कूल है, या जो सार्वजनिक जगह है, यहां पर विद्युतीकरण हो जाए और उस गावं की एक ढाणी में पूर्व विद्युतीकृत हो जाए, उसके बाद ही उस गांव को विद्युतीकृत माना जाएगा। केवल लाइन खींचकर ट्रान्सफार्मर लगाने से अब विद्युतींकृत नहीं माना जाएगा। इस हिसाब से पहले जो विद्युतीकरण गांव थे उनके से 16 हजार गांव अब अविद्युतीकरण हो गये है। उन सब गावों को भी 2007 तक पूर्ण विद्युतीकरण इस लक्ष्य से करने का हमने तय किया है। इसके लिए हमको भारत सरकार से पैसा मिल रहा है, उसमें 60 परसेन्ट और 40 परसेन्ट का रेश्यों है। इस बार में 60 हजार ऐसे कनेक्शन की कार्यवाही कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, गत वर्षो में 15 हजार कनेक्शन प्रतिवर्ष की दर से बिजली के गरीब की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों को दिये जाते रहे हैं जबकि इस वर्ष 45 हजार कनेक्शन गरीबी की रेखा से नीचे जीवयनयापन करने वाले परिवारों को दिये जाने की योजना है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में तीन गुना है।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

अध्यक्ष महोदय, 100 दिवसीय कार्ययोजना के तहत निवर्तमान सरकार के द्वारा निर्धारित वर्ष 2003-2004 में 15 हजार कृषि कनेक्शन देने के लक्ष्य को बढ़ाकर 20 हजार कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा है, जिसके सापेक्ष में 22817 कनेक्शन जारी कर दिये गये। 52283 उपभोक्ताओ को विद्युतभार बिना कोई खम्भे एवं ट्रान्सफार्मेशन चार्जेज के बढ़ाये गये जबकि पूर्व में विद्युत भार बढाने के लिए रूपये 750 प्रति हार्स पावर लिये जाते थे। उक्त समय 51892 विद्युत सम्बन्धी शिकायतें प्राप्त हुई उनमें से 49774 का निस्तारण उसी अवधि में कर दिया गया। उक्त 100 दिवसीय कार्य योजना में मीटर सम्बन्धित 16507 शिकायतें प्राप्त हुई जिनमें से 15273 शिकायतों को निराकरण उक्त समय में कर दिया गया। शहरी क्षेत्रों में उपभोक्ताओं की विद्युती सम्बन्धी समस्याओं के तुरन्त समाधान के लिए सम्भागीय मुख्यालयों पर कॉल सेन्टर की स्थापना का निर्णय लिखा गया है। जयपुर एवं कोटा में कॉल सेन्टर्स की स्थापना की जा चुकी है तथा अजमेर, उदयपुर, जोधपुर एवं बीकानेर में काल सेन्टर स्थापना की शीघ्र कार्यवाही की जा रही है।

अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार द्वारा 40 लाख घरेलू ग्रामीण आवास कनेक्शन तथा एक लाख 75 हजार शहरी कनेक्शन उपलब्ध कराने हेतु अतिरिक्त विद्युत मांग की आपूर्ति के लिए भी योजना बनायी गयी है। मांग के अनुसार आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए छह माह में बिजली क्रय एवं उत्पादन द्वारा 223.5 मेगावाट की अतिरिक्त आपूर्ति उपलब्ध करायी गयी तथा आगामी चार वर्षो में निम्न प्रकार से अतिरिक्त आपूर्ति उपलब्ध करायी जाएगी, यह मैं इस सदन में के पटल पर इसको रख दूंगा। हर वर्ष में हम कहां-कहां से कितनी-कितनी विद्युत प्राप्त करेंगे ताकि बढ़े हुए जो लोड़ है उसको हम प्राप्त कर सकें, वह मैं सदन के पटल पर रख दूंगा।

अध्यक्ष महोदय, उत्पादित बिजली को उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए विद्युत तंत्र को सुदृढ करने के लिए राज्य सरकार उचित कदम उठाएगी। इसके लिए आगामी चार वर्षो में राज्य में 132 के.वी. की 1100 किलोमीटर लाइन, 220 के.वी. की 1400 किलोमीटर एवं 400 के.वी. की 750 किलोमीटर

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

लाइन तथा 132 के.वी. की 48, 220 के.वी. के 12 एवं 400 के.वी. के तीन नये ग्रिडस्टेशनों का निर्माण करने की योजना है। इसके अतिरिक्त पावर ग्रिड कारपोरेशन से सहयोग से निम्नलिखित अन्तराज्यीय परियोजनाओं को भी हाथ में लिया जाएगा-400 के.वी., आगरा-जयपुर डबल सर्किट, 400 के.वी. आगरा-भिवाड़ी, डबल सर्किट, 4000 के.वी. गोगा-भिवाड़ी डबल सर्किट, 500 के.वी. बलिया-भीवाड़ी, 500 के.वी. कोटा-मेड़ता, 400 के.वी. कांकरोली-जोधपुर, 400 के.वी. कांकरोली-जेरदा, 400 के.वी. आर.ए.पी.पी. कोटा-जयपुर, 400 के.वी. आर.ए.पी.पी. नागदा डबल सर्किट।

अध्यक्ष महोदय, राज्य में माह जून, 2004 में वार्षिक रख-रखाव के कारण कोटा की एक इकाई 210 मेगावाट की, कल सूरतगढ़ में एक इकाई 250 मेगावाट की बन्द हो गई थी। वर्तमान में सूरतगढ़ की 250 मेगावाट की एक अन्य इकाई पर वार्षिक रख-रखाव का कार्य चल रहा है। राज्य में वर्षा नहीं होने के कारण ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में विद्युत की मांग बढ़ गयी तथा पूरे उत्तर भारत की बढ़ी हुई मांग के कारण उत्तर ग्रिड में विद्युत संकट उत्पन्न हो गया। इस विकट समस्या को राज्य सरकार ने कुशलतापूर्वक हल करने के लिए शहरी क्षेत्रों में दिनांक 26 जुलाई, 2004 से दो-तीन घण्टे की बिजली कटौती लागू करके ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को विद्युत आपूर्ति की। उत्तरी ग्रिड में आये इस संकट के कारण दिनांक 26 जुलाई, 2004 से पूर्व ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत व्यवस्था को लेकर जो असन्तोष उभरा था वह अब नियंत्रण में है। ग्रामीण क्षेत्रों में 26 जुलाई से लेकर 3 अगस्त तक विद्युत व्यवस्था पर एक दस्तावेज तैयार है जो मैं सदन के पटल पर रखना चाहूंगा। इस दस्तावेज से यह स्पष्ट है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली व्यवस्था अब सन्तोषजनक है।

अध्यक्ष महोदय, केन्द सरकार द्वारा कोयला एवं डीजल की कीमतों में वृद्धि के कारण राज्य को कोयले की खरीद में अधिक धन राशि व्यय करनी पड़ी तथा 160 करोड़ रूपये का अतिरिक्त भार कोयला खरीद के पेटे बहन करना पड़ा। इस अचानक हुई आर्थिक हानि को आंशिक रूप से पूरा करने के लिए राज्य सरकार ने विद्युत शुल्क में 15 पैसे, 25 में से 40 पैसे की वृद्धि की

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

जिससे 60 करोड़ रूपये की राशि प्राप्त होगी। शेष लगभग 100 करोड़ रूपये की राशि का वहन निगम एवं राज्य सरकार करेगी।

अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने पूर्णरूप से पारदर्शिता बरतते हुए तथा नया दृष्टिकोण अपनाते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी गुणवत्ता की बिजली तथा कृषि के वर्षों से लम्बित आवेदकों को कनेक्शन देने तथा ग्रामीण घरेलू आवास के विद्युतीकरण हेतु योजना बनायी है। उस कार्य के लिए अधिक बिजली क्रय करने तथा तंत्र में व्याप्त छीजत को तकनीकी सुधारों द्वारा कम करने के लिए वचनबद्ध एवं प्रयासरत है।

अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने विद्युत तंत्र का सुदृढीकरण एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत व्यवस्था में सुधार का काम हाथ में लिया है। रबी की फसल के दौरान राज्य सरकार द्वारा आठ घंटे बिजली देने के निर्देश का पालन करने में विद्युत निगमों ने सक्षमता साबित की है। सदन में प्रस्तुत आंकड़े विद्युत कम्पानियों द्वारा 11 के.वी. फीडर पर लगाये गये मीटर के आधार पर तकनीकी रूप से स्थापित व्यवस्था के आधार पर है जिससे यह स्पष्ट है कि सरकार किसानों को बिजली सुचारू रूप से देने में सफल रही है। मैं आपके माध्यम से सदन को भरोसा दिलाना चाहूंगा कि भविष्य में सरकारी किसानों की बिजली व्यवस्था सुचारू रखने में पूर्व की भांति ही प्राथमिकता देती रहेगी।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से मैंने पहले जैसा वर्णन किया है कि जो हमने जनवरी से लेकर अब तक जो विद्युत सप्लाई की है, 11 के.वी. फीडर्स पर जो हमारे पास रिपोर्ट है, वह सारी रिपोर्ट हस्ताक्षरित करके मैं सदन मे पटल पर रखूंगा और जिससे कोई कहता है कि तीन आठ घंटे मिली, कोई कहता है चार घंटे मिली, इसमें तीन घंटे वाले भी है, आठ घंटे वाले भी हैं, 16 घंटे वाले भी है, सारे राज्य के सामने स्पष्ट हो जाएगा कि विद्युत तंत्र में सुधार में पिछले सात महीनों में हमने क्या प्रयास किया है और आगे क्या प्रयास करने जा रहे हैं। अभी जो माननीय सदस्यों से विचार आएगें, उन विचारों पर और जो कठिनाई आएगी उन कठिनाई का निराकरण करने के लिए मैं यहां पर आपकी आज्ञा से जवाब दूंगा।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

अध्यक्ष महोदय, संक्षेप में मुझे यह कहना है कि जब यह सरकार आयी है हमने 20 परसेन्ट अधिक विद्युत ग्रामीण क्षेत्रों में सप्लाई की है, एक। 60 हजार किसानों की हम इस बार कनेक्शन देंगे, उसकी प्रक्रिया हमने चालू कर दी है, दो। अविद्युतीकरण की परिभाषा बदल कर 16 हजार गांव जो पहले विद्युतीकरण किये जा चुके थे उनको अविद्युतीकरण घोषित कर दिया है और नये मापदण्डों के अनुसार उनको विद्युतीकरण करेंगे, तीन। इसी प्रकार से जिन फीडर्स पर 20 परसेन्ट की छीजत आएगी, 11 के.वी. पर उन फीडर्स पर 24 घण्टे विद्युत सप्लाई की व्यवस्था करेंगे। साथ ही मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा कि किसानों का बिजली का पैसा हमने नहीं बढ़ाया है, सप्लाई बढ़ाने के बाद में। पैसा बढ़ा इण्डस्ट्रीज पर बढ़ा, पैसा बढ़ा डोमेस्टिक पर बढ़ा, लेकिन कोयले के मंहगा होने के बाद, डीजल महंगा होने के बाद हमने किसानों का नहीं बढ़ाया है। मैं आपके माध्यम से पुनः सदन को कहना चाहूंगा कि आने वाले समय में हम इस तंत्र को मजबूत करेंगे, यह कार्यवाही करेंगे और सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि किसानों की विद्युत समस्या के समाधान के लिये अभी नई कृषि नीति जारी की, उसमें जो आपके सुझाव आयेंगे, उसके हिसाब से उसको ठीक करने का भी प्रयत्न करेंगे। एक को कोशिश की है कि इसको सरलीकृत कर दिया जाये ताकि किसानों को बार-बार तख्मीना बनाने के लिये आठ एम.बी.ए. कारण से या किसी भी कारण से किसानों को डिमाण्ड नोटिस जारी होने से नहीं रोका जाये। इसके अलावा मैं दो बात और कहना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय, यह भी कोई न्याय नहीं है, पहले हम यह कहते थे कि नर्सरी का कनेक्शन कराया इसको दो साल बाद में चेन्ज कर देंगे। फिर यह नियम कर दिया कि दो साल बाद नहीं, दस साल बाद जब इसका प्रोयोरिटी पर नम्बर आयेगा तब होगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा एक इसी प्रकार से फार्म हाउस की समस्याएं हैं जिसमें कनेक्शन किये गये है। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करनां चाहूंगा, सरकार ने तय किया है वह निर्देशित करे। पहले जो कनेक्शन नर्सरी और अन्य योजनाओं में लिये गये हैं उनको आने वाले दो सालों में सामान्य श्रेणी के विद्युत कनेक्शनों

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

में बदल दिया जाएगा। नम्बर दो, जो फार्म हाउस है, शहरी क्षेत्र के जो फार्म हाउस को छोड़कर उसको हम नहीं छोड़गे, ग्रामीण क्षेत्र के जो फार्म हाउस हैं, उन फार्म हाउसों में जो आठ घण्टे के ब्लॉक पर है कृषि के समान उनसे लेगें, दो वर्षो में उनको भी बराबर कर देगें और जो 12 घण्टे के ब्लॉक में हैं, उनको 1.60 रूपये के हिसाब से, यह हमने तय किया है यह दो बड़ी समस्याओं थी। इनका निराकरण होने के कारण बाद अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि विद्युत के क्षेत्र में जिस प्रकार का प्रयत्न इस सरकार ने किया हे प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य अगर अपने हृदय पर हाथ रखकर बात करेंगे तो जरूर सरकार को धन्यवाद देगें। इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा) : 60 हजार कनेक्शन लेगें, यह सही तो कहा है पर आपने उसमें लिखा 62 हजार कनेक्शन....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री जुबेर खान।

श्री सुरेन्द्र गोयल : एक मेरा यह निवेदन है कि पहले यह था कि जिनके कुओं में पानी नहीं है और जिन कुओं को कनेक्शन कट गया है, वह कभी भी जुड़वा सकता है क्या ....(व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी : टाइम कम लेलें। हमारे कोई तकलीफ है तो बाद दें हम भी। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : करेंगे, हां वह भी करेंगे। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने अभी जो वक्तव्य दिया है सदन में, मैं बड़ी जिम्मेदारी से और गांव के लोगों के बीच में रहने के आधार पर कहता हूं कि जो आज यह कह रहे हैं कि आठ घण्टे बिजली आ रही है। यह बिलकुल असत्य है। तीन घण्टे, चार घण्टे से ज्यादा बिजली आज की तारीख में नहीं आ रही है। मेरा दूसरा निवेदन है..... (व्यवधान)...आप चुप रहिये। यह कोई तरीका नहीं है। हमने चुपचाप सुना है मंत्रीजी को। आप बोलो जब कहियेगा।

श्री हेमाराम चौधरी : आप सुनते क्यों हो..(व्यवधान)...

श्री जुबेर खान : सुनने की हिम्मत ही नहीं है। बाहर गैलेरी में तो कहेंगे हमारे जूते लगेंगे, क्षेत्र में जाएगें बिजली को लेकर और वहां यहां असत्य कहते रहते हैं। यह सत्य नहीं कि दिसम्बर से पहले बिजली कम आ रही थी चुनाव से पहले....(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : माननीय सदस्य, क्या बोल रहे हैं....(व्यवधान)

श्री जुबेर खान : आठ घन्ट बिजली लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में आ रही थी। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंता हूं....

श्री मदन दिलावर : इस सदन में तमीज से बोला जाता है। यह जूते मारने की बात कह रहे हैं। उनको बोलने की तमीज नहीं कैसे बोलते हैं। कैसे बोलते हैं ?....(व्यवधान)...यह सदन है। मर्यादित भाषा में बोलो। क्या है यह ?....(व्यवधान) .... जूते मारने की बात करते हैं कौन करता है ?...(व्यवधान)...

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था करिये। आप मंत्री महोदय को बैठाइये।...(व्यवधान)

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : यह चर्चा में व्यवधान डाल रहें है मंत्रीजी।

श्री रघुवीर सिंह मीणा : मंत्रीजी ने अपने कमीज फाड़कर यहां फेंका था। आज यह तमीज की बात कर रहे हैं। उन्होंने अपना कमीज फाड़कर यहां फेंक दिया था।....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : राजसमन्द से आने वाले माननीय सदस्य। आप राजसमन्द से आते हैं ने ? मैं पुकार रही हूं राजसमन्द से आने वाले माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण कर लें। प्रतिपक्ष से कोई माननीय सदस्य बोलते हैं, वह कुछ भी बोले, गलत बोले, सही बोले, आपको मंत्रीजी जवाब देंगे। तीन घण्टे हैं, चार घण्टे हैं, आप क्यों बीच में खड़े होकर व्यवधान पैदा करते हैं ? (व्यवधान) असंसदीय शब्द जो होंगे उसके बारे में कोई भी बीच में नहीं बोले। माननीय त्रिवेदी जी आपको क्या हो गया है ? जब मैं कह रही हूं तो आप क्यों बोल रहें है ? आप आसन का काम करने लग गये। मैं निवेदन कर रही थी जैसा जो बोले, बोलने दीजिये। आपके मंत्रीजी सक्षम है तीन घण्टे मिल रही

(श्री अध्यक्ष)

है, आठ घंण्टे मिल रही है, वह बतायेंगे बाकायदा। आप क्यों बीच में टोकते है क्योंकि बोलने वाले पांच और बढ़ गये हैं। इसलिए मैं दस मिनट से आठ मिनट का समय कर रही हूं। पांच और बढ़ गये हैं। नहीं, आठ मिनट का समय कर रहीं हूं और आठ मिनट के समय में अपनी बात समाप्त कर देनी है। सात मिनट में घंटी बजेगी और सात मिनट के बाद एक मिनट में आपको अपना भाषण कन्क्यूड कर देना है।

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, चूंकि यह समय तो गया। 1.55 बजे हुए हैं अभी।

श्री अध्यक्ष : हां जी, नोट कर लिया मैंने।

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, मैंने कोई असंसदीय भाषा नहीं कही। मैंने यह कहा कि हमने बड़ी तसल्ली से जवाब सुना है। आप सुनिये कोई गलत बात है तो मंत्रीजी जवाब देंगे। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा मंत्री महोदय ने.....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : हलाहल आप भी मत करो। हलाहल आप भी मत बोलो। थोड़ा ही करो ना। हलाहल मत करो। थोड़ा बहुत तो आप कर लो लेकिन एकदम ही करोगे तो काई उत्तेजित होकर बोलेगा। बोलिये-बोलिये।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : मैं निवेदन करात चाहूंगा मंत्री महोदय ने अभी नई कृषि नीति जून, 2004 की चर्चा की। इसमें माननीय मंत्री महोदय ने काश्तकारों के साथ, छोटे काश्तकारों के साथ और खास् तौर से पूर्वी राजस्थान काश्तकारों के साथ अन्याय किया है। एक तरफ़ तो कहते हैं कि मीटरिंग होनी चाहिए और जितनी बिजली कोई इस्तेमाल करता है उतना ही खर्चा देना चाहिए और यहां आज की तारीख में जो इस नीति के पहले साढ़े सात हार्स पावर की मोटर के ऊपर जो खर्चा आता था, 15 हज़ार रूपये मिनिमम खर्चा आता था, आज की तारीख में वह 28 हजार रूपये कर दिया है। मैं निवेदन करना चाहूंगा आज की तारीख में कोई उपभोक्ता, कोई किसान अगर टेपिंग कनेक्शन लेना चाहता है, एक पोल का कनेक्शन लेना चाहता है उसको भी 28

(श्री जुबेर खान)

(समय 13:57)

(श्री रामनारायण विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासन)

हजार रूपये देने पड़ेंगे और कोई 10 खम्भे का लेना चाहता है उसको भी 28 हजार रूपये देने पड़ेंगे। मेरा यह आरोप है मंत्री महोदय कि आपने कुछ जिलों को फायदा पहुंचाने के लिये छोटे किसानों के साथ और पूर्वी राजस्थान के किसानों के साथ अन्याय किया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा आपने कहा कि गत सालों से ज्यादा हमने किया आपने पावर कट जुलाई में किया। जब आपको पता था कि बरसात नहीं हो रही है, किसानों को बिजली की जरूरत पड़ रही है। आपको कोटा और सूरत की यूनिटस को बरसात के बाद में शट डाउन में लेना चाहिये था। आपने तब भी किसानों के साथ ज्यादती की। आपने कहा हमने 15 पैसे प्रति यूनिट ड्यूटी लगाई। कोयले की कीमत आप बता रहे हैं 107 करोड़ रूपये बढ़ी तो आप तो इससे 200 करोड़ रूपये किसानों से लेने जा रहे हैं। आप 107 के बदले 200 करोड़ का भार किसानों पर डाल रहे हैं और मंत्री महोदय, ड्यूटी वहां लगती है जहां मुनाफा होता है। इम्पोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी, आपको सरेआम बढ़ाना था, ऐसे बढ़ाते। आपने ड्यूटी के नाम से कर दिया। कभी घाटे की कम्पनियों में ड्यूटी नहीं लगाई जाती। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि बिजली की सप्लाई जो आज की तारीख में है, यह कांग्रेस की देन है। आपने तो आठ माह में जो किया है मैं बताऊंगा। कांग्रेस ने जब सत्ता संभाली थी 1998 में तो इन्स्टा केपेसिटी 3350 यानि 3350 मेगावाट थी। उसमें हमारे प्रदेश का अपना उत्पादन था। 1300 करोड़ के लगभग और बाकी 2050 के लगभग केन्द्र की, एन.टी.पी.सी. और बाकी राज्यों में हमारा हिस्सा है, वह था। 3350 मेगावाट थी, कांग्रेस की सरकार आने के बाद 2003 में 3350 मेगावाट बढ़कर 5050 मेगावाट किसने की, किसकी सरकार थी ? यह कांग्रेस की सरकार ने की। इसमें मैं निवेदन करना चाहूंगा जहां 1998 में....(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। मैं कोई गलत बात नहीं कर रहा हूं। तथ्यों के आधार पर कह रहा हूं और गलत बात कर रहा हूं तो मंत्री महोदय जवाबद दे देंगे। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि लगभग 1700

(श्री जुबेर खान)

मेगावाट की बढ़ोतरी कांग्रेस की सरकार ने 1998 से 2003 तक की और इसमें जहां 1998 में 1300 मेगावाट हमारा उत्पादन था और 2000 से ऊपर दूसरे केन्द्र की योजनाओं का और दूसरे राज्यों का था, वहां जो 1300 हमने बढ़ाई 1302 तो हमने अपनी बढ़ाई और इसमें खाली 400 मेगावाट केन्द्र की योजनाओं और दूसरे प्रान्तों की बढ़ी है जो 2020 थी, 1300 के पेटे, वह 1302 के पेटे सिर्फ 400 बढ़ी है।

इसमें आप अन्दाजा लगा सकते है कि तत्कालीन सरकार ने 1999 से 2003 के बीच में बिजली पर कितना काम किया है। 50 वर्षो में जहां हमारे प्रदेश का उत्पादन 3300 मेगावाट था वह हमने पांच वर्षो में बढ़ा कर 3302 कर दिया और जो बिन्ड पावर है, पवन ऊर्जा है 150 से 200 के बीच में उसका ट्रान्समिशन यह सरकार 8 महीने में कर नहीं पायी है। आज वहां बिजली पैदा हो रही है, ट्रान्समिशन ठीक से नहीं हो रहा है।

दूसरा, मेरा निवेदन है कि यह कहेंगे कि हमने भी किया था, मैं यहां सदन में यह भी क्लीयर कर देना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, जब कांग्रेस ने सत्ता संभाली थी तो सूरतगढ़ में 250 मेगावाट की फर्स्टयूनिट अण्डर कन्स्ट्रक्शन थी यह कह सकते हैं कि 250 मेगवावाट में तत्कालीन बी.जे.पी. की सरकार का 1990 और 1998 के बीच में योगदान रहा लेकिन यह सूरतगढ़ का सैकण्ड, थर्ड, फार्थ और फिफ्थ यूनिट है, यह चारों यूनिट्स जिनमें एक हजार मेगावाट बिजली बनी, यह कांग्रेस के समय में शुरू और कांग्रेस के समय में पूर्ण हुई। इसी तरह से कोटा में छठी इकाई कांग्रेस के समय में हुई जिसमें 200 मेगावाट बनी। रामगढ़, जैसलमेर की सैकण्ड और थर्ड यूनिट, जिसमें 70 मेगावाट बनी, पवन ऊर्जा से 150 से 200 के करीब बनी, इस तरह से 1400 मेगावाट से ऊपर कांग्रेस की सरकार के समय बिजली बनी है।

अभी इन्होंने बजट में जिन दो योजनाओं का जिक्र किया है एक बाड़मेर की गिराल और एक धौलपुर की 125 की गिराल, बाड़मेर की है और 250 मेगावाट की धौलपुर की है, जो कांग्रेस के समय में शुरू हो गयी। इसके आलावा राज्य सरकार ने कोई प्रावधान बिजली के उत्पादन के लिए नहीं रखा।

(श्री जुबेर खान)

उपाध्यक्ष महोदय आप अच्छी तरह से जानते है कि कोई भी इकाई का कार्य शुरू करने के लिए कम से कम चार साल आपको चाहिए जब बिजली का उत्पादन कर पायेंगे। जब आज आप शुरूआत नहीं कर रहें, कोई नया प्लान्ट लगाने की योजना नहीं बना रहे तो आप कैसें कह सकते है कि 2007 में हम बिजली शुरू कर देंगे ? कनेक्शन दिये जायेंगे बिजली कम हो पायेगी। आपने कहा की हम क्रय करेंगे, क्रय कहां से करेंगे ? उत्तर ग्रिड के अलावा आपके पास है क्या ? उत्तरी ग्रिड में राजस्थान के अलावा हरियाणा है, हिमाचल है, पंचाब है, जे.एण्ड के. है, दिल्ली है और उत्तरप्रदेश है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हिमाचल के अलावा सारी जगह बिजली की पहले ही मारामारी है, जब वहां मारामारी है तो उत्तरी ग्रिड के पास बिजली कहां से हम ले पायेंगे ? यह सरासर धोखा है यह कहना असत्य है कि नोर्थ ग्रिड से हम बिजली खरीद पायेंगे। जहां चार-चार, पांच-पाचं स्टेट पहले ही त्राहि-त्राहि कर रहें है। बिजली के लिए, पानी के लिए, मैं नहीं समझता कि उत्तरी ग्रिड से हम बिजली खरीद पायेंगे।

हमको राजस्थान के इन्टरेस्ट में पार्टी से ऊपर उठ कर, राजनीति से ऊपर उठ कर के आज यह सोचना पड़ेगा अगर हम राजस्थान को आत्मनिर्भर बनाना चाहते है बिजली के मामले में, ऊर्जा के मामले में तो हमे कठोर कदम उठाने पड़ेंगे, हमें नयी परियोजना लानी पडेगी, नये प्लाटस लगाने पड़ेंगे ताकि हम अपने ऊपर सक्षम हो सकें।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यहां यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आगामी पांच वर्षो में लगभग 1250 मेगावाट की मांग बढेगी और 500 मेगावाट की पहले से ही कमी है, यह 1750 मेगावाट के करीब कभी हो गयी तो 1750 मेगावाट की कमी आप कहां से पूरी करेंगे जब तक बिजली का उत्पादन नहीं करेंगे ? मंत्री महोदय, अपने जवाब में यह जरूर बताइयेगा।

कांग्रेस की सरकार ने पांच वर्षो में नैट 8 हजार करोड़ का खर्चा किया था पावर सैक्टर के ऊपर। यह गम्भीरता से देखिये, उपाध्यक्ष महोदय, यह सकरार कितनी संवेदनशील है कि 8 महीने में तो ऊर्जा मंत्री नहीं बन पाये जो

(श्री जुबेर खान)

पूरा ध्यान दे पाये ऊर्जा डिपार्टमेन्ट पर बिजली सुधार पर, बिजली के उत्पादन पर। आज तक 8 महीने में इनका यह साचे है बिजली के प्रति और ऊर्जा के प्रति। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप बहुत विरोध करते थे कम्पनियों का कि कम्पनियां गलत बनाई जा रही है, आपके नेताओं ने चुनाव में भी बहुत भाषण दिये थे कि कम्पनियां बन्द कर देंगे और बोर्ड दोबारा बना देंगे, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि 1990 से 1998 के बीच में आर.एस.ई.बी. जो बोर्ड था उसके रेवेन्यू के एस्टेब्लिशमेन्ट के ऊपर खर्चा होता था 17 परसेन्ट तनख्वाह वगैरह पर और एस्टेब्लिशमेन्ट पर जो बिजली कम्पनियां बनने के बाद में बिजली कम्पनियों के रेवेन्यू का यह एस्टेब्लिशमेन्ट खर्चा सिर्फ 11 परसेन्ट रह गया। कम्पनियां बनने से बिजली बोर्ड की जगह उनको फायदा हुआ है, मंत्री महोदय, कोई नुकसान नहीं हुआ है। स्टॉफ कोई बढ़ाया नहीं है और बिजली कम्पनियों के एम.डी. को उतना ही तनख्वाह मिलती है, जितनी आपके टैक्निकल मैम्बर को बोर्ड के समक्ष में मिलती थी, कोई ज्यादा भार उसमें नहीं बढ़ाया है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, समय सीमा का आप थोड़ा पालन करेंगे, आपने 1.55 से शुरू किया था। फिर यह सीमा का उल्लंघन होने के बाद....(व्यवधान)

श्री जुबेर खान : उपाध्यक्ष महोदय, अभी कन्क्लूड कर रहा हूं, मैं रिलेवेन्ट बोल रहा हूं, राज्य के हित में बोल रहा हूं और मंत्रीजी को सुझाव भी दे रहा हूं, और मंत्रीजी को सुझाव भी दे रहा हूं।

श्री संयम लोढ़ा : आप सरकार के हित में नहीं बोल रहे हो।

श्री जुबेर खान : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कन्क्लूड कर रहा हूं। आप बिराजिये। उपाध्यक्ष महोदय, बिजली बोर्ड का घाटा 1990 से 1998 के बीच में 100 करोड़ रूपये था, 1990 से पहले जब तत्कालीन भाजपा की सरकार आयी 100 करोड़ रूपये का घाटा था, 1998 में यह घाटा बढ़ कर 1750 करोड़ हो गया 8 साल में। हमारी सरकार ने इस 1750 करोड़ के घाटे को 2003 में

(श्री जुबेर खान)

1550 करोड़ तक कम किया, यानि 1750 से 1550 करोड़ रह गया, बल्कि उस समय जो बिजली के ऊपर खर्चा किया वह भी अलग से किया। हमने पांच साल में घाटा कम किया है जो तत्कालीन सरकार ने 1998 में किया, 1750 करोड़ से कम करे के 1550 करोड़ कर दिया। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मेरी यह जानकारी है, मंत्री महोदय यह करेक्ट कर दें, कि 8 महीने में यह घाटा बढ़ कर 2200 करोड़ से ऊपर जाने वाला है।

एक टी.एण्ड.डी. लोसेज की बात की, मंत्री महोदय, बड़ी बच्छी बात है अगर आप टी.एण्ड.डी. लोसेज कम कर दें। टी.एण्ड.डी. लोसेज को कम करने के लिए कांग्रेस की सरकार ने 850 जी.एस.एस. बनाये थे जिनमें 400 के.वी. जी.एस.एस. भी थे, 220 भी थे, 132 भी थे और 33 के.वी. भी थे। पांच साल में 850 बनाये हैं, यह एक रिकार्ड है। आज तक कहीं नहीं बने और तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयीजी ने राजस्थान के बिजली सुधार कार्यक्रमों की सराहना की थी राजस्थान का हिन्दुस्तान में पहला स्थान आया था। आज वह खिसक कर छठे स्थान पर पहुंच गये आठ महीने में, यह आपकी देन है बिजली की।

क्या कांग्रेस सरकार में 12 लाख कनेक्शन नहीं दिये गये, क्या दो हजार गांवों को विद्युतीकरण नहीं किया गया, क्या 650 एस.टी. की कॉलोनियों की बिजली की सुविधा प्रदान नहीं की गयी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करता हूं कि 1997-98 में टी.एण्ड.डी. लोसेज लगभग ओफिशियल चाहे कुछ, अनओफिशियल 50 परसेन्ट के करीब थे और 1996 से 1998 के बिल मंगवा लीजिये झालावाड़ के, बारां के, कोटा के, भरतपुर के, धौलपुर के अलवर के, झुन्झुनूं के और नागौर के 1996 से 1998 के बीच में अगर 45 और 50 परसेन्ट से कम छीजत वहां आपको नजर आ जाए तो आप मुझे कह दीजियेगा। यह मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं। इतनी छीजत थी जिसको कम कर के कांग्रेस सरकार में 40 और 42 परसेन्ट पर लेकर आये। आपने घोषणा की, बड़ी अच्छी की कि 15 परसेन्ट की छीजत जहां आ जायेगी, आप यह बताएं कि जयपुर जैसी जगह में भी 20 से 25 के बीच से कम छीजत नहीं कर पाये आप।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : 20 प्रतिशत।

श्री ज़ुबेर खान : 20 प्रतिशत से कम जब जयपुर शहर में आप नहीं कर सकते तो ग्रामीण एरिया में कैसे कल्पना कर सकते हैं कि 33 के.वी. जी.एस.एस. पर 15 परसेन्ट तक के टी.एण्ड डी. लोसेज को ले आयेंगे ? नहीं ला पायेंगे, यह खाली आपकी घोषणाओं के अनुरूध घोषणा है कि पूरा कोई नहीं कर पायेगा ग्रामीण क्षेत्र और आपको देना नहीं पड़ेगा।

डा. एन.एस. गुर्जर : माननीय जुबेर खानजी, आंकड़े गलत मत दो, यह हमारे राज्य में 24.93 परसेन्ट थे टी. एण्ड. टी. लोसेज, आपके बढ़ कर हो गये 42.61 परसेन्ट। क्या बात कर रहे हो।

श्री ज़ुबेर खान : एक मिनट। माननीय सदस्य, यह टी.एण्ड डी. लोसेज का एक्जुअल पता तो कम्पनियां बनने के और बिजली सुधार कार्यक्रम लागू होने के बाद पता चला है, पहले तो टी. एण्ड. डी. लोसेज के बारे में आम आदमी को जानकारी तक भी नहीं थी।

डा. एन.एस. गुर्जर : कैसे नहीं थी, यहां विधान सभा में खूब सवाल पूछे हैं।

श्री ज़ुबेर खान : इसलिए आपके इन्जीनियर कह देते थे यह इतना टी. एण्ड डी. लोसेज है जबकि वास्तव में टी. एण्ड डी. लोसेज 40 से लेकर 50 तक....(व्यवधान)..

डा. एन.एस. गुर्जर : यह शुरू से ही थे और हमारे पास ईयरवाइज 1990 से 1991 से आंकडे है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री ज़ुबेर खान : यह मैं मानता हूं।

एक माननीय सदस्य : 40 परसेन्ट से कम कभी था ही नहीं।

श्री ज़ुबेर खान : मैं यह मानता हूं देशभर का 23 परसेन्ट और राजस्थान का 29 परसेन्ट आंका गया था। लेकिन मैं कहता हूं जब तक यह सुधार लागू नहीं हुआ था जब तक वास्तविक लोस चालीस से पचास प्रतिशत

(श्री जुबेर खान)

के बीच में था। आंकड़ो में आप चाहे कुछ भी कहिए, इन्जीनियर आपके चाहे कुछ भी दे दें लेकिन सच्चाई यह है टोडारायसिंह से आने वाले माननीय सदस्य।

उपाध्यक्ष महोदय, एक मामला डिमाण्ड और सप्लाई का है। जितनी मांग होगी उसी हिसाब से पूर्ति कैसे करेंगे, 1998 में हजार से 1200 मेगावाट का अन्तर था डिमाण्ड और सप्लाई में। 2003 में यह अन्तर सिर्फ 500 मेगावाट रह गया पांच साल में, इससे अन्दाज सरकार थी 1999 से 2003 के बीच में, यह मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, कौन मुख्य मंत्री थे, कौन ऊर्जा मंत्री थे, यह मुझे बताने की आवश्यकता हनीं है। इसमें यह भी है कि 500 से कम की और हमारी सरकार ने 1200 से कम करके 500 की और इसमें यह भी डिमाण्ड थी जो हर साल लगातार 250 मेगावाट के करीब बढ़ती है वह डिमाण्ड भी सप्लाई की और 1250 से 500 लाए। यह एक बहुत बड़ी देन है।

आज बिजली कम्पनियों के लिए मैं एक सुझाव देना चाहूंगा। हम पापुलर स्टेप कुछ भी ले लें लेकिन आज क्या स्थिति है ? नौ हजार करोड़ रूपये का लोन है बिजली कम्पनियों पर, सात हजार करोड रूपये घाटा है, सोलह हजार करोड़ के घाटे को आप कैसे पूरा करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपके करीब पन्द्रह मिनट हो गए हैं।

श्री जुबेर खान : एक मिनट कन्क्लूड कर रहा हूं। इस घाटे को आप कैसे पूरा करेंगे ? इन बिजली कम्पनियों के पास भी कोई मीटर तो है नहीं, ऑन किया और बन गयी। उसके लिए पैसा भी चाहिए, साधन भी चाहिए, सरकार की इच्छा शक्ति भी चाहिए, सरकार का सपोर्ट भी चाहिए। या तो आप इनकी सब्सिडी बढ़ाइये। क्यों नहीं बढ़ाते आप सब्सिडी ? अगर आप चोरियों नहीं रोकना चाहते, अगर आप छीजत नहीं रोकना चाहते, आप दरें नहीं बढाना चाहते, यह सही बात है नहीं बढ़ानी चाहिए। सरकार को इन कम्पनियों को सब्सिडी देनी चाहिए। कम्पनियां बनने के बाद बिजली में जितना सुधार हुआ है उतना पहले कभी नहीं हुआ।

मैं कन्कल्यूड करूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो यहां कहा....

डा. एन.एस. गुर्जर : कम्पनियां बनाने में कमीशन कितना दिया ?

श्री जुबेर खान : क्योंकि एक्ट तो आपने बनाया था आपने जो लिया होगा, ले लिया होगा। एक्ट तो आपकी सरकार ने बनाया था और आप तो माननीय सदस्य थे। बीज तो आप ने बोया था हम तो उसकी फसल काट रहे हैं। बीज तो आप ही बोकर गये थे।

श्री धर्मपाल चौधरी : आप उसको सही मानते। आपको मानने की कौनसी जरूरत थी ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य बीच में नहीं।

श्री जुबेर खान : एक लास्ट बात कहूंगा और आधा मिनट में कन्क्लूड कर रहा हूं, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : आप समाप्त कीजिए माननीय सदस्य।

श्री जुबेर खान : मैटर तो बहुत है। आर.ए.पी.पी. रावट भाटा एटोमिक प्लानट....

श्री संयम लोढ़ा : टेण्डर किसने दिया था ? आपने ही किया था, वाटर हाउस कूपर्स का टेण्डर किसने किया था ?

डा. एन.एस. गुर्जर : हमने नहीं किया था। आप लोगों ने ही किया था और आप लोगों ने ही पैसा दिया था (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बीच में नहीं।

श्री जुबेर खान : उपाध्यक्ष महोदय, आपने कई बार टोक दिया, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा। मैं अपनी तैयारी को शार्टकट करके अन्तिम बात कहने जा रहा हूं। रावटभाटा एटोमिक पावर प्लान्ट जो है वहां हमारा 100 मेगावाट इस सरकार ने मध्यप्रदेश को छोड़ दिया। हमें उम्मीद थी, कि मुख्य मंत्रीजी क्योंकि महिलाएं दहेज लेकर ससुराल आती हैं, हमें नही पता था यह ससुराल से उल्टा पीहर में जाएगा, 100 मेगावाट राजस्थान का हिस्सा जनवरी-फरवरी में मध्यप्रदेश को छोड़ा गया। एक तरफ तो आप 5 रूपये पर यह ओवर ड्रा कर रहे हैं ग्रिड से खरीद रहे हैं और 2.80 पैसे रेट की हमारी बिजली

(श्री जुबेर खान)

100 मेगावाट जो आनी चाहिए उसको मध्यप्रदेश से रोक नहीं रहे, आप ले नहीं रहे हैं। आप यहां कहेंगे 2.80 पैसे रेट ज्यादा थी, तो जनवरी-फरवरी में तो केन्द्र में सरकार आपकी थी, आप कम करा लेते इसको। यह बिलकुल गलत बात है आपने हमारी 100 मेगावाट, यहां हमारे किसान और हमारे राजस्थानवासी तरस रहें है और 100 मेगावाट मध्यप्रदेश को छोड़ रखी है। माननीय मंत्री महोदय, 100 मेगावाट को आप अपने राजस्थान के हिस्से में लीजिए। यह भी हमारा हक है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपने यह जो विसंगति की है।

एक नई कृषि नीति और देखिए, आपने कह दिया दो साल पहले जिनका कनेक्शन कट गया वह अब री-कनेक्शन नहीं करा सकते। इसमें मंत्री महोदय ऐसे केसेज भी जिनके ड्यूज जमा हो गये खाली आर.सी.। आपने 24 जून को कृषि नीति लागू की और इनती जल्दी तो दफ्तरों में पहुंच भी नहीं पाते आपके आदेश। आपने कह दिया 30 जून से पहले जिसने दरख्वास्त दे दी, जिस आदमी ने पन्द्रह साल पहले कुएं के कनेक्शन के लिए आवेदन किया था आज वह कुआं सूखा पड़ा है और आप कहते है हम आप उसको चेन्ज नहीं करेंगे। आप जिस तरह का अन्याय किसानों के साथ करना चाहते है ? आज वहा कुआ सूखा हुआ है। दूसरे खसरा नम्बर में कुआं या ट्यूबवेल कर लिया, उस पर आप अलाऊ नहीं कर रहें, यह आप अलाऊ करिये। दो साल से ज्यादा जो कनेक्शन कटे हुये है अगर ड्यूज जमा है तो, आप उनको छह महीने का समय दीजिये कि हम आपको छह महीन का समय देते है या तो आप आर.सी.सी करा लीजिये वरना फिर आप इसके एन्टाइटल नहीं होंगे।

एक निवेदन ओर करना चाहूंगा, पहले तो बिजली कनेक्शन गांव-गांव जाकर अधिकारी लगते थे...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बार-बार एक-एक मिनट कर रहे हैं। समाप्त कीजिए।

श्री जुबेर खान : एक लाइन का सुझाव है। पहले जमीन की बात नहीं थी। लोगों को पहले तो आपने बीस साल पहले गैर खातेदारी की जमीन में कनेक्शन दे दिये। वह कुए सूख गये आज अपनी निजी खातेदारी में शिफ्टींग

(श्री जुबेर खान)

करना चाहते है, आप शिफ्टींग होने नहीं दे रहे है। यह बात तो सही लगती है कि खातेदारी से गैर खातेदारी में ले जाएं, मत करने दीजिये लेकिन गैर खातेदारी से आपके बोर्ड ने कनेक्शन कर दिया, बीस साल वह उपभोक्ता रह लिया, लगातार बिल दे रहा है और आज उसका कुआं सूख गया, वह अपनी खातेदारी में, निजी में ट्यूबवेल या कुआं खुदवाता है, वहां उसको शिफ्टींग के लिए आप अलाऊ नहीं कर रहे। यह ह्यूमन जस्टिस के खिलाफ है। आप उनको अलाऊ करिए। यह सुझाव है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज पहली बार तो मैं बोला।

श्री उपाध्यक्ष : आप तो रोज ही बोलते है पहली बार थोड़े ही बोले हैं। बहुत अच्छा बोलते हो। श्री विष्णु मोदी।

श्री विष्णु मोदी (मसूदा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय अभी रामगढ से आने वाले श्री जुबेर खान जी बहुत जोर-जोर से बोल रहे थे कि हमने सूरतगढ़ में दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, हमने कोटा में छठी...

श्री जुबेर खान : हम अगर जोर से नहीं बोलते तो आप वहां डेपुटेशन कैसे पूरा करते।

श्री विष्णु मोदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भेल (बी.एच.इ.एल.) से बगैर टेन्डर किए, पांच साल पहले जो सरकार 1998-2003 में थी उससे इस राजस्थान को करोड़ो अरबों का भेल (बी.एच.ई.एल.) को बगैर टेण्डर किए और तो और जाते जाते गिराल और धौलपुर का भी टेण्डर करके गए भेल (बी.एच.एल.) को।

मेरा सदन के माध्यम से आरोप है कि बी.एच.ई.एल. को आगे कोई नेगोसिएशन से पावर प्रोजक्टर नहीं लगाने दिया जांए और टेण्डर किया जाए। उस कांग्रेस की सरकार ने एक टेण्डर नहीं किया, जितनी यूनिट लगाई वह सब नेगोसिएशन किये और गिराल में पाइप लाइन में क्या भेल (बी.एच.ई.एल) में कितना इन्होंने मखौल बनाया, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस ने इस देश के साथ बिजली के सेक्टर में कैसे मखौल बनाया है वह मैं आपको बताना चाहता हूं।

(श्री विष्णु मोदी)

उपाध्यक्ष महोदय, यह बिजली कांकरेट लिस्ट में है इसलिए बार-बार इसमें सैण्ट्रल गवर्नमेन्ट का जिक्र आएगा। मैं आपके माध्यम से प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहता हूं कि मैं जो कुछ भी बोलने जा रहा हूं वह सब रेफरेन्स मैने टेबिल कर दिए, आप बड़े आराम से उनको देख लीजिये। मैं बगैर रेफरेन्स के एक शब्द भी नहीं बोलूंगा। पिछले 57 साल से इस पावर सैक्टर के साथ खिलवाड़ हो रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, इस देश में 24 जुलाई, 1889 में सबसे पहले बिजली का बल्ब जला था कलकत्ता में, वहां ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने लाइसेन्स जारी कर दिया तो 1902 में बिजली का कारखाना लगा कलकत्ता में और उसके बाद में बम्बई में।

मैं यहां इसलिए कहना चाहता हूं कि दुनिया की सबसे ट्रान्समिशन लाइन शिवा सुन्दरम से लेकर कोराल गोल्फीड, जो अब कर्नाटका में है वह खींची गयी। उपाध्यक्ष महोदय, उस वक्त जो बिजली की रेट थी वह एक रूपया यूनिट थी और लन्दन में भी एक रूपये यूनिट थी। आज दुनिया के जितने विकसित देश में है उनमें बिजली की कीमत क्या है, डेढ़ रूपया, मैंने पौन दो रूपया, कहीं 75 पैसे, एक रूपया और यहां जो बिजली की दर है उससे आप भली-भांति परिचित है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सन् 1947 में देश आजाद हुआ तो हमने 1948 में इलेक्ट्रिसिटी एक्ट बनाया और उस एक्ट की कॉपी कर लाये जो 1926 में इग्लैण्ड में बना था। उस एक्ट के मुताबिक यह सारा सेक्टर बिजली का क्लोज सर्किट था, क्लोज नेट था कि स्टेट गवर्नमेन्ट करेगी या सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट करेगी तो उसमें वह चलता रहा। गड़बड़ कहां हुई ? तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने एन.टी.पी.सी. बनाया, एटोमिक एनर्जी कारपोरेशन बनाया और पावर फाइनेन्स कारपोरेशन बनया। यह सब 1948 की गतिविधियों रहीं कि प्लान में एलोकेशन किया और एक थम्ब रूल बनया कांग्रेस गवर्नमेन्ट ने, यूनियन गवर्नमेन्ट ने की जितनी ग्रोथ होगी उससे डेढा हम पॉवर जनरेशन करेंगे। 1960 में 1970 में देश की ग्रोथ रेट साढ़े तीन परसेन्ट थी। उसके हिसाब से प्लान एलोकेशन 5 से 6 परसेन्ट तक करते गये। 70 तक सब ठीकठाक था। सन् 80 के दशक में क्या हुआ कि भारत सरकार ने अंधाधुन्ध

(श्री विष्णु मोदी)

कर्ज लेना शुरू कर दिया और उसकी परिणति यह हुई कि हमारी ग्रोथ रेट बढ़ी और साढे छह से सात प्रतिशत हो गयी 1980 से 1990 के दशक में। एलोकेशन बढ़ा नहीं पावर सेक्टर में तो हम डेफिशियेट होते चले गये। डेफिशियट होने की स्थिति यह आयी कि पॉवर कट इस देश में सन् 1970 के दशक के बाद शुरू हुआ। इस सबकी कांग्रेस सरकार जिम्मेदार थी और तो और बिजली क्षेत्र में एक खिलवाड़ किया।

1977 में दिल्ली में कांग्रेस की सरकार हार गयी। आन्ध्र प्रदेश के चुनाव थे। Last nail in the coffin in the energy sector, वह थी कि वहां की तत्कालीन कांग्रेस ने चुनाव से पहले यह ऐलान किया कि हम किसानों को मुफ्त में बिजली देंगे। उसके बाद में तो कई स्टेट गवर्नमेन्ट ने किया लेकिन यह जो कोफीन में लास्ट नेल एनर्जी की डाली वह भी कांग्रेस की सरकार थी। 1991 में जब नरसिंह राव की सरकार बनी, मनमोहन सिंह उसके वित्त मंत्री बनी उस वक्त के पांच चैम्पियन थे...(व्यवधान) मैं बिजली पर बोल रहा हूं आदरणीय प्रतिपक्ष के नेताजी और मैं जानता हूं कि मुझे क्या बोलना है... (व्यवधान) हां, बिजली पर बोल रहा हूं मैं। सुझाव न मानन, मानना सरकार का काम है। मुझे क्या बोलना है मैं जानता हूं और अगर कांग्रेस को तकलीफ है, तो आप बताओ ना, कि आपने क्या किया ? बता देना आप जब बोलें।

माननीय पी.वी. नरसिंहराव, मनमोहन सिंह, पी. चिदम्बरम, मोनटेक सिंह अहलूवालिया व स्वर्गीय रंगराजन कुमार मंगलम, यह पांच चेम्पियन थे उस वक्त। 1991 में जब सरकार आयी तो उन्होंने रिफार्म किया और रिफोर्म्स धडाधड अंधाधुन्ध किया। उसी रिफार्म में क्योंकि बिजली का सेक्टर प्लान का पैसा नहीं रहा, 17 प्रतिशत से 12 प्रतिशत रह गया और 1991 में इन्होंने खोल दिया कि यह जो गेप है, प्राइवेट प्लेयर्स आयेंगे इनडिपेन्डेन्ट पॉवर प्रोडयूसर्स और उन्होंने प्लान वह का वह रखा और 1991 में इलेक्ट्रिसिटी एक्ट को बदला दिया। एक्ट बदलकर यह कहा कि इसमें जो गेप रहेगा वह प्राइवेट इनवेस्टमेन्ट आयेगा।

(श्री विष्णु मोदी)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आठ फास्ट ट्रेक केसेज आइडेन्फाई किये, उनको कहा कि आपको सब परमीशन, सिंगल विन्डों, फारेन, इनबेस्टमेन्ट, आप अपना जितना कमायें उसमें ली ले जाएं कोई कुछ नहीं लेकिन उनमें भी तनी आये खाली और छ, सात हजार मेगावाट का जो एग्रीमेन्ट था, यहां तत्कालीन मुख्य मंत्री भी बहुत पॉवर परचेज एग्रीमेन्ट की बात करते थे लेकिन प्राइवेट सैक्टर में इनवेस्टमेन्ट नहीं आया तो उसकी भी कसूरबार कांग्रेस गवर्नमेन्ट थी।

एक बड़ी अजीब घटना होती है। अभी रिफोर्म्स की रामगढ से आने वाले माननीय सदस्य, टोडारायसिंह से आने वाले सदस्य कह रहे थे। यू आर राइट। 1996 में जब कुमार मंगल साहब थे तब रिफार्म्स की बात की कि पावर सैक्टर में रिफार्म करो, अनबन्डलिंग करो, यह कहां से ओरिजनेट हुई। उपाध्यक्ष महोदय, Higher international Consultency Firm Hugler Baill United State Aid for international Development. के माध्यम से एक हगलर बेली ने वांशिगटन में बैठकर रिपोर्ट दे दी अपनी और उसमें कहा कि आप तीन कम्पनी बना दीजिये। एक बीमारी है आपके शरीर में, वह तो हमें समझ में आ गयी कि बीमारी है लेकिन सिर अलग कर दीजिये, धड़ अलग कर दीजिये, टांग अलग कर दीजिये। जनरेशन अलग करिये, डिस्ट्रीब्यूशन अलग करिये और ट्रान्समीशन अलग करिये। वह हगलर बेली साहब थे, उनको हिन्दुस्तान का कोई तजुर्बा नहीं था तो तो अन्बडलिंग बर्ड दे दिया। उन्होंने डिस्काम बनाने की बात कर दी और जितना प्राइवेटाइजेशन कर सको वह प्राइवेटाइजेशन कर दो।

मैं, क्योंकि, आपने समय की सीमा बांध रखी है, मुझे जानकारी है उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले उड़ीसा में हुआ और उड़ीसा के बाद आन्ध्र में हुआ। यह जो रिफार्म्स थे, बिलकुल फेल हो गये। उस वक्त रंगराजन साहब ने आर्मटिवस्ट करना शुरू कर दिया। अभी बड़े जोर-शोर से कह रहे थे कि हमने पास किया, हां आप ही की सरकार ने रिफार्म्स बिल पास किया, आप ही कर सरकार ने आर.एस.ई.बी. का जो बोर्ड बना हुआ था उसको तीन हिस्सों में बांट

(श्री विष्णु मोदी)

दिया और आप ही की सरकार ने बी.एच.ई.एल से बगैर टेण्डर किये, वह सब कारखाने लगाये। तो यह वास्तव में आपकी उपलब्धि थी। सबसे बड़ा दुश्मन अगर आज बिजली में सभी स्टेटस के, नोट ओनली राजस्थान तो केन्द्र सरकर के उपक्रम हैं। एन.टी.पी.सी. जो है उसका प्रोफिट है 28 प्रतिशत। पावर ग्रिड कारपोरेशन का प्राफिट है 32 परसेन्ट। तो आज सारे स्टेटस में बिजली की स्थिति में कम्पनी डिसकाम है।

एन.टी.पी.सी. एटोमिक एनर्जी कारपोरेशन की अभी वह कह रहे थे कि आप 2.20 रूपये में बिजली नहीं खरीदनी थी तो एटोमिक एनर्जी कारपोरेशन, पावर ग्रिड कारपोरेश, पावर ट्रान्समिशन कारपोरेश और कोल इंडिया, मैं आदरणीय कल्ला साहब से निवेदन करूंगा कि यहां भाषण तो कब दे देंग लेकिन वास्तव में राजस्थान में विद्युत स्थिति में सुधार हो तो हम आपके साथ चल सकते हैं। दिल्ली आपकी सरकार है। एन.टी.पी.सी. पावर ग्रिड कारपोरेशन, पावर फाइनेन्स कारपोरेशन जो आर्म टिवस्ट करते हैं सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट के उपक्रम है जिन नार्म्स पर यह बने हुये थे, उन नार्म्स पर ही और यह पैसा वसूल करें तो राजस्थान का घाटा बिलकुल दूर हो सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं राजस्थान की बात करना चाहता हूं और दुख भी है मुझे। मैं पहले सदन में था तो मैं समझता हूं कि बिजली की हर डिबेट में मैंने बड़ा कन्ट्रीब्यूट पाजीटिवली किया था लेकिन उस वक्त सरकार ने नहीं सुनी। राजस्थान में बीकानेर रियासत में जहां से माननीय कल्लाजी आते हैं, जब यह देश आजाद नहीं हुआ था, राजस्थान नहीं बना था तब वहां पालना लिग्नाइट के ऊपर बिजली का कारखाना चलता था। लिग्नाइट से बिजली बनती थी। देश आजाद हो गया, राजस्थान बन गया, हमने कोटा में यह कर दिया, सूरतगढ़ में यह कर दिया, वह कोयला तो मान्यवर दो सौ किलोमीटर से आता है। उसमें 25 से 30 प्रतिशत एश है। इसमें पत्थर भी आता है। लेकिन हमारे राजस्थान की यू.एस.पी. है लिग्नाइट, उसमें है डीप सीडेड लिग्नाइड। कुछ लिग्नाइट हमारे वेस्टर्न राजस्थान में है, जहां से उपाध्यक्ष महोदय, आप

(श्री विष्णु मोदी)

आते हैं। वह जमीन की बहुत निचाई में है तो वहां पर उसको फायर करके आस्ट्रेलिया, थाइलेण्ड, चाइना में एक रूपये से कम बिजली पैदा हो रही है।

अब रामगढ़ से आने माननीय सदस्य तो चले गये। हमने यह लगाया, किस कीमत पर बिजली बनाना चाह रहे हो, किसान को बिजली सस्ती दिलाना चाहते हो और आपने जो कारखाने लगाये हैं वह ढाई रूपये और तीन रूपये के किये हैं और खोटा काम आपने यह और किया कि जाते जाते आप नेबेली लिग्नाइट कार्पोरेशन से कान्ट्रेक्ट कर गये। मैं तो आपके माध्यम से महोदय से निवेदन करूंगा कि अगर यह नेवेली लिग्नाइट आयेगी तो राजस्थान का जो विद्युत भवन बना है वह बिकने की नौबत नहीं आ जाये। उपाध्यक्ष महोदय, उसी तरह से जिस तरह से लिग्नाइट हमारी बड़ी धरोहर है और मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को कहना चाहूंगा कि गिराल से जो आप जो प्रोजेक्ट लगा रहे है वह माननीय चैयरमेन साहब चले गये। अब मैं उनका नाम लेना ठीक नही समझता। लेकिन वहां पर तो आपकी फाउन्डेशन ठीक नहीं है। वहां उन्होंने ना सोचा, ना देखा। उनको तो आर्डर करना था तो उसमें नीचे बेन्टुनाइट है तो आप उसको एक्सपर्ट से दिखवा लें कि कहीं वह आपका चलने से पहले ही टायं-टायं फिस्स नहीं हो जाये।

उपाध्यक्ष महोदय, धौलपुर में जो गैस आधारित लेकर आ रहे हैं उसमें मुझे मालूम नहीं है कि क्या स्थिति है। लेकिन पहले जो आने वाले थे गोयनका जी उनके टाइम की क्लियरेन्स है, जितना स्टेच्युरी क्लियरेन्स हैं वह सब गोयनका जी ने टाइम की है, वरना कोई स्टुच्युरी क्लियरेन्स नहीं ली है। हो सकता है जरूरत नहीं पड़ती हो। आप दिखा लें कि वह क्लियरेन्स काम आयेंगी कि नहीं आयेंगी। चूंकि इसको तो आर्डर करना था वह कर गये। मेरा तो आपके माध्यम से यह भी कहना है कि बी.एच.ई.एल. के पास गैस में एक्सपर्ट नहीं है और बड़ी अजीब सी बात है, जैसे पहले इस देश में बड़ी टैक्नोलाजी की गाडिया नहीं आने दी कि इनके कलपुर्जे महंगे हैं। इस तरह से बीएचईएल की टैक्नोलाजी गैस में तो बिलकुल ही ओब्सोलीट है।

(श्री विष्णु मोदी)

उपाध्यक्ष महोदय, लिग्नाइट के साथ-साथ हमारे यहां हिन्दुस्तान का सबसे बड़ा हैवी क्रूड आयल का डिपोजिट है। जो आपका गंगानगर, बागेवाला के नाम से प्रसिद्ध है। वहां हैवी क्रूड ऑयल है तो उसकी वैजुएला में, कनाड़ा में बहुत पवन टैक्नोलोजी है और वह हमारा अपना फ्युल है। मैं बहुत जिम्मेदारी से अपनी सारी बात को समझते हुए कह रहा हूं कि उससे भी दो रूपये से कम में बिजली बनाने की स्थिति है।

उपाध्यक्ष महोदय, बाड़मेर में तेल निकल रहा है तो यह तेल जब रेगुलर निकलना शुरू होगा तो उसके साथ गैस भी निकलेगी, बाड़मेर में जो ऑयल के साथ में गैस निकलेगी सरकार उसका भी कारखाना लगाने की सोचेगी तो वह भी एक फायदे का काम है।

उपाध्यक्ष महोदय, विन्ड मिल का रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने भी जिक्र किया थाि क हमारे यहां राजस्थान में 15 हजार मेगावाट विन्ड बिजली पैदा हो सकती है और यह फाइनेन्शिलय एक्सप्रेस पढ़ा मैंने, वह कहता है Darkness at moon, India's crude reserves may be exhausted in 20 years. और उसी तरह कोल के रिजर्व के लिए यह कहती है, क्योंकि रिजर्व तो एक दिन खतम ही होने हैं, रिजर्व नॉट फोरएवर, क्योंकि हमारे कॉल के गैस के और ऑयल के रिजर्व डिपलिटिंग स्थिति में है। इसमें 15 हजार मेगावाट की हमारी स्थिति है।

उपाध्यक्ष महोदय, एक मेरे कहानी समझ में नहीं आई कि विन्ड मिल से जो इन्होंने पावर परचेज एग्रीमेन्ट किया है वह 20 साल तक के लिए किया है। 20 साल तक सरटेन रेटस दी और 20 साल के बाद कहीं कोई जिक्र ही नहीं, क्योंकि किसी ने समझाया होगा कि 20 तक ही है। लेकिन विन्ड मिल में ओ एण्ड एम कॉस्ट 20 पैसे से 25 पैसे केवल कैपिटल इन्सेक्टिव है और वह हमारा जो सीलिंग पंखा चलता है वह भी 700 आरपीएम पर चलता है और यह विन्ड मिल मुश्किल से 40-45 आरपीएम पर चलती है। कोई गियर भी नहीं है। इनकी लाइफ 50 साल है और हमारा जो पावर परचेज एग्रीमेन्ट है सिर्फ 20 साल तक का है। अगर इसमें पावर परचेज एग्रीमेन्ट को इन्होंने

20 साल के बाद में 10 साल तक फिर 5 साल यह कहते हुए किया होता कि हम ओ एण्ड एम के डबल प्राइज देंगे या तिगुना देंगे तो आप आज से 18 वर्ष बाद में आप देखें कि जितना भी आपका लगेगा वह एक रूपये से कम में बिजली आपको मिल जायेगी। लेकिन क्यों नहीं किया यह तो यह जाने।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजें।

श्री विष्णु मोदी : मैं खुद जानते हुये अपने आप....(व्यवधान) मैंने यह सब छोड़ दिया। मैंने जो कुछ किया था वह सब छोड़ दिया। मैंने पहले भी कहा था कि मेरे को जानकारी है समय सीमा की।

श्री महावीर प्रसाद : कनक्यूड करें।

श्री विष्णु मोदी : मान्यवर दूसरा, हमारा यू.एस.पी. है सोलर में, उसमें अभी बहुत कुछ नहीं हो रहा है। महंगा भी है। मैं तो सिर्फ आपके माध्यम से इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि चीफ इन्जीनियर सोलर आप बना दीजिये और पैसे तो खर्च करने के लिए आपके पास है नहीं लेकिन दुनिया में सोलर पर जो कुछ हो रहा है उसकी जानकारी आपको हो, तो मैं समझता हूं कि फायदा ही रहेगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मोदी जी बिराजे।

श्री विष्णु मोदी : मैं खतम कर रहा हूं। एक मिनट में खतम कर रहा हूं। लास्ट (व्यवधान) मान्यवर, सिर्फ एक पढ़ना चाहता हूं।

The reforms have not directly addresses the issues of corporate governance which is partlya question of human capital in top manangement. Not only do decision makers (bureacrates) come from the Indian Administrative Service (IAS) even the most senior operational positions within the electric power enterprises usually go to IAS officer or other civil servants not career power professional. The result is resentment in the ranks since good performance on the job is not a pre-requirste for an advancement tot the highest position within the enterprises. Moreover the highly competitiye and elite IAS operators within its own rules and

(श्री विष्णु मोदी)

cultures that might impose the development of a business culture in the power system indeed, the IAS might be loath to downsize it self through reforms. The IAS systme create generalist who spend only brief stints in each job as they work their way up the IAS ranks. Short terms appointment encourage projects that reap rewards within the brief tenure of the appointment and discourage long term actions that can be undone easily by the next person in the job.

डा. सी.पी. जोशी : इसका रोकेंगे, रोक दो.....(व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : मैं बनूंगा और क्या करूंगा वह तो मैं बनने के बाद ही बताऊंगा। उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बाबूसिंह राठौड़।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, आज ऊर्जा पर चर्चा हो रही है। सबसे पहले तो मैं नई कृषि नीति की जो घोषणा की गयी है उसके लिए हमारी यशस्वी मुख्य मंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे को बधाई देना चाहूंगा कि आज पूरे राजस्थान में सभी किसानों ने इस योजना को सराहा है। नई कृषि नीति में प्रति हार्स पावर निर्धारित दरें तय की गयी है। इस नीति में सर्विस चार्ज, पोल चार्ज और ट्रान्सफार्मर मय चार्ज 750 रूपये प्रति हार्स पावर समाप्त कर दिये गये हैं। वह प्रथम 10 हार्स पावर पर 3500 रूपये, 10 से 20 हार्स पावर पर 1000 रूपये और 20 से 30 हार्स पावर पर 750 रूपये का प्रावधान है। पुरानी जो कृषि नीति थी उसमें 8 पोलों के 28 हजार और अगर एक किलोमीटर का कनेक्शन लेना होता तो 3 पोल अतिरिक्त लगते थे और उसमें 11 हजार प्रति पोल के हिसाब से लगता था वह हार्स पावर के हिसाब से भी अलग चार्ज लिया जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय, नई नीति व कांग्रेस शासन की नीति के तहत दोनों योजनाओं मे अगर आपस में मेलाजोल किया जाये तो उसके अन्दर नई कृषि नीति में 10 हार्स पावर में एक किलोमीटर कृषि कनेक्शन हो और 30 हार्स पावर का कनेक्शन लिया जाये तो 10 हार्स पावर पर 3500 के हिसाब से 35

(श्री बाबूसिंह राठौड़)

हजार और अकेले 10 हार्स पावर के लिए 1000 रूपये के हिसाब से 10 हजार हैं। तीसरा 750 के हिसाब से 7500, कुल 52500 रूपये लगते हैं। पुरानी कांग्रेस नीति के तहत 8 पोल के 28000 व एक किलोमीटर के 3 पोल के 33 हजार व 750 के हिसाब से 30 हार्स पावर के 22500 रूपये लगते थे, इस तरह कुल 83500 रूपये होते थे। इन दोनों में 31 हजार रूपये का लाभ अब किसानों को मिलेगा। इसके लिए हम पश्चिम राजस्थान के किसान आपके बहुत आभारी है कि राज्य सरकार हमारे लिए अति संवेदशील है।

किसानों को पहले कृषि विद्युत कनेक्शन के लिए 10-12 साल का इन्तेजार करना पड़ता था। किसानों को कृषि विद्युत कनेक्शन देने के लिए हमारी यशस्वी मुख्य मंत्री और ऊर्जा मंत्रीजी ने घोषणा की है कि 60 हजार कनेक्शन दिय जाऐंगे, तो 60 हजार कनेक्शन दिये जा रहे हैं। आने वाले तीन वर्षो में 1 लाख 75 हजार 473 कनेक्शन देकर प्रायोरिटी को खतम किया जाएग। तीन वर्ष के बाद में आओ और पाओ की योजना होगी और किसानों को 10-10, 12-12 साल का इन्तेजार नहीं करना पड़ेगा।

जिस तरह से कृषि कनेक्शनों के लिए नीति बनाई गई है उसी तरह से घरेलू कनेक्शनों के लिए भी नीति बनाई जानी चाहिए। मेरा निवेदन हैं कि राजस्थान में जब विधान सभा के चुनाव हो रहे थे तो जगह-जगह नारे लगते थे, वसुन्धरा राजे आई है, नई रोशनी लाई हैं, मैं चाहूंगा कि घरेलू कनेक्शनों में भी नई रोशनी आए।

हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयीजी की घोषणा रही थी प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के बारे में कि गांव-गांव सड़क से जुड़े, उसी तरह से उनकी ग्रामीण विद्युतीकरा की योजना की भी घोषणा थी, वह चाहते थे कि गांव में घर-घर, ढाणी-ढाणी में लट्टू लगे, वह चाहते थे कि कितने ही खम्भे लगे, 1500 रूपये के ढाणी के उस घर में, कच्ची बस्ती के घर में बिजली का लट्टू लगना चाहिए। मैं कांग्रेस मित्रों से कहना चाहता हूं कि ऐसी योजना, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री का सपना था, आपको अब पूरी करानी चाहिए और राज्य

(श्री बाबूसिंह राठौड़)

सरकार तो यह सोच रही है, अभी यह घोषणा होने वाली है कि 1500 रूपये में ढाणी-ढाणी में लट्टू लग जाऐंगे। (व्यवधान) घोषणा हो गई है, तो हो गई है।

जब राज्य में भारतीय जनता पार्टी का शासन था और आदरणीय भैरोसिंह शेखावत की सरकार 1993 से 1998 के बीच पांच साल रही, उस समय घरेलू कनेक्शनों की महत्वपूर्ण योजना रही। उस योजना में पहले पोल 950 रूपये, दूसरा पोल 1450 रूपये, तीसरा-चौथा-पांचवां पोल 1950 रूपये के हिसाब से, सिंगल व ग्रूप योजना में लगाये जाते थे। उस योजना को बहुत सराहा गया और आवेदकों में बड़ा उत्याह था। उस उत्साह के आधार पर कई नई कनेक्शन हुए। उस कनेक्शनों के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि मेरे शेरगढ़ विधान सभा क्षेत्र में 7428 कनेक्शन हुए। वर्ष 1998 से 2003 तक का आपका कांग्रेसी शासन रहा, उसमें घोषणा हुई 1200 रूपये जमा कराएं और अधिक दूरी होने पर 120 रूपये प्रतिमीटर थी। फेज व 80 रूपये प्रति मीटर सिंगल फेज जमा कराने की योजना थी। यह योजना भी केवल मात्र ग्रामीण आबादी क्षेत्रों में ही थी बाकी जो खातेदारी क्षेत्र थे या मजरों या ढाणियों में जो लोग रहते थे वहां उन किसी प्रकार के कनेक्शन देने की योजना नहीं थी।

उसके बाद में आपने डी-2046, दिनांक 24-10-2000 को एक आदेश निकाला, उसमें मात्र ग्रामीण आबादी क्षेत्रों में 1500 रूपये में कनेक्शन देने की योजना थी, कच्ची बस्तियों में 2500 रूपये प्रति कनेक्शन देने की योजना थी। इससे गांव की ढाणियों में, खातेदारी जमीन, जिनके खातेदारी पट्टे है, उन पट्टों की जमीनों के ऊपर जो लोग रहते थे, किसान रहते थे, जो गरीब रहते थे, उनके पुनः कनेक्शन लेने पर रोक लग गई। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में पिछले पांच वर्षो में केवल मात्र 1484 कनेक्शन ही हो पाए हैं। इससे पहले भैरोंसिंह शेखावत साहब की सिंगल व ग्रुप योजना थीं उसके अन्दर 7428 कनेक्शन हुए है। इसलिए में चाहूंगा कि 1500 रूपये में जिस प्रकार कृषि कनेक्शन देने की नीति बनाई है उसी प्रकार से घरेलू कनेक्शन देने की भी नीति बने और आवेदकों राहत मिले और ढाणी-ढाणी, कच्ची बस्ती-कच्ची बस्ती लाईट पहुंचे। यह भारतीय जनता पार्टी की

(श्री बाबूसिंह राठौड़)

सोच है और निश्चित रूप से आने वाले पांच सालों में इसके अनुरूप कनेक्शन होंगे तो परिणाम आपके सामने होंगे।

माननीय पूर्व मुख्य मंत्री और वर्तमान में महामहिम उप राष्ट्रपति भैरोसिंह शेखावत के समय में कृषि कनेक्शनों के लिए नर्सरी योजना बनी थी। उस समय उस योजना में 5 हजार रूपये अग्रिम आवेदन के साथ जमा किये जाते थे, 9 हजार प्रति पोल और साढ़े 12 हजार रूपये प्रति हार्स पावर क आधार पर कनेक्शन दिये जाते थे। 5 हजार रूपये डिमाण्ड नोट की राशि में समायोजित करने के बाद उसको कनेक्शन दिया जाता था। इस योजना में 2 वर्ष बाद सामान्य श्रेणी में बदला जाता था। 25 रूपये प्रति हार्स पावर के हिसाब से और 1250 रूपये प्रति हार्स पावर के लिए जाते थे, उनको चार वर्ष में समायोजित कर वह राशि किसान को वापस मिल जाती थी। ऐसी योजना थी और वह योजना चल रही थी। जब आपका कांग्रेस शासन आया तो आर.ई. 158/28-04-1999 को नर्सरी कनेक्शन को एच.पी. राशि समायोजित करने को तुरन्त प्रभाव से बन्द कर दिया। उसके बाद दुबारा आदेश आया, आदेश क्रमांक 20934, दिनांक 07-02-2000 उसमें था कि 5 वर्ष बाद इस राशि को समायोजित किया जाएगा। पांच वर्ष पूरे होने के बाद 25 रूपये प्रति हार्स पावर के हिसाब से किसान को वापस दिये जायेंगे लेकिन वह राशि आज दिन तक किसानों को वापस नहीं दी जा रही है। मैं ऊर्जा मंत्री से चाहूंगा कि पूर्ववर्ती सरकार, भैरोसिंह शेखावत के समय में जिस प्रकार की नर्सरी योजना बनी थी, उस नर्सरी योजना में जिस प्रकार से पैसे समायोजित किए जाते थे, कांग्रेस के राज में रोके गए हैं, वह पैसे किसानों को दिलाए, यह मेरी आपसे किसानों के लिए विशेष मांग है।

मेरा निवेदन है कि कांग्रेस की सरकार बनने के बाद उसने 'हरा चारा' योजना शुरू की। किसानों को यह लगा था कि जिस प्रकार से नर्सरी योजना चली रही है, यह योजना भी वैसी ही होगी और हरा चारा योजना को भी दो वर्ष में सामान्य श्रेणी में बदला जाएगा लेकिन उस 'हरा चारा' योजना में कोई निर्णय नहीं लिया गया और किसान धोखे में आ गया। उस योजना में 12000

(श्री बाबूसिंह राठौड़)

रूपये एडवान्स लेते थे, इसमें 10 हजार तो समायोजित हो जाते थे लेकिन मांग राशि में 2 हजार राशि समायोजित करने की व्यवस्था नहीं थी, वह पैसा वापस नहीं देते थे। मेरा निवेदन है कि 9 हजार रूपए प्रति पोल के हिसाब से जिस प्रकार नर्सरी योजना में लिए गए, आपने 1-1 हजार रूपये कर दिये, उस राशि को पहले 1.45 रूपये नर्सरी योजना में था, आपने 1.65 कर दिया, वह राशि प्रतिमाह तीन हजार रूपये के हिसाब से 2 माह का 6 हजार रूपये का बिल आता है। मैं ऊर्जा मंत्री महोदय से चाहूंगा कि आप तीन वर्ष में सारे सामान्य कनेक्शन देने जा रहे हैं तो जो किसान 'हरा चारा' योजना से दुखी है, पीडित है, जो बरबाद हो रहे हैं, उनके खेत बिक रहे हैं, नीलाम हो रहें है, उस योजना को सामान्य श्रेणी में बदलने का भारतीय जनता पार्टी की सरकार को निर्णय करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र के बारे में कुछ सुझाव निवेदन करना चाहता हूं। बालासर उप खण्ड में 115 राजस्व गांव है, इनमें 42 गांवों का विद्युतीकरण को चुहा है, 73 गांवों का विद्युतीकरण बकाया है, शेरगढ़ विधान सभा क्षेत्र में देचूं उपखण्ड में 97 गांव है, इनमें 51 गावों का विद्युतीकरण हो चुहा है, 46 गांवों का विद्युतीकरण बकाया है, मैं ऊर्जा मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि इन गैर-विद्युतीकृत गांवों का भी विद्युतीकरण किया जाए। जिन गांवों में एक किलोमीटर की लाइन लगे, उनको ट्रान्सफार्मर लगा कर करें और जितने गांवों का विद्युतीकरण हो सकता है, वरीयता के आधार पर करें। केन्द्र सरकार के योजना के अनुसार 1991 की जनगणना के अनुसार 5000 की आबादी वाले सभी गांवों में 24 घण्टे विद्युत देने का प्रावधान है लेकिन मेरे विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ के साई सेथरावास, सोलकिया तालाब, बालेसर, दुर्गावता, नाथराउ गावं, इनकी 1991 से पूर्व से ही 5000 की आबादी है लेकिन उनमें 24 घण्टे बिजली नहीं मिल रही है, इनको 24 घण्टे बिजली मिले।

मेरे कृषि प्रधान शेरगढ़ विधान सभा क्षेत्र में बिजली सुधार हेतु वी.आर. व लोड की समस्या हेतु जी.एस.एस. बनाएं। आसनलाई, सेथरावा,

(श्री बाबूसिंह राठौड़)

नाथडाउ, चिड़वाई अमरनगर, बालेसर सत्ता, लालपुरा. रामसागर कलेऊ, यहां 33 के.वी. जी.एस.एस. बनाएं। ढेचू बालसर वे कलेऊ 132 के.वी. जी.एस.एस. बनाने के कलेऊ चानसामा, सावालों की ढाणी, जेठाणिया, चोरडिया इससे जुड़ेंगे। भविष्य में प्रस्तावित 33 के.वी. जी.एस.एस. से लालपुरा व रामसागर जुड़ेंगे। इन सभी 132 के.वी. जी.एस.एस. के लोड हेतु ढेचु में 220 के.वी. जी.एस.एस. बनाया आवश्यक होगा जिससे हमारे क्षेत्र शेरगढ़ में बिजली सुधार हो सकेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगा। आठ घण्टे बिजली, फ्लेट रेट के बारे में मेरा निवेदन है कि मीटर हटाकर प्रति घण्टे प्रति हार्सपावर के हिसाब से आठ घण्टे की बिजली की दर तय कर फ्लट रेट से वसूली कराएं जिससे विद्युत चोरी रूकेगी व मीटर जलने की संभावना पर भी रोक लग सकेगी।

नई कृषि नीति में अनुसूचित जाति के जो कनेक्शन हैं उनको वरीयता दी गई है, उन्हें सामान्य के बराबर रखा गया है व तुरन्त कनेक्शन की भी इसमें योजना है। मैं चाहूंगा जो आदिवासी क्षेत्र है उनमें अनुसूचित जनजाति के लोगों को तुरन्त कनेक्शन देने की योजना है और हमारे यहा भी अनुसूचित जनजाति के लोग काफी तादात में रहते हैं तो पश्चिम राजस्थान में और पूरे राजस्थान में अनुसूचित जाति के लोगों को भी कनेक्शन मिले, वे भी गरीब है, वे भी पिछड़ें है इसलिए अनुसूचित जाति के लोगों को कनेक्शन मिल रहे हैं उसी प्रकार से कनेक्शन मिलने चाहिए जिससे उनका आर्थिक पिछड़ापन दूर होगा।

श्री उपाध्यक्ष : धन्यवाद। माननीय सदस्य, आप तो वर्तमान नीति से पूरे खुश है इसलिए अब आगे कहने की आवश्यता नहीं है। माननीय श्री माहिर आजाद।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज हम विद्युत की स्थिति पर यहां चर्चा कर रहें है। मेरे से पूर्व कई माननीय साथियों

ने अपने विचार वक्त किये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार एक तरफ कहती है कि पिछली सरकार खजाना खाली छोड़कर गई है, पिछली सरकार कर्जे का भार छोड़कर गई है तो सत्ता के लोगों को यह भी कहना चाहिए कि पिछली सरकार ने 1750 मेगावाट यूनिट बिजली का उत्पादन किया है (व्यवधान) देखिए, मैं आज पहली बार बोल रहा हूं (व्यवधान) आप जरा इनको रोक लें।

श्री हेमराज मीणा : ये बसपा में थे तब क्या-क्या स्टेटमेन्ट देते थे, मैं उन्हें याद दिला रहा हूं इनको। आज कांग्रेस में है, बसपा में क्या-क्या बोलते थे उनको भी जरा याद कर लें।

श्री उपाध्यक्ष : सुबह से पहली बार बोल रहे है।

मोहम्मद माहिर आजाद : अभी शेरगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे है कि पूर्व में प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का अच्छा काम किया। क्या पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने राजस्थान सरकार को बिजली के उत्पादन के अन्दर देश के पहले स्थान पाने के लिए प्रशंसित नहीं किया ? उस बात को आप क्यों भूल जाते हो ? इसलिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निहायत अबद के साथ अपनी बात आपके सामने अर्ज करना चाहता हूं, अगर इंटरप्शन हुआ तो उस समय को आप प्लीज काट दें। मैं मेरा टाइम भी लिख लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं होगा। आप जानबूझकर मत करा लेना।

मोहम्मद माहिर आजाद : 1750 मेगावाट यूनिट बिजली का उत्पादन पिछली सरकार ने किया जो एक रिकार्ड था। आप इससे इन्कार नहीं कर सकते। पिछली सरकार के टाइम चाहे 132 के.वी. के हों, चाहे 33 के.वी. के, चाहे 220 के.वी. के, चाहे 400 के.वी. के 850 जी.एस.एस. रिफार्म के लिए यहां पर इस प्रदेश में स्थापित किये जो अपने आप में एक रिकार्ड है। 50 साल में नहीं हुए जितने पिछली सरकार ने 5 साल में किये। आप मानीय ऊर्जा मंत्रीजी, इन पांच साल में कर दोगे उसके बाद फिर आपसे हम बात

(मोहम्मद माहिर आजाद)

करेंगे। (व्यवधान) वो सब बता दूंगा, आप जरा शांति से सुनेंग मैं सारी बात बता दूंगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं एक तरफ पावर जनरेशन और दूसरी तरफ टी एण्ड डी लोसेज को रोकने की बात है। आपने जब चुनाव घोषणा-पत्र जारी किया इसमें विद्युत में आपने कहा था कि हम विद्युत के उत्पादन में वितरण में आने वाले असन्तुलन को दूर करके छीजत को नियंत्रित करेंगे ताकि उपभोक्ताओं पर से अनावश्यक बोझ हटाया जा सके। आपने कहा था कि हम मांग और आपूर्ति को आवश्यक बोझ हटाया जा सके। आपने कहा था कि हम मांग और आपूर्ति को आवश्यकता अनुरूप बनाऐंगे। आपने कहा था कि विगत दिनों बढ़ायी गई विभिन्न वर्गों की विद्युत दरों को पुनः तर्कसंगत किया जाएगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप चुनाव घोषणा-पत्र में कुछ कहो और आपके बजट में करो कुछ। इस बजट भाषण में आप पृष्ठ 54 पर देखें, क्रम संख्या 152 पर आपने कहा- उत्पादित ऊर्जा को यथासम्भव कम कीमत में उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए प्रसारण तंत्र का सुदुढीकरण किया जा रहा है। इस हेतु 400 के.वी. जयपुर-मेड़ता-जोधपुर लाइन का कार्य लगभग पूरा कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त 400 के.वी. रतनगढ़-मेड़ता लिंक लाइन तथा 220 के.वी. के 4 एवं 132 के.वी. के 12 नये ग्रिड स्टेशन स्थापित करना प्रस्तावित है।

आपने विद्युत वितरण में टी एण्ड डी लोसेज में कमी लाने की दृष्टि से फीडर रिनोवेशन कार्यक्रम हाथ में लेने की बात कही थी। यह आपने माननीय मुख्य मंत्री से बजट भाषण में कहलवाया था। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ईमानदारी से सोच लें जब हमने छोड़ था उस समय टी एण्ड टी लोसेज क्या थे ? क्या डेढ़ परसैन्ट टी एण्ड टी लोसेज सात महीने-आठ महीने में नहीं आ गए, आप उत्तर दें, तब यह बता देना। अगर यह गलत हो तो आप बता देना। आपने जनरेशन पावर का एक परसेन्ट भी बढ़ाया नहीं। जो टी एण्ड टी लोसेज बढ़ा रहे हैं उसको आप रोक नहीं पाये। आप रिफार्म के लिए कुछ कर नहीं रहे है और फिर आप बात करते है हम बिजली की आपूर्ति

को सही बना लेंगे। मेरी समझ में नहीं आता कि आप इसको कैसे बना लेगें ? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको चुनौती के साथ कहता हूं कि आप ईमादारी से बताए कभी कांग्रेस के शासन में जुलाई में पावर कट हुआ है ? आज तक के इतिहास में आप अपने उत्तर में बता देना, कभी जुलाई के अन्दर पावर कट कांग्रेस के राज में नहीं हुआ। पहली बार आपके शासन के अन्दर आपने जुलाई के अन्दर पावर कट कर दिया। कांग्रेस के राज में भी पावर कट होता था, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं, लेकिन कब होता था जब रबी की फसल के टाइम बिजली की कमी आने की स्थिति होती थी। आप तो जुलाई में, जब अभी कुछ नहीं है, उस वक्त आप पावर कट कर रहे हैं तो आगे जाकर आपकी स्थिति क्या होगी ? इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को सावचेत करता हूं अभी तो 1750 मेगावाट यूनिट जो हम छोड़ गये, बढ़ा गये इसलिए एक साल, डेढ़ साल, ज्यादा से ज्यादा खीचों तो दो साल आपाका काम चल जाएगा। आपने उत्पादन को भी नहीं बढ़ाया और टी. एण्ड डी. के लोसेज को नहीं रोका, आज टी एण्ड डी लोसेज भी माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह नहीं कहता भतरपुर में भी, अलवर में भी है, लेकिन टी एण्ड लोसेज में आज पहले नम्बर पर झालावाड़ है जहां से माननीय मुख्य मंत्री आती है। आज झालावाड़ एक नम्बर पर है, बारां नम्बर दो पर है, धौलपुर नम्बर तीन पर है, सीकर और झुन्झुनूं है, नागौर है, सवाई माधोपुर में है, करौली है, अलवर और भतरपुर है। आपने टी एण्ड डी लोसेज के लिए आठ महीने में क्या प्रयास किये, कृपया आप अपने उत्तर के अन्दर इसको भी बताने का काम करेंगे कि बिजली चोरी को आप कैसे रोकेंगे और सिस्टम को, सप्लाई को आप कैसे सही करने का काम करेंगे।

अभी आप यह कह रहे थे कि हम इतने कनेक्शन देंगे। क्या माननीय ऊर्जा मंत्री यह सही नहीं है कि कांग्रेस के 5 साल के शासन में एक तरफ उत्पादन बढ़ाया, सुधार कार्यक्रम को अपना, सिस्टम को सुधारा, 5 वर्षो में 12 लाख कनेक्शन दिये गये ? आप नोट कर लें मेरी बात। एक लाख 10 हजार कनेक्शन किसानों को दिये गये, 9 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को दिये गये और

(मोहम्मद माहिर आजाद)

2 लाख कनेक्शन औद्योगिक इकाइयां और स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज व स्माल यूनिटस को दिये गये। 12 लाख कनेक्शन 5 साल में देने का काम किया। इसमें दो हजार गांवों को हमने विद्युतीकृत किया, 600 से ज्यादा हरिजन और दलित गांव थे, बस्तियों थीं उनके अन्दर बिजली पहुंचाने का काम किया। हमने बिजली को बढाने का और घाटे को कम करने का काम किया और आप क्या कर रहे हैं ?

मानतीय उपाध्यक्ष महोदय, इस पावर सेक्टर के अन्दर इन्वेस्टमेन्ट आसानी से नहीं हो जाता है। कम से कम चार साल लगते हैं। हमने एक हजार करोड़ रूपये निजी क्षेत्र में किया जिससे पवन ऊर्जा हुई। 8 हजार करोड़ रूपये का इन्वेस्टमेन्ट इस पावर सेक्टर के अन्दर किया। मसूदा से आने वाले माननीय सदस्य चले गये, वे एक बात कह रहे थे, वे उस समय की खामियां गिना रहे थे जबं वे स्वयं हमारे साथ थे। अगर उस समय का कोई पाप है तो आप भी उस पाप के भागीदार हैं। कल तो आप कह रहे थे कि पूरा बैकलाग कांग्रेस का है। जब आज वे बोल रहे थे तब नहीं कहा कि ये सारी कमियां उस वक्त की हैं जब आप भी यहीं थे और इन्हीं के मकान में ऊर्जा मंत्री को रहने के लिए जगह दी। आज राजस्थान पत्रिका का हवाला लें, अखबार का मैं सिर्फ इसलिए उदाहरण दे रहा हूं कि पवन ऊर्जा, विन्ड एनर्जी एक हजार करोड़ रूपये का विनिवेश करके यह बिजली बनायी और आज आप उसका उपयोग ही नहीं ले पा रहे हैं। अभी आप कह रहे थे इसकी कीमत ज्यादा है। आप उपभोक्ता को जिस दर पर बिजली दे रहे हैं उससे ज्यादा तो नहीं बैठ रही है ? इसलिए इसका उपयोग भी आपसे नहीं लिया जा रहा है जो हम छोड़कर गये है। यह इन्वेस्टमेन्ट कांग्रेस की पालिसी के कारण हुआ था। आपकी पालिसी इस सेक्टर में इन्वेस्टमेन्ट करने की है ? आप धौलपुर की बात कर रहे थे, अभी यहां धौलपुर से आने वाली माननीय सदस्य बैठे हैं धौलपुर में जो कुछ भी स्ट्रक्चर या इन्फ्रास्ट्रक्चर कांग्रेस के टाइम में डवलप हुआ था। आपने उसको आगे बढाने का काम नहीं किया आप थोडा स्पीड अप हों, अगर ऐसे धीरे धीरे चलोगे वहां न आपका आफिस खुला है, न आपका और कुछ है, केवल बिल्डिंग

(मोहम्मद माहिर आजाद)

बनी रखी है, आप कैसे इस काम को आगे करने का काम कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय ऊर्जा मंत्रीजी जब अपना उत्तर देंगे तो जरूर बताऐंगे कि आप इस पावर सेक्टर में पावर जनरेशन में कोई नया इन्वेस्टमेन्ट करने की कोई किसी से बातचीत हुई है, कोई योजना आपके पास है या पावर सेक्टर से किसी का आपके पास ऑफर आया है, कोई बातचीत चल रही है तो आप यह भी जवाब में बताऐंगे।

जहां तक रिफार्म का मामला है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पावर रिफार्म करने के लिए साहस की जरूरत है। 120 तो आप खुद हो और 10 आपके साथ और आपके सहयोगी हैं, 130 की ताकत, थोडा साहस दिखाओं और पावर रिफार्म करने की कोशिश करो। मुझे पता पड़ा था कि गजेन्द्र हल्दिया के नाम से आप कोई पावर रिफार्म का बिल लाना चाह रहे थे क्या हुआ उसका, कहां गया वह, क्यों आप पीछे हट गये ? आखिर यह कमजोरी आप क्यों दिखा रहें है ? मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस चीज को भी आगे अपने जवाब के अन्दर बताने का काम करेंगे।

माननीय सदस्य महोदय, यहां काफी किसान वर्ग से आये हुए प्रतिनिधि बैठे हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि रात में जो बिजली आपको मिलती है वह दिन में मिलने वाली बिजली की उपेक्षा सस्ती नहीं होती ? आपको एक रूपया, डेढ रूपया यूनिट में बिजली रात के लिए मिल जाती है। टेलीफोन वाले तो रात को जो टेलीफोन कॉल किया जाता है उसकी सब्सिडाइज रेट लेते हैं और कलेक्शन से भुगतान लेते है, आप दिन में फैक्ट्रियां और कारखाने वालों को बिजली दें, रात को न तो फैक्ट्री बाला लेता है न कारखाना वाला लेता है, यह किसान की हिम्मत है और साहस है कि जो कड़ाके की सर्दी हो, चाहे गर्मी को, वह किसान रात को खेत में खडा होकर अपनी फसल को सींचने का काम करता है। जब रात को आपको बिजली सस्ती मिल रही है तो आप किसान को सस्ती क्यों नहीं देते हो, किसान के साथ ही यह अन्याय क्यों कर रहे है ? इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि जितने पैसे यूनिट आपको रात में बिजली सस्ती मिलती है, किसान को आप

(मोहम्मद माहिर आजाद)

रात को बिजली की जब आपूर्ति करें तो उसको उतनी रेट कम करके दें तो किसान के साथ न्याय होगा, यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी को कुछ सुझाव भी देना, चाहूंगा। पावर जनरेशन बढ़ाने के लिए आप काम कीजिए। अगर पावर जनरेशन आपने नही बढ़ाया तो यकीन तौर पर आप राजस्थान को अंधियारे में ले जायेंगे। हमारी पावर जनरेशन की हुई बिजली से आखिर कितने दिन आप काम चला पाएंगे ? दूसरा, आप सिस्टम को सुधारे। हमने 850 जी.एस.एस. बनाये थे और आप सौ डेढ़ सौ बनाकर उससे काम चला लेंगे। इससे काम नहीं चलेगा, आपको इस सिस्टम को सुधारना पडेगा। तीसरा, मैं आपसे निवेदन करना चांहता हूं कि कुछ सख्त कदम उठाना पडेगा, टी. एण्ड डी. लासेस आपको कम करना पड़ेगा। मैं एक गांव का उदाहरण आपको देना चाहता हूं, आप आगरा रोड पर चले जाएं, एक गांव है पीपलखेड़ी नेशनल हाई-वे पर महुआ से पहले, उस गांव में एक भी बिजली का कनेक्शन नहीं है, सब ने जम्पसर डालकर कनेक्शन ले रखे है। चाहे आरा मशीन हो, चाहे चक्की हो और गांव में ढोल नगाड़े रख रखा है, आपको जे.ईएन. या पुलिस वाला कोई जाए तो ढोल बज जाता है, आदमी खेत में चले जाते है और औरते, बच्चे पत्थर लेकर अधिकारियों के पीछे हो जाते है। एक भी कनेक्शन नहीं है और नेशनल हाई-वे पर जाकर देख लीजिये तो आपको कुछ सख्त कदम उठाना पड़ेगा। हमारा सहयोग भी चाहिए तो हम सहयोग करने के लिए तैयार हैं लेकिन टी. एण्ड डी. लासेस को आपको रोकना चाहिए। आप यह जो अधिकारी है जिनके कमरों में और मंत्री हो आप लोग, जिनके कमरों में ए.सी. लग रहे हैं, आप पंखे और कूलर में नहीं रह सकते क्या ? एम.एल.ए. को तो ए.सी. अलाऊ नहीं है, आप जाइय पी.डब्ल्यू.डी.. फर्नीचर स्टोर में तो कहेंगे नहीं, नहीं ए.सी. तो सिर्फ मिनिस्टरों के लिए है। आपकी और हमारी चमड़ी अलग-अलग है क्या, साहब ? जब हम पंखे और कूलर में रह सकते हैं तो आप क्यों नहीं रह सकते ? इसलिए अधिकारी हो, चाहे आई.ए.एस. अधिकारी हो, चाहे आई.पी.एस. अधिकारी हो, चाहे मंत्री हो, आप ए.सी. छोड़ये, पंखे और

(मोहम्मद माहिर आजाद)

कूलर में रहिए, ए.सी. में बिजली का कंजम्पशन ज्यादा होता है। दूसरा मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि

श्री घनश्याम तिवाड़ी : माननीय सदस्य, मैं महीने में पांच दिन, सात दिन पंखों ही नहीं बिना बिजली के रहता हूं।

मोहम्मद माहिर आजाद : ऐसा औरो को, राजेन्द्रजी को बनाओ न ऐसा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं खेत में जाकर सोता हूं, पता चले खेत में जाकर सोओ तो।

मोहम्मद माहिर आजाद : मैं भी खेत में ही रहता हूं, रात को चला जाता हूं, सुबह आता हूं। आपका खेत दूर होगा, मेरा तो फिर भी पास है और वहां खाट पड़ी है, कभी आइए आपको भी आमंत्रित करता हूं।

श्री रामसिंह विश्नोई : खेत मे सोने से पेट्रोल जलता है उसका क्या करेंगे ?

श्री अमराराम चौधरी : माहिर आजादजी, आप और हम एक साथ कमेटी में रहे हैं, आप ए.सी. वाले रूम में और हमको तो बिना कूलर वाले में रोकते थे और ऐसी बातें करते हो ? हां, पांच साल हम साथ रहे हैं, जहां भी ए.सी. वाला कमरा होता तो आप कहते थे यह मेरे को दो।

श्री संयम लोढ़ा : अब आप आगे की पोल न खोल देना यहीं तक ठीक है।

मोहम्मद माहिर आजाद : नहीं माननीय उपाध्यक्ष मोहदय, यह और मैं तो मेम्बर थे, हमारे चेयरमैन तो पूर्व मुख्य मंत्री हीरालालजी देवपुरा थे तो अच्छा कमरा तो उनको मिलता था, आप और मैं एक ही खेत में रहते थे। साहब, क्यों गलत बात कर रहे हो। कहां ए.सी. कमरा मिलता है, जाओ वहां बैंगलोर में और दूसरी जगह, कोई एम.एल.ए हास्टल में ए.सी. देता है ? अच्छा, वहां तमिलनाडु में क्या हुआ था ? वह तो बताओं आप, चैन्नई में क्या हुआ था आपको पंखे का कमरा भी नहीं दिया गया था जयललिता ने।

(मोहम्मद माहिर आजाद)

मानतीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत गम्भीरता से सुझाव दे रहा हूं। माननीय मंत्रीजी एक सुझाव मैं आपको यह देना चाहता हूं कि जो स्ट्रीट लाइट है, कई बार आप देख लिजिए जयपुर में भी दिन में जलती रहती है। मेरा सुझाव यह है कि आप तीन पोल पर, हमको कोई चींटी चलती हुई तो देखनी नहीं है, जब बिजली का उत्पादन कम है और आवश्यकता है, यह उपयोग किसान के खेत में उत्पादन के लिए हो और फेक्ट्री में हो तो आप तीन पोल पर एक लाइट जलाए, दो को बन्द रख दीजिये तो भी राहगीर को तो रास्ता मिल जाएगा तो इससे बिजली का आपका कन्जम्पशन है वह कम होगा।

मैं आपसे एक निवेदन यह भी करना चाहता हूं कि लाइट का जो डेकोरशन होता है, इस लाइट के डेकोरेशन को भी किसी न किसी रूप में हमको कम करना चाहिए। यह मैं नहीं कहता कि बिलकुल ब्लैक आउट करके शादी कर दी जाए या फंक्शन बन्द कर दिये जाएं लेकिन इस लाइट से जो डेकोरेशन होता है इस पर जो बिजली खर्च होती है इसको निश्चित रूप से हमको कम करने का प्रयास करना चाहिए। विधान सभा में भी रात को देखो आप बाहर से खूब लाइट जलती रहती है। पिछली विधान सभा का जो बिल है वह 50 हजार, 60 हजार रूपये आता था, वह 6 लाख रूपये से ज्यादा आ रहा है तो मैं कुल मिलाकर कहना चाहता हूं, चाहे हमारा हो चाहे आपका हो, लाइट का जो डेकोरेशन है उसको कम करना चाहिए।

एक मैं आपसे निवेदन यह और करना चाहता हूं, काश्तकारा जब बिजली का कनेक्शन ले चाहे किसान ले, चाहे व्यापारी ले, चाहे उपभोक्ता ले तो पोल के हिसाब से हमको पैसा देना पड़ता है लेकिन जो कनेक्शन रिफण्ड कर दे, मना कर दे, कनेक्शन सरेण्डर कर दे उसको आप ने तो खम्भे का पैसा लौटाते हो, न आप तार का कोई पैसा लौटाते हो। ऐसी व्यवस्था आपकी जयपुर, विद्युत वितरण निगम या ऊर्जा विभाग में कहीं है ही नहीं। मान लो एक फैक्ट्री वाले ने अपनी फैक्ट्री के लिए बिजली का कनेक्शन लिया और 8 खम्भे लगवाए और आपने पर पोल उससे पैसा चार्ज कर लिया उसकी फैक्ट्री किस कारण से बन्द हो गई और वह कहता है मेरा कनेक्शन है, मैं सरेण्डर

(मोहम्मद माहिर आजाद)

करना चाहता हूं तो आप उसकी जो सिक्योरिटी है वह दे देते हैं और वह खम्भे, तार और मेटैरियल चाहे वही खडा रहे, चाहे वह चोर ले जाए, चाहे कोई दूसरा उठाकर ले जाए, उसको चाहे आप 25 परसेन्ट दें, चाहे उसको आधा दें जितना लिया है चाहे और कुछ कम जो भी कुछ है, कुछ तो उसको रिफन्ड की व्यवस्था करेंगे, इससे आपकी परिसम्पत्तियां जो बेकार रहती है वह वापस मिल जाएंगी। एक काश्तकार ने कुए पर कनेक्शन ले लिया, अब कुए में मान लो उसका पानी सूख गया, पानी नहीं है उसका कनेक्शन क्या काम करेगा तो जब आपने लाइन खींची तो उससे पैसा ले लो और वह लाइन वापस हटाने के लिए आपको सरेन्डर कर रहा है तब आप कुछ लौटाने की व्यवस्था नहीं करते है। इसका भी आपको इसमें प्रावधान करना चाहिए। आपने घोषणा पत्र में जयपुर में मतदाताओं से एक वादा किया था कि जो इलेक्ट्रोनिक मीटर, जो टेलीफोन, मोबाइल भी चार्ज हो रहा है तो भी चलता रहता है, टी.वी. का बटन ऑन है, टी.वी. नही चल रहा है तो भी चलता रहता है, हम इसकी समीक्षा करके इसका न्याय करने का काम करेंगे। 8 महीने में आपने क्या इस सम्बन्ध में कोई काम किया ? इस सम्बन्ध में आपने कोई काम नहीं किया। इसलिए कम से कम आप लोगों से ऐसा लुभावना वादा मत कीजिए जो पूरा नहीं कर सकते हो, इसको पूरा करने की आप कोशिश करो।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आखिर में एक और निवेदन के साथ अपनी बात खतम करना चाहूंगा, क्योंकि मेरा टाइम 20 मिनट के करीब होने जा रहा है। आपने बिजली की दरें बढ़ा दी हैं। वादा तो आपने चुनाव घोषणा पत्र में यह किया था कि हम जो बढ़ा हुआ है उसको भी तर्कसंगत करेंगे और कम करेंगे और आपने 15 पैसे यूनिट बढ़ा दी। अब आप इसका तर्क यह दो कि साहब, कोयले की कीमत बढ़ गई या डीजल की कीमत बढ़ गई है इसलिए बढ़ा दिया, ऐसा नहीं है, आप बिजली की छीजत रोककर के भी इस घाटे को पूरा कर सकते थे बिना बिजली की दर बढाए भी और मुझे उम्मीद है, कि अब और वापस बिजली की दर बढायेंगे या नहीं बढ़ायेंगे, अगर नहीं बढ़ायेंगे तो आप सदन के माध्यम से कम से कम राजस्थान की जनता को आश्वस्त करें कि जो कुछ गलत काम हो गया उस पर हम पश्चाताप करते हैं और आगे हम

(मोहम्मद माहिर आजाद)

दर नहीं बढायेंगे। पंचायत के चुनाव होने वाले हैं। पंचायत चुनावों में उनका उपयोग लेना है उसके बाद आप शायद बढ़ाने का इरादा रखते हो और नहीं बढाएं तो बहुत बढिया है लेकिन आपने कुछ उपभोक्ताओं की दरें बढ़ा दी, शहरी उपभोक्ताओं की बढा दी तो हमारी बिजली की दरें तो आपने बढ़ा दी तो हमारे विधायकों को जो विद्युत भत्ता है आज आखिरी दिन है, उसे भी बढ़ा तो कम से कम कुछ तर्कसंगत बात आपकी साबित होगी और नहीं तो यह जो आप मीठी-मीठी मुस्कान से बात करते हो, इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है इसलिए भोज करा दो, पिक्चर दिखा दो, हमारी बिजली का या तो एक्चुअल पेमेन्ट करने की बात करो या आज जो आपने वादा किया था या वह बिजली पर सभी सदस्य सहमत हैं और माननीय घनश्यामजी यह सारी चीजें आपके ऊपर आ रही है क्योंकि उस रोज बजट वाले दिन मुख्य मंत्रीजी तो बड़े हृदय से घोषणा करने वाली थी। आपने कह दिया बारिश हो जाने दो एक बार। अब तो बारिश भी हो गई चाहे आपके पूजा-पाठ से हुई हो इसलिए आज आप कम से कम वो बिल भी लाकर के जो बिजली की, टेलीफोन का भत्ता बढाने का काम करो।

उपाध्यक्ष महोदय, अन्त में मैं, यही कहना चाहता हूं कि कांग्रेस सरकार ने जो पावर जनरेशन बढ़ाया, जो रिफार्म किये जो बिजली का उत्पादन करके छोड़ है आप भी बिजली का उत्पादन बढ़ाओं टी. एण्ड डी. लोसेज को रोको और कांग्रेस ने जो अच्छे काम किये हैं जिनकी आपके तत्कालीन प्रधान मंत्रीजी ने भूरि-भूरि प्रशंसा की थी कम से कम अच्छे काम की तो आप भी प्रशंसा करो। इसी उम्मीद के साथ कि आप किसान को रबी की फसल के समय पूरी बिजली देंगे, पर्याप्त बिजली देंगे और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को भी जो सिंगल फेस की लाइट है, वह जितने समय शहर में दे रहे हैं उतने समय देंगे और बिजली का भार जो बढ़ा दिया वह तो गैर कानून काम किया है, चाहे किसान हो, उपभोक्ता हो उस पर बिजली भार आगे दाम बढ़ाकर के नही करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी चर्चा समाप्त करना चाहता हूं। उपाध्यक्ष, आपने जो समय दिया उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : डा. एन.एस. गुर्जर।

डा. एन.एस. गुर्जर (टोडारायसिंह) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी हमारे कांग्रेस के साथियों ने बहुत ही तारीफ की है कि हमने बिजली बढ़ा दी, हमने पावर जन्रेशन बढ़ा दिया, यह कर दिया, वह कर दिया.....

डा. सी.पी. जोशी : यह आज आखिरी दिन है जितने नम्बर लेने चाहो ले लो। आज आखिरी दिन है, आज के बाद में चान्स नहीं है कुछ भी।

डा. एन. एस. गुर्जर : यह ट्रिक तो आपसे सीखूगां कि अशोक जी के पास आपने नम्बर कैसे बढवाये थे। यह ट्रिक आपसे सीखूगां नं।

डा. सी.पी. जोशी : मैं तो अशोक जी के साथ शुरू से लास्ट तक था। इसलिए आखिरी दिन है, अच्छी परफार्मेन्स देना। राजेन्द्र जी बैठे हैं, घनश्याम जी बैठे है, सी.आर. ये भरेंगे।

डा. एन.एस. गुर्जर : अशोक जी गहलोत के पास आपने परफार्मेन्स करके नम्बर बढ़वाने का वह ट्रिक आपसे सीखूगां।

श्री संयम लोढ़ा : इनकी गाड़ी शुरू से पटरी पर थी. आपकी शुरूआात से ही पटरी पर से उतरी हुई है।

डा. सी.पी. जोशी : आज भी मौका है खाकी के बाद लक्ष्य में। खाकी में ही फैसला करवाया था, लक्ष्य में भी फैसला करवा देंगे। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : नाथूसिंह जी, सी.पी. जोशी जी के तो वहां नम्बर कम करने वाला नहीं था, आपके नम्बर कम करने वालों को तलाश लो, नम्बर उतने के उतने ही रह जायेंगे, कम नहीं होंगे।

डा. एन.एस. गुर्जर : ये मित्र तो दोनों तरह के होते है एक दूसरे के।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हम तो अच्छे पुराने मित्र हैं।

डा. एन.एस. गुर्जर : मैंने आपका नाम थोड़े ही लिया।

मोहम्मद माहिर आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, यह दाढ़ी में तिनका।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, ये सी.पी. जोशी साहब अपनी चाणक्य नीति से हम दो वर्षो पुराने मित्रों में दरार पैदा करना चाहते है। (व्यवधान)

डा. एन.एस. गुर्जर : वो नहीं होगा।

डा. सी.पी. जोशी : ये एक दोस्त और साथ में बैठे हुए हैं, इनके मन की भी पूछ लो आप।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : माननीय राजेन्द्र सिंह जी और नाथूसिंह जी जब दोस्त हो गये है तो और किसी की जरूरत ही नहीं है।

श्री रामसिंह विश्नोई : +++

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह तो सीधा आरोप लगा दिया। उपाध्यक्ष महोदय, इसको एक्सचेन्ज किया जाए। माननीय रामसिंह जी साहब ने व्यक्तिगत आरोप लगा दिया कि +++ यह एक्सचेन्ज कराओ। यह रिकार्ड में रहेगा।

श्री उपाध्यक्ष : इनकी यह मन्शा नहीं है।

श्री रामसिंह विश्नोई : मैंने सही बात कह दी, वापस निकालो।

डा. एन.एस. गुर्जर : वह तो तारीफ की होगी आपने।

श्री रामसिंह विश्नोई : मैं सही बात को विदडा करता हूं।

डा. एन.एस. गुर्जर : माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कहा कि हमने पावर जनरेशन बहुत कर दी लेकिन इनको मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं कि 250-250 मेगावाट यूनिट के सूरतगढ़ के दो पावर प्रोजेक्ट की शुरूआत तो हमारी सरकार ही करके गई थी और कोटा के जिस पावर जनरेशन की बात कर रहे हैं आर.ए.पी.पी. में, उसकी पाचवीं छठी इकाई तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी जी ने चालू करवाई है। इसलिए ये जो श्रेय ले रहे है वह गलत है। अगर आपने पावर जनरेशन बढ़ा दिया तो फिर किसानों को बिजली कम क्यों दी ? मैं आकड़े देकर के बताना चाहता हूं कि आपने पिछली साल जब आप सरकार में थे तो जून के महीने में 682 लाख यूनिट प्रति दिन

(डा. एन.एस. गुर्जर)

बिजली दी और उसकी तुलना में इस सरकार ने 771 लाख यूनिट बिजली प्रतिदिन दी। जुलाई में आपने पिछले साल 550 लाख यूनिट दी और इस सरकार ने 750 लाख यूनिट प्रतिदिन बिजली दी। आपने पावर जनरेशन कर दिया, सब कुछ कर दिया और टी.एण्ड डी. लोसेज भी घटा दिये, जैसा अभी पहले वक्ता बोल रहे थे, दावा कर रहे थे तो फिर बिजली कम क्यों दी और यह कम दी इसका क्या असर हुआ ? उपाध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने कहा कि 500 मेगावाट सूरतगढ़ की नींव तो हम ही रख गये और उसके बाद केन्द्र सरकार ने कोटा में बढाया। अब इन्होंने क्या किया ? रेट बढ़ा दी बिजली की। कम ही नहीं दी, बिजली की रेट भी बढाई। हम 55 पैसे प्रति यूनिट किसानों को बिजली देते थे और आपने आते ही 95 पैसा कर दिया और उसकी स्लेब्स बना दिये कि इतनी बिजली यूज करेंगे तो 95 पैसा, इतनी बिजली यूज करेंगे तो एक रूपये बीस पैसा, इतनी बिजली यूनिट यूज करेंगे तो इतना पैसा और उद्योग की तो 5 रूपये, 7 रूपये पर यूनिट बिजली की रेट बढ़ाकर कर दी जिससे उद्योग चौपट हो गये। आज यह जो 38 हजार छोटे उद्योगों को बन्द होने की बात आई और 600-650 बड़े उद्योग जितने भी बन्द हुए ये बिजली के कारण ही बन्द हुए। मैन कारण उनमें बिजली का था। आपने कुछ सुधार किया होता तो यह क्यों ऐसा होता। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि इन्होंने क्या किया। इनके टाइम में आंकड़े देना चाहता हूं। जब हम 1996-97 में थे तो टी.एण्ड डी. लोसेज केवल 24.93 प्रतिशत थे और इनके आते ही 42.61 प्रतिशत हो गये। इकट्ठा इतने टी. एण्ड डी. लोसेज हो गये। एक जमाना था जब हम 85 से 90 के बीच उधर बैठते थे तब केवल 23 प्रतिशत टी. एण्ड डी. लोसेस थे और यह लोसेज आपके टाइम पर बढ़े। उपाध्यक्ष महोदय, जापान के अन्दर केवल 7 प्रतिशत टी एण्ड डी लोसेज हैं, अमेरिका में केवल 8 प्रतिशत टी एण्ड डी लोसेज हैं बिजली के। इसलिए हम टैक्नीक को चेन्ज क्यों नहीं करते जिससे हमारी बिजली के टी. एण्ड डी. लोसेज कम हो सके।

इन्होंने कहा, जैसे अभी कह रहे थे कि अगर आप स्टेटवाइज देखें टी एण्ड डी लोसेज तो तमिलनाडु में केवल 17.31 प्रतिशत है जबकि राजस्थान में

(डा. एन.एस. गुर्जर)

इतने ज्यादा हैं। दूसरे राज्य में केवल 24.57 प्रतिशत है, पंजाब में 24 प्रतिशत के आसपास है, हरियाणा में 21 प्रतिशत है और आपके यहां पर 43 प्रतिशत है, यह किसकी देन है ? यह आपकी सरकार की देन है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि यह जो कह रहे हैं वह गलत है। टी एण्ड डी लोसेज ईयरली अगर आप देखे तो ईयरली में भी आपके आते ही ये बढ़ना शुरू हैं जो 29, 30, 42 बढते ही गये, कम नहीं हुए। इसलिए यह जो बात आप कह रहे हो और इसका कारण यह था कि जिसके कारण इनको बिजली मंहगी करनी पडी। बिजली मंहगी इसलिए भी की कि इन्होंने पांच कम्पनियां बना दीं। पांच कम्पनियां बनने के कारण एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेन्डिचर बढ़ गया। एक्सपेन्डिचर कितना बढ गया ? रिपयेर और मेन्टेनेन्स में 2.04 से 2.53 प्रतिशत हो गया, एम्पलायमेंन्ट कोस्ट 9.86 प्रतिशत से 8.93 प्रतिशत हो गई और जो सबसे ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव और जनरल एक्सपेसेज हैं यह 0.71 प्रतिशत से बढकर 1.04 प्रतिशत हो गये। एक्सपेन्डिचर बढ़ गया और इन्होंने यह नहीं किया, यह जो एक्सपेन्डिचर पांच कम्पनियों बनाने से बढ़ा जिसका उपभोक्ताओं के ऊपर भार डाल दिया। इसके अलावा करीब साढे अठाहर करोड़ रूपया इनके कारण ही प्राइस वाटर हाउस कूपर कम्पनी है उसको कन्सल्टेन्सी के नाम पर देना पड़ा। इसकी क्या जरूरत थी ? कोई जरूरत नहीं थी।

श्री संयम लोढ़ा : आप यह भी बता दो कि यह कन्सल्टेन्ट अपाइन्ट करने की निविदा सबसे पहले किसके शासन में हुई थी ? यह भी बता दो आप।

डा. एन.एस. गुर्जर : यह देखिए, हमारे टाइम पर भी पांच कम्पनियां बनाने का प्रस्ताव आया था लेकिन हमने ठुकरा दिया था। हमने नहीं बनाई। यह कम्पनियां बनाई हैं आपने। इसलिए कम्पनी ही नहीं बनी तो कन्सल्टेन्सी कहां हुई ? यह किसकी देन पड़ती है ?

श्री संयम लोढ़ा : चुनाव आ रहे थे इसलिए आपकी हिम्मत नहीं हुई। चुनाव सामने थे इसलिए आपकी हिम्मत नहीं हुई।

डा. एन.एस. गुर्जर : आपने ही आपके मंत्री पर आरोप लगाया था कि कमीशन खाया है इसमें।

श्री संयम लोढ़ा : हां, मैंने आरोप लगाया था सही है।

डा. एन.एस. गुर्जर : इस सदन में आपने आरोप लगाया था आपके मंत्री के ऊपर कि इसमें कमीशन खाया है इतने करोड़ों रूपये देकर के।

श्री संयम लोढ़ा : तो आप हमारे से अलग काम कर रहे हो क्या अब ? हमने तो हमारी सरकार को भी आगाह किया था, आप भी तो अपनी सरकार को आगाह करो।

डा. एन.एस. गुर्जर : आपकी सरकार के समय जो आपने कहा वहो ही कह रहा हूं और मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। इसलिए टी.एण्ड डी. लोसेज को जब तक नहीं रोका जाएगा, तब तक बिजली की स्थिति में सुधार नहीं हो सकता और यह प्रयास किया है इस सरकार ने जयपुर में एक गांव है बधाल और उस बधाल गांव में इन्होंने वन पेकेज हाउससेज के लिए और थी फेज एग्रीकल्चर के लिए बिजली दो। फीडर को थोडा अपग्रेड किया जिसके कारण टी. एण्ड डी. लोसेज घंटकर, बिजली चोरी तो रूक हो ही गई, पूरे 24 घण्टे गांव को बिजली मिल रही है और 15 प्रतिशत के ऊपर टी. एण्ड डी. लोसेज आ गये। एक गांव में एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में अभी काम चलाया, जो इस तरह का एक एक्पेरिमेन्ट किया। मैं चाहूंगा कि इस एक्पेरिमेन्ट को आगे भी बढाये। इस सरकार ने आते ही कनेक्शन देने में सरलीकरण किया। आपने ए.ईएन. और जे.ईएन. को पावर दे रखी थी। कितने पोल लगेंगे, यह वे तय करते थे और वे किसानों से पैसा लेकर के, पैसे दे दिये तो कीमत घंटा दी और पैसा नहीं दिया तो कीमत बढ़ा दी। इस सरकार ने सरलीकरण किया है और कनेक्शन में सारी चीजों को हटाकर उसको हार्सपावर से जोड किया कि कितने हार्सपावर का आप कनेक्शन लेंगे, उसमें क्या सिस्टम होगा इसलिए बहुत बड़ा सरलीकरण किया। यह काम भी किया। इसके साथ-साथ टी. एण्ड डी. लोसेज रोकने के लिए, चोरी रोकने के लिए, हमारे रूरल फीडर करीब 6000 है, 6000 रूरल फीडर में से इस साल 400 करोड़ रूपये करीब 400 फीडरों को अपग्रेड करने के लिए इन्होंने एक्सपेरिमेन्ट के लिए खर्च किये। एक फीडर के ऊपर 70 लाख रूपये

खर्च होंगे तो इस तरह से अपग्रेडशन का काम भी किया। यह काम भी इस सरकार ने किया उपाध्यक्ष महोदय। इसलिए इस सिस्टम को स्ट्रेथन करके यह कोशिश की जा रही है कि छह महीने के अन्दर 25 प्रतिशत से नीचे टी.एण्ड डी. लोसेज आ जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, ये कह रहे थे, हमारे यहां पर हम बिजली पैदा करें, अब इन्होंने बिजली की रेट क्यों बढ़ा द, इन्होंने यह नहीं कहा कि प्राइज वाटर कूपस वालों ने पैसा ही नहीं दिया, इलेक्ट्रोनिक्स मीटर खरीदे। उस इलेक्ट्रोनिक्स मीटर की खरीद 105 या 110 करोड़ रूपये की थी और इन्होंने घोटाला किया। मैं सरकार से चाहूंगा कि आप जांच कराये, मीटर पड़ें रहे, मीटर लगें नहीं, मीटर खरीद लिये और इन्होंने 105 या 100 करोड़ रूपये के मीटर लिये, कितने मीटर खरीदे, कितने मीटर लगे, आप जांच कराये और इस बात की ज़ांच करायें, मैं मंत्री महोदय से चाहूंगा कि इस तरह आप (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : आप आरोप लगा रहे है। आप नाम बताओ ना कि किस पूर्व मंत्री ने कमीशन खाया है। रोज कमीशन की बात करते हो। आप लिखकर दो ना।

डा. एन.एस. गुर्जर : मैं कह रहा हूं, मैं जांच की ही मांग कर रहा हूं। आप क्यों उछल रहे हो, मैं कह रहा हूं, मैं जांच के लिए कह रहा हूं। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं जांच की मांग कर रहा हूं। आप बिराज जायें। आप इन्टरप्शन नहीं करिये।

श्री संयम लोढ़ा : आप पूर्व मंत्री का नाम बताओ ना, आप नाम बताओ ना। आप खाली आरोप लगा रहे है।

डा. सी.पी. जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, आप खुद मंत्री रहे हुए है, आप खुद इलेक्ट्रिसिटी मंत्री रहे हुए हैं। उपाध्यक्ष महोदय, कल को यह आरोप लगाये तो यह रिकार्ड पर आना चाहिए, ये आसन से पहले...

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप आसन के ऊपर आरोल लगा रहे है।

डा. सी.पी. जोशी : मैं आसन को नहीं कह रहा हूं, हम पूर्व मंत्री को कह रहे हैं। हम उपाध्यक्ष महोदय, के ऊपर कोई आरोप लगा नहीं रहे हैं, पूर्व इलेट्रिसिटी मंत्री रहे हुए हैं ये भी। आपके समय में भी बड़ा प्रोक्योरमेन्ट हुआ है, अगर इन पर आरोप लगाया है तो लिखकर दें आप।

डा. एन.एस. गुर्जर : आपको ज्यादा दिक्कत हो रही है क्या ? उपाध्यक्ष महोदय, अगर आपको ज्यादा दिक्कत होती है तो मैं वापस ले लेता हूं उनका नाम। आपको ज्यादा दिक्कत हो रही है तो वापस नाम ले लेता हूं, मैं उनका नाम वापस ले लेता हूं। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह तो कोई व्यवस्था एक पूर्व मंत्री को नहीं है।

डा. एन.एस. गुर्जर : मैंने नाम वापस ले लिया है आपको ज्यादा दिक्कत हो रही है तो।

डा. सी.पी. जोशी : आप हमको क्यों समझा रहे हो, आप उनको समझाओ। आपको ज्यादा परेशानी हो रही है तो।

श्री महावीर प्रसाद जैन : ले लिया ना नाम वापस।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय महोदय, माननीय सदस्य। बिराजे जायें।

एम माननीय सदस्य : चन्द्रभान जी का नाम नहीं लिया।

डा. बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, आप बिराज जाओ एक मिनट, बिना पूर्व नोटिस के, जो माननीय सदस्य इस सदन में नहीं है।

डा. एन.एस. गुर्जर : मैंने नाम नहीं लिया है। नहीं, मैंने ही नाम वापस ले लिया, हटा क्या दिया (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : यह अंकित नहीं होगा। वह इसको हटा दिया है। इन्होंने वापस ले लिया है।

डा. एन.एस. गुर्जर : वे खडे हो गये तो मैंने नाम वापस ले लिया, क्यों इंटरप्शन कर रहे हो, इनको ज्यादा तकलीफ हो रही है।

डा. सी.पी. जोशी : हम तो ज्यादा नहीं कह रहे हैं लेकिन कोई आरोप लगाने से पहले नोटिस तो दो।

डा. एन.एस. गुर्जर : लेकिन मैं चाहूंगा कि आप इस मीटर घोटाले की जांच करायें। इतना ही नहीं...

श्री संयम लोढ़ा : माननीय सदस्य, आप बहुत वरिष्ठ सदस्य है, तकलीफ की बात नहीं है। आप बहुत वरिष्ठ सदस्य है, आपसे हम सीखना चाहते है। तकलीफ की कोई बात नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : आप बीच में नहीं माननीय सदस्य।

डा. एन.एस. गुर्जर : मैंने नाम वापस ले लिया ना, आप क्यों परेशान हो रहे हो ? आपने कहा और मैंने चलाकर नाम वापस ले लिया क्योंकि आपको तकलीफ होगी, मुझे मालूम है इसलिए...(व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : तकलीफ की बात नहीं है, आप ही के मंत्री के ऊपर लगा रहे हो।

डा. एन.एस. गुर्जर : कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैंने नाम वापस ले लिय, इसमें बहस क्यों कर रहे हो, मुझे बोलने दीजिये आगे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहूंगा, जब यह सरकार आई और इस सरकार ने आते ही 17-08-1999 को एक इन्पैक्शन सैल बना हुआ था, जो ट्रान्सफार्मर खरीदे जाते थे, मीटर खरीदे जाते थे, बिजली का और समान खरीदा जाता था, उसमें उसकी जांच की जाती थी। एक कमेटी बनी हुई थी इन्जीनियर्स की, टैक्नोकल लोगों की, आते ही सबसे पहले इस सरकार ने सबसे पहला काम यह किया कि 17-08-1999 को इस इन्सपैक्श्न सैल को समाप्त कर दिया। उसका परिणाम क्या हुआ, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा रामानारायण चौधरी साहब को, इस सदन में नहीं है इस समय, ये मंत्री बने और उन्होंने आते ही 15-06-2002 को उस इन्सपैक्शन सैल को वापस रिवाइज किया और रिवाइज करने के बाद में तब जांच में घोटाला पकड़ में आया, वे भी आपकी ही पार्टी के थे, मैं उनको धन्यवाद दे रहा हूं। तीन करोड़ रूपये का ट्रान्सफार्मर के अन्दर भूसा भरा हुआ मिला. उपाध्यक्ष महोदय, भूसा भरा हुआ मिला। किसकी मिलीभगत से ? किन-किन कम्पनियों से खरीदा गया ? ब्लैकलिस्टेड कम्पनियों से खरीदा गया और जब वह घोटाला सामने आया तो

(डा. एन.एस. गुर्जर)

उसके आधार पर बड़े-बड़े इंजीनियर्स को सस्पेण्ड किया गया और सस्पेण्ड करने के बाद, कुछ दिनों के बाद जांच पेन्डिंग करके उनको वापस ले लिया। यह किसने किया ? मैं चाहता हूं मंत्रीजी उसकी जांच करायें और उनके खिलाफ कार्यवाही करें। जिन लोगों ने भी ऐसा काम किया है।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में कोई बिजली की कमी नहीं है। अकेले हम बाड़मेर और जैसलमेर जिलों के अन्दर चले जायें तो वहां पर तीन तरह से बिजली पैदा हो सकती है अभी वहां तो कई तरह से बिजली पैदा हो रही है लेकिन यदि हम लिग्नाइट से बिजली पैदा की बता करें तो सबसे ज्यादा लिग्नाइट से तमिलनाडु के अन्दर 82 प्रतिशत है। उसके बाद राजस्थान में पांच प्रतिशत की मात्रा हमको उपलब्ध है। करीब 5,000 वर्ग किलोमीटर एरिया में बाड़मेर और जैसलमेर में लिग्नाइट के भण्डार भरे पड़े हैं। गुजरात में केवल तीन प्रतिशत लिग्नाइट है लेकिन गुजरात सरकार ने 25 प्रतिशत उसका यूज कर लिया जो लिग्नाइट यहां पर उपलब्ध है उसका और राजस्थान सरकार केवल मात्र 0.06 प्रतिशत का ही दोहस कर पाई है लिग्नाइट का और लिग्नाइट में अब तो हमने भी एक शुरूआत कर दी यहां पर इन्होंने बाड़मेर जिले के गिरल गांव में जिसमें 2006-2007 तक शुरू हो जाएगा और यह केन्द्र की योजना है जिसमें करीब 2500 मेगावाट बिजली पैदा कर सकेंगे, एक जो एन.एल.सी. (नेबेली लिग्नाइट कारपोरेशन) है, 2500 मेगावाट बिजली पैदा कर सकेंगे। तीन स्टेज होती है इसमें। इसमें एक (आई.एम.जी) इंटर मिनिस्टर ग्रुप होते हैं, उन्होंने परमिशन दी। (पी.आई.बी.) प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेन्ट बोर्ड ने उसकी मन्जूरी दी। एक (सी.सी.ई.ए) केबिनेट कमेटी ऑन इकोनोमिक अफेयर्स, इसमें यह मामला अटका पढ़ा है। मैं राजस्थान की सरकार से चाहूंगा कि आप जल्दी वहां जाकर इसको क्लियर कराइये और इसको शुरू कराइये तो राजस्थान का बहुत बड़ा फायदा होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, लिग्नाइट के ऊपर यदि हम काम करें, तो पिट हैड पर ही वहां पर पावर हाउस लगाये जा सकते हैं जिससे करीब 3500 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो सकता है। बाड़मेर और जैसलमेर में लिग्नाइट और

गैस के विपुल भण्डार है। अगर दोनों को यूज करके बनाया जाये तो करीब 2000 मेगावाट बिजली हो सकती है काल्ड बैड के अन्दर जहां कौल है, वहां पर मीथेन गैस निकलती है नीचे, 1500 फुट नीचे मीथेन गैस मिलती है, अगर इसमें बिजली पैदा हो जाये तो 10,000 मेगावाट बिजली राजस्थान को मिल सकती है। उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह से 250 फुट नीचे भण्डार है कोयले का, उसको जलाकर 'अण्डरग्राउण्ट कोल गैसी फिकेशन से किया जाये तो 3500 मेगावाट बिजली मिल सकती है। यह बिजली इतनी मात्रा में हमको मिल सकती है कि हम सैल्फ सफिशियन्ट हो सकते है, आत्मनिर्भर हो सकते है बिजली में और इसके अलावा हम दूसरे राज्यों को बिजली दे सकते है। इसलिए इस पर काम किया जाये। मेरे पास एडमिनिस्ट्रेटिव रिफोर्म्स रिपोर्ट है, पाकिस्तान के अन्दर हमारे तनोट के पास हमने इधर कुआ खोदने के लिए ओ.एन.जी.सी. को दिया, फिर शैल को दिया। जो शैल-कम्पनी इधर काम नहीं कर रहीं है। वह पाकिस्तान में काम कर रही है कई सालों से और वहां एक तो सहारा, मरी और मेयानों यह कुछ जगह है, एक कनाडियारी है, ये पाकिस्तान के बोर्डर के गांव है जहां पर गैसे निकल रही है। वह गैस से बिजली पैदा करके इससे कराची और लाहौर में 100 प्रतिशत बिजली का जो यूज होता है, उसको वह सप्लाई कर रहे हैं और टोटल पाकिस्तान को देखा जाये तो 10 प्रतिशत पेट्रोलियम और गैस की आपूर्ति कर रहे हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि जिस कम्पनी को यहां पर दिया गया है, ये जितनी कम्पनियां काम कर रही है राजस्थान में मिडिल ईस्ट पैसा देती है इनको, कि आप स्लो करो, काम को धीमी करो और इसके लिए उनको कमीशन दिया जाता है। यदि राजस्थान के अन्दर पैट्रोल, तेल और गैस निकलने लग गई तो उनके ऊपर असर पड़ेगा इसलिए इन कम्पनीज को पैसा देकर के वह हमारा काम धीमे करवाना चाहते हैं। सरकार को इस पर चिंतित होने की आवश्यता है और केन्द्र सरकार से बातचीत करके जो लाइसेन्स देने का हमको अधिकार है उस अधिकार को वापिस लेना चाहिए और इस काम को आगे बढ़ाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं अभी मैंने पढ़ा था, मुझे एग्जेक्ट मालूम नहीं है, सब्जेक्ट टू करेक्शन कि हमारी मुख्य मंत्रीजी प्रधान

(डा. एन.एस. गुर्जर)

मंत्रीजी से मिली थी। हिमाचल के अन्दर केन्द्र सरकार पचास हजार मेगावाट बिजली बनाने जा रही है, जो फाल्स है, जो नदियां हिमाचल में, उनसे पचास हजार मेगावाट बिजली प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी वाजपेयी थे, उन्होंने यह घोषणा की थी कि हम पचार हजार मेगावाट बिजली वहां पैदा करेंगे। राजस्थान की मुख्य मंत्री मिली, वर्तमान मुख्य मंत्री और उनको आश्वासन दिया गया, मैं फिर कह रहा हूं, सबजेक्ट टू करेक्शन मेरे पास कागज नहीं है लेकिन जो मुझे जानकारी मिली है, 21 प्रतिशत बिजली पचास हजार मेगावाट में से मिल गई तो राज्य सरकार का भाग्य बदल जायेगा। यहां पर कारखाने आयेंगे, किसानों को खूब बिजली मिलेगी और हमारे यहां पर बिजली की कोई कमी नहीं रहेगी। इसलिए सरकार जो यह चीजें हैं इनके ऊपर ध्यान दें। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : अब भी बिजली पैदा नहीं कर सके तो आप जिम्मेदार हो, इतनी अच्छी राय दे रहे है वह। घनश्याम जी अब भी आप उपयोग नहीं लो इनका।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : नहीं, आप तो विष्णु मोदी और नाथूसिंह जी के ज्ञान का उपयोग अपना पार्टी के लिए नहीं लेना चाहतें, अब भी बिजली की शार्टेज रहेगी तो फिर तो दुर्भाग्य है हमारा कि इतनी बड़ी राय का भी उपयोग नहीं ले रहे है आप।

मोहम्मद माहिर आजाद : नहीं, आप उत्तर देने के लिए हो, माननीय घनश्याम जी, आप उत्तर देने के लिए हो, वह करेंगे तो फिर खींवसर साहब क्या करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय गुर्जर साहब, समाप्त कीजिये, कनक्लूड कीजिये।

डा. एन.एस. गुर्जर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं जो बोल रहा हूं, मैं कोई हवा में तीर नही मार रहा हूं।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : हमारे नागौर के माननीय मंत्री है और आप इनको अक्ल में कम आंकते हो क्या ? बहुत विद्वान आदमी है, यह कैसे नहीं

(श्री रिछपाल सिंह मिर्धा)

करेंगे। बहुत इन्टेलीजेन्स आदमी है यह पिछली बार उपाध्यक्ष महोदय, पूरे राजस्थान की सडकों को सुधार दिया था हेमामालिनी के गालों जैसी बना दिया और यह सुधार देंगे पूरे राजस्थान की बिजली को, आपको यहां बैठे-बैठे झटका लगेगा।

डा. एन.एस. गुर्जर : इनको बैठाइये, मैं एक मिनट में कनक्लूड करता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, यह मैं केवल हवा में तीन नहीं मार राह हूं, जिस तरह से माननीय सदस्य बोल रहे थे, आपकी सरकार ने एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिफोर्म्स कमीशन एन्टेब्लिश किया था जिससे चैयरमेन माननीय श्री शिवचरणी माथुर थे। उनकी इलेवन्थ रिपोर्ट आन पेट्रोलियम, गैस एण्ड लिग्नाइट, इसमें लिखा हुआ है, यह आपकी ही सरकार का डाकूमेन्ट मैं कोट कर रहा हूं, मैं कोई हवा में तीर नहीं चला रहा।

डा. सी.पी. जोशी : आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। आप उस रिपोर्ट को कोर्ट कर रहे हैं कि उस रिपोर्ट और आपके ज्ञान का उपयोग लेकर बिजली पैदा करें जिससे राज्य का भला हो, यह बात कह रहे है हम।

डा. एन.एस. गुर्जर : नाथद्वार से आने वाले माननीय सदस्य, आपको ध्यान होगा, हमारी मुख्य मंत्री जब जवाब दे रही थी तो उनहोंने एक बात कही थी कि उपयोग आपने बनाया, आयोग की रिपोर्ट आपके एक्स चीफ मिनिस्टर ने दी, लेकिन आपके उस आयोग की रिपोर्ट को रद्दी की टोकरी में डाल दिया और इन्होंने कहा था, मैं आई हूं, वापिस झाड़-फूंक करके रिपोर्ट को निकलवाऊंगी और उसमें जो भी राज्य के हित में होगा, उनको लागू करवाऊंगी। यह हमारी मुख्य मंत्री ने कहा है। आपने लागू उस समय नहीं किया।

डा. सी.पी. जोशी : आखिर यह जो सेन्टेन्स है न, यह उपयोगी सेन्टेन्स है। यह मुख्य मंत्री के पक्ष में आपने बात की वह रिकार्ड की जायं। बाकी सब बातों का कोई मतलब नहीं है, बाकी रिकार्ड कोई मतलब नहीं है।

डा. एन.एस. गुर्जर : इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं अंत में इतना ही चाहूंगा कि वास्तव में कई बार राजस्थान के अन्दर कभी उत्तरी ग्रिड फेल हो जाता है, कभी क्या हो जाता है, बिजली की कई बार कमी आती है। करीब पन्द्रह-बीस दिन, महीना पहले बिजली की बड़ी कठिनाईयों से राजस्थान को भी गुजरना पड़ा। लेकिन फिर भी, उपाध्यक्ष महोदय, आठ राज्य आते है नार्थ ग्रिड में, उन आठ राज्यों में अगर तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो बिजली में सबसे ज्यादा अच्छी स्थिति राजस्थान की रही। राजस्थान ने ज्यादा बिजली दी। सौ दिन की कार्य योजना थी उसमें हमने सोलह-सोलह घण्टे बिजली गांवों के अन्दर दी। बीच में कभी उत्तरी ग्रिड फेल हो गया कभी कोई-सी यूनिट बन्द हो गई, कभी कौन सी यूनिट, तो बीच में एक झटका लगा जिससे जयपुर तक में कटौती करनी पड़ी, एसे झटके हमारे नहीं, दूसरी स्टेटस में भी लगते रहते हैं इसलिए मैं आपसे चाहूंगा कि जितनी भी मांग की है उनकी जांच कराइये और बिजली की स्थिति और सुधारे, मैं चाहता हूं कि किसानों की और घरेलू उपभोक्ताओं को भी दो श्रेणियों बनाइये। एक तो बड़े जो पूंजीपति है और जो कमर्शियल यूज में बिजली लेते हैं उनकी रेटस अलग अलग बनाइये और जो गरीब उपभोक्ता हैं उनकी रेटस अलग-अलग बनायें ताकि जो गरीब उपभोक्ता है उनको भी लाभ मिल सके और किसानों को लाभ मिल सके। इन्हीं शब्दों के साथ आपने बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री ओ.पी. महेन्द्रा।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय उपाध्यक्ष जी, आप टाइम नोट कर रहे हो तो यह विद्वान सदस्य पच्चीस मिनट बोले हैं।

डा. एन.एस. गुर्जर : आपको तकलीफ हो रही है, आप बाइस मिनट बोले तब तो मैंने नहीं कहा।

मोहम्मद माहिर आजाद : मैंने यह थोडें ही कहा है। बोल चुके हो तब बोला हूं।

डा. एन.एस. गुर्जर : मैंने कोई इन्टरप्ट नहीं किया तब आपको। पांच मिनट तो आप लोगों ने ही इन्टरप्ट किया है मुझे।

मोहम्मद माहिर आजाद : बोल चुके हो तो कह रहा हूं, पहले तो नहीं टोका बीच में एक बार भी। एक तो सही बात कहो तो भी बुरी लगती है आपको सही कहते है तो भी बुरी लगती है।

डा. एन.एस. गुर्जर : उलटा आपको इन्टरप्ट कर रहे थे तो मैंने इन्टरप्ट करने से रोका था।

मोहम्मद माहिर आजाद : मैंने नहीं रोका आपको।

डा. एन.एस. गुर्जर : नहीं, मैंने रोका जब आपको इन्टरप्ट किया जा रहा था तो।

डा. ओ.पी. महेन्द्रा (केसरीसिंहपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में राज्य में विद्युत की स्थिति पर विचार चल रहा है। हमारे प्रतिपक्ष के कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कई बातों का जिक्र किया है। यह कहा गया कि कांग्रेस के शासनकाल में सूरतगढ़ में थर्मल पावर स्टेशन की स्थापित करने का, उत्पादन बढ़ाने का कार्य उन्होंने किया। जहां तक मुझे जान पडता है कि हमारे तत्कालीन मुख्य मंत्री और महामहिम उप राष्ट्रपति के प्रयासों से सूरतगढ़ में थर्मल पावर स्टेशन की स्थापना हुई थी और उनके कार्यकाल में ही विद्युत का उत्पादन शुरू हुआ था। उसके बाद निश्चित रूप से जो योजना थी उसका विस्तार हुआ लेकिन यह कहना कि हमारे कारण से ऐसा हुआ, यह उचित नहीं है। हमारे एक साथी खजाना खाली होने का जिक्र कर रहे थे। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने हमारे मुख्य मंत्री ने कभी खजाना खाली होने की बात नहीं कही, यह खजाना खाली होने का रोना तो जब आपकी सरकार आई थी तब आपने शुरू किया था और उस समय हमारे तत्कालीन प्रतिपक्ष नेता ने टिप्पणी भी की थी कि सरकार का खजाना खाली नहीं होता, सरकार एक सतत् प्रक्रिया है, सरकार के इरादे नेक हों, दृढ संकल्प लेकर सरकार काम करे तो खजाना भरा जा सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी बात आई बिजली देने की, विद्युत समस्याओं पर चर्चा चल रही है तो मैंने बताना चाहता हूं कि पिछले कांग्रेस शासनकाल में वास्तविक रूप से किसानों को कृषि सीजन में कभी भ चार-पांच घण्टे से ज्यादा बिजली नहीं मिली लेकिन हमारी सरकार के आने के बाद किसानों को

(डा. ओ.पी. महेन्द्रा)

वायदा किया गया था कि कृषि कार्यों के लिए कृषि सीजन में आठ घण्टे बिजली देंगे और हमारी सरकार ने ने आठ घण्टे बिजली दी। कांग्रेस के शासनकाल में तो छात्र आन्दोलन करते रहे कि उन्हें सायंकाल सात से ग्यारह बजे तक बिजली दी जानी चाहिए, नहीं दी गई। हमारी सरकार ने आने के बाद छात्रों को अध्ययन के लिए राज्य से सायं सात से ग्यारह तक निरन्तर बिजली दी गई। उसी प्रकार से गृहणियां मांग करती रहीं कि प्रातःकाल बिजली दी जानी चाहिए लेकिन पिछले पांच साल के शासनकाल में प्रातःकाल गृहणियों के लिए, उनकी सुविधा के लिए बिजली नहीं दी गई लेकिन हमारी सरकार ने सुबह चार से छह गृहणियों की सुविधा के लिए निरन्तर बिजली उपलब्ध करवाई है। अभी कृषि की बात हो रही थी, मैं आपको बताना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय, कि कृषि सीजन में किसानों को कांग्रेज के शासनकाल में 700 से 725 लाख यूनिट प्रतिदिन विद्युत की सप्लाई दी गई जबकि भाजपा के शासनकाल में आने के पश्चात किसानों को कृषि सीजन में 875 से 900 लाख यूनिट प्रतिदिन विद्युत आपूर्ति दी गई। इस प्रकार भाजपा शासन ने प्रतिदिन 150 से 175 लाख यूनिट अधिक विद्युत किसानों को उपलब्ध करवायी। यह प्रतिशत में 20 प्रतिशत ज्यादा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस शासन में कृषि कनेक्शन जो ट्यूबवेल और कुओं के थे वो शिफ्ट कराने के लिए एक हैक्टेयर कृषि भूमि की रजिस्ट्री करवानी पड़ती थी जिससे किसानों पर बहुत भारी पड़ता था लेकिन भाजपा के शासन काल में आने के पश्चात कनेक्शन शिफ्टिंग में जो रजिस्ट्री की शर्त थी उस अनिर्वायता को समाप्त करके किसानों को राहत दी गई। गत वर्षो में किसानों को आवेदन करने के पश्चात कृषि कनेक्शनों के लिए 10 से 12 वर्षो तक निरन्तर इन्तेजार करना पड़ता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शासन में आने के पश्चात लम्बित कनेक्शनों के लिए एक विशेष योनजा बनाई गयी है। 10-12 वर्षो के 1,75,474 लम्बित कनेक्शन है। अगामी तीन वर्षो में सरकार ने घोषणा की है कि प्रति वर्ष 60 हजार कनेक्शन किसानों को दिये जायेंगे तो कृषि कनेक्शन ऑन डिमाण्ड हो जाएंगे और 2-3 महीने के पश्चात ही किसानों को कृषि कनेक्शन मिलने लगेंगे। हमारी सरकार ने आते ही सौ दिवसीय कार्य योजना बनायी।

(डा. ओ.पी. महेन्द्रा)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, निवर्तमान सरकार का 2003-2004 का जो कृषि कनेक्शन देने का लक्ष्य था वो था 15 हजार कृषि कनेक्शन देने का। हमारी सरकार ने सौ दिवसीय कार्य योजना में इसे बढ़ा कर 20 हजार कृषि कनेक्शन किया और इसके विपरीत 22817 कृषि कनेक्शन किसानों को दिये गये। इसी प्रकार से माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे राजस्थान में सैकड़ों हजारों की संख्या में ढाणिया विद्यमान है। कांग्रेज शासन में ढाणियों के विद्युतीकरण का कार्य लगभग ठप्प हो गया था क्योंकि गांव की आबादी भूमि के बाद प्रति मीटर 120 रूपये 150 रूपये का खर्च ढाणियों के निवासियों वहन करना पड़ता था जिससे पिछले 5 वर्षो में ढाणियों के विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण रूप से ठप्प हो गया था।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि मुझे ज्ञात हुआ है मुझे जानकारी मिली है उसके अनुसार राज्य की लोकप्रिय संवेदनशील मुख्य मंत्रीजी ने ढाणियों के विद्युतीकरण की एक बहुत ही सर्वोत्तम योजना बनायी है। जिसमें 500 मीटर के रेडियलस में अगर 15 घर हैं या 60 की आबद है तो 11 के.वी. लाइन व सब स्टेशन का पूरा खर्चा सरकार वहन करेगी तथा ढाणियों वालों का मात्र 1500 रूपये में कनेक्शन दिया जाएगा। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि यह योजना कब तक क्रियान्वित कर दी जाएगी ?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बिजली की चर्चा में सम्मिलित होता हुआ माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कुछ प्रेक्टिकल प्राब्लमस है हमारे राज्य में। हमारा देश गांवों का देश है। गांव का देश होने के नाते देश की 70 प्रतिशत आबादी जहां गांव में निवास करती है वहीं राजस्थान में भी गावं में निवास करने वालों की संख्या 70 प्रतिशत से अधिक है। राजस्थान में वर्तमान समय में कुल 41,353 गांव हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पिछले 50 सालों में लगातार विद्युत देने में शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में भेदभाव होता आया है। मेरा सरकार से अनुरोध है आपके माध्यम से कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्र का जो भेद है, गांव में विद्युत आपूर्ति कम रहती है तो इस भेद का समाप्त किया जाना चाहिए। जिस प्रकार शहरों में विद्युत सप्लाई दी

(डा. ओ.पी. महेन्द्रा)

जाती है उसी प्रकार गांव में विद्युत सप्लाई दी जानी चाहिए।

मैं कुछ सुझाव माननीय मंत्रीजी को देना चाहता हूं कि जिन ग्रामीण क्षेत्रों में जी.एस.एस. स्थापित है वहां 24 घण्टे विद्युत सप्लाई दी जानी चाहिए उसी प्रकार से जिन गांवों की आबादी 5 हजार से अधिक है उनकी भी 24 घण्टे विद्युत सप्लाई दी जानी चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं जिस विधान सभा क्षेत्र से आता हूं कैसरीसिंहपुर विधान सभा क्षेत्र वहां पर 40 प्रतिशत के लगभग आबादी अनुसूचित जाति के लोगों की है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो गांव है, हमारे केसरीसिंहपुर विधान सभा क्षेत्र में जो गांव है वहां पर अनुसूचित जाति की बस्तियों में विद्युतीकरण का अभाव है। मैं यह तो नहीं कहता पूर्ण रूप से लेकिन सभी गांवों में जो हरिजन बस्तियां है उनमें विद्युतीकरण करने की आवश्यकता है। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि केसरीसिंहपुर विधान सभा क्षेत्र में दलित बस्तियों को भी विद्युत से जोड़ा जाए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत आभार।

श्री उपाध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि अजा सदन की बैठक अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने और राष्ट्रगान के पश्चात इसी सदन में राष्ट्रमण्डल संसदीय संघ सी.पी.ए. राजस्थान शाखा की साधारण सभा की बैठक होगी। अतः सभी सदस्यगण कार्यवाही स्थगित होने के पश्चात भी सदन में ही बिराजे रहेंगे। श्री अमराराम (धोद)

श्री अमराराम (धोद) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में राजस्थान बिजली की स्थिति पर चर्चा हो रही है और राजस्थान सबसे ज्यादा बिजली की बिगाडने का काम और उपभोक्ताओं को बिजली से महरूम करने का काम जिस नीति के माध्यम से हुआ है वह 1998 की तत्कालीन सरकार ने शुरू की। अभी टोडारायसिंह से आने वाले माननीय सदस्य ने भी अपने विचार

(श्री अमराराम)

रखे। बिजली सुधार विधेयक के माध्यम से बिजली सुधार और निजीकरण की प्रक्रिया राजस्थान में शुरू की गई है। जब यह बिल सदन में रखा गया तत्कालीन सरकार और विद्युत मंत्री ने रखा था कि आज आवश्यकता है, बहुत बड़ी प्राइवेट इन्वेस्टमेन्ट आएगा। राजस्थान को अनाट्रिप्ड बिजली मिलेगी, सस्ती बिजली मिलेगी, घाटा कम होगा और उसके साथ-साथ आम उपभोक्ताओं और किसानों को सस्ती बिजली मिलेगी। आज इन पांच सालों के बाद बिजली सुधार के नाम से राजस्थान में बिजली को बिगाडने का काम किया, उसका नतीजा आपको भी निश्चित रूप से भोगना पड़ेगा चाहे सदन में आप नहीं मानें इसको आज इन्वेस्टमेन्ट नहीं आया। पांच साल में प्राइवेट इन्वेस्टमेन्ट नाम की चीज ने केवल राजस्थान में बल्कि देश में कहीं भी पावर सेक्टर में इन्वेस्टमेन्ट नहीं आया है। हमारा घाटा और बढ़ गया क्योंकि एक बोर्ड की जगह 5 हमने कम्पनियां करके इन्वेस्टमेन्ट को बढ़ा दिया। हर काम को हमनें निजीकरण में देने का किया लेकिन उसका फायदा न लाइन लोसेज में आया है, न घाटे में आया है, न बिजली में। तय रूप से इस सुधार के बाद में पूर्ववर्ती सरकार ने बिजली के उत्पादन में इन्वेस्टमेन्ट किया उससे बिजली की बढोतरी हुई। निश्चित रूप से कोई इस बात के इन्कार नहीं करेगा लेकिन इस नीति के चलते हुए मैं समझता हूं कि राजस्थान के उस आम उपभोक्ता और जो सबसे ज्यादा इससे पीडित है राजस्थान की खेती और गांव का गरीब निश्चित रूप से इससे सफर कर रहा है और इसका नतीजा उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पिछले विधान सभा के सत्र में अजमेर कम्पनी का पिछले तीन साल का घरेलू उपभोक्ताओं का प्रश्न पूछा कि तीन साल में कितने कनेक्शन हुए और कितने कनेक्शन कटे बिजली की रेटें बढने के कारण। हालत यह हो गयी 1,26,000 कनेक्शन कटे और 96 हजार कनेक्शन हुएं। मतलब जितने कनेक्शन हुए उससे ज्यादा कनेक्शन कटे हैं वो चाहे आप घरेलू कनेक्शन में ले लीजिये चाहे वो एग्रीकल्चर में ले लीजिए। इन नीतियों का नतीजा उस गरीब आम उपभोक्ता में चाहे वो कृषि में है चाहे वो घरेलू में है उसके साथ उसका एड्वर्स इफेक्ट हुआ है और इस नीति का मकसद एक ही है कि उन बड़े उपभोक्ताओं को जो उपभोग करते है। उनको बेनीफिट दिया जाये और किसान

(श्री अमराराम)

और आम उपभोक्ताओं को बिजली से महरूम किया जाये, इस नीति का मूल मकसद यह है। आपकी सरकार के ऊर्जा मंत्रीजी ने हमें एक विधेयक भेजा है चर्चा करने के लिए, अपनी राय देने के लिए निश्चित रूप से इस विधेयक रूप से भी आगे जाकर उस विधेयक पर आप क्या विचार करेंगे यह तो आपकी सोच पर है क्योंकि राजस्थान में इससे पहले व्यवस्था रही है क्रास सब्सिडी की। बड़े उपभोक्ता है, जो औद्योगिक उपभोक्ता है उनसे ज्यादा रेट लेकर राजस्थान के कृषि और आम उपभोक्ता को क्रास सब्सिडी करते रहते है। अब आप आने वाले समय में उस बिल के माध्यम से यह व्यवस्था करने जा रहे है कि जो बडे उपभोक्ता हैं, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 में जो प्रावधान किये गये है कि वह बड़ा उपभोक्ता 1.5 एम.बी.ए. उपभोक्ता है, वह कहीं से भी बिजली ले सकता है। वह हिमाचल से भी ले सकता है, जम्मू कश्मीर से भी ले सकता है, उत्तर ग्रिड में किसी भी राज्य से ले सकता है लेकिन आम उपभोक्ता और किसान नहीं ले सकता और पैटर्न पर आप जा रहे है तो मैं समझता हूं यह विधेयक और इसके बाद आगे जो विधेयक ला रहे हैं राजस्थान के आम उपभोक्ता को बिजली से महरूम करने का होगा।

दूसरा आपने बड़ी बात की है, मैं मंत्रीजी को इस बात के लिए तो धन्यवाद दूंगा कि एक बात में तो आपने वापस लिया है लेकिन राजस्थान के किसान के साथ किस तरह से वह इस प्रायोरिटी से हम 3 साल में दे देंगे, मैं नहीं समझता हूं। घोषणा तो अहुत अच्छी लग रही है। 14 साल तक से किसानों के कनेक्शन पेड़ग है। आपने इस नीति में 2 साल का कट ऑफ डेट बढाई है। 2-2 साल की आप बढ़ायेंगे तो 5 साल में तो 10 साल ही कवर होंगे। आप 14 साल के सब किसानों को किस तरह से कनेक्शन दे देंगे। अगर 3 साल में आप सब को कनेक्शन देना चाहते हैं तो कम से कम इसी साल में आप 5 साल की कटआफ डेट अगर बढाते तो निश्चित रूप से तीन साल में जो कनेक्शन पेन्डिंग है वह हो जाते लेकिन आपने कट ऑफ डेट तो बढ़ाई है 2 साल, 2 साल अगर हर साल कट ऑफ डेढ बढायेंगे केवल उसमें दिया है जहां एक पंचायत समिति में 20 एप्लीकेशन नहीं होगी कट ऑफ डेट में तो

(श्री अमराराम)

वह एक्सीड जब तक करती जायेगी, जब तक 20 कनेक्शन उसमें नहीं आ जायेंगे। आप 2 साल हर साल बढायेंगे तो 7 साल में भी यह आप का टारगेट पूरा नहीं होगा। केवल भाषण देने से नहीं होगा। मैं समझता हूं कि अगर आप 5 साल की कट ऑफ डेट बढाते तो बात समझ में आती कि 3 साल में जितने भी पेन्डिंग है 1 लाख 75 हजार उन सबको कनेक्शन मिल जाते। दूसरा आपने नई कृषि कनेक्शन नीति घोषित की है। यह नीति ऐसी नीति है अगर लागू हो गई तो राजस्थान का गरीब किसान न तो खेत में कनेक्शन ले सकता है और न कनेक्शन रख सकता है। उपाध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ा अन्याय उस किसान के साथ हुआ है जिसके साथ प्रकृति ने अन्याय किया है। जिसका पानी गहरा है, जहां 3 या 5 एच.पी. की मोटर काम आ सकती है उसको ट्यूबवेल बनाने के लिए मुश्किल से 50 हजार रूपये और जिसको 20 एच.पी. का कनेक्शन करना पड़ेगा वहां ट्यूबवैल 50 हजार की जगह 3-4 लाख रूपये में खुदेगा। एक तो प्राकृति ने उसको मार दिया और दूसरी तरफ उसको 50 हजार की जगह 3 -4 लाख रूपये लगाकार ट्यूब वैल कराना पड़ेगा। साथ ही उसको बिल भी 4 गुना देना पड़ेगा। एक 5 एच.पी. की जो मोटर लगायेगा वह भी उतनी ही सिंचाई करेगा, 20 एच.पी. भी उतनी ही सिंचाई करेगी लेकिन उसको हमेशा 5 गुना बिल देना पडेंगा। क्योंकि प्रकृति की देन है उसको आप नहीं हटा सकते। लेकिन कम से कम कृषि नीति से तो उसको मारने का काम आप नहीं करते।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए कहना चाहता हूं भैंरोसिंह जी की गवर्नमेन्ट के वक्त स्पेशल स्कीम नर्सरी के नाम से आपने शुरू की। एच.पी. चार्ज आपने लिया 25 रूपया, आपने हर बिल पर एच.पी. पर मंथ के हिसाब से भरने का प्रोविजन किया गया था, आप भी मंत्री थे। आपकी सरकार आई आपने कहा कि 5 साल के बाद भरेंगे। अभी नाथूसिंह जी कह रहे थे, अब आप आये है, आपने कहा कि यह 8 हजार रूपये प्रति एच.पी. के लें और उसमें एक नया पैसा भी बिल में भरने का काम नहीं करेंगे। अभी मंत्रीजी ने कहा फार्म हाउस का दो साल बाद सामान्य में कर देंगे लेकिन इसमें भी मेरा आपसे निवेदन है कि जो कनेक्शन पीछे हुए है चाहे वह चारे में हुए हो क्योंकि

(श्री अमराराम)

किसान को जब 14 साल बिजली नहीं मितली है तो जो भी योजना जिस योजना में भी कनेक्शन देने की बात होगी चाहे वह हरा योजना चारा में हो, चाहे नर्सरी योजना, में हो, चाहे वह स्पेश हो चाहे वह पोल्ट्री योजना में हो, चाहे वह थैप्ट योनजा में हो, जो भी योजना भी आई उसमें कनेक्शन लिये है। मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन है कि उनको आप चेन्ज कीजिये जो मुर्गी पालन करते है उनके आप मत चेन्ज कीजिए लेकिन जो केवल खेती करते है, केवल कनेक्शन लेने के लिए पोल्ट्री में गये है। सिफारिश में गये है, चारा योजना में गये है, केवल खेती करने के लिये गये है और आप भी खेती कर रहे हैं तो उनको उनको भी जिनको 2 साल हो गये है, उनको सामान्य की श्रेणी में निश्चित रूप से करना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी बात नई नीति में है कि फिक्स कर दिया लोड फैक्टर। अभी मंत्रीजी ने कहा कि वह नेगोसिएशन से कर लेंगे। जब आपने तय ही कर लिया, आपने फिक्स कर दिया और भी तो आ गये, बहुत-सी जगह, जहां से ऊर्जा मंत्रीजी है उनके यहां नागौर में तो बिल पहुंच गये। अभी बाकी राजस्थान में पहुंच जायेंगे, किसी गांव में 3 एच.पी. का कनेक्शन भी है और उसी गांव में 10 एच.पी. का कनेक्शन भी और 15 एच.पी. का कनेक्शन भी है। जमीन बढ़ती जा रही है। आज के 30 साल पहले एक किसान के पास ....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : इसमें एक गांव की अगर 3 इकाइयां भी करनी पडेंगी तो तीन इकाइया भी होगी। यह जरूरी नहीं है कि 3 एच.पी. लगाने वाला 10 एच.पी. का पैसा जमा करायेगा, वह हम इसमें संशोधन कर रहें हैं कि एक गांव में 3 हिस्से होते है इधर 3 एच.पी. नदी के किनारे आ गया 3 एच.पी. है। किलोमीटर चलकर चला गया 10 एच.पी. हो जायेगा, उसी तरह 15 हो गया तो इसका मतलब नहीं कि सारे गांव को 15 एच.पी. पर दी जायेगी। इसीलिए मैंने अपने स्टेटमेन्ट में इसको दुरूस्त किया है।

श्री अमराराम (धोद) : मंत्री महोदय, आपने बिल भेज दिया।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : बिल ठीक हो जायेगा।

श्री अमराराम (धोद) : बिल भेजा ही किस बात के लिये है। दूसरी आपने शर्त लगाई है कि गांव का जो फिक्स लोड कर दिया उतने का ही आपका डिमान्ड नोट एच.पी. के आधार पर आयेगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आज कह दिया ना मैंने अभी। मैंने स्टेटमेन्ट में कहा है।

श्री अमराराम (धोद) : इसलिए यह किसी भी सूरत में मैं समझता हूं कि सही नहीं है। क्योंकि पानी कम है, किसान आज इस बात के लिए तैसार है, जमीन बंढते-बंढते शार्ट रह गई, पानी की कमी है। केवल किसान अपने पीने के लिये और पशु के चारे के लिए और थोडी बहुत सब्जी करने के लिए तैयारी है। वह 3 एच.पी. का सिंगल फेस का कनेक्शन ले रहा है और आप उसको 15 एच.पी. पर ले जा रहे है। इसका मतलब आप उसको रहने नहीं देते। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि यह जो फिक्स आपने किया है, जो किसान जितना लेना चाहता है आप उस पर क्यों लादना चाहते है। एक बडा किसान है जिसके 300 बीघा जमीन है आज भी वह 20 एच.पी. का लेना चाहेगा और आपने प्रोविजन किया है कि उसी कनेक्शन पर वह 25 की जगह 50 एच.पी. भी चलायेगा, दो कुओं पर भी चलायेगा, ठीक है उसके पास जमीन है वह 50 एच.पी. ले लें लेकिन एक के पास 5 बीघा जमीन है, उस कुए में केवल उतना ही पानी है कि वह पी सकता है, ढाणी में बैठा हुआ है तो उसको आप क्यों इन्कार कर रहे हैं। फार्म हाउस योजना में निश्चित रूप से केवल आपको लोड हटाया चाहिए बल्कि सिंगल फेस का जिसमें वह अपनी ढाणी में जाकरी बस गया वहां अपना कनेक्शन लेकर पीने का पानी ले सके, थोडी बहुत सब्जी कर सके, थोडे बहुत पेड़ लगा सके, उस पानी का सदुपयोग कर सके, उस किसान को जो बिलकुल गरीब है छोटा है, दे नहीं सकता, आप अन्दाजा कीजिए।

(समय : 15.58 बजे)

(श्री सुरेन्द गोयल, सभापति, पदासीन)

दूसरा, इसमें प्रोविजन किया है कि जिसका कनेक्शन कट गया वह तो हमेशा-हमेशा के लिए आउट हो जायेगा आपने तय कर दिया एक दफा कटा

(श्री अमराराम)

जायेगा तो हम वापस कर देंगे। एक पोल का कनेक्शन है और अगर उसका तार उतर गया तो ढाई हजार रूपये पर एच.पी. 15 एच.पी का कनेक्श है। आप अन्दाजा कीजिए, 30 हजार रूपये एक पोल के 90 मीटर तार उतार लिये तो 35 हजार रूपये देगा तब वापस कनेक्शन होगा और तीन साल में अगर दुबारा कट गया तो फार्म हाउस में वह एक रूपये की यूनिट नहीं दे पाया वह 3 रूपये की यूनिट में दे देगा। वह कभी कनेक्शन नहीं ले पायेगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि जो कनेक्शन कट गया, जिसमें आपने प्रोविजन किया है। इसमें मैं समझता हूं कनेक्शन गरीब का कटता है, आप अन्दाजा लगाइये 5 साल में कितने कनेक्शन इस बात के लिये कट गये कि उस गांव में पूरे चलते है लेकिन वह गरीब किसान पूरा नहीं ले सकता। मंत्री महोदय, आज हालात क्या है, पानी नीचे जा रहा है। जिससे पास पैसा नहीं है वह हर तीसरी साल खोदता है जिससे पास पैसा है वह सीधी ट्यूब वैल बढता है। उसी गांव में पानी की कोई कमी नहीं है लेकिन वह डेढ लाख रूपये खर्च करता है उसके 30 फव्वारे चलते है और जो हर साल खोदता है उसके 10 फव्वारे ही नहीं चलते। उसका कनेक्शन कट गया और वह किसी भी तरह जुगाड़ कर के वापस आयेगा।

श्री सभापति : कनक्यूड कीजिए।

श्री अमराराम (धोद) : क्यों आप पाबन्दी लगा रहे है, वह दो साल के बाद तो ले ही नही पायेगा। वह प्रायोरिटी से ही वापस आयेगा। उसका तार उठ गया, एक साल में अगर दो दफा कट गया उसकी फसल मारी जाती है, बीमारी हो जाती है, वह टाइम पर बिल नहीं दे पाता, एक बिजल भी बकाया है तो आपका इन्जीनियर जायेगा और उसका कनेक्शन काट देगा। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि किसी भी सूरत में जब भी पानी हो जाये बहुत-सी व्यवस्थाएं हैं जहां एनीकट बनाते है। खण्डेला से आने वाले माननीय सदस्य ने एक बांध बनाया, जो 5 साल के कटे हुए थे, जब एनीकट बनाया तो सभी में पानी वापस आ गया, 5 साल के बाद में सबके कुए चालू होने लग गये और आप तो उनकी फार्म हाउस में ले जाएंगे। मैं समझता हूं कि किसी भी रूप में

(श्री अमराराम)

आपने कहा कि एच.पी. चार्ज लगाकर हमने जे.ईएन. जो किसानों को लूटता था, उसको समाप्त किया है। किसी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। आपने प्रोविजन किया है, पहली बात तो एच.पी. चार्ज, फिर एस्टीमेट वही जे.ईएन बनायेगा और आपने उसमे क्लाज डाला है कि रूट वही बतायेगा और आपके जे.ईएन. ने 3 पोल का दे दिया और उधर से उसने नहीं खीचनें दिया ओर दूसरी तरफ से रूट बताया और 5 पोल लगेंगे तो उन दो पोलों के 80 हजार लाख रूपये के लेने के बाद, उन दो पोलों के 12,500 रूपये फिर उन दो पोलो के 25 हजार रूपये और देने पडेंगे। किसान रूट कहां से बतायेगा। बिजली तो कहीं न कहीं से आ रही है। सूरतगढ़ से आ रही है, कोटा से आ रही है, रामगढ़ से आ रही है उसके लिये रूट की जरूरत नहीं है और रूट फिजीबल नहीं है, आपके जे.ईएन ने गलत बनाया है, सही बनाया और पोल बढ रहे है तो किस बात के लिये 12 हजार रूपये ले रहे हैं। एक तरफ तो आप एच.पी. चार्ज लेंगे, अगर कट से 2 पोल बढ़ा दिये तो 25 हजार रूपये और लेंगे। इसलिये में समझता हूं कि इस नाम से हम पोल के नाम घटा रहे हैं, आप 5 साल का रिकार्ड मंगा लीजिए कि राजस्थान के 5 प्रतिशत किसानों को फायदा हो सकता है, 95 प्रतिशत किसानों को इस एच.पी. चार्ज से किसानों को लूटने का काम.....

श्री सभापति : अब आप समाप्त करें, 15 मिनट हो गये। 15 मिनट हो गये, आप कन्क्लूड करें।

श्री अमराराम (धोद) : बस दो मिनट में कर रहा हूं, सभापति महोदय। मेरा आपसे निवेदन है कि इस के माध्यम से आप पूरे राजस्थान की तीनों वितरण कम्पनियों से मांग लीजिये कि 5 प्रतिशत किसानों को हो सकता है कि इससे फायदा होगा लेकिन 95 प्रतिशत लोगों को, पर एच.पी. 8 हजार और साढे तीन हजार रूपये आपने किये हैं, इससे नुकसान होगा। केवल इस बात को बदलकर आपके किसान को फायदा पहुंचाने के बजाय लूटने का काम किया है। इसलिये मेरा निवेदन आपसे है। एक दूसरा, सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि शिड्यूल कास्ट तो वैसे ही मुश्किल से लेते है, आपने इसमें

(श्री अमराराम)

क्लाज डाला है कि जो फोर्जरी करते हैं उनको, आधा बीघा, एक बीघा, दो बीघा तक, लेकिन आपने कहा है कि 5 साल से पहले, पूरी जमीन खरीदेगा, पूरी जमीन खरीदने के बाद भी उसको 5 साल के बाद कनेक्शन देंगे। जो फोर्जरी करते हैं, निश्चित रूप से उनको रोकिये, आपने इसके अन्दर क्लाज डाला है कि किसी भी रूप में अगर 2 बीघा से ज्यादा भी है, उसको भी 5 साल से पहले कनेक्शन नहीं देंगे। कोई सक्षम हैं, किसी ने पूरी खरीद ली तो कम से कम यह प्रोविजन तो कीजिए कि 2 बीघा से ज्यादा आगर पूरा खसरा खरीता है तो उसको उसी केटेगिरी में कनेक्शन मिलेगा इसलिए मेरा आपसे....

श्री सभापति : माननीय श्री रिछपाल मिर्धा। (व्यवधान) माननीय सदस्य, समाप्त कीजिए।

श्री अमराराम (धोद) : एक मिनट। इसलिए मेरा निवेदन है कि यह जो नयी कृषि नीति के नाम से आप नीति लाये है यह किसान के लिए और उस गरीब किसान को तो मैं समझता हूं बिजली से महरूम करने का है, इसलिए इन तीनों चीजों को आप इग्नोर करेंगे। आप 3 साल में पूरा करना चाहते है तो दो साल की कट ऑफ डेट की जगह 5 साल की कट ऑफ डेट करेंगे, यही मेरा निवेदन है। सभापति महोदय, आपने समय दिया इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना) : माननीय सभापति महोदय, आज सदन में बिजली के ऊपर चर्चा हो रही है और इस बिजली की राजस्थान की आम जनता को जरूरत है। आम किसान को जरूरत है और जितने भी माननीय सदस्य है, उन सबकों भी जरूरत है। बिजली का बिगाड उस समय हो गया, सभापति महोदय, जब पावर सुधार सैक्टर बिल सदन में पेश हुआ, यह पावर सुधार सेक्टर बिल नहीं, यह पावर बिगाड सैक्टर बिल पेश हुआ था। बिजली का बिगाड ऐसे हुआ कि राजस्थान जो राज्य विद्युत मण्डल चल रहा था उसको तोडकर यह कम्पनियां बनायी, उस दिन से बिजली का भट्टा बैठ गया। सरकार का नियंत्रण खतम हो गया तकनीकी आदमी, 1-2 कम्पनी के चैयरमेन बने बैठे हैं। बाकी ऐसे आदमी इन पदों पर बैठे है जो जिन्दा लाशें है।

(श्री रिछपाल सिंह मिर्धा)

उनको कुछ पता नहीं, बिजली की ए.बी.सी.डी. के बारे में वे नहीं जानते है मै आपसे निवेदन करना चाहता हूं...(व्यवधान) जिंदा है वे, आपको नहीं कहा मैने। मैंने तो तकनीकी इन्जीनियर लेबल के आदमी नहीं है, उनके बारे में कहा। माननीय मंत्रीजी से मै आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि जो तकनीकी इन्जीनियर है उनको ऐसे पदों पर बैठाया जाए जो हकीकत में बिजली की जानकारी रखते हैं, जो गांवों की जानकारी रखते हैं और उनको यह पता होना चाहिए कि गांव में बैठे किसान की क्या पीड़ा है। माननीय मंत्रीजी ने अभी स्वीकार किया था कि रात में मिलने वाली बिजली सस्ती मितली है। मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करूंगा कि आप रात में मिलने वाली बिजली किसान को दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी और इससे किसान को कुछ फायदा भी होगा। दिन में मिलने वाली बिजली आप इण्डस्ट्रीज को दें। स्वायत्तशासी संस्थाओं को दें और जो अमीर लोग है उनको दें। यह बिजली आप गरीबों को और किसानों को दें। सभापति महोदय, यह आपके माध्यम से निवेनद है। जब यह बिल सदन में पेश हुआ था उस समय सत्तापक्ष के माननीय सदस्यों ने भी इसका विरोध किया था। लाडनूं से आने वाले माननीय सदस्य ने विरोध किया था, अन्य कोई जो किसान वर्ग से आते हैं, हेमारामजी ने किया था, श्रवण ने किया था। सब लोगों ने इस बिल का विरोध किया था। पर वह तो हो गया, वह बात गयी।

माननीय सभापति महोदय, अब आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्रीजी से 3-4 बातें ही निवेदन करना चाहूंगा। यह जो बहस होती है हर विभाग पर, मुझे नहीं लगता इस बहस का कुछ ज्यादा सार निकलता हो। विधान सभा चलती है हर विभाग पर बहस होती है। उसका अगर 10 प्रतिशत भी लागू हो जाए तो राजस्थान की जनता का कल्याण हो सकता है। आज बिजली पर लें, तकनीकी कर्मचारियों की कमी एक हेल्पर का काम देखने वाला, 2 जी.एस.एस., 3 जी.एस.एस., 33 के.वी.ए. का देखा रहा है। 35 साल पुरानी लाइनें आप बाबा आदम के जमाने की लिये बैठे है। सुदृढीकरण करेंगे, किसका सुदृढीकरण करेंगे। लाइनें तो आपकी 35 साल पुरानी है। कम्पनी के पास कोई साधन नहीं है। ट्रान्फार्मर लेने जाएं तो नहीं, फ्यूज बांधने के लिए जाए तो

(श्री रिछपाल सिंह मिर्धा)

नहीं, खाली वह कुर्सी पड़ी है उस पर हाकम साहब बिराजे हैं। (व्यवधान) हां, करा देंगे। क्या करा देंगे 50 साल में नहीं करा सके। वह व्यवस्था सुधर जाएगी, मैं नहीं मानता इस बात को। अपने अलग-अलग विचार है। मैं किसी माननीय सदस्य के विचारों का विरोध नहीं करता हूं। मैं मेरे जो विचार है अगर इसमें सुधार करना है तो माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि आप तो इसमें जो भ्रष्टाचार हो रहा है, इसको रोकें। ए.ईएन. और जे.ईएन, जो खुद ठेके लेते है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : इनसे कहिये, गजेन्द्रसिंहजी हैं। (व्यवधान)

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : इन्हीं को कह दूं, साहब, पर आप हो, अभी आज तो आपने वक्तव्य दिया और मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं और मुझे विश्वास है कि आप जैसे विद्वान जरूर कुछ इसमें सुधार करेंगे। यह जो कृषि नीति 2004, यह राजस्थान सरकार के ऊर्जा विभाग की है, या तो यह असत्य है, या मैं बोल रहा हूं, वह असत्य है। गांवों में आज यह हालत है, लाइट कह रहे है कि 8 घण्टे मिली। हां, 6-7 घण्टे मिली। मैं इस बात पर बहस नहीं करना चाहता हूं। पर जो गांवों में स्थिति बनी हुई है, किसी ऐसे सार्वजनिक स्थान से निकल रही है जहां अनेकों बार हादसे हुए है और होंगे। तो इन हादसों को रोकने का उपाय करें। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाये और जो किसान अपने पैसे से खरीद कर ट्रसफार्मर लाकर लगा रहा है और वह चला रहा है उसको भी आप कहते है कनेक्शन नहीं देंगे। यह कौनी दादागिरी हो गयी। मैं आपके माध्यम से कुछ बिन्दु जो इस कृषि कनेक्शन नीति 2004 से देखें हैं इन पर प्रकाश डालना चाहूंगा। मीटर कनेक्शन पूर्व में जिन कृषि उपभोक्ताओं के मीटर कनेक्शन थे उनसे मीटर रीडिंग के अनुसार चार्ज लिया जाता था। परन्तु अब 8 घंटे विद्युत आपूर्ति मानकर बिल जारी किये जाते है जबकि उनका मीटर बराबर चालू हालत में हैं। चाहे विद्युत आपूर्ति मात्र 5 घण्टे आओ, चाहे 6 घण्टे आओ। तो भी चार्ज 8 घण्टे का देना पड़ेगा और बिल से दुगने आ रहे हैं। सभापति महोदय, नये कनेक्शन हेत आवेदन 10 हार्स पवार हेतु, फिर भी कम से कम 20 एच.पी. का लेना आवश्यक है। अलग-अलग अधीक्षण

(श्री रिछपाल सिंह मिर्धा)

अभियन्ता, एस.ई. सर्किल वाइज अलग-अलग क्राइटेरिंग निर्धारित। कहीं पर 20 एच.पी. से अधिक के.वी.ए. लेना आवश्यक। यदि किसी के पास जमीन कम है तो वह 20 एच.पी. का कनेक्शन लेकर क्या करेगा ? शक्कर तो चाहिए मेरे को एक किलों और आप कहें कि 5 किलों दूंगा। मेरे पास पैसा नहीं है, 5 किलों कहां से लूंगा। प्रति हार्स पावर 3500 रूपये तथा मिनिमम चार्च 20 एच.पी. का लेना आवश्यक। अतः कम से कम 70 हजार रूपये का खर्चा आयेगा। ट्रान्सफर्मर से कनेक्शन में बिल का खर्चा भी उपभोक्ता से, आवेदन पत्र जमा कराने पर डिमाण्ड राशि जमा कराने के पश्चात एस्टीमेन्ट बनाते हैं तथा अमानत राशि 2500 रूपये वह भी समायोजित नहीं की जाती जबकि पूर्व में की जाती रही है। डिमाण्ड राशि समय पर जमां नहीं कराने पर वरीयता समाप्त तथा वापस नेय सिरे से आवेदन करने पर अमानत राशि जब्त हो जाती है। आई.एस.आई. मार्का के पाइप तथा पम्पसेट लगाया जाना आवश्यक जबकि यह महंगी पड़ती है। एम्पीयर भी ज्यादा खाती है। आकस्मिक निरीक्षण चैकिंग के नाम पर लूट, फ्लाइंग चैकिंग, असन्तुष्ट होने पर भी दुबारा जांच के आदेश नहीं दिये जाते। इसमें ऐसा प्रावधान होना चाहिए कि अगर जिसके साथ अन्याय हुआ है, 20 हार्स पावर की मोटर है और 30 की शीट भरी हुई है तो उसकी री-चैंकिग करवा कर उसको न्याय दिलाना चाहिए। चैयरमेन के पद पर मैं पहले भी यह बात निवेदन कर चुका हूं। ऐसा भी कई जगह हुआ है करीब 8-10 महीने पहले डिमाण्ड राशि जमा करवा दी, आज तक ट्रान्सफार्मर नहीं मिला। निजी ट्रान्सफार्मर खरीदकर नियमित रूप से विद्युत वितरण निगम का बिल भरा गया। फिर भी ट्रान्सफार्मर उपलब्ध नहीं करवाया जा रहा है और बिल आ रहा है। तकनीकी कर्मचारियों के रिक्त पदों के बारे में मैंने निवेदन कर दिया था। उद्योगों और अन्य स्वायत्तशासी संस्थाओं पर करोडों रूपये बकाया है। इनको तो यह याद ही नहीं करें और राजस्थान के किसान की जो दयनीय स्थिति अभी बनी हुई है उस दयनीय स्थिति में भी 20 हजार का बिल चढ जाए तो लेकर पहुंच जाते हैं कि साहब, काटो इसका कनेक्शन और उस गरीब के बीस हजार से क्या होने वाला है ? स्वायत्तशासी संस्थाओं ये संस्थाएं ऐसी हैं जिन पर कम्पनी का करोडो रूपये बकाया पड़ा है। विद्युत वितरण और

(श्री रिछपाल सिंह मिर्धा)

प्रसारण प्रसारण का क्या काम है ? इसका कमीश्न क्यों बढ़ा रहे हो ? आप प्रसारण को हटाओ, बन्द करो इसको। लेकिन मैं आपके माध्यम से माननीय ऊर्जा मंत्रीजी से इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप किसानों के हित की बात करना चाहते हो तो इस व्यवस्था को आप वापस देखें और किसानों के हितों में जो कदम उठा सकें वह उठाये और उनको सस्ती और लगातर बिजली देने की कृपा करें जिससे राजस्थान के किसानों का भला हो। जैसे अभी माननीय सदस्य ने कहा था कि 24 घण्टे बिजली देंगे, माननीय ऊर्जा मंत्रीजी, मैं सभापति महोदय के माध्यम से आपसे निवेदन करता हूं कि आप 24 घण्टे नहीं, आप किसान को आठ-दस घण्टे ही बिजली दे दो और आप राजस्थान में व्यवस्था सुधार दो तो आज तो आप 120 बैठे हो, 180 नहीं आओ तो मेरे को कह देना। इसकी व्यवस्था सुधरनी चाहिए जो उपाय करेंगे वह आने वाले समय में राजस्थान की जनता बताएगी।

श्री अमराराम (धोद) : 120 से 20 वाला करेंगे वह।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : 20 वाला करेंगे तो वह आ जाएंगे साहब, इसमें क्या बात है ? मैं आपके माध्यम से इन्हीं सुझावों, आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद, अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति : धन्यवाद। माननीय श्री केसर देव।

श्री केसर देव बावर (लक्ष्मणगढ़) : मननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने की इजाजत दी, इसके लिए धन्यवाद।

आज बिजली पर चर्चा हो रही है और आज अहम मुद्दा जो है वह किसान का है। पूर्व में भाजपा शासन में आदरणीय घनश्यामजी जब ऊर्जा मंत्री थे तब इन्होंने जो नीति बनायी थी वह बहुत ही अच्छी और सुन्दर थी और हर जगह उसकी प्रशंसा हुई थी। नर्सरी योजना को किसानों (व्यवधान) झटके आपके राज में मार रही थी और ज्यों ही कांग्रे का शासन आया त्यों ही झटेक मारना शुरू कर दिया और आज तक झटके मार रही है। नर्सरी योजना.... (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपस में बातचीत न करें।

श्री केसर देव बावर : सभापति महोदय, आज जो किसान की चर्चा हो रही है वास्तव में आज किसान बहुत तकलीफ में है। हमने यहां तक देखा है कि किसान के साथ न तो राम है और राज है। (व्यवधान) कांग्रेस ने पांच कम्पनियों बनाकर उनका जो बोझा है वह किसान पर डाला। बिजली कम दी और पैसे दुगने लिये। आज अपने प्रदेश की जो भौगोलिक स्थिति है वह अलग -अलग है। जैसे धोद से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि विधान सभा क्षेत्र में एक तो पानी खराब, उसमें फ्लोराइड टी.डी.एस. और नाइट्रेट ज्यादा है, जहां पर कोई भी फसल पैदा नहीं होती है। वहां पर भी यह विद्युत का लोड है। करीब 12 एच.पी. का लो, या 15 एच.पी. का लो जबकि वह किसान सिर्फ पानी या तो पीने के लिए निकालेगा या हरा चारा उगाने के लिए निकलेगा इसलिए पहला तो मेरा अनुरोध ऊर्जा मंत्रीजी यह है कि यहां पर पानी की क्वालिटी खराब है। जिस पानी से फसल हो ही नहीं सकती है। वहां पर इस तरह की छुट दी जाए कि जहां पर तीन एच.पी. का कनेक्शन वह लें सकें।

दूसरा, एक जगह पर तीस फीट पानी गहरा है और दूसरी जगह पर 50 फीट पानी गहरा है और कई जगह पर 200 फीट पानी गहरा है। जहां पर पचास फुट पानी गहरा है वहां पर ट्यूबवेल बनाने के लिए मात्र तीस-चालीस हजार रूपये खर्च करना पड़ता है और जहां पर 200 फीट गहरा है वहां पर चार लाख रूपये उनको ट्यूबवेल बनाने में खर्चा आता है। फिर यह डिमाण्ड नोटिस की राशि उनके लाखों में चली जाती है और जब बिजली का बिज आता है तो झटका सा लगता है इसलिए सरकार को एक कमेटी बनानी चाहिए और वह कमेटी यह तय करे कि किसान का जो गेहूं पैदा होता है, चाहे वह 50 फीट नीचे पानी निकलेगा या चाहे 200 फीट नीचे पानी निकलेगा, उसकी क्वालिटी एक ही होगी और उसका भाव एक ही होगा और वह दिखने में एक सा होगा वह इसलिए उनको बिजली का बिल बराबर आये। इस तरह की एक व्यवस्था हो। टेरिफ या तो पानी की गहराई के हिसाब से हो जैसे 50 फीट की गहराई पर टेरिफ ज्यादा हो, 100 फीट पर उससे कम हो और 150 की गहराई पर और भी कम और जहां पर 200 हो वहां पर और ज्यादा कम हो या

(श्री केसर देव बावर)

एच.पी. के आधार पर हो, 5 एच.पी. का पैसा ज्यादा 10 का उससे कम और 20 का उससे कम जबकि हो रहा है उल्टा। हमने यहां तक सुना है कि हरियाणा में टैरिफ अलग-अलग है। किसानों का जितना लोड बड़ा होता है उतना ही उससे पैसा यूनिट का कम लिया जाता है। ऊर्जा मंत्रीज यहां पर बैठें हैं, मैं निवेदन करूंगा कि इस तरह की कमेटी बनाकर उस पर गहन विचार हो, माननीय सदस्य कह रहे हैं उनकी भी एक कमेटी बना दी जाए क्योंकि यह भी जमीन से जुड़े हुए हैं, किसान है और इनमें से कई लोग जो किसान हैं वह वास्तव में इनका दुख दर्द समझते हैं इनका कि कितना दुःख दर्द है। इनके पास यहां बैठकर अपन चर्चा करेंगे और इसका नतीजा कोई निकलेगा नहीं। किसान का अपन जब तक दुःख दर्द समझेंगे नहीं तब तक इसका इलाज नहीं होगा।

दूसरा, जो वर्ल्ड बैंक से लोन, चाहे शासन किसी का भी हो, कांग्रेज पार्टी का पहले शासन था इन्होंन वर्ल्ड बैंक से लोन लिया। इसकी चर्चाएं अखबारों में होती रहती हैं। जो भी सरकार को उसको व्यवस्था बनाने के लिए लोन लेना पड़ता है परन्तु इसका सुधार हो लोन लेते हैं इसमें अपना या तो उत्पादन बढ़ाये या एच.पी. लाइन को सुधारें ताकि बिजली की खपत बिजली में जो छीजत हे वह कम हो।

दूसरी एक व्यवस्था यह भी की गयी है कि जिस किसान का डी.एन. डिमाण्ड नोटिस दो बार यदि निरस्त हो गया, दो बार यदि जमा नहीं करवाया तो उसको स्वतः ही निरस्त माना जाता है। मेरा ऊर्जा मंत्री महोदय से यह भी निवेदन है कि इनको एक मौका और दिया जाए क्योंकि बारिश तो अभी हुई है परन्तु फिर भी एक मौका देने में मेरा यह मानन है कि इससे ऊर्जा विभाग को कहीं कोई घाटा नहीं होगा इसलिए जिनका डिमाण्ड नोटिस दो बार भी जमा नहीं करवाया जिन किसानों ने, उनको एक बार मौका और दिया जाए। मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक ग्राम है काछवा वहां पर 132 के.वी.ए. का ग्रिड बनाया जाए क्योंकि उसके आस-पास 33 किलोवाट के ग्रिड ज्यादा है और वहां लोड बहुत ज्यादा है इसलिए किसानों को वोल्टेज बाराबर नहीं मिलते हैं। दूसरा ग्राम सुलोछ और नरोदा, इनके किसानों को बिजली के वोल्टेज की काफी

परेशानी है। यहां पर 33 के.वी. का सब स्टेशन बनाया जाए ताकि उन किसानों को थोड़ी राहत मिले। विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मगढ़ का जो इलाका है यह काफी लम्बा है। ग्राम ढहर का बास, नेछवा, गनेडी, जलूण्डा, ये जो गांव है, सहायक अभियन्ता का जो मुख्यालय है, वहां से वह करीब 100 किलोमीटर दूर है और वह किसी काम के लिए जब उस कार्यालय तक आते हैं तो उनका एक दिन आने और जाने में ही खराब हो जाता है। इसलिए ग्राम नेछवा और काछवा में से एक जगह पर सहायक अभियन्ता का कार्यालय पदस्थापित किया जावे। अभी-अभी बात चल रही थी टिमटिम की, जो टिमटिम वाले मीटर हैं। वह मीटर ज्यादा चलते हैं और वह जलते भी बहुत हैं। ज्यों ही मीटर जलता है उस मीटर की कोस्ट किसान से ली जाती है। किसान का क्या दोष है मीटर जल गया तो ? बिजली सरकार की मीटर सरकार का और मीटर जल गया तो पैसे किसान से लो। जो भी मीटर जले उसमें मीटर जलने का जो रीजन होता है वह बिजली ज्यादा खराब आती है वोल्टेज में उतार चढाव होता है तब मीटर जलता है। इसलिए उस मीटर का पैसा किसान से नहीं लिया जाये और यह टिमटिम वाले मीटर कांग्रेस के लाये हुए हैं इसलिए इनको बन्द कर दिया जाये ताकि किसानों को थोडी बहुत राहत मिले।

श्री सभपति : समाप्त करें।

श्री केसर देव बावर : सभापति महोदय, एक मिनट का और रह गया मामला। दूसरा, जो किसान मींटर नहीं रखना चाहते और फ्लेट रेट से कनेक्शन रखना चाहते हैं जैसे 15 एच.पी. है, 20 एच.पी. हैं तो उस किसान को अलाऊ किया जाये तथा आप जो फ्लेट रेट है वह लें और इनके मीटर नहीं लागये जायें क्योंकि कई-कई किसान तो खुद चलाकर मीटर लगवाते है कि हमारे मीटर लगा दो और कई-कई किसान खुद चलाकर मीटर हटवाते हैं। जो किसान जैसा चाहे उसकी मर्जी, उसको उसी तरह से सहायता दी जाये। सभापति महोदय, आपने मझे बोलने की अनुमति दी, इसके लिये आपको धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री राकेश मेघवाल।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर) : माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में बिजली में व्यापक सुधार, पर्याप्त मात्रा में बिजली कैसे मिले। निगमों में सुधार और कृषि नीति में आज सुधार किया उसके लिये आज चर्चा है। मैं सबसे पहले माननीय मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजेजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने उदारतापूर्वक अपने किसानों और गरीबों के हितों को ध्यान में रखकर कृषि नीति बनायी, उसमें किसानों को भी लाभ दिया। गांव के गरीबों लोगों को भी लाभ दिया और हर वर्ग को साथ रखकर, परिप्रक्ष्य में रखकर किसानों के लिये, नई कृषि नीति में जो ऊर्जा में सहयोग दिया, उसके लिये मैं उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूं और धन्यवाद देता हूं।

माननीय सभापति महोदय, 1993 से 1998 तक मैं इस सदन का सदस्य था और महामहिम भैरोसिंहजी शेखावत उस समय मुख्य मंत्री थे, बार-बार यह सुझाव आया कि राजस्थान विद्युत मण्डल को निगमों में बदला जाये। कई बार यह मीटिंग हुई, कैबिनेट मीटिंग भी हुई, चार्च भी हुई। जनता से भी बात की और भैरोसिंहजी शेखावत ने किसानों से भी बात की। किसान नहीं चाहते थे कि निगम बनाये जाये। उन्होंने किसानों की भावना के अनुरूप पांच साल तक जब वह मुख्य मंत्री रहे, 1993 से 1998 तक, उन्होंने निगम नहीं बनने दिया। किसानों के साथ उन्होंने पूरा सहयोग किया। व्यापारी और हर वर्ग का सहयोग किया और निगम नहीं बनने दिया। उसके बाद राजस्थान के मुख्य मंत्री नम्बर वन बने और मुख्य मंत्री नम्बर वन ने निगम बना दिये। पांच निगम बनाने से राजस्थान के गरीबों को, राजस्थान के किसानों को ऐसा घाटा हुआ कि उस किसान की कमर टूट गयी, आज तक वह किसाने सम्हल नहीं पाया और आज उसका द्योतक है कि 156 वाले 56 पर सिमटर कर रहे गये। यह कांग्रेस को करारा झटका इस बिजली की वजह से किसानों ने दिया।

माननीय सभापति महोदय, आज निगम राज है। कोई किसान कहता है कि मेरा डिमाण्ड नोटिस जमा हो गया, मुझे कनेक्शन दीजिये। डिमाण्ड जमा कराने के बाद मैं भी उस किसान को कभी ट्रासफार्मर नहीं कभी कन्डकटर नहीं कभी इमुलेसन नहीं उस किसान ने जितना डिमाण्ड जमा कराया, उतना पैसा उसके किराये भाड़े में और आफिस के चक्कर में लग जाते हैं। इसलिए

(श्री राकेश मेंघवाल)

माननीय सभापति महोदय, कुछ टाइम फिक्स हो जाना चाहिए। माननीय ऊर्जा मंत्रीजी, टाइम ऐसा फिक्स हो कि डिमाण्ड जमा कराने के इतने दिन बाद में किसानों को घर बैठे उसके कनेक्शन हो जाएगा। उसका काम सिर्फ डिमाण्ड जमा कराने का है, उसका काम विभाग में चक्कर काटने का नहीं है। जैसे 72 घण्टे का टाइम फिक्स किया है कि ट्रान्सफार्मर जलने के बाद में 72 घण्टे में ट्रान्सफार्मर दिया जायेगा। उसी तरह चाहे 72 दिन हो, चाहे एक महीना हो, जो भी आप टाइम फिक्स कर दें, वह फिक्स करें ...(व्यवधान)

श्री गजेन्द्र सिंह (ऊर्जा राज्य मंत्री) : 60 दिन का फिक्स कर दिया।

श्री राकेश मेघवाल : 60 दिन का फिक्स कर दिया, यह ठीक है इसके लिये आपको धन्यवाद। अभी माननीय सदस्य कह रहे थे कि नागौर जिले के मंत्री हैं, पहले जो मंत्री थे सार्वजनिक निर्माण विभाग के, उन्होंने हेमामालिनी के गालों जैसी सड़क बना दी तो माननीय ऊर्जा मंत्रीजी, आप भी हमारे जिले के हैं, उसी तरह नये जी.एस.एस. बनाकर नागौर जिले में एक नया इतिहास कायम कीजिये कि नागौर जिले का ना हट जाये और हमेशा गौर किया जाये और कोई टिप्पणी न करें कि ऐसा काम नहीं किया। इतिहास में ऐसा कदम आप उठाइये जो लिखे कि नागौर पर तार अगर लगायें तो तार अडे नहीं करंट ही आये। (व्यवधान) उनको कम से कम राजस्थान विधान सभा में याद किया जा रहा है। कोई अच्छाई है इसलिये याद किया जा रहा है।

पॉवर जनरेशन बढाने की बात है। माननीय मुख्य मंत्रीजी, माननीय मंत्रीजी और पूरी सरकार पॉवर जनरेशन बढाने के लिये तैयार है और उनका पूरा ध्यान पॉवर जनरेशन के लिये, किसानों के हितों के लिए, गरीबों के हितों के लिए, इसी में पूरा उनका ध्यान है। उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा। एक यह जो पिछले राज में चोरी योजना, चारा योजना बनायी। पहले मुख्य मंत्रीजी भैरोसिंहजी के समय नर्सरी योजना भिन्न योजना बनायी चलो, आपने कनेक्शन दे दिया, एक खेत में साधारण कनेक्शन है और वह कनेक्शन से ही गेहूं बीजता है, उस का गेहूं 700 रूपये क्विंटल बिकता है। उसकी रेट 90 पैसा है। दूसरा किसान है उसकी रेट 2.70 पैसा है। जो चारा योजना में नर्सरी योजना में कनेक्शन लिया गया या तो उसकी साधारण श्रेणी में एक रेट कर

दी जाये नहीं तो उसका गेहूं खरीदे तो उसकी तीन गुणा रेट दी जाये। यह किसान को लाभ दिया जाये और साधारण श्रेणी में सभी कनेक्शनों को लिया जाये। किसानों को लाभ पहुंचाया जाये।

एक अनुसूचित जाति और जनजाति के लिये बिजली की रेट में भी, जिस तरह से सदन में आरक्षण है, जिस तरह से हर क्षेत्र में आरक्षण है तो, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी वसुन्धरा राजेजी से निवेदन करता हूं कि अनुसूचित जाति की रेट भी अलग हो, इसमें फायदा दिया जाये। अगर आर.एफ.सी. से लोन देते हो तो वहां भी अनुसूचित जाति को प्राथमिकता दी जाये। बिजली की रेट में अनूसूचित जाति और जनजाति को प्राथमिकता से कनेक्शन दें और उसकी रेट में भी जो माननीय मुख्य मंत्री उचित समझें, उसमें श्रेणी दी जाये। अनुसूचित जाति वाले सभी किसानों को और अनुसूचित जाति के लोगों को उसमें भी रिबेट दी जाये।

श्री अमराराम (धोद) : अनुसूचित जाति का कनेक्शन लेने वाले रहेगा ही नहीं।

श्री राकेश मेघवाल : लेने वाला नहीं रहेगा यूं ?

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कन्क्लूड करें।

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

श्री राकेश मेघवाल : पांच मिनट हुये है साहब। ग्रामीण श्रेणी के 1500 रूपये में कनेक्शन देने की माननीय मुख्य मंत्री, ऊर्जा मंत्रीजी ने जो घोषणा की है, बहुत ही सराहनीय है कि 1500 रूपये में उसको कनेक्शन देंगे, मीटर बॉक्स शामिल और देंगे। यह एक अच्छा कदम है उसके लिए मैं मुख्य मंत्रीजी का आभार ज्ञापित करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, पूरे राजस्थान में चाहे किसी भी कैडर की स्कूलें हो, चाहे प्राथमिक बालिका विद्यालय हो, चाहे प्राथमिक पाठशाला हो, चाहे सीनियर हायर सैकेण्डरी स्कूल हो, चाहे कालेज हो, पुराने जमाने के जितने भी तार है, वह भवनों के ऊपर से हैं। कभी भी आंधी आती है, तार टूटकर गिर

(श्री राकेश मेघवाल)

जाते हैं तो वहां जनहानि होती है। बच्चों और बिल्डिंग को भंयकर नुकसान होता है। क्या माननीय ऊर्जा मंत्रीजी, आप नया कदम नई सोच के साथ कि कम से कम जो सरकारी भवन हैं चाहे स्कूले है, हास्पिटल हैं, उनके ऊपर जो तार हैं वह निगम हटाये और किसी के अलग से कोई ट्रान्सफार्मर जबरदस्ती किसी गरीब के घर में, गरीब के बाडे में लगा रखा है। वह भी निगम के खर्चे से हटाये। बाड़े में कई बार आग लग जाती है, तार झूल रहे हैं जैसे झूला झूलते हैं वैसे झूल रहें है और घासफूस पडा रहता है, उसमें आग लग जाती है तो कई घर जल जाते है। निगम यह कहता है कि 50 परसेन्ट पैसा किसान दें, 50 परसेन्ट पैसा निगम देगा, अब वह गरीब किसान कहां से 50 परसेन्ट लायेगा ? जब हम कहते हैं एस्टीमेट बना दो तो एस्टीमेट ऐसा बनाते हैं कि वह किसान कभी भी आधा पैसा जमा कराने में सक्षम नहीं है। उसका एस्टीमेन्ट बना देंगे 50 हजार, 40 हजार, 30 हजार वह किसान आधा पैसा कहा से लायेगा। मैं मुख्य मंत्री से और ऊर्जा मंत्रीजी से इस सदन के माध्यम से मांग करता हूं कि कम से कम उनमें तो चयनित लोगों के फ्री हटाये जाएं और सरकारी भवनों से फ्री हटाया जाए और अगर कोई व्यापारी सक्षम है तो उससे आधा पैसा लिया जाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।

श्री सभापति : धन्यवाद।

श्री राकेश मेघवाल : बड़े-बड़े नेता बीस मिनट बोल रहे थे, मैं मेरे क्षेत्र की बात करता हूं। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि 33 के.वी. जी.एस.एस. है, पुष्कर की तलहटियों में बसा हुआ विधान सभा क्षेत्र परबतसर है, अजमेर से लाइन आती है बैरून्दा, थाबला वहां से भी जुड़ा हुआ है, बीच में नागौर जिले में कई बार विवाद हो जाता है दो कांस्टिट्यएन्सी के किसानों के कि इधर से यह लाइन नहीं जाये, उधर से यह लाइन नहीं जाये और वह फीडर काट देते हैं कि हम को ज्यादा बिजली मिलनी चाहिए, हमारे यहां जी.एस.एस. है, मैं यह चाहूंगा कि 33 के.वी. जी.एस.एस. को बैरून्दा से सीधा जोड़ा जाए ताकि बिजली की छीजत कम हो, चोरियां कम हो। पहले वहां से जुड़ा हुआ था।

(श्री राकेश मेघवाल)

(समय : 16.32 बजे)

(श्रीमती सुमित्रा सिंह अध्यक्ष, पदासीन)

अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में पिछले पांच साल में इस कांग्रेस राज्य में एक भी 33 के.वी. जी.एस.एस. नहीं बनाया, इतनी मेरे से दुर्भावना रखी। 1993 में, 1998 में सात 33 के.वी. जी.एस.एस. बनाये तो वापस उन लोगों ने कहा कि अब उस राज्य में एक भी नहीं बनाया, कम से कम सात बनाने थे लेकिन एक भी नहीं बनया। अध्यक्ष महोदय, भादव 33 के.वी. जी.एस.एस. पर केबल 3.156 का ट्रान्सफार्मर रखना था, इस कांग्रेस राज में पांच साल में वह ट्रान्सफार्मर नहीं रखा और हमारी सरकार आते ही 100 दिन के कार्यकाल में 3.156 का ट्रान्सफार्मर भादवा में सीधी जयपुर से गाड़ी जाकर लगा दिया, इसके लिए भी मैं मुख्य मंत्री महोदय, का धन्यवाद देना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय, 33 के.वी. जी.एस.एस. की आवश्यकता है कुराडा में, आसपास के पूरे किसान हैं, कम से कम 50 गांव लगते हैं, वरूण है, वहां भी पूरा एरिया है, 30-40 गांव लगते है, खोखर है, वहां भी 30-40 गांव लगते हैं तो किसानों को लाभ हो, बिजली पूरी मिले उनके लिए कुराड़ा, खोखर और वरूण में एक 33 के.वी. जी.एस.एस. बनाया जाए। राजस्थान में एक मात्र बांका पट्टी है गच्छीपुरा, 50 गांवों को एक गांव से पानी जाता है, वहां बिजली पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलती है वहां के लिए अलग से फ़ीडर दिया जाए और 132 जी.एस.एस. गच्छीपुरा में स्थापित किया जाए। (समय समाप्ति सूचक घंटी) अध्यक्ष महोदय, दो मिनट।

श्री अध्यक्ष : भाषण कन्क्लूड करें। आप आठ मिनट के बजाय नौ मिनट से ज्यादा बोल लिये हैं, अब आप कन्क्लूड करें।

श्री राकेश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। आप नहीं थे इसलिए कई माननीय सदस्य 20-20 मिनट बोल गये थे। अब मैं एक मिनट में बोल देता हूं।

श्री अध्यक्ष : अच्छा बोलिये।

श्री राकेश मेघवाल : कई छोटे-छोटे ट्रान्सफार्मर जो अलग-अलग रखने थे, अभी क्या है कि किसानों वालें ट्रान्सफार्मर के लिए तो माननीय मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा कर दी, ऊर्जा मंत्री ने घोषणा कर दी कि 100 और 63 की जगह 25 के ट्रान्सफार्मर लगाये जायेंगे, इससे किसानों को लाभ होगा, इसके लिए तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा लेकिन जो देवस्थान है, चाहे रामदेवजी का मंदिर हो, चाहे बालाजी का मंदिर हो चाहे हरनावा राजाबाइजी का मंदिर हो, इन मंदिरों को अलग से 25 के.वी.ए. का ट्रान्सफार्मर लगा कर विद्युत सप्लाई की जाए। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया इसके लिए धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद आपको। श्री हरीश कुमावत। दो कन्टिन्यूअस आप बोल लेना, क्या दिक्कत है, मुझे पता नहीं कौन बोल चुका।

श्री हरीश चन्द्र कुमावत (नांवां) : अध्यक्ष महोदय, बिजली की महत्ता हमारे जीवन में इस प्रकार है कि आज हम यहां बैठे हैं तो बिजली की आवश्यकता, लिफ्ट में चलेंगे तो बिजली की आवश्यकता , किसान काम करेगा खेती में तब बिजली की आवश्यकता, कारखाने में काम करेगा तब बिजली की आवश्यकता है। बिजली की आवश्यकता इतनी है कि आज हम बिना बिजली के कोई काम नहीं कर सकते। बिजली की खपत भी इतनी है कि उस खपत के अनुसार जब तक बिजली का उत्पादन नहीं बढ़ता तो बिजली की कमी आयेगी।

बिजली का उत्पादन बढाने के लिए पिछली सरकार ने भी काफी काम किया, पिछली सरकार ने भी बिजली का उत्पादन बढ़ाया, इस सरकार ने भी बिजली का उत्पादन बढाने के लिए कई योजनाएं बनायी हैं। मैं चाहूंगा कि इस प्रकार की योजनाएं हैं, जिस प्रकार के माननीय सदस्यों ने भी सुझाव दिये हैं, बिजली का उत्पादन बढ़ाया जाए। आज सौर ऊर्जा से, लिग्नाइट पर गैस आधारित बिजली, पानी से बिजली, कोयले से बिजली इस प्रकार से जहां-जहां जिस प्रकार की उपलब्धता है उस प्रकार से बिजली का उत्पादन बढ़ाया जाता है।

नागौर जिला भी एक बहुत बड़ा जिला है, बहुत बड़ा क्षेत्र है और मैं समझता हूं कि दूर से जब बिजली आती है तो उसमें छीजत भी होती है।

(श्री हरीश चन्द्र कुमावत)

लिग्नाइट की उपलब्धता नागौर जिले में भी है इसलिए मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि वहां पर भी एक बिजली का उत्पादन करने की ऐसी बड़ी यूनिट लगायी जाए जिससे उस क्षेत्र की बिजली उपलब्धता में छीजत नहीं हो।

इसी प्रकार से आज 33 के.वी. सब-स्टेशन और 32 के.वी. सब-स्टेशन इसीलिए बनाये जाते हैं कि वहां पर छीजत की कमी हो, वोल्टेज भी सही मिले इसलिए नावां तहसील के ग्राम लीचाणा में 33 के.वी. सब-स्टेशन बना दिया गया परन्तु अभी तक वहां 3.156 का पॉवर ट्रान्सफार्मर नहीं लगाया गया है। मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि लीचाणा ग्राम में जब इतने समय से बना दिया है और केवल ट्रान्सफार्मर के लिए आप काश्तकारों को तकलीफ दे रहे हैं तो वहां पर शीघ्र ट्रान्सफार्मर लगाया जाना चाहिए।

इसी प्रकार से हमारे जाब्ती नगर में 33 के.वी. सब-स्टेशन बनने का प्रस्ताव तैसार किया गया, 47 लाख की लागत से प्रस्ताव तैयार किया गया और उनको कहा जा रहा है कि चूंकि वहां पर नमक पैदा होता है इसलिए वह कहते हैं कि 25 परसेन्ट उसमें उद्योग विभाग वाले जमा कराएं, जब राजास में ट्रान्सफार्मर बना और वहां ऐसी बात ही नहीं थी वहां पर इस प्रकार की बात क्यों ? हमने जब पूछा कि वहां पर नमक उत्पादन हो रहा है, ग्रामीण क्षेत्र की वहां बिजली दे रहे हो रेट उद्योग की ले रहे हो तो उनको बिजली भी उस प्रकार से दी जाए, तब तो उनका उत्तर था कि वहां पर औद्योगिक क्षेत्र नहीं है और जब ट्रान्सफार्मर बनाने की बात आयी तो यह नहीं आनी चाहिए वहां पर ट्रान्सफार्मर उनको बनाना चाहिए क्योंकि वह देंगे तब वहां पर बिजली बनेगी इसलिए वहां पर इस प्रकार की बात करना गलत है इसलिए कहां पर पूरी बिजली बनायी जाए।

इसी प्रकार से लालसा में 33 के.वी. सब-स्टेशन बनाना प्रस्तावित है, वहां बनाया जाए। नंगवाला में 33 के.वी. सब-स्टेशन है, वहां 1.6 का ट्रान्सफार्मर है, बहुत छोटा ट्रान्सफार्मर है, दो पारी देने से भी वहां पर बिजली पूरी सप्लाई नहीं की जा सकती, वहां पर 3.156 का ट्रान्सफार्मर दिया जाना

(श्री हरीश चन्द्र कुमावत)

चाहिए। इसी प्रकार से देवली में लम्बे समय से है, वहां पर आश्वासन दिया जा रहा है लेकिन अभी तक भी 3.156 का ट्रान्सफार्मर नहीं रखा इसलिए वहां पर ट्रान्सफार्मर रखना चाहिए।

अभी माननीय मंत्री महोदय, ने जो फीडर सुधार कार्य की घोषणा की, बताया वह बहुत अच्छी योजना है, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि वहां पर बड़े ट्रान्सफार्मर की जगह छोटे ट्रान्सफार्मर की बात करते हैं, अच्छी बात है लेकिन मैं आप से यह बताना चाहूंगा कि पिछली सरकार के समय में सिस्टम इम्प्रूवमेन्ट के प्रस्ताव जो कुचामन सब-डिवीजन में और नावां सब-डिवीजन में दो-तीन साल से पेड़ग पड़े हैं, वहां पर ट्रान्सफार्मर लगाने की बात थी वह अभी तक नहीं लगाये। 51 ऐसे प्रकरण हैं जहां पर सिस्टम इम्प्रूवमेन्ट कुचामन क्षेत्र में करने हैं, 15 ऐसे है जो नावां में करना है। 25 के.वी. के ट्रान्सफार्मर की वहां पर 37 की आवश्यकता है और 40 के.वी. के 54 की आवश्यकता है। यहां ट्रान्सफार्मर देकर यदि वहां पर सिस्टम इम्प्रूवमेन्ट किया जाए तो मैं समझता हूं कि सरकार की जो भावना है, सरकार ने जो अभी घोषणा की है, उसकी पूर्ति होगी और लम्बे समय से लोगों को तकलीफ है, उनको भी सुविधा प्राप्त होगी।

इसी प्रकार से लोढ एक्सटेन्शन का है, उन्होंने फाइल भर दी, पैसा जमा करा दिया लेकिन लोढ़ एक्सटेन्शन के काम के लिए ट्रान्सफार्मर वहां पर नहीं लगाया गया तो ट्रान्सफार्मर भी लगाया जाए, उसके कारण से उनको तकलीफ क्यों हो। वहां भी 25 के.वी. के 41 ट्रान्सफार्मर और 40 के.वी. के 37 ट्रान्सफार्मर की आवश्यकता है इसलिए वह ट्रान्सफार्मर भी वहां पर लगाये जाकर शीघ्र वहां पर ठीक प्रकार से व्यवस्थ की जाए। इसलिए वह ट्रान्सफार्मर वहां पर लागये जाकर शीघ्र ठीक प्रकार से व्यवस्था की जाए। इसी प्रकार से आज कुचामन सब डिवीजन में जो कुल वाइज हजार विद्युत कनेक्शन हैं और चौहद हजार 132 के.वी.ए. के क्षेत्र में आठ, हजार चितावा के क्षेत्र में इसमें छह हजार से ऊपर कृषि कनेक्शन हैं। इसी प्रकार से नावां में 14,134 कनेक्शन है जिसमें कृषि के 3435, उद्योग के 684, घरेलू 8896 और एन.डी.एस. के 896 और जलदाय विभाग के 796 इस प्रकार वहां पर इतने सारे कनेक्शन हैं।

इसी प्रकार से मकराना में बहुत सारे कनेक्शन इस प्रकार के हैं, परबसर में इस प्रकार के बहुत सारे कनेक्शन हैं और उन सबके लिए सामान देने के लिए मकराना में हमारा सब डिपो था जहां से हमको सामान उपलब्ध होता था लेकिन जब नागौर जिला इतना बड़ा है कि आज नागौर में जाकर ट्रान्सफार्मर लगाया जाता है तो ट्रान्सफार्मर का खर्चा बहुत अधिक पड़ता है। पहले जयपुर से सामान वहां जाये, फिर वहां से हम लोगों को वहां जाना पड़े, जल जाए ट्रान्सफार्मर तो वहां से लाना पड़े तो इससे बहुत विलम्ब होता है। वर्ष 1994 में वहां व्यवस्था की थी। सब-डिपों वहां पर है लेकिन इन दिनों में वह सब-डिपो बन्द करने की बात कर दी गयी, वह अलग बात है। वहां पर सब-डिपो बन्द नहीं होना चाहिए बल्कि जिस प्रकार से वहां पर जो सब-डिपो बना हुआ है उसमें और सुधार करने की आवश्यकता है, पूरा सामान रखने की आवश्यकता है। इस प्रकार की व्यवस्था नहीं की गयी तो काश्तकारों को बहुत दिक्कत होगी और वहां जाने पर बहुत तकलीफ होती है। ट्रान्सफार्मर लगाने में बहुत समय लगता है इसलिए जो सब-डिपो है उसकी व्यवस्था वही पर होनी चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसी प्रकार से आज कई लोगों की जो कनेक्शन दे दिए लेकिन ट्रान्सफार्मर जमीन पर पडे है तो दुर्घटना होने की सम्भावना भी रहती है। तो वहां पर चैनल वगैरह देकर जो काम पूरा किया जाना है तो पूरा किया जाना चाहिए। इसी प्रकार से भांवता तथा खारिया में 33 के.वी.ए. सब स्टेशन पर ओ.सी. भी नहीं लगाई गई है, ओ.सी. भीलगाई जाए। इसी प्रकार से आवास से मारोठ में एक 33 के.वी.ए. की लाइन खीचने के लिए कोई चार-पांच वर्ष पहले मंजूरी हो गई थी, सामान भी दे दिया, ठेका भी दे दिया लेकिन ठेकेदार ने उस सामान को अन्यत्र ले जाकर बेच दिया या क्या कर दिया वह जाने, उसको ब्लेक लिस्टेड भी कर दिया। लेकिन आज तक वहां पर काम नहीं हुआ। यह बात कई बार उठी लेकिन वह बात केबल कागजों में रह जाती है या बात में रह जाती है। इस प्रकार वहां के जो 33 के.वी.ए. सब स्टेशन में नावां से 132 के.वी.ए. से आज तक लाइन नहीं पहुंची है इसलिए इस काम को करवाया जाए।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, समय समाप्त हो गया, प्लीज कन्क्लूड करें।

श्री हरीश चन्द्र कुमावत : इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, मैं ज्यादा नहीं कह रहा हूं। यही कह रहा हूं कि हमारी जो कमियां है उन पर ध्यान दिया जाए।

दूसरा, मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा सारे प्रकरण में आज लोग जो चोरी करते हैं उसकी लायबिलिटी जब तक आप वहां पर जो सहायक अभियन्ता है, कनिष्ट अभियन्ता है उस पर नहीं डालेंगे तब तक वह चोरी चालू रहेगी क्योंकि चोरी करने वाले वही लोग हैं इसलिए चोरी की जिम्मेदारी उन पर डाली जाए ताकि चोरी नही हो रही है। उसको बन्द कराया जाए। आपने समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री बृज किशोर शर्मा।

श्री बृजकिशोर शर्मा : माननीय अध्यक्ष जी, आज सदन बिजली जैसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहा है। आज राजस्थान में बिजली आम जनता के लिए लाइफ लाइन बन गयी है। राजस्थान की बिजली की उपलब्धता दिन-प्रतिदिन न्यूनतम होती जा रही है और मांग तेजी से बढ़ती जा रही है। पिछले वर्षो जहां 1700 मेगावाट बिजली राजस्थान में पैदा की और आज तुरन्त एक हजार मेगावाट की आवश्यकता राजस्थान को है। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि 2004-2005 और 2005-2006 में किस तरीके से राजस्थान के अन्दर बिजली का उत्पादन करने की सरकार मंशा रखती है, कृपया उसको स्पष्ट करने का कष्ट करें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह भी ध्यान में देने योग्य स्थिति है कि बिजली की कमी के कारण आज शहरों में बिजली का कट लगा रहा है और कट लगने की वजह से जो ट्यूबवैल्स हैं वह भी प्रभावित हो रहे है। जिन शहरों में खास तौर से जयपुर में पहले पानी की स्थिति विकट है ट्यूबवेल्स का पानी बहुत नीचे जा चुका है और कट लगने की वजह से जो पानी जयपुर शहर को मिलना चाहिए था वह नहीं मिल पा रहा है। इसलिए मेरा आपसे

(श्री बृज किशोर शर्मा)

निवेदन है कि ऐसे ट्यूबवेल जिन ट्यूबवैल्स से शहर को पानी सप्लाई मिलती है, उन ट्यूबवेल्स पर पावर कट नही लगाया जाना चाहिए।

माननीय अध्यक्षजी, मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने आते ही राजस्थान से बिजली बेचने की बात की थी लेकिन वे बिजली बेचने की बात तो दूर रही, आज राजस्थान के किसानों को चार-पांच घण्टे भी बिजली नहीं मिल रही है और चार-पांच घन्ट किसानों की बिजली मिलना छोड़कर आपने सोलह घण्टे बिजली एल.टी कनेक्शन के आधार पर, सिंगल फेस कनेक्शन के आधार पर देने की घोषणा की थी लेकिन आज राजस्थान के गांवों में ढाणियों में रहने वाले बच्चों को, छा-छात्राओं को पढ़ने के लिए बिजली 7 बजे से 10 बजे तक भी नहीं मिल पा रही है और उसमें भी लोड शैडिंग कब बिजली काट देता है, इसका भी कोई अता पता नहीं रहता।

अध्यक्षजी, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं जो आपंने कृषि नीति 2004 में बनाई है उसके मुबातिक जो डी.सी. कनेक्शन दो साल तक जिसका कनेक्शन डी.सी. हो गया है और वह डी.सी. इसलिए कराया कि उसके कुएं के ऊपर अकाल की वजह से पानी की उपलब्धता खतम हो गयी और अगर वह डी.सी. कनेक्शन लेना चाहता है तो वह डी.सी. कनेक्शन उसको नई जो महंगी फार्म हाउस की स्पेशल केटेगरी में कनेक्शन लेना पड़ता है। उसको ज्यादा पैसा जमा कराना पडता है तो ऐसे डी.सी. कनेक्शन वालों को आपको रियासत की घोषणा करनी चाहिए और ऐसे लोगों को और कुछ समय बढ़ाया जाना चाहिए जब वह आर.सी. करवाता है तो।

मैं आपसे इसी के साथ-साथ जो कृषि नीति आपने घोषित की है, पहले साढे तीन हजार प्रति हार्स पावर के हिसाब से कनेक्शन एक किसान को कनेक्शन लेने के लिए देता था आज आपने साढे तीन हजार रूपये प्रति हार्स पावर के हिसाब से कनेक्शन के लिए बाध्य किया है और वह भी साढे सात हजार हार्स पावर तक. यानि साढे सात हार्स पावर का पैसा उसको जमा कराना पडेगा। ऐसी स्थिति में अगर आज कोई किसान तीन हार्स पावर का कनेक्शन

(श्री बृजकिशोर शर्मा)

लेना चाहता है तो उसको कम से कम यह जो पाबन्दियां, आपने साढे सात हजार रूपये पर लगा रखी है वह कम की जानी चाहिए।

आपने जो कृषि नीति निर्धारित की है उसके मुताबिक बहुत से किसान जिन्होंने केपेसीटर के या तो पैसे जमा करा दिय हैं या केपेसीटर आपके विभाग का जमा करा दिया है या केपेसीटर उसने अपने कुए पर ले लिया है उसके बावजूद भी आज सरकार उसके दो प्रतिशत पैनल्टी के रूप में उसके बिल्स मैं पैसा चार्ज कर रही है। मेरा आपसे निवेदन है कि ऐसी विसंगत स्थितियों को तुरन्त दूर किया जाना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़े खेद का विषय है कि ट्रान्सफार्मर सरकार का जलता है, निगम का जलता है और किसान को वह ट्रान्सफार्मर वहां से उठाकर विभाग में जमा कराना पड़ता है और वह भी 1-1, सवा-सवा, दो -दो महीने तक उसको ट्रान्सफार्मर नहीं मिलता और जब मिलता है तो वही किसान उसको वापस ले जाता है। ऐसी व्यवस्था को तुरन्त बन्द किया जाना चाहिए और किसान को अगर वह लाता है तो उसको किराया मिलना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, जब किसान वहां से ट्रान्सफार्मर उतारकर लाता है तो ऐसी बहुत सी दुर्घटनाएं हो चुकी हैं और बहुत से लोग इसके अन्दर मौत के घाट उत्तर चुके है। उससे सरकार को भी बेमतलब का मुआवजा देना पड़ता है।

माननीय अध्यक्षम महोदय, मैं आपके माध्यम से एक और गम्भीर समस्या पर माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि एच.टी.एल.टी. आपने तकनीकी रूप से और पूरे पेरीमीटर्स को ध्यान में रखकर नहीं लगायी है। खास तौर से शहरों में और शहरों में उन स्थितियों में है। जहां घनी आबादी के क्षेत्र में हैं, कच्ची बस्तियों है वहां पर एल.टी.सी. के तार इस तरीके से झूल रहें है और बच्चों की पकरड के अन्दर है। आये दिन आप भी अखबार में पढती हैं, आपको भी मालूम है कि रोज आये दिन इस तरीके के एक्सीडेन्टस होते रहते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

(श्री बृज किशोर शर्मा)

आपने घंटी बजा दी है, मैं आपका और सदन का ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं कुछ सुझाव देकर पूरा करूंगा।

मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंग कि सुधार के लिये स्टेशनस पर सी.ए. द्वारा आडिटिंग करायी जानी चाहिए। जो उपभोक्ता बिजली का उत्पादन अपनी आवश्यकता के अनुसार करतें है उस पर आपने 20 पैसे प्रति यूनिट की जो पेनल्टी, सरचार्ज लगा रखा है उसको वापस लिया जाना चाहिए। ऐसा उपभोक्ता जो अपना उत्पादन खुद कर रहे हैं उनको प्रोत्साहन देनें के बजाय 20 पैसे प्रति यूनिट चार्ज कर रहे है। वह गलत है। इसमें जो बिजली उत्पादन खुद करना चाहता है उसको प्रोत्साहन नहीं मिलेगा उल्टा उससे उसको नुक्सान होगा।...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब समाप्त करें। आपका समय हो गया है।

श्री बृजकिशोर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट में खतम कर दूंगा। जो टी.एण्ड डी. लोसेज है, बारह सौ, तेरह सौ करोड़ यूनिट के करीब होते हैं इसमें सरकार को साढे सात हजार रूपये सालाना का नुकसान होता है। सरकार टी. एण्ड डी. लोसेज को अगर खत्म करें तो मेरे ख्याल से जो बिजली आज हमें इतनी महंगी मिल रही है वह सस्ती मिलना शुरू हो जायेगी।

अंत में, मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं। आपने समझौता समितियां बना रखी है पर उनमें किसानों का कोई प्रतिनिधि नहीं है। आपसे करबद्ध निवेदन है कि समझौता समितियों में किसानों को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए और पब्लिक रीप्रजेन्टिव का उसमें प्रतिनिधित्व होना चाहिये।

अध्यक्षजी, आपने मुझे समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय 7.30 बजे तक बढ़ाया जाये।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि सदन का समय 7.30 बजे तक बढाया जाये ?

(स्वीकृत)

सदन का समय 7.30 बजे तक बढ़ाया जाता है।

राज्य में बिजली की स्थिति पर विचार

श्री भरत सिंह।

डा. सी.पी. जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, एम मिनट। आपका ध्यान पाइन्ट आफ आर्डर 253 (आई) रूल पर आकर्षित करना चाहता हूं कि सदन का आखिरी दिन है इसलिये मैं चाहूंगा कि आपका ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाये-

"Parliamentary Consulative Committees.

253 I. 1. Composition.-(1) The Speaker may, in consultation with the Leader of the House, constitute as many Parliamentary Consultative Committee as as he thinks fit, in respect of a Department or group of Department of the State Government composed of members of the Assemble only"

असेम्बली का आज अंतिम दिन है। आपने सारी डिबेट देखी है। प्रतिपक्ष की भुमिका भी देखी है। मैं समझता हूं कि यह 253(आई) जो रूल है उसमें आपको पावर दी हुई है। अगले सदन की मीटिंग के पहले डिबेट अच्छी हो, सदन की कार्यवाही में हम ज्यादा भाग लें सकें, आपको जो पॉवर दे रखी है 253(आई) में, मैं आपसे आशा करूंगा आप पार्लियामेन्टरी कन्सलटेटिव कमेटी बनाएं जिससे हम सब सदस्य इसमें ज्यादा भाग ले सकें और प्रभावशाली ढंग से डिबेट में भाग ले सकें। मेरा निवेदन है कि आज आखिरी दिन है इसमें 253(आई) में उपयोग लकर आप यदि कमेटी बनायेंगे तो हम सब आपके आभारी रहेंगे।

श्री अध्यक्ष : कमेटी तो आलरेडी बनी हुई है शिड्यूल कास्ट पर...

डा. सी.पी. जोशी : 253(आई) जो पार्लियामेन्टरी कन्सलटेटिव कमेटी....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। यह संसदीय परामर्शदात्री समिति बनाते हैं...

श्री प्रद्युम्न सिंह : पूर्व के अन्दर भी इस प्रकार की समितियों का गठन किया गया था। अगर आप मुनासिब समझे लीटर आफ दी हाउस से कन्सल्टेशन करके आप इन समितियों का गठन कर सकते हैं। यह आपके ऊपर है। आपक सिर्फ ध्यान आकर्षित किया है नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने। इस पर आपको गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिये, मेरा आपसे अनुरोध है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मैं आपको निवेदन करना चाहूंगी कि 1993 से लेकर 2003 दो जो विधान सभाएं हुई हैं उनमें तो यह कमेटी बनी नहीं। उनमें तो बनी नहीं है। फिर भी आपने जो सुझाव दिया उसके मुताबिक मैं सदन के नेता और प्रतिपक्ष के नेता, दोनों से बातचीत करके उसके बाद इस बारे में निर्णय लूंगी।

डा. बुलाकीदास कल्ला : 1985 से 1990 के बीच में यह कमेटीज बनी हुई थी।

श्री अध्यक्ष : 1985 से 1990 की नहीं कह रही हूं। मैं पिछले तो टर्म की कह रही हूं...

डा. बुलाकीदास कल्ला : मैं 1985 से 1990 की कह रहा हूं और हम लोग उन कमेटियों में अध्यक्ष रहें हैं। अलग-अलग विभागों की कमेटियां बनी हुई थीं।

श्री अध्यक्ष : I am talking of two terms. मैं दो टर्म की बता कर रही हूं। आप आज उससे पिछली कर रहे है...

डा. बुलाकीदास कल्ला : एक सैकण्ड आप बिराजें। एक मिनट बिराजें तो में कह दूं....

श्री अध्यक्ष : तो जब मैंने कह दिया कि मैं सदन के नेता, प्रतिपक्ष के नेता....

डा. बुलाकीदास कल्ला : दोनों से बात करके, तो फिर विवाद का प्रश्न है कहां। कहां रह गया ?

मोहम्मद माहिर आजाद : 1990 से 1992 में भी थी 1990 से 1992 महावीरजी ने बनायी थी।

श्री अध्यक्ष : इससे पूर्व की भरतसिंहजी अपनी बात कहं मैं आपको फिर रिमाइन्ड कराना चाहूंगी। मैं पूर्व में भी कह चुकी हूं और फिर निवेदन कर रही हूं आपसे। क्योंकि यह परम्परा फिर बढती जा रही है, मैं आपको निवेदन फिर कर रही हूं, आपसे दोहरा रही हूं आपनी बात को कि कान्स्टीट्यून्ट असेम्बली के जो फर्स्ट स्पीकर मावलंकर थे उनके पार्लियामेन्ट के अन्दर स्पष्ट निर्देश थे कि "No one, minister of other member, could walk-up to the Speaker's Chair to have words with him or the like. They could meet him only in this champer in the House, if they have something to say, they have to do through officers at the table to whom they could talk or send chits." कोई भी माननीय सदस्य स्पीकर के यहां पर आकर और बातचीत करने की जो परम्परा है, यह परम्परा बिलकुल गलत है और जिस किसी का अपनी बात कहनी हो वह उस टेबल के थ्रू बिट भेजकर या इस टेबल से बात करके यहां तक पहुंचा सकता है लेकिन यह परम्परा जो डाली जा रही है सब आकर के खड़े हो जाते हैं और अपनी बात कहतें है, यह परम्परा नहीं रहना चाहिये। यह गलत है, नियमों के विरूद्ध है इसलिये इसका पालना सब करेंगे, मैं आपसे उम्मीद रखती हूं।

एक माननीय सदस्य : महावीर जी आते है...

श्री अध्यक्ष : महावीरजी नहीं और भी आते हैं, कई आते हैं। सुबह ही इधर खडे थे। अकेले महावीर जी नहीं, आप सब लोग भी यही करते है।

श्री श्रवण कुमार : हम नहीं आते कभी भी...

एक माननीय सदस्य : महावीरजी नहीं आते...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब आप क्या कहना चाहते हैं ? भरत सिंह जी का नाम पुकार लिया मैंने। क्या करना है, क्या कहना चाहते हैं आप ?

श्री श्रवण कुमार : यह आते है बड़े-बड़े लोग। बडे लोग आ जाते है...

श्री अमराराम (धोद) : यह बोलने के लिए नहीं कह रहे है। यह कह रहे है हम आसन के पास नहीं आ रहे हैं, यह बात कह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : यह बहुत अच्छी बात कहीं है। नियमों का पालन कम से कम आप सदन में करे...

श्री अमराराम (धोद) : हां, पालना कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : खुशी की बात है कि सदन के नियमों का आप पालन करते हैं। बहुत खुशी की बात है।

श्री श्रवण कुमार : हमारी बात हाथ जोडने वालों की बातें सुनती ही नहीं हो ना, पूरी सूनने के बाद कहो। हम कहते है हम कभी भी झुकते नहीं आगे और यह बड़े-बडे लोग है ना इनको ज्यादा आदत पड़ जाती है। आप इनके दिमाग को दुरूस्त करो।

श्री अध्यक्ष : ठीक है। आप सदन के नियमों का पालन करते हैं बहुत अच्छी बात है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, यह कह रहे हैं हम कभी झुकते नहीं हैं। नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, यह तो व्यंग्य कर रहें हैं

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह कह रह हैं आपके आगे झुकते नहीं है।

श्री श्रवण कुमार : (व्यवधान) इनको समझाओं आप।

श्री अध्यक्ष महोदय : भरत सिंहजी।

श्री भरत सिंह (दीगोद) : माननीय अध्यक्षजी, आपके माध्यम से ऊर्जा मंत्रीजी का ध्यान दिलवाकर निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान की 70 प्रतिशत जनता कृषि पर आधारित है और कृषि में विद्युत का बहुत बड़ा

(श्री भरत सिंह)

भाग है। यह कृषि के लिये एक रॉमेटेरियल है। जब कृषि की लागत बढ सकती है तो किसान का पीडित होना स्वाभाविक है।

बिजली की दरें लगातार धीरे-धीरे बढ रही हैं और हम यह देख रहे हैं कि कृषि उत्पादन का जो मूल्य है किसानों को उस रूप में नहीं मिल रहा है जिस रूप में दरें बढ रही है। विद्युत की दरें बढें और कृषि उपज का मूल्य भी किसान को उसके अनुरूप अधिक मिले तो समझ में आता है कि किसान उसका मुकाबला कर सकता है। पर आज प्रदेश की जनता जो कि अधिकांश क्षेत्र हमारा सिंचित क्षेत्र भी है वह विद्युत के माध्यम से खेती को सिंचित क्षेत्र भी है वह विद्युत के माध्यम से खेती को सिंचित भी कर रहा है इसलिये उसकी लागत बढ़ती जा रही है। अभी कृषि के बारे में नयी नीति आयी है। मेरा एक ही सुझाव है उसके सम्बन्ध में कि जून, 2000 के बाद आर.एस.ई.बी. का अलग-अलग कम्पनियों में विभाजन किया गया यह सोचकर किया था कि विद्युत व्यवस्था में सुधार होगा। उसमें सुधार हुआ या बिगाड हुआ उसको तो मैं जनता नहीं क्योंकि घोषणाएं सब सरकारें करती है कि हम आठ घण्टे बिजली देंगे या इतनी बिजली देंगे, नीयत हो सरकार की मगर वास्तव में उस रूप में बिजली नहीं मिल पाती जिस रूप में घोषणाएं होती है। अभी हाल में सुधार की नीति की घोषणाएं की गई। जयपुर, जोधपुर और अजमेर में यह जो अलग-अलग कम्पनियों का गठन किया और उसके बाद नई नीति घोषित की इसमें कहीं भी किसी स्तर पर आपके जो डायरेक्टर हैं, उसमें जनता का चुना हुआ व्यक्ति कहीं नहीं होता। जनता का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं है। मेरा सुझाव यह है कि कम से कम दो व्यक्तियों को एक-एक निगम में रखा जाये, चाहे वह पहले मंत्री रहे हो या मंत्री नहीं रहे हों। उनकी आप इसमें भागीदारी करें और कम से कम एक साल के अन्दर आप नई नीति घोषित करें। आपको लग रहा है कि आप ठीक कर रहें है मगर क्या वह वास्तव में राजस्थान के अलग-अलग हिस्सों के लिए ठीक है या नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जयपुर विद्युत निगम के अन्दर जिसमें कोटा संभाग आता है, इस नई नीति के अन्दर वह

(श्री भरत सिंह)

बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुआ। जिन काश्तकारों को एक या दो पोल के आधार पर पहले बिजली मिल जाती थी, नई नीति के तहत आपने फ्लेट चार्ज कर दिया। उसका चार्ज बहुत बढ़ गया। मगर आपको यहां जयपुर में बैठे हुए उसकी जानकारी नहीं है। अगर चार महीनें में एक बार भी आपकी टीमें संभागीय मुख्यालयों पर लोगों से चर्चा करें तो चर्चा के बाद में कोई वाजिब सुझाव आते हैं लोगों से निकलगर तो आप जो लागू करने वाले हैं वह अगर व्यावहारिक नहीं है तो मेरा सुझाव है कि आप उसको वापस लें और व्यावहारिक करें। नहीं तो इस तरह जो आपने नीति बनाइ उससे जोधपुर संभाग को तो लाभ मिलेगा जहां दूर-दूर के कनेक्शन होते हैं मगर कोटा संभाग के लोगों के साथ अन्याय होगा।

अध्यक्ष महोदय, दूसरा जो बिल जमा रकते है वही दण्डित होते है, चोरी कर रहे हैं वह आपकी नीति से किसी भी रूप से प्रभावित नहीं हो रहे हैं और बिजली जितनी महंगी होगी चोरी करने वालों की संख्या बढ़ेगी। आज हो यह रहा है कि काश्तकार जिसका कनेक्शन आखिरी कोने पर है और बीच में लोग पावर चोरी कर रहे है उसको वोल्टेज आखिरी कोने पर नहीं मिल रहा है। वह शिकायत लेकर विभाग के ए.ईएन. के पास जाता है, ए.ईएन. हाथ पर हाथ रखकर बोलता है कि मैं क्या करूं। कोई सुनने वाला है नहीं, मजबूरी में आदमी बिल जमा कराता है और उसकी मजबूरी यह है कि वह बिल जमा नहीं करे तो डिसकनेक्ट कर जायेंगे। बिजली का बिल जमा करता है तो वोल्टेज उसको नहीं मिलता। इससे तो विद्युत चोरी करने वालों की संख्या बढेगी। उसको जब तक आप नियंत्रित नहीं करेंगे तो विद्युत चोरी करने वालों की संख्या और बढेगी।

अध्यक्ष महोदय, गावं में अभी जो बिजली का बिल जमा कर रहे हैं वह देख रहे हैं कि मैं तो फिजूल जमा करा रहा हूं और जो चोरी कर रहा है। उसको सुविधा मिल रही है। उस पर कोई अकुंश है नहीं। पहले तो पुलिस में प्रोविजन था कि उनके खिलाफ चालान करे। आज पुलिस ने भी उसके अन्दर हाथ खडे कर दिये, कोई प्रोविजन नहीं है कि उसके अन्दर चालान करे। जैसे

(श्री भरत सिंह)

ही आपकी फ्लाइंग पार्टियां जाती है गांव के अन्दर उसके पहले ही आजकल मोबाइल हो गये गांव के अन्दर टेलीफोन की सुविधा है। विभाग के कर्मचारी मिले हुए हैं वहां से फ्लाइंग पार्टी रवाना नहीं होती उससे पहले इतला हो जाती है और जो लोग चोरी करते हैं वह अपने तार हटा देते हैं। अगर आप मौके पर पहुंच जाते है तो बिजली के तार वगैरह ले जाते हैं और बिजली विभाग के अन्दर तारों के बन्डल पडे रहते हैं और वह तार बाजार के खरीदकर वापस चोरी करने लगते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि संभागीय स्तर पर आप लोग जाये, मंत्रीजी जायें, जो बोर्ड के मेम्बर्स है वह जायें। समस्या को सुनें, समझें और उसका निवारण वहीं कर दें। उसका कोई रास्ता निकालें। यही मेरे सुझाव हैं, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद। श्री तगाराम चौधरी।

डा. एन.एस. गुर्जर : आपसे पाइन्ट ऑफ इन्फार्मेशन चाहता हूं। आपने एक व्यवस्था दी थी सदन में जिस दिन पोपाबाई पर चर्चा चल रही थी कि पोपा बाई कौन थी, आपने बताया कि दो दिन बाद में व्यवस्था दूंगी। यह जानकारी तो मिले कि पोपाबाई थी कौन ? आपने व्यवस्था दी थी। आज आखिरी दिन है, हमको जानने को ही नहीं मिलेगा कि पोपाबाई कौन थी। आपकी तरफ से व्यवस्था हो जाये।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अभी महत्वपूर्ण विद्युत के ऊपर चर्चा हो रही है। उसको छोड़कर कहां पोपाबाई की बात कर रहें है। पोपाबाई का राज तो बिलकुल अव्यवस्था का, बिलकुल कानून से रहित था। आप कहां उसकी बात कर रहें है।

डा. सी.पी. जोशी : याद आ रही है...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : वह सदन में आये तब कहा है।

डा. एन.एस. गुर्जर : वह तो सदन में आ गया इसलिए आपका ध्यानाकर्षित किया है (व्यवधान) आपने कहा था कि व्यवस्था देंगे। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : आपको वर्तमान राज को देखकर पोपाबाई के राज की याद आ रही होगी। वर्तमान शासन को देखकर याद आ रही होगी पोपाबाई के राज की।

डा. एन.एस. गुर्जर : वह तो पांच साल तक याद करते-करते भूल गये थे हम आपको।

श्री अध्यक्ष : पोपाबाई कौन थी और क्या करती थी। यह अगले सत्र में चर्चा करेंगे। अब तो आप विद्युत पर चर्चा करें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, आपके आदेशों की पालना करके मैं उन ऐतिहासिक तथ्यों को, उसके जन्म स्थान को मैं ले आया हूं। जब आप कहेंगी तब मैं शिक्षा मंत्री के नाते यहां पेश कर दूंगा।

श्री अध्यक्ष : मैंने भी पता लगा लिया है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : करा लिया ना, वह अपनी शेखावाटी की ही है।

श्री अमराराम (धोद) : दोनों ने पता लगा लिया तो हमकों भी ज्ञानवर्धन करा दें।

श्री संयम लोढ़ा : शेखावाटी की नहीं वह जालौर की है...(व्यवधान) मेरे पास ऐतिहासिक तथ्य मौजूदा है...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप तो तगारामजी की बात सुनें। वह पोपाबाई बाड़मेर की तो नहीं थी। बोलें आप।

श्री अमराराम (धोद) : बाड़मेर की नहीं थी, शेखावाटी की ही थी।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर) : अध्यक्ष महोदय, मेरे बाड़मेर क्षेत्र के बिजली की स्थिति अन्य स्थानों से भिन्न है। उसका मुख्य कारण यह है कि वहां पर पानी खारा होने की वजह से, मीठा पानी मिल नहीं रहा था और मुश्किल से कहीं-कहीं पर कुछ साधन, उपकरण के माध्यम से ज्ञात किया गया, सर्वे कराये गये। कहीं-कहीं पर पानी मिला है। कुछ गांवों में मेरे विधान सभा क्षेत्र के नगर के अलावा लगभग 250 गांव हैं उनमें से 25-30 गांवो में बिलकुल गहराई पर, परन्तु फिर भी मीठा पानी है जिससे जीरा पैदा होता है।

(श्री तगाराम चौधरी)

इस तरह के कई नय क्षेत्र विकसित हो रहे हैं। इस कारण से पहले कृषि कुओं का प्रचलन नहीं था। मैं बाद में निवेदन करूंगा कि उसके कारण और रहे हैं परन्तु उससे पहले मैं निवेदन कर दूं कि नये क्षेत्रों में विकसित करने के लिए वहां तो यह कट ऑफ डेट प्राथेयोरिटी वह तो पहले से ही आप क्षमा करें, माफ करावें क्योंकि शुरूआत ही पिछले चार-पांच वर्षो से हुए है तो वहां पर इस तरह से नये क्षेत्र विकसित करने में बड़ी दिक्कत आयेगी और पानी भी गहराई पर है।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करूंगा कि वहां पर मोटर लगाई जायेगी वह ज्याद हार्सपावर की होगी और हार्स पावर के बारे में अभी चर्चा हुई और मैं भी यह महसूस कर रहा हूं कि उनके ऊपर किस तरह का हार्स पावर किस दर से लगाया जाये। ऐसे क्षेत्रों के बारे में विशेष दर से जो कठिनाई से नये विकसित हो रहे हैं और जैसा मैंने पहले भी निवेदन किया कि मेरे वहा पर रेत ही रेत है, -खारा पानी है और तरह-तरह की मार क्षेत्र झेल रहे है और पहले से ही बहुत ही अपेक्षित क्षेत्र रहा है। उनके लिए तो इस तहर की रियायतें और विशेष कमेटियों की बात आयेगी तो उनके माध्यम से या किसी न किसी माध्यम से वहां के किसानों को रियायतें मिलें और उनको बिजली दिलाई जाये। वहां पर भी हम लोग हरियाली देखना चाहते हैं। मेरे भाई-बहन और अनुसूचित जाति को रियायतें मिले। यह मेरा निवेदन है। हम उपेक्षित क्यों रहे उसके ऊपर जाना चाहता हूं। अभी सुनने में आया कि 1998 से लेकर 2003 के बीच में बहुत ज्यादा बिजली पैदा करके बहुत कनेक्शन दे दिया। लाखों में दे दिये। यह भी सुनने को मिला परन्तु उन माननीय सदस्यों को मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे वहां आप पधारकर के देखें कि वहां वहां कनेक्शन मिले। जिले का भी ऐसा ही है। बाड़मेर जिले, जैसलमेर जिलें में कोई भी कनेक्शन मिले हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं और विद्युत का जहां तक सवाल है। आज ही अखबार में पढ़ा है, जैसलमेर में पवन ऊर्जा पैदा करेंगे और उनको काम में लेने की अभी आवश्यकता और बढती भी महसूस हो रही है। मेरा निवेदन है कि बाड़मेर को तो बिजली दी जाए साथ ही पूरे बाड़मेर

(श्री तगाराम चौधरी)

जिले और जैसलमेर का जो भाग है, वहां जो नया क्षेत्र है वहां भी बिजली दी जाए तो किसानों को अकाल का स्थायी हल निकालने का मौका मिलेगा।

जैसा मैंने निवेदन किया हमारे साथ, हमारे किसानों के साथ हमारे क्षेत्र के साथ उपेक्षा हुई है, वहां उस वक्त मेरे से पहले जितने भी जनप्रतिनिधि थे, उन्होंने इस ओर ध्यान ही नहीं दिया, माननीय अध्यक्ष महोदय, कतई ही ध्यान नहीं दिया और यह उनके मन में रहा कि यदि किसान प्रगति पर उतर आए, जीरा पैदा करने लग गए तो हमरा क्या होगा ? इस भय से हमारे साथ उपेक्षा हुई।

श्री अध्यक्ष : बहुत अच्छा, धन्यवाद। (व्यवधान)

श्री अमराराम (राज्य मंत्री, गृह) : आपके विधान सभा क्षेत्र में....।

श्री तगाराम चौधरी : मैं बाड़मेर क्षेत्र का बोल रहा हूं, जिले का तो मैंने कहा है, स्थिति थोड़ी जिले की भी इस तरह की है।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, टोकें नही इनको।

श्री तगाराम चौधरी : जनप्रतिनिधि के बारे में मैं फिर दोहराउंगा कि बाड़मेर विधान सभा क्षेत्र और साथ में लोक सभा क्षेत्र भी दोहरा देता हूं तो कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी, वहां पर जो जनप्रतिनिधि रहे उन्होंने किसानों की ओर कतई ध्यान नहीं दिया इसलिए ऐसी स्थिति आज आजादी के 57 साल बाद भी बनी हुइ है।

श्री टीकमचन्द कांत (सिवाना) : तगारामजी, आप कितनी बार आए है ? हेमारामजी भी वहां से आए, सब आए हैं, क्या वे किसानों के प्रतिनिधि नहीं थे ?

श्री तगाराम चौधरी : बाड़मेर विधान सभा क्षेत्र का निवेदन कर रहा हूं कि वहां पहली बार फूल खिला है। इस बात में भेदभाव रखते हुए हमारें साथ अन्याय किया गया है, यह अन्याय कांग्रेस वालों ने किया है, मैं खुला कहता हूं। आपने मुझे समय दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं। धन्यवाद

श्री अध्यक्ष : ठीक है, बढिया है, बहुत-बहुत धन्यवाद। श्री कन्हैया लाल मीणा।

श्री कन्हैया लाल मीणा (बस्सी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि सन् 1990 से लेकर 1998 तक या जनवरी से लेकर अब तक किसानों को आठ घण्टे बिजली मिली है। रात्रि के समय छात्रों को पढने के लिए, गृहणियों को का गृह कार्य के लिए लाइट नहीं मिली। जो स्थिति रही, वह सब लोग जानते हैं कि वास्वत में क्या स्थिति रही। यह लोग कहते हैं कि हमने इतने मेगावाट बिजली पैदा कर दी। यह लोग कहते है कि हमने इतने मेगावाट बिजली पैदा कर दी। कर दी होगी। आपकी जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था में आपने किसानों को चार घण्टे से ज्यादा बिजली नहीं दी, आप रिकार्ड उठा कर देख लें। शाम के समय आपने 8-9 बजे तक लाइट दी, उसके बाद में सिंगल फेस आपने नहीं दी।

मैं कहना चाहता हूं कि किसानों के बारे में भारतीय जनता पार्टी ने ही सोचा है और किसी पार्टी ने नहीं सोचा। कृषि कनेक्शनों हेतु इस समय हजारों की संख्या में लोगों का डिमाण्ड नोटिस जा रहे हैं लेकिन जो सामान दिया जा रहा है वह कम संख्या में है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कनेक्शन के लिए पोल का सामान, तार, ब्रेकेट्स वगैरह ज्यादा दिलाए जांए ताकि किसानों को ज्यादा कनेक्शन मिले। कई किसान ऐसे है जिन्होंने डेढ वर्ष से डिमाण्ड नोटिस जमा करा रखे हैं उनको एक महीने में कनेक्शन दिलाया जाना चाहिए ऐसा मैं विद्युत मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा।

पहले फार्म हाउस योजना काफी महंगी थी। आपने उसको स्पेशल योजना के तहत किया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि नर्सरी स्पेशल योजना, चारा योजना, चोर योजना, इन योजनाओं में किसानों को कनेक्शन लिए दो साल से ज्यादा का समय हो गया, कई-कई को तीन साल से ज्यादा का समय हो गया, पहले यह तय किया गया था कि दो साल बाद उनको सामान्य श्रेणी में कर दिया जाएगा लेकिन अब तक ऐसा नहीं किया गया। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि उनको सामान्य श्रेणी में करने की आज ही घोषणा करें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, चोर योजना क्या है, कब शुरू हुई, किसने की ?

डा. एन.एस. गुर्जर (टोडारायसिंह) : पहले चारी करवाते थे, फिर उसको रेगुलर करते थे, यह चोर योजना थी, इनकी फेमस योजना थी।

श्री कन्हैया लाल मीणा : पहले चारों करवाते थे, वे स्पेशल योजना थी। बाद में उसको रेगुलर करते थे।

मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे यहां भटेरी, पाटन, पेई पुरा गांव है, वहां पांच एच.पी की मोटरें सबके लगी हुई है। वहा पर अधिकारी कहते हैं कि साढे सात की लगाओं। मेरा निवेदन है कि जहां पर पानी की जैसी व्यवस्था है, वैसी ही मोटर होनी चाहिए। उनको साढे सात एच.पी. के बिल भेजे जा रहे है।

मै निवेदन करना चाहूंगा कि जब किसानों के कुए सूख जाते हैं या किसान अपनी आर्थिक समस्याओं के कारण कनेक्शन कटवा लेता है। दो साल बाद जब दुबारा कनेक्शन करवाता है उससे पहले ही पूरी लाइन उतार दी जाती है और उसको दुबारा नये सिरे से कनेक्शन लेना पडता है। पहले लाइन उतारने की अवधि 5 साल थी, बाद में 7 साल किया गया। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस स्थिति में समय सीमा पहले वाली ही रखनी चाहिए ताकि उनको दुबारा कनेक्शन लेने में सुविधा हो और उनके साथ ज्यादती न हो। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप इसको प्राथमिता से लें ताकि किसान को दुबारा नया कनेक्शन लेने की आवश्यकता न पड़े।

यदि किसी जगह 30 किसानों ने विद्युत कनेक्शन ले रखें हैं और उनमें से 4 किसानों ने विद्युत बिल जमा नहीं कराया तो ट्रान्सफार्मर जल जाने पर उसको पूरा ही उतार लेते है। शेष व्यक्तियों ने क्या किया, आप बिल जमा न कराने वाले चारों का कनेक्शन काट दो, बाकी व्यक्तियों को भी लाइन उतर जाती है और उनको ट्रान्सफार्मर नहीं देते हैं और काफी माथा-फोडी वहां अधिकारी आपके करते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपने अधिकारियों को निर्देश दें कि बिल जमा कराने वाले व्यक्तियों के तो कनेक्शन काट सकते हैं लेकिन दूसरे लोगों को इस तरह परेशान न किया जाए।

(श्री कन्हैया लाल मीणा)

मेरा निवेदन है कि आप कहते हैं कि ट्रान्सफार्मर खराब होने पर दुसरा ट्रान्सफार्मर 72 घण्टे में देते हैं, इसको हो सके तो 24 घण्टे में देने का कर दिया जाए जिससे किसानों को रबी की फसल में ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। क्योंकि ओसारा में शामिल पार्टनर को एक दिन का भी ओसारा चलागया तो उसका काफी नुकसान हो जाता है, इसलिए उसको 24 घण्टे में करने की कोशिश करें।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बिजली के जो सर्किट बने हुए हैं, नगें तार जगह-जगह खुले पड़े है। लटक रहे हैं, इनके कारण कई बार गाएं खतम हो गयी, ऊंट खतम हो गए, कई बार छोटे बच्चे ने हाथ लगा लिया तो वह खतम हो गये, इसलिए जहां भी ऐसे सर्किट हैं यह नगे तार हैं या लटके हुए तार है उनको ऊंचा करें, तारबन्द करें, ट्रान्सफार्मर ऊचें लगाए जांए जिससे कोई हादसा न हो।

मेरा निवेदन है कि कुछ लाइनें 35 साल से भी ज्यादा पुरानी है, एकदम नीचे से निकलती है, इसके कारण कई बार दुर्घटनाएं हो जाती है, मैं कहना चाहूंगा कि पेट्रोलिंग करवा कर इन लाइनों को चेन्ज करना हो तो चेन्ज करें, टाइम करना हो तो टाइम करें।

मेरा निवेदन है कि जब किसान का कनेक्शन काटने आपके अधिकारी जाएं उससे पहले उसको 15 दिन का नोटिस दे दें ताकि वह किसान सावचेत हो जाए कि 15 दिन में कनेक्शन कटने वाला है, ये जाते हैं चुपचाप और कनेक्शन काट देते हैं।

मेरा निवेदन है कि जैसे रोडवेज में व्यवस्था है, वैसे ही विद्युत विभाग, यदि कोई पशु, व्यक्ति, विद्युत से खतम हो जाए...।

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें, आज समय नहीं है।

श्री कन्हैया लाल मीणा : एक-दो मिनट और लूंगा। लोग तो 20-20 मिनट बोले हैं, मैं तो 10 मिनट ही नहीं बोला, 5 मिनट ही हुए है।

श्री अध्यक्ष : बोलने वाले बहुत हैं, समय बहुत कम है।

श्री कन्हैया लाल मीणा : मेरा आपसे निवेदन है कि कई बार विद्युत से दुर्घटनाएं हो जाती हैं, पशु मर जाते हैं, व्यक्ति मर जाते है तो जैसे रोडवेज में व्यवस्था कर रखी है उसी तरह इनको भी मुआवजा देना चाहिए। पांच वर्ष से जो व्यवस्था है कि विद्युत विभाग के खिलाफ किसान न्यायालय में नहीं जा सकता, उसको खतमं किया जाये।

दूसरा मेरा निवेदन है कि मैंने विधान सभा में एक क्वेश्चन विद्युत विभाग का लगाया था और उसमें मैंने पूछा था कि जयपुर जिले के ग्रामीण इलाके में कितने ट्रान्सफार्मर जले ? उसमें लिखा था 645 ट्रान्सफार्मर जले और उसमें कितना पैसा खर्च हुआ, 15 करोड़ 6 हजार रूपये। माननीय मंत्री महोदय, इस प्रकार की एक महंगी व्यवस्था है। ट्रान्सफार्मर वहां से मरम्मत होकर आते हैं, किसान जब लगाता है तो या तो उसका आयल गिरने लग जाता है या आते ही दूसरे दिन फुंक जाता है, फिर किसान लेकर जाता है। तो सोच समझकर कोई व्यवस्था कराएं।

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री कन्हैया लाल मीणा : मैं कह रहा हूं जयपुर जिले के ग्रामीण एरिया के अन्दर 15 करोड़ 6 हजार है तो पूरे राजस्थान में तो ज्यादा होगा। इस प्रकार से आप करें नहीं तो आपको पैसा बढाना पडेगा। जिस तरह से 15 पैसा उद्योगों में बढा रहे है इसमें कोई व्यवस्था करें, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री सुभाष चन्द्र शर्मा।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य में बिजली सम्बन्धित स्थिति पर चर्चा चल रही है। आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूंगा जो कृषि नीति विद्युत के सम्बन्ध में सरकार ने लागू की है इसमें कुछ बातें ऐसी है जो किसान के विरोधी है। मैं निवेदन करूंगा माननीय ऊर्जा मंत्री महोदय से कि इस सम्बन्ध में वे निश्चित तौर पर विचार करेंगे। सबसे बड़ी बात तो किसान का कनेक्शन होने के लिए उन्होंने जो प्रायोरिटी पर फाइल आज से 15 साल पहले लगायी थी जब उसका कनैक्शन किया जाता है, जिस वक्त फाइल लगायी थी पानी की स्थिति कुछ और थी आज पानी की स्थिति कुछ और है। जिस खसरा नम्बर और कुएं के

(श्री सुभाष चन्द्र शर्मा)

कनेक्शन के लिए किसान ने लगाया था आज उस खसरा नम्बर और उस कुएं के अन्दर पानी नहीं है। काश्तकार कहीं दूसरी जगह अपना कुआं बना लेता है और वह बदले हुए खसरा नम्बर में कनेक्शन लेना चाहता है तो जो नीति तब की गई है उसमें स्पष्ट शब्दों में मना किया गया है कि उसको प्राथमिकता पर वो कनेक्शन नहीं दिया जाएगा। इसलिए मेरा ऊर्जा मंत्रीजी से निवेदन है कि प्रापर्टी आपकी है, लेकिन किसान कनेक्शन लेना चाह रहा है और जब नया कुआ उसने खोद लिया और वह सूचना दे रहा है तो पुराने खसरा नम्बर और नये खसरा नम्बर में क्या फर्क पडेगा। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि उसका कनेक्शन चाहे पहले हो या बाद में जिस खसरा नम्बर में वह लेना चाहता है उसको कनेक्शन शिफ्ट करके उसको कनेक्शन देने की प्राथमिकता इसमें तय करेंगे तो मैं समझता हूं किसानों को एक बड़ा लाभ मिलेगा।

दूसरा निवेदन यह है कि जिस खसरा नम्बर में आलरेडी कुआ चल रहा है, कनेक्शन है और उसी खसरा नम्बर में दुसरा कुआं बनाकर काश्तकार ने उसमें कनेक्शन शिफ्ट करने की बात की है तो इसमें भी अलग से 2500 रूपये पर हार्स पावर के हिसाब से चार्ज करने का जो पैसा लगाया है यह बिलकुल गलत है। काश्तकार उसी खसरा नम्बर में कुआ बना रहा है, एक कुएं में पानी सूख गया, दूसरा कुआ बना लिया और उसमें मुश्किल से 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर या 50 मीटर या एक पोल तक की दूरी भी उसमें हे तो आप हो सकता है लाइन बढा दें लेकिन उसको पूरा कनेक्शन का खर्चा दुबारा से देकर लेना पड़ेगा तो वह किसान के साथ बडा अन्याय है।

इसके अलावा कनेक्शनों के मामलों में प्रायारिटी तय करते समय जिस प्रकार से नीति आपने घोषित की है आम आदमी तक, आम किसान तक यह पता नहीं हो पाता है। सबसे बडी बात यह है कि क्षेत्र में आपने तय किया है कि 10 हार्स पावर तक 3500 रूपये चार्ज किए जायेंगे और औसत भार उसमें चार्ज किया जायेगा। बहुत सी जगह ऐसी हैं जहां 3 हार्सपावर या 5 हार्स पावर की मोटर से पानी निकाला जा सकता है, उसी क्षेत्र में बहुत सी जगह ऐसी है जहां 7.5 हार्स पावर की मोटर से पानी निकाला जाता है, 3500 रूपये

(श्री सुभाष चन्द्र शर्मा)

और 10 हार्स पावर की जो सीलिंग लगायी है। माननीय ऊर्जा मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा इसको आप तर्कसंगत रखें। इसमें आप बाध्य नहीं करें किसान को, कि आपको 10 हार्स पावर का कनेक्शन लेना पडेगा। इससे किसान की कमर टूट जाएगी। मेरा यह निवेदन है कि उसको 5 हार्स पावर में पानी निकलता है तो 7.5 हार्स पावर में और 10 हार्स पावर में निकलता है तो 10 हार्स पावर में किसान की जरूरत के अनुसार किसान के खेत के अनुसार उसको कनेक्शन दें इसमें आप अपना संशोधन रखेंगे तो मैं समझता हूं कि किसान के साथ बड़ा न्याय होगा। बहुत-सी जगह ऐसी हैं कि बंटवारे में किसान के पास एक-एक, डेढ-डेढ, दो-दो बीघा रहे गई है और उस जमीन में सिंगल फेज की मोटर से भी चलाकर अपनी सब्जी उगाकर अपने पेट का गुजारा कर सकता है। अब आप उसको 10 हार्स पावर का कनेक्शन लेने के लिए बाध्य करेंगे तो यह उसके साथ बड़ा अन्याय होगा।

तीसरी बात यह है कि जो विद्युत नीति बनायी गई या विद्युत का एक्ट बनाया गया है इसमें कहीं पर भरी किसान को या उपभोक्ता को न्यायालय में जाने का कोई अधिकारी नहीं है। यह बहुत विडम्बना है। बहुत सी जगह जान-बूझकर अधिकारियों द्वारा किसी काश्तकार या किसी उपभोक्ता के साथ बड़ा अन्याय कर दिया जाता है, या तो उसको वह सुविधा शुल्क नहीं दे या उसके कहे अनुसार काम नहीं करे तो उसके साथ जब अन्याय होता है तो उसको सुनवाई का कोई अवसर नहीं मिलता है तो केवल आपकी प्रशासनिक बॉडी के अनुसार एक अधिशासी अभियन्ता के पास, अधीक्षण अभियन्ता के पास, चीफ इन्जीनियर के पास उसकी सुनवाई होगी, लेकिन तब तक उसको 50 प्रतिशत या 75 प्रतिशत राशि डिस्पुटेड अमाउन्ट की जमा करानी पडेगी। उसके बाद वह जाएगा तो उसको कोई लाभ नहीं मिल पाएगा यह एक बहुत बड़ी विडम्बना है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इसमें भी आप व्यवस्था करें तो 10 प्रतिशत राशि तय कर दें, जितना चार्ज आपने लगाया उसमें 10 प्रतिशत राशि जमा कराकर उसको सुनवाई का मौका दीजिए। आपने तो उसको 50 या 75 प्रतिशत राशि लगाकर सारा खर्चा उससे वसूल कर लिया फिर उसको सुनवाई का मौका कहां मिला। इसको तर्कसंगत करें।

(श्री सुभाष चन्द्र शर्मा)

मेरा एक निवेदन और भी है। जो पुरानी लाइनें चली हुई हैं, 15-15, 20-20 साल से लाइनें खींची हुई हैं, सिस्टम इम्प्रूवमेन्ट की कई बार योजनाएं बनीं और कई बार घोषणाएं हुई लेकिन सिस्टम इम्पूवमेन्ट के नाम पर काम नहीं होता क्षेत्र में। जब लाइनें टूट जाती हैं, जब बड़ा हादसा हो जाता है, जानवर, पशु मर जाते हैं, किसी के मकान के ऊपर से लाइन जा रही है उसमें हादसा हो जाता है, मकान जल जाते हैं उसके बाद उस लाइन का ध्यान आता है, सिस्टम इम्प्रूमेन्ट में वह लाइन चेन्ज की जाती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से विद्युत मंत्रीं महोदय से निवेदन करना चाहूंगा जो लाइनें 10 साल से ऊपर की हो चुकी हैं और जिनमें तारों की हालत खराब हैं उनको तो आप शीघ्रातिशीघ्र सुधरवाकर चेन्ज कराने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष : कृपया एक मिनट में कन्क्लूड करें।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा : लास्ट में मैं मेरे क्षेत्र के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा। मेरे क्षेत्र में 33 के.वी. के दो सब स्टेशन प्रपोज्ड हैं भूरी भडास में और प्रागपुरा। इन दोनों सब स्टेशनों के नहीं बनाने के कारण वहां की कम से कम 40 गांवों की विद्युत स्थिति बड़ी खराब पड़ी है। उसमें सारा काम कम्पलीट हो चुका है, केवल स्वीकृति जारी करने की जरूरत है। आपका वी.आर. बैठा रहा है, लाइनों का रख-रखाव का हिसाब बैठ रहा है सारी स्थितियां वहां बिलकुल ठीक है केवल आपकी जानकारी और ध्यान में आने के बाद इसकी स्वीकृति जारी कर दी जाती है तो मैं समझता हूं क्षेत्र के साथ बहुत बड़ा न्याय होगा। इसके साथ पावटा सब स्टेशन पर 23 मेगावाट का लोड है और 23 मेगावाट की लोड की वजह से 132 के.वी. के सब स्टेशन की वहां पर जरूरत है और मैं समझता हूं 132 का सब स्टेशन अगर पावटा में बनाया जाएगा तो आस-पास के मेरे विधान सभा क्षेत्र की विद्युत लाइनें बिलकुल कम्पलीट और ठीक हो जाएंगी। आपने मुझे मौका दिया बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री नन्दलाल पूनिया।

श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर) : अध्यक्ष महोदय, आज बिजली के बारे में चर्चा हो रही है। काफी लोगों ने अपने अच्छे-अच्छे सुझाव दिये मैं तो मेरे क्षेत्र की कुछ समस्याओं के बारे में आपके माध्यम से विद्युत मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मेरे क्षेत्र में ग्राम धांगड़ा और सरदारपुरा की बिजली की लाइने तीन साल पहले चोरी हो गई थी, काट ली गई थी। बार-बार निवेदन करने पर भी जब ए.ईएन. से पूछते हैं कि क्या हुआ तो वे कहते हैं कि प्रस्ताव बनाकर एक्स.ईएन. के पास चूरू भेज दिये। चूरू जाकर पूछते हैं तो हमने एस.ई. के पास भेज दिया।

श्री अध्यक्ष : तीन साल से कटे हुये तार अब तक लगे नहीं, बहुत गम्भीर बात है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : कराएंगें।

श्री नन्दलाल पूनिया : एस.ई. के पास जाते हैं तो कहते है जोधपुर भेज दिया

श्री अध्यक्ष : बहुत गम्भीर बात है। तीन साल से तार कटे हुये हैं और आप इस बारे में कोई कार्यवाही नहीं करवा पा रहे हैं।

श्री नन्दलाल पूनिया : लगातार कह रहा हूं उसके बाद में (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : कोई सुनने वाला भी हो। मैंने भी कहा था, कांग्रेस में भी कह दिया था।

श्री अध्यक्ष : सुनने वाले क्यों नहीं है ? ये तो आठ महीने से ही तो आये है उससे पहले सुनने वाले थे ना।

श्री नन्दलाल पूनिया : पहले निर्दलीय था तो मेरी सुनवाई नहीं की।

श्री अध्यक्ष : यह क्या बात हुई ?

श्री श्रवण कुमार : अध्यक्ष महोदय, आप यही तो कहते थे। आप नहीं कहते थे क्या ?

श्री अध्यक्ष : तीन साल से कटे हुये बता रहे हैं और तीन साल में वापस (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : चोरी हो गये थे वह बात सही है इनकी। वे चोर भी पकडे गये, बरामद भी हुई।

श्री अध्यक्ष : चोर पकड़े गये या नहीं पकडे गये यह सवाल नहीं है। सवाल यह है कि तीन साल से कटे हुए तार पुनः नहीं लगा पाये यह बहुत गम्भीर बात है।

श्री श्रवण कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यही तो कहता हूं हाउस में जो बोला जाता है उसमें 10 प्रतिशत भी इंपलीमेन्ट नहीं होता है।

श्री अध्यक्ष : आप तो छोड़ यह उनको कहने दो।

श्री श्रवण कुमार : यहां बोलते-बोलते बुढे हो गये।

श्री अध्यक्ष : पिलानी से आने वाले माननीय सदस्य, आप बैंठे। अब एस.ई. से बात करते हैं तो वह कहते हैं मैंने जोधपुर भेज दिया और हो सकता है जोधपुर वालों ने संयुक्त राष्ट्र संघ में भेज दिया हो। आज यह स्थिति है। आज भी लोगों को पता नहीं, जिन लोगों ने कनेक्शन के लिए एप्लाई कर रखा है उनकी जिन्दगी में चान्दनी मिलेगी या नहीं मिलेगी। अब एक इस विभाग का एक उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं। मैंने एक तारांकित क्वेश्चन लगाया था, विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर में कितने गांवों में विद्युत लाइन चोरी हुई, सूची मेज पर रखें, इनका जवाब आया है इन गांवों में तो चोरी हुई। दूसरा, क्या सरकार इन गांवों में पुनः विद्युत लाइन डालकर विद्युत कनेक्शन करने का विचार रखती है ?

श्री अध्यक्ष : आप प्रश्न की बात क्यों कर रहे हो ? आप विद्युत पर जो बोलना है वह बोलो।

श्री नन्दलाल पूनिया : मैं यही तो सब कहना चाहता हूं। यदि हां, तो कब तक ? नहीं तो क्यों ? इन्होंने बताया कि 30 प्रतिशत घरों में विद्युत कनेक्शन के लिए एप्लाई कर दिया तो हम नियमानुसार उनको विद्युत कनेक्शन दे देंगे। महोदयजी, मैं आपसे निवेदन करना चाहूगा कि हमारे धागडा गांव में 37 घर है और 37 घरों में 30 घरों ने इसके बताए अनुसार एप्लाई कर दिया। जब इनका क्वेश्चन आया कि 30 ही घरेलू कनेक्शन के लिए पैसे

डिमाण्ड नोटिस जारी ही नहीं किये डिमाण्ड नोटिस के पैसे भी जमा करा रखे हैं, तीन साल हो गये और कितने दुःख की बात है, तीन साल पहले डिमाण्ड नोटिस के पैसे जमा हो गये, नोटिस जारी करने के बाद आज तक उन लोगों को क्वेश्चन नहीं दिये गये। अब वह पता नहीं जिन लोगों ने एप्लाई किया है उनके बेटों की, पोतो को मिलेगा, भगवान जानें। यह तो इन बिजली कम्पनियों का हाल है। दूसरा, मैं आपके माध्यम से, अध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहता हूं कि एम.एल.ए. एम.पी. लेड के जितने काम है 10 काम तो मेरे सिटी डिवीजन में अधूरे क्या चालू ही नहीं किये और 15 रूरल सब डिवीजन में, 25 काम जब पैसे दिये डेढ दो साल हो गये, पैसे जमा हुए बिजली बोर्ड के, कम्पनियों के अकाउन्ट में चैक चला गया और आज तक काम कहां नहीं हुए। जे.ईएन. के पास जाते हैं वह कहता है हमारे पास सामान नहीं है, ए.ईएन. के पास जाते हैं, सामान नहीं है, एक्स.ईएन. के पास जात है सामान नहीं है, एस.ई. के पास जाते हैं सामान नहीं है, सामान लाने का काम हमारा है ? पैसे आपने ले लिये और पैसे ले लिये तो सामान तो सामान की व्यवस्था विभाग करेगा, एम.एल.ए., एम.पी. थोडे ही करेंगे लेकिन इनके कान पर जूं तक नहीं रेंगती और यह बिजली कम्पनी क्या बंनी, इससे तो ईस्ट इण्डिया ही बढियां थी। दूसरा, मैं आपसे अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं जहां तक माननीय सदस्य कह रहे थे।

श्री अध्यक्ष : ईस्ट इण्डिया कम्पनी तो बना दी, सुना अब आप।

श्री नन्दलाल पूनिया : एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि जले हुए ट्रान्सफार्मर का 48 घण्टे में रिप्लेसमेन्ट मिल जाता है। यह बिलकुल कतई असत्य है। मैं, मेरे सिटी डिवीजन में जो व्यवस्था हो रही है उसकी तरफ माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से ध्यान आकर्षित चाहता हूं कि वहां ट्रान्सफार्मर जलता है और जो काश्तकार है, आकर सूचना देता है, ए.ईएन. आफिस में तो फिर सट डाउन लेता है फिर पुली की व्यवस्था करता है, फिर कोई साधन व्यवस्था करता है, उतार कर सब डिवीजन में ले जाता है फैल्योर रिपोर्ट बनाने के लिए जे.इएन. के पीछे फिरता है, उसकी भेंट-पूजा करता हैं, तब जाकर फेल्योर रिपोर्ट बनाता है फिर ए.ईएन. के पास जाओ, वह आपने

(श्री नन्दलाल पूनिया)

सर्किल आफिस भेजने के लिए वह चक्कर कटवाता है, उसकी कुछ भेंट पूजा करो तब वह लोड होकर वह ट्रान्सफार्मर सर्किल स्टोर में जाता है, वहां से एस.ई. जब मन्जूर करता है उसके बाद में रिप्लेसमेन्ट होकर उस काश्तकार के पास आता है और सारा वह ही प्रोसीजर उसको दुबारा एडाप्ट करना पड़ता है, साधन ले जाना पड़ता है, चैन पुली लानी पड़ती है और अपने गांव तक खेत तक उसको ले जाना पड़ता है। दो बार उसके साधन के पैसे लगते हैं और मैं तो यह निवेदन करता चाहता हूं और स्टेन्ड बाई ट्रान्सफार्मर रखिए सर्किल, आप सब डिजीजन पर स्टेन्ड बाई ट्रान्सफार्मर मत रखिए, सर्किल पर रखिए ताकि जाते ही उसको काश्तकार को मिल जाए। मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं ये बिजली कम्पनी जो बनी है इससे कोई भी खुश नहीं है। मैं तो यह समझता हूं माननीय बिजली मंत्री वह भी कम्पनी से खुश नहीं हैं। ठीक है, सरकार में हैं मजबूरी है, इनको चलाना इनका काम है लेकिन कोई खुश नहीं है, बिजली कम्पनियों से इस राजस्थान में कोई खुश नहीं है। आज जिनके कृषि के कनेक्शन हो गये, वह खुश नहीं हैं।

एक माननीय सदस्य : वह बनाई किसने ?

श्री नन्दलाल पूनिया : इण्डस्ट्रीज का कनेक्शन हो गया लेकिन वह खुश नहीं है। आज काश्तकार इनसे खुश नहीं है, कोई खुश नहीं है, जाएं तो जाएं कहां ?

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें, आपका समय समाप्त हुआ, समाप्त करें।

श्री नन्दलाल पूनिया : दूसरी बिजली देने वाली कोई जगह नहीं है। मैं तो एक मिनट में एक मेरी बात कहकर समाप्त करता हूं, उदाहरण देता हूं।

श्री अध्यक्ष : ऐसा कैसे होगा, आप तो 8 मिनट बोल लिए।

श्री नन्दलाल पूनिया : अध्यक्ष महोदय, एक उदाहरण देता हूं।

श्री अध्यक्ष : नम्बर अभी आपके पास 12 माननीय सदस्य बोलने बाकी है।

श्री नन्दलाल पूनिया : एक बुढिया के बच्चे की औरत के बच्चे नहीं होते थे। वह एक साधु महात्मा के पास गई।

श्री अमराराम (धोद) : यह तो एक मिनट बोल रहे हैं।

श्री नन्दलाल पूनिया : साधु महात्मा के पास गई और यह कहा कि महाराज कोई वरदान दीजिये मुझे, बोले क्या बात है, बोले साहब, मेरे बेटे की औरत को कोई इश्यू नहीं होता। तो उसने अपनी धूनी में से एक भभूती दी और उसको कहा कि आप इसको ले जाइए।

श्री अध्यक्ष : बिजली में कहां इश्यू की बात आ गई, अब आप तो बैठिये।

श्री नन्दलाल पूनिया : यह इससे जुडो हुई है।

श्री अध्यक्ष : इसमें कहा इश्यू की बात आई बैठ जाइए।

श्री नन्दलाल पूनिया : इससे जुडी हुई है, भभूती पिलाकर उसको दे दीजिये उस औरत के बच्चे पैदा हो जाऐंगे।

श्री अध्यक्ष : मदन राठौड़। क्या बोलो ? विषयान्त हो रहे हैं, क्या बोलो। बैठिए अब आप, स्थान ग्रहण कर लें, मदन राठौड़।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय व भारी मंत्रीजी के वक्तव्य के बाद यह विश्वास पैदा हुआ कि निश्चित रूप से अब राजस्थान में बिजली की समस्या का समाधान हो जाएगा। यह विपक्ष के माननीय सदस्य अभी चार घण्टे छह घण्टे बिजली की बात करते हैं। मैं तो एक निवेदन करना चाहूंगा कि यह छह घण्टे और चार घण्टे और आठ घण्टे के चक्कर में नहीं पडें हमकों कितनी यूनिट बिजली आबंटित की गई है वह यूनिट हमको दे देवें कृपया इस बात का आप विशेष ख्याल रखें। यदि इतनी यूनिट हमको दे दें तो निश्चित रूप से मैं सोचता हूं कि हमको बिजली पूरी मिलेगी और रात और दिन मिलेगी। हमारी समस्या यह है कि आप आठ घण्टे बिजली देते हैं लेकिन किसान के कुएं में चार घण्टे का पानी है, आपका वह चार घण्टे एक्सेस रहता है। आठ घण्टे तो बिजली काम में आती ही नहीं, चार घण्टे का

(श्री मदन राठौड़)

पानी है उसके बाद में उसको बन्द करना पडता है तो मेरा यह निवेदन है कि आप चार-चार घण्टे दो बार दे देंवे तो किसान के कुएं में सिर्फ आठ-दस घण्टे बाद ही फिर पानी आ जाएगा, फिर चार घण्टे बिजली दे देंगे तो निश्चित रूप से उसका उपयोग क़िसान पूरा कर सकेगा। इसी प्रकार से आप दो भागों में बिजली यदि दे सकें, दो टुकडों में दे सके तो इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिए। एक वैसे हमारी सरकार आने के बाद में घोषणा की गई थी कि 72 घण्टे के अन्दर ट्रान्सफार्मर बदल दिये जायेंगे, खराब ट्रान्सफार्मर की यदि सूचना मिलती है तो मैं आपके माध्यम से यह जानकारी देना चाहूंगा कि जनवरी में हमारे यहां 34 ट्रान्सफार्मर बदले गये, पाली जिले की बात कर रहा हूं, फरवरी में 30, मार्च में 31, अप्रेल में 31, मई में 21, जून में 15 और जुलाई में 15 और सभी ट्रान्सफार्मर निश्चित समय सीमा के अन्दर बदल दिये गये थे। यह बहुत खुशी की बात है कि हमारी सरकार ने जो कहा था वह करके दिखाया। यह हमारे लिये बहुत अच्छी बात है। अभी रामगढ से आने वाले माननीय सदस्य कोटा यूनिट की चर्चा कर रहे थे। मैं एक बात आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि यदि कोटा में जल्दबाजी नहीं की गई होती, पूर्व सरकार को शायद पूर्वाभास हो गया था कि अब वह दुबारा सत्ता में आने वाले नहीं है और उन्होंने जल्दबाजी में एक उदघाटन कर दिया था और जल्दबाजी में किये ग़ये उदघाटन के क़ारण यह यूनिट ध्वस्त हो गई उस समय कई लोग मरं भी गये और इस कारण से समस्या उत्पन्न हुई। यदि वह यूनिट खडी रहती तो निश्चित रूप से बिजली में आज जिस समस्या से हमको मुकबला करना पड रहा है वह नहीं करना पड़ता। पूर्व सरकार ने यह भी सोच लिया था कि हम जाने वाले हैं तो जब वह गये तो केवल दो दिन का कोयला छोड़कर गये, कोयला भी नहीं था। यह स्थिति थी कि हमारी सरकार आने के बाद में आनन-फानन में इसको व्यवस्था करनी पडी और कोयले का कहीं से जुगाड करना पड़ा और जिसके कारण से यहां पर हम कुछ व्यवस्था सम्भाल पायें। विश्व बैंक से प्राप्त ऋण राजस्थान सरकार विभिन्न कम्पनियों को 15 दिन में ही देने का इन्होंने तय किया। पूर्व में मार्च, 2001 में इनको 70 करोड़

(श्री मदन राठौड़)

पांच हजार रूपये मिल चुके थे लेकिन वह इन्हीं कम्पनियां को भुगतान किया। मार्च, 2002 तक विभिन्न किश्तों में वह एक साथ नहीं किया तो जब इस प्रकार से भुगतान भी जो विश्व बैंक से इनको मिल चुका पैसा वह भी इन्होंने समय पर भुगतान नहीं किया तो निश्चित रूप से यह समस्या उत्पन्न होने वाली थी जिसका मुकाबला अब हमको करना पड रहा है, हमारी सरकार को करना पड़ रहा है। हमारी सरकार ने यह तय किया कि निश्चित समय सीमा के अन्दर ही 15 दिन के अन्दर ही ज्यों ही हमको वर्ल्ड बैंक से पैसा मिलेगा हम तुरन्त भुगतान कर देंगे। वह बहुत अच्छी बात है, निश्चित रूप से समस्या का समाधान भी हमको मिलने वाला है। परियोजना के लिये सामान खरीदने में इन्होंने बहुत लापरवाही बरती। तीन वर्षा में इन्होंने 356 करोड़ 28 लाख रूपये की खरीद की जबकि हमारी सरकार ने एक वर्ष में ही 246 करोड का प्रावधान रखा और निश्चित रूप से हम विश्वास करते हैं कि समस्या का समाधान तो होगा ही होगा। कृषि कनेक्शन के मामले में 15-20 वर्षो से इन्होंने कृषि कनेक्शन नहीं दिये तो हमारी सरकार ने यह तय किया है कि 2005 तक हम कनेक्शन उपलब्ध करावा देंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करके अपनी बात को समाप्त करूंगा क्योंकि समय सीमा का भी मुझे ध्यान है। वन बिजलीघर से उत्पन्न बिजली ये नहीं ले पा रहे हैं, संसाधन इन्होंने तैयार नहीं किये, हमारी सरकार भी तत्पर है, मैं अपेक्षा करता हूं कि वो भी प्रयास करेगी कि इसका भी पूरा उपयोग ले सके। जितने मेगावाट बिजली मिल रही है वह मेगावाट बिजली किसान को और जनता को उपलब्ध हो सके, इस प्रकार का प्रयास रहेगा। आपने मुझे अवसर दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : बहुत-बहुत धन्यवाद। श्री मंगलाराम गोदारा।

श्री मंगलाराम गोदारा (डूंगरगढ़) : माननीय अध्यक्षजी, आज बिजली पर चर्चा हो रही है और मेरे से पहले कई वक्ताओं ने कृषि के बारे में कहा और मंत्रीजी ने भी आश्वासन दिया कि हम कृषि कनेक्शन में कोई रेट नहीं बढ़ायेंगे। आपने तो जिस आदमी के सामन्य श्रेणी का पुराना कनेक्शन या 30

(श्री मंगलाराम गोदारा)

एच.पी. का जिसकी रेट 90 प्रति एच.पी. थी जिसका एक माह का बिल 2850 रूपये बनता था और एक आदेश 42722/6.4 के अनुसार प्रति एच.पी. की औसत 6.1 यूनिट माना है और 6.1 यूनिट मानने पर 30 एच.पी. का कनेक्शन जिस आदमी के है तो 183 यूनिट प्रतिदिन माना है जिसके अनुसार 30 एच.पी. के कनेक्शन के 5490 रूपये बनता है। हरा चारा विशेष नर्सरी योजना के अन्तर्गत 30 एच.पी. 30 एच.पी. का जिस किसान के कनेक्शन था उसका पहले पुरानी रेट से 4650 रूपये बनते थे और आज आपने प्रति एच.पी. 12.2 यूनिट माना है जिसका एक दिन का 366 यूनिट बनता है और कुल 10980 यूनिट एक महीने के बनते हैं जिसका बिल 19764 रूपये का बनता है। पहले की रेट चार गुनी से ज्यादा है तो और बढाकर के आप किसान के लिए क्या बढाओगे ?

दूसरा, आपने जो कई आदेश निकाले हैं उनमें जैसे किसान अगर कनेक्शन उसने ले रखा है और उसकी अमानत राशि जैसे एच.पी. मानकर के 40 का, 50 का, 35 का लोड माना है तो यह आदेश निकाला है कि उसके औसत के अनुसार भारी जरूरी किया है। जैसे बीकानेर में बाडनाउ, कुचेर, अगूणी जैसे 10-15 गांव के 40 का माना है, इस प्रकार मेरे विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर का आपने 40 माना है, कई गांवों का 35 माना है, कई का 30 माना है या 20 माना है तो जैसे एक ही गांव के अन्दर खेत के पडौसी हैं तो उसी खेत में एक किसान तो 30 का भर रहा है और दूसरा 20 का भर रहा है। वही खेत है, सीमा जोड खेत है। आपने एरियावाइज लोड बनाकर किसान पर थोप दिया है तो किसान कैसे पैसे भरेगा ? जैसे एक आदमी के पास 15 बीघा जमीन है, दूसरे आदमी के पास 50 बीघा जमीन है तो एक आदमी तो 15 के कनेक्शन से ही काम ले रहा है और एक आदमी के 25 कनेक्शन की जरूरत है और आपने सारा मिलाकर के 40 का कर दिया, कहीं 30 का कर दिया, कहीं 35 का कर दिया तो यह गलत है।

मैं कहना चाहूंगा कि आप जब तक एक-एक क्षेत्रवार तहसीलवाइज जाकर के इस लोड का अनुमान नहीं करेंगे और यहां बैठे वहां से आंकडें

(श्री मंगलाराम गोदारा)

मंगाओगे तो वही सही नहीं आयेंगे, उस किसान को मजबूरन खेत छोड़कर जाना पडेगा। कोई किसान चोरी करता पकडा गया तो आप कह रहे हो कि फार्म हाउस में चेन्ज कर देंगे। जो किसान कोई कनेक्शन लेना चाहते हैं तो आपने केवल के 270 मीटर के पैसे लगाये हैं जो किसान को देने पड़ेंगे। पाइप के बारे में केवल के बारे में, स्टार्टर के बारे में सारा आपने बता दिया कि आई.एस.आई. मार्का के लगने चाहिए। अब किसान आई.एस.आई. मार्का के लायेगा तो आई.एस.आई. मार्का का लायेगा नहीं ओर खाली बिल जायेगा और खाली बिल लाकर पेश करेगा तो उसके 10 प्रतिशत या 15 प्रतिशत पैसे वह दुकान वाला लेगा क्योंकि मजबूरन वह उतने महंगे ले नहीं सकता, मोटर आई.एस.आई. मार्का की खरीदंगा तो उसके पैसे डबल लगेंगे और वह उसके कुए में काम नहीं देगी। जिस ट्यूबवेल में वो मोटर डालेगा वह काम नहीं देगी और हर आदमी लोकल मोटर बंध रही है वह लगा रहा है।

श्री अध्यक्ष : एक मिनट में समाप्त कर दें।

श्री मंगलाराम गोदारा : एक मिनट में। मेरा निवेदन है कि आप जिस तरीके से आई.एस.आई. मार्का का आपने प्रतिबन्ध लगाया है वह प्रतिबन्ध हटाकर के किसान जिस जगह से, कहीं से भी खरीदे उसको छूट दी जाए या आई.एस.आई. मार्का में आप कोई सब्सिडी दें।

एक मेरा निवेदन यह है कि मेरे डूंगरपुर विधान सभा क्षेत्र में डूंगरगढ़ में 132 का एक जी.एस.एस. है और उसका लोड आज के दिन 88.63 है। उस जी.एस.एस. पर इतना लोड है कि वहां कम से कम एक 220 का जी.एस.एस. बनना चाहिए या 132 के कम से कम तीन जी.एस.एस. बने जब वो लोड कन्ट्रोल में हो सकता है। डूंगरगढ़ में 88.63 का लोड है तो तीन जगह 25-25 का लोड आता है तो कम से कम तीन जी.एस.एस. 132 के बने जब जाकर के सही वोल्टेज और किसान को लाइट मिल सकेगी नहीं तो पहले पुराने टाइम में 6-7 वर्ष पहले जिस तरीके के वोल्टेज मिलता था, लाइट तो 10-12 घण्टे मिलती थी, आप यह सही कह रहे हैं कि भैरोसिंह जी की सरकार थी उस समय 10-12 घण्टे लाइट मिलती थी, हां, मिलती थी पर किसान का ट्यूबवेल नहीं चलता था। यह सही बात है कि....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें। आपने अपना समय ले लिया।

श्री मंगलाराम गोदारा : सो-सवा सौ वोल्टेज मिलते थे तो ट्यूबवेल नहीं चलता था। मेरे विधान सभा क्षेत्र में पास साल में पिछली सरकार ने 20 जी.एस.एस. 33 के.वी. के बनाये, जो जी.एस.एस. 132 के बनाये।

श्री अध्यक्ष : श्री जीतमल खांट।

श्री जीतमल खांट (बागीडौर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज महत्वपूर्ण बिन्दु बिजली पर चर्चा हो रही है। सभी माननीय सदस्यों ने महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं। मैं बिना किसी भूमिका के सीधे निवेदन करना चाहूंगा कि आजादी के 57 वर्ष बीतने के पश्चात भी हमारा तो बडा दुर्भाग्य है पूरे उदयपुर का जितना भी सम्भाग है, ट्राइबल सब-प्लान का जितना भी क्षेत्र है, चाहे बासंवाड़ा का हो, डूंगरपुर हो, प्रतापगढ़ हो, कोटडा हो, फलासिया का इलाका हो, यह जितना भी हमारा ट्राइबल बैल्ट है, मंत्रीजी कभी रात को निकलें तो चारों तरफ अपनी निगाहें घुमाना, सम्पूर्ण आदिवासी बैल्ट में 57 वर्ष के बाद भी आज तक एक लट्टू उपलब्ध नहीं हो पाया है, पूरा इलाका अन्धेरे में ही डूबा हुआ है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से एक छोसा-सा निवेदन करना चाहूंगा कि आप कोई न कोई ऐसी नीति तैयार करें कि एक या दो लट्टू उस गरीब के घर में कैसे जले और महीने के अन्दर उसकी राशि निर्धारित करें 100 रूपये, 200 रूपया करें अन्यथा आपने जैसे कहा कि 1500 रूपये में वह विद्युत कनेक्शन लेंगे तो 1500 रूपये महीने का वह कमा नहीं सकता तो वह 1500 रूपये लायेगा कहां से ? आज भी यह स्थिति है कि लोगा लकडी की गठरी बांधकर के बाजार में जाते हैं और वापस आते हैं तब जाकर के उनका चूल्हा जलता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप जैसे विद्वान मंत्रीजी और हमारे इस पूरे राजस्थान के अन्दर पहली महिला मुख्य मंत्रीजी, जिन्होंने अपने बजट भाषण में जो अपनी बात दोहराई, मैंने भी उनके सामने एक बात रखी थी कि आप कोई ने कोई ऐसी नीति तैयार करें, 57 साल के बाद भी अगर आप अपना आत्मचिंतन और मनन नहीं करेंगे तो इन लोगों के लिये कौन करेगा और कौन कहेगा। मैं आपके माध्यम से निवेदन

(श्री जीतमल खांट)

करूंगा, इसी पवित्र सदन में भैरोसिंह जी के कार्यकाल में कुटीर ज्योति योजना के अन्तर्गत कार्यक्रम चलाया था। आज मैं माननीय मंत्रीजी आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि बिजली का चार्ज इतना बढ गया है। अगर कुटीर ज्योति योजना के अन्तर्गत किसी गरीब के घर में अगर आप कनेक्शन दे भी देंगे लेकिन उसका दो महीने का बिल जैसे ही लाइनमैंन आएगा, लाइनमैन उसे जैसे ही बिजली का बिल थमाएगा उसके हाथ में तो करन्ट आ जाएगा। माननीय मंत्रीजी, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारा इलाक गुजरात क्षेत्र से सटा हुआ इलाका है। गुजरात के अन्दर अगर हम उन पहाडियों के ऊपर चढकर देखते हैं तो पूरा इलाका जगमगाता है जैसे दीपावली और होली का दिन हो और आज हम दक्षिणी राजस्थान के इस आदिवासी क्षेत्रों का अगर चित्रण करते है तो आज 57 वर्ष की आजादी के बाद में भी अगर हमें बिजली का बल्ब उपलब्ध नहीं हो सकेगा हमारे नसीब में, हमने भगवान के घर से ऐसा कौनसा पाप किया था इसलिए माननीय मंत्रीजी, पूरे पवित्र सदन के अन्दर जब कभी आदिवासी और दलितों के नाम पर बात होती है तो मैं सब माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि इस बात को लेकर सबको चिन्ता होनी चाहिए। कोई भी माननीय सदस्य ऐसा नहीं रहता जो कि गरीब और दलितों की यहां पर कोई अपनी बात करने से चूकता हो लेकिन कानून और कायदे के अन्दर जब बात आती है तो निश्चित रूप से हम सबको गंभीर होकर चिन्तन मनन करना पडेगा क्योंकि आजादी के 57 वर्ष बीत गये हैं इसलिए माननीय मंत्रीजी, इस बात को आप गम्भीरता से लेंगे।

दूसरी बात, आज मेरे क्षेत्र के किसानों ने फैक्स भेजा है, उसको मैं पढकर सुना देता हूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : पढ़ लिया है मैंने।

श्री जीतमल खांट : पढ़ लिया ? तो मैं थोडा पढ लूं तो हमारे लिए उचित रहेगा। वर्तमान में राजस्थान सरकार ने विद्युत वितरण कम्पनियों ने प्रत्येक जिले को कृषि विद्युत पम्प पर औसत लोड निर्धारित किया हुआ है। इसके अन्तर्गत प्रत्येक पंचायत समिति को भी अलग-अलग कृषि विद्युत पम्प

का लोड निर्धारित किया हुआ है। बासंवाडा जिले के गढ़ी पंचायत समिति को कृषि विद्युत पम्प का औसत लोड निर्धारित किया हुआ है। गढ़ी व परतापुर ए.ईएन. क्षेत्र के लगभग 100 काश्तकारों ने विद्युत पम्प लगाने हेतु आवेदन किया था जिसमें लगभग 30 काश्तकारों ने तीन हार्स पावर का और 60 काश्तकारों ने छह हार्स पावर का लोड हेतु आवेदन किया था। इस सबकी डिमान्ड निकल गई। डिमाण्ड राशि एक साल पूर्व लगभग 10,000 रूपये थी और जुलाई, 2004 में यह राशि बढकर कम से कम 25,000 रूपये कर दी गई है मिनिमम। सब कृषकों को छह हार्स पावर लोड के अनुसार ही बिल जारी करने हेतु पाबन्द किया जा रहा है....

श्री अध्यक्ष : माननीय अध्यक्ष, यह तो आप दे चुके है। मंत्रीजी आप ध्यान रखिएगा।

श्री जीतमल खांट : मैं माननीय मंत्री महोदय, निवेदन करना चाहता हूं कि एक जैसा सबके साथ व्यवहार क्यों नहीं किया जाता है। जो काश्तकार आपकी जिस तरह की व्यवस्था है, अगर तीन एच.पी. का लेना चाहे तो उसके अनुसार उसका बिल दे तो थोडा इस पर आप संशोधन करें और मैं चाहूंगा दक्षिणी राजस्थान के उन गरीब वर्गों के ऊपर आपकी कोई दया होनी चाहिए, आपको कोई उस तरफ का हिसाब-किताब रखें तो निश्चित रूप से आने वाले समय में वहां की जनता याद करेगी वरना आपको भी बख्शेगी नहीं, यहां मेरा निवेदन है, धन्यवाद।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : तीन हार्स पावर के जो कनेक्शन वहां लेना चाहेंगे, उनके लिए आदेश जारी कर रहा हूं, तीन एच.पी. का ही देंगे। छह एच.पी. का नहीं देंगे, आज ही कर दूंगा आदेश।

श्री अध्यक्ष : डाक्टर जालम सिंह रावलोत।

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव) : अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं हमारे प्रदेश के सम्माननीय मुख्य मंत्री, प्रभारी मंत्रीजी तथा ऊर्जा राज्य मंत्री का, जिनके कुशल मार्गदर्शन में हमारा राज्य विद्युत उत्पादन क्षेत्र में लगातार दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति कर रहा है। जो

(डा. जालम सिंह रावलोत)

100 दिन की कार्ययोजना यशस्वी मुख्य मंत्री ने घोषित की थी। उस कार्य कार्ययोजना में हमारी सरकार ने कई नए कीर्तिमान स्थापित किये तथा खास तौर से ग्रामीण क्षेत्र में किसानों को विद्युत आपूर्ति जो पहले बहुत कम हुआ करती थी, वह 16 से 18 घण्टे तक उपलब्ध कराई गई इसलिए बड़ी संख्या में ग्रामीण क्षेत्र में विद्युत कनेक्शन दिये गये। कुछ समय पहले टोडारायसिंह से आने वाले माननीय सदस्य यह बता रहे थे कि मैं जिस क्षेत्र में बिलोंग करता हूं, बाड़मेर जैसलमेर में वहां विद्युत उत्पादन की विपुल सम्भावनाएं हैं और निश्चित रूप से ऐसा विश्वास है, पश्चिमी राजस्थान को, पूरे राजस्थान को ऐसा विश्वास है कि यह नई सरकार और हमारी मुख्य मंत्रीजी की जिस तरह से भावना है, जिस तरह से दृढ़ प्रतिज्ञा है विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में सब क्षेत्रों की तरह, बाड़मेर और जैसलमेर में जो विपुल सम्भावनाएं हैं, निश्चित रूप से विद्युत उत्पादन उसमें आगे बढेगा और खास तौर से हमारे दोनों जिले पवन ऊर्जा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुछ पवन चक्कियां वहा शुरू हुई है, उन पवन चक्कियों के लगने से जो विद्युत उत्पादन हो रहा है, उसका परिणाम बहुत ही उत्साहवर्द्धक है और भविष्य मे इस क्षेत्र में औद्योगिक इकाइयों को पवन ऊर्जा के क्षेत्र में आगे लाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

जैसा कि पर्वू में बताया गया सदन में, लिग्नाइट के विपुल भण्डार हमारे बाड़मेर जिले के गिरल गांव में काफी बड़ी संख्या में है, उनमें जो विद्युत तापीय गृह है, उसकी सही ढंग से पूरा ध्यान देकर यदि चालू किया जाये तो निश्चित रूप से राजस्थान में विद्युत के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो सकेगा।

मैं मेरे क्षेत्र की जो विद्युत समस्याएं हैं, विशेषकर हमारे बाड़मेर जैसलमेर क्षेत्र में, शेष राजस्थान की तरह कनिष्ठ अभियन्ताओं के बहुत सारे पद खाली पडे हैं। तकनीकी कर्मचारियों और मंत्रालयिक कर्मचारियों के पद बडी संख्या में खाली हैं। वहां अधिकारियों/कर्मचारियों के पास वाहन नहीं हैं। इन सभी कारण विद्युत आपूर्ति में समस्या आती है और विद्युत आपूर्ति की समस्या के कारण उस क्षेत्र के दूर-दराज की ढाणियों और गांव में जल आपूर्ति में भी समस्या आ रही है। हमारे बाड़मेर क्षेत्र में विशेषकर जैसलमेर में तो हमारी

(डा. जालम सिंह रावलोत)

सरकार ने आते ही विद्युत क्षेत्र में जो योजना थी, उसमें काफी काम हुआ है। अधिकांश क्षेत्र विद्युत से जुड गये हैं, ढाणियां ही बाकी रह गई है। गांव तो बड़ी संख्या में हो गये है लेकिन बाड़मेर क्षेत्र के काफी गांव और काफी ढाणियां बडी संख्या में है, जो विद्युतीकरण घोषित हो चुके हैं लेकिन अभी तक वहां पर विद्युत का कार्य चालू नहीं हो पाया है। मेरा इसलिए विनम्र निवेदन है कि इसमें विद्युत लाइन गांव और ढाणियों में पहुंचाने के लिए सरकार खर्च वहन करे क्योंकि वहां की जनता बहुत गरीब है और सीमावर्ती क्षेत्र में आय को कोई साधन नहीं है इसलिए मेरा विनम्र निवेदन है, आपके माध्यम से मुख्य मंत्रीजी और अन्य मंत्रीगणों का मैं स्वागत करता हूं, हमारी मुख्य मंत्री ने जिन्होंने ढाणियों में कनेक्शन के लिए विशेष योजना की घोषणा की है...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह क्या कर रहे हैं, भंवर लालजी राजपुरोहित साहब, रोज कहती हूं आप ध्यान नहीं देते हैं।

डा. जालम सिंह रावलोत : हमारे बाड़मेर जैसलमेर क्षेत्र में 220 के.वी. जी.एस.एस. बाड़मेर से धोरीमन्ना तथा जैसलमेर से बाड़मेर-धोरीमन्ना तक विद्युत लाइन का शीघ्र निर्माण किया जाये। बाड़मेर जिले में उण्डू, पादरू, मेलू, राणासर पंवारान तथा जैसलमेर के मोहनगढ़ क्षेत्र में 132/33 के.वी. जी.एस.एस. का निर्माण कार्य जिसमें उण्डू और पादरू में इसी वर्ष जी.एस.एस. का निर्माण कार्य पूर्ण किया जाना आवश्यक है, इसको शीघ्र पूरा किया जावे। मेरे विधान सभा क्षेत्र में गांव भडभेजचा तथा गांव रोहडी, शिव क्षेत्र के 33/11 के.वी. जी.एस.एस. का निर्माण कार्य भी अतिशीघ्र किया जाना प्रस्तावित है। आपसे निवेदन है माननीय मंत्रीजी, हमारे मोहनगढ से चांदन क्षेत्र में 132 के.वी. की लाइन का निर्माण किया जाना उस क्षेत्र की दृष्टि से बहुत ही आवश्यक है। मुझे पूरा विश्वास है, राजस्थान की जनता को पूरा विश्वास है, हमारी यशस्वी मुख्य मंत्रीजी के नेतृत्व में राजस्थान विद्युत क्षेत्र में उत्पादन में बहुत प्रगति करेगा निश्चित रूप से विकसित राज्यों की तरह हमारा राजस्थान भी इस क्षेत्र में हमेशा आगे बढेगा। धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती ममता शर्मा। एक मिनट तो आप यूं ही लगा देंगी।

श्रीमती ममता शर्मा (बून्दी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले कहना चाहूंगी कि राज चाहे कांग्रेस का हो चाहे. बीजेपी का हो, बिजली एक ऐसा इश्यू है इसकी सबको जरूरत है और खास तौर से जो हमारे किसान हैं, जिनको पानी नहीं दे पाते तो उनको बिजली पूरी तरह मिले, उसके लिए सरकार का पूरे-पूरे प्रयास करने चाहिए।

भेल केन्द्रीय उपक्रम है। मैं कुछ ऐसे इश्यू बोलना चाहूंगा जो शायद किसी ने भी नहीं बोला होगा और रिपीट नहीं करूंगी। भेल आपका केन्द्रीय उपक्रम है इसलिए इसको कोल थर्मल का बहुत अच्छा अनुभव है, यह सबको पता है लेकिन अगर गैस थर्मल की बात करते हैं तो इसका कोई अनुभव नहीं है इसलिए मैं कहूंगी, हालांकि मुझे वह पता है कि यह हमारे टाइम का है। अभी आपने इसको स्वीकृति दी है। लेटर ऑफ इन्डेन्ट अभी दिया गया है एक दो महीने पहले तो इस पर पुनर्विचार किया जाये कि गैस थर्मल में जिसको कोई भी अनुभव नहीं हो, जिसको एक्सपेरियन्स नहीं हो, उसको नहीं देकर और आप कुछ भी करें, यह मैं भी मानती हूं कि सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट से इसे डायरेक्ट आर्डर मिलते रहे हैं क्योंकि इसके एक्सपटाइज हैं यह। अब सरकार द्वारा जो धौलपुर में भेल को आर्डर दिया जा रहा है वह गलत है क्योंकि भेल को गैस थर्मल का अनुभव नहीं है, गैस थर्मल के लिए एक काम्पीटीटिव बिडिंग हो, पब्लिक सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर, दोनों में कम्पीटीशन होना चाहिए और कम्पीटीशन होने से रेट्स भी अच्छे मिलेंगे आपको और रेट्स अच्छी मिलने के साथ-साथ मेरा यह मानना है कि यह इसलिए भी बैटर रहेगा कि टैक्नीकली यह बहुत ज्यादा साउण्ड रहेगा। अगर आपने इसको केन्सिल करके नये सिरे से किया तो मैं मानती हूं कि यह बहुत बड़ी एक उपलब्धि आपकी सरकार की होगी। मेरा यह भी सुझाव हैं कि इसमें इन्टरनेशनल बीडिंग होनी चाहिए, चाहे चार-छह महीने लग जाये, इसमें कोई जल्दी नहीं है। इससे तकनीकी दृष्टि से उपकरण अच्छे मिलेंगे और वित्तीय दृष्टि से भी हमें लाभ मिलेगा। सरकार ने भेल को लो ग्रेड मशीन का आर्डर क्यों दिया, इस पर आपको विचार करना

(श्रीमती ममता शर्मा)

चाहिए। कहीं न कहीं किसी ने किसी तरह से कहीं भ्रष्टाचार तो व्याप्त नहीं है, इसके बारे में आपको सोचना चाहिए। अब एक जनरल बात है, जब भी घर से बाहर निकलते हैं और पावर कट के बारे में सुनते हैं तो एक बडा अजीब सा लगता है क्योंकि पावर कट जून लास्ट या जुलाई फर्स्ट वीक में ही शुरू हो गया जबकि बारिश ने धोखा दिया है, यह हम जानते हैं कि बारिश ने आपको धोखा दिया है, हमको भी धोखा दिया था उस समय और यह सभी चाहते हैं कि बिजली उनको समय पर मिले चाहे वह किसान हों, चाहे शहर हो और जो जगह-जगह तीन-तीन घण्टे का पावर कट चल रहा है, इसके बारे में आपको बहुत संवेदनशील होकर विचार करना पडेगा।

श्री अध्यक्ष : अब जयपुर में तो चल नहीं रहा।

श्रीमती ममता शर्मा : दो दिन पहले ही बन्द हुआ है। अच्छा है, मैं तो कह रही हूं अच्छी रेन्स हुई है इसलिए पावर कट बन्द हो गया लेकिन यह होना जरूरी था, पावर कट बन्द होना चाहिए था। यह भी मानती हूं कि बिना बिजली अवेलेबल हुए आप सप्लाई कैसे करेंगे क्योंकि बिजली का स्टोरेज तो नहीं सकता।

डा. एन.एस. गुर्जर : ममताजी, आपकी सिफारिश कर रहा हूं। घनश्यामजी, इनके तो सारे सुझाव स्वीकार कर ही लो। (व्यवधान) सुझाव अच्छे दे रही हैं इसीलिए।

श्रीमती ममता शर्मा : मैं मानती हूं कि बिना अवेलेबिलिटी आप सप्लाई नहीं कर सकते और करेंगे भी कैसे क्योंकि बिजली का स्टोरेज तो हो ही नहीं सकता। जैसे ही उत्पादन होगा, आपको बिजली सप्लाई करनी पडेगी। अभी पावर क्राइसेज आना बहुत अनफोर्चुनेट पार्ट रहा है, पूरे प्रदेश ने देखा है, जुलाई में ही राजस्थान में पावर कट स्टार्ट हुआ, वह बहुत गलत था। रबी की क्रास के लिए बिजली की मांग होती है, किसान बेहद परेशान है। यह भी हम जानते हैं कि सेबन्टी परसेन्ट क्राप अब बर्बाद हो चुकी है, वह नहीं आयेगी। अकाल की स्थितियों तो हैं लेकिन ड्रिकिंग वाटर आपको पूरा मिलेगा, यह बात भी ठीक है। कांग्रेस राज में भी कई बार ऐसा हुआ है कि रेन्स नहीं हुई हैं,

बारिश नहीं हुई, हमने भी कहा, आपने भी कहा कि बारिश नहीं हो रही है। लेकिन रिकार्ड है कांग्रेस के टाइम का कि जून लास्ट और जुलाई फर्स्ट वीक में कभी भी पावर कट नहीं हुआ इसलिए मैं बार-बार आपको स्ट्रेस दे रही हूं इस बात पर कि इसको विचार करके ही कुछ किया जाये। जब कांग्रेस पावर में आई...

श्री अध्यक्ष : आप तो कांग्रेस की बात छोड़, इनकी करो।

श्रीमती ममता शर्मा : 1998 में जब आये तो 3350 मेगावाट कुल उत्पादन होता था और 2003 में जब सत्ता आपको मिली तब 5050 मेगावाट बिजली की क्षमता आपके लिए छोड़ जो एक ऐतिहासिक कीर्तिमान हमने कायम किया। आपको यह भी आश्चर्य होगा कि पिछले पांच वर्ष में कांग्रेस शासन काल में अकाल व सूखे के बावजूद 1302 मेगावाट खुद का उत्पादन किया जबकि पडौसी राज्य गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा ने मिलकर केवल 1288 मेगावाट बिज़ली पैदा की। रिकार्ड तो ब्रेक किये हैं, राजस्थान ने किये हैं, सरकार मत मानिये, राजस्थान तो मानेंगे कि राजस्थान ने रिकार्ड ब्रेक किये हैं।

श्री अध्यक्ष : हम तो मान लेंगे आपको।

श्रीमती ममता शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, आप तो दोनों तरफ ही हैं, आपको तो हम लोगों को भी प्रोटेक्ट उतना ही देना पडेगा जितना उनको देंगे।

श्री अध्यक्ष : दे रही हूं मैं। इसीलिए तो कह रही हूं मान लेंगे हम तो।

श्रीमती ममता शर्मा : और ज्यादा समय आप हमारे साथ रही है इसलिए हमें ज्यादा प्रोजेक्ट करेंगी।

श्री अध्यक्ष : तभी तो कह रही हूं कि हम तो मान लेंगे आपको।

श्रीमती ममता शर्मा : और इसीलिए तत्कालीन प्रधान मंत्री, भारत सरकार ने भी राजस्थान की तारीफ की थी, अगर आपको यह ध्यान हो और यह हमारे कार्यकाल की है.....

डा. एन.एस. गुर्जर : कौन सी तारीख को ?

श्रीमती ममता शर्मा : तारीख मैं नहीं बता पाऊंगी माननीय सदस्य, आपको पूछ कर किसी से जरूर बता दूंगी।

श्री अध्यक्ष : प्रतिपक्ष केवल पूछने के लिए होता है, बताने के लिए नहीं।

श्रीमती ममता शर्मा : और यह कांग्रेस की देन है, कोटा थर्मल पावर और आपके सूरतगढ़ थर्मल पावर। मुझे अफसोस है कि हमारी सरकार के चलते पवन ऊर्जा का 200 मेगावाट का जो प्लांट लगा जैसलमेर में, उसकी सप्लाई आप ठीक से नहीं कर पाये। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा मानना है कि अगर उसकी सप्लाई ठीक से हो तो वह एक बहुत अच्छा कदम था पवन ऊर्जा का जैसलमेर में जो हुआ है, अभी जैसलमेर से आने वाले माननीय सदस्य इस बात का जिक्र कर रहे थे और वह यह चाह रहे थे कि सप्लाई ठीक से हो और ज़्यादा प्लान्ट लगाये जाये लेकिन जो हैं वह तो पहले कांम हो।

डा. एन.एस. गुर्जर : उस सप्लाई लाइन में ही गडबड है।

श्री अध्यक्ष : बीच में व्यवधान नहीं डाले टोडारायसिंह से आने वाले माननीय सदस्य। अब आप एक मिनट में भाषण समाप्त कर दें, आपका समय होने जा रहा है।

श्रीमती ममता शर्मा : दूसरा, मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि माननीय मुख्य मंत्री ने बिजली की सप्लाई देखने के लिए विद्युत के रिटायर्ड चीफ इन्जीनियर को राज्य मंत्री का दर्जा देकर कार्यालय में मानीटरिंग के लिए बैठाया। आप कहते है कि हम बिजली कहां से दें क्योंकि ग्रेड में बिजली नहीं है, बारिश नहीं हो रही है। चार यूनिट बन्द पड़ी हैं, वह रखरखाव के लिए बन्द पड़ी है लेकिन जब सब को पता था कि अभी क्राइसेस आयेगा तो उन यूनिट को इतना जल्दी बन्द क्यों किया गया, वह यूनिट आप बाद में बन्द कर सकते थे, चारों यूनिट जो रखरखाव के लिए बन्द की गई, उनको हम बाद में भी बन्द कर सकते थे तो यह क्राइसेज शायद नहीं आता।

श्री अध्यक्ष : अब माननीय सदस्या, समाप्त करें।

श्रीमती ममता शर्मा : मैं और थोडा सा जिक्र करूंगी कि जो यूनिट बन्द हुई, शुक्र है कि सरकार ने इतनी बिजली पैदा करके छोड़ थी तो आज आप उस क्राइसेस से निकल गये हैं, लेकिन मैं यह भी पूछना चाहती हूं कि भूत और भविष्य की बात छोड़ दीजिये, इस गवर्नमेन्ट के पांच साल के कार्यकाल में जो हर साल 1250 मेगावाट बिजली पैदा करनी है उसके बारे में सरकार ने क्या कार्ययोजना बनाई और एक हजार करोड रूपये इस पर लगेगा पांच साल में, उसके लिए आपकी क्या कार्ययोजना है, उसके बारे में भी सदन को अवगत करायें, यह बहुत जरूरी है। मै कहना चाहूंगी कि 2008 में, 2007-2008 में जब चुनाव होंगे तो मेरा मानना है कि प्रदेश अंधकार में डूबेगा और क्यों डूबेगा, उसका कारण आपको साफ नजर आ रहा है, न मैं कहना चाहती हूं, आप समझ रहे हैं, वह एक बहुत पुरानी कहावत है, भानजा रे भानजा, मन की मन जान जा। तो वह वाली बात है कि बहुत मुश्किल आयेंगी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह किसके लिए कहा आपने। यह स्पष्ट करना पडेगा।

श्री अध्यक्ष : मन की मन में जान जा, यह सदन की सम्पत्ति है।

श्रीमती ममता शर्मा : मंत्री महोदय, आपको इस बात का भी पता होना चाहिए कि उत्तरी ग्रिड से जो अभी जुडे हुए हैं जिसमें...

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आपका लड़का मेरा भानजा है इसलिए मंशाराम भानजा, मन की मन में जान जा।

श्री अध्यक्ष : अब आप समाप्त करें माननीय सदस्या, समाप्त करें।

श्रीमती ममता शर्मा : अच्छा। उत्तरी ग्रिड से जुडे हुए जिसमें हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और उत्तर प्रदेश शामिल हैं, हिमाचल प्रदेश को छोड़कर बाकी सभी राज्यों में बिजली कहां से लायेंगे, हम जब तक अपने सोर्सेज डवलप नहीं करेंगे, समस्या आयेगी तो मेरा अंतिम निवेदन यही है कि हमें अपने सोर्सेज डवलप करने चाहिए और जो रावतभाटा में आप बिजली बेचने की बात कर रहे हैं कि हम बिजली बेच कर पैसा लेंगे तो माननीय मुख्य मंत्री ने पीहर की तरफ तो इतना सोफ्ट कोर्नर दिखाया कि मध्य प्रदेश की बिजली दी तो अपने ससुराल का भी माननीय

(श्रीमती ममता शर्मा)

मुख्य मंत्रीजी ध्यान रखें, मेरा उनसे भी निवेदनहै और कई बातें माननीय सदस्य बोल चुके है कि पुरे गांव के गांव आप काट देते हैं कि बिल जमा नहीं हुए हैं, लेकिन जो लोग बिल जमा करा रहे हैं उनको कम से कम जरूर बिजली दी जाये। मेरा एक कस्बा है छोटा सा, सुआंसा गांव के नाम से पंचायत हैडक्वार्टर है, वहां 33 के.वी.ए. का ग्रिड स्टेशन अगर आप देंगे, मैं आपकी बहुत-बहुत आभारी रहूंगी। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद। आपने दस मिनट लिये हैं। श्री बद्रीलाल जाट।

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन) : अध्यक्ष महोदय, मैं बिजली की चर्चा में भाग लेते हुए इन्हीं शब्दों से अपने विचार व्यक्त करूंगा "जो भरा नहीं भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय हृदय नहीं जिसक हृदय में बिजली के प्रति प्यार नहीं।"

श्री अध्यक्ष : वाह साहब, क्या कहना आप तो कवि बन गये।

श्री बद्रीलाल जाट : राजस्थान में जब से मुख्य मंत्री महोदय, परम यशस्वी किसानों के प्रति संवेदनशील (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री श्रवण कुमार खडे होकर बात नहीं करते हैं।

श्री बद्रीलाल जाट : रानी वसुन्धरा जी ने जब से कार्यभार संम्भाला है तब से ही विद्युत व्यवस्था में एक क्रांति आयी है, एक नयी रोशनी आयी है और किसानों का जो वर्ग है, उनके प्रति एक नयी सोच डवलप हुई है कि हमारी पूर्व सरकार का जो कार्यकाल था उसमें जो विद्युत व्यवस्थाओं में सुधार के नाम से जो कम्पनियां बनायी गई या उनमें जितना भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा उसको जडमूल से उखाड कर फैंकने का जो हमारी माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने निर्णय लिया और उसमें यह जो विभाग है उन्होंने अपने स्वयं के दायित्व में निर्वहन करते हुए किसानों में उत्कृष्ट सुदृढ और लगातार विद्युत व्यवस्था किसानों को मिलती रहे उसी सन्दर्भ में मैं यह कहना चाहूंगा कि किसानों को पर्याप्त रूप से बिजली देने के लिए उन्होंने दो सौ करोड़ की व्यवस्था अतिरिक्त जुटा कर उन्होंने रखरखाव हो या अन्य प्रकार की सुविधा हो, वह देकर जैसे 72 घण्टे में ट्रान्सफार्मर का जो परिवर्तन है वो सुनिश्चित

(श्री बद्रीलाल जाट)

किया। मैं पूर्ववर्ती सरकार के ऊपर कोई लाछन नहीं लगाना चाहता, कोई आरोप नहीं लगाना चाहता परन्तु जो पूर्व में व्यवस्था थी उसको मानना पडेगा हमारे राजस्थान के एक नम्बर के मुख्य मंत्री कहलाने वाले और बिजली में जो मंत्री रहे होगी उनको भी मैं कुछ नहीं कहना चाहता, परन्तु जब किसानों का ट्रान्सफार्मर जल जाता था दुसरा जब ट्रान्सफार्मर परिवर्तन करना था या दूसरा प्रत्यारोपित किया जाता था उसके बीच में इतना समय लगता था कि उसकी फसल का परिवर्तन हो जाता था जहां उसकी मूंगफली की फसल थी तो उसके स्थान पर जरूरी फसल बोता तब वो ट्रान्सफार्मर आता।

दूसरा, मेरा इस बारे में निवेदन है कि आदरणीय मंत्री महोदय, यहा विराजमान हैं प्रभारी मैं उनसे करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि विद्युत व्यवस्था में हमें सुनिश्चित रूप से गुणात्मक और अच्छी विद्युत उपलब्धता सुनिश्चित हो क्योंकि आज का युग औद्योगिक युग है और इसमें बिना बिजली के एक क्षण भी नहीं रहा जा सकता क्योंकि हम इतने निर्भर हो गये कि दिन हो या रात या किसी प्रकार की जो समस्या है वो अधिकतम बिजली के माध्यम से ही साल्व की जाती है इसलिए मैं विनती करूंगा कि इसमें आत्मनिर्भरता हमारी जितनी बढ़ेगी, जितने नये सोर्सेज डवलप होंगे, जितने हम आत्मनिर्भर होकर अपनी बिजली का उत्पादन स्वयं करेंगे उतना ही राजस्थान विकास की श्रेणी में अग्रणी होगा। इसके साथ-साथ मैं यह निवेदन करूंगा कि राजस्थान सरकार ने सौ दिवसीय कार्यकाल में लगभग 1500 कनेक्शन किसानों को देने का लक्ष्य बनया उसको दो हजार पर लाये और जब दो हजार से भी यह आंकडा पार करके 2200 से ऊपर हो गया तो मैं इससे यह आश्वस्त हूं कि वास्तव में यह सरकार किसानों के प्रति संवेदनशील है और किसानों की भावना के अनुरूप किसानों को बिजली कनेक्शन पर्याप्त रूप से मुहैया करायेगी। किसानों के 60 हजार जो लम्बित कनेक्शन हैं उनके कुल फार्म 1,75,473 हैं उसमें से 62 हजार किसानों की इसी वित्तीय वर्ष में कनेक्शन देकर राहत पहुंचाने का जो काम करेंगे उसके लिए मैं मुख्य मंत्री महोदय को बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगा।

(श्री बद्रीलाल जाट)

इसी के साथ में निवेदन करूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में जो मूल रूप से जो समस्या है चार 44 के.वी. के ग्रिड सब-स्टेशन अगर माननीय मुख्य मंत्री महोदया के द्वारा या प्रभारी मंत्री महोदय द्वारा ये स्वीकृत हो ज़ाएगें तो हमारे वहां के किसान बहुत ही लाभान्वित होंगे। ये है उमंड, सोनियाणा, अनोपपुरा, बामणिया। इसी के साथ में मैं मेवात संभाग में कपासन विधान सभा क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करता हूं तो मुझे बहुत बड़ा गर्व है। हम भले किसान भले ही हो सकते हैं परन्तु आत्मा या हमारा जो विकास है वो गरीब की ओर नहीं है इसलिए पूर्व में जो गहलोत सरकार थी या अन्य जो मंत्री थे उन्होंने सूखे कुओं पर जो राहत प्रदान की थी उसके लिए मैं उनको धन्यवाद दूंगा और माननींय मंत्री महोदय को यह निवेदन करूंगा कि उन्होंने दो साल लिए जो आपने छूट बढायी है उसको बढा कर 5 साल की जाए तो जिन किसानों के कटे हुए विद्युत कनेक्शन हैं, वो जुडाये जा सकें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसी के साथ यह निवेदन करूंगा कि जो ठेकेदारी व्यवस्था है विद्युत व्यवस्था में उसमें किसानों के द्वारा डिमाण्ड नोटिस जब जमा होता है तब काश्तकार के द्वारा पोल उसके तार खड़े करना या जो डी.पी. है उसको व्यवस्थित रूप से लगाना वह सारा काम ठेकेदार के द्वारा व्यवस्थिति होता है परन्तु आज भी किसानों के द्वारा ये सारे काम होते है और ठेकेदार और जे.ईएन. और ए.इएन मिल करके उसके पैसों का जो लेनदेन है वो भ्रष्टाचार के रूप में सम्मिलित हो जाता है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य समाप्त करें।

श्री बद्रीलाल जाट : एकमात्र बात कह कर मैं अपनी बात को विराम दूंगा। एक वर्ष से पूर्व से कटे हुए जो तार है वो आज भी हमारे क्षेत्र में नहीं जुडे। ऐसे बहुत गांव है जो आज भी अंधकार में डूबे हुए हैं। मुझे विश्वास है कि आप उन्हें पुनः जुडवाकर किसानों की राहत देंगे और यही शब्द कह कर मैं अपनी बात को विराम दूंगा, डुबाने वालों पर सब रोते है परन्तु जो जोर-जोर से रोते है वो ही डुबोते है।

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायण मीणा (अनुपस्थित)। श्री हेमाराज चौधरी।

श्री जीवराम चौधरी : मैं क्षमा चाहता हूं मैंने मेरा नाम सुना।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपने कृषि कनेक्शन नीति, 2004 में संशोधन किये। आप संशोधन करें, हमें उनमें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन आपके संशोधन के कारण पूर्व में यदि किसी किसान को कृषि कनेक्शन लेने में कम पैसा देना पड़ता था, डिमाण्ड राशि कम उसको देनी पडती थी और अब आपकी इस संशोधन नीति के बाद यदि उनको ज्यादा पैदा देना पडेगा तो क्या आपने उन आवेदनकर्ताओं के साथ न्याय किया है ? इस पर आप जरा अपने दिल पर हाथ रख कर सोचना, क्योंकि आपकी नीति से जरूर उन कुछ किसनों को फायदा होगा जिनकी बहुत ज्यादा लम्बी लाइन लगती थी बहुत ज्यादा दूर थे उसमें भी अभी जो कृषि नीति आपने जारी की उसमें कहीं पोल का जिक्र नहीं किया है परन्तु मुख्य मंत्रीजी ने वित्त विधेयक की चर्चा के उत्तर के समय यहां पर कहा था कि 10 हार्स पावर तक के कनेक्शन पर 8 पोल, 20 हार्स पावर तक पर 10 पोल और 30 हार्स पावर तक के पर 12 पोल दिये जाएंगे। ऐसा कहा है, यह इसी सदन में कहा, आप उठा कर देख लेना। अब वो बात सही है या आपकी इस नीति में पोल का जिक्र नहीं है यह बात सही है, दोनों में से कौनसी है वो आप जब जवाब दें उस समय स्पष्ट कर दें। मुख्य मंत्रीजी का पोलों के बारें में पेपर में आया सभी पेपर्स में आया...।

श्री घनश्याम तिवाडी : स्पष्ट कर दें।

श्री हेमाराम चौधरी : हां, आप उसको स्पष्ट कर दें क्योंकि उसमें 8 पोल तक अगर 10 हार्स पावर पर है फिर 20 पर 10 है और फिर 30 पर 12 हैं तो फिर उनको भी कोई फायदा नहीं है। ठीक है अब आप चाहे 2 किलोमीटर, 5 किमोमीटर, 10 कितने ही किलोमीटर सब फ्री है तो ठीक है उनको जरूर फायदा होगा जिनके ज्यादा लाइन लगेगी, लेकिन ऐसे किसान अब बहुत कम रहे है, क्यों रहे हैं ऐसे बहुत कम कि अब बिजली का काफी विस्तार हो गया है तंत्र है वो काफी फैल चुका है। किसानों के हर खेत के

(श्री हेमाराम चौधरी)

अन्दर से 11 के.वी. की लाइन जा रही है, किसी पडौसी ने कनेक्शन ले लिया तो नजदीक लाइन आ गयी। पहले लाइन बहुत दूर थी परन्तु अब जिनके सर्विस लाइन से ही कनेक्शन हो रहा है। एक पोल से ही कनेक्शन हो रहा है तो उसके लिए तो उसको सिर्फ साढे तीन हजार रुपये ही देने पडते थे एक पोल लगता तो भी साढे तीन हजार और नहीं लगता तो सर्विस लाइन के भी साढे तीन हजार रूपयं और फिर सर्विस चार्जेज के 1750 और ट्रांसफार्मर चार्जेज के कुल मिलकार 9 हजार रुपये सिक्योरिटी सहित से ज्यादा नहीं लगते थे और अब अगर कोई 30 एच.पी. का कनेक्शन किसाल लेगा, सर्विस लाइन से उसका कनेक्शन होगा या एक पोल से होगा तो उसको कितना देना पड़ेगा, साढ़े 52 हजार रूपये और सिक्योरिटी अलग है। 60 एच.पी. का अगर कनेक्शन लेगा तो उसको देने पड़ेगें 60 हजार रूपये प्लस सिक्योरिटी। तो आप बताओ जिसके ज्यादा पोल लगेंगे उसके लिये तो फायदा होगा, बात ठीक है पर उसको आपकी नीति की वजह से कितना नुकसान होगा जिस काश्तकार के सिंगल पोल से कनेक्शन हो रहा था। पूर्व में सिंगल पोल पर प्रायोरिटी दी गई थी कि जिसके एक पोल से कनेक्शन होगा उसकी सामान्य श्रेणी की प्रोयोरिटी तोड़कर सारी और उसको तत्काल कनेक्शन दिये जाते हैं पर क्योंकि बोर्ड का बहुत कम उसमें मैटेरियल लगता था, जिसकी जगह आपने यह किया। इसलिए मैं आपसे इसमें यह निवेदन करना चाहता हूं कि पूर्व की जो नीति ठीक है कम से कम उसको आप चालू रखें, उसमें कई चीजें ठीक नहीं है। उसमें आप संशोधन करें, सुधार करें तो बात ठीक है। दोनों में जिसमें डिमांड कम आयेगा वह आप कर दो। अगर इस हिसाब से कम आंये उसको यह वरीयता दें। जो किसान साढ़े 3 हजार प्रति एच.पी. से 10 एच.पी. लेना चाहे तो इस हिसाब से डिमांड जमा करा दें और पोल के हिसाब से चार्जेज देना चाहें तो पोल के हिसाब से दे दें, दोनों में से जो भी वह चाहे दे दे लेकिन उसकी भार आप उस पर डालो तो यह बड़ी खराब बात है। खावे हूद और कुटीजे पाड़ा। फायदा तो वह उठायेंगे और मारे वह जायेंगे। इसलिए आप सोचना उससे आपके काफी किसानों को नुकसान होगा। बिजली वालों ने तो नीति बना दी, यह तो इधर से थोड़ा फायदा उनको देकर उधर से ज्यादा पैसा बटोरना चाहते हैं। (व्यवधान) आपका फायदा हमें नहीं चाहिये, जो किसान यह कहे कि

(श्री हेमाराम चौधरी)

आपकी वर्तमान कृषि कनेक्शन नीति का फायदा हम पर मेहरबानी रखो, हमें माफी रखो आप। आप हमारे को पुरानी नीति से ही रहने दो। अध्यक्ष महोदय, इसलिए में एक तो यह चाहता हूं।

दूसरा मिनिमम चार्जेज के बारे में भी आप बतायें। निमिमम चार्जेज पूर्व में समाप्त कर दिया था अब वापस लेंगे कि नहीं लेगें। अगर मिनिमम चार्जेज लेंगे तो फिर तो किसान की कमर टूट जायेगी। नहीं है तो कोई बात नहीं है, हमें ऐसी एप्रीटेन्शन है। अध्यक्ष महोदय, एक आपने शिफ्टिंग का कहा। कुआं फैल हो गया उस पर आपने ढाई रुपये 10 एच.पी. तक फिर एक हजार रुपये तक, फिर साढ़े 7 हजार रुपया तो इसमें कोई शिफ्ट कराना चाहेगा तो उसका एक तरह से नया कनेक्शन हो गया। 35 हजार की जगह पहले 10 एच.पी. पर 25 हजार होगें बाकी तो वही पैसा है उसमें नई बात क्या हो गयी। इसलिए अगर कोई शिफ्ट कराना चाहेगा तो यह उसके बलबूते की बात नहीं रहेगी। क्या होगा यह तो आने वाले समय में पता लगेगा कि किस तरह से आने नीति बनाई किसानों को इसका फायदा होगा या नहीं होगा, यह तो आने वाले समय में पता लगेगा लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें फायदा होगा जरूर लेकिन सब संख्या उनकी बहुत कम होगी, नुकसान वालों की संख्या ज्यादा होगी।

दूसरा, शेरगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा शिड्युल ट्राइब ट्राइबल एरिय मे हैं उनको तो प्रायोरिटी है लेकिन बाकी के एरिया के लोगों को..

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप एक मिनट में बात समाप्त करें। अभी 15 माननीय सदस्य बोलने वाले और हैं। 5-5 मिनट भी दूंगी तो भी 75 मिनट होते हैं आप लोग समय पर मानते नहीं है।

श्री हेमाराम चौधरी : दो मिनट में परी कर रहा हूं। बाकी के एरिये के शिड्युल ट्राइब लोगों को कनेक्शन में प्रोयोरिटी नहीं है। 20-25 मिनट तक बोले हैं। मैं तो कोई दूसरी बात पर गया नहीं, सीधे सुझावों पर ही आया हूं।

श्री अध्यक्ष : बात सब अपनी ही कहते हैं और मुद्दे की ही कहते हैं, इर्रिलेवेंट कोई नहीं बोलता लेकिन समय का ध्यान तो रखिए।

श्री हेमाराम चौधरी : आप कहो तो नहीं बोलें, मैं तो सुझाव दे रहा था आपको तो नहीं दूंगा।

श्री टीकम चंद कान्त : यह तगाराम जी से मानेंगे। साहब।

श्री अध्यक्ष : यह बात भी ठीक है।

श्री हेमाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह निवेदन कर रहा था कि शिड्युल ट्राइब के लोगों को भी आप वरीयता से कनेक्शन दें जिस प्रकार से शिड्युल कास्ट के लोगों को देते हैं। आज शिड्युल कास्ट में जैसे मेघवाल हैं, दूसरे हैं। भील को उनसे ठीक मानते हो क्या आप, भील की आर्थिक स्थिति तो उनसे ज्यादा कमजोर है। ट्राइबल एरिया वालों को प्रायोरिटी हैं लेकिन हमारे इधर के लोगों को नहीं है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री हेमाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं मेरे से पूर्व भी सदस्यों ने बहुत कहा इसमें लीकेज हो रहा है, चोरी हो रही है। यह लीकेज चोरी की बात तो सब करते हैं, किसी की भी सरकार हो, हमेशा करते हैं। इसको रोकने की बात सोचो। यह लीकेज होगा, चोरियां होगी। यह चोरियां होती हैं। सरकार का भी पता होगा और विभाग को तो पता ही होगा। चोरी किसकी होती है, जो पहुंच वाले लोग हैं वह बिजली की चोरी करतें हैं। जिनकी बहुत हाई एप्रोच है वह इन विभाग के अधिकारियों से मिलकर चोरी करते हैं। यह उनसे किस प्रकार से क्या करते हैं उसके बारे में मैं अभी यहां कहना ठीक नहीं समझता लेकिन चोरी होती है वह मिलीभगत होती है। अगर आप चोरी रोक दो तो ही बहुत बड़ा काम हो जाये। आप सोचते हो कोई किसान चोरी करता है क्या, कभी कर ही नहीं सकता। इनको तो कोई थैफ्ट के केस बनाने होते हैं तो उस गरीब का नम्बर आता है। उस के सीधे जाकर छापा डालते हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य 10 मिनट ले चुके।

श्री हेमाराम चौधरी : पुलिस में भी बेईमान गुंडे का तो पास में बैठाते हैं, चाय पिलाते हैं, उसकी खातिर करते हैं और गरीब का किसी झगड़े में नाम आ गया तो उस गरीब की खाल उधेड़ देंगे। यह तरीका है इसलिए आप इस

(श्री हेमाराम चौधरी)

पर ध्यान दें। मेरा आपसे निवेदन है कि यह चोरी नहीं रोकेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। यह कम्पनियां बना दीं, किसानों को पहले ही हमने बहुत मार दिया अब आप उसकी जान लेना चाहते हैं, अगर आप जान ले लोगे तो फिर आप वोटर कहां से लाओगे। आपको अच्छा लगा तो मारना, नहीं हमने कह दिया उसमें कोई बुरा नहीं।

श्री अध्यक्ष : आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। श्री हेमराज मीणा।

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज) : माननीय अध्यक्ष महोदय, बिजली की चर्चा में मैं अपने आपको सम्मिलित करते हुए माननीय प्रभारी मंत्रीजी और मुख्य मंत्रीजी ने जो 100 दिन की कार्य योजना में बिजली के बहुत महत्वपूर्ण लक्ष्य दिये थे और लक्ष्य उन्होंने पूरे किये उसके लिये मैं आपको बधाई देता हूं।

श्री अध्यक्ष : 5 मिनट में आप बात समाप्त करें, अभी 14 सदस्य और हैं बोलने वाले।

श्री हेमराज मीणा : 100 दिवसीय कार्य योजना में 2003-04 में 15 हजार कृषि कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा था। 20 हजार कृषि कनेक्शन दिये गये लेकिन लक्ष्य बढ़ाकर 22817 कनेक्शन जारी किये गये। अध्यक्ष महोदय, जैसे मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की थी 72 घंटे में ट्रांसफार्मर बदलना, 72 घंटे में ट्रांसफार्मर बदले। 8 घंटे बिजली देना तो 8 घंटे बिजली दी गई। अध्यक्ष महोदय, सरकार की मंशा बिलकुल ठीक है और किसानों के हित में काम करना चाहती है और सारे संसाधन भी जुटाये जा रहे हैं। लेकिन कई सारी समस्याएं ऐसी हैं ऊपर से सारा मैनेजमेंट करने के बाद भी नीचे की कई छोटी-छोटी समस्याएं ऐसी हैं जो काश्तकारों को तकलीफ देती हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से उन समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा ताकि उन किसानों की छोटी-छोटी समस्याएं दूर हो सकें। अध्यक्ष, वितरण निगम बना, 5 कम्पनियां बन गईं। 5 कम्पनियों के बनने के बाद आप देखेंगे स्ट्रेक्चर एक्स.ई.एन. लेवल तक सीमित रहा लेकिन नीचे लेवल तक यह सिस्टम चला नहीं। इसके कारण नीचे लेवल पर हम देखते हैं तो नीचे के

(श्री हेमराज मीणा)

लेवल पर वह सारा सिस्टम खराब हो गया और वितरण निगम का सिस्टम केवल एक्स.ई.एन. लेवल तक ही रहा और नीचे केवल वह जो सहायक अभियन्ता बैठता है उसके ऊपर यह पूरा भार आया। उसके कारण यह व्यवस्था गड़बड़ा गई और काश्तकारों को जितनी बिजली की व्यवस्था आप कर रहे हैं उतनी बिजली मिल नहीं पा रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि क्षेत्र में 33 के.वी. सब स्टेशन बहुत सारे लग हैं। 33 के.वी. सब स्टेशन लगने के बाद आज दिन तक वह सब स्टेशन 132 के.वी. सब स्टेशन या 202 के.वी. सब स्टेशन जो डिस्ट्रिक्ट हैड क्वॉटर पर बने हुए है उसी में ज़्यादा गवर्न होते हैं और कितनी लाइट देनी है वह वहीं से सारी बात डिसाइड होती है। यदि यह 33 के.वी. सब स्टेशन में अपने कर्मचारी लगाये, वहां लगाकर उसको व्यवस्थित रूप से चलाये तो यह पता लग कि वास्तव में बिजली कितनी आ रही है और गांवों के फीडर तक बिजली पहुंच सके। अध्यक्ष महोदय, इसक़ी व्यवस्था की जानी चाहिये ताकि 33 के.वी. सब स्टेशन जो सरकार के 40-50 लाख रुपये खर्च करके लगाये गये हैं वह चालू तो हैं लेकिन उनका जो कंट्रोलिंग पावर है वह डिस्ट्रिक्ट हैड क्वॉटर से है। उसके कारण उसका कंट्रोल 33 के.वी. सब स्टेशन से किया जाना चाहिये और वहां पर कर्मचारी लगाये जाने चाहिये ताकि 33 के.वी. सब स्टेशन से निकलने वाले सारे फीडर व्यवस्थित रूप से गांवों में बिजली दे सकें और व्यस्थित रूप से काम कर सकें।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि 1980 से बिजली विभाग में जो तकनीकी कर्मचारी है, छोटे कर्मचारी हैं उनकी भर्ती नहीं हुई। लगातार रिटायरमेंट भी हो रहा है। आज लाइन मैन, हैल्पर जो काम करते हैं वह विभाग में बिलकुल नहीं हैं। अब उसके कारण से आफिसें खाली पड़ी हुई हैं। मैं कहूं, आप कितनी भी, बहुत अच्छी व्यवस्था करें लेकिन नीचे लेबल पर सहायक अभियन्ता जो यहां ग्रामीण क्षेत्र में बैठता है, पंचायत समिति लेबल पर बैठता है, तहसील लेबल पर बैठता है यदि उसके आफिस में लाइन मैन नहीं है, हैल्पर नहीं है या बाबू नहीं है, तो वह व्यवस्था चरमरा जाती है। अध्यक्ष महोदय, केवल एक अकेला ए.ई.एन. ही दिखाइं देता है तो मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि उन आफिसों में तकनीकी

(श्री हेमराज मीणा)

कर्मचारियों की भर्ती 1980 के बाद में नहीं हुई तो उन तकनीकी कर्मचारियों की भर्ती करें ताकि इस व्यवस्था को ठीक रूप से चलाया जा सके।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि 33 के.वी. के सब स्टेशन, 132 के.बी.ए. के सब स्टेशन बने हैं और उसके नजदीक में ग्रामीण क्षेत्र में बिजली की भंयकर चोरी हो रही है, वास्तव में देखा जाए तो हमारे पास बिजली की कोई कमी नहीं है। बिजली की व्यवस्था सरकार पर्याप्त रूप से कर रही है लेकिन हम उस बिजली की चोरी को रोकने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। अब सतर्कता विभाग बना रखा है लेकिन सतर्कता विभाग नाम मात्र का है। उसके पास कोई साधन नहीं है। उसके पास कोई गाड़ी नहीं है। बल्कि स्थिति यह आ जाती है कि सतर्कता विभाग, और जो वितरण विभाग है वह, प्लस किसान मिल जाते हैं उस कारण से बिजली की भंयकर चोरी हो रही है। 33 के.बी.ए. सब स्टेशन बनने के बाद में उसमें जितना लोड आ रहा है उतने लोड़ के कनेक्शन उस 33 के.बी.ए. सब स्टेशन पर नहीं हैं। यह बात वहां के ए.ई.एन. को, वहां के एक्स.ई.एन. को मालूम है। उसके बाद भी उसमें इतना लोड है कि कभी मौका आने के बाद भी वहां फीडर काटना पड़ता है। इसलित जो वितरण व्यवस्था, जो अपना सतर्कता विभाग है इसको कुछ चुस्त-दुरूस्त करना पड़ेगा ताकि बिजली की चोरी रूक सके। यदि बिजली की चोरी रूकेगी तो किसानों को बिजली की कोई कमी नहीं आयेगी और किसान को पर्याप्त बिजली मिल सकेगी।

अध्यक्ष, महोदय, आपके माध्यम से मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जो हमारा सहायक अभियन्ता आफिस है, वितरण का काम करता है, वसूली का काम भी वही करता है, कनेक्शन देने का काम भी वही करता है और उसके पास में स्टाफ नहीं है। मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि वसूली का डिपार्टमेंट अलग से खोला जाना चाहिए ताकि राजस्व की ठीक प्रकार से वसूली होगी तो बिजली हम ठीक प्रकार से दे पायेंगे। आज जो हमारे सहायक अभियन्ता हैं जो वितरण निगम के अधिकारी हैं, वह केवल कनेक्शन देने में इतने बिजी रहते हैं कि उनका वसूली की ओर ध्यान नहीं जा जाता है। और आज इस के कारण से हमारी लाइनें 15-15 दिन

तक, 10-10 दिन तक लाइनें फाल्ट रहती हैं लेकिन वह ठीक नहीं कर पाते हैं। क्योंकि बिजली विभाग का जो शार्ट स्टाक है वह शोर्ट स्टाफ वहां तक पहुंच नहीं पाता है और हमारा फीडर 10-15 दिन तक बंद रहता है। अध्यक्ष महोदय, हमको यह भी चुस्त-दुरूस्त करना पड़ेगा कि जो बिजली के फीडर चलें, उस फीडर की व्यवस्था ठीक हो उसके लिये भी हमको व्यवस्था करनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : कृपया एक मिनट में समाप्त करें, एक मिनट में।

श्री हेमराज मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैं 2-3 सुझाव देकर अपनी बात खतम करूंगा। मैं निवेदन करूंगा कि एग्रीकल्चार की जो पॉलिसी आयी है इसमें एक पोल-दो पोल वालों के लिए बहुत मंहगी बिजली होगी। मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि एक-दो पोल जिनके लग रहे हैं उन किसानों को हम यह छूट दे और उसमें यह कोई परिवर्तन करें ताकि एक पोल-दो पोल वालों को, वहीं 10 हार्स पावर कनेक्शन लेने वाले या 10-12 पोल लगने वाले काश्तकार के बराबर ही इनको देना पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से एक बात और निवेदन करना चाहूंगा कि झालावाड़ और बांरा क्षेत्र में आपने साढ़े सात हार्स पावर को यूनिट माना है, साढ़े सात हार्स पावर का कनेक्शन मिनिमम माना है। लेकिन कई छोटी जात के किसान हैं जिनके 3 बीघा, 4 बीघा जमीन है, जैसे छीपा, बड़ौदा, छबड़ा में अफीम की खेती होतीहै, छोटी-छोटी जोत के किसान हैं किसी को 3 हार्स पावर की जरूरत है, किसी को 5 हार्स पावर की जरूरत है लेकिन उसको भी साढ़े 7 हार्स पावर के कनेक्शन ही लेने पड़ेगा। इसलिये मैं, मंत्री महोदय को यह निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें भी कोई न कोई संशोधन ऐसा किया जाना चाहिए जिससे छोटे तबके के जो काश्तकार हैं, वे भी लाभ उठायें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष : अब आपने काफी निवेदन कर दिये। अब आपका समय समाप्त हो गया।

श्री हेमराज मीणा : अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन और करना चाहूंगा कि जो हम राजस्थान राज्य विद्युत निगम की ओर से ट्रांसफार्मर प्रपोज करते हैं, ट्रांसफार्मर देते हैं, या तो ट्रांसफार्मर देने के बाद में उस काश्तकार को परमार्नेट हम सम्भला दें ताकि उससे चोरी रूक सकती है और यदि वह जलेगा तो काश्तकार की जिम्मेदारी है, ठीक काश्तकार ही करायेगा। काश्तकारों की ऐसी समिति बनाकर ट्रांसफार्मर परमार्नेट उनको दे दें। या बिजली बोर्ड यह परमीशन दे दे, किसानों को, हमारा ट्रांसफार्मर, हमारे खेत पर ही हम लायेंगे ताकि वह अव्यवस्था भी खतम हो जाए। इससे भी बिजली की चोरी रूक सकती है।

श्री अध्यक्ष : अब आप समाप्त करें, प्लीज।

श्री हेमराज मीणा : अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया, उसके लिये, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद। श्री शांतिलाल चपलोत।

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे उदयपुर डिवीजन की अधिकांश आबादी आदिवासी है और जैसा कि श्रीमान खांट साहब कह रहे है, वहां पर कुटी जोत पहले मिलती थी, आज की तारीख में सारा अंधकार में है उसमें एक-दो बल्ब के लिए 50-100 रुपये देना भी उनके लिए बहुत मुश्किल है। उसके बारे में जरा सरकार विचार करे। हमारे यहां उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़ इसमें होल्डिंग 3 बीघा, 4 बीघा, ढाई बीघा और उसमें सबसे आपने एक ही डण्डे से हांकने का प्रयास किया है। साढ़े सात हार्स पावर, 7 हार्स पावर, यह जरा जमता नही है, जिसको 3 हार्स पावर की जरूरत है, उनसे 3 हार्स पावर के ही पैसा लिये जाएं। ऐसा मेरा निवेदन है। यह हमारे लिए 25 खम्भे या 10 खम्भे वाले भी (व्यवधान) इसलिऐ मेरा आपसे अनुरोध है कि 3 हार्स पावर के बारे में विचार करें। हमारे यहां अधिकांश लोग 3 और 5 हार्स पॉवर से ज्यादा के नहीं है। और दूसरा, जो हमारे यहां हो रहा है 5-5 वर्ष से अकाल पड़ा है और उस अकाल की वजह से लोगों को बड़ी भार मार पड़ी हुई है। और उन्होंने डिसकनेक्टरा लिये। सरकार की भी ऐसी मंशा थी कि डिसकनेक्ट करा लेगें, वापस लेगें तो वापस दे देगें।

(श्री शांतिलाल चपलोत)

आपने उसका समय दो वर्ष कर दिया है। इस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है, वहां की स्थिति को देखते हुए। कनेक्शन के लिये जो मिनिमम 25 हजार रुपये के आसपास पड़ रहा है उस पर पुनर्विचार करें।

सौर ऊर्जा के बारे में भी विचार करें और लिग्नाइट का किस तरह से हम उपयोग कर सकते हैं उसका विचार करने की कृपा करें। पवन ऊर्जा भी वैस्ट गयी है जैसलमेर में, इस बार में भी हमको अभी तो समय कम है, परन्तु किसी न किसी प्रकार की कमेटी बनाकर के इस बारे में विचार करने की आवश्यकता है कि कहां पर हम सौर ऊर्जा, जो मिल सकती है, आज की तारीख में करोड़ों बल्ब जलाये जाये जितनी सूर्य की रोशनी बेकार में जा रही है। इसका सदुपयोग करने की आवश्यकता है। आपने समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री कैलाश त्रिवेदी। लेकिन आप 5 मिनट से अधिक नहीं बालेगें। मैं पहले ही निवेदन कर देती हूं।

श्री कैलाश त्रिवेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, आप कहें तो मैं तो बोलूं ही नहीं, मेरा क्या है।

श्री अध्यक्ष : वह तो मर्जी आपकी।

श्री कैलाश त्रिवेदी (सराड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, विद्युत पर जो चर्चा चल रही है, माननीय सदस्यों ने बहुत अच्छे सुझाव दिये। सरकार की सौ दिन की जो कार्य योजना बनी उसमें अधिकारी लोग गांव में भी गये। विद्युत विभाग के अधिकारी, जे.ई.एन.. ए.ई.एन., सभी गांव वालों ने अपनी छोटी-मोटी समस्याएं बतायी। कहीं तार ढीले हैं, कही खम्भे टूटे हैं, कहीं क्या है। सारी दरख्वास्त भी उन्होंने ली उसके लिए तो मैं सरकार को बधाई देता हूं। लेकिन बड़े दु:ख के साथ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि उन अधिकारियों ने जो लापरवाही बरती और उनसे जो हादसे हुए उनको अब तारीख वाइज मंत्री महोदय नोट करें। उन पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी। उचक्या गांव 21-04-2004 को तारों के टकराने से आग लगी। आग लगने से काफी जानवरों का नुकसान हुआ और मकानों में नुकसान हुआ। लोगों की घास

(श्री कैलाश त्रिवेदी)

जल गयी। सारा प्रशासन वहां गया. 24 घंटे, 48 घंटे में वह आग बुझी। उसके बाद भी विद्युत विभाग ने उन तारों को ठीक नहीं किया तो 48 घण्टे बाद दुबारा आग लगी। विद्युत विभाग के लोगों को यह कहा गया कि इन तारों को ठीक करे जो गांव के अन्दर ढीले पड़े हैं परन्तु अब तक उन लोगों ने ठीक नहीं किये और उनकी वजह से करीब उस गांव का 3 लाख रुपये का नुकसान काश्तकारों का हुआ है। ऐसे ही हादसे सरगांव में हुए, सोनियाड़ा में हुए, देवडिया में हुए, गोविन्दपुरा में हुए, यह सब विद्युत विभाग की वजह से और यह कोई असत्य नहीं है। सरगांव में 18-03-2004 को हुआ, सोनियाड़ा में 8-7-2004 को, ये सारे जो हादसे हुए यह सिर्फ अधिकारियों की लापरवाही की वजह से हुए और यह काश्तकारों का नुकसान हम बचा सकते थे लेकिन अधिकारियों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। ऐसा ही हादसा केमूडिया स्कूल में हुआ। केमूडिया स्कूल के अन्दर से जो तार जा रहे थे, उस तार को वेणीराम चौधरी के छोटे बच्चे ने खेलते-खेलते हाथ से पकड़ लिया। हाथ से पकड़ लिया, बिजली ने झटका दिया तो छूट गया लेकिन उस बच्चे का हाथ अब यूं है।

आज आप देखो कि आप शिक्षा मंत्रीजी भी हैं। उस पटेल के बच्चे का सम्बन्ध होना भी मुश्किल है क्योंकि आजकल के जमाने तो बच्ची बच्चे को देखती है और ऐसे हाथ वाले बच्चे से कौन शादी करेगा तो यह ऐसी दुर्गति विद्युत विभाग के अधिकारियों की लापरवाही से हो रही है। मैं आपको एक सबसे बड़ी चीज निवेदन करना चाहता हूं कि जिले का सबसे बड़ा अधिकारी कलक्टर है। कलक्टर ने आदेश दिया कि कागनी, रेबाडा, पनोतोलिया स्कूलों के ऊपर जो तार जा रहे हैं उन तारों को आप तुरन्त हटायें। वहां पर निर्माण कार्य चल रहे हैं लेकिन उन तारों को कलक्टर के आदेश के बाद, एस.डी.ओ. के आदेश के बाद भी विद्युत विभाग आज तक नहीं बदल पाया है। यह विद्युत सुधार की जो बात हैं और विद्युत में लोगों को राहत देने की बात करते हैं, यह सबसे बड़ी राहत है।

(समय : 18.40 बजे)

(डा. एन.एस. गुर्जर, सभापति, पदासीन)

(श्री कैलाश त्रिवेदी)

ऐसे की निजी मकानों में, निजी घरों में, निजी आबादी है उसमें, निजी खेत, खातेदारी की जमीन, जो गरीब लोग समझते नहीं थे उनके खेतों में आपने लाइनें निकाल दीं और उनको हटाने के लिए आप पैसे मांगते हो, यह कौनसा कानून बना रखा है आपने ?

मेरा जो विधान सभा क्षेत्र है उसमें कृषि कनेक्शन 1994 तक की प्रायोरिटी के कनेक्शन के डिमांड जारी कर दिये। डिमांड जारी हुए जब 10 हजार, 11 हजार और 12 हजार और 15 हजार की डिमांड, निल पोल, टू पोल कनेक्शन, यह 17 हजार तक डिमांड थी लेकिन आपका यह कौनसा काला कानून आया कि इसमें कह दिया कि 27 हजार से कम में आपका कनेक्शन ही नहीं होगा ? मेरे क्षेत्र में 3 हार्स पावर, 5 हार्स पावर, साढ़े सात हार्स पावर के अलावा तो कोई मोटर नहीं है। पानी ही नहीं है, वह अकाल ग्रस्त एरिया है और मुझे दु:ख के साथ कहना पड़ रहा है कि वह लाग जो 1994 से इन्तजार कर रहे थे और उनकी डिमांड जारी होने के बाद में वापस इनको 27 हजार से आप दुबारा डिमांड जारी कर रहे हो यह कौनसी आपकी प्रक्रिया है ? ऐसा उनके साथ नहीं किया जाए ओर उन लोगों को वही राहत दी जाए जो पहले डिमांड जारी हो चुकी है, उनके उसी दर पर पैसे जमा कराया जाए। फार्म हाउस नर्सरी के कनेक्शन पहले मेरे इलाके में 20 रुपये में हो रहे थे, 15 हजार रुपये में हो रहे थे। आज आपने यह कौनसा कानून बनाया है कि कोई आदमी 50 हजार से कम में तो यह फार्म हाउस के कनेक्शन भी नहीं ले सकते हैं हमारे इलाके की जो स्थिति है वह बिलकुल अलग है तो आप भौगोलिक स्थिति के आधार पर यह निति-निर्धारण करें तो ही काश्तकारों इसका फायदा होगा। शिफ्टिंग में भी आपने जो कानून बताया है कि चाहे उस कुएं में पानी हो या नहीं हो, उसमें 1994 में दरखास्त लगायी है उस कुएं पर एक बार आपकी लाइन जागगी, चाह वहां गड्डे ही हो, उसके बाद आप उसको शिफ्टिंग करेंगें तो ऐसा जो विरोधाभास कानून है इसको आप संशोधन करने की कृपा करें।

मेरा आपसे यही निवेदन है कि पूर्व में, मेरे क्षेत्र में आज भी अकाल है, पुरानी सरकार के समय में अकाल राहत में कनेक्शन कट जाते थे और

पानी आने के बाद कनेक्शन जुड़ जाते थे लेकिन इस साल आपने ऐसे कोई निर्देश जारी नहीं किये। मेरा निवेदन है कि जिन गांवों में जो अकाल-गस्त गांव हैं और जहां आपके अकाल के काम चल रहे हैं उन गावों के काश्तकारों के कुओं के बिल माफ करें। ऐसा मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। गांवों में घरों के कनेक्शन की बात। जयपुर शहर है, जयपुर की एक कॉलोनी यहां बसी है और एक आगे बसी है तो उसकी लाइन का खर्चा उपभोक्ता से नहीं लेते हैं आप। एक आबादी एक गांव की बसी है और गांव की आबादी ग्राम पंचायत को बिना नाम भूमि, पास में नहीं होने से एक किलोमीटर दूरी पर आबादी में अगर गवर्नमेंट ने कन्वर्ट की है और वाहं पर अगर ग्रामीण बसे, वे उसी गावं की आबादी के लोग हैं तो उनसे एक किलोमीटर लाइन का खर्चा आप मांग रहे हैं तो उनके ऐसे जितने भी राजस्थान में गांव है, जिनको आपने आबादी में किया है उनका आप प्राथमिकता से, उनको कनेक्शन उसी 1500 रुपये में दें। जितने भी तहसील हैडक्वार्टर्स में हैं, उन पर आप 24 घंटे लाइट दें और शहरों में जो कटौती होती है वह अखबार में आती है कि नौ बजे से ग्यारह बजे तक कटौती है लेकिन गांव में जो कटौती होती है उसका तहसील हैडक्वार्टर पर पता नहीं है, गांव में पता नहीं है तो यह भी अखबार में आना चाहिए।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री कैलाश त्रिवेदी : वैसे सरकार की जो बात है, इन विधान सभा सत्र में बाहर देखा है चाहे के बारे में हो, चाहे किसी बारे में हो -

सरकार प्यासे को तपन देती है,

खिलते फूल और कलियों को कुचल देती है

जीते जी तन पर कपड़ा नहीं

मगर मरने के बाद कफन देती है। धन्यवाद।

श्री सभापति : धन्यवाद श्री धर्मपाल चौधरी।

श्री धर्मपाल चौधरी (मण्डावर) : माननीय सभापति महोदय, आज बिजली पर चर्चा हो रही है और हमारे प्रतिपक्ष के सभी भाई बड़े चिन्तित हैं कि बिजली पर एक दिन की चर्चा हानी चाहिए..क्योंकि 15 पैसे जब रेट बढ़े तो उसका इन्होंने वाब-आउट किया सदन से और इनको अपने समय का ध्यान नहीं है। सन् 1998 में जब राज था भारतीय जनता पार्टी का 4 पैसे यूनिट बिजली बढ़ी, 46 पैसे से 50 पैसे किया तब यह कांग्रेस के सब नेता, अशोक गहलोतजी भी थे और हमारे और भी कई बुजुर्ग कांग्रेस के नेता थे, सचिवालय की दीवार फांद गये थे कि राजस्थान का किसान तबाह हो गया। इसमें 4 पैसे यूनिट बिजली बढ़ा दी लेकिन जब यह सत्ता में आये और सन् 1999 में क्या किया ? पहले तो 1999 में किसान की बिजली 50 पैसे से 70 पैसे और फिर 2001 के अन्दर बिजली के दाम किये 90 पैसे, कितने पैसे बढ़ाये आपने ? 50 पैसे से 90 पैसे। घरेलू बिजली का क्या किया आपने ? घरेलू बिजली जो भैरासिंह के राज में मिलती थी 1.65 रूपये और 50 यूनिट तक मिलती थी 1.12 रूपये तो 1.12 रुपये की जगह किया 2.00 रूपये और 1.65 रुपये वाले को किया 3.00 रुपये। उद्योगों की बिजली के दाम को आपने 3.50 रुपये से 4.90 रुपये तक रूपये तक किया और फ्लेट रेट के दाम भी आपने बढ़ाये। पर जब अब 15 पैसे यूनिट बढ़ी तो बड़ी चिन्ता हो गयी जिसमें किसान की तो हमने नहीं बढ़ायी। जब हम उस साइड से बोलते थे, जब हम प्रतिपक्ष में थे और जब आप सत्ता पक्ष में थे जब बिजली की बात करते थे तो आप कहते थे कि डीजल का क्या हो गया ? अब क्या हो रहा है डीजल का ? अब तो घट गये न दाम डीजल के ? आपका तो राज आ गया ने दिल्ली में तो आपने तो दाम घटा दिया न बहुत ?

श्री हरिमोहन शर्मा : आप भी तो रेट बढ़ा रहे हो यहां पर।

एक माननीय सदस्य : दो बार बढ़ा दिये।

श्री धर्मपाल चौधरी : हमने तो अभी बढ़ाया नहीं, हमने तो... (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : आप उधर सम्बोधित करो।

श्री धर्मपाल चौधरी : उधर ही कर रहे हैं, आप भी इधर ही करते हो।

श्री संयम लोढ़ा : सभापति महोदय, आपको सम्बोधित करें, इनको कहिये कि मुझे सम्बोधित नहीं करें।

श्री धर्मपाल चौधरी : ऐसा है आपको तो वैसे भी नहीं करते।

श्री सभापति : आप विराजिये। कृपया, आसन को सम्बोधित करें।

श्री धर्मपाल चौधरी : माननीय सभापति महोदय, यह जब बोलते हैं तो इधर देखकर बोलते हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : माननीय सभापति महोदय, आपको सम्बोधित करने में दिक्कत है। आपको सम्बोधित करते हैं ने तो ऊपर से लेकर नीचे तक नजर फिसल जाती है और उधर ही जाकर अटकती है। दिक्कत है वह।

श्री धर्मपाल चौधरी : सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ज़ब बोलते हैं तो दोनों तरफ हाथ फैलाकर इस तरह से, कभी इस तरह से कि यह हो गया, अन्याय हो गया, राजस्थान के किसानों के साथ तो अन्याय क़रने वाले कौन है? यह अन्याय करने वाले जब बताते हैं आज कि बिजली का क्या हुआ और 35 करोड़ रुपये के ट्रांसफार्मर घोटाले और वह रामनारायणजी चौधरी जब बिजली मंत्री बने तो उन्होंने आते ही एक एस.ई. और तीन एक्स.ई.एन. सस्पैण्ड किये कि बिजली घोटाले और केवल घोटाला हुआ और जाते-जाते उन सभी को साहब, बहाल कर गये और कितने ही घोटाले हुए जिनकी यह कहते हैं तो आज जो हमारे भाई चिन्तित थे यह वैसे अकाल से भी चिन्तित थे तो कुछ तो भगवान बरस गया। अब कोई कह रहे हैं कि साहब, बिजली हमने, अभी हमने, अभी हमारे माननीय सदस्य, जुबेर खानजी जो अलवर के रामगढ़ से आये हैं क़ह रहे थे कि बिजली तीन-चार घंटे नहीं मिल रही है। जरूर बीच में पांच-सात दिन की दिक्कत रही। पांच-सात दिन बिजली नहीं मिली। हमारे यहां पर भी हम जब गये और हमने आते ही कहा मुख्य मंत्रीजी को, कि आप किसानों को इस अकाल के समय में पूर्वी राजस्थान में जहां पानी की कमी नहीं है, वहां किसानों को कम से कम छह घंटे तो बिजली मिले, आठ घंटे मिलती है तो बहुत अच्छी है, नहीं तो छह घंटे बिजली मिलती चाहिए और मुख्य मंत्रीजी ने चिन्ता की इस बात की और ऐसा हुआ कि चाहे बिजली की

(श्री धर्मपाल चौधरी)

कितनी ही कटौती शहरों की करनी पड़े, चाहे उद्योगों की बिजली की कटौती करनी पड़े लेकिन किसान जिन्दा रहे। किसान को बिजली मिले, उसकी मुख्य मंत्रीजी ने व्यवस्था की इस बात को सबको मामना चाहिए। उसके बाद में कह दिया कि अगर किसान को अगर आठ घंटे बिजली की जरूरत होगी तो चाहे शहरों की कितनी भी कटौती करनी पड़े, चाहे उद्योगों की कितनी भी कटौती करनी पड़े लेकिन हम किसानों को बिजली देगें। यह मुख्य मंत्रीजी ने वादा किया। हम जिस रोज से राज मे आये, चाहे मुख्य मंत्रीजी ने अपने समय में 200 करोड़ रुपये हमारी सरकार ने देकर रबी की फसल को भी, किसानों को आठ घंटे बिजली दी और हमें 6 घंटे बिजली, 14 घंटे बिजली दी लेकिन अब इस अकाल के समय में बिजली का प्रबन्ध नहीं हो पाया उसकी वजह से बिजली नहीं मिल पायी। अब मैं एक बात जो कहना चाहता हूं यह नयी जो कनेक्शन की विद्युत नीति बनायी है, यह पश्चिमी राजस्थान को सोचकर बनायी है। अब पूर्वी राजस्थान के जितने भी हमारे क्षेत्र हैं, उसके यह खिलाफ हैं क्योंकि हमारे यहां सिंगल पोल का कनेक्शन, टेपिंग कनेक्शन जो भी हमारे यहां किसानों के पास पांच-सात-दस बीघा से ज्यादा जमीन नहीं है और बड़े से बड़े किसानों के पास में 20-25 बीघा जमीन मिलती है और पश्चिमी राजस्थान में 400-500 बीघा जमीन है, उनके तो फिर भी पोल ज्यादा लगते थे तो पैसा ज्यादा लगता था। उनका उनसे राहत मिल गयी होगी।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री धर्मपाल चौधरी : लेकिन हमारे यहां इससे राहत नहीं मिली। मैं एक-दो पाइंट इसमें कहता हूं। एक तो इसमें जो पहले पांच साल में जो डी.सी. कनेक्शन होता था उसकी अवधि पांच साल थी। अचानक अब इसे घटाकर दो साल कर दी। इसलिये इसमें लोगों को समय देना चहिये और इसको दो साल के बजाय वापिस हमाके पांच साल करना चाहिये। दूसरा, आपने इस नीति मे एक नियम और कर दिया जिसने जहां कनेक्शन एप्लाई किया है वह कनेक्शन वहीं ले। पहले ऐसा था कि किसान का कलेक्शन 16-17 साल बाद आता था और वह अपने चाहे जहां राजस्थान में, कहीं भी कनेक्शन ले सकता था।

(श्री धर्मपाल चौधरी)

आपको बिजली का कनेक्शन देना है 16-17 साल बाद उसका नम्बर आया तो जहां वह कनेक्शन लेना चाहे, उसको वहां कनेक्शन देना चाहिये। इससे आपके विभाग का कोई नुकसान होने वाला नहीं है। इसमें अन्त में आपने एक चीज लिख दी नम्बर - तीन पर, आपने लिखा कि सामान्य श्रेणी में जिन कृषकों के आवेदन पत्र लम्बित हैं, लेकिन उन्होंने किसी अन्य श्रेणी में कनेक्शन ले लिया है तो ऐसे कृषकों को ही सामान्य श्रेणी की वरीयता से हटा दिया जाएगा। क्यों ? क्या एक ही कनेक्शन ले सकता है ? उसका अगर कोई भी कनेक्शन आता है और अगर किसी दूसरी स्कीम में उसने कनेक्शन लिया है तो ज्दाया पैसा देकर ले रहा है। इसलिए इस बात को ध्यान में रखना चाहिये। सभापति महोदय, आपने समय दिया। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : धन्यवाद श्री श्रवण कुमार।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी) : माननीय सभापतिजी, मैं उस विवाद पर नहीं जाना चाहता कि कांग्रेस ने क्या किया, बीजेपी ने क्या किया ? मैं तो हमारे विद्वान मंत्रीजी ने एक बात कहना चाहता हूं कि-

"फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे,
वह शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे।"

आप भाग्यशाली हो, विद्वान हो इसलिये मैं आपसे तीन-चार बातें कहना चाहता हूं। एक तो आपने 1988 के बाद बिजली बोर्ड में एक भी आदमी की भर्ती नहीं की। ने हैल्पर की भर्ती की, ने इलैक्ट्रिशियन की भर्ती की, आपने दुनिया भर के जी.एस.एस. बना दिये। दुनिया भर की स्कीम बना दी। भर्ती आपने एक आदमी किया नहीं और आपने क्या किया फौजी आदमियों को बिठा दिया। अब फौजी आदमी ड्यूटी दे सकता है। ड्यूटी का पाबन्द हो सकता है पर बिजली के काम में वह चतुर नहीं हो सकता।इसलिए सबसे जरूरी बात है कि आप नये आदमियों की भर्ती करो जिससे काम करने में सुविधा बढ़े। गांवों में जो दिक्कत हो रही है उसको दूर किया जा सके।

एक आपने तीस-तीस वर्षों पुरानी लाइनें है जो ढीली पड़ी हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं मंत्रीजी, कि गांवों में आप जाकर देखिये, खेतों में चलता ऊंट भी अड़ सकता है। पशु मर जाते हैं और उन के लिये कांग्रेस

(श्री श्रवण कुमार)

सरकार ने कोई इस तरह की स्कीम पैदा नहीं कि कोई कैजुअल लेबर लगाकर गांवों की लाइनें टाइट करवायी जाये जिससे दिन-प्रतिदिन जो एक्सीडेंट के हादसे बढ़ रहे हैं वह खतम हों और छीजत भी इससे ज्यादा होती है। क्योंकि लंबी लाइनें होती हैं, स्पार्किंग होती है, छीजत बढ़ेगी। इसको दूर करवाओ जब जाकर छीजत दूर हो सकती है।

नम्बर तीन, ट्रांसफार्मर नीचे पड़े हैं और जब उनके एंगल नहीं होते तो उसको नीचे रख देते हैं। किसान को जल्दी होती है साहब, मेरे को कनेक्शन देओ तो किसान कनेक्शान ले लेता है लेकिन उसके बाद ट्रांसफार्मर नीचे ही पड़ा रह जाता है। कोई पशु गया। उसके मुंह लगाया, मर गया। उसके बाद बिजली बोर्ड. में केस करते हैं। बिजली बोर्ड वाले कहते हैं हम क्या करें ? कहने का मतलब है कि मिलने वाला कुछ नहीं परन्तु किसान का एक तो पशु मर गया, उसके बाद वह कोर्ट के चक्कर में घूमता रहता है। यह सारी दिक्कतें आप दूर कर सकतें हो।

एक आपने कहा कि आई.एस.आई. मार्का की मोटर किसान लगायें। वह लगाये नहीं लगाये पर बिजली बोर्ड को, जो सामान्य है, वह आई.एस.आई. मार्का का काम में लेना चाहिये। आज लगाया वह कल टूट गया। अब ट्रांसफार्मर पता नहीं कौनसी कम्पनी के खरीदते हैं। किसान लगाता है दस दिन बाद जल जाता है। उसमें तार देखते हैं तो पांच किलो तार मिलते हैं। फिर दुबारा कम्पनी वाले के पास जाते हैं तो वह ठेकेदार मिलता है। ठेकेदार भी वही करता है। तेल सही नहीं डालता है। इस तरह की जो समस्याएं हैं उनको दूर नहीं करेंगें तब तक चाहे कितने ही भाषण देओ, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है।

दोहरी नीति, हमारे गांव में जैसे एक किसान के 12 हार्स पॉवर, साढ़े 12 हार्स पॉवर का कनेक्शन का बिल भेज दिया अपने-अपने ही। एक के 15 हार्स पॉवर कर भेज दिया। अब वह किसान उसी गांव का है। पड़ोस में खेत है। माननीय घनश्यानजी, आप बताओं एक खेत के पास में दूसरा खेत वाला है उसमें अपने आप ही ए.ई.एन ने स्वत: ही 15 हॉर्स पॉवर का बिल बनाकर भेज

(श्री श्रवण कुमार)

दिया और फिर वह जमा नहीं कराये तो उसकी पेनल्टी शुरू हो जाती है। इसलिए एक गांव में दो नीति नहीं बनयें। एक फीडर पर दो नीति नहीं बनायें। एक ही नीति पर काम करें। नहीं तो इससे बड़ी द्वेषता पैदा हो रही है, कि हमारे तो साढ़े 12 हॉर्स पॉवर का भेज दियां, उसके 15 हॉर्स पॉवर का भेज दिया।

एक आपके 100 दिन की योजना। 100 दिन की योजना मे चाहे कुएं खुदवायें होंगे, उनके आज तक कनेक्शन नहीं हुए, किसी के कनेक्शन कर दिये तो चालू नहीं किये। 100 दिन की योजना को इतना हाई लाइट किया गया पूरे हिन्दुस्तान में, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा, नारा लगाया।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अभी तो बोलना शुरू किया, अभी आपने घंटी बजानी शुरू कर दी।

श्री सभापति : बोलो-बोलो। जल्दी खतम करें।

श्री श्रवण कुमार : आप यह देखिए 100 दिन की योजना में जब कुएं तैयार किये कंटीजेंसी से, उनको आज तक चालू नहीं किया। मैं विद्वान मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहता हूं जो 100 दिन की योजना में आपने जो काम लोगों के सामने प्रदर्शित किये, उनको चालू करवायें।

श्री सभापति : इधर देखकर बोलें। बोलते जायें आप।

श्री श्रवण कुमार : तत्काल योजना। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से एक निवेदन करना चाहूंगा एक तत्काल योजना लागू करनी चाहिए। बहुत सारे लोगों के पैसे बकाया पड़े हैं। कांग्रेस सककार ने 2002 में एक योजना निकाली थी कि तत्काल कोई पैसा जमा करा देगा तो पेनल्टी और उसके अन्य चार्जेज खतम करके मूलधन जमा करा सकता है। गांवों में किसानों के पैसे अकाल की वजह से बकाया हैं। डेली बिजली वालों से झगड़े होते हैं। मेरी आपसे विनती है कि आप एक महीन की, यह लिख लो साहब।...(व्यवधान)

(श्री श्रवण कुमार)

हम चाहते हैं सरकार जिन नीतियों के पक्ष में बात करती है उसको इम्पलीमेंट करें। केवल यहां पर बातें करने वाली बातों में 10 प्रतिशत इम्पलीमेंट कर दी, 90 प्रतिशत भाषण में चली जाती है। 700 करोड़ का बजट है, 30 प्रतिशत भ्रष्टाचार में चला जाता है। 30 प्रतिशत जाने के बाद में 400 करोड़ का बजट बचा। अब बोलते हैं बजट का आकार बढ़ा दिया। यह आकार कहां बढ़ा दिया ? जब तक भ्रच्टाचार पर अंकुश नहीं लगेगा, तब तक आप चाहे कितना ही बड़ा आकार बना दो, इसमें कोई संशोधन नहीं होने वाला। चाहे यह सरकार हो, चाहे वह। मैं किसी का पक्ष नहीं करता हूं। चाहे उधर बैठे हों, चाहे इधर बैठे। हमारे हाथ में तो क्या और इधर बैठे थे तब भी हमारे पास तो केवल हां, पक्ष जीता, उधर बैठे तो ना पक्ष जीता। हम यह कहना चाहतें है... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, 9 मिनट ले चुके हैं। कृपया समाप्त करें।

श्री श्रवण कुमार : जब तक इस सरकार की नीति की इच्छा और मंशा में फर्क नहीं होगा तब तक कार्य में सुधार नहीं हो सकता। घनश्यामजी, आप विद्वान हो। आपको कार्य में नोलेज है, आपके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं है। 1997 में जब आप मंत्री बने थे, चार महीने में 25 जी.एस.एस. बनाये थे। मैं भी आपके पास गया था, मैंने आपसे केवल एक बात कही थी कि यह जी.एस.एस. शुरू हो जाएं, आपने कहा कि जाइये, यह 10 दिन के बाद चालू हो जायेगा। मैं कहता हूं कि दस दिन में चालू हो गया।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती प्रतिभा सिंह।

श्रीमती प्रतिभा सिंह : अध्यक्ष महोदय, इनको बैठाइये तो सही।

श्री अध्यक्ष : वह बैठ जायेगें जब आप खड़ी होंगी, आप बोलना शुरू करेंगी अपने आप बैठ जायेगें।

श्री श्रवण कुमार . अब या तो बिजली मंत्री आपको बनाएं, नही बनांए तो सलाहकार बनाएं। मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं, में एक ही लास्ट बताना चाहता हूं कि आप इसको इम्पलीमेंट करिये ...(व्यवधान).... बहुत-सी बातें कहने को थी, मैं यह कहना चाहता हूं कि दोहरी नीति को हटाइये।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती प्रतिभा सिंह आप प्रारम्भ करें।

श्रीमती प्रतिभा सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं चिल्ला-चिल्ला कर नहीं बोल सकती।

श्री श्रवण कुमार : आप ऐसा कीर्तिमान स्थापित करें कि आने वाला किसान यह महसूस करे कि घनश्यामजी ने कुछ किया है। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

श्रीमती प्रतिभा सिंह (नवलगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं आंकड़ों के जाल में सदन को नहीं उलझाते हुए बडी साधारण-सी बातें, जो किसानों को और आम उपभोक्ताओं को व्यवहार में भुगतनी पड़ती है, उनकी ओर सरकार आकर्षित करना चाहूंगी।

आज लगातार होने वाली बरसात की कमी की वजह से किसान की जो खेती है.....

श्री अध्यक्ष : अब तो हो गयी बरसारत, अब कमी कहां हैं ?

श्रीमती प्रतिभा सिंह : मैडम, कमी है।

श्री अध्यक्ष : अच्छा।

एक माननीय सदस्य : यह पुराना लिखा हुआ है।

श्रीमती प्रतिभा सिंह : पुराना नहीं लिखा हुआ है।

श्री अध्यक्ष : आपके इलाके में तो बहुत हो गयी।

श्रीमती प्रतिभा सिंह : आधी जगह हुई है आधी जगह नहीं हुई है और मैं चाहती हूं कि आपकी बोली फले कि बारिश हमारे यहां भरपूर हो जाए। अध्यक्ष महोदय, बारिश की कमी की वजह से जो किसान खेती है वह पूर्णतः बिजली पर आधारित हो गयी है। यानि कि सरकार और बिजली बोर्ड की जो कम्पनियां हैं उनकी दया के ऊपर किसान की दशा निर्भर हो गयी। वह बिजली देगें तो वह फसल ले सकेगा अन्यथा वह फसल नहीं उगा सकता है।

(श्रीमती प्रतिभा सिंह)

भी पिछले कुछ समय में प्रैक्टिकल में देखा कि जब चुनाव आने वाले थे, अभी विधान सभा के और लोक सभा चुनाव के बीच में सौभाग्य से एक फसल का टाइम पड़ गया तो पिछली सरकार ने कि चुनाव सामने हैं, डर से बिजली दी और आपके सामने लोक सभा के चुनाव थे। गांवों में लोग यह मजाक मानते थे, किसान यह कहते थे कि दो चुनावों के बीच में फसल आ गयी इसलिए बिजली भरपूर फसल के लिए दी जा रही है, यह हकीकत थी और वह फसल भरपूर हुई। अगर बिजली की कमी नहीं होती, कटौती नहीं होती, आज बारिश होने के बाद भी बाजरा कहीं नहीं बोया गया है, मैं समझती हूं बराबर हम अपनी इन फसल के लिए बिजली उपलब्ध कराते तो आज किसान बाजरे की फसल, यदि उसको आठ घंटे बिजली उपलब्ध कराया जाती तो वह वो देता तो आज फसल के बारे-न्यारे हो जाते क्योंकि यह जो बारिश हुई है यह उसके सोने में सुहागे का काम करता।

आज किसानों को जो कनेक्शन मिलते हैं वह दो तरह से मिलते हैं। एक तो फार्म हाउस की स्कीम में और एक जनरल प्रायोरिटी की स्कीम है। जनरल प्रायोरिटी स्कीम में किसान का नम्बर नहीं आता तो उसको मजबूर होकर के, बाध्य होकर के फार्म हाउस की स्कीम की तरफ जाना पड़ता है। यदि उसके अन्दर दस हार्स पावर का कनेक्शन लें तो एक किसान को लगभग 90 हजार, 95 हजार का खर्चा आ जाता है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, किसान के फार्म हाउस हैं ही नहीं, यह तो उद्योगपतियों के हैं फार्म हाउसेज तो।

श्रीमती प्रतिभा सिंह : मेरी बात सुनिये, अध्यक्ष महोदय। मैं यह कहना चाहती हूं फार्म हाउस की स्कीमें उनको मजबूरन कनेक्शन लेना पड़ता है। उनके पास और कोई तरीका नहीं है इसलिए फार्म हाउस की स्कीम के अन्दर महंगी दर्जे की बिजली किसान लेता है। तो किसान के पास और कोई तरीका नहीं है। जो जनरल प्रायोरिटी में हैं उसमें उसका नम्बर नहीं आ रहा। उसको बिजली आधी दर पर, जो आठ हजार है उसको चार हजार रेट पर दी जाए और उसको बिजली मुहैया करायी जाए।

(श्रीमती प्रतिभा सिंह)

कनेक्शन के समय से ही गरीब आदमी का भ्रष्टाचार से वास्ता पड़ जाता है। जो बिजली की कम्पनियों में सिस्टम हैं उसके अन्दर लाइन मैन से लेकर जे.ई.एन. और एक बड़ी लम्बी लाइन है, हर सीढ़ी पर उसके ऊपर एक शुल्क वसूला जाता है। इससे आगे में आपका ध्यान दिलाना चाहूंगी कि जब कनेक्शन करते हैं उस समय किसान से स्थायी सेवा शुल्क बिल के साथ ही वसूल कर लिया जाता है। मेरे से पूर्व भी कई वक्ताओं ने बताया कि कर्मचारियों की कमी की वजह से वह सेवा शुल्क का लाभ असल में किसान को नहीं मिल पाता और ज्यादातर काम जो बिजली से सम्बन्धि हैं, उसको खुद करने पड़ते हैं ओर इसकी वजह से कई बार दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं।

किसान के विद्युत कनेक्शन के डिमाण्ड नोटिस के साथ ही बिजली का एक कैपेसिटर उससे मांगा जाता है, किसान उसको लाकर कर्मचारी को दे देता है, जमा करवा देता है, कई बार यह कुएं पर लगा दिया जाता है और कई बार नहीं लगाया जाता है लेकिन कैपेसिटर देने के बावजूद भी आज हालात यह है कि दो परसेंट दुरूपयोग राशि किसान से वसूल की जा रही है। यह किसानों के साथ सरासर अन्याय है। या तो उनसे कैपेसिटर का पैसा आप वसूल ना कीजिए और कैपेसिटर का पैसा वसूल करते हैं तो यह दो परसेंट जो दुरूपयोग राशि का सरचार्ज है वह उस पर नहीं लगाएं।

ट्रांसफार्मर और अन्य उपकरण बहुत घटिया किस्म के खरीदे जाते हैं। आपने देखा होगा, मंत्री महोदय, ज्यादातर जो स्टॉक है वह या तो बिजिलैंस में आना चाहता है या स्टोरेज के अन्दर अपनी पोस्टिंग करवाना चाहता है। उसका कारण यही है कि घटिया किस्म की सामग्री खरीद ली और उसका अल्टीमेंटली जो भार है वह किसान की कमर को तोड़ कर रख देता है। इसी तरह से जो बिजिलैंस वाले हैं बिजली बोर्ड के वो बड़े लोगों पर कभी हाथ नहीं डालेत और अपने टारगेट को एचीव करने के लिए छोटे किसानों के यहां जाते हैं और किसी की आठ हार्स पावर की मोटर है तो उसको 10.5 हार्स पावर की बता दी और इस तरह से एक किस्म से मैं कह सकती हूं दादागिरी कर के अपने टारगेट्स को वे लोग एचीव करते हैं।

(श्रीमती प्रतिभा सिंह)

अध्यक्ष महोदय, विद्युत का मीटर हमेशा बिजली के फाल्ट की वजह से जलता है, कभी बिजली ज्यादा आयी तो कभी कम आयी लेकिन उसका जो चार्ज वसूल किया किया जाता है वह उपभोक्ता से ही किया जाता है जबकि इसके अन्दर बिजली के फाल्ट की वजह से मीटर जलता है। इसमें उपभोक्ता की कोई गलती नहीं है। बिजली की लइनें और ट्रांसफार्मर बहुत ही असुरक्षित हैं, ढीले पड़े हुए हैं और आये दिन कुछ ने कुछ दुर्घटनाएं बराबर पूरे राजस्थान के इलाके में होती रहती हैं। बिजली बोर्ड के जो कर्मचारी है वे राज्य सरकार के जवाईं हो, इस तरह से जम कर बैठे हुए हैं, काम नहीं करने की एक किस्म से सौगन्ध खा रखी है। यही हाल काफी डिपार्टमेंट्स का भी है, खाली बिजली बोर्ड ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष : एक मिनट में बात समाप्त करें।

श्रीमती प्रतिभा सिंह : एक ही मिनट में समाप्त करती हूं, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : ठीक है।

श्रीमती प्रतिभा सिंह : जो एक नेशनल कसक्टर होता है लोगों का, कर्मचारियों का हमें वह डवलप करान पड़ेगा कि उनको रिजल्ट देने ही हैं और इसका अल्टीमेटली किस तरह का नुकसान सारी व्यवस्था पर आता है, इस तरह की मैं समझती हूं कि कार्यशालाएं हमें आयोजित करनी चाहिए और (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : असंसदीय थोड़ी है, जवाई शब्द पर क्या आपत्ति है ? जवाई कोई संसदीय थोड़ी ही है। अशिष्ट भी नहीं है, असंसदीय भी नहीं है।

श्रीमती प्रतिभा सिंह : और बोर्ड के स्थान पर कम्पनी बनाने से उपभोक्ता पर काफी दादागिरी बढ़ गई है

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यसा, लोग एतराज कर रहे हैं कि सरकार के जवाई शब्द को हटाइये।

श्रीमती प्रतिभा सिंह : मैने कोई दुर्भावना से नहीं कहा, जवाईं का मतलब जिसको सब फैसीलिटी मिलती है। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी: आजकल तो जवाई काम कर रहे हैं, साहब। आजकल उल्टा काम हो गया, आजकल बेटे काम करते हैं जवाईं काम ज्यादा काम करते हैं।

श्री अध्यक्ष : जवाईं शब्द ना तो असंसदीय है, ना अशिष्ट है, क्यों निकाला जाए ?

श्रीमती प्रतिभा सिंह : आदरणीय हैं। मैं कहती हूं कि बिजली की कटौती किसान पर लागू नहीं करके

श्री अध्यक्ष : अब आप कृपया समाप्त करें।

श्रीमती प्रतिभा सिंह : अध्यक्ष महोदय, में कनक्लुड कर रही हूं। मैं मेरी लास्ट बात कह रही हूं।

श्री अध्यक्ष : हां कनक्लुड कर दो, अब कर ही दो कन्क्लुड।

श्रीमती प्रतिभा सिंह : बिजली की जो कटौती है वह किसान पर लागू नहीं करके जो लोग विलासिता के लिए बिजली को काम में लेते हैं, शहरों के अन्दर इसको दो की जगह चार घंटे भी कर दें, तो कोई नुकसान नहीं है लेकिन जिस किसान की पूरी रोजी-रोटी, पूरी अर्थव्यवस्था बिजली पर ही डिपेंड हैं, बारिश बराबर नहीं हो रही है, उसके साथ मैं सोचती हूं यह अन्याय है बिजली की कटौती करना।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देती हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। जय हिन्द।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठके के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेकत) : अध्यक्ष महोदय, में प्रस्ताव करता हूं कि इस चर्चा के समाप्त होने और मंत्री महोदय के उत्तर तक सदन का समय बढ़ाया जाए। या तो प्रतिपक्ष के नेता बाल में या

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है ?

(स्वीकृत)

सदन का समय बढ़ाया गया।

यह आपने बहुत लम्बी-चौड़ी लिस्ट दी है, आपकी लिस्ट 18 सदस्यों की है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मेरा ख्याल है कि प्रतिपक्ष के नेता बोल लें, जवाब आ जाए तो ज्यादा ठीक रहे।

श्री संयम लोढ़ा : हमारे पास बोलने के अलावा सामान क्या है ?

श्री अध्यक्ष : प्रतिपक्ष के नेता महोदय, आप बोल लें।

डा. बुलाकीदास कल्ला : आज हमारे माननीय सदस्य बोलेंगे। मैं लास्ट में (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : हमारा काम बोलने का है, आप राज करो, हमको बोलने दो।

श्री महावीर प्रसाद जैन : बोलो, बोलो, खूब बोलो।

(समय : 19.10 बजे)

(श्री सुरेन्द्र गोयल, सभापति, पदासीन)

श्री सभापति : माननीय श्री रामचन्द्र जी सराधना।

राज्य में बिजली की स्थिति पर विचार

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़) : माननीय सभापति महोदय, बिजली जैसे मूद्दे पर बड़ी गम्भीरता से विचार हो रहा है और सच्चाई यह भी है कि आजे के विकास में बिजली बहुत बड़ी सहायक है। चाहे कृषि का क्षेत्र हो, चाहे औद्योगिक क्षेत्र हो, चाहे घरेलू क्षेत्र हो और चाहे तकनीकी क्षेत्र हो, इस पर विचार किया जाना बहुत जरूरी है और चर्चा के लिए जो समय रखा गया है, माननीय सभापति जी, एक निवेदन करना चाहता हूं, इसकी पृष्ठभूमि में इस

(श्री रामचन्द्र सराधना)

सदन चर्चा का एक बहुत बड़ा महत्व है और इस अवधारण के पीछे यह था कि सभी माननीय सदस्य अपने-अपने इलाके के समस्याओं के बारे में सरकार को फीड बैक देगें और सरकार उस पर विचार करेगी लेकिन पहले भी चर्चा हुई और आज भी चर्चा हो रही है। मैं कोई आरोप लगाने की बात नहीं करना चाहता लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि गम्भरीता नहीं है। गम्भीरता इसलिए नहीं है कि माननीय सदस्य अपनी बात कहकर चले जाते हैं ओर उनका कोई माकूल उत्तर मिलता नहीं है और इसी धारण को लिए बैठे हैं कि हम हां पक्ष के हैं और ना पक्ष के हैं और ना पक्ष से कोई कितना बढिया सुझाव दे, कितना भी हम सुझाव दें दे लेकिन उसको मानने के लिए हम तैयार नहीं हैं क्योंकि हम ना पक्ष के हैं दूसरे हा पक्ष के हैं।

गम्भीरता का एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं। माननीय मंत्रीजी ने ऊर्जा के बार में अपना यहां स्टेटमैंट दिया।

श्री सभापति : आप तो पांच में सुझावस दे दो बाकी तो सब समझते हैं।

श्री मदन दिलावर : आप तो सुझाव दो। (व्यवधान)

श्री रामचन्द्र सराधना : मैं आपके लिए बाध्य नहीं हूं कि आप कहेंगे वैसा ही करूंगा। आप तो नहा धोकर, खा पीकर, सो कर आंए हो, हमारी सुनो, सुबह से बैठे हैं।

मान्यवार, मैं निवदेन करना चाहता था कि माननीय मंत्रीजी ने जो स्टेटमैंट दिया उस स्टेटमैंट की कापी हर माननीय सदस्य को मिलनी चाहिए थी। क्यों नहीं मिलती, गम्भीरता रखते नहीं। उस स्टेटमैंट की कापी सभी माननीय सदस्यों के पास होती तो बहुत सारी बात नहीं कही जाती और समस बर्बाद नहीं होता और वहीं बातें कही जाती जो कहने लायक थी। आप मेरी बातों को समय में बांधना चाहते हैं, मैं मेरे विचारों को ज्दाया महत्व देता हूं आपके समय को कम देता हूं। आपका समय ज्यादा बिगड़ता है तो आप मुझे बैठने के लिए आदेश कर दें, मैं बैठ जाऊगां। बात इसलिए कहने आते हैं कि

(श्री रामचन्द्र सराधना)

हमारी बातों को सुनें और सुनकर के फीड बैक लें, सरकार और उस अमल करें। यह मतलब नहीं है कि कोई एक मिनट में कह दें, दो मिनट में कह दें और दो तीन मिनट में बैठ जाए।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय ऊर्जा मंत्रीजी ने साठ हजार कनेक्शन की बात की, साठ हजार कनेक्शन देगें। बड़ी खुशी की बात है, हर सरकार यह चाहती है कि हम ज्यादा से ज्यादा काम करें, जनता ज्यादा से ज्यादा खुश रहे, लोग हमारी बड़ाई करें ओर हम लम्बे समय तक टिक रहें। कोई सरकार बर्बादी करना नहीं चाहती चाहे कांग्रेस की हो या बी.जे.पी. की हो। साठ हजार कनेक्शन में कैटेगरी नहीं बताई, किस-किस कैटेगरी के होंगे।

आपने कहा हम पन्द्रह और बीस प्रतिशत छीजत लाने वाले हैं, इलाके को हम चौबीस घंटा बिजली देंगे, कैसे लाएंगे आप छीजत कम, लाने की उम्मीद करना चाहते हैं। सत्रह वर्ष से जो कट आफ डेट 88 चल रहा है, 1989 और 1990 चल रही है, उन लोगों के कनेक्शनों के पैसे जमा हैं और लाइन में लगे खड़े हैं आप उम्मीद करना चाहते हैं वह चोरी करना छोड़ दें। उनके बच्चे हैं उनके परिवार हैं, उनकी खेती है। जो 15-16-17 वर्ष से लाइन में लगा हुआ है और उम्मीद करता है कि मेरा कनेक्शन हो जाएगा, कुए में पानी खतम हो गया दुसरा कुआं खोद लिया, बोरिंग कर लिया और आपके मुंह की तरफ देख रहा है। आप कह रहे हैं चोरी करना छोड़ दें, उसके बच्चे मर जाएगें। आपको एक तो कट आफ डेट को बढ़ाना चाहिए और साठ हजार, पैंसठ हाजर कनेक्शन दें रहें हैं, माननीय मंत्रीजी को निवेदन करना चाहता हूं सब से पहले उन लोगों को कनेक्शन दीजिये जो बहुत लम्बी लाइन में लगे हुए हैं और आपपके मुंह की तरफ देख रहे हैं।

आपने छीजत की बात की। कोई चोरी करना नहीं चाहता, मजबूरी में करता है उसके लिए आप कुछ कारगर उपाय कर सकें तो करने चाहिए।

मोटी-मोटी बातें बता देना चाहता हूं। यह नियामक आयोग जब बना था उस दिन, आज जोस सत्ता पक्ष के लोग हैं, वह विपक्ष में थे ओर उस पुराने

(श्री रामचन्द्र सराधना)

भवन में यह कहा था कि यह काला दिना होगा राजस्थान के लिए। उस काले दिन को सफेद करने में आप सक्षम हैं करो ना आप। और कुछ नहीं कर सको तो आपके ट्रांसमीशन कंपनी जो बनाई है, प्रोडक्शन, ट्रांसमीशन और सप्लाई वाली कम्पनियां बनाई है। ट्रांसमीशन क्या है, ट्रांसमीशन केवल मात्र आपको पावर जनरेट करके 132 के जी.एस.एस. तक लेकर आता है उसको ट्रांसमीशन कहते हैं। यह सप्लाई नहीं आता है इसलिए इस कम्पनी को हटाकर तीन की जगह दो क्यों नहीं करो। कुछ सुधार तो करके बताओ कि पहले वाली सरकार ने गलतियां की थी हम उनको सुधारना चाहते हैं। कुछ करके दिखाएं जब तो मालूम पड़ जाए इस बात का।

माननीय सभापति जी, मोटी-मोटी बातें निवेदन करना चाहता हूं, मैं आपका समय बर्बाद करने का कोई शौक नहीं रखता, मैं निवेदन करना चाहता हूं, बहुत से माननीय सदस्यों ने आपको सुझाव दिया है। एक काश्तकार का किन्हीं कारणों से दो, तीन, चार साल तक कनेक्शन कट गया और वह वापस उसको आर.सी. कराना चाहता है, पहले वाली सरकार का जो नियम था आपके सत्ता पक्ष के लोगों ने भी उसकी ताईद की है मैं उनको भी धन्यवाद देन चाहता हूं पांच वर्ष आपको करना चाहिए। आप दो वर्ष के बाद में उसको कहते हैं आपकी लाइन उतर गयी, आपके पोल उखड़ गये। आपको नया कनेक्शन लेना पड़ेगा यह उसके साथ अन्याय है। दो वर्ष तो बहुत कम होते हैं पांच वर्ष उसको रखिए।

शिफ्टिंग का एरिया बहुत कम कर दिया, शिफ्टिंग का एरिया पहले बहुत बड़ा था यहां तक कि उपखण्ड से भी दूसरे उप खण्ड में ट्रांसफर हो जाता था और आपने उसको केवल मात्र खसरा नम्बर से बांध दिया। मान्यवर, यह किसानों के साथ में जो अन्याय है। आपने आज एप्लाई किया है वह तीन महीने बाद, चार महीने बाद आज तो रोज पानी नीचे जा रहा है, वाहटर लेबल बहुत नीचे जा रहा है। यदि वह कहीं पर अपनी शिफ्टिंग कराना चाहता है तो उसको छूट होनी चाहिए और उसका शिफ्टिंग करें।

(श्री रामचन्द्र सराधना)

आने सरलीकरण कर दिया कनेक्शन का, यह आपकी निगाहों में सरलीकरण हुआ, राजस्थान के किसानों की निगाह में सरलीकरण नहीं हुआ, उनके साथ अन्याय हुआ। तीन हार्स पावर के कनेक्शन खतम कर दिए, पांच के कर दिये, साढ़े सात में कर दिये। सबको फ्लेट कर दिया, रेट तो फ्लेट थी, पावेर कनेक्शन भी फ्लेट कर दिया, हार्स पावर भी फ्लेट कर दिया। तीन बाला भी वोही साढ़े सात का कनेक्शन लेगा, पांच वाला भी साढ़े सात का लेगा और दस वाला भी बीस ही लेगा। यह आपने जो किया है यह एक विसंगति है और इससे किसानों के साथ में न्याय नहीं होने वाला। मेरे इलाके में पांच हार्स पावर की मोटर चलती थी। सबको साढ़े सात मानकर कर दिया, उनके साथ अन्याय हो रहा है सारे बिलबिला रहे हैं ओर यह कह रहें हैं, हमारे मोटर चलती है तीन हार्स पॉवर की और पैसा लें हमारे से साढ़े सात हॉर्स पावर का।

आपने छह घंटे, आठ घंटे और दस घंटे की बात की हैं। कांग्रेस का राज हो चाहे बी.जे.पी. का राज हो जितना माल होगा उतनी सप्लाई होगी। जितना प्रोडक्शन होगा, जितनी बिजली होगी उतना ही दे पाओंगे आप।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मान्यवर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, मेरी दो तीन बातें सुन लीजिए आप। मैं निवेदन करना चाहता हूं जितना होगा उतना ही देंगे आप। चाहे कट करना पड़े चाहे कुछ भी करना पड़े, आप करेंगे व्यवस्था करनी पड़ेगी लेकिन एक बात तो ध्यान रखिए, आप छह घंटे की, आठ घंटे की घोषण करते हैं, साढ़े सात हार्स पावर में एक घंट का कितना कंजम्पशन आता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं आठ घंटे से छह घंटे से और उसका बिल बनाकर भेज देते हैं और बिजली आती है तीन घंटे। आपने सारे को फ्लेट कर दिया। एक घंटे के हिसाब से आप रेट निकालकर के आठ घंटे का बिल बनाकर के भेज देते हैं। काश्ताकार की मजबूरी है, उसका माल पैदा होतो है, उसकी कीमत दूसरा लगाता है, बाजार में जाता है। बीज लेने जाता है उसकी कीमत वो लगाता है और वो खरीदता है और बिजली का बिल घटिया, बत्ती, कमती जैसा भी आ जाए. सुनने वाला कोई नहीं है। मजबूरी में डी.सी. नहीं हो जाऐ इसलिए जाकर वह जमा करा देता है। आपके यहां पर अपील नहीं है।

(श्री रामचन्द्र सराधना)

दूसरा निवेदन कर रहा था घरेलू कनेक्शन में बड़ी लम्बी वेटिंग लिस्ट है। इसको भी कम करने की बात करें तो कुछ मामला बने। आपको बी.सी.आर. की बात बता रहा था। डिमांड नोटिस का पैसा जमा है। काश्तकार को कह दिया पैसा जमा करा जा तेरी लाइन खींच दी। काश्तकार ने सोचा लाइन खिंच गयी, पैसा जमा हो गया, सब ठीक हो गया उसने तार जोड़ लिए और बिजली वाला कर्मचारी तार जोड़ने नहीं जाता है। उसने तार जोड़ लिए, काम कर लिया। मालूम पड़ गया उनको कनेक्शन हमने नहीं किया था फाइल में, बी.सी.आर. भरने के लिए आपकी टीम चली जाती है, बी.सी.आर. भर लेती है। वह कहते हैं साहब पैसा जमा कर लिया, आप लाइन खेंच गये, यह तार तो जोड़ लिया मैंने, चोरी थोड़े ही हो रही है। नहीं नहीं, हमारे कहने से नहीं किया तुमने। उसकी बी.सी.आर. कर ली। आपने सैटलमैंट कमेटी बना रखी है। क्या सैटलमैंट कमेटी, आप रिजल्ट मंगवाकर देख लीजिए, 25 पर्सेण्ड कैसेज को उन्होंने नहीं लिया और उसका फैसला नहीं किया। जो हमने कर दिया सा कर दिया। यह एक तरह से काश्तकारों के साथ में आपका अन्याय है, नाइन्साफी है। मैं चाहता हूं सैटलमैंट कमेटी को भी एक्टिव करें और उसमें किसानों के प्रतिनिधि शामिल करें ताकि उसको ढंग से सुन सकें।

दो बात और मेरे इलाके की करना चाहता हूं माननीय सभापतिजी। मेहरबानी करके आप बैठे हैं इसलिए दो मिनट का टाइम मुझे मिल रहा है थोड़ी सी मेहरबानी करें नहीं तो इतना भी नहीं मिल पाता। मैं निवेदन यह कर रहा था, खोरा लाड खानी का 33-11 का जी.एस.एस. बना हुआ है। एक वर्ष से जी.एस.एस. बना हुआ है और उससे लाभ होने वाला था कुम्भावास और बड़ौदिया को यह फीडर जाना था, एक आमलोदा और सुनदरपुरा को फीडर जाना था और उसका कान्ट्रेक्ट हो गया बताया। जब जब पूछते हैं कि कान्ट्रैक्ट हो गया लाइन बनाने का, एक वर्ष से लाइन नहीं बनी है। अब तक काम नहीं हुआ है। काश्तकारों को नये कनेक्शन भी नहीं मिल रहे हैं और उनका बी.आर. भी नहीं बैठा है।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं खोरा लाडखानी के जी.एस.एस. से जो दो फीडर निकलने वाले थे उनको पूरा करवाएं।

(श्री रामचन्द्र सराधना)

एक नया काम आप कह रहे हैं बहुत अच्छा का काम कर रहे हैं, कर रहे होंगे लेकिन आंखों के नीचे कभी-कभी अंधेरा भी आ जाता है। पी.एच.ई.डी. का कनेक्शन है, खरगढ़ा गांव है, ट्यूबवेल बन गया है और उसका कनेक्शन लेने के लिए गांव वालों ने धरना दिया। कल डी.वाई.एस.पी. चले गये वहां पर, एस.डी.ओ. चले गये, एक्स.ई.एन. चले गये और वापस लौट कर आ गये, कनेक्शन नहीं कर पाये और हालात ऐसे हो गये कि बिजली बोर्ड वाले जाते हैं तो उनको कहते हैं कि आपका पोल नहीं गाड़ने देंगे, लाइन नहीं खींचने देगें और मुंह लटका कर वापस आ जाते हैं। कोई माकूल कार्यवाही करवाइये, नहीं तो जो अफरा-तफरी मच रही है, कोई भी अपनी मोनोपाली से किसी को कनेक्शन नहीं लेने देगा। उसके सामने ट्रांसफार्मर लगा है वह कह देता है कि ट्रांसफार्मर से लाइन नहीं लेने दूंगा, मैं ले लेता हूं इसलिए इस पर भी कुछ करें....

श्री सभापति : माननीय अशोक बैरवा (अनुपस्थित) श्री महीपाल सिंह यादव।

श्री रामचन्द्र सराधना : मैं धन्यवाद ही दे रहा हूं। मेरे पास कुछ और बचा ही नहीं है धन्यवाद के सिवाय। चंदवाजी जी.एस.एस. है पीलवा का।

श्री सभापति : माननीय श्री महीपाल सिंह यादव।

श्री रामचन्द्र सराधना : 25 पोल की लाइन घूमकर आती है उस पोल को यदि 10 पाले पर ले आयें तो गांव वालों को भी वी.आर. अच्छा मिलेगा, आपका भी फायदा होगा।

आपने मुझे टाइम दिया इसके लिए आपको धन्यवाद और सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्यों ने आपको जो सुझाव दिये हैं उन पर गौर करें और कोई ने कोई माकूल कार्यवाही करें ताकि राजस्थान के किसान और राजस्थान का उपभोक्ता इसके लिए आपको धन्यवाद दे।

श्री महीपाल सिंह यादव (बानसूर) : माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से से माननीय विद्युत मंत्रीजी को मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं।

(श्री महीपाल सिंह यादव)

इस सरकार को सत्ता में आये लगभग 9 महीने हो गये हैं। नवां महीना चल रहा है आपका... (व्यवधान) नवम्बर में जिस काश्ताकर ने डी.एन. जमा कराया, आप सौ दिन की बात कर रहे हो उस काश्ताकार को आज तक आपने कनेक्शन नहीं दिया है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पूरे राजस्थान में जिस काश्तकार ने अपनी पूरी जायदाद, पूरी पूंजी को बेचकर, बहुत-से काश्तकारों ने अपनी महिलाओं के गहने तक बेच कर आपको पैसा जमा कराया है उसको आज तक कनेक्शन जारी नहीं हुआ। एक भी कनेक्शन राजस्थान में हो गया तो मैं सदन की सदस्यता से इस्तीफा देने के लिये तैयार हूं। जो काश्तकार नवम्बर से पैसा जमाकर आपकी तरफ टकटकी लगाये बैठा है कि नयी सरकार आयेगी और किसानों की बड़ी बहबूदी लायेगी, विकास के काम होगें, आपने सौ दिन में तो क्या, 9 महीने भी आपको पूरे होने जा रहे हैं, कोई कनेक्शन आपने नहीं दिया।

आपने एक नयी नीति और बना दी। किसानों को लूटने का सबसे बड़ा महा जाल फैला दिया आपने। एक किसान ही है जो देश को बचा रहा है और ले-देकर थोड़ी बहुत सब्सिडी बिजली पर थी, किसाना पैदा करता है, उसको भी आपने मान दिया।

जिस किसान को आपने वरीयता सामान्य श्रेणी में लिया है कि आवेदक द्वारा कृषि कनेक्शन लेने के लिये प्रार्थना पत्र शुल्क तथा अग्रिम तथा मांग पत्र राशि जमा कराने की तिथि के अनुसार ग्रामवार वरीयता होगी। आगे लिखा है कि इसकी सूचना नोटिस बोर्ड पर लगायेंगे। पंचायत, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत को भेजेगें लेकिन विधायकों का कहीं जिक्र ही नहीं है उस विधान सभा के विधायक को भी कोई सूची दी जायेगी, आपकी क्या वरीयता है ? माननीय मंत्रीजी, जिस क्षेत्र का विधायक है उसको भी आप सूची भेजें क्योंकि अधिकारी वरीयता सूची में भी बड़ा घपला करते हैं। पैसे लेकर पीछे वाले को आगे, आगे वाले का पीछे कर देते हैं। इसका कहीं कोई जिक्र नहीं है इसमें।

जहां तक सवाल है आपने लिखा है कि राज्य के अनुसूचित जाति के सामान्य श्रेणी के लोगों को हम तुरन्त प्राथमिकता में लेगें और अनुसूचित

(श्री महीपाल सिंह यादव)

जनजाति को लेगें। कारगिल और युद्वा क्षेत्रों में जो शहीद होते हैं उनकी विधवाओं को लेगें। हमारे राजस्थान में पुलिस का कोई अधिकारी या सिपाही अगर डकैतों की आतंकवादी गतिविधियों में शहीद हो जाये उसको भी उसमें रखना चाहिये। वह भी तो शहीद है इसलिये मेरा सुझाव है कि आप ऐसे जो पुलिस में अच्छे, ईमानदार अधिकारी हैं, सभी भ्रष्ट नहीं होते हैं, उनकी विधवाओं को जो परदेश कीं आतंकवादी गतिविधियों में कहीं मान लो शहीद होता है तो उनको भी इसमें महत्व देना चाहिये। वह भी देश के लिये, राज्य के लिये शहीद होता है उसको भी इसमें शामिल किया जाना चाहिये।

आपने आगे लिया है कि कृषि आवेदकों के प्रार्थना पत्र 15 वर्षों से लम्बित हैं, मैं माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्रीजी से कहना चाहता हूं कि आप इसमें लिखते है कि जिस समय किसान ने प्रार्थना पत्र जमा किया, आज 15 वर्ष के बाद उसका नम्बर आता है, आपने इसमें लिखा है कि राज्य में पानी का स्तर उस समय काफी ऊपर था जिसमें कम लोड के लिये ही आवेदन किये हुये हैं, वर्तमान में पानी का स्तर नीचे चला गया इसलिये आवेदक अधिक क्षमता के पम्प सैटों का उपयोग करेंगे। एक तरफ आप कह रहे हो कि पानी का स्तर नीचे चला गया, डार्क जोन एरियाज हैं और उन एरियाज में जो साबी के नजदी है वहां पर तीन हार्स पावर, पांच हार्स पावर की मोटरें चल रहीं हैं, आप उनको बाध्य कर रहे हो कि आप भी दस हार्स पावर का कनेक्शन लो। तो यह क्या लूट नहीं है किसान की ? आपको पता लगेगा इस हाउस के बाद। पूरे प्रदेश में आन्दोलन होंगे। आपने यह जो नीति बनायी है, मुझे तो ऐसा लग रहा है क्योंकि आपने इसमें नीचे लिखा है पानी नीचे चला गया, आप शराब के कारखाने लगाने की छूट दे रहे हों हमारे जिले में। डार्क जोन एरिया हैं, आप कह रहे हो कि यहा की शराब की फैक्ट्रियां लगायी जा सकती हैं। सारा पानी वैसे ही नीचे जा रहा है। पदूषण बढ़ेगा और पानी की कमी आयेगी। किसान को जो पानी मिलता है वह और नहीं मिलेगा। आपने

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

(श्री महीपाल सिंह यादव)

लिखा है कि किसान 9 महीने से आपको पैसे जमा करा कर बैठा है और आपके राज को भी नवां महीना चल रहा है, उसको आपने कलक्शन नहीं दिया है और उनको चोरी में और फंसा रहे हैं आप। डी.एन. जमा करा चुका है, आप कह रहे हैं कि एल फार्म जमा कराइये, आप तैयार हो जाइये, आपको कनेक्शन देंगे। 9 महीने में आपको सबको चोर बना दिया, कनेक्शन दिया नहीं उनको, यह कौनसा आपकी नीति है.......

(समय : 19.25 बजे)

(श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें। 7.21 पर बोलना शुरू किया था, आपको 7 -8मिनट हो गये हैं। अब कृपया समाप्त करें।

श्री महीपाल सिंह यादव : आपने ने तो कोई कर्मचारी भर्ती किये। अध्यक्ष महोदय, चालीस साले वहीं चल रहा है। एक लाइनमैन है, ट्रांसफार्मर की देख रेख करने वाला कोई नहीं है जी.एस.एस. पर। मैं आपसे कह रहा हूं इनमें बड़े अच्छे सुझाव आये हैं.. अब माननीय अध्यक्षजी ने हमको वहीं रोक दिया इसलिये में आनी बात को यहीं विराम देता हूं, इस पर आप विचार करें....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आसन की मजबूरी है इसलिये रोक दिया।

श्री महीपाल सिंह यादव : नहीं, तो पूरे प्रदेश में जन आन्दोलन खड़ा हो जायेगा आपने माननीय सदस्यों के सुझाव सुने, चाहे वह किसी भी पार्टी के हों, किसान को लूटने का काम बंद करें। मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, में आपके माध्यम से कुछ निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री ने बजट पर बहस के उत्तर में सदन को यह आश्वस्त किया था कि हम माननीय विधायकों के लिये कुछ न कुछ घोषणा करेंगे।

(मोहम्मद माहिर आजाद)

माननीय अध्यक्ष महोदय, रेल किराय बढ़ गया, डिजल की रेट बढ़ गयी। आज़ हमकों जिला परिषदों की मीटिंग में, पंचायत समिति की मीटिंग में डिस्ट्रिक्ट हैड क्वांटर में कई मीटिंगों में जाते हैं।

जीप भी दो रुपये साठ पैसे प्रति किलोमीटर में कहीं किराये पर नहीं मिलती है। पोस्टेज की दरें बढ़ गयी। बुक पोस्ट से हम चिट्ठी भेजते थे, तीन रुपये का टिकट लगता था आज पांच रूपये का लगता है। पोस्टकार्ड की दर बढ़ गयी, इनलैंड लिफाफे की दर बढ़ गयी। बिजली की रेट बढ़ गयी, टेलीफोन की दर बढ़ गयी। टेलीफोन की कॉल कम दी। उसका मासिक किराया बढ़ा दिया। हम अपना विधायी कार्य सही तरीके से, सुचारू रूप से कर सकें इसलिए मेरा माननीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन है कि आपने अपने उत्तर में हमें आश्वस्त किया था। आज चूंकि विधान सभा के इस बजट सत्र का अंतिम दिन है। हम आपसे अपना वेतन नहीं बढ़वा रहे हैं। हम आपसे केवल यह कह रहे हैं कि एक तरफ जो रेट बढ़ गयी टेलीफोन की, बिजली की, पोस्टेज की कम से कम उस बढ़ी हुई रेट के अनुपात में तो हमारी ये सुविधाएं बढ़ायें। ताकि हम सुचारू रूप से विधायी कार्यों का संपादन कर सकें और ज्यादा एक्टिव तरीके से हम अपन काम कर सकें।

अध्यक्ष महोदय, साथ ही में, ऐसा नहीं हो कि यह कहें कि हम स्वार्थी हैं, हमने अपना ही कर दिया। माननीय मुख्य मंत्रीजी मैं ईमानदारी से कहता हूं कि कई बुजुर्ग और आदिवासी एक्स.एम.एल.ए. की स्थिति ऐसी है कि उनको इलाज कराने की सुविधा भी मुहैया नहीं होती है। आपने उनको जो मेडिकल का पैसा दे रखा है वह ऊंट के मुंह में जीरे बराबर है। इसलिए जो पूर्व विधायक हैं, जो वृद्धावस्था में हैं जो ईलाज भी नहीं करा सकते, उनके मेडिकल भत्ते में भी आपको बढ़ोतरी करनी चाहिए। सारे सदस्यों की यही राय है, इसलिए मैं आज उम्मीद करता हूं, बजट सेशन आपका खूब अच्छी तरह से चल गया। आज भोजन दे रही हैं, हमारा वेतन मत बढ़ाइये, हम जानते हैं आपकी मजबूरी, प्रदेश की स्थिति, लेकिन आपने यह जो मंहगाई से हम पर

(मोहम्मद माहिर आजाद)

बोझ लादा है इसकी तो भरपाई करिये ताकि हम ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकें।

श्री अध्यक्ष : इसका मतलब क्या मैं समझूं कि अब ऊर्जा पर चर्चा समाप्त हो गयी है।

श्री बहादुर सिंह गोदारा : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो हाउस में विचार रखे हैं में भी उसका समर्थन करता हूं और में माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करता हूं कि भगवान ने जिस उदारता से उनको पोते का पैकेज दिया है, मुझे उम्मीद है कि इन गरीबी की रेखा से नीचे रहने वालों को आप उसी उदारता से पैकेज देंगी धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : पोते का पैकेज दे रही हैं क्या ? सदन की नेता क्या पोते का पैकेज दे रही हैं ?

मोहम्मद माहिर आजाद : यह बधाई होगी एक प्रकार से।

श्री जीतमल खांट : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माहिर साहब ने जो प्रस्ताव रखा है उसका समर्थन करते हुए, पहली मर्तबा महिला मुख्य मंत्री राजस्थान में बनी है, वैसे ही आपका हृदय सरल है, कोमल है। इसिलए इस बात का ध्यान रखिये।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा : अध्यक्ष, महोदय, मेरा आपके माध्यम से मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन है कि माहिर आजाद जी ने जो प्रस्ताव रखा है। हम लोगों को बड़ी कठिनाई और परेशानी का सामना करना पड़ता है। हमारे पास जिस प्रकार से टेलिफोन सुविधा का बताया उससे भी ज्यादा खर्चे होते हैं। गाड़ियों का किराया चा रूपये किलोमीटर से कम का कोई खर्चा नहीं होता है। इन आधार पर जितना खर्चा आप देख रहे हैं उसके मुताबिक में उम्मीद करता हूं कि माननीय माहिर आजाद जी ने जो प्रस्ताव रखा है उसका समर्थन करता हूं और आपसे उम्मीद करता हूं कि इस सम्बन्ध में कोई ने कोई आश्वासन देंगी, आशीर्वाद देंगी।

श्री मुरारी लाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, आदरणीया मुख्य मंत्री महोदय सदन में विराजमान हैं। सारे माननीय विधायकों की भावनएं इस महंगाई के जमाने को देखते हुए, यह बिलकुल सही बात है कि हम विधायकों को करीब 20 हजार के आसपास टोटल सेलेरी मिलती है और 30 हजार से कम में बिलकुल दाल-रोटी खाने वाला विधायक का भी टाइम पास नहीं होता, सार भत्तों सहित। बिजली का बिल पांच-छः हजार का, पानी का बिल इतना, तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे भत्ते बढ़ाकर के सभी को एक तोहफे के रूप में प्रदान करेंगी, धन्यवाद (व्यवधान)।

श्री बंशीलाल खटीक : मेरा महत्वपूर्ण है, मुझे दबा (व्यवधान) क्यों दबा रहे हो, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं आपको क्या मालूम.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बोलिये, इस विषय पर सारा सदन एकमत है। माननीय मुख्य मंत्रीजी, आप घोषणा करें.... (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक : मेरी भावनाओं को मत दबाओ, मैं और कुछ कहना चाह रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, इन सभी माननीय सदस्यों की भावनाओं को देखते हुए मैं पूरे सदन से प्रार्थना करता हूं कि प्रत्येक माननीय सदस्य के खाते से तीन सौ रूपये गौ रक्षा में देने की घोषणा करें। ताकि हमारा गौ धन अभी आकल से लड़ रहा है, उसको सम्बन्ध मिले। यह भी घोषणा सभी विधायक यहां करें।

श्री अध्यक्ष : रामसिंह जी, आप बिजली पर कुछ कहना चाह रहे थे, मैं दो मिनट का समद दे रही हूं।

श्री रामसिंह विश्नोई : माहौल बना हुआ है। सदन का माहौल माननीय सदस्यों के लाभ के लिये बना हुआ है इसलिए मैं बाद में बोल लूंगा, माननीय मुख्य मंत्रीजी के बाद में।

श्री अध्यक्ष : बाद में क्या बोलेंगे आप ?

घोषणा

माननीय सदस्यों की सुविधाओं के सम्बन्ध में

श्रीमती वसुंधरा राजे (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि मैंने अपने बजट भाषण मे एक पॉसिंग में रेफरेंस किया था। सभी माननीय

(श्रीमती वसुंधरा राजे)

सदस्यों की भावनाओं को भांपते हुए मैंने सोचा कि आज आखिरी दिन है। इस सौहार्दपूर्ण वातावरण में हम लोग शाम एक साथ बिताने वाले हैं। पिक्चर वगैरह भी देखेगें परन्तु मैने सोचा कि उसके पहले जो पैकेज तैयार किया था सब विधायकों के लिए, उसकी मैं आप सबके सामने घोषणा कर दूं। बिल मैं बाद में लाऊंगी। नवम्बर के महीने में बिल लाऊंगी। उसके पहले मैं आपको इतना बता दूं कि वर्तमान में जो माननीय सदस्यों को तीन हजार रुपये विद्युत और पानी के लिए भत्ता मिल रहा है उसे बढ़ाकर चार हजार करने का हमें प्रस्ताव किया है। इसी तरीके से माननीय सदस्यों को जो चार हजार रुपये टेलीफोन भत्ता प्रतिमाह मिलता है उसे बढ़ाकर पांच हजार रुपये हमने किया है।

वर्तमान में माननीय सदस्यों को डाक, तार, पत्र, पत्रिकाएं भत्ता जो दो हजार रूपये प्रतिमाह मिलता है उसे बढ़ाकर तीन हजार रुपये प्रतिमाह करने का प्रस्ताव है। वर्तमान में माननीय सदस्यों को दैनिक भत्ता तीन सौ रुपये राज्य में और चार सौ रूपये प्रतिदिन राज्य के बाहर जो मिलता है उसे बढ़ाकर क्रमशः चार सौ रूपये राज्य में और पांच सौ रूपये प्रतिदिन राज्य के बाहर करने का यह प्रस्ताव है। वर्तमान में जो माननीय सदस्य राजकीय आवास में नहीं रहते हैं उनको तीन हजार रूपये प्रतिमाह आवास भत्ता मिलता है उसे बढ़ाकर चार हजार रुपये प्रतिमाह करने का प्रस्ताव है। वर्तमान में माननीय सदस्यों को निजी वाहन से यात्रा करने पर भत्ता 2 रुपये 80 पैसे प्रति किलोमीटर की दर से जो मिलता है उसे बढ़ाकर 3 रुपये 50 पैसे प्रति किलोमीटर करने का हमने प्रस्ताव किया है। वर्तमान में माननीय सदस्यों को प्रति वर्ष 50 हजार रुपये के रेलवे कूपन दिये जाते हैं इस राशि को बढ़ाकर 75 हजार रूपये रूपये प्रतिवर्ष किये जाने का प्रस्ताव है।

सबसे जरूरी बात माहिर साबह ने कहा है कि पूर्व विधायकों को वर्तमान में जो चिकित्सा सुविधा मिलती है, उसे प्रति वर्ष 2400 रुपये निर्धारित राशि को बढ़ाकर हमने 5000 रुपये करने का प्रस्ताव किया है। इसके साथ-साथ मैं कहना चाहूंगी कि माननीय विधायकों को जो प्रशिक्षण कार्यक्रम में एक सुझाव सबने दिया था कि संसद की भांति यहां भी जो विधायी काम

(श्रीमती वसुंधरा राजे)

अच्छा करते हैं। संसदीय गरिमा के अनुरूप कार्य करने वाले माननीय विधायक को वर्ष का श्रेष्ठ विधायक घोषित किया जाये और उन्हें महामहिम राज्यपाल महोदय के हाथों से स्मृति चिन्ह भेंट करवाने का, सम्मानित कराने का जो प्रस्ताव है, इस सुझाव को स्वीकार करते हुए हमनें यह निर्णय किया है कि श्रेष्ठ विधायकके चयन के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में एक पांच सदस्यीय समिति गठित की जायेगी जिसमें स्वयं प्रतिपक्ष के माननीय नेता, माननीय संसदीय कार्य मंत्री, माननीय सरकारी मुख्य सचेतक शामिल होगें। यह समिति सर्वसम्मति से श्रेष्ठ विधायक का चयन करेगी (व्यवधान) एक मिनट, इन सब पैकेज की घोषणा करने के बाद मेरा तो इतना ही निवेदन है कि सब कुछ इतना अच्छा आप लोगों को मिल गया है। आप लोग अभी-अभी चुने गये हैं मैं यह विश्वास रखती हूं कि सबके सब अपने-अपने क्षेत्रों में वापिस जायें, एक स्टैण्र्ड बनाने की कोशिश करेंगे जिसकी वजह से राजस्थान की गरिमा भी बढ़ेगी और राजस्थान का नाम भी आगे होगा। मुझे और मैं समझती हूं कि जो भी माननीय सदस्य यहां बैठे हैं उनको किसी को अच्छा नहीं लगता जब राजनीतिज्ञ के बारे में कोई ऊंगली उठाकर के बात करता है। मैं समझती हूं कि आने जीवन के अंदर एक प्रिंसिपल स्टैंड लेकर के हम लोगों को रास्ता दिखायें, एक उदाहरण के तौर पर हम लोग निकलकर जायें। एब प्रतीक बनें ताकि इलाके के अंदर लोग जब हमारी तरफ आंख उठायेंगे तो यही कहेंगें कि यह हमारे विधायक महोदय हैं, इन्होंने हमारे लिए इतना अच्छा कार्य किया है। हमें बड़ी खुशी है ये हमारे विधायक हैं। यह मेरा आप लोगों से इतना निवेदन है। मैं विश्वास करती हूं कि यह पैकेज आप लोगों के लिए सेटिस्फैक्शनेबल होगा और साथ ही आप अपने क्षेत्र में काम भी करवाएगें।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : हम आपका इसके लिए धन्यवाद करते हैं लेकिन एक मामला आपने बाकी रख दिया। आप विधायक कोष में 60 रूपये देते हैं, उसका इतना अच्छा काम आज दिख रहा है प्रदेश में, उसको अगर आप 75 लाख रूपये कर दें तो हम आपके बहुत आभारी रहेंगे।

श्री विष्णु मोदी (मसूदा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बड़ी सहृदयता से विधायकों के लिए यह किया है तो मैं अपनी तरफ से एक महीने का वेतन....

मोहम्मद माहिर आजार (नगर) : सारे विधायक देगें। महीने का वेतन मुख्य मंत्री सहायता कोष में अकाल सहायता के लिए देने की घोषणा करती है। हम सब तैयार हैं इसके लिए, कोई मना नहीं करेगा।

श्री विष्णु मोदी : सारे विधायक मुख्य मंत्री रिलीफ फण्ड में एक-एक महीने की तनखाह अभी देंगें।

श्री रामसिंह विश्नोई : हम घोषणा करते हैं लेकिन....(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : वह कर देंगी, कह दिया ने 75 लाख कर देंगी।

श्री रामसिंह विश्नोई : हम घोषणा करते हैं एक महीने का वेतन देने की, लेकिन 75 लाख देने पर। (व्यवधान) जो पैसा आप देती हैं वह वाकई सही जगह लगता है, गांव की हर गली-गली जाकर देखें, पानी-बिजली-चिकित्सा -शिक्षा, ऐसी जगह लगता है।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची) : यू.पी. में एक करोड़ है। जब आपने ढ़ाई करोड़ रूपये कर दिये हमारे लिए तो मुख्य मंत्री महोदय आप आज ही घोषणा करें।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण) : मुख्य मंत्रीजी, जो आप 75 लाख करेंगी तो उसमें से 15 लाख रूपये तो सिर्फ पानी के लिए खर्च करेंगे।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय, आप जवाब देंगे कुछ ? (व्यवधान) अब क्या बाकी रह गया? (व्यवधान)

श्री रामसिंह विश्नोई : मैं बोलूं विद्युत पर ?

श्री अध्यक्ष : कांग्रेस के मुख्य सचेतक ने. 6 की लिस्ट और भेजी है अभी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (संसदीय कार्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी द्वारा आयोजित "लक्ष्य" फिल्म का शो सवा आठ बजे प्रारम्भ होगा, उससे पहले सभी माननीय सदस्य अपने घर जाएंगे एवं काफी सारगर्भित चर्चा हो चुकी है लगातार छह घंटे तक। अब आपकी आज्ञा हो तो प्रतिपक्ष के नेता, जवाब हो जाए, कोई पाइंटेड सवाल पूछना हो तो पूछ लें। (व्यवधान)

राज्य में बिजली की स्थिति पर विचार

श्री रामसिंह विश्नोई : मुझे बोलना नहीं है, प्रश्न के रूप में पूछ रहा हूं। पहले पूछता तो जवाब पहले दे देते।

श्री अध्यक्ष : आप प्रश्न के रूप में पूछ लीजिए।

श्री रामसिंह विश्नोई : मामनीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिए, उनका स्वागत है। प्रदेश में आज पानी की स्थिति यह है कि 200 फुट से 1000 फुट नीचे चला गय है। अपना कनेक्शन की मांग कर रहे हैं, घण्टे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। मंत्रीजी, अण्डर ग्राउण्ड वाटर की स्थिति को देखेते हुए आज जगह-जगह डार्क जोन बढ़ते जा रहे हैं। पानी प्रदेश में हैं नहीं और जहां है वहां नीचे जा रहा है। ऐसी स्थिति में आप खेती को किस रूप में लेना चाहते हैं ? प्रति बीघा ज्यादा उत्पादन हो, कॉमर्शियल क्रोप हो, इस तरह का पैटर्न जब तब नहीं अपनाएंगे तब तक बिजली आप चाहे कितनी ही दे दो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसलिए आप अपना ध्यान इस ओर दें कि कम से कम पानी में अधिक खेती हो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सुबह जब आने मुझे पुकारा तो माननीय रामनारायणजी ने कहा कि सरकार पहले वक्तव्य दे, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद दूगां। वक्तव्य दिया, उस पर जिस प्राकर से सारगर्भित चर्चा हुई उसके लिए मैं सभी माननीय सदस्यों का बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूं। यहां पर विद्युत पर बिलकुल सकारात्मक चर्चा हुई हे जिससे हम निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सब माननीय सदस्यों को अलग-अलग नाम लेने के बजाय, दो-तीन मुद्दे जो चर्चा चर्चा में उठे हैं उनको क्लियर करना चाहूंगा। पहला मुद्दा तो यह उठा कि 60 हजार कनेक्शन तो दे दहे हैं लेकिन

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

इनकी कट आफ डेट दो साल ही बढ़ाई हैं तो तीन साल में कनेक्शन किस तरह से कर पाएंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं निवदेन करना चाहूंगा कि शुरू के साल हैं उनमें कनेक्शन ज्यादा हैं। जैसे जयपुर डिस्कॉम में इस साल कम कनेक्शन देगें 344,28, अगले साल 22732, उससे अगले साल 20622, इसी प्रकार से तीन साल में जयपुर डिस्कॉम में सारे कनेक्शन समाप्त हो जाएंगे इसलिए कटर आफ डेट दो वर्ष बढ़ाने के बाद आगे जो डेट बढ़ेगी, उसके हिसाब से कम्पलीट होंगे। इसी प्रकार अजमेर डिस्कॉम में 16876 इस बार देंगे, 18088 अगली साल देगें और....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप तो इनको प्रश्नों को जवाब दे दीजिऐ, कोई प्रश्न हो तो, क्योंकि स्टेटमेंट तो आपने पहले ही दे दिया, उसी पर चर्चा की है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, दो-तीन बातें मुझे कहनी है जो माननीय सदस्यों ने उठाई। पहली तो यह उठाई कि आपने पांच हॉर्स पावर का मिनिमम कर दिया, साढ़े सात हॉर्स पावर का मिनिमम कर दिया, वह नहीं है हमारे यहां जो विद्युत नियामक आयोग बना हुआ है उसने पांच का किया था। राज्य सरकार को उसको निर्देश देने का अधिकार है। मैने आज सुबह माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन किया था, मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि छोटे किसानों, आदिवासी इलाकों के किसानों को जो तीन-तीन हॉर्स पावर का करते हैं उनके लिए तीन हॉर्स पावर का कनेक्शन भी लेगें तो उसकी सिक्योरिटी हम तय कर देंगे, उसके हिसाब से ही उनका लेगें।

अध्यक्ष महोदय, जो नीति बनी है वह किसानों के हित में बनी है, इससे किसानों को नुकसान पहुंचे, ऐसा कोई इरादा नहीं है, मैं आपको यह बहुत साफ-साफ स्पष्ट करना चाहूंगा। इसमें हमने ऐसा ऐवरेज निकाला है कि पांच हॉर्स पावर की मोटर का कितने पोल का ऐवरेंज है, दस हॉर्स पावर की मोटर का और बारह हॉर्स पावर की मोटर का कितने पोल का- ऐवरेज है। उस ऐवरेज में हमने लगाया और उसमें भी हमें कोई आपत्ति नहीं है कि अगर एक ही गांव में दो तरह के भार हैं, उसमें हमने साफ लिखा है कि किसान की सहमति के आधार पर उसको किया जाएगा। मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि इस नीति के बारे में जो सुझाव आए हैं उन सुझावों को एक बार देखकर

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

किसान के हित में जो सुझाव होंगे उनको हम लागू करेंगे। इस नीति से किसान का किसी प्रकार नुकसान हो यह किसी भी प्रकार सम्भव नहीं है, यह किसान के फायदे के लिए बनाई गई है।

दूसरी बात मैं श्रेणी के लिए कहना चाहता हूं कि यहां बार-बार यह बात उठती है कि यह नर्सरी का कनेक्शन है, यह इसका है, यह उसका है। अध्यक्ष महोदय, मैंने आज सुबह ही माननीय मुख्य मंत्रीजी से आग्रह किया तो उन्होंने कहा कि इतनी कैटेगरीज की कोई जरूरत नहीं है। हम साफ-साफ यह घोषणा कर रहे हैं कि केवल दो कैटेगिरी रहेगी। एक कैटेगिरी जिसमें किसान सामान्य रूप से कनेक्शन लेता है और दूसरी कैटेगिरी जिसमें फार्म हाउस आएंगे। मैंने पहले ही घोषणा कर दी थी कि शहरी क्षेत्र में जो फार्म हाउस हैं वह तो रहेंगे और शहरी क्षेत्र के बाहर जो फार्म हाउस है 8 घण्टे के ब्लॉक में रहेगें, उन किसानों को भी आने वाले 2 वर्ष में सामान्य किसान के भुगतान के दायरे में ले आएंगे। जो 24 घण्टे के ब्लॉक में रहेंगे उनको 1.60 रुपये।

तीसरी बात जो यहां पर उठी है दो साल की, पांच साल की आपने कर दी। अध्यक्ष महोदय, यह हमने नहीं किया है। यह त्वरित ग्रामीण विद्युत आयोग जो बना हुआ है भारत सरकार का, उसके निर्देश से हुआ है। छह महीने का किया गया है उसके बाद में हमने उनसे राजस्थान की परिस्थितियों के बारे में बताया कि यहां पानी सूख जाता है और दूसरी परिस्थितियां हैं, तो इसको दो वर्ष कर दियां। अब मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए उनसे यह आग्रह करेगी कि इसको पांच वर्ष किया जाए।

अध्यक्ष महोदय, यहां बार-बार यह बात आई कि आपने क्या प्रावधान किया। हमने इस बार 1520 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है जो पिछले साल के प्रावधान 1155 करोड़ रुपये से 500 करोड़ रुपये अधिक है, यह प्रावधान हमने बिजली के लिए किया है।

इसी प्रकार से राज्य सरकार ने भर्ती की प्रक्रिया भी जारी की है। 400 कनिष्ठ अभियन्ताओं के पद हमने इस बार भरे हैं।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

अध्यक्ष महोदय, पहले दुर्घटनाओं में बिजली के कारण जो आम आदमी की मृत्यु हो जाती थी उसको 25 हजार रुपये दिए जाते थे। अब माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इसके लिए 2.5 लाख रुपये की व्यवस्था की है। अगर कोई आदमी बिजली से चिपक कर मर जाए तो उसकी आयु, उसका काम आदि सारा देखकर लाख-पचास हजार रुपये के आसपास उसको मुआवजा मिल जाए, इस प्रकार की व्यवस्था हमने की है।

साथ ही कई माननीय सदस्यों ने जो महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं उन सब सुझावों पर निश्चित रूप से विचार करेगें।

उत्पादन क्षमता के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि आपने कहा कि आप 60 हजार कनेक्शन दे दोगे, बिजली कहां से लाओगे ? हमने प्रावधान किया है, धौलपुर से 330 मेगावाट की है, गिरल से 125-125 की दो इकाइयां है, वरसिंहसर से लिग्नाइट की 250 मेगावाट की इकाई है। गैर पारम्परिक स्त्रोंतों से 150 मेगावाट की है। अगले वर्षों में आर.ए.पी.पी. के बारे में भी आपने कहा हमने उसको दे दिया। नहीं दिया। वो तीन रुपये 80 पैसे यूनिट में दे रहा था उससे हमने नहीं लिया। अब वो दो रूपये 65 पैसे यूनिट में आ गया है, हमने उनसे बिजली लेने का तय कर लिया है। इसलिए मध्य प्रदेश को माननीय मुख्य मंत्रीजी का पीहर था, उसको महंगी बिजली दी है और पीहर वालों से सस्ती लेकर आ रहे हैं जिससे राजस्थान का फायदा हो रहा है, यह काम भी हमने कर लिया। पीहर वालों से जिना ज्यांदा लगाऐं उतना ही तो फायदा रहेगा, मंगी लेने का क्या फायदा है ? इसलिए पीहर वालों को कोई फायदा पहूंचाया नहीं है, पीहर वालों से अपन ने फायदा ले लिया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज बहुत व्यापक परिप्रेक्ष्य में बिजली में चर्चा हुई, है एक बात कहकर में समाप्त करूंगा। बिजली बहुत सेंसेटिव मामला है। मैं जानता हूं 6 लाख 80 हजार हमारे कनेक्शन हैं। एक लाख 75 हजार कनेक्शन और होने हैं। 10 लाख कनेक्शन का है, राजस्थान का पानी कम होता जा रहा है, जैसा रामसिंह जी ने कहा और भी बहुत सी बातें माननीय सदस्यों ने कही है। मैं खुद बिजली से जितना (व्यवधान) मैं जवाब नहीं दूंगा,

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

भाषण देने वाले मंत्री और काम करने वाले मंत्री, यह बात नहीं है, मंत्रिमण्ड की संयुक्त जिम्मेदारी है, सब मिल-जुलकर काम करते हैं, लेकिन मुझे अनुभव इस बात का है, मेरे भी 5-6 कनेक्शन कृषि के हैं, आपने माहिर साहब कहा था ए.सी. में सोते हैं। मिनिस्टर। आप सोये या नहीं सोये, मुझे अच्छी तरह ध्यान है जब मैं जाता हूं और 8 घण्टे के ब्लॉक में राणोली में मेरे खेत में जाकर रहता हूं तो राजत को बिना पंखे के ही सोना पड़ता है, बिजली की स्थिति ही नहीं है। इसलिए ए.सी. में मिनिस्टर या आप रहते हैं सवाल नहीं है। सवाल यह है कि आम आदमी का यह भेदभाव क्यों नहीं समाप्त कर सकते कि शहर में रहने वाले आदमी को सब कुछ मिलेगा और गांव में रहने वाले आदमी को लिमिटेड पीरियड में रहना पड़ेगा, यह सबसे बड़ी समस्या है। इस समस्या का समाधान करने के लिए सरकार कृतसंकल्प है, इसलिए बिजली का उत्पादन भी बढ़ाएंगे। बिजली के लिए जो संसाधन जुटाने होंगे वे संसाधन भी जुटाएंये और किसान को जो राहत देनी होगी वह राहत भी देंगे, आम आदमी को भी राहत देंगे। मैं माननीय मुख्य मंत्री को, सदन को आश्वसत करना चाहता हूं जो हमने नीति घोषित की है, चाहे अविद्युतीकृत करने की 16 हजार की है, चाहे 41 लाख बचे हुए घरों को कनेक्शन देने का मामला है, चाहे 3 साल में राजस्थान के सारे किसानों को 'आओ और पायो' के सिद्धान्त पर काम करने का हो यह सब भूल जाएंगे कि वह पी.आर. बैठती है या नहीं बैठती है, तकमीना ठीक बना, नहीं बना, ये पुराने जमाने की बातें हो गई हैं, बाबा आदम की बात हो गई है, उनको भूल जाओ, नई सरकार, नई रोशनी आ गई है, नया काम चल रहा है, सारा राजस्थान बिजली से चमकेगा।

अध्यक्ष महोदय, बिजली कितनी संवेदनशील है मैं एक बात कहकर खतम करूंगा। एक दिन मैनें मेरी पत्नी से कहा कि मुझे छाछ पिला दो। उसने कहा कि दो बजे मिलेगी। मैनें कहा क्यों ? बोलों, आपकी दादी दो बजे आएगी। मैनें कहा कि मेरी दादी को मरे ही 25 वर्ष हो गये। उसे कहा कि पहले तो आप ही कहा करते थे आपकी दादी झेरणा लेकर दही बिलोती थी और आपको छाछ पिलाती थी, अब दादी चली गई, अब तो बिजली 12 बजे

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

आएगी, फिर मैं मशीन लगाऊंगी तो छाछ बिलोऊंगी तब छाछ मिलेगी। अब तो बिजली दादी का काम करने लगी है, बिजली बहु का काम करने लगी है, चक्की लेकर आती है आटा पीसा। हर काम में बिजली आ गई, बहु का करती है, माता का करती है, दादी का करती है। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं इस संवेदनशील विषय में हर उतने ही संवेदनशील हैं जितना सारा सदन है और मैं आपसे आग्रह करूंगा इसके बाद में कोई ऐसी बात नहीं बची है। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : तत्काल योजना ? पैसा जमा, हाथों हाथ पैनल्टी माफ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : माननीय सदस्यों ने खातेदारी में कनक्शन शिफ्टिंग और इन मामलों में जो बातें की हैं उन सब बातों को नोट किया है और कल सुबह तक कोई आपत्ति नहीं है हमाके शिफ्टिंग करने में। हमने शिफ्टिंग के (व्यवधान) अब तीन साल में सब कनेक्शन दे दी रहे हैं और आओ और पाओ में शिफ्टिंग भी कर देंगे कौनसी समस्या हो रही है। सारी समस्याओं क एकीकृत कार्यक्रम बनाकर अधिकारियों को कल या परसों में निर्देशित कर दिया जाएगा और माननीय सदस्यों ने जितने मुद्दे उठाये हैं उन सारे मुद्दों को करेगें।

दो-तीन मामले जांच के भी आये हैं, मैं उस मामले में पड़ना ही नहीं चाहता था, एक तो ममता जी ने उठाया इनका मुझ कहना ही पड़ेगा, बी.एच.ई.एल. के बारे में। आपने कहा इसको तो काम ही नहीं आता, यह तो बिलकुल अनपढ़ है, बी.एच.ई.एल. जानती नहीं गैस के बारे में, कैसे बिजली चलाते हैं। फिर मीटर्स के बारे में, ट्रांसफार्मस की परचेज के बारे में, इन सब मामलों में एक समिति द्वारा पूरी जांच करा ली जाएगी और उसमें जो भी उचित कार्यवाही होगी निश्चित रूप से की जाएगी, यही मैं आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि आज सदन की बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के बाद मैं, राष्ट्रगान के

(श्री अध्यक्ष)

बाद में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ, सी.पी.ए., राजसथान शाखा की साधारण सभा की बैठक होगी। अतः सभी सदस्यगण कार्यवाही के स्थगित होने के पश्चात भी सदन में विराजे रहें।

सदन की बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की जाती है।

राष्ट्र-गान

जन गण मन अधिनायक जय हे
भारत भाग्य विधाता
पंजाब सिंधु गुजरात मराठा
द्राविड़ उत्कल बंगा
बिनध्य हिमाचल यमुना गंगा
उच्छल जलधि तरंगा
तब शुभ नामे जागे
तब शुभ आशिष मांगे
गाहे तब जय गाथा
जन गण मंगल दायक जय हे
भारत भाग्य विधाता
जय हे जय हे जय हे
जय जय जय जय हे।

(तदनन्तर सदन की बैठक 19.56 बजे अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुई)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

कुपोषण ग्रस्त बच्चों एवं महिलाओं की स्थिति में सुधार हेतु कार्य-योजना

486. श्री नवरतन राजोरिया (फुलेरा) एवं **श्री राव राजेन्द्र सिंह** (बैराठ) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) पूरक पोषाहार कार्यक्रम के तहत राज्य में पिछले तीन वर्षों में कितना लक्ष्य तय किया गया था और उसकी तुलना में कितनी उपलब्धि प्राप्त की गई ? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि राज्य में बच्चों एवं महिलाओं में कुपोषण की स्थिति देश के अन्य राज्यों की तुलना में अधिक विकट है ? यदि हां, तो उक्त स्थिति में सुधार के लिए सरकार क्या कार्य-योजना बनाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) राज्य में पूरक पोषाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत विगत तीन वर्षों में अर्जित लक्ष्य एवं उपलब्धियों का विवरण निम्नानुसार है :-

(लाखों में)

क्र. सं.	वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि
1.	2001-02	27.44	21.92
2.	2002-03	35.71	26.26
3.	2003-04	35.71	32.41

जिलेवार अर्जित उपलब्धियों आंकड़ों का विवरण परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(2) जी हां। राज्य में कुपोषण की स्थिति कुछ राज्यों की तुलना में अधिक है। बच्चों एवं महिलाओं में कुपोषण अधिक होने के कई कारण है,

(महिला एवं बाल विकास मंत्री)

जिनमें एक प्रोटीन, ऊर्जा तथा पोषक तत्वों की कमी भी है। कुपोषण में सुधार के लिए विभाग अन्य उत्तरदायी विभागों यथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, पंचायती राज विभाग, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के साथ अन्तर्विभागीय समन्वय को सुदृढ़ कर विभिन्न विभागों की योजनाओं में परस्पर तालमेल स्थापित करने का प्रयास कर रहा है।

महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा कुपोषण में सुधार के लिए निम्न प्रयास किये जा रहे हैं :-

1. सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों को क्रियाशील कर सभी लक्षित लाभान्वितों को पूरक पोषाहार उपलब्ध कराना।
2. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के साथ आंगनबाड़ी केन्द्रों पर संयुक्त रूप से मातृ शिशु स्वास्थ्य एवं पोषाहार दिवस का आयोजन करना।
3. अति कुपोषित बच्चों की पहचान कर उन्हें आंगनबाड़ी केन्द्र पर पंजीकृत करना तथा सामान्य श्रेणी में लाना।
4. विटामीन-"ए" की कमी की पूर्ति के लिए यूनिसेफ के सहयोग से विशेष कार्यक्रम का संचालन किया जाना।
5. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर सभी एक वर्ष से कम उम्र के बच्चों का सम्पूर्ण टीकाकरण कर बीमारियों से बचाव सुनिश्चित करना।
6. वर्ष के लिए लक्षित 35.82 लाख बच्चों तथा माताओं को माह में 25 दिवस पोषाहार उपलब्ध कराना।
7. विभागीय कार्मिकों को विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण प्रदान कर नवीन जानकारी उपलब्ध कराना तथा कार्यक्रम में नवाचार हेतु प्रेरित करना।
8. अच्छा कार्य करने वाले विभागीय कार्मिकों को पुरस्कृत कर उत्साहवर्धन करना।

परिशिष्ट-अ

पूरक पोषाहार कार्यक्रम की जिलेवार प्रगति वर्ष 2001 से 2004 तक

क्र. सं.	जिले का नाम	वर्ष 2001-2002		वर्ष 2002-2003		2003-2004	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	अजमेर	93650	77457	132900	99182	132900	125183
2	अलवर	145210	117463	207900	159157	207900	195431
3	आंसवाडा	98950	82347	123400	89137	123400	99170
4	बांरा	51520	41199	70400	56903	70400	69408
5	बाडमेर	101960	79743	127300	91490	127300	115318
6	भरतपुर	118760	108393	140800	119629	140800	128590
7	भीलवाडा	106470	98081	134400	111259	134400	120269
8	बीकानेर	80400	65208	97000	77410	97000	86979
9	बून्दी	49540	43384	61900	42346	61900	54327
10	चित्तौडगढ	111590	82262	156800	104508	156800	139944
11	चुरू	86980	73567	107100	84676	107100	94741
12	दौसा	69200	38556	86500	64803	86500	76086
13	धौलपुर	43740	39699	52700	41628	52700	50651
14	डुंगरपुर	62730	49302	78200	58630	78200	64731
15	श्रीगंगानगर	95090	60858	122800	88675	122800	107291

1	2	3	4	5	6	7	8
16	हनुमानगढ	64770	36653	83000	66199	83000	76488
17	जयपुर	181620	130341	226600	195458	226600	225361
18	जैसलमेर	26140	21538	32700	27272	32700	31602
19	जालौर	84880	78798	99900	78213	99900	94411
20	झालावाड	63180	50661	83000	61855	83000	75182
21	झुन्झुनू	81300	63503	124000	96703	124000	115065
22	जोधपुर	109240	90556	144700	113869	144700	113893
23	करौली	62940	42429	78700	57455	78700	71744
24	कोटा	65090	55604	84800	61182	84800	75980
25	नागौर	146580	126613	184000	140599	184000	171294
26	पाली	96280	81723	129000	100298	129000	117336
27	राजसमन्द	46650	33720	67800	48738	67800	52301
28	सवाई माधोपुर	55980	42895	69900	45736	69900	64224
29	सीकर	93680	80885	151000	118568	151000	147540
30	सिरोही	52900	51356	62000	48191	623000	56750
31	टोंक	67720	570980	84600	68896	84600	79160
32	उदयपुर	129060	90276	165400	107720	165400	144690

वाहनों में प्रेशर होर्न के प्रयोग पर प्रतिबन्ध

487. श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर) एवं श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि वाहनों में प्रयुक्त होने वाले बैटरी हॉर्न की तुलना में प्रेशर हॉर्न की आवाज बहुत तेज होती है ? यदि हां, तो दोनों हॉर्न की ध्वनि तीव्रता कितने डेसीबल होती है ?

(2) ध्वनि प्रदूषण के मानकों के अनुसार कितने डेसीबल तक की ध्वनि सहन करने योग्य होती है ?

(3) प्रेशर हॉर्न की ध्वनि की तीव्रता बहुत अधिक होने के कारण क्या सरकार प्रेशर हॉर्न के प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या प्रेशर हॉर्न प्रयोग करने वाले वाहनों पर ध्वनि प्रदूषण नियन्त्रण कानून के तहत कार्यवाही की जावेगी ?

उत्तर

(1) केन्द्रीय मोहर वाहन नियम, 1989 के नियम 119 में मोटर वाहनों में प्रयुक्त होने वाले हॉर्न के सम्बन्ध में नियम बनाया गया है। इस नियम के तहत प्रत्येक वाहन में प्रयुक्त हॉर्न के लिए A.I.S.-014/2001 मानक की पूर्ति आवश्यक है। इस मानक के तहत हॉर्न का चार श्रेणियों क्रमशः टाइप 1, 2A, 2B एवं 3 में वर्गीकृत किया गया है। टाइप 1 में वर्गीकृत हॉर्न उच्च आवृत्ति के ए.सी. हॉर्न हैं, जो चुम्बकीय सिस्टम पर आधारित हैं तथा जिनका उपयोग मोपेड़, स्कूटर एवं मोटर-साईकिलों में किया जाता है। टाइप 2A हॉर्न उच्च आवृत्ति के डी.सी. हॉर्न हैं जो प्रायः दो पहिया एवं तिपहिया वाहनों में प्रयुक्त किये जाते है। यह हॉर्न स्टोरेज बैटरी के सिस्टम पर आधारित है। टाइप 2B हॉर्न उच्च आवृत्ति के डी.सी. सिस्टम पर आधारित है जिनका प्रयोग प्रायः कार एवं व्यवसायिक वाहनों में किया जाता है। टाइप 3 हॉर्न डी.सी. हॉर्न Wind tone type सिस्टम पर आधारित हैं जिनका प्रयोग यात्री कारों एवं व्यवसायिक वाहनों में किया जाता है। अतः बैटरी हॉर्न अथवा प्रेशर हॉर्न के नाम से कोई हॉर्न नहीं हैं परन्तु यह सही है कि टाइप 2A हॉर्न बैटरी पर आधारित हॉर्न हैं

(यातायात मंत्री)

वहीं टाइप 3 Wind tone पर आधारित हॉर्न हैं। अलग-अलग प्रकार के वाहनों के लिए हॉर्न की ध्वनि को तीव्रता का अलग-अलग स्तर निम्न निर्धारित है :-

1. 7 K.W. तक के पावर के दुपहिया/तिपहिया वाहन -

83 dB(A) से 112dB(A)

2. 7 K.W. से अधिक पावर. के सभी वाहन -

93 dB(A) से 112dB(A)

(2) द नोइज पोल्यूशन (रेगुलेशन एण्ड कन्ट्रोल) रूल्स, 2000 के तहत अलग-अलग क्षेत्र/जोन के लिए ध्वनि के सम्बन्ध में अलग-अलग परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापदण्ड एंबिएन्ट एयर क्वालिटी स्टैन्डर्ड निर्धारि किये गये हैं जो निम्न प्रकार हैं :-

क्र. सं.	क्षेत्र/जोन की श्रेणी	निर्धारित मापदण्ड (dB(A) से Leq में)	
		दिन में	रात्रि में
1.	औद्योगिक क्षेत्र	75	70
2.	व्यावसायिक क्षेत्र	65	55
3.	रिहायशी क्षेत्र	55	45
4.	साइलेंस क्षेत्र	50	40

उक्त निर्धारित सीमा से अधिक ध्वनि का स्तर हानिकारक होता है किन्तु प्रश्न के खण्ड-1 के उत्तर में अलग-अलग प्रकार के वाहनों के लिए उल्लेखित हॉर्न की ध्वनि की तीव्रता की तुलना परिवेशीय वायु गुणवत्ता के निर्धारित मापदण्ड से किया जाना व्यवहारिक नहीं हैं क्योंकि ध्वनि के इन स्तरों के मापन की पद्धतियाँ भिन्न-भिन्न हैं। पहली पद्धति dB(A) है जबकि दूसरी पद्धति dB(A)Leq. के अन्तर्गत है।

(यातायात मंत्री)

(3) प्रेशर हॉर्न के नाम से कोई हॉर्न नहीं है परन्तु किसी भी मोटरयान में बहुत स्तर हॉर्न (Multi tone horn) जिसमें विभिन्न प्रकार की ध्वनि निकलत हो या ऐसा हॉर्न जिसमें कर्कश, तेज या ज्यादा शोर उत्पन्न होने वाली कोई दूसरी युक्ति (Device) लगी होती है, का प्रयोग केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 119 के तहत वर्जित है। ऐसे नियम विरुद्ध हॉर्न प्रयोग करने वाले वाहनों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का द नाइज पोल्यूशन (रेगूलेशन एण्ड कण्ट्रोल) रूल्स, 2000 के अन्तर्गत भी प्रावधान है।

पंचायती राज संस्थाओं में कनिष्ठ लिपिक की भर्ती हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता

488. श्री हरज्ञान सिंह गुर्जर (महुवा) : क्या ग्रामीण एवं विकास एवं पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि पंचायती राज अधिनियम, 1996 में कनिष्ठ लिपिक भर्ती हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हायर सैकण्डरी (10+2) निर्धारित की गई है तथा शिक्षा विभाग/राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा कनिष्ठ लिपिक भर्ती हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास निर्धारित है ? यदि हां, तो नियमों में विसंगति के क्या कारण हैं ?

(2) क्या यह सही है कि पंचायती राज अधिनियम, 1996 में पदोन्नति हेतु निर्धारित कसौटी बिन्दु में न्यूनतम योग्यता एवं वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन को ध्यान में रखकर पदोन्नति का प्रावधान रखा गया है ? यदि हां, तो क्या जिला परिषद, दौसा द्वारा न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता प्राप्त नहीं होने वाले कार्मिकों को पदोन्नति देने का निर्णय लिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार कनिष्ठ लिपिक भर्ती हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की विसंगति को खतम कर राजस्थान लोक सेवा आयोग/शिक्षा विभाग के अनुसार न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता सैकण्डरी निर्धारित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। पूर्व में कनिष्ठ लिपिक का चयन राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद सेवा नियम, 1959 के प्रावधानों के तहत किया गया था, जिसमें कनिष्ठ लिपिक के लिये शैक्षणिक योग्यता सैकण्डरी/मेट्रिकुलेशन निर्धारित थी परन्तु नये नियमों में संशोधन कर राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में बेहतर योग्यता वाले कर्मियों को लगाने के लिय संशोधित कर (10+2) योग्यता किया गया है।

(2) जी हां। जिला परिषद दौसा द्वारा न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता प्राप्त नहीं होने वाले कार्मिक को कोई पदौन्नति नहीं दी है।

(3) जी नहीं।

सवाईमाधोपुर जिले में इन्दिरा आवास/व्यक्तिगत आवास योजनान्तर्गत रहे अपूर्ण आवास

493. श्री हीरालाल (बामनवास) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला परिषद् सवाई माधोपुर द्वारा वर्ष 1998 से अब तक इन्दिरा आवास योजना व व्यक्तिगत आवास योजना में कितना-कितना रुपया किन-किन लोगों को दिया गया ? पंचायत समिति, व्यक्तिवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त आवासीय योजना में अधिकतर मकान अपूर्ण हैं ? यदि हां, तो क्यों व नहीं, तो क्या सभी आवासीय मकान पूर्ण बने हुये हैं ? अधूरे बने हुये मकानों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त योजना के अधीन अपूर्ण रहे आवासीय मकानों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जिला परिषद् सवाईमाधोपुर द्वारा वर्ष 1998 से अब तक इन्दिरा आवास योजना व व्यक्तिगत आवास योजना में दी गई राशि एवं लोगों का विवरण पंचायत समितिवार एवं व्यक्तिवार सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) आवासीय योजनाओं में अधिकतर मकान पूर्ण है तथा शेष रहे कार्य प्रगति पर है। प्रगतिरत आवासों की सूची परिशिष्ट-2 पर संलग्न है, जिन्हें शीघ्र ही पूर्ण करवाया जा रहा है।

(3) जिन आवासों का कार्य प्रगति पर है उनको शीघ्र ही पूर्ण कराया जा रहा है अतः किसी भी अधिकारी/कर्मचारी के खिलाफ कार्यवाही करने का विचार नहीं है।

(सूची विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर)

अलवर जिले में पर्यटन विकास हेतु कार्य योजना

495. **श्री जुबेर खान** (रामगढ़) : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला अलवर में काफी संख्या में पर्यटन स्थल हैं ? यदि हां, तो महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) अलवर की भौगोलिक स्थिति एवं दिल्ली एवं जयपुर से नजदीक होने के कारण क्या सरकार अलवर में पर्यटन को बढ़ावा देने की कोई कार्य योजना बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्वारा अब तक इस विषय में क्या-क्या कदम उठाए गए ?

उत्तर

(1) जी हां। अलवर जिले के महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल निम्न है :-

बाला किला, सिटी पैलेस, राजकीय संग्रहालय, मूसी रानी की छतरी, पुर्जन विहार, फतहगंज, विनय विलास पैलेस, जयसमन्द झील, सरिस्का अभ्यारण्य, तालवृक्ष, भानगढ़, अजबगढ़, भर्तहरि, कांकवाड़ी, नीलकंठ, पांडुपोल, सिलीसेढ़ आदि।

(2) जी हां। अलवर की भौगोलिक स्थिति एवं दिल्ली एवं जयपुर से नजदीक होने के कारण इस क्षेत्र में दिल्ली, अलवर (सरिस्का, बैराठ इत्यादि), डीग, भरतपुर, फतेहपुर सिकरी एवं आगरा को जोड़ा जाकर "राष्ट्रीय राजधानी पर्यटन सर्किट" के नाम से नया सर्किट बनाने का अनुरोध भारत सरकार से किया गया है, जिसका उत्तर अभी अप्राप्त है।

(3) तत्कालीन मुख्य मंत्री महोदय द्वारा दिनांक 2-8-2003 को केन्द्रीय पर्यटन मंत्री के साथ चर्चा कर राष्ट्रीय राजधानी पर्यटन सर्किट (एन.सी.आर. सर्किट) की स्थापना हेतु अनुरोध किया गया। तत्पश्चात् दिनांक 16-8-2003 को तत्कालीन मुख्य मंत्री महोदय द्वारा इस सन्दर्भ में केन्द्रीय

(पर्यटन मंत्री)

पर्यटन मंत्री को ऑपचारिक रूप से भी प्रस्ताव प्रेषित किया। केन्द्रीय पर्यटन मंत्रालय से इस सन्दर्भ में अभी उत्तर अप्राप्त है। वर्तमान में राज्य विभागीय स्तर पर एक समिति का गठन कर उपरोक्त सर्किट की कार्य योजना तैयार करने की कार्यवाही प्रगति पर है।

बारां नगरपालिका द्वारा कराये गये विकास कार्यों में अनियमितताओं की जांच

496. **श्री हेमराज मीणा** (किशनगंज) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) नगरपालिका बारां द्वारा गत पांच वर्षों में किस-किस मद में कितनी राशि स्वीकृत की गई तथा उसमें से किस-किस स्थान पर कितनी-कितनी राशि के कौन-कौनसे कार्य कब-कब स्वीकृत किये गये ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त स्वीकृत कार्यों की नगरपालिका बारां द्वारा कब-कब निविदायें आमंत्रित की गई ? निविदा की शर्तें क्या थी तथा आमंत्रित निविदाओं के विरूद्ध किस-किस एजेन्सी, ठेकेदार को किस-किस कार्य हेतु कब-कब कार्यादेश जारी किये गये ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त स्वीकृत कार्यों के विरूद्ध कितनी-कितनी राशि व्यय की जाकर कौन-कौनसे कार्य कब-कब पूर्ण कराये गये तथा प्रत्येक कार्य के लिए अधिकृत एजेन्सी/ठेकेदार को कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उपरोक्त स्वीकृत सभी कार्य पूर्ण करा लिये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? कार्य अपूर्ण रहने के क्या कारण रहे हैं ? अब अपूर्ण कार्य कब तक पूर्ण कर दिये जावेंगे ?

(5) क्या उक्त सभी कार्य पूर्ण गुणवत्ता व निर्धारित मानदण्डानुसार सम्पादित हुए हैं ? यदि नहीं तो इसके लिए कौन-कौन दोषी हैं ? क्या सरकार ऐसे दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

(श्री हेमराज मीणा)

(6) क्या उक्त निर्माण कार्यों में गम्भीर वित्तीय अनियमितताऐं व अन्य प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई थी ? यदि हां, तो किस-किस से कब-कब ? शिकायतकर्ता का नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(7) उपरोक्त शिकायतों के विरूद्ध किस-किस अधिकारी द्वारा कब-कब जांच की गई तथा जांच अधिकारी द्वारा जांच दौरान क्या पाया तथा जांच के निष्कर्ष क्या रहे ? जांच रिपोर्ट सदन की मेज पर रखते हुए यह भी बताये की जांच रिपोर्ट के निष्कर्षों के आधार पर किस-किस के विरूद्ध क्या-क्या कार्यवाही प्रस्तावित की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) नगरपालिका बारां द्वारा गत पांच वर्षों में किस-किस मद में कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई है की सूचना परिशिष्ट-"अ" पर है तथा उक्त राशि से स्वीकृत किये गये कार्यों के सम्बन्ध में पूर्ण विवरण संलग्न परिशिष्ट-"ब" के कालम संख्या 2 व 3 में अंकित है।

(2) उक्त स्वीकृत कार्यों की आमन्त्रित की गयी निविदाओं, निविदा की शर्तों तथा जिन ठेकेदारों, ऐजेन्सियों को कार्यादेश दिये गये का विवरण इसी परिशिष्ट "ब" के काल संख्या 5, 6, 7 व 8 में वर्णित है।

(3) उक्त स्वीकृत कार्यों पर व्यय की गयी राशि, अधिकृत ऐजेन्सी, ठेकेदार को किये गये भुगतान की राशि एवं पूर्ण करवाये गये कार्यों का विवरण इसी परिशिष्ट "ब" के कालम संख्या 9 व 11 में वर्णित है।

(4) जी नहीं, 44 कार्य शेष है। उक्त कार्य नगर पालिका मण्डल की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं होने के कारण अपूर्ण रहे है। पालिका को भविष्य में राशि उपलब्ध होने एवं स्वयं पालिका की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होने पर शेष कार्य पूर्ण कराये जा सकेंगे।

(5) आयुक्त, नगरपालिका बारां के अनुसार 229 कार्यों के उपयोगिता एवं पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किये जा चुके हैं तथा इन उपयोगिता प्रमाण पत्रों में सभी कार्य गुणवत्ता व निर्धारित मापदण्ड अनुसार होना बताया गया है। इन

(स्वायत्त शासन राज्य मंत्री)

कार्यों की गुणवत्ता एवं वित्तीय अनियमितताओं के सम्बन्ध में कतिपय शिकायतें भी प्राप्त हुई थी :-

1. श्री राजेन्द्र शर्मा, जिला अध्यक्ष, नगर पालिका प्रकोष्ठ, बांरा। उक्त शिकायत दिनांक 2-2-04 व 13-2-2004 को प्राप्त हुयी।
2. श्री शिवनारायण नागर, भूतपूर्व विधायक, बारां से दो शिकायती पत्र क्रमश: 15-11-02 व 10-6-02 को प्राप्त हुई।
3. श्री ब्रह्मानन्द शर्मा, जिला अध्यक्ष, भारतीय जनता युवा मोर्चा, बारां से दिनांक 3-3-01 को शिकायत प्राप्त हुयी थी।

श्री शिवनारायण नागर, भूतपूर्व विधायक द्वारा जालेड़ा गौशाला में घटिया निर्माण व भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतों की जांच क्रमश: अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा की जाकर प्रतिवेदन दिनांक 7-2-03 को प्रस्तुत किया गया एवं अधिशाषी अभियन्ता, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, बारां द्वारा जांच कर जांच प्रतिवेदन दिनांक 10-6-03 को प्रस्तुत किया गया तथा इन दोनों जांच प्रतिवेदनों में सभी कार्य गुणवत्ता की दृष्टि से सही पाये गये है।

श्री ब्रह्मानन्द शर्मा द्वारा की गयी शिकायत की जांच क्षेत्रीय उप निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, कोटा द्वारा की जा कर जांच प्रतिवेदन दिनांक 3-7-02 को प्रस्तुत किया गया तथा जांच में शिकायत आधारहीन पायी गयी है।

श्री राजेन्द्र शर्मा द्वारा की गयी एक शिकायत की जांच उप जिला कलक्टर, बारां द्वारा की जाकर जांच प्रतिवेदन दिनांक 1-6-04 को एवं एक अन्य शिकायत की जांच क्षेत्रीय उप निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग कोटा द्वारा की जा कर जांच प्रतिवेदन दिनांक 3-6-04 को प्रस्तुत किया गया। उपखण्ड अधिकारी ने अपने प्रतिवेदन में वित्तीय अनियमिततायें किया जाना तथा क्षेत्रीय उप निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, कोटा ने अपने प्रतिवेदन में निर्धारित सीमा से अधिक व्यय करने, गौशाला में हुए निर्माण कार्यों में अनियमितताओं के लिये अध्यक्ष व अधिशाषी अधिकारी को दोषी बताया था। प्राप्त जांच प्रतिवेदन में वर्णित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अध्यक्ष नगर पालिका

बारां के विरूद्ध राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 1959 की धारा 63 के तहत कार्यवाही प्रस्तावित की गयी है तथा दोषी अधिशाषी अधिकारी श्री घनश्याम खटूमरा के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए स्पष्टीकरण चाहा गया है।

(6) इस बिन्दु का उत्तर प्रश्न के बिन्दु संख्या 05 में निहित है।

(7) इस सन्दर्भ में पूर्ण विवरण बिन्दु संख्या 05 में स्पष्ट है। प्राप्त जांच प्रतिवेदनों की प्रतियां परिशिष्ट "स" पर संलग्न है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

दुसारणा ग्राम पंचायत (श्रीडूंगरगढ़) द्वारा सड़क निर्माण कार्य

497. श्री मंगलाराम गोदारा (डूंगरगढ़) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) ग्राम पंचायत दुसारणा पंचायत समिति श्री डूंगरगढ़ द्वारा वर्ष 1999 से मई, 2004 तक कितनी-कितनी राशि खर्च कर कौन-कौनसे विकास के कार्य किस-किस योजना में कब-कब करवाए गए ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त ग्राम पंचायत के क्षेत्र में उक्त अवधि में किस एजेंसी द्वारा व कितनी लागत की कौन-कौनसी ग्रेवल सड़कों का निर्माण किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त ग्रेवल सड़कें निर्धारित मानदण्ड से बनाई गई हैं तथा कुटाई अच्छी प्रकार की गई है ? यदि हां, तो अब इन सड़कों की स्थिति कैसी है ? मौका जांच करवाकर रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) ग्राम पंचायत दूसारणा पंचायत समिति श्री डूंगरगढ़ में वर्ष 1999 से मई, 2004 तक योजनावार करवाये गये कार्यों की संख्या एवं खर्च राशि का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। उक्त कार्यों को सूची परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(2) उक्त ग्राम पंचायत के क्षेत्र में उक्त अवधि में कार्यकारी एजेन्सी ग्राम पंचायत द्वारा 8 ग्रेवल सड़कों का निर्माण किया गया। इन सड़कों की लागत का विवरण परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(3) जी हां। वर्तमान में इनकी स्थिति अच्छी है तथा इन पर आवागमन हो रहा है। मौका रिपोर्ट परिशिष्ट-4 पर संलग्न है।

परिशिष्ट-1

कार्यालय पंचायत समिति, श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर) राज.

(ग्राम पंचायत दुशारणा)

क्र. सं.	योजना का नाम	कार्यों की संख्या	व्यय राशि	विशेष विवरण
1.	टीएफसी	04	336026	
2.	अकाल राहत	05	783799	
3.	जेजीएसवाई	05	342690	
4.	अकाल राहत+एम.पी. कोटा	05	647102	
5.	निजी आय	03	16022	
6.	अकाल राहत+एम.पी. कोटा	01	298070	
7.	ईएफसी	10	283497	
8.	एसएफसी	08	221409	
9.	एसजीआरवाई 20%	01	297495	
10.	एसजीआरवाई 50%	07	392589	
11.	ईएएस 70%	01	101198	
12.	ईएफसी-अकाल राहत	02	199680	
13.	एम.पी. कोटा (लोकसभा)	01	68602	
	कुल योग	53	3988149	

विकास अधिकारी
पंचायत समिति, श्रीडूंगरगढ़

परिशिष्ट-2

कार्यालय पंचायत समिति, श्रीडूंगरगढ़

क्र. सं.	प्रश्न	उत्तर	ग्राम पंचायत दुशारणा पण्डरिकजी					विशेष विवरण
		क्र.सं.	कार्य का नाम	योजना का नाम	कार्यकारी संस्था	कुल व्यय राशि	कार्य की स्थिति	
1.	ग्राम पंचायत दुशारणा पं.स., श्रीडूंगरगढ़ द्वारा वर्ष 1999 से मई, 2004 तक कितनी-कितनी राशि खर्च कर कौन-कौन से विकास कार्य किस-किस योजना में कब-कब करवाये गये सूची सदन की मेज पर रखें	1.	बस स्टेण्ड निर्माण, दुशारणा पण्डरिकती	टीएफसी	ग्राम पंचायत	0.90	पूर्ण	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2.	पेयजल कुण्ड, पुन्दलसर	अकाल राहत	ग्राम पंचायत	83984	पूर्ण	
		3.	दो कमरे मय बरामदा, रा.उ.प्रा.वि. हेमासर	अकाल राहत	ग्राम पंचायत	188991	पूर्ण	
		4.	एक कमरा मय बरामदा रा.उ.प्रा.वि. भोजास	अकाल राहत	ग्राम पंचायत	94819	पूर्ण	
		5.	राजीव गांधी पाठशाला निर्माण, दुशारणा पण्डरिकजी	टीएफसी	ग्राम पंचायत	210000	पूर्ण	
		6.	पक्का जोहड़ से मिट्टी निकालना, भोजास	टीएफसी	ग्राम पंचायत	19136	पूर्ण	
		7.	पशु खैली निर्माण, दुशारणा बड़ा	टीएफसी	ग्राम पंचायत	17000	पूर्ण	
		8.	ग्रेवल सड़क एन.एच. 11 से हेमासर तक	अकाल राहत	ग्राम पंचायत	188590	पूर्ण	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		9.	पेयजल हौज, पुन्दलसर	जेजीएसवाई	ग्राम पंचायत	80585	पूर्ण	
		10.	पशु खैली निर्माण, पुन्दलसर	जेजीएवाई	ग्राम पंचायत	4702	पूर्ण	
		11.	सामुदायिक विकास केन्द्र निर्माण, पुन्दलसर	जेजीएसवाई	ग्राम पंचायत	127406	पूर्ण	
		12.	सामुदायिक केन्द्र मय चार दीवारी निर्माण, भोजास	अकाल राहत+एम.पी. कोटा	ग्राम पंचायत	157003	पूर्ण	
		13.	श्मसान भूमि चार दीवारी निर्माण, दुशारणा पण्ड.	M.P. LAD (LS)+अ.रा.	ग्राम पंचायत	175989	पूर्ण	
		14.	पशु खैली निर्माण, दुशारणा बड़ा	निजी आय	ग्राम पंचायत	4550	पूर्ण	
		15.	पशु खैली में टुटी लगवाना, दुशारणा बड़ा	निजी आय	ग्राम पंचायत	1492	पूर्ण	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		16.	पेयजल हौज निर्माण, रा.उ.प्रा.वि., दुशारणा बड़ा	जेजीएसवाई	ग्राम पंचायत	99997	पूर्ण	
		17.	ग्रेवल सड़क निर्माण कोटासर से सांवतसर तक	अकाल राहत	ग्राम पंचायत	227315	पूर्ण	
		18.	श्मसान भूमि चार दीवारी निर्माण, पुन्दलसर	M.P. LAD (LS)+अ.रा.	ग्राम पंचायत	175984	पूर्ण	
		19.	जल हौज मरम्मत, पुन्दलसर	निजी आय	ग्राम पंचायत	9980	पूर्ण	
		20.	राजकीय विद्यालय मरम्मत, पुन्दलसर	जेजीएसवाई	ग्राम पंचायत	30000	पूर्ण	
		21.	सामु.वि.के. मय जलकुण्ड एवं चारदीवारी दुशार. बड़ा	M.P. LAD (LS)+अ.रा.	ग्राम पंचायत	298070	पूर्ण	
		22.	रा.उ.प्रा.वि. दुशारणा में चार दीवारी मरम्मत	ईएफसी	ग्राम पंचायत	19817	पूर्ण	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		23.	रा.प्रा.वि. में मरम्मत कार्य, कोटासर	एसएफसी	ग्राम पंचायत	28465	पूर्ण	
		24.	जल हौज व पशु खैली मरम्मत, कोटासर	एसएफसी	ग्राम पंचायत	19440	पूर्ण	
		25.	लिंक रोड़ दुशारणा से कोटासर	एसजीआरवाई 20%	ग्राम पंचायत	297495	पूर्ण	
		26.	सार्व. कुण्ड निर्माण, हरिजन मो. कोटासर	एसजीआरवाई 50%	ग्राम पंचायत	44981	पूर्ण	
		27.	अम्बेडकर भवन की चार दीवारी निर्माण, हेमासर	ईएफसी	ग्राम पंचायत	6800	पूर्ण	
		28.	सार्व., कुण्ड हरि. मौ. चार दीवारी एवं मरम्मत, हेमासर	एसएफसी	ग्राम पंचायत	39980	पूर्ण	
		29.	ग्रेवल सड़क हेमासर	एसजीआरवाई 50%	ग्राम पंचायत	49780	पूर्ण	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		30.	रा.प्रा.वि. में एक कमरा मय बरामदा, पुन्दलसर	ईएएस 70%	ग्राम पंचायत	101168	पूर्ण	
		31.	कुआं मरम्मत, पुन्दलसर	ईएफसी	ग्राम पंचायत	29915	पूर्ण	
		32.	सामु. विकस केन्द्र की चार दीवारी निर्माण, पुन्दलसर	ईएफसी	ग्राम पंचायत	20900	पूर्ण	
		33.	जल हौज मरम्मत, पुन्दलसर	ईएफसी	ग्राम पंचायत	15335	पूर्ण	
		34.	वार्ड 10 में गलियों की सफाई	ईएफसी	ग्राम पंचायत	6900	पूर्ण	
		35.	धर्मशाला मरम्मत, पुन्दलसर	एसएफसी	ग्राम पंचायत	14950	पूर्ण	
		36.	पीपेरां कुएं से लूणजीराजपूत के घर तक ग्रेवल सड़क	एसजीआरवाई 50%	ग्राम पंचायत	49960	पूर्ण	
		37.	बोथाणियां कच्चा जोहड़खुदाई, पुन्दलसर	एसजीआरवाई 50%	ग्राम पंचायत	98758	पूर्ण	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		38.	पटवार घर मरम्मत, पुंन्दलसर	एसएफसी	ग्राम पंचायत	10585	पूर्ण	
		39.	जलहौज मरम्मत, भोजास	ईएफसी	ग्राम पंचायत	15330	पूर्ण	
		40.	जलहौज मरम्मत हरिजन मौहल्ला, दुशारणा पण्डरिकजी	ईएफसी	ग्राम पंचायत	18567	पूर्ण	
		41.	पेयजल हौज निर्माण, हेमासर	ईएफसी+अकाल राहत	ग्राम पंचायत	99810	पूर्ण	
		42.	पेयजल हौज निर्माण, पुन्दलसर	ईएफसी+अकाल राहत	ग्राम पंचायत	99870	पूर्ण	
		43.	पेयजल हौज निर्माण, पुन्दलसर	M.P. LAD (LS)+अ.रा.	ग्राम पंचायत	69934	पूर्ण	
		44.	पेयजल हौज निर्माण, हेमासर	M.P. LAD (LS)+अ.रा.	ग्राम पंचायत	68192	पूर्ण	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		45.	ग्रेवल सड़क कुशलाराम के घर से भंवरलाल के घर तक हेमासर	एसजीआरवाई 50%	ग्राम पंचायत	49525	पूर्ण	
		46.	लिंक रोड़ मु. सड़क से रा.उ.प्रा.वि. दुशारणा बड़ा	एसजीआरवाई 50%	ग्राम पंचायत	49750	पूर्ण	
		47.	ग्रे. सड़क ऑपनवैल से जेठाराम के घर से जीएलआर तक, दुशारणा	एसजीआरवाई 50%	ग्राम पंचायंत	49835	पूर्ण	
		48.	जलहौज मरम्मत, दुशारणा पण्डरिकजी	ईएफसी	ग्राम पंचायत	40683	पूर्ण	
		49.	एक कमरा निर्माण, पुन्दलसर	ईएफसी	ग्राम पंचायत	109250	पूर्ण	
		50.	ऑपनवेल जल हौज मरम्मत, दुशारणा पींपासरिया	एसएफसी	ग्राम पंचायत	29600	पूर्ण	
		51.	पुन्दलसर धर्मशाला में एक कमरा निर्माण, पुन्दलसर	एसएफसी	ग्राम पंचायत	49920	पूर्ण	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		52.	125 फीट बीज गोदाम की चार दीवारी, दुशा. बड़ा	एसएफसी	ग्राम पंचायत	28469	पूर्ण	
		53.	पेयजल हौज, दुशारणा	M.P.LAD(LS)	ग्राम पंचायत	68602	पूर्ण	

परिशिष्ट-3

2.	उक्त ग्राम पंचायत क्षेत्र में उक्त अवधि में किस एजेन्सी द्वारा व कितनी लागत की कौन-कौनसी ग्रेवल सड़कों का निर्माण किया गया	1.	ग्रेवल सड़क एन.एच. 11 से हेमासर तक	अकाल राहत	ग्राम पंचायत	188590	पूर्ण	
		2.	ग्रेवल सड़क कोटासर से सांवतसर तक	अकाल राहत	ग्राम पंचायत	227315	पूर्ण	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		3.	लिंक रोड़ दुशारणा से कोटासर	एसजीआरवाई 50%	ग्राम पंचायत	297495	पूर्ण	
		4.	ग्रेवल सड़क हेमासर	एसजीआरवाई 50%	ग्राम पंचायत	49780	पूर्ण	
		5.	पीपेरां कुएं से लूणजी राजपुत के घर तक ग्रेवल सड़क निर्माण, पुन्दलसर	एसजीआरवाई 50%	ग्राम पंचायत	49960	पूर्ण	
		6.	ग्रेवल सड़क कुशलाराम के घर से भंवरलाल के घर तक, हेमासर	एसजीआरवाई 50%	ग्राम पंचायत	49525	पूर्ण	
		7.	लिंक रोड़ मुख्य सड़क से रा.उ.प्रा.वि., दुशारणा बड़ा	एसजीआरवाई 50%	ग्राम पंचायत	49750	पूर्ण	
		8.	ग्रे. सड़क ऑपनवैल से जेठाराम के घर से जीएलआर तक, दुशारणा	एसजीआरवाई 50%	ग्राम पंचायत	49835	पूर्ण	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	क्या यह सही है कि उक्त ग्रेवल सड़कें निर्धारित मापदण्ड से बनायी गई है तथा कुटाई अच्छी प्रकार की गई है यदि हां, तो इन सड़कों की स्थिति कैसी है मौका जांच करवाकर रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें।	ग्रेवल सड़कें मापदण्डों को ध्यान में रखते हुए स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार बनाई गई है तथा कुटाई स्थानीय साधनों से की गई है अब इन सड़कों की स्थिति का निरीक्षण करने पर पाया गया कि सड़कें चलायमान तथा इन पर आवागमन हो रहा है।						

विकास अधिकारी
पंचायत समिति, श्रीडूंगरगढ़

परिशिष्ट-4

जांच रिपोर्ट

ग्राम पंचायत दुशारणा की सड़कें निर्धारित मापदण्डों के अनुसार बनाई गई हैं।

इनकी कुटाई अच्छी प्रकार से की गई है। वर्तमान में इनकी स्थिति अच्छी है तथा इन पर आवागमन हो रहा है।

निजी क्षेत्र में अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण

498. श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार निजी क्षेत्र में अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने का विचार रखती हैं ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

(2) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में ज्ञापन प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

उत्तर

(1) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण नीति के अनुसार ही राज्य सरकार द्वारा, राज्य की परिस्थितियों के अनुसार आरक्षण नीति निर्धारित की हुई है।

अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण समिति (13वीं लोक सभा) की 22वीं रिपोर्ट के विषय "अनुसूचित जाति/जनजाति को सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में रोजगार की नीति" विषयक सिफारिश के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार से टिप्पणी चाही गई थी। इस सन्दर्भ में राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार को अनुरोध किया गया है कि उक्त नीति संवैधानिक रूप से वैध

(समाज कल्याण मंत्री)

होने पर भारत सरकार द्वारा लिये गये निर्णय उपरान्त राज्य सरकार इस विषय पर निर्णय लेने हेतु विचार करेगी।

(2) जी हां। चूरू जिला अनुसूचित जाति समाज (संस्थान) नया बास चूरू द्वारा माननीय मुख्य मंत्री महोदया को सम्बोधित राज्य सरकार द्वारा संचालित सौ दिन प्रोग्राम में अनुसूचित जाति समाज की पांच सूत्री मांगों को शामिल कर समस्याओं का निराकरण करवाने हेतु मांग पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें अनुसूचित जाति समाज को निजी क्षेत्र में आरक्षण व्यवस्था लागू कर लाभ देने की मांग की गई। इस सम्बन्ध में बिन्दु संख्या एक के अनुसार भारत सरकार को अनुरोध किया गया है।

सीकर जिले में संचालित अवैध मदिरा विक्रय केन्द्र

499. श्री अमराराम (धोद) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सीकर जिले में देशी एवं अंग्रेजी शराब की कितनी दुकानें कहां-कहां स्वीकृत हैं ?

(2) क्या शराब की दुकान स्वीकृति हेतु कोई मानदण्ड हैं ?

(3) क्या यह सही है कि शराब की दुकान एवं उप-दुकान स्वीकृति हेतु कर वसूल किया जाता है ? यदि हां, तो कितना ?

(4) क्या यह सही है कि सीकर जिले में अनेक अवैध शराब की दुकानें चल रही हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इनके विरूद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जिला सीकर में देशी मदिरा की 199 एवं भारत निर्मित विदेशी मदिरा/बीयर की 24 दुकानें स्वीकृत हैं। सूची परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न है।

(2) शराब दुकानों की अवस्थिति बाबत प्रावधान राजस्थान आबकारी नियम, 1956 के नियम 75 के रूप में हैं।

(आबकारी मंत्री)

(3) देशी मदिरा दुकानों हेतु रू. 5,000/- प्रति दुकान की दर से अनुज्ञाशुल्क देय होता है जो उस समूह की एकाकी विशेषाधिकार राशि में ही सम्मिलित होता है। निविदा प्रलेख में अंकित दुकानों की संख्या के बाद निम्न राशि अदा कर अतिरिक्त दुकानें स्वीकृत की जा सकती हैं :-

(राशि लाख रू. में)

क्र. सं.	क्षेत्र का विवरण	वि.म./बीयर	देशी मदिरा
1.	नगर निगम क्षेत्र	0.50	0.25
2.	अन्य नगरपालिका क्षेत्र	0.25	0.15
3.	ग्रामीण क्षेत्र	-	0.05

(4) जिला सीकर में स्वीकृत मदिरा दुकानों के अतिरिक्त कोई अवैध शराब की दुकान नहीं चल रही है।

परिशिष्ट-"अ"

देशी मदिरा

1. रेलवे स्टेशन, सीकर 2. नवलगढ़ फाटक, सीकर 3. फतेहपुर रोड, सीकर 4. चांदपोल सीकर 5. पिपराली रोड बाई पास सीकर 6. ट्रक यूनियन सीकर 7. शिवसिंह पुरा, सीकर 8. रानी सती, सीकर 9. लोसल नं. -1 10. लोसल नं.-2 11. जाटिया बाजार, सीकर 12. कृषि उपज मण्डी के पीछे 13. खटिकान मौहल्ला, सीकर 14. नेहरू पार्क, सीकर 15. हाउसिंग बोर्ड, सीकर 16. पावर हाउस के पास, सीकर 17. बाण्डियावास, सीकर 18. नदी बाजार खण्डेला 19. पलसाना रोड़ खण्डेला 20. रेलवे स्टेशन, रींगस 21. चुंगी नाका, रींगस 22. रींगस कस्बा 23. बस स्टेण्ड रींगस 24. पृथ्वीराज़ रोड़, श्री माधोपुर 25. बेलासी 26. सीकर रोड़, लक्ष्मणगढ़ 27. मोचीवाडा रामगढ़ सेठान 28. उतराधा मौहल्ला रामगढ़ सेठान 29. वार्ड नं. 30 लक्ष्मणगढ़ 30. साकरिया चौराहा,

फतेहपुर 31. नवलगढ़ पुलिया फतेहपुर 32. छतरिया बस स्टेण्ड फतेहपुर 33. तपीपल्या 34. कोटडी धायलान 35. दादिया रामपुरा 36. कांवट रोड खण्डेला 37. सिमारला 38. पुराना बांस, नीमा का थाना 39. नयाबास रोड, नीम का थाना 40. पथवारी मौहल्ला नीम का थाना 41. छावनी नीम का थाना 42. गांवडी मोड छावनी नीम का थाना 43. हरिपुरा पाटन 44. पेट्रोल पम्प कावट 45. थोई 46. कांवट 47. पृथ्वीपुरा 48. कांटिया 49. चुंगीनाका नं.-3 रींगस 50. पुरोहित जी की ढाणी 51. मीणा की नांगल 52. गोडवास मोड नीम का थाना 53. सागर पैलेस धोध रोड, सीकर 54. जयपुर रोड सीकर डिपो मोड 55. पालवास रोड, सीकर 56. सबलपुरा 57. नानी 58. रैवासा 59. दुजोद 60. सेवा 61. सेवद बड़ी 62. धोध नं.-1 63. धोध नं.-2 64. सिहोट बड़ी 65. झीगर छोटो 66. कांसली 67. दौलतपुरा 68. खूड .69. बानूड़ा 70. सांवलोदा लाडखानी 71. सांवलोदा पुरोहितान 72. बेरी 73. कटराथल 74. दादिया 75. सिंधासन 76. राणोली बाजार 77. राणोली 78. दाता 79. शाहपुरा 80. कुन्दन 81. रसीदपुरा 82. बढ़ाढर 83. कोलीडा 84. भैरूपुरा 85. शिश्यु 86. रेवासा 87. रामुकावार 88. कोछोर 89. गोकुलपुरा 90. टोडी 91. कोलीडा स्टेण्ड बेरी 92. फतेहपुरा 93. दीपुपुरा राजाजी 94. त्रिलोकपुरा 95. जीणमाताजी 96. मुरार 97. मुडरू 98. खण्डेला मोड 99. नाथूसर 100. मउ 101. दिवराला 102. नेछवा 103. गनेडी 104. बिडोदी 105. बाटडानाउ 106. बगडी 107. दंतुजला 108. भोजासर बडी 109. सनवाली 110. नरसार 111. जाजोद 112. बीदसर 113. नरोदडा स्टेण्ड 114. बलोद 115. काछवा 116. जोगिया का बास 117. अलखपुरा चौगान 118. दिशनाउ 119. नरोबड़ा 120. खुड बड़ी 121. भुमा बड़ा 122. साखु 123. करड 124. जाजोद 125. कोटडी सिमारला 126. डांसरोली 127. खाचरियावास 128. मण्ढा (मदनी) 129. ठिकरिया 130. श्यामबढ़ 131. सुरेरामण्डा 132. बावडी 133. कुली 134. नांगलय (नाथूसर) 135. डाबला 136. डाबला रेलवे स्टेशन 137. डूंगा की नांगल 138. सिरोही 139. माकड़ी 140. भूदौली 141. कावंट रेलवे स्टेशन 142. गुहाला 143. जिलो 144. पीथलपुर 145. सांवलपुरा 146. टटेरा 147. चीपलाटा 148. मावण्डा खुर्द 149. बाडली 150. हसामपुर 151. मण्डोली 152. माहवा 153. दिलपुरा 154. मावण्डा कलां

155. डोकन 156. गणेश्वर 157. स्योलादडा 158. रामपुरा 159. मांवडी 160. टोडा 161. रायपुर पाटन 162. रामपुरा जाबीर 163. सरगोंठ 164. पिपराली 165. सिंधासन 166. रघुनाथगढ़ बस स्टेण्ड 167. भेरूजी स्टेण्ड (पुरोहित का बास) 168. साकम्बरी 169. डूकिया 170. नावां दासा रामगढ़ रोड़ 171. धींगपुर 172. मोबटी 173. जालपाली 174. फलसाना 175. फलसाना 176. अजीतगढ़ 177. चला 178. अजीतगढ़ 179. सांवली 180. पलसाना 181. गोरियां 182. सांगलिया 183. बिज्यासी 184. भुबाला 185. आलोदा 186. लाम्बिया 187. खातीपुरा 188. बाय गांव के बाहर 189. चांमू पुरोहितान 190. मारणी 191. महरोली - 1 192. महरोली - 2 193. आभावास 194. पनवा 195. पालडी 196. कंवरपुरा 197. कारंगा बड़ा 198. चाची बाद 199. अलसपुरा गोदारान।

<u>भारत निर्मित विदेशी मदिरा/बीयर</u>

1. रेलवे स्टेशन रोड सीकर 2. जयपुर रोड, सीकर 3. बस डिपो के सामने, सीकर 4. वार्ड नं. - 26 श्री माधोपुर 5. रेलवे स्टेशन श्री माधोपुर 6. बाईपास टोल टेक्स रींगस 7. भेरूजी मोड रींगस 8. बस स्टेण्ड खण्डेला 9. कल्याण सर्किल सीकर 10. ट्रांसपोर्ट नगर सीकर 11. छतरिया स्टेणड फतेहपुर 13. तोषी रोड लक्ष्मणगढ़ 14. रामगढ़ सेठान 15. पेट्रोल पम्प, लक्ष्मणगढ़ 16. चूंगीनाका नीमका थाना 17. बस स्टेण्ड नीम का थाना 18. नवलगढ़ फाटक, सीकर 19. अजमेर स्टेण्ड, सीकर 20. राणी सती सीकर 21. फतेहपुर रोड सींकर 22. बालाजी धर्म कांटे के पास, सीकर 23. बालासर स्टेण्ड सीकर 24. किसान सर्किल, सीकर

भादरा नगरपालिका मण्डल की आयोजित बैठकें

500. डा. सुरेश चौधरी (भादरा) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि नगरपालिका मण्डल भादरा की बैठक एक वर्ष से भी अधिक समय के अन्तराल से हुई है ? यदि हां, तो क्या नगरपालिका अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है एवं इस बाबत सरकार को शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी हां। नगर पालिका भादरा की साधारण सभा की बैठक 20-5-03 के पश्चात् दिनांक 27-5-04 को आयोजित हुई है, जबकि नियमानुसार प्रत्येक माह बैठक होना वांछित है। चूंकि इस प्रकार नगर पालिका अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है तथा इस सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतों के क्रम में सम्बन्धित अध्यक्ष, नगर पालिका के विरूद्ध कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए स्पष्टीकरण चाहा गया जो दिनांक 23-7-04 को प्राप्त हो गया है। प्रकरण में नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जा रही हैं।

बागीदौरा की पंचायतों में हैण्डपम्प खुदाई हेतु आमंत्रित निविदाएं

501. श्री जीतमल खांट (बागीदौरा) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बागीदौरा की पंचायत समिति आनन्दपुरी, बागीदौरा, गढ़ी में ग्राम पंचायतों द्वारा वर्ष 2000-01 से 2004-05 में बड़ी संख्या में हैण्डपम्प स्थापित कराए गए हैं ? यदि हां, तो हैण्डपम्प स्वीकृति की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) जिन ग्राम पंचायतों में हैण्डपम्प खुदवाए गए हैं उनमें हैण्डपम्प की कुल लागत क्या रही ? किन फर्मों या एजेन्सी से यह कार्य कब करवाया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि पंचायत समितियों/ग्राम पंचायतों द्वारा हैण्डपम्प स्थापित करने के लिए निविदाएं आमंत्रित स्थापित अनुसार निविदाओं की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि पंचायत समिति/पंचायत स्तर पर हैण्डपम्प स्थापित करने के लिए निविदा आमंत्रित करने से पूर्व जन स्वास्थ्य विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र लिया गया है ? यदि हां, तो अनापत्ति प्रमाण-पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो हैण्डपम्प स्थापित करने में हुए भ्रष्टाचार की क्या सरकार जांच कराने का विचार रखती है ?

(श्री जीतमल खांट)

(5) पंचायत समितियों/पंचायतों द्वारा हैण्डपम्प स्थापित करने पर वित्तीय नियमों का खुला उल्लंघन करते हुए किस-किस निजी एजेन्सी/फर्मों को वर्ष 2000-01 से 2004-05 तक कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया गया ? भुगतान राशि का विवरण वर्षवार सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। स्वीकृत हैण्डपम्प की पंचायत समिति वार सूची परिशिष्ट -"अ" पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र बागीदौरा की पंचायत समिति आनन्दपुरी, बागीदौरा व गढ़ी में ग्राम पंचायतों द्वारा खुदवाए गऐ 387 हैण्डपम्पों की कुल लागत रू. 95.87/- लाख रही। जिन-जिन फर्मों/एजेन्सीयों से यह कार्य करवाया गया उनका विवरण कार्यों की सूची परिशिष्ट-'अ' पर अंकित है।

(3) पंचायत समितियों द्वारा निविदाए आमंत्रित नहीं की गई है। प.स. आनन्दपुरी की 12 ग्राम पंचायतों द्वारा वर्ष 2004-05 में सीमित निविदाऐं आमंत्रित की गई है, जिनकी प्रतियां परिशिष्ट-'ब' पर संलग्न है। इनके अतिरिक्त शेष अन्य ग्राम पंचायतों ने निविदाऐं आमंत्रित नहीं की है।

(4) ग्राम पंचायतों में हैण्डपम्प स्थापित करने के लिए निविदाऐं आमंत्रित करने से पूर्व पंचायत समितियों ने जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिक विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र नहीं लिया है। वर्ष 2004-05 में प.स. आनन्दपुरी की 16 ग्राम पंचायतों द्वारा ही हैण्डपम्प स्थापित करने से पूर्व जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किये गये, जिनकी प्रतियां परिशिष्ट-'स' पर संलग्न है। इनके अतिरिक्त शेष अन्य ग्राम पंचायतों ने अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं किये। हैण्डपम्प स्थापना में भ्रष्टाचार होने की कोई शिकायत प्राप्त नहीं होने के कारण जांच अपेक्षित नहीं है।

(5) पंचायत समितियों/पंचायतों द्वारा स्थापित हैण्डपम्पों बाबत वित्तीय नियमों के उल्लघंन का कोई प्रकरण विभाग के ध्यान में नहीं आया है। पंचायत समिति गढ़ी, बागीदौरा व आनन्दपुरी ग्राम पंचायतों द्वारा जिन-जिन

(ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री)

निजी एजेन्सी/फर्मों को जितना-जितना भुगतान किया गया है जिसका वर्षवार विवरण परिशिष्ट-'द' पर संलग्न है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

जोधपुर के सहकारी बाजार से पेन्शनरों को उपलब्ध औषधियां

502. श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर के सहकारी बाजार से डाक्टर द्वारा ब्रान्डेड 'अ' श्रेणी की कम्पनियां दवाइयां लिखे जाने के उपरान्त भी जैनेरिक दवाइयां पेन्शनरों को दी जा रही है ?

(2) क्या यह सही है कि इस बारे में राजस्थान पेन्शनर समाज द्वारा लिखित में शिकायत की गई ? यदि हां, तो उक्त शिकायत पर क्या कार्यवाही की गई ?

(3) ब्रान्डेड दवाइयों के स्थान पर जैनेरिक दवाइयां किस अधिकारी के आदेश द्वारा दी जा रही है ? क्या उक्त दवाइयां ब्रान्डेड दवाइयों से कई गुना महंगी है ? यदि हां, तो ऐसा करके भंडार को नुसान पहुंचाने हेतु कौन कौन अधिकारी जिम्मेदार है ? उक्त अधिकारी के विरूद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही प्रस्तावित है ?

(4) गत चार वर्षों में इस प्रकार की जैनेरिक दवाइयां किन फर्मों से खरीदी गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। वर्तमान में जोधपुर सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार द्वारा संचालित दवाइयों की दुकानों पर पेंशनरों को डाक्टर द्वारा लिखी गई दवाइयां ही दी जा रही है।

(2) जी हां। वर्तमान में ब्रान्डेड दवाइयों के स्थान पर जैनेरिक

दवाइयां दिया जाना बन्द कर दिया गया है।

(3) ब्रान्डेड दवाइयों के स्थान पर जैनेरिक दवाइयां प्रशासकीय निर्णय दिनांक 26-11-2002 के क्रम में क्रय की गई है।

जी नहीं, जैनेरिक दवाइयां ब्रान्डेड दवाइयों से बहुत सस्ती है। भण्डार को कोई हानि नहीं होने के कारण किसी अधिकारी की जिम्मेदारी नहीं बनती है।

(4) गत चार वर्षों में निम्न फर्मों से जैनेरिक दवाइयां क्रय की गई है :-

1. अंशुल फार्मा, जोधपुर
2. हाईजिया फार्मा, जोधपुर
3. रारूणा फार्मास्यूटिकल्स, जोधपुर।

निम्न वर्ग के नागरिकों को रियायती दर पर विद्युत कनेक्शन

503. श्री बहादुर सिंह गोदारा (नोहर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले नागरिकों/किसानों को रियायती दर पर विद्युत् कनेक्शन देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी हां। गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले नागरिकों को कुटीर ज्योति योजना के तहत नि:शुल्क घरेलू विद्युत् कनेक्शन हेतु वर्ष 2003-2004 में 15000 के लक्ष्य के सापेक्ष ऐसे 15112 कनेक्शन जारी किये गये। वर्ष 2004-2005 में इस योजना के तहत 45000 नि:शुल्क घरेलू कनेक्शन देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसके सापेक्ष जून, 2004 तक ऐसे 176

(ऊर्जा मंत्री)

कनेक्शन दिये जा चुके हैं। ऐसे विद्युत उपभोक्ताओं से मिनिमम चार्ज न लेकर वास्तविक विद्युत उपभोग की राशि ही ली जाती है। तथापि ऐसे लोगों को अन्य श्रेणी के-कनेक्शन पर कोई विशेष छूट देने का प्रावधान नहीं है।

जयपुर शहर में सफाई व्यवस्था में सुधार हेतु कार्य योजना

504. श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि जयपुर शहर में व्यापक गन्दी के कारण बीमारियों का प्रकोप बढ़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार जयपुर शहर की सफाई की सुचारू व्यवस्था हेतु कोई कार्य योजना बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या व कब तक ?

उत्तर

जी नहीं। विभिन्न बिमारियों की रोकथाम के लिये वर्षा से पूर्व बड़े नालों की सफाई करवाई जाती है तथा कीटनाशक जैसे फिनाईल, फिनीट, सायफलुथान, बेटेक्स, टोमीफोस आदि का छिड़काव भी किया जाता है। चिकित्सा विभाग के साथ संयुक्त रूप से कार्यवाही भी की जाती है।

कृषकों को सहकारी/व्यापारिक बैंकों द्वारा जारी क्रेडिट कार्ड में एकरूपता

505. श्री राव राजेन्द्र सिंह (बैराठ) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य के किसानों को सहकारी बैंकों व अन्य बैंकों द्वारा क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराया जाता है ? यदि हां, तो बैंकों द्वारा किसानों को क्रेडिट कार्ड देने के क्या मानदण्ड हैं ? सम्बन्धित मानदण्डों और शर्तों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

(2) क्या यह भी सही है कि सहकारी बैंकों व अन्य बैंकों द्वारा क्रेडिट कार्ड के लिए अलग-अलग मानदण्ड निर्धारित किए गये हैं जिसके कारण किसानों की अलग-अलग बैंकों द्वारा निश्चित की गई साख (क्रेडिट) में काफी अन्तर है ?

(3) क्या यह भी सही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में थोड़ी-थोड़ी दूरी पर रहने वाले किसानों की साख (क्रेडिट) में भी काफी अन्तर पाया जाता है ?

(4) क्या यह भी सही है कि सहकारी बैंकों और अन्य बैंकों द्वारा किसानों को (क्रेडिट) साख देते समय उसे चुकाने के लिए ऋण की तरह एक समय सीमा निर्धारित कर दी जाती है ?

(5) क्या सरकार सहकारी बैंकों व अन्य बैंकों से विचार-विमर्श कर किसानों को दिये जाने वाले क्रेडिट कार्डस को तय करने के मानदण्डों में एकरूपता लाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। राज्य के किसानों को केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से सहकारी किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराया जाता है। सहकारी किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने सम्बन्धी मानदण्ड एवं शर्तों की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी हां।

(3) जी हां।

(4) जी हां। सहकारी बैंकों द्वारा किसानों को दिये जाने वाले साख को चुकाने की समय सीमा निर्धारित है।

(5) जी नहीं। सहकारी बैंकों द्वारा दिये जाने वाले किसान क्रेडिट कार्ड हेतु मानदण्डों का निर्धारण समस्त पहलुओं को ध्यान में रखकर किया गया है, जिसमे वर्तमान में परिवर्तन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

परिशिष्ट-1

कार्यालय : रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : फा.46(16)सविरा/बैंक-2/93/पार्ट-2 दिनांक : 21-1-2004

प्रबन्ध निदेशक,

केन्द्रीय सहकारी बैंक लि.,

.... (समस्त)।

विषय : अल्पकालीन फसली ऋण वितरण हेतु फसलवार मापदण्ड में संशोधन।

प्रसंग : विभाग का समसंख्यक पत्र दिनांक 16-1-2004 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र द्वारा जारी निर्देशों की पालना में विलम्ब की सम्भावना एवं खरीफ, 2004 की तैयारियों के मध्यनजर अन्तरिम रूप से अल्पकालीन फसली ऋण वितरण हेतु फसलवार मापदण्ड को खरीफ, 2004 से संशोधित करने के सम्बन्ध में निम्नानुसार दिशा-निर्देश जारी किये जाते है :-

(1) वास्तविक फसल उत्पादन लागत के आधार पर नये फसलवार मापदण्ड निर्धारित किए जाने तक संलग्न परिशिष्ट अनुसार मापदण्ड में वृद्धि की जा सकती है। उक्तानुसार में प्रत्येक सदस्य की अधिकतम साख सीमा नहरी क्षेत्र में 60,000/- रू. एवं अन्य क्षेत्रों में 50,000/- रू. तक निर्धारित की जा सकेगी।

(2) संशोधित फसलवार मापदण्ड लागू करने से पूर्व केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा जिला स्तरीय तकनीकी कमेटी की बैंठक आयोजित कर संशोधित मापदण्डों को लागू करने हेतु निर्णय

लिया जावेगा। स्थानीय आवश्यकताओं के मध्यनजर सुझाये गये मापदण्डों में 20 प्रतिशत की कमी/वृद्धि करने का अधिकार जिला स्तरीय तकनीकी समिति को होगा।

(3) फसलवार मापदण्ड के अंग भाग 'अ' व अंग भाग 'ब' का निर्धारण पूर्व निर्देशानुसार जिला स्तरीय तकनीकी कमेटी द्वारा किया जावेगा। अंग भाग 'ब' में पूर्व के समान विभिन्न कृषि आदान जिसमें बिजली/डीजल के भुगतान भी शामिल है, सम्मिलित होंगे।

(4) खरीफ एवं रबी की फसल हेतु अलग-अलग साख का विभाजन नहीं किया जावेगा, वरन कृषक के फसल चक्र के अनुसार बनने वाली साख सीमा की राशि का ऋण खरीफ एवं रबी की फसल के लिए अलग-अलग उपलब्ध कराई जावेगी, जिसकी अधिकतम सीमा सम्बन्धित बैंक के लिए निर्धारित प्रति सदस्य अधिकतम राशि रहेंगी।

(5) गन्ने की फसल हेतु नये उगाये जाने वाले एवं पुराने गन्ने हेतु मापदण्ड का निर्धारण जिला स्तरीय तकनीकी कमेटी द्वारा किया जावेगा।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

अतिरिक्त रजिस्ट्रार (द्वितीय)

Existing and Proposed Scale of Finance for various crops

(Rs. per acre)

S. No.	Crop	Existing Scale of finance	Proposed scale of finance
1.	Wheat		
	Irrigated	3300	4125
	Unirrigated	2750	3440
2.	Barley		
	Irrigated	2200	2750
	Unirrigated	1925	2405
3.	Maize		
	Irrigated	1375	1720
	Unirrigated	880	1100
4.	Jawar		
	Irrigated	1375	1720
	Unirrigated	880	1100
5.	Bajra		
	Irrigated	1375	1720
	Unirrigated	880	1100
6.	Mustard		
	Irrigated	1870	2340
	Unirrigated	1540	1925
7.	Taramira		
	Unirrigated	1430	1790

1	2	3	4
8.	Gram Irrigated Unirrigated	 1650 1375	 2065 1720
9.	Groundnut Irrigated Unirrigated	 2750 2200	 3440 2750
10.	Rice Irrigated Unirrigated	 2750 2200	 3440 2750
11.	Cotton Hybrid Desi	 3520 2750	 4400 3440
12.	Sesamum Unirrigated	 1100	 1375
13.	Soyabeen Irrigated Unirrigated	 2200 1870	 2750 2340
14.	Guar Unirrigated	 880	 1100
15.	Sugarcane Irrigated	 4400	 5500

1	2	3	4
16.	Pulses Unirrigated	1100	1375
17.	Chillies Irrigated	5500	6875
18.	Potato Irrigated	13200	16500
19.	Tomato Irrigated	5500	6875
20.	Onion Irrigated	7700	9625
21.	Coriander Irrigated	4400	5500
22.	Cumin Irrigated	4400	5500
23.	Garlic Irrigated	3300	4125
24.	Opium	8800	11000
25.	Fodder	1870	2340

दी राजस्थान स्टेट को-ऑप. बैंक लिमिटेड, जयपुर

नं. आरएससीबी/परि./अल्प./2000-01/2110 दिनांक : 2-6-2000

प्रबन्ध निदेशक,

दी केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड,

....

विषय : अल्पकालीन कृषि ऋण व्यवस्था अन्तर्गत सहकारी किसान कार्ड योजना के क्रियान्वयन हेतु परिचालनात्मक दिशा-निर्देश।

प्रिय महोदय,

जैसा कि आपको विदित ही है कि भारत सरकार की पहल पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड की एक आदर्श योजना जारी की गई थी जो कि शीर्ष बैंक द्वारा अपने पत्र संख्या आरएससीबी/ओ/एसटी/1998-99/6466 दिनांक 10/15-9-98 द्वारा राज्य के सभी केन्द्रीय सहकारी बैंकों को प्रसारित की गई थी। तत्पश्चात् रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान, जयपुर द्वारा अपने पत्र संख्या प.46(23)सविरा/बैंक-2/99 दिनांक 5-3-99 द्वारा सहकारी किसान कार्ड योजना के विस्तृत दिशा-निर्देशों की एक पुस्तिका जारी की गई थी तथा यह चाहा गया था कि इस योजनान्तर्गत प्रथम अप्रेल, 1999 से कृषक सदस्यों को लाभ दिया जावे। राष्ट्रीय बैंक द्वारा भी उक्त योजना के क्रियान्वयन हेतु कतिपय परिचालनात्मक दिशा निर्देश जारी किये गये, जिसके अन्तर्गत योजना को कैश क्रेडिट पद्वति के अनुसार क्रियान्वित किया जाना अपेक्षित किया गया है। कैश क्रेडिट पद्वति के अन्तर्गत ऋण वितरण नाबार्ड के उक्त पत्र, माडल स्कीम तथा माडल स्कीम में सन्दर्भित नाबार्ड के पत्र दिनांक 17-12-1990 में उल्लेखित है। किन्तु राजस्थान राज्य में समान रूप से, सभी को, इस पद्वति से ऋण वितरण किये जाने में व्यवहारिक कठिनाइयां परिलक्षित की गई है।

आपको यह भी भली भांति विदितहै कि राजस्थान राज्य में पूर्व से ही गंगानगर पैटर्न के तहत कृषक सदस्यों को चैक द्वारा फसली ऋण वितरण किया जा रहा है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना को पूर्ण रूपेण कैश क्रेडिट पद्वति पर संचालित किये जाने से जुड़े विभिन्न पहलुओं के व्यवहारिक क्रियान्वयन का बहुत बारिकी से राज्य पर अध्ययन करने पर यह पाया गया है कि इस योजना को पूर्णतः राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुये कैश क्रेडिट पद्वति पर परिचालित करना सम्भव प्रतीत नहीं होता क्योंकि इस प्रकार की पद्वति उसी क्षेत्र में सफलतापूर्वक परिचालित की जा सकती है, जहां कि बहुफसलीय पैदावार ली जाती है, सिंचाई के चिरस्थायी साधन उपलब्ध है, आदि एग्रीकल्चरल क्रेडिट रिव्यू कमेटी द्वारा अपनी सिफारिशों में यह भी स्वीकार किया गया है कि कैश क्रेडिट पद्वति एक इस तरह की व्यवस्था है जिसमें ऋणी सदस्य के लेन-देन के व्यवहार की व्यक्तिगत जानकारी होना आवश्यक है तथा साख सीमा का नवीनीकरण एवं अन्य गणनायें काफी जटिल है। इसके अतिरिक्त देय तिथि के अभाव में मांग की गणना एंव वसूली का निर्धारण अपने आप में एक विशिष्ट प्रकृति का कार्य है। साथ ही इस व्यवस्था में मौसमी अनुशासन की महत्वता भी काफी हद तक प्रभावित होती है, जो कि फसली ऋण वितरण का एक महत्वपूर्ण अनुशासन है।

अतः विभिन्न व्यवहारिक एवं परिचालनात्मक कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुए यह विचार किया गया है कि कैश क्रेडिट पद्वति की मूल भावन, कि जब कृषक सदस्य चाहे तब फसल उत्पादन हेतु ऋण का उपभोग कर सकता है, का लाभ कृषक सदस्य को देते हुए कृषक द्वारा उपभोग की गई साख को ऋण के रूप में ही मानते हुए इस योजना का क्रियान्वयन राज्य में किया जावे। अतः इस परिप्रेक्ष्य में सहकारी विभाग द्वारा पूर्व में दिनांक 5-3-99 को योजना के क्रियान्वयन हेतु जारी किये गये दिशा-निर्देशों में आंशिक संशोधन करते हुये संशोधित दिशा-निर्देशों जारी किये जाते हैं, जो कि इस पत्र के साथ परिशिष्ट-1 पर संलग्न हैं। साथ ही केन्द्रीय सहकारी बैंकों को मोटे तौर पर निम्न दिशा-निर्देश दिए जाते हैं :-

(1) पूर्व व्यवस्था के अनुसार सहकारी समिति के माध्यम से कृषक सदस्य के पक्ष में खरीप एवं रबी फसल हेतु साख सीमा स्वीकृत होगी, जो

कि 3 वर्ष के लिये प्रभावी होगी। यदि इस अवधि में कृषक सदस्य द्वारा धारित भूमि में कोई परिवर्तन, विशेषकर उसमें कमी होने की स्थिति में साख सीमा तदनुसार पुर्ननिर्धारण करनी होगी।

(2) कृषक सदस्य ऋण का उपभोग जब चाहे तक, उसको इस योजनान्तर्गत विशेष रूप से जारी किये गये चैक के माध्यम से निर्धारित अनुशासनों के अधीन कर सकेगा, परन्तु यदि किसी कृषक सदस्य द्वारा किसी फसल अवधि अर्थात् खरीफ या रबी अवधि में ऋण का चुकारा किया जाता है तो उस स्थिति में वह कृषक उसी फसल अवधि में पुनः ऋण का उपयोग नहीं कर सकेगा।

(3) समिति एवं बैंक की शाखा के स्तर पर विभिन्न लेखों का संधारण, दस्तावेजों का निष्पादन एवं अन्य औपचारिकताओं का निस्तारण वर्तमान में लागू व्यवस्था के अनुरूप किया जावेगा।

(4) खरीफ एवं रबी ऋण हेतु विभिन्न स्तरों पर निर्धारित देय तिथियां पूर्ववत् लागू रहेगी एवं तदनुसार ही समिति एवं बैंक स्तर पर मांग का निर्धारण किया जाता रहेगा।

(5) मौसमी अनुशासन की पालना सम्बन्धी प्रावधान केन्द्रीय सहकारी बैंक के स्तर पर पूर्ववत् लागू रहेगा तथा बैंकों द्वारा इसकी अनुपालना सुनिश्चित करने पर ही उच्च स्तरीय वितीय संस्थाओं से पुनर्वित्त पूर्व की भांति प्राप्त हो सकेगा।

(6) बैंकों के यह प्रयास होने चाहिए कि वे अपने कार्यक्षेत्र के शेष ऋणी सदस्यों को किसान क्रेडिट कार्ड शीघ्र जारी करें एवं इसकी प्रगति की सूचना पूर्ववत् मासिक आधार पर राष्ट्रीय बैंक के प्रारूप में भिजवाया जाना आवश्यक होगा एवं स्वाभाविक है कि इस उद्देश्य के लिए सूचना पृथक से व्यवस्थित रखनी होगी।

केन्द्रीय सहकारी बैंकों से अनुरोध है कि वे जारी दिशा-निर्देशों से अपनी बैंक की शाखाओं/समितियों को अवगत करवावें एवं यह सुनिश्चित करें कि तदनुसार इसकी पालना सुनिश्चित की जा रही है। यदि किसी बैंक द्वारा

इस व्यवस्था के संचालन में किसी प्रकार की कोई व्यवहारिक कठिनाई महसूस की जाती है तो उससे शीर्ष बैंक को शीघ्र अवगत करवाया जा सकता है।

भवदीय,

वि.वि. दीक्षित,
प्रबन्ध निदेशक

दी राजस्थान स्टेट को-ऑप. बैंक लिमिटेड, जयपुर

अल्पकालीन सहकारी ऋण वितरण व्यवस्था में सहकारी किसान कार्ड योजना लागू किये जाने के सम्बन्ध में परिचालन मार्गदर्शिका

यह तो आपको विदित ही है कि माननीय वित्त मंत्री भारत सरकार द्वारा वर्ष 1998-99 का बजट प्रस्तुत करते समय किसानों की व्यवहारिक कठिनाईयों के निराकरण के लिये किसान क्रेडिट कार्ड योजना लागू करने की घोषणा की गयी थी। तांकि किसानों को सरलीकृत प्रक्रिया के तहत जब चाहे तब ऋण प्राप्त हो सके। इसी परिप्रेक्ष्य में नाबार्ड द्वारा अपने पत्र क्रमांक एनबी.पीसीडी/ओपीआर/794/ए.137/(Spl.)/98-99 दिनांक 14 अगस्त, 1998 से किसान क्रेडिट कार्ड हेतु एक मोडल योजना बनाकर प्रसारित की गयी तथा अपने परिपत्र दिनांक 26-5-99 द्वारा परिचालन मापदण्ड भी प्रसारित किये गये। उक्त दोनों योजना/परिपत्र के अनुसार किसान क्रेडिट कार्ड को कैश क्रेडिट प्रणाली की तहर परिचालित करने का संदेश दिया गया जिसकी कि व्याख्या नाबार्ड द्वारा पूर्व में अपने परिपत्र दिनांक 17 दिसम्बर, 1990 के द्वारा की जा चुकी है तथा आवश्यक सन्दर्भ "मैन्युअल ओन प्रोडक्शन ओरियन्टेड सिस्टम ऑफ लैण्डिंग इन एग्रीकल्चर" में भी किया गया है।

नाबार्ड द्वारा 14 अगस्त, 1998 को जो मोडल स्कीम प्रसारित की गयी थी उसमें यह भी सन्दर्भ दिया गया था कि सहकारी बैंक अपनी स्थानीय

आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इसमें आवश्यक संशोधन कर योजना को अपना सकते हैं। इसी मध्य राज्य में लम्बे विचार विमर्श के पश्चात् सहकारी विभाग द्वारा किसान कार्ड योजना को लागू करने के लिये आवश्यक दिशा-निर्देश अपने पत्र दिनांक 5-3-99 के द्वारा जारी किये गये।

किसान क्रेडिट कार्ड योजना अपने आप में एक अभिनव प्रयास है एवं जैसा कि नाबार्ड ने भी पूर्व में योजना प्रसारित करते हुए माना है, अनुभव के आधार पर समय-समय पर संशोधन कर योजना को परिष्कृत करते हुए उसे और अच्छे रूप में अपनाया जाना ही सभी का प्रयास होना चाहिए। किसान क्रेडिट कार्ड योजना का मूल उद्देश्य किसानों को उसकी स्वीकृत साख सीमा के अन्तर्गत वह जब चाहे तक ऋण उपलब्ध करवाना तथा जब चाहे, ऋण का चुकारा बिना किसी कागजी कार्यवाही के करना है। फलतः किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अन्तर्गत मोटे तौर पर यह व्यवस्था है कि ऋणी की पात्रता निर्धारित कर दी जावे तथा एक निश्चित समयावधि में ऋणी को उस पात्रता के अन्तर्गत लेन-देन करने की स्वीकृति प्रदान कर दी जावें। मोटे तौर पर यही स्थिति राजस्थान में गंगानगर पैटर्न के अन्तर्गत केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा पूर्व में ही अपनायी हुई है। नाबार्ड को किसाना क्रेडिट कार्ड योजना के अन्तर्गत कुछ व्यावहारिक कठिनाईयां हैं, उदाहरणार्थ, सम्बन्धित ऋणी के खाते को पूर्णतः कैश क्रेडिट व्यवस्था के अन्तर्गत परिचालित करना मांग के निर्धारण की जटिल व्यवस्था का होना, मौसमी अनुशासन को एक तरह से समाप्त कर दिया जाना, देय तिथि की प्रथा को समाप्त किया जाना आदि। नाबार्ड द्वारा जारी की गयी योजना के अन्तर्गत किसान क्रेडिट कार्ड में वे ही सदस्य ऋण प्राप्त करने के अधिकारी हैं, जिनके पास चिरस्थायी सिंचाई के साधन उपलब्ध है एवं योजना के अन्तर्गत 5000/- रू. से अधिक की पात्रता वाले ऋणी किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अन्तर्गत सम्मिलित किये जा सकते हैं।

उपरोक्त परिस्थितियों में विभिन्न स्तरों पर चर्चा के पश्चात् यह महसूस किया गया है कि राजस्थान राज्य में किसान क्रेडिट कार्ड योजना को

इस प्रकार संशोधित तरीके से परिचालित किया जावे कि राज्य के काश्तकारों को जहां एक ओर क्रेडिट कार्ड से सम्बन्धित लाभ उपलब्ध हों, वहीं दूसरी ओर अल्पकालीन कृषि ऋण से जुडे मूलभूत अनुशासनों/पहलुओं जैसे मौसमी अनुशासन, देय तिथि का निर्धार को भी सुनिश्चित किया जा सके। क्योंकि राजस्थान राज्य मूलतः मोनोक्रोप एरिया है, यहां पर मल्टीक्रोप एरिया बहुत कम है। अतः किसान कार्ड योजना में उपलब्ध करायी गयी सुविधा का दुरूपयोग न हो, यह भी सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। फलतः यह निश्चय किया गया है कि राजस्थान में पूर्व से प्रचलित गंगानगर पैटर्न के परिचालन में जो कमियां महसूस की गयी है, उन्हें दूर करते हुए क्रेडिट कार्ड की मूल आवश्यकताओं को उसमें समाहित करते हुए ऋण वितरण/वसूली की व्यवस्था को निर्धारित किया जावे। फलतः माह जुलाई, 2000 से रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान सरकार, जयपुर द्वारा अपने पत्र दिनांक 5-3-99 से जारी किये गये दिशा-निर्देशों को आंशिक रूप से संशोधित रूप से संशोधित करते हुए निम्न प्रकार से प्रसारित किये जाते हैं :-

(1) सदस्यों के खातें

किसान क्रेडिट कार्ड योजना में गंगानगर पद्वति के अनुसार प्रत्येक सदस्य का ऋण खाता समिति एवं बैंक की शाखा, दोनों स्तर पर रखा जावेगा जिसमें सदस्य का नाम, पिता का नाम, जाति, गांव, फसलवार स्वीकृत साख सीमा, देय तिथि, ऋण राशि मय विवरण दिनांक, बकाया ऋण, अवधिपार ऋण, ब्याज, हिस्सा राशि व जमा अमानत का पूर्ण विवरण होगा।

(2) भूमि का विवरण

वर्तमान पद्वति के अनुसार समिति स्तर पर प्रत्येक सदस्य का भूमि का विवरण क्षेत्रीय पटवारी से प्रमाणित करवाकर रखा जावेगा, जिसकी एक प्रति बैंक शाखा को भी उपलब्ध करवाई जावेगी। किसी भी सदस्य की भूमि धारक्ता में कोई भी परिवर्तन होने पर विशेष रूप से सदस्य के स्वामित्व की

भूमि में किसी भी प्रकार कमी होने पर उसकी तत्काल सूचना बैंक की शाखा को देने का उत्तरदायित्व समिति व्यवस्थापक का होगा।

(3) साख सीमा

सहकारी विभाग/शीर्ष बैंक एवं जिला स्तरीय तकनीकी समिति से निर्धारित मानदण्डों के अनुसार प्रत्येक सदस्यों की अल्पकालीन ऋण की फसलवार साख सीमा (नकद एवं जींस) तैयार कर समिति के संचालक मण्डल द्वारा स्वीकृत की जाकर बैंक से स्वीकृत करवाई जायेगी। साख सीमा आवेदन पत्र की एक प्रति बैंक शाखा को उपलब्ध करवाई जावेगी, जिसके आधार पर बैंक शाखा के स्तर पर सम्बन्धित सदस्यों के खातों में विवरण अंकित किया जायेगा। ऐसी स्वीकृत साख सीमा की एक प्रति समिति के रिकार्ड में भी व्यवस्थित रखी जावेगी। सदस्यवार साख सीमा 3 वर्ष के लिये निर्धारित की जावेगी एवं इसकी वार्षिक समीक्षा की जावेगी जिस दौरान साख सीमा में वृद्धि/कमी, यहां तक की साख सीमा का निरस्त्रीकरण भी सम्भव है। सदस्य की भूमि धारकता में परिवर्तन होने अथवा फसलवार मापदण्डों में संशोधन होने पर तदनुसार साख सीमा पुर्ननिर्धारण की जा सकेगी। इस उद्देश्य हेतु वर्ष से तात्पर्य अप्रेल-मार्च होगा। विशेष परिस्थिति में यदि अवधि समाप्त होने के पश्चात् साख सीमा का पुर्ननिर्धारण नहीं किया जा सका तो समिति/बैंक प्रस्ताव पारित कर पूर्व में निर्धारित साख सीमा को एक निश्चित अवधि तक मान्य करने हेतु आवश्यक निर्णय ले सकती है।

(4) क्रेडिट कार्ड व परिचय-पत्र

बैंक शाखा एवं समिति से लेन-देन करने वाले प्रत्येक सदस्य को बैंक शाखा से नियमानुसार एक सहकारी किसान कार्ड उपलब्ध करवाया जावेगा।

(5) इस कार्ड पर सदस्य का प्रमाणित फोटो लगाया जावेगा। प्रत्येक लेन देने का इन्द्राज कार्ड पर अनिवार्य रूप से किया जावेगा। प्रत्येक लेन-देन के समय कार्ड लाना आवश्यक होगा। कार्ड के अभाव में लेन-देन की अनुमति नहीं

दी जावेगी तथा कार्ड खो जाने पर सम्बन्धित सदस्य के आवेदन पर नियमानुसार/रूपये पांच का शुल्क जमा कराकर डुप्लीकेट कार्ड जारी किया जा सकेगा। डुप्लीकेट कार्ड का उल्लेख सदस्य के खाते में अनिवार्य रूप से किया जावेगा। डुप्लीकेट कार्ड पर लाल स्याही में डुप्लीकेट कार्ड भी लिखा जावेगा। कार्ड प्राप्ति के परिणामस्वरूप कार्ड पंजिका में सदस्य के हस्ताक्षर कराये जावेंगे।

बैंक शाखा स्तर पर निर्धारित प्रारूप में प्रत्येक सदस्य का एक परिचय पत्र भी रखा जावेगा। परिचय पत्र में सदस्य का नाम, पिता का नाम, जाति, सम्बन्धित समिति का नाम एवं सदस्य के फोटो के साथ उसके नमूना हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी भी प्रमाणित होंगे। परिचय पत्र शाखा प्रबन्धक (बैंक) की अभिरक्षा में रहेंगे। प्रत्येक भुगतान के समय कार्ड एवं परिचय पत्र से मिलान कर सन्तुष्ट होना शाखा प्रबन्धक का दायित्व होगा।

प्रत्येक सहकारी किसान कार्ड व परिचय पत्र पर सदस्य की फोटो इस प्रकार चिपकाई जावें कि फोटो से ऋणी की पहचान हो सके। परिचय पत्र व कार्ड पर लगने वाले फोटो समान होने चाहिए। फोटो प्रमाणीकरण के हस्ताक्षर ऐसे होने चाहिए, जो आधे फोटो पर व आधे कार्ड पर अंकित हों।

(6)　**बैंक बुक**

समिति के प्रत्येक सदस्य को स्वीकृत साख सीमा अन्तर्गत ऋण प्राप्त करने के उद्देश्य से बैंक शाखा द्वारा एक चैक बुक नियमानुसार जारी की जावेगी, जिसका रिकार्ड शाखा स्तर पर रखा जावेगा। चैक बुक जारी करने से पूर्व चैक बुक ईश्यू रजिस्टर में इन्द्राज किया जाकर सम्बन्धित सदस्य के प्राप्तिस्वरूप हस्ताक्षर/अंगूठा करायें जावेंगे। सदस्य के व्यक्तिगत खातों में इन चैकों का विवरण अंकित किया जावेगा तथा भुगतान करते समय चैकों का मिलान जारी किये गये नम्बरों से किया जावेगा। सहकारी किसान कार्ड से सम्बन्धित चैक बुक का शाखा स्तर पर पृथक से समिति/सदस्यवार रजिस्टर रखा जावेगा। चूंकि योजना के अन्तर्गत चैक वास्तव में चैक न होकर लोन पे-

ऑर्डर होगा तथा ऐसे चैक नेगोशिएबल इन्स्ट्रमेन्ट एक्ट के अनतर्गत नेगोशियेबल इन्स्ट्रमेन्ट भी नहीं होगा। अतः प्रत्येक चैक पर नियमानुसार एक मोहर लगाई जावेगी :-

"अल्पकालीन फसली ऋणों के लिये स्वीकृत नियमों के अन्तर्गत प्रयोग हेतु"

साथ ही चैक पर अहस्तांतरणीय भी लिखा होगा। समिति द्वारा अपने सदस्यों को चैक बुक जारी करने हेतु प्रस्ताव पारित कर निवेदन करने पर ही चैंक बुक जारी की जावेगी, जो एक बार ही होगा अर्थात् बार-बार चैक बुक जारी करने के समय ऐसे प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं होगी।

नकद राशि के चैकों का भुगतान समिति के सदस्यों को बैंक शाखा में क्रेडिट कार्ड सहित स्वयं उपस्थित होने पर सीधा ही किया जावेगा। जींस (बी कम्पोनेन्ट) हेतु ऋण प्राप्त करने के लिये समिति कार्यालय में सदस्य को क्रेडिट कार्ड सहित उपस्थित होकर वांछित जींस के मूल्य का चैक समिति व्यवस्थापक को देने पर समिति व्यवस्थापक द्वारा सदस्य को जींस उपलब्ध करवा दी जावेगी। जो जींस समिति के पास उपलब्ध नहीं होगी, उसके लिये समिति व्यवस्थापक क्षेत्र की क्रय विक्रय सहकारी समिति या अन्य ग्राम सेवा सहकारी समिति या इस उद्देश्य हेतु समिति द्वारा विधिवत् अधिकृत किये गये विक्रेता के पक्ष में कूपन जारी कर जींस उपलब्ध कराई जावेगी। कूपनधारी सदस्य जींस प्राप्त करने हेतु कूपन के साथ किसान कार्ड व जींस राशि का चैक समिति को प्रस्तुत करेंगे। कूपन पर माल (जिन्स) उपलब्ध कराते समय क्रय विक्रय ग्राम सेवा सहकारी समिति/अधिकृत विक्रेता (केवल डीजल हेतु) द्वारा किसान कार्ड भाग संख्या 3 में इन्द्राज किया जावेगा व जींस के उधार बिल की एक प्रति सदस्य को एवं दूसरी प्रति भुगतान हेतु ग्राम सेवा सहकारी समिति को प्रेषित करेंगे। जिसका समायोजन समिति व्यवस्थापक द्वारा अपनी किताबों में किया जावेगा तथा इस हेतु सदस्यों से प्राप्त चैक को भुगतान हेतु बैंक को प्रसतुत किया जावेगा। शाखा प्रबन्धक द्वारा ऋण अग्रिम किये जाने पर

प्राप्त राशि का भुगतान समिति व्यवस्थापक द्वारा विक्रेता को रेखांकित चैक या उसके खाते में राशि जमा करवाते हुए किया जावेगा। सदस्यों से प्राप्त चैक एवं जींस के मूल्य की राशि में यदि कहां अन्तर होगा तो तदनुसार आवश्यक जमा खर्च समिति द्वारा अपनी पुस्तकों में किया जावेगा। समिति स्तर से सदस्यों को उपलब्ध कराये गये अंग भाग "ब" का कृषकवार दैनिक विवरण बैंक शाखा स्तर पर समितिवार/सदस्यवार समिति के खातों में जमा खर्च कर किया जावेगा। कूपनस जारी करते समय सदस्य की स्वीकृत साख सीमा, ऋण के अनुपात में हिस्सा राशि जमा करवाना आदि मुद्दों को सुनिश्चित करने का दायित्व समिति व्यवस्थापक का होगा। समिति के सदस्यार्से को अंगभाग "ब" के अन्तर्गत ऋण इस हेतु स्वीकृत साख सीमा के अन्तर्गत उपलब्ध कराया जावेगा किन्तु समय-समय पर शीर्ष बैंक/विभाग के निर्देशों के अन्तर्गत "अ" अंगभाग हेतु स्वीकृत साख सीमा का उपयोग "ब" अंगभाग हेतु भी किया जा सकेगा। किन्तु इस बात का ध्यान रखा जावे कि किसी भी स्थिति में इस सुविधा का दुरूपयोग न होंवे। विशेषकर ऐसी सुविधा उपलब्ध करवाते समय प्राईवेट एजेन्सी से जींस की खरीद न की जावे तथा यह भी सुनिश्चित किया जावे कि जींस वास्तव में कृषक को उसकी फसल की ज़रूरत के अनुरूप है एवं उसे प्राप्त भी हो गया हो। जींस हेतु स्वीकृत साख सीमा को नकद ऋण के रूप में उपलब्ध नहीं कराया जा सकेगा।

(7) **ऋण की देय तिथि**

ऋण की देय तिथि सामान्यत: निम्नानुसार रहेगी :

फसल	ऋण वितरण की अवधि	सदस्य स्तर पर देय तिथि	समिति स्तर पर देय तिथि
खरीफ	1 अप्रेल से 31 अगस्त तक	फरवरी माह का अंतिम दिवस	मार्च माह का अंतिम

फसल	ऋण वितरण की अवधि	सदस्य स्तर पर देय तिथि	समिति स्तर पर देय तिथि
खरीफ	1 अप्रेल से 31 अगस्त तक	फरवरी माह का अंतिम दिवस	मार्च माह का अंतिम
रबी	1 सितम्बर से 31 मार्च तक	मई माह का अंतिम दिवस शुक्रवार	जून माह का अंतिम शुक्रवार

(8) ऋण वितरण एवं ऋण वसूली में अंतराल

प्रत्येक कृषक सदस्य द्वारा गत फसल पर प्राप्त किये गये ऋण का चुकारा किये जाने पर बैंक द्वारा उसे यथाशीघ्र आगामी फसल हेतु ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जाती है किन्तु निर्धारित सात दिवस के अन्तराल का कढ़ाई से पालन किया जाना है।

गंगानगर पैटर्न/किसान क्रेडिट कार्ड/कैश क्रेडिट पैटर्न के अन्तर्गत काश्तकारों को जब चाहे तब ऋण प्राप्त करने एवं जब चाहे तक ऋण का चुकारा करने की सुविधा प्रदान की हुई है किन्तु कई मामलों में यह पाया गया है कि इस प्रकार की सुविधा का कदापि समायोजन के प्रयोजन से, दुरूपयोग किया गया है जिसके अन्तर्गत एक ही सदस्य को 10 या 15 दिन की अवधि में एक से अधिक बार, यहां तक कि कई मामलों में तो 4-5 बार भी उसकी पूरी पात्रता का ऋण अग्रिम किया गया है तथा अग्रिम किये गये ऋण की पूरी वसूली दर्शायी गयी है। इस प्रकार की कार्यवाही से सहकारी साख को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से कई दुष्परिणामों का सामना करना पड़ता है। ऐसी प्रवृत्ति पर अंकुश लगाये जाने के उद्देश्य से यह तय किया गया है कि भविष्य में प्रस्तावित किसान कार्ड योजना के अन्तर्गत अलपकालीन ऋण, जैसा कि ऊपर दर्शाया गया है, सदस्य द्वारा अपनी सुविधा के अनुसार जब चाहे तब बिन्दुसंख्या 7 में वर्णित ऋण वितरण की अवधि के अन्तर्गत प्राप्त किया जा सकता है तथा जब किसानं के पास आधिक्य हो, ऋण का चुकारा भी जितनी बार चाहे किया जा सकता है, किन्तु किसी एक फसल हेतु ऋण प्रांप्त किये जाने के उपरान्त यदि उस ऋण वितरण अवधि में काश्तकार द्वारा ऋण का

चुकारा किया जाता है तो सम्बन्धित सदस्य उसी फसल हेतु पुनः ऋण प्राप्त नहीं कर सकेगा। उदाहरणार्थ सदस्य की खरीफ की पात्रता के अन्तर्गत सदस्य द्वारा जितनी बार चाहे, अप्रेल से अगस्त तक ऋण प्राप्त किया जाता है किन्तु खरीफ हेतु प्राप्त किये गये ऋण का सदस्य द्वारा 31 अगस्त से पूर्व कभी भी जमा कराया जाता है तो उसके बाद वह सदस्य खरीफ अवधि में पुनः खरीफ ऋण प्राप्त करने के लिए सक्षम नहीं रहेगा।

(9) वचन पत्र

सदस्यों की साख सीमा स्वीकृत होने पर ऋण के इच्छुक प्रत्येक सदस्य को लेन-देन करने हेतु समिति के पक्ष में साख सीमा का एक वचन पत्र (बौण्ड) भरना पड़ेगा। यह वचन पत्र स्वीकृत साख सीमा के तहत प्राप्त ऋण के अंतिम आहरण के चुकारों तक प्रभावी रहेगा। ऐसा आश्वासन वचन पत्र में प्राप्त किया जाना चाहिए। वचन पत्र स्वीकृत साख सीमा की सम्पूर्ण राशि का होगा। यही प्रक्रिया समिति एवं बैंक स्तर की भी बनी रहेगी। चूंकि प्रस्तावित योजना के अन्तर्गत हर बार वचन पत्र प्राप्त किया जाना सम्भव नहीं है, अतः जो डिमाण्ड प्रोमीजरी नोट लिया जावे, उसी में यह भी अंकित किया जावे कि स्वीकृत साख सीमा के अन्तर्गत निर्धारित फसल के लिये सदस्य/समिति द्वारा जो ऋण प्राप्त किया जावेगा, उसका चुकारा उस फसल हेतु निर्धारित देय तिथि यानि खरीफ के लिये फरवरी/मार्च तथा रबी के लिये मई/जून तक कर दिया जावेगा अन्यथा सम्बन्धित फसल के लिये लिया हुआ ऋण अवधिपार माना जावेगा।

समिति ने संचालक मण्डल द्वारा एक प्रस्ताव पारित कर पदाधिकारीगण को समिति की ओर वचन पत्र भरने के लिये अधिकृत किया जावेगा, अर्थात् साख सीमा स्वीकृत किये जाने की स्थिति में पूरी राशि का नया वचन पत्र समिति/बैंक को उपलब्ध कराया जावेगा।

(10) ब्याज की गणना

ऋणों पर समितियों तथा सदस्यों के समय-समय पर निर्धारित पृथक-पृथक दरों से ब्याज वसूल किया जावेगा। सदस्यों से ऋण वसूली के समय

ब्याज की गणना ऋण वितरण दिनांक से प्रोडक्ट ज्ञात कर की जायेगी एवं पहले ब्याज एवं उसके पश्चात् मूल ऋण राशि वसूल की जायेगी। वार्षिक खाताबन्दी के समय सदस्यों से वसूल योग्य ब्याज की समिति स्तर पर गणना कर मूल एवं वसूल योग्य ब्याज अलग-अलग दर्शाया जायेगा। गणना किये गये ब्याज की सदस्यवार सूचना, अवधिपार में डाली गई राशि सहित बैंक शाखा को अनिवार्य रूप से भेजी जायेगी। नियमानुसार देय तिथि तक सम्पूर्ण ऋण एवं ब्याज जमा नहीं करवाने पर दण्डनीय ब्याज भी समिति/शाखा द्वारा वसूल किया जावेगा।

बैंक स्तर पर दैनिक बकाया के आधार पर (प्रोडक्ट ज्ञात कर) अर्द्धवार्षिक गणना कर समिति की ओर वसूल योग्य ब्याज दिखाया जायेगा। वर्तमान में भी यही प्रक्रिया जारी है।

(III) दैनिक लेन-देन सम्बन्धी प्रविष्टियों की सूचना भिजवाना व मिलान करना

बैंक स्तर पर संधारित सदस्यों के खातों में सीधे हुए दैनिक लेन-देन की सूचना निर्धारित प्रारूप बैंक शाखा द्वारा समिति को उपलब्ध कराई जायेगी ताकि समिति स्तर की पुस्तकों में आवश्यक प्रविष्टियां साथ-साथ होती रहे। इसी प्रकार समिति स्तर की खाद-बीज, डीजल इत्यादि के लेन-देन की सूचना सदस्यवार निर्धारित प्रारूप में समिति व्यवस्थापक द्वारा बैंक एवं समिति स्तर/समिति स्तर पर सम्बन्धित सदस्यों के खातों में दैनिक प्रविष्टियों की जावेगी। सदस्य द्वारा/पर नकद जमा कराये जाने पर समिति व्यवस्थापक द्वारा उसे रसीद दी जावेगी, जिसकी सूचना निर्धारित प्रारूप में बैंक में राशि जमा करवाने पर उनका जमा खर्च बैंक की किताबों में व सदस्यों के खातों में कर दिया जावेगा। इनका (प्रविष्टियों) समायोजन हर 15 दिन बाद पाक्षिक रूप से नियमित किया जाता रहेगा। दोनों स्तर पर रखे गये खातों का अर्द्धवार्षिक (फरवरी एवं सितम्बर माह में) मिलान कर शाखा प्रबन्धक से प्रमाण-पत्र प्राप्त करने का दायित्व समिति व्यवस्थापक का होगा। समिति एवं बैंक शाखा स्तर पर लेखों में कोई भी अन्तर पाये जाने पर समिति व्यवस्थापक उत्तरदायी होगा।

(12) वर्तमान में केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा लागू कृषक मित्र योजना एवं कृषक ज्योति योज़ना में साख सीमाऐं कृषकों की स्वीकृत की गई है, उसका अंकन भी इस हेतु निर्धारित स्थल पर किसान कार्ड में किया जायेगा। जिन कृषकों की एक से अधिक योजनाओं में साख सीमा स्वीकृत है, उनका शाखा स्तर पर खातों का संधारण एक ही स्थान पर रखा जावेगा ताकि कृषक कुल बकाया के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट बनी रहे। योजनाओं के लिए राशि का आहरण निर्धारित प्रक्रिया के तहत किया जावेगा।

(13) **मांग की गणना**

बैंक/समिति स्तर पर उपलब्ध कराये गये खरीफ/रबी फसलों हेतु ऋण की राशि उस अवधि हेतु, पूर्व में बकाया अवधिपार ऋणों को मिलाते हुए, मांग मानी जावेगी। इसी प्रकार किसी विशेष अवधि की मांग का निर्धारण उस अवधि में देय हो रहे ऋणों का योग तथा अवधि प्रारम्भ होने से पूर्व बकाया अवधिपार ऋण को मिलाते हुए मांग की गणना की जावेगी। इसी प्रकार इन ऋणों के पेटे हुई वसूली को वसूली माना जावेगा। ब्याज की मांग की गणना भी उस विशेष अवधि से पूर्व बकाया अवधिपार ब्याज एवं उस विशेष अवधि में देय हो रहे ब्याज की राशि, दोनों के योग को कुल ब्याज की राशि माना जावेगा।

(14) **मौसमी अनुशासन की पालना**

नाबार्ड द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत हर केन्द्रीय सहकारी बैंक को 31 मार्च एवं 30 जून को खरीफ/वर्ष की अल्पकालीन कृषि मांग हेतु निर्धारित प्रतिशत की राशि को वसूल कर शीर्ष बैंक को पठाया जाना होगा। ऐसा नहीं किये जाने की स्थिति में केन्द्रीय सहाकरी बैंकों को एक अप्रेल/एक जुलाई से जब तक यह बैंक निर्धारित मौसमी अनुशासन की पालना नहीं कर लेते, शीर्ष बैंक से नया ऋण अग्रिम नहीं किया जावेगा।

(15) **जमानत**

सहकारी किसान कार्ड योजना के अन्तर्गत सदस्य के पक्ष में स्वीकृत साख सीमा की राशि तक की वर्तमान में ली जा रही दो सदस्यों से प्रतिभूति (जमानत) लिया जाना जारी रहेगा।

गैर सरकारी संस्थानों में सेवा निवृत्ति आयु

506. मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा दिनांक 24 मई, 2004 को अधिसूचना जारी कर राज्य कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति दिनांक 2 मई, 2004 से 58 वर्ष को आयु से बढ़ाकर 60 वर्ष की गई है ? यदि हां, तो अधिसूचना की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि सेवानिवृत्ति आयु 58 वर्ष से 60 वर्ष किए जाने का लाभ स्वायत्त शासी संसथाओं, निगमों तथा बोर्डों के कर्मचारियों को भी प्राप्त हुआ है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा दिनांक 30 जून, 2004 को अधिसूचना जारी कर गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु माह जून, 2004 से 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष की गई है ? यद हां, तो अधिसूचना की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) राज्य कर्मचारी, निगमों तथा बोर्डों के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 58 वर्ष से 60 वर्ष मई, 2004 से की गई है जबकि गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं में सेवानिवृत्ति आयु जून, 2004 से बढ़ाई गई है ? इस एक माह के अन्तर का क्या आधार है ?

(5) क्या सरकार को गैर सरकारी शिक्षण संसथाओं के कर्मचारियों तथा संगठनों के माध्यम से सेवानिवृत्ति आयु माह मई, 2004 से बढ़ाए जाने हेतु अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसे माह मई, 2004 से किए जाने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। राज्य सरकार ने अधिसूचन दिनांक 24-5-2004 के द्वारा राज्य कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु दिनांक 31-5-2004 से 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष की है। अधिसूचना की प्रति संलग्न है।

(वित्त मंत्री)

(2) जी नहीं। अधिसूचना दिनांक 24-5-2004 के द्वारा केवल राज्य कर्मचारियों, पंचायत समिति एवं जिला परिषद के कर्मचारियों एवं कार्य प्रभारित कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु में वृद्धि की गई है। स्वायत्तशासी संस्थाओं, निगमों तथा बोर्डों के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु इन संस्थाओं के अधिशासी निकाय (Executive Body) यथा संचालक मण्डल निश्चित करने के लिए सक्षम हैं।

(3) जी हां। अधिसूचना की प्रति संलग्न है।

(4) जी नहीं। अधिसूचना दिनांक 24-5-2004 के द्वारा केवल राज्य कर्मचारियों, पंचायत समिति एवं जिला परिषद कर्मचारियों और कार्य प्रभारित कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष से 60 वर्ष की गई है। गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं में सेवानिवृत्ति आयु 30 जून, 2004 से 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष की गई है। इन कर्मचारियों की आयु बढ़ाने सम्बन्धी निर्णय की प्रक्रिया में समय लगने के कारण सेवानिवृत्ति आयु वृद्धि के आदेश 30-6-2004 से लागू किये गये है।

(5) अभ्यावेदन प्राप्त हुये है परन्तु मई, 2004 से गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने का विचार नहीं है। भूतलक्षी प्रभाव से सेवानिवृत्ति आयु नहीं बढ़ाई जा सकती।

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

FINANCE DEPARTMENT

(RULES DIVISION)

NOTIFICATION

No.F1(6)FD/Rules/98 Jaipur,dated : 24 May, 2004

In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor hereby makes the following

rules further to amend the Rajasthan Service Rules, 1951, namely :-

1. These rules may be called the Rajasthan Service (Amendment) Rules, 2004.

2. They shall come into force at once.

3. In the aforesaid rules-

   (i) in sub-rule (1) of Rule 8; the existing figure and word '33 years' shall be substituted by the figure and word '35 years'.

   (ii) in Exception 2 appearing below sub-rule (1) of Rule 8, the existing figure and word '40 years' shall be substituted by the figure and word '42 years'.

   (iii) below existing Exception 2 of sub-rule (1) of Rule 8 the following new "Exception 3" shall be inserted, namely-

   "Those who crossed the upper age limit after 1.1.1999 shall be eligible further for recruitment in Government service for two year i.e. from 24.5.2004 to 23.5.2006."

   (iv) the existing Rule 56 shall be substituted by the following namely :-

"56, The date of compulsory retirement of a Government servant would be the afternoon of the last day of the month in which he attains the age of 60 years.

Provided that the provisions of age of compulsory retirement, as contained in this rule, shall not be applicable in the case of Government servants who are in service after attaining the age of compulsory retirement either on re-employment or on extension in service.

Note :- 1. A Government servant whose date of birth is the first of a month shall retire from service in the afternoon of the last day of the preceeding month on attaining the age of sixty years.

2. In case the last day of the month happens to be a closed holiday, even then the Government servant should formally relinquish charge of the office in the afternoon of that day."

By Order of the Governor,
Dy. Govind Sharma
Secretary Finance to the
Government (W)

GOVERNMENT OF RAJATHAN

EDUCATION (GR. V) DEPARTMENT

No. F.12(1)Edu./5/93 Jaipur, Dated 30-6-2004

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by section 43 of the Rajasthan Non-Government Educational Institutions Act, 1989 and all other powers enabling it in this behalf, the State Government hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Non-Government Educational Institutions (Recognition. Grant-in-aid. and Service Conditions.) Rules, 1993, namely :-

1. **Short title and commencement** :- (1) These Rules may be called the Rajasthan Non-Government Educational Institutions. (Recognition. Grant-in-aid. and Service Conditions etc.) (Amendment) Rules, 2004.

   (2) They shall come into force from 30-6-2004.

2. **Amendment of Rules 45** :- The existing sub-Rule (i) of rule 45 of the Rajasthan Non-Government Educational Institutions (Recognition. Grant-in-aid. and Service Conditions etc.) Rules, 1993, shall be substituted by the following namely-

"(i) The age of superannuation of teachers and other employees shall be the last date of the month in which they attain the age of 60 years. In special circumstances, the Government may waive this condition and allow extension in service for a period not exceeding 2

years for such college teachers. who are engaged in post-graduate teaching or research work. Any other employee of the Institution may also be allowed extension in service upto the age of 62 years by the State Government.

C.B. Sharma
Dy. Secretary to the Govt.
(Hr. Edu.)

तारांकित प्रश्न संख्या-507

(स्थगित)

नवलगढ़ पंचायत समिति (झुंझुनूं) द्वारा चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन

508. **श्रीमती प्रतिभा सिंह** (नवलगढ़) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) पंचायत समिति नवलगढ़ (झुंझुनूं) में दिनांक 1 जनवरी, 2004 से दिनांक 30 जून, 2004 तक कुल कितनी राशि किस-किस मद में प्राप्त हुई एवं कितनी व्यय की गई ?

(2) क्या यह सही है कि पंचायत समिति नवलगढ़ को आबंटित बजट की स्वीकृतियों एवं निर्माण कार्यों जो जनवरी, 2004 से पंचायत समिति के बजट से किए जा रहे हैं, में अनियमितता तथा घटिया निर्माण सामग्री काम में ली जा रही है ?

(3) क्या यह सही है कि निर्माण कार्यों की स्वीकृति में प्रधान के उप चुनावों में लगी आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए चुनाव आचार संहिता के दौरान स्वीकृतियां जारी की गई हैं ?

(4) पंचायत समिति नवलगढ़ में अनियमित स्वीकृतियां, निर्माण में घटिया सामग्री तथा आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले कर्मचारियों एवं अधिकारियों के विरूद्ध सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जनवरी, 200 से 30-6-2004 तक पंचायत समिति नवलगढ़ को मदवार प्राप्त राशि एवं व्यय राशि का विवरण निम्नानुसार है :-

क्रम संख्या	योजना का नाम	प्राप्त राशि	व्यय राशि
1.	सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना	1123887	511672

(ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री)

क्रम संख्या	योजना का नाम	प्राप्त राशि	व्यय राशि
2.	एस.जी.आर.वाई. के अन्तर्गत जिला परिषद से जारी	183200	110000
3.	एस.जी.आर.वाई. के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों हेतु	'2063562	451000
4.	राज्य वित्त आयोग द्वितीय पंचायत समिति हेतु ग्राम पंचायतों हेतु	523088	122750
		3706219	1520000
5.	ग्यारहवा वित्त आयोग ग्राम पंचायतों हेतु	233165	513000
6.	तुल्य अशंदान ग्राम पंचायतों हेतु	834765	834765
7.	सासंद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना	10160000	540000
8.	विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना	410703	740703
9.	मरू विकास कार्यक्रम	50000	5500
10.	प्रधान मंत्री ग्रामोदय ग्रामीण विकास योजना	60000	60000

(2) जी नहीं। पंचायत समिति को आबंटित बजट/राशि के विरूद्ध नियमानुसार योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त दिशा-निर्देशों एवं अनुमोदित वार्षिक कार्य-योजना अनुसार ही स्वीकृतियां जारी कर निर्माण कार्य करवायें जा रहे हैं। कहीं पर भी निर्माण कार्यों पर घटिया निर्माण सामग्री काम में नहीं ली जा रही है। तथा अनियमितता नहीं की गई है।

(ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री)

(3) जी नहीं।

(4) आदर्श चुनाव आचार संविदा का उल्लघंन नहीं हुआ है। अतः कोई कार्यवाही प्रस्तावित नहीं है।

बस्सी (गंगरार) में निर्मित छात्रावास भवन

509. श्री अर्जुन लाल जीनगर (गंगरार) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र गंगरार में समाज कल्याण विभाग द्वारा बस्सी में छात्रावास भवन बना हुआ है ? यदि हां, तो भवन की भौतिक स्थिति क्या है ?

(2) क्या सरकार विभाग द्वारा बनाए गए छात्रावास भवन को आवासीय बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र गंगरार के बस्सी में समाज कल्याण विभाग का छात्रावास संचालित नहीं हो रहा है। ना ही कोई भवन बना हुआ है।

(2) जी नहीं।

राज्य सरकार पर विभिन्न संस्थाओं का बकाया ऋण

510. श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य सरकार पर दिनांक 30 जून, 2004 तक अलग-अलग संस्थाओं/केन्द्र सरकार/अलग-अलग योजनाओं आदि का कितना-कितना ऋण बकाया है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री रामसिंह विश्नोई)

(2) सरकार द्वारा जो कर्ज लिया गया है उसका वार्षिक ब्याज कितना चुकाना पड़ता है ? पिछले 5 वर्षों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार जो ऋण बकाया है उसको कम करने तथा ऋण को एक सीमा में रखने की कोई कार्य योजना बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य सरकार पर 30 जून, 2004 तक केन्द्र सरकार, विभिन्न संस्थाओं तथा लोक लेखों के अन्तर्गत 54403.45 करोड़ रूपये का कर्जा बकाया था। विवरण परिशिष्ट-"क" पर अवलोकनीय है।

(2) गत 5 वर्षों में राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार तथा विभिन्न संस्थाओं को चुकाए गए ब्याज का विवरण निम्नानुसार है

	ब्याज (करोड़ रूपयों में)		
वर्ष	लोक ऋण	लोक लेखें	योग
1999-2000	2021.79	803.42	2825.21
2000-2001	2462.83	876.43	3339.26
2001-2002	2977.23	900.76	3877.99
2002-2003	3390.59	909.55	4300.14
2003-2004 (संशोधित अनुमान)	3899.30	901.09	4800.39

(3) जी हां। "डैट स्वैप" योजना के अन्तर्गत पूर्व में लिये गये मंहगें ऋणों को वर्तमान में प्रचलित ब्याज दरों के ऋणों से स्वैप करने की कार्यवाही

(वित्त मंत्री)

की जा रही है।

"वित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन विधेयक" (Fiscal Responsibility and Budget Management Bill) भी तैयार किया जा रहा है।

परिशिष्ट-"क"

राज्य सरकार पर 30 जून, 2004 को बकाया ऋणों का विवरण

संस्था का नाम	30 जून, 2004 तक बकाया कर्ज
1 आन्तरिक ऋण	
1. बाजार कर्जे	12984.68
2. भारतीय जीवन बीमा निगम	97.05
3. भारतीय साधारण बीमा निगम	94.93
4. राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक	
(अ) ग्रामीण आधारभूत विकास निधि	1057.98
(ब) दीर्घ कालीन प्रवर्तन	29.89
5. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम	37.32
6. आवासन तथा वित्तीय विकास निगम (HDFC)	303.10
7. आवासन तथा नगरीय विकास निगम (HUDCO)	91.61
8. अन्य संस्थाओं से ऋण	621.26

1	2
9. भारतीय रिजर्व बैंक से अध्युपाय अग्रिम	0.00
योग-I-आन्तरिक ऋण :-	15317.82
II-केन्द्र सरकार से ऋण	
1. **गैर आयोजना योजनाएं**	
(अ) अल्प बचत ऋण	16253.55
(ब) अन्य ऋण	578.59
योग-1	**16832.14**
2. आयोजना योजनाएं	6852.41
3. केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं	167.98
4. केन्द्र सरकार से अध्युपाय अग्रिम	0.00
5. 1984-85 से पूर्व के ऋण	457.19
योग-(II) केन्द्र सरकार के ऋण	**24309.72**
III-लोक लेखें	
1. राज्य भविष्य निधि	7762.80
2. बीमा तथा पेंशन निधि	2863.56

1	2
3. आरक्षित निधि	459.83
4. जमा एवं अग्रिम	3689.72
योग-III लोक लेखे	**14775.91**
योग-I, II एवं III	**54403.45**

राजगढ़ नगरपालिका (चूरू) द्वारा कराये गये निर्माण कार्य

511. **श्री नन्दलाल पूनिया** (सादुलपुर) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) नगरपालिका राजगढ़ (चूरू) द्वारा पिछले पांच वर्ष में कितने निर्माण कार्य कितनी-कितनी राशि के कराये गये ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा उक्त कार्यों में किस-किस कार्य का कितना-कितना भुगतान कर दिया गया तथा कितना शेष है ?

(3) उक्त कार्यों में कितने अधूरे कार्य हैं तथा सरकार अधूरे कार्यों को कब तक पूरा करवाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) नगरपालिका, राजगढ़ (चूरू) द्वारा पिछले पांच वर्षों में कुल 551 निर्माण कार्य कराये जाकर कुल राशि 2,06,91,000/- रूपये व्यय की गई है।

(2) नगरपालिका राजगढ़ (चूरू) द्वारा उक्त में से 547 कार्यों को पूर्ण भुगतान कर दिया गया है एवं 4 कार्यों की राशि रू. 1,83,474/- का भुगतान किया जाना शेष है। कार्यवार भुगतान की गई राशि एवं शेष राशि की सूची परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न है।

(स्वायत्त शासन राज्य मंत्री)

(3) उक्त कार्यों में से 10 कार्य अधूरे है, जिन्हें वित्तीय वर्ष 2004-05 में पूर्ण करा लिया जावेगा।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

टोडाभीम के क्षतिग्रस्त एनीकट

512. **श्री बत्तीलाल** (टोडाभीम) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम एवं तहसील नादौती में कितने एनीकट हैं ? उक्त एनीकटों में से कितने एनीकट सही हालत में हैं और कितने टूटे हुए हैं ? क्या सरकार टूटे हुए एनिकटों की मरम्मत कर ठीक करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी हां। विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम की तहसील टोडाभीम में चार एवं तहसील नादौती में दो एनिकट बने हुए है। उक्त छः एनिकटों में से पांच सही हालत में है तथा एक टूटा हुआ है। पंचायत समिति से प्रस्ताव आने पर वर्ष 2005-06 में उक्त एनिकट को ठीक कराने पर विचार किया जावेगा।

राज्य के बन्द कामकाजी महिला छात्रावास

513. **श्री प्रमोद जैन "भाया"** (बारां) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में समाज कल्याण विभाग द्वारा कितनी-कितनी क्षमता के कामकाजी महिला छात्रावासों का निर्माण किस-किस स्थान पर कितनी-कितनी राशि से कराया गया एवं सरकार द्वारा इन्हें किस-किस दिनांक को अपने अधिकार में लिया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उपरोक्त निर्मित कराये गये कामकाजी महिला छात्रावासों में से कौन-कौन से छात्रावास किस-किस दिनांक से किस-किस संस्था या विभाग द्वारा

(श्री प्रमोद जैन "भाया")

प्रारम्भ किये गये एवं कौन-कौन से कामकाजी महिला छात्रावास अभी तक चालू नहीं हुये हैं एवं बन्द ही पड़े हुये हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्तमान में चल रहे कामकाजी महिला छात्रावासों में दिनांक 1 जुलाई, 2004 को छात्रावासवार कितनी-कितनी कामकाजी महिलाएं रह रही हैं ? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) जो कामकाजी महिला छात्रावास अभी तक विभाग द्वारा प्रारम्भ नहीं किये जा सके उसके क्या कारण रहे ? सरकार इन्हें अब कब तक प्रारम्भ कराने का विचार रखती है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) जो कामकाजी छात्रावास बन्द हैं, उनके बन्द रहने के लिये कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं एवं उनकी इस निष्क्रियता से हुये नुकसान के कारण सरकार उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा 11वें वित्त आयोग से प्राप्त राशि (वर्ष 2000-2005) से राज्य में सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से 13 कामकाजी महिला छात्रावासों का निर्माण कराया गया। इन भवनों की आवास क्षमता 25-25 आवासनियों की रखी गई है। भवनों के निर्माण के स्थानों, इनकी अनुमानित लागत, तथा विभाग द्वारा पूर्ण रूप से निर्मित भवनों को कब्जे में लिये जाने का विवरण परिशिष्ट-"अ" पर उपलब्ध है।

(2) निर्मित कराये गये कामकाजी महिला छात्रावासों के बन्द होने, अभी तक चालू नहीं होने अथवा विभाग या संस्था को सौंपे जाने का विवरण परिशिष्ट-"ब" पर उपलब्ध है।

(3) इन छात्रावासों में अभी कोई कामकाजी महिला नहीं रह रही है।

(4) कामकाजी महिला छात्रावासों के संचालन हेतु भारत सरकार को प्रेषित 8 प्रस्तावों का अनुमोदन अभी तक भारत सरकार से प्राप्त नहीं हो पाया है। चूरू, जैसलमेर, राजसमन्द से चयनित योग्य संस्थाओं के प्रस्ताव प्राप्त

(समाज कल्याण मंत्री)

नहीं हुए हैं। करौली एवं झालावाड़ जिलों से प्राप्त चयनित योग्य संस्थाओं के प्रस्तावों का परीक्षण विभागीय स्तर पर किया जा रहा है। माननीय मुख्य मंत्री महोदया द्वारा वर्ष 2004-05 के बजट प्रस्तावों में इन 13 कामकाजी महिला छात्रावासों को वर्ष 2004-05 में प्रारम्भ करने की घोषणा की जा चुकी है।

(5) कामकाजी महिला छात्रावास बन्द रहने के लिये कोई भी अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं है।

परिशिष्ट-"अ"

राज्य में 11वें वित्त आयोग की राशि से निर्मित कराये गये कामकाजी महिला छात्रावासों का विवरण

(राशि लाखों में)

क्र. सं.	स्थान	अनुमानित लागत	समाज कल्याण विभाग द्वारा भवन को अधिकार में लिये जाने का दिनांक
1	2	3	4
1.	बारां	49.77	11-8-2003
2.	बून्दी	49.77	26-7-2004
3.	चूरू	49.77	भवन का निर्माण अभी पुरा नहीं हुआ है। भवन को विभाग द्वारा अभी अधिकार में नहीं लिया गया है।
4.	दौसा	49.77	4-9-2002
5.	धोलपुर	49.77	भवन को विभाग द्वारा अभी अधिकार में नहीं लिया गया है।
6.	डूंगरपुर	49.77	17-7-2004
7.	जालौर	49.77	7-2-2003

1	2	3	4
8.	झालावाड़	49.77	2-8-2003
9.	जैसलमेर	49.77	भवन का निर्माण अभी पुरा नहीं हुआ है। भवन को विभाग द्वारा अभी अधिकार में नहीं लिया गया है।
10.	करौली	49.77	7-7-2004
11.	राजसमन्द	49.77	भवन को विभाग द्वारा अभी अधिकार में नहीं लिया गया है।
12.	सीकर	49.77	1-2-2003
13.	सवाईमाधोपुर	49.77	12-5-2004

परिशिष्ट-"ब"

कामकाजी महिला छात्रावासों के विभाग या संस्था द्वारा प्रारम्भ किये जाने अथवा छात्रावास अभी तक प्रारम्भ नहीं होने/ बन्द पड़े होने का विवरण

क्र. सं.	स्थान	संस्था या विभाग का नाम जिसे भवन सोपा गया	छात्रावास प्रारम्भ करने की तिथि	छात्रावास चालू नहीं होने अथवा बन्द पड़े होने का कारण
1	2	3	4	5
1.	बारां	समाज कल्याण विभाग बारां के कब्जे में है।		उचित योग्य संस्थाओं के प्रस्ताव भारत सरकार को अनुमोदन हेतु भेजे गये है। अनुमोदन

1	2	3	4	5
				प्राप्त होने पर ही छात्रावास प्रारम्भ कराने की कार्यवाही की जायेगी।
2.	बून्दी	भवन को अभी तक विभाग द्वारा कब्जे में नहीं लिया गया।		उचित योग्य संस्थाओं के प्रस्ताव भारत सरकार को अनुमोदन हेतु भेजे गये है। अनुमोदन प्राप्त होने पर ही छात्रावास प्रारम्भ कराने की कार्यवाही की जायेगी।
3.	चूरू	भवन का निर्माण अभी पुरा नहीं हुआ है। भवन को विभाग द्वारा अभी तक कब्जे में नहीं लिया गया है।		भवन अभी निर्माणाधीन है।
4.	दौसा	समाज कल्याण विभाग दौसा के कब्जे में है।		उचित योग्य संस्थाओं के प्रस्ताव भारत सरकार को अनुमोदन हेतु भेजे गये है। अनुमोदन

1	2	3	4	5
				प्राप्त होने पर ही छात्रावास प्रारम्भ कराने की कार्यवाही की जायेगी।
5.	धौलपुर	भवन को विभाग द्वारा अभी तक कब्जे में नहीं लिया गया है।		भवन का कब्जा अभी सार्वजनिक निर्माण विभाग से लिया जाना है।
6.	डूंगरपुर	समाज कल्याण विभाग डूंगरपुर के कब्जे में है।		उचित योग्य संस्थाओं के प्रस्ताव भारत सरकार को अनुमोदन हेतु भेजे गये है। अनुमोदन प्राप्त होने पर ही छात्रावास प्रारम्भ कराने की कार्यवाही की जायेगी।
7.	जालौर	समाज कल्याण विभाग जालौर के कब्जे में है।		उचित योग्य संस्थाओं के प्रस्ताव भारत सरकार को अनुमोदन हेतु भेजे गये है। अनुमोदन प्राप्त होने पर ही

1	2	3	4	5
				छात्रावास प्रारम्भ कराने की कार्यवाही की जायेगी।
8.	झालावाड़	उधानिकी एवं वानिकी महाविद्यालय झालावाड	20-7-2004 को विभाग द्वारा कब्जा सौंपा गया प्रवेश प्रक्रिया महाविद्यालय द्वारा प्रारम्भ की जा रही है।	
9.	जैसलमेर	भवन का निर्माण अभी पुरा नहीं हुआ है। भवन को विभाग द्वारा अभी तक कब्जे में नहीं लिया गया है।		भवन अभी निर्माणाधीन है।
10.	करौली	समाज कल्याण विभाग करौली के कब्जे में है।		जिले से योग्य संस्था का प्रस्ताव ..ाप्त हुआ है। इसका परीक्षण कर भारत सरकार को अनुमोदन हेतु भेजे जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

1	2	3	4	5
11.	राजसमन्द	भवन को विभाग द्वारा अभी तक कब्जे में नहीं लिया गया है।		भवन का कब्जा अभी सार्वजनिक निर्माण विभाग से लिया जाना है।
12.	सीकर	समाज कल्याण विभाग सीकर के कब्जे में है।		उचित योग्य संस्थाओं के प्रस्ताव भारत सरकार को अनुमोदन हेतु भेजे गये है। अनुमोदन प्राप्त होने पर ही छात्रावास प्रारम्भ कराने की कार्यवाही की जायेगी।
13.	सवाईमाधोपुर	समाज कल्याण विभाग सवाईमाधोपुर के कब्जे में है।		उचित योग्य संस्थाओं के प्रस्ताव भारत सरकार को अनुमोदन हेतु भेजे गये है। अनुमोदन प्राप्त होने पर ही छात्रावास प्रारम्भ कराने की कार्यवाही की जायेगी।

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा ट्रान्सफार्मर्स की मरम्मत पर व्यय

514. श्री कन्हैया लाल मीणा (बस्सी) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य के विद्युत वितरण निगमों द्वारा विद्युत डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की मरम्मत कहां-कहां करवाई जाती है ?

(2) वर्ष 1999 से अब तक कुल कितने विद्युत डिस्ट्रीब्यूशन ट्रान्सफार्मर की मरम्मत/रिपेयर कौन-कौन सी एजेन्सी/फर्म से करवाई गई ? फर्म/कम्पनीवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. द्वारा मरम्मत कराए गए विद्युत् प्रसारण ट्रान्सफार्मर आए दिन जल जाते हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) ज़यपुर जिले के किस-किस नम्बर के कुल कितने ट्रांसफार्मर्स को गत पांच वर्षों कें दौरान जलने पर कितनी बार रिपेयर करवाया गया एवं उन पर कितनी राशि व्यय की गई ?

उत्तर

(1) वर्तमान में विद्युत वितरण निगमों द्वारा विद्युत वितरण ट्रांसफार्मरों की मरम्मत जिन फर्मों से करायी जाती है उनकी सूची परिशिष्ट-"अ" पर उपलब्ध है।

(2) वर्ष 1999 से माह जून, 2004 तक कुल 130402 विद्युत वितरण ट्रांसफा़र्मर की मरम्मत/रिपेयर करवाई गई है। फर्म/कम्पनीवार तथा वर्षवार सूची परिशिष्ट-"ब" पर उपलब्ध है।

(3) जी नहीं।

(4) किसी भी नम्बर के ट्रांसफार्मर को दो बार से अधिक ठीक नहीं करवाया जाता है। जयपुर जिले के पिछले 5 वर्षों (वर्ष 1999-2000) से 2003

-04 तक) के दौरान रिपेयर करवाये गये वितरण ट्रासंफार्मरों की सूची प्रपत्र-"स" पर संलग्न है। इन पर कुल 15.06 करोड़ रूपये की राशि व्यय की गई।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

अजमेर नगर परिषद् में कार्यरत सफाई कर्मी

515. **श्रीमती अनिता भदेल** (अजमेर-पूर्व) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) अजमेर नगर परिषद में प्रशासनिक अधिकारियों व अन्य कर्मचारियों के कुल कितने-कितने पद कितने समय से रिक्त हैं ?

(2) क्या सरकार इन पदों को भरने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) अजमेर नगर की गत दस वर्षों से बढ़ रही जनसंख्या के अनुपात में क्या सरकार सफाई कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कितनी, कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) नगर परिषद अजमेर में प्रशासनिक अधिकारियों व अन्य कर्मचारियों के कुल 421 पद रिक्त है। रिक्त पदों की सूची संलग्न हैं।

(2) वर्तमान में वित्त विभाग द्वारा नवीन नियुक्तियों पर प्रतिबन्ध है। प्रतिबन्ध हटने के बाद नगर परिषद की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए इन पदों को भरने का निर्णय लिया जावेगा।

(3) जी हां। मानदण्डों के अनुसार सफाई कर्मियों की भर्ती की कार्यवाही, भर्ती पर प्रतिबन्ध हटने के बाद आवश्यकता एवं नगर परिषद की आर्थिक स्थिति को देखते हुए की जावेगी।

नगर परिषद, अजमेर में प्रशासनिक अधिकारी व अन्य कर्मचारियों के रिक्त पदों की सूची

क्र. सं.	पद का नाम	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त		कब से रिक्त है
1.	स्वास्थ्य अधिकारी	1	-	1		12.12.01
2.	अग्निशमन अधिकारी	1	-	1		29.2.01
3.	कनिष्ठ अभियन्ता सिविल	8	5	3	1.	31.5.01
					1.	28.2.04
					1.	16.7.03
4.	सफाई निरीक्षक द्वितीय	4	1	3	1.	31.3.97
					1.	9.11.2000
					1.	19.7.2000
5.	कम्पाउन्डर	1	-	1	1.	31.10.2001
6.	ड्राफ्टमैन	2	1	1	1.	1.4.97
7.	फायरमैन	48	16	32	1.	19.12.99
					1.	29.2.04
					1.	16.3.2000
					1.	19.12.99
					1.	10.11.96
					1.	22.7.98
					1.	20.11.96
					1.	31.1.04

1	2	3	4	5	6	7
					1.	28.12.02
					2 3 पद फायरमेन के अन्य पालिकाओं से चुंगी अधिशेष को समायोजित के आदेश निदेशालय द्वारा किए गए किन्तु ड्यूटी ज्वाई नहीं की (19.11.01 व 7.3.02 के आदेश)	
8.	कार्यालय अधीक्षक	2	-	2	-	31.3.95
					-	30.6.03
9.	कार्यालय सहायक	10	-	10	2.	31.3.99
					1.	30.11.99
					1.	30.7.2000
					1.	31.1.2001
					1.	30.6.97
					1.	31.5.2000

1	2	3	4	5	6	7
					1.	11.11.2000
					1.	31.8.03
					1.	22.9.2000
10.	वरिष्ठ लिपिक	31	23	8	1.	30.8.02
					1.	31.7.02
					1.	1.3.03
					1.	31.1.04
					4.	28.12.02
11.	कनिष्ठ लिपिक	63	59	2	1.	23.1.03
					1.	7.7.03
12.	लेखा लिपिक	1	-	1	1.	18.9.79
13.	कनिष्ठ लेखाकार	3	2	1	1.	2.8.95
14.	वाहन चालक फायर	15	7	8	1.	31.7.01
					1.	31.10.03
					1.	30.11.02
					1.	31.7.02
					1.	31.10.03
					3.	31.1.98
15.	वाहन चालक ट्राम्बे	34	15	19	1.	30.11.2000
					1.	30.9.99

1	2	3	4	5	6	7
					1.	7.6.97
					1.	30.11.02
					1.	7.8.2000
					1.	31.7.99
					1.	31.3.2000
					1.	25.8.98
					1.	6.6.2000
					1.	12.4.99
					1.	31.7.01
					1.	22.11.94
					2.	31.3.95
16.	सहायक विद्युत निरीक्षक	3	2	1	1.	30.9.2001
17.	निजी सहायक	1	-	1	1.	31.5.90
18.	जमादार	43	31	12	1.	31.3.96
					1.	31.7.95
					1.	30.6.97
					1.	31.7.97
					1.	30.6.98
					1.	31.7.98
					1.	30.6.96

1	2	3	4	5	6	7
					1.	31.7.2000
					1.	30.6.99
					1.	30.6.99
					1.	5.5.2000
					1.	31.1.2004
19.	चौकीदार	17	15	2	1.	30.6.01
					1.	30.6.02
20.	चपरासी	49	46	3	1.	31.5.02
					1.	31.5.03
					1.	30.4.03
21.	नाकागार्ड	1	-	1	1.	26.2.02
22.	खाती	1	-	1	1.	31.1.01
23.	फिटर	3	2	1	1.	26.12.01
24.	लौहार	1	-	1	1.	8.8.99
25.	माली	33	23	10	1.	30.6.2000
					1.	31.3.2001
					1.	31.7.2001
					1.	31.3.2002
					1.	30.6.2002
					1.	31.3.03

1	2	3	4	5	6	7
					1.	30.6.03
					1.	30.6.04
26.	सफाई कर्मचारी	1180	922	258	1.	31.3.98 से 30.6.04
27.	विद्युत हेल्पर	31	25	6	1.	9.7.98
					1.	13.1.01
					1.	23.6.2000
					1.	30.11.03
					1.	31.8.03
					1.	8.6.02
28.	हेल्पर (डिस्पेंसरी)	7	3	4	1.	12.12.97
					1.	30.6.01
					1.	12.12.98
29.	वार्ड बॉय	5	4	1	1.	31.1.03
30.	मेट	5	3	2	1.	31.10.01
					1.	30.4.04
31.	मेसन	1	-	1	1.	30.4.03
32.	बेलदार	65	60	5	1.	30.4.01
					1.	31.10.01
					1.	30.4.04

1	2	3	4	5	6	7
					1.	30.6.04
33.	प्रोसेसरवर	7	5	2	1.	30.6.98
					1.	31.5.02
34.	जमादार पशुग्रह	1	-	1	1.	31.1.04
35.	अर्दली	2	-	2	1.	30.6.2001
					1.	30.6.02
36.	गैगमेन	13	11	2	1.	30.6.2000
					1.	30.6.2001
37.	मलेरिया कुली	6	4	2	1.	30.6.97
					1.	30.6.04
38.	मशीन मेन	1	-	1	1.	31.5.99
39.	दफ्तरी	2	1	1	1.	31.5.99
40.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	26	25	1	1.	31.1.03
41.	लेखाकार	2	1	1	1.	23.5.97
42.	सबनाकेदार	4	3	1	1.	31.3.2000
43.	भिक्षती	39	34	4	1.	30.6.01
					2.	30.6.02
	योग			421	1.	27.11.03

आयुक्त
नगर परिषद, अजमेर

अतारांकित प्रश्नोत्तर

राजस्व मण्डल में निगरानी दायर करने पर वसूली जाने वाली राशि

765. श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि स्टाम्प एक्ट में कलक्टर, मुद्रांक के निर्णय के विरूद्ध राजस्व मण्डल में निगरानी दायर करने से पूर्व वसूली जाने वाली राशि की आधी राशि पहले जमा कराने के प्रावधान को पूर्व में उच्च न्यायालय द्वारा समाप्त कर दिया गया था ? यदि हां, तो कब ?

(2) क्या यह भी सही है कि अब भी नए स्टाम्प एक्ट में उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना कर पूरी राशि वसूल की जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त विसंगति को समाप्त करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। माननीय उच्च न्यायालय की डी.बी. जोधपुर द्वारा डी.बी. सिविल रिट याचिका 3478/2000 व अन्य 21 रिट याचिकाओं में पारित निर्णय दिनांक 12-12-2000 के द्वारा राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1952 की धारा 56 (1) में राजस्थान वित्त अधिनियम, 2000 के द्वारा रिवीजन के लिए बकाया राशि की 50 प्रतिशत राशि जमा कराने के सम्बन्ध में किये गये संशोधन को इस आधार पर स्ट्रक डाउन कर दिया गया कि संशोधन के लिए महामहिम राष्ट्रपति जी की सहमति प्राप्त की गई थी।

(2) जी नहीं। राज्य में नया स्टाम्प एक्ट राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 पर महामहिम राष्ट्रपति महोदय की सहमति प्राप्त की गई है। उक्त अधिनियम की धारा 65 में कलक्टर (मुद्रांक) के निर्णय के विरूद्ध राजस्व मण्डल में रिवीजन पेश करने के लिए बकाया राशि की 50 प्रतिशत

(वित्त मंत्री)

राशि जमा कराने का प्रावधान है, जो विधि सम्मत् है तथा राज्यहित में है। इसलिए उक्त प्रावधान को हटाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

जयपुर सर्किट हाउस एवं नई दिल्ली राजस्थान हाउस में पूर्व सांसद/विधायकों को ठहरने की सुविधा

766. श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजस्थान हाउस, नई दिल्ली में प्रवास के क्या नियम हैं और किस-किस स्तर के व्यक्तियों को इसमें रियायती दर पर ठहरने की सुविधा है ?

(2) क्या पूर्व सांसद व पूर्व विधायक तथा सेवानिवृत्त अधिकारियों को भी इसमें रियायती दर पर प्रवास की सुविधा है ?

(3) सर्किट हाउस, जयपुर में पूर्व सांसद व पूर्व विधायक तथा सेवानिवृत्त अधिकारियों को रियायती दर पर प्रवास की क्या सुविधा है ?

उत्तर

(1) राजस्थान हाउस, नई दिल्ली एवं राज्य में स्थित समस्त विश्राम भवनों में प्रवास के नियम की प्रति परिशिष्ट-"अ" पर प्रस्तुत है। पात्रता में ग्रुप "ए" के व्यक्तियों को ही निर्धारित अवधि तक रियायती दर पर रूकने की सुविधा है।

(2) राजस्थान हाउस, नई दिल्ली में पूर्व सांसदों तथा सेवानिवृत्त पात्र अधिकारियों को निर्धारित अवधि तक प्रवास की सुविधा अवश्य प्राप्त है, लेकिन यह रियायती दर पर नहीं हैं। पूर्व विधायकों को राजस्थान हाउस, नई दिल्ली में प्रवास की सुविधा प्राप्त नहीं है।

(3) सर्किट हाउस, जयपुर में पूर्व सांसदों तथा सेवानिवृत्त पात्र अधिकारियों को निर्धारित अवधि तक प्रवास की सुविधा अवश्य प्राप्त है,

(सामान्य प्रशासन मंत्री)

लेकिन यह रियायती दर पर नहीं है। पूर्व विधायकों को सर्किट हाउस, जयपुर में प्रवास की सुविधा प्राप्त नहीं है।

परिशिष्ट-"अ"

अनुच्छेद-1

पात्रता

ग्रुप-ए

(सिर्फ राजकीय कार्य से यात्रा पर आने पर एक बार में 7 दिन तथा माह विशेष में 10 दिन, स्थान विशेष पर अन्य कोई नियमित राजकीय आवास धारक नहीं होने स्थान विशेष पर मुख्यालय नहीं होने. तथा स्थानीय निवासी नहीं होने की शर्तों के अध्यधीन निम्नानुसार पात्रता निर्धारित की जाती है)

1. राजस्थान कैडर के अखिल भारतीय सेवाओं (IAS, IPS, IFS) के समस्त अधिकारी।
2. राजस्थान राज्य के वेतन श्रृंखला 10000-15200 या इससे उच्च वेतन श्रृंखला में वेतन प्राप्त करने वाले समस्त अधिकारी।
3. राजस्थान राज्य के समस्त वर्तमान मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण/उप मंत्री/मुख्य सचेतक/उप मुख्य सचेतक
4. राजस्थान राज्य के समस्त वर्तमान संसद सदस्य।
5. राजस्थान राज्य के समस्त वर्तमान विधायक राजकीय कार्य से यात्रा पर आने पर एक बार में/माह विशेष में 7 दिन स्थान विशेष पर अन्य कोई नियमित राजकीय आवास धारक नहीं होने, स्थान विशेष का स्थानीय निवासी नहीं होने की शर्तों के अध्यधीन (लेकिन सर्किट हाउस, जयपुर के लिये अधिकृत नहीं)।
6. राजस्थान राज्य के समस्त वर्तमान जिला प्रमुख (केवल विश्राम भवनों में, राजस्थान हाउस में देय नहीं है)

7. राजस्थान राज्य के समस्त नगर निगमों के वर्तमान महापौर एवं उप महापौर।

8. राजस्थान प्रशासनिक/पुलिस/लेखा/न्यायिक सेवा के प्रशिक्षु अधिकारी। एक बार में एक माह।

9. राजस्थान सरकार की ड्यूटी पर आने वालें सभी पॉयलेट।

10. राजस्थान राज्य के, राज्य स्तरीय उपभोक्ता संरक्षण आयोग एवं समस्त जिला उपभोक्ता मंचों के वर्तमान अध्यक्ष एवं सदस्य।

11. राजस्थान राज्य आयोजना बोर्ड के पूर्णकालिक सदस्य।

12. राजस्थान राज्य के, वक्फ बोर्ड, अल्प संख्यक आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, महिला आयोग, मानवाधिकार आयोग, या राज्य सरकार द्वारा स्थापित अन्य इसी श्रेणी के आयोगों के वर्तमान अध्यक्ष, सचिव एवं सदस्य, सिर्फ राजकीय कार्य से यात्रा पर आने पर एक बार में 7 दिन तथा माह विशेष में 10 दिन, स्थान विशेष पर अन्य कोई नियमित राजकीय आवास धारक नहीं होने, स्थान विशेष पर मुख्यालय नहीं होने तथा स्थानीय निवासी नहीं होने की शर्तों के अध्यधीन।

13. राजस्थान राज्य की, साहित्य अकादमी, संस्कृत अकादमी, उर्दू अकादमी, ब्रज भाषा अकादमी, सिंधी अकादमी, संस्कृती अकादमी, खेल परिषद, लोक जुम्बिश परिषद, राजस्थान गो सेवा आयोग, या राज्य सरकार द्वारा स्थापित अन्य समकक्ष संस्थाओं के अध्यक्ष सिर्फ राजकीय कार्य से यात्रा पर आने पर एक बार में 7 दिन तथा माह विशेष में 10 दिन स्थान विशेष पर अन्य कोई नियमित राजकीय आवास धारक नहीं होने, स्थान विशेष पर मुख्यालय नहीं होने तथा स्थानीय निवासी नहीं होने की शर्तों के अध्यधीन।

14. राजस्थान राज्य के बोर्ड ऑफ सैकेण्ड्री एजूकेशन, लोक सेवा आयोग, राजस्व मण्डल के अध्यक्ष, सचिव एवं सदस्य।

15. राजस्थान राज्य के सर्किट हाउस सेवा के वर्तमान अधिकारी एवं कर्मचारी सिर्फ राजकीय कार्य से यात्रा पर आने पर।

16. राजस्थान राज्य/भारत सरकार/अन्य राज्य सरकार/केन्द्र शासित क्षेत्र के निगमों, बोर्डों, मण्डलों, राजकीय उपक्रमों, स्थानीय निकाय आदि में प्रति नियुक्ति पर पदस्थापित बिन्दु संख्या एक व दो के समस्त अधिकारी।

17. राजस्थान राज्य के समस्त विश्व विद्यालयों के वर्तमान उप कुलपति।

18. राजस्थान राज्य के समस्त राजकीय महाविद्यालयों, चिकित्सा महाविद्यालयों, अभियान्त्रिकी महाविद्यालयों के वेतन श्रृंखला 10000-15200 या इससे उच्च वेतन श्रृंखला में वेतन प्राप्त करने वाले समस्त प्राचार्य, प्राध्यापक एवं अधिकारी।

19. राजस्थान राज्य के समस्त विश्वविद्यालयों की विभिन्न परीक्षायें करवाने परीक्षायें लेने/परीक्षाओं के दौरान निरीक्षण हेतु आने वाले राज्य के समस्त विश्व विद्यालयों एवं उनसे सम्बन्धित (Affiliated or Recognised) विभिन्न महाविद्यालयों के वेतन श्रृंखला 10000-15200 या इससे उच्च वेतन श्रृंखला में वेतन प्राप्त करने वाले समस्त प्राचार्य, प्राध्यापक एवं अधिकारी।

20. राजस्थान राज्य कारधार अधिकरण के अध्यक्ष, सदस्य।

21. राजस्थान उच्च न्यायालय एवं राज्य की न्यायिक सेवा के वेतन श्रृंखला 10000-15200 या इससे उच्च वेतन श्रृंखला में वेतन प्राप्त करने वाले समस्त अधिकारी एवं न्यायाधीश।

22. राजस्थान Flying School जयपुर के वेतन श्रृंखला 10000-

15200 या इससे उच्च वेतन श्रृंखला में वेतन प्राप्त करने वाले समस्त अधिकारी।

23. लोक सभा/विधान सभा चुनावों के लिये चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक निर्धारित क्षेत्राधिकार में।

24. लोक सभा/विधान सभा चुनावों के लिये ड्यूटी पर आने वाले सभी प्रकार के सुरक्षा बलों के वेतन श्रृंखला 10000-15200 या इससे उच्च वेतन श्रृंखला में वेतन प्राप्त करने वाले समस्त अधिकारी।

25. महालेखाकार राजस्थान, जयपुर के वेतन श्रृंखला 10000-15200 या इससे उच्च वेतन श्रृंखला में वेतन प्राप्त करने वाले समस्त अधिकारी।

26. राजस्थान राज्य के राज्य सैनिक कल्याण विभाग एवं जिला सैनिक कल्याण विभाग के वेतन श्रृंखला 10000-15200 या इससे उच्च वेतन श्रृंखला में वेतन प्राप्त करने वाले समस्त अधिकारी।

27. राजस्थान राज्य के समस्त निगमों, बोर्डों, मण्डलों, राजकीय उपक्रमों के, अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी।

28. राजस्थान राज्य के महाधिवक्ता एवं अतिरिक्त महाधिवक्ता।

29. उपरोक्त बिन्दु संख्या 1,2 एवं 21 के समस्त निलम्बित अधिकारी।

30. जिन राज्यों से रेसीप्रोकॅल (Reciprocol) व्यवस्था है उन राज्यों के सांसद विधायक किसी समिति के अध्यक्ष, सचिव या सदस्य के रूप में समिति के साथ राजस्थान की यात्रा पर आने पर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा उस समय दिये जाने वाले निर्देशों के अनुरूप।

31. भारत सरकार के सिर्फ नार्थ ब्लाक/साउथ ब्लाक (North Block/ South Block) नई दिल्ली में स्थित विभिन्न मंत्रालयों से आने वाले अखिल भारतीय सेवाओं (IAS, IPS, IFS) के एवं वेतन श्रृंखला 10000-15200 या इससे उच्च वेतन श्रृंखला में वेतन प्राप्त करने वाले समस्त अधिकारी।

32. राजस्थान लोक सेवा आयोग में साक्षात्कार लेने हेतु आने वाले समस्त विषय विशेषज्ञ।

33. राजस्थान प्रशासनिक/न्यायिक एवं पुलिस सेवा के कनिष्ठ अधिकारीगण (वेतन श्रृंखला 8000-13500) राजकीय कार्य से माह विशेष में 3 दिन।

ग्रुप-बी

(एक बार में 7 दिन तथा माह विशेष में 10 दिन, स्थान विशेष पर अन्य कोई नियमित राजकीय आवास धारक नहीं होने, स्थान विशेष पर मुख्यालय नहीं होने तथा स्थानीय निवासी नहीं होने की शर्तों के अध्यधीन निम्नानुसार पात्रता निर्धारित की जाती है)

1. राजस्थान कैडर के अखिल भारतीय सेवाओं (IAS, IPS, IFS) के समस्त प्रशिक्षु अधिकारी (प्रशिक्षण की पूर्ण अवधि तक)।

2. राजस्थान में प्रशिक्षण प्राप्ति हेतु निर्देशित केन्द्र शास्ति क्षेत्रों (Union Territory) एवं अन्य राज्यों के भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रशिक्षु अधिकारी प्रशिक्षण की अवधि तक।

3. निजी कार्य या अवकाश यात्रा पर आने वाले ग्रुप ए के बिन्दु संख्या 1, 2, 14, 16, 17, 18 एवं 21 पर वर्णित समस्त अधिकारी।

4. निजी कार्य या अवकाश यात्रा पर आने वाले उच्चतम न्यायलय एवं अन्य राज्यों के उच्च न्यायालयों के माननीय न्यायाधीपतिगण।

ग्रुप-सी

(सिर्फ राजकीय कार्य से यात्रा पर आने पर एक बार में 7 दिन तथा माह विशेष में 10 दिन, स्थान विंशेष पर अन्य कोई नियमित राजकीय आवास धारक नहीं होने स्थान विशेष पर मुख्यालय नहीं होने तथा स्थानीय निवासी नहीं होने की शर्तों के अध्यधीन निम्नानुसार पात्रता निर्धारित की जाती है)

1. ग्रुप-ए में बिन्दु संख्या 31 पर वर्णित को छोड़ कर भारत सरकार के अन्य राज्य सरकारों के केन्द्र शासित क्षेत्रों के अखिल भारतीय सेवाओं (IAS, IPS, IFS) के समस्त अधिकारी।

2. ग्रुप-ए में बिन्दु संख्या 31 पर वर्णित को छोड़ कर, भारत सरकार के अन्य राज्य सरकारों के, केन्द्र शासित क्षेत्रों के वेतन श्रृंखला 10000-15200 या इससे उच्च वेतन श्रृंखला में वेतन प्राप्त करने वाले समस्त अधिकारी।

3. राजस्थान की यात्रा पर आने वाले Youth Board के सदस्य।

4. भारत दर्शन हेतु आने वाले अखिल भारतीय सेवाओं (IAS, IPS, IFS) के समस्त प्रशिक्षु अधिकारी।

5. भारतीय सशस्त्र सेना (Army), वायु सेना (Air Force), नौ सैना (Navy), सीमा सुरक्षा बल (BSF), केन्द्रीय सुरक्षा बल (CRPF) National Cadet Core (NCC), सबसिडरी स्पेशल ब्रांच (SSB), केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF), एवं भारत सरकार द्वारा स्थापित अन्य पैरा मिलिटरी सुरक्षा बलों के वेतन श्रृंखला 10000-15200 या इससे उच्च वेतन श्रृंखला में वेतन प्राप्त करने वाले समस्त अधिकारी।

6. केन्द्रीय भू-जल बोर्ड के वेतन श्रृंखल 10000-15200 या इससे उच्च वेतन श्रृंखला में वेतन प्राप्त करने वाले समस्त अधिकारी।

7. आयकर अपील अधिकरण के कार्यरत सदस्य प्रथम सात दिन तथा निरन्तर आवासित रहने पर आगामी सात दिन के लिये

केटरींग सुविधा पहले सात दिनों से दूगुणी दर से तथा आवास पूर्ववत। चौदह दिवस से अधिक आवास सिर्फ ग्रुप-डी की दरों से।

8. अन्य राज्यों, केन्द्र शास्ति क्षेत्रों के समस्त वर्तमान संसद सदस्य (राजस्थान हाउस, नई दिल्ली एवं माउण्ट आबू में अनुज्ञेय नहीं) केवल आवास हेतु तथा केटरिंग सुविधा ग्रुप-डी की दरों से।

9. जनगणना निदेशालय (ग्रुप-ए के बिन्दु संख्या 16 पर वर्णित को छोड़कर) के वेतन श्रृंखला 10000-15200 या इससे उच्च वेतन श्रृंखला में वेतन प्राप्त करने वाले समस्त अधिकारी।

10. केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्य (Max, upto 15 days on request)।

11. राष्ट्रीय सूचना केन्द्र/National Informatic Certre (NIC) के वेतन श्रृंखला 10000-15200 या इससे उच्च वेतन श्रृंखला में वेतन प्राप्त करने वाले समस्त अधिकारी।

12. सेन्ट्रल ऐरिड जोन रिसर्च इन्स्टीट्युट (CAZRI) जोधपुर के वेतन श्रृंखला 10000-15200 या इससे उच्च वेतन श्रृंखला में वेतन प्राप्त करने वाले समस्त अधिकारी एवं मनोनित सदस्य।

13. ग्रुप ए के बिन्दु संख्या 1, 2, 14, 16, 17, 18 एवं 21 पर वर्णित समस्त सेवा निवृत्त अधिकारी।

14. राजस्थान राज्य के समस्त भूतपूर्व मंत्रीगण (माह विशेष में केवल तीन दिवस के लिंये)।

15. राजस्थान राज्य के समस्त भूतपूर्व मंत्रीगण। (माह विशेष में केवल पांच दिवस के लिये)।

16. राष्ट्रपति पदक तथा भारत रत्न, परमवीर चक्र, अशोक चक्र, पदम विभूषण पदम भूषण, सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल, परमविशिष्ठ सेवा मेडल, महावीर चक्र, क्रान्ति चक्र, पदम श्री,

सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ठ सेवा मेडल से अलंकृत राजस्थान राज्य के निवासी पूर्व सैन्य अधिकारी।

ग्रुप-डी

1. सभी राजकीय अतिथि।
2. सभी विभागीय अतिथि।
3. राजस्थान राज्य के समस्त मण्डलों, निगमों, उपक्रमों के वे समस्त अधिकारी, पदाधिकारी (ग्रुप-ए में बिन्दु संख्या 16 एवं 27 पर वर्णित को छोड़कर) अपनी निजी/ऑफिशियल यात्रा पर आने पर।
4. ग्रुप-सी में (बिन्दु संख्या 13 पर वर्णित को छोड़कर) वर्णित सभी पदाधिकरी अपनी निजी या स्थानान्तरण की यात्रा से आने पर।
5. भारत सरकार, केन्द्र शासित क्षेत्रों एवं अन्य राज्य सरकारों के समस्त मण्डलों, निगमों, उपक्रमों आदि के समस्त प्रकार के पदाधिकारी अपनी निजी, ऑफिशियल/स्थानान्तरण की यात्रा पर।
6. ग्रुप ए, बी एवं सी में वर्णित सभी पदाधिकारी अपनी निर्धारित अवधि के पश्चात्।
7. ग्रुप ए, बी एवं सी में वर्णित अतिथियों के अलावा शेष रहे समस्त अतिथि।
8. जिन राज्यों में रेसीप्रोकल व्यवस्था नहीं है उन सभी राज्यों की समस्त विधान सभा/विधान मण्डल की विभिन्न समितियां राजस्थान यात्रा के समय सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों के अनुरूप।
9. केन्द्र सरकार, केन्द्र शासित प्रदेशों एवं अन्य राज्यों के विधायक निजी यात्रा पर।
10. प्राइवेट अतिथि।

अनुसूचित जाति को जनसंख्या प्रतिशत के अनुपात में सरकारी सेवाओं में आरक्षण

767. श्री हीरालाल (निवाई) : क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत कितना था और वर्ष 2001 की जनगणना के पश्चात् यह प्रतिशत कितना है।

(2) क्या यह सही है कि राज्य में सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जातियों का आरक्षण 16 प्रतिशत ही है ? यदि हां, तो यह वर्ष 2001 में अनुसूचित जाति की जनसंख्या प्रतिशत से कितना कम है ?

(3) क्या सरकार सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति के आरक्षण प्रतिशत को वर्ष 2001 की जनसंख्या प्रतिशत के अनुपात में बढ़ाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत 17.29 था। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार यह प्रतिशत 17.16 है।

(2) जी हां। वर्तमान में सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति का आरक्षण 16 प्रतिशत ही है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार यह आरक्षण 1.16 प्रतिशत कम है।

(3) जी नहीं। वर्तमान में राज्य में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग हेतु क्रमशः 16 प्रतिशत, 12 प्रतिशत एवं 21 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया हुआ है, जिसका कुलयोग 49 प्रतिशत होता है। संवैधानिक व्यवस्था के अन्तर्गत 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण नहीं किया जा सकता है। जनसंख्या वृद्धि के कारण एक वर्ग का आरक्षण घटाकर दूसरे वर्ग का आरक्षण बढ़ाना उचित नहीं होगा। वैसे भी इस प्रकार आरक्षण परिवार कल्याण कार्यक्रम की भावना के विरूद्ध होगा।

लक्ष्य से अधिक आबकारी बकाया की वसूली करने वाले अधिकारियों को प्रोत्साहन

768. डा. श्री गोपाल बाहेती (पुष्कर) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 2003-04 में सरकार द्वारा शराब के ठेकेदारों से राज्य में कुल कितनी वसूली की गई ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त वसूली के दौरान किस जिला आबकारी अधिकारी द्वारा सर्वाधिक वसूली की गई ?

(3) क्या सरकार सर्वाधिक वसूली करने वाले जिला आबकारी अधिकारी को प्रोत्साहन एवं सबसे कम वसूली करने वाले के विरूद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

(4) कितने जिलों में लक्ष्य से कम वसूली की गई ?

(5) शराब ठेकेदारों में अब तक कुल कितनी वसूली शेष है ? क्या सरकार शेष राशि वसूलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) वर्ष 2003-04 में मदिरा के ठेकेदारों से राशि रू. 1042.95 लाख की वसूली की गई। जिलेवार सूचना परिशिष्ट-"अ" में संलग्न है।

(2) वर्ष 2003-04 के दौरान सबसे अधिक वसूली जिला आबकारी अधिकारी, बीकानेर द्वारा की गई।

(3) जिला आबकारी अधिकारियों द्वारा भू-राजस्व अधिनियम के तहत विधिवत् प्रक्रिया अपनाकर बकाया आबकारी राजस्व वसूली की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। बकाया राशि की वसूली में जिन जिला आबकारी अधिकारियों ने अच्छे प्रयास किये हैं, उन्हें आबकारी आयुक्त द्वारा प्रशंसा पत्र दिये गये है। कम वसूली करने वाले जिला आबकारी अधिकारियों को लम्बित बकाया प्रकरणों की प्रकरणवार समीक्षा कर वसूली की सम्भावना वाले प्रकरणों में वसूली हेतु ठोस कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।

(आबकारी मंत्री)

(4) आबंटित लक्ष्य से कम वसूली करने वाले जिला आबकारी अधिकारियों की सूची परिशिष्ट-"ब" में संलग्न है।

(5) मदिरा के ठेकेदारों में दिनांक 1-7-2004 को राशि रू. 16030.32 लाख बकाया है। बकाया वसूली एक सतत प्रक्रिया है। सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारियों द्वारा भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत विधिवत् प्रक्रिया अपनाकर वसूली की कार्यवाही की जा रही है।

परिशिष्ट-"अ"

वर्ष 2003-04 में मदिरा के ठेकेदारों से वसूल की गई राशि की सूचना

(राशि लाखों में)

क्र. सं.	जिला आबकारी अधिकारी	वसूल की गई राशि
1.	अजमेर	19.83
2.	अलवर	18.02
3.	भरतपुर	6.19
4.	दौसा	0.00
5.	जयपुर	70.02
6.	झुन्झुनूं	13.63
7.	सीकर	116.85
8.	सवाईमाधोपुर	32.22
9.	टौंक	0.29
10.	बाड़मेर	7.05

1	2	3
11.	बीकानेर	459.28
12.	चूरू	8.61
13.	हनुमानगढ़	0.00
14.	जोधपुर	105.16
15.	नागौर	18.97
16.	पाली	14.11
17.	सिरोही	10.47
18.	जालौर	13.30
19.	श्रीगंगानगर	22.58
20.	भीलवाड़ा	19.80
21.	बून्दी	19.75
22.	चित्तौड़गढ़	11.37
23.	झालावाड़	0.32
24.	कोटा	54.66
25.	बारां	0.17
26.	उदयपुर	0.30
	योग	**1042.95**

परिशिष्ट-"ब"

जिला आबकारी अधिकारियों की सूची जिन्होंने वर्ष 2003-04 के दौरान पुरानी बकाया वसूली हेतु आबंटित लक्ष्य से कम राशि वसूल की

(राशि लाखों में)

क्र. सं.	जिला आबकारी अधिकारी	आबंटित लक्ष्य	वसूल की गई राशि
1.	अजमेर	20.00	19.83
2.	अलवर	60.00	30.70
3.	भरतपुर	80.00	21.34
4.	दौसा	4.00	0.41
5.	झुन्झुनूं	300.00	13.62
6.	सीकर	250.00	181.86
7.	सवाईमाधोपुर	200.00	35.25
8.	टौंक	15.00	3.29
9.	बाड़मेर	350.00	11.52
10.	चूरू	500.00	14.28
11.	हनुमानगढ़	850.00	27.81

1	2	3	4
12.	जोधपुर	450.00	111.28
13.	नागौर	1200.00	47.23
14.	पाली	486.00	13.00
15.	सिरोही	10.00	10.47
16.	जालौर	1200.00	13.31
17.	श्रीगंगानगर	300.00	173.78
18.	बून्दी	400.00	19.28
19.	चित्तौड़गढ़	150.00	13.35
20.	झालावाड़	80.00	6.74
21.	कोटा	1500.00	68.78
22.	बारां	50.00	3.16
23.	उदयपुर	50.00	13.53

निवाई में नियम विरूद्ध संचालित मदिरा विक्रय केन्द्र

769. श्री हीरालाल (निवाई) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में धार्मिक स्थलों, शिक्षण संस्थाओं एवं अन्य जनोपयोगी स्थानों से शराब की दुकानों की दूरी निर्धारित करने के क्या नियम है ? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र निवाई में शराब की ऐसी दुकानें कहां-कहां स्थित हैं जो उक्त नियम का अतिक्रमण करती हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त नियम विरूद्ध दुकानों को सरकार हटाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) इस सम्बन्ध में प्रावधान राजस्थान आबकारी नियम, 1956 के नियम 75 के रूप में है जो, निम्नानुसार है :-

1. देशी मदिरा, विदेशी या भारत निर्मित विदेशी मदिरा या हैम्प औषधियों के खुदरा विक्रय का लाइसेन्सधारी अपनी दुकान केवल सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी के द्वारा अनुमोदित स्थान पर ही रखेगा।

2. देशी मदिरा, विदेशी या भारत निर्मित विदेशी मदिरा के खुदरा विक्रय की दुकान महाविद्यालयों, सीनियर माध्यमिक विद्यालय, सभी स्तर के कन्या शिक्षण संस्थानों अस्पताल, पूज़ा स्थल, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान, कारखाना या श्रमिक अथवा हरिजन कॉलोनी से 200 मीटर की दूरी के अन्दर अवस्थित नहीं होगी।

3. खुदरा विक्रय के लिये जिला आबकारी अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदली नहीं जायेगी।

4. जिला आबकारी अधिकारी पर्याप्त कारणों को लेखबद्ध करने के पश्चात् किसी दुकान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर

(आबकारी मंत्री)

बदल सकेगा और दुकान बदलने के लिये लाइसेन्सधारी को कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी।

5. देशी मदिरा, विदेशी मदिरा और भारत निर्मित विदेशी मदिरा, बीयर हैम्प औषधियों के खुदरा विक्रय के लिये दुकान नेशनल हाइवे या स्टेट हाइवे के मध्य के दोनों और 150 मीटर की दूरी के अन्दर अवस्थित नहीं होगी, लेकिन नगर निगम, नगर परिषद या नगर पालिका की सीमा से आने वाले क्षेत्रों में लागू नहीं होगी।

परन्तु यह है कि आबकारी आयुक्त द्वारा पर्याप्त कारणों को लेखबद्ध करने के पश्चात् अपवाद स्वरूप परिस्थितियों में उपरोक्त शर्तों में छूट प्रदान की जा सकेगी।

स्पष्टीकरण

1. नियम 75 के उपनियम (2) के उद्देश्य के लिये पूजा के स्थान से दुकान की दूरी के सम्बन्ध में प्रतिबन्ध एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में केवल उन्हीं स्थानों के लिये लागू होंगे जो जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय में रखी जाने वाली सूची में वर्णित होंगे।

2. हरिजन कॉलोनी से तात्पर्य नगर पालिका के ऐसे वार्ड से है जिसमें अन्तिम जनगणना के अनुसार वार्ड की समस्त जनसंख्या के 50 प्रतिशत से अधिक व्यक्ति अनुसूचित जाति के हो।

3. महाविद्यालय या सीनियर सैकेण्डरी स्कूल स्तर के विद्यालय से भिन्न शैक्षणिक संस्थान के समीप स्थित कोई दुकान संस्थान के बन्द होने के कम से कम एक घण्टे के पश्चात् खोली जायेगी।

(आबकारी मंत्री)

4. नियम 75 के उपनियम (2) के उद्देश्य के लिये मनोरंजन स्थान से तात्पर्य केवल थियेटर अथवा सिनेमा हॉल से है।

(2) विधान सभा क्षेत्र निवाई में ऐसी कोई मदिरा दुकान स्वीकृत नहीं है जो उक्त नियम के विपरीत हो।

(3) विधान सभा क्षेत्र निवाई में नियम विरूद्ध मदिरा की कोई दुकान नहीं हैं।

कोटा संसदीय क्षेत्र की नगरपालिकाओं के अध्यक्षों/सचिवों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतें

770. श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) कोटा संसदीय क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली नरगपालिकाओं के वर्तमान अध्यक्षों/सचिवों के विरूद्ध पद के दुरूपयोग एवं भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में किस-किस के विरूद्ध कितनी शिकायतें प्राप्त हुई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त शिकायतों के आधार पर विभाग ने क्या-क्या जांच की और किन-किन अध्यक्षों एवं सचिवों को दोषी पाया गया और उनके विरूद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) कोटा संसदीय क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली नगरपालिकाओं के वर्तमान अध्यक्षों व सचिवों के विरूद्ध पद के दुरूपयोग व भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतों का विवरण परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न है।

(2) इन प्राप्त शिकायतों के आधार पर विभाग द्वारा कराई गई जांच में दोषी पाए गए अध्यक्षों एवं सचिवों के विरूत्र की गई कार्यवाही भी उक्त परिशिष्ट में स्पष्ट है।

परिशिष्ट-अ

वर्तमान अध्यक्षों के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच की सूची

क्र. सं.	नगर पालिका का नाम	अध्यक्ष का नाम	शिकायतों की संख्या	शिकायत का प्रकार	की गई कार्यवाही का विवरण
1.	कोटा	श्री ईश्वर चन्द साहू	1	फर्जी पट्टा जारी करने के सम्बन्ध में।	धारा 63 के अन्तर्गत न्यायिक जांच करवाई जा रही है।
2.	कैथून	श्रीमती शकिला बानो	2	सरकारी भूमि पर अतिक्रमण एवं निर्माण की स्वीकृति	धारा 63 के अन्तर्गत निलम्बित किया गया है। प्रकरण न्यायिक जांच में विचाराधीन है। अधिशासी अधिकारी सत्यनारायण सेठी से स्पष्टीकरण मांगा गया है।
4.	सांगोद	श्री कुंजबिहारी सोनी	1	सरकारी भूमि पर अतिक्रमण, स्टेट ग्रान्ट एक्ट के तहत पट्टा जारी करने, बिना बोर्ड	उप निदेशक (क्षेत्रीय) स्थानीय विभाग कोटा से प्राथमिक जांच करवाई जा रही है।

1	2	3	4	5	6
				की स्वीकृति के लाखों रूपये का भुगतान	
5.	बारां	श्री राजेन्द्र भूमलिया	2	गौशाला का निर्माण, धर्मशाला की मरम्मत आदि।	प्रकरण की जांच (क्षेत्रीय) उपनिदेशक स्थानीय निकाय विभाग कोटा से करवाई गई प्राथमिक जांच में प्रमाणित आरोपों के क्रम में प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा रही हैं।
6.	मांगरोल	श्रीमती नादिरा बैगम (निलम्बित)	1	कार का दुरूपयोग स्टेट ग्रान्ट एक्ट के तहत पट्टा जारी करने एवं टेलीफोन भत्ता प्राप्त करने।	धारा 63 के अन्तर्गत निलम्बित कर प्रकरण न्यायिक जांच हेतु भिजवाया गया है।

1	2	3	4	5	6
7.	बूंदी	श्री भगवान लाडला	3	सरकारी जमीन पर अतिक्रमण, टेलीफोन का दुरूपयोग, जेसीबी वाहन की मरम्मत।	प्रकरण की जांच क्षेत्रीय उप निदेशक स्थानीय निकाय विभाग कोटा से करवाई जा रही हैं।
8.	कॉपरेन	श्रीमती भंवरी बाई	1	सरकारी भूमि पर अतिक्रमण	धारा 63 के अन्तर्गत न्यायिक जांच करवाई जा रही हैं।

सहायक निदेशक (सतर्कता)

नाथद्वारा नगरपालिका की वन भूमि का आबादी भूमि में परिवर्तन

771. डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि नाथ द्वारा नगरपालिका क्षेत्र में वन भूमि घोषित है ? यदि हां, तो कितने क्षेत्र में ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त वन क्षेत्र में हजारों परिवार मकान बनाकर निवास कर रहे हैं व जिनके पास मकान के पट्टे उपलब्ध हैं यदि हां, तो परिवारों की संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त भूमि को वन क्षेत्र से निकाल कर नगरपालिका क्षेत्र में घोषित करने की कार्यवाही की जा रही है ? यदि हां, तो कब तक कार्यवाही कर रहने वाले नागरिकों को आधारभूत सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी ?

(4) क्या उक्त क्षेत्रों को सरकार कच्ची बस्ती घोषित कर आधारभूत सुविधा उपलब्ध कराने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि नाथद्वारा नगरपालिका क्षेत्र में आरक्षित वन खण्ड घोषित है तथा राजस्व अभिलेख के अनुसार 855 बीघा 14 बिस्वा भूमि वन विभाग के नाम दर्ज है।

(2) जी हां। उक्त आरक्षित वन खण्ड क्षेत्र में श्रीनाथ कालोनी के नाम से एक कच्ची बस्ती बस गई है, जिसमें कुल 370 परिवार पक्के मकान बनाकर निवास कर रहे हैं। बस्ती के किसी भी व्यक्ति के पास भूमि अथवा भवन का पट्टा नहीं हैं, लेकिन बिजली-पानी की बुनियादी सुविधायें उपलब्ध हैं। उक्त श्रीनाथ कॉलोनी के अतिरिक्त सुखाडिया नगर व लोधाघाटी आवासीय योजना जो पालिका की हैं, का कुछ भाग भी सहवन से राजस्व विभाग द्वारा वन विभाग के नाम दर्ज कर दिया गया। सहवन से दर्ज दोनों योजनाओं को भूमि पर 42 बीघा 10 बिस्वा पर 96 परिवार निवास करते हैं। इस प्रकार वन

(स्वायत्त शासन राज्य मंत्री)

विभाग के नाम दर्ज भूमि 855 बीघा 14 बिस्वा में वर्तमान में 466 परिवार निवास करते हैं। परिवारों की सूची संलग्न है। इन्हें बुनियादी सुविधाऐं उपलब्ध हैं।

(3) राज्य सरकार के राजस्व (ग्रुप-3) विभाग के आदेश संख्या प.6 (146)राज./ग्रुप-3/1998 जयपुर दिनांक 15-3-2000 द्वारा नगर पालिका सीमा क्षेत्र में आरक्षित वन खण्ड के रूप में दर्ज वन भूमि को निकाल कर नगर पालिका को देने एवं इसकी क्षतिपूर्ति के रूप में नाथद्वारा तहसील के विभिन्न ग्रामों की 857 बीघा 13 बिस्वा भूमि वन विभाग को दिये जाने की राजकीय स्वीकृति जिला कलक्टर राजसमन्द को जारी किये कि उक्त भूमि को वन क्षेत्र से मुक्त कराने के सम्बन्ध में राज्य सरकार के वन विभाग तथा भारत सरकार के वन मंत्रालय से पत्राचार एवं आवश्यक कार्यवाही जिला कलक्टर, राजसमन्द अपने स्तर पर करेंगे। उसके बाद से कार्यवाही जिला कलक्टर, राजसमन्द के स्तर पर जारी है। वन क्षेत्र से मुक्त हो कर आबादी क्षेत्र में दर्ज होने के बाद पालिका द्वारा बुनियादी सुविधायें यथा सड़क, नाली उपलब्ध करा दी जायेगी। पानी, बिजली बुनियादी सुविधा वर्तमान में उपलब्ध है।

(4) जी नहीं। उक्त क्षेत्र आरक्षित वन खण्ड क्षेत्र से निकाले जाने के बाद ही परिपत्र क्रमांक प.9(1)न.वि.वि./03/95 दिनांक 18-5-1999 के अनुसार नियमन/सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकेगी। उक्त परिपत्र में भी वन क्षेत्र में स्थित कच्ची बस्तियों के नियमन पर रोक है। वैसे आधारभूत सुविधाऐं फिलहाल उपलब्ध हो रही हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

फतेहपुर नगरपालिका (सीकर) द्वारा जनरेटर खरीद में अनियमितता

772. श्री भंवरू खान (फतेहपुर) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि नगर पालिका फतेहपुर, जिला-सीकर द्वारा

(श्री भंवरू खान)

गत वर्ष जनरेटर खरीदने के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई थी ? यदि हां, तो किस-किस फर्म की कितनी-कितनी राशि की निविदाएं प्राप्त हुई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त निविदा के आधार पर किस फर्म (निविदा दाता) को आपूर्ति का आदेश दिया गया एवं उसको कितना भुगतान किया गया ?

(3) क्या यह भी सही है कि न्यूनतम निविदा के स्थान पर ऊंची निविदादाता को आपूर्ति का आदेश दिया गया ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच करवाने का विचार रखती हैं ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या जनरेटर खरीदने की अनुमति बोर्ड द्वारा ली गई थी ? यदि हां, तो बौर्ड की अनुमति प्राप्त समस्त निविदाओं व भुगतान आदेश की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। प्राप्त निविदाओं से सम्बन्धित फर्म एवं राशि का विवरण निम्न प्रकार है :-

1.	न्यू चौधरी इन्टर प्राइजेज सीकर	1,00,000/- 2% बिलों।
2.	चौधरी मशीनरी स्टोर, सीकर	1,00,000/- 1% बिलों।
3.	सुप्रिया इंजिनियर्स जयपुर	1,00,000/- 3% अबाऊ

(2) उक्त निविदाओं में से मैसर्स न्यू चौधरी एन्टरप्राइजेज, सीकर को जनरेटर सैट की आपूर्ति का आदेश दिया गया। फर्म से इस हेतु बिल नं. 401 दिनांक 7-2-03 राशि 97,000/- रू. का प्राप्त हुआ, लेकिन अभी भुगतान नहीं हुआ है।

(स्वायत्त शासन राज्य मंत्री)

(3) जी नहीं। न्यूनतम दर वाली फर्म को ही आपूर्ति आदेश दिये गये हैं।

(4) फर्म के द्वारा आपूर्ति किया गया जनरेटर सेट अच्छी किस्म का नहीं होने के कारण भुगतान नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में बोर्ड की अनुमति की आवश्यकता नहीं रही।

भादरा (हनुमानगढ़) नगरपालिका द्वारा कच्ची बस्ती विकास पर व्यय

773. डा. सुरेश चौधरी (भादरा) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें :-

(1) नगरपालिका भादरा (हनुमानगढ़) को राज्य सरकार व अन्य एजेन्सियों द्वारा वर्ष 2000 से जून, 2004 तक कितनी राशि किस-किस मद में दी गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त स्वीकृत राशि किस मद पर कितनी-कितनी व किन-किन कार्यों पर किन-किन ठेकेदारों के माध्यम से व्यय की गई ?

(3) नगरपालिका भादरा (हनुमानगढ़) को कच्ची बस्ती विकास योजना में कितनी राशि स्वीकृत हुई थी तथा कितने कार्य करवाये गये ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नगरपालिका भादरा (हनुमानगढ़) को राज्य सरकार व अन्य एजेन्सियों द्वारा वर्ष 2000 से अब तक कुल 115.24 लाख रूपये की राशि प्राप्त हुई है। प्राप्त राशि का मदवार विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) उक्त स्वीकृत राशि जिन मदों व कार्यों तथा जिन ठेकेदारों के माध्यम से व्यय की गई का विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(स्वायत्त शासन राज्य मंत्री)

(3) नगरपालिका भादरा में कच्ची बस्ती विकास हेतु 6.85 लाख रूपये कच्ची बस्ती सुधार कार्यक्रम (एन.एम.डी.पी.) के अन्तर्गत के 7.05 लाख रूपये 11वें वित्त आयोग (स्लम सुधार कार्यक्रम) के अन्तर्गत राशि स्वीकृत हुई थी। प्राप्त राशि से कराये गये कार्यों की सूची परिशिष्ट "सी" पर संलग्न है।

ब्यावर नगर परिषद को मानसून पूर्व सफाई हेतु आबंटित राशि

774. श्री देवी शंकर भूतड़ा (ब्यावर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या ब्यावर नगर परिषद में बारिश के मौसम से पूर्व नाले, नालियों की सफाई व अन्य सफाई हेतु विशेष कार्य योजना बनाई गई है ? यदि हां, तो क्या ? योजना का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) ब्यावर नगर परिषद क्षेत्र में मानसून पूर्व विशेष सफाई अभियान हेतु सरकार द्वारा कितने कर्मचारियों की नियुक्ति व इस कार्य हेतु आवश्यक बजट आबंटित किया गया ? यदि नहीं, तो अब कब तक बजट आबंटित किया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां। कार्य योजना का विवरण संलग्न है।

(2) नगर परिषद, ब्यावर द्वारा उपलब्ध स्टाफ एवं बजट के अनुसार ही विशेष कार्य योजना बनाई जा कर कार्य करवाया गया है। कोई अतिरिक्त बजट व स्टाफ उपलब्ध नहीं कराया गया है।

बारिश से पूर्व नालों की सफाई की व्यवस्था

क्र. सं.	स्थान	कर्मचारी	दिनांक
1.	चांदमल मोदी अस्पताल के पास का नाला	30 कर्मचारी परिषद के लगाकर	11.6.04 से 16.6.04 तक

1	2	3	4
2.	डिग्गी महादेव मंदिर मार्ग	Due	11.6.04 से 16.6.04 तक
3.	कसाबान मो. व लालसाहब मंदिर मार्ग	—"—"—	11.6.04 से 16.6.04 तक
4.	लोहारान चौपड़ व आर्य समाज का नाला	—"—"—	17.6.04 से 22.604 तक
5.	भाम्यान मौ., शाहपुरा मौ. रांठी हवेली मार्ग का नाला	—"—"—	17.6.04 से 22.604 तक
6.	जटिया कॉलोनी व कॉलेज वाला नाला	—"—"—	23.6.04 से 27.6.04 तक
7.	बालमंदिर नाला	—"—"—	23.6.04 से 27.6.04 तक
8.	सनातन स्कूल केन्द्र का नाला	—"—"—	23.6.04 से 27.6.04 तक
9.	नेहरू गेट वाला नाला	—"—"—	23.6.04 से 27.6.04 तक
10.	नेहरूगेट से रेगरानखटीकान तक	—"—"—	23.6.04 से 27.6.04 तक
11.	नेहरूगेट से मेवाडी गेट तक पुरानी स्वास्तिक ऑयल मिल के सामने वाला नाला	—"—"—	28.6.04 से 2.7.04 तक

1	2	3	4
12.	चांगचितार रोड व महावीर गंज के पीछे वाला नाला	—"—"—	28.6.04 से 2.7.04 तक
13.	नाथू का बाडिया व मिलरोड से फाटक तक का नाला	—"—"—	3.7.04 से 8.7.04 तक
14.	रेलवे फाटक से श्यामगंज कॉलोनी तक का नाला	—"—"—	9.7.04 से 13.7.04 तक
15.	श्यामगंज से लक्ष्मी मिल तक का नाला	—"—"—	9.7.04 से 15.7.04 तक
16.	माधुपुरिया नाला व सूरजपोल गजानंद हलवाई के पीछे वाला नाला	—"—"—	9.7.04 से 15.7.04 तक

उपरोक्त प्रोग्राम नगरपरिषद ब्यावर के सफाई कर्मियों की टास्क बनाकर, परिषंद के ही उपलब्ध संसाधनों के माध्यम से करवाया गया है। इस हेतु इन्हीं नालों के पुन: सफाई का कार्यक्रम भी करवाया जा रहा है। उपरोक्त कार्यक्रम दिनांक वाइज व 90 प्रतिशत पानी के निकास होने वाले नाले का है शेष छोटी-बड़ी नालियों की सफाई भी वार्ड स्तर पर क्षेत्रवार करवायी जा रही है।

आयुक्त
नगरपरिषद, ब्यावर

स्वास्थ्य अधिकारी
नगरपरिषद, ब्यावर

सुखपुरिया ग्राम सांगानेर (जयपुर) में 'ड्राइव इन सिनेमा' निर्माण की अनुमति

775. श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जयपुर में ड्राइव इन सिनेमा हेतु भूमि की नीलामी की गई है ? यदि हां, तो कहां-कहां पर व कब ?

(2) क्या शहरी सीमा में ड्राइव इन सिनेमा निर्माण हेतु शैक्षणिक संस्थानों एवं सरकारी कार्यालयों में दूरी सम्बन्धी कोई नियम है ? यदि हां, तो क्या ? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा ग्राम सुखपुरिया, तहसील सांगानेर में ड्राइव इन सिनेमा हेतु नीलाम की गई भूमि पर पूर्व में जिला प्रशासन द्वारा निर्माण की अनुमति नहीं दी गई थी ? यदि हां, तो क्यों व क्या कुछ दिनों पश्चात् अनुमति जारी कर दी गई ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा ग्राम सुखपुरिया तहसील सांगानेर टोंक रोड जयपुर में दिनांक 29-9-2001 को ड्राइव इन सिनेमा हेतु भूमि नीलामी द्वारा विक्रय की गई है।

(2) जी हां। राजस्थान सिनेमा (रेगुलेशन) रूल्स, 1959 के नियम-16 को दिनांक 26-3-1983 के परिपत्र द्वारा संशोधित किया गया है। नियम-16 की छायाप्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(3) जी हां। यह सही है कि ड्राइव इन सिनेमा निर्माण हेतु राजस्थान सिनेमा (रेगुलेशन) रूल्स, 1959 के रूल 16 को मद्दे नजर रखते हुए अनुमति नहीं दी गयी। उक्त रूल में दिनांक 28-3-2003 को हुए संशोधन के क्रम में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा पुर्नविचार का अनुरोध करने पर उक्त संशोधन

(नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री)

के क्रम में पुनःविचार कर ड्राइव इन सिनेमा को दिनांक 30-10-2003 को अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया गया है।

परिशिष्ट-1

R. 16

RAJ. CINEMAS (REGULATION) RULES, 1959

same

11. Inspection by licensing authority.-The licensing authority or any officer authorised by him[1] (in writing) in this behalf may at any time, enter a place which he has reason to believe is being used or is intended to be used for the purpose of cinematograph exhibitions in order to satisfy himself that all the provisions of the Act, these rules and the conditions of the license are being complied with.

12. Inspection by other authorities.-(1) The Executive Engineer. Electric Inspector, Medical Officer of Health, Regional Fire Officer, Entertainment Tax Officer, Superintendent of Police or any officer deputed by any of them[1] (in writing) may at any time enter and inspect any cinema license under section 3 of the Act.

(2) Defects revealed by such inspection shall be brought to the notice of the licensee and shall also be reported to the licensing authority.

13. Production of license on demand.-The license and the plan and description, if any, attached there to shall be produced on demand by the licensing authority or by any officer authorised by him or by these rules to enter and inspect a place licensed under section 3 of the Act.

14. Additions and alterations.-No additions to or alterations or any portion of the cinema licensed under section 3 of the Act, neces-

1 Ins. by No. 9 dated 10-9-1979.

sitated by fire or any other calamity or cause, shall be made without the sanction of the licensing authority.

15. Notice of additions or alterations.-The licensee shall give notice in writing to the licensing authority of his intention to make any such additions or alterations and such notice shall be accompanied by complete plans, elevations and section and specifications of the work proposed to be executed, drawn up in duplicate in the prescribed manner, while in the case of a temporary license such plans and specifications only shall be furnished as the licensing authority may consider necessary.

PART-I

Permanent Building

[2]**16. Situation.**-(1) No person shall put up any building or structure or convert existing premises for being used as a cinema except with the previous permission in writing of the licensing authority.

(2) In case of cities having a population of one lakh and above, the licensing authority may grant permission for construction of mini cinemas having a seating capacity of not more than 500 seats:

Provided that while granting such permission under sub-rule (1) and (2) above, the licensing authority shall satisfy itself about the suitability of site for construction of cinema building or structure or conversion of existing premises for being used as a cinema. Keeping in view the instructions issued in this behalf by the State Government from time to time.)

2 Substituted by amending Notification No. 12 dated 26-3-1983.

Legislative changes:-Rule 16, before its substitution by Amending Notification No. 12 d. 26-3-1983, was as under :-

"16. Situation for a Cinema.-(1) No permanent building except that already licensed on the commencement of these rules shall be licensed for cinematograph exhibitions if it is situated:-

(a) within a radius of 200 meters from :-

(i) any recognised educational institution, or residential premises utilised for the residence of the students attached to a recognised educational institution which impart education to the students above VIII standard and which has 200 or more students on its rolls; or

(ii) a public hospital with large indoor patient ward; or

(iii) an orphanage containing one hundred or more inmates;

(b) in a residential area.

Explanation:

(a) The radius of 200 meters shall be taken from the end corner of the building of the institution etc. referred to above.

(b) An area shall be considered as residential if it is predominantly used as such even though it is also used for commercial purposes and there exist such circumstances on account of which the grant of a licence is likely to interfere adversely with the living conditions of the inhabitants of that area.

(2) For the purpose of this rule, the licensing authority shall. subject to the general control of the State Government determined what is a hospital, a recognised educational institution, residential permises utilised for the residence of students, a large indoor patient ward, a residential area or predominantly residential area and its decision shall be final and conclusive.

Provided that the licensing authority may for sufficient reasons and with the prior approval of the State Government relax this rule or any part thereof in any case and specially in case of Cinemas already completed or nearing completion prior to the commencement of these rules:

Provided further that in giving approval for relaxing this rule or any part thereof the State Government shall take into consideration the nature of the proposed building and whether or not it is sound proof or is within a radius of 50 feet from any petrol pump or any shop or store dealing in highly combustible material or is air-conditioned.

अजमेरी गेट-ट्रांसपोर्ट नगर (जयपुर) का फोर लेन सड़क निर्माण कार्य

776. श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर ट्रांसपोर्ट नगर चौराहे से अजमेरी गेट तक फोर लेन सड़क बनाने का कार्य सरकार के विचाराधीन है ?

(2) क्या उक्त सड़क निर्माण के लिए कोई सर्वे किया गया है ? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि आगरा रोड पर घाट की गूणी के विकास

(श्री बृजकिशोर शर्मा)

की भी कोई योजना बनाई गयी है ? यदि हां, तो क्या ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार अजमेरी गेट से ट्रांसपोर्ट नगर की फोर लेन सड़क निर्माण को घाट की गूणी में टर्नल बनाकर नीचे तक बनाने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) सड़क के उक्त भाग का प्लेन टेवल सर्वे करवाया जा रहा है।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं।

कोटा में प्रस्तावित "डायवर्जन चैनल" के स्थान पर एनीकट/चैकडैम

777. श्री भरत सिंह (दीगोद) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या कोटा शहर को बाढ़ से बचाने के लिए "डायवर्जन चैनल" बनाना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो इस कार्य पर कितनी राशि व्यय होगी ?

(2) क्या यह सही है कि डायवर्जन चैनल पर प्रस्तावित लागत से कहीं कम खर्च पर भू-संरक्षण कार्य व चैकडैम, एनीकट बनाकर जल संरक्षण का कार्य कर शहर को बाढ़ से बचाया जा सकता है ?

(3) क्या एशियन विकास बैंक के अधिकारियों द्वारा "डायवर्जन चैनल" के विकल्प पर चर्चा की गई है ? यदि हां, तो किस स्तर पर ;

उत्तर

(1) जी हां। कोटा शहर को बाढ़ से बचाने के लिये डायवर्जन चैनल

(नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री)

बनाना प्रस्तावित है। परियोजना में इस कार्य पर 678 लाख रूपये का खर्च प्रस्तावित है।

(2) जी नहीं। कोटा शहर के ऊपरी 70 वर्ग किलोमीटर पठारी क्षेत्र से आने वाले पानी की आवक की मात्रा बहुत अधिक होती है। भू-संरक्षण कार्य, चैक डेम, एनीकट बनाकर जन संरक्षण का कार्य तो किया जा सकता है किन्तु बाढ़ से बचाव सम्भव नहीं है।

(3) एशियन विकास बैंक अधिकारियों द्वारा "डायवर्जन चैनल" के विभिन्न विकल्पों पर आ.यू.आई.डी.पी. के सलाहकारों से चर्चा की गई व बाढ़ से बचाव हेतु डायवर्जन चैनल का निर्माण ही सलाहकारों द्वारा प्रस्तावित किया गया।

पालड़ी मीणा-लूनियावास (जयपुर) का सड़क निर्माण

778. **श्री कन्हैया लाल मीणा** (बस्सी) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि पालड़ी मीणा से लूनियावास तक जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा कोई सड़क स्वीकृत की गई है ? यदि हां, तो अब तक इसका कार्य पूर्ण न होने के क्या कारण हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त सड़क का कार्य पूर्ण करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। स्पेसिफीकेशन में परिवर्तन होने के कारण कार्य करने में विलम्ब हुआ है।

(2) जी हां। उक्त सड़क का कार्य वर्षा के पश्चात् सम्पन्न करवाया जावेगा।

दवे आयोग के प्रतिवेदन में अनुशंसित दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही

779. श्री सुरेन्द्र पारीक (हवामहल) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर विकास प्राधिकरण में हुई अनियमितताओं की जांच के लिये दवे आयोग का गठन किया गया था ? यदि हां, तो आयोग द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

(2) उक्त ज़ांच रिपोर्ट में किन-किन अधिकारियों को दोषी ठहराया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्वारा दोषियों के विरूद्ध अब तक क्या कोई कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो अब कब तक कार्यवाही कर ली जावेगी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार द्वारा दवे आयोग का गठन किया गया था। आयोग द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार द्वारा दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही करने एवं कार्य प्रणाली में सुधार करने के लिये जयपुर विकास प्राधिकरण को निर्देशित किया गया।

(2) दवे आयोग द्वारा तत्कालीन तहसीलदार श्री अमरसिंह शेखावत एवं तत्कालीन पटवारी श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा (प्रतिनियुक्ति पर) एवं श्री मदनलाल वर्मा वरिष्ठ मानचित्रक एवं तत्कालीन तहसीलदार श्री पी.पी. अग्रवाल को दोषी ठहराया गया था। सूची परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न है।

(3) 1. दवे आयोग के द्वारा की गई जांच रिपोर्ट के पश्चात् प्राधिकरण ने श्री अमरसिंह शेखावत तहसीलदार के विरूद्ध कार्यवाही के लिये अध्यक्ष, राजस्व मण्डल अजमेर को इनके विरूद्ध कार्यवाही करने के लिये आरोप पत्र, आरोप विवरण पत्र

(नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री)

तैयार कर प्रेषित किये गये। तत्पश्चात् अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा श्री अमर सिंह शेखावत तहसीलदार को ज्ञापन दिनांक 22-8-1997 को जारी किया गया था। सदस्य, राजस्थान राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा उक्त प्रकरण में की गई जांच रिपोर्ट के आधार पर पत्र दिनांक 27-3-2000 के अनुसार श्री अमर सिंह का प्रकरण समाप्त कर दिया गया।

2. श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा तत्कालीन पटवारी के विरूद्ध प्राधिकरण ने जिला कलक्टर जयपुर को अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के लिये आरोप पत्र तैयार कर पत्र दिनांक 24-9-1996 के अनुसार प्रेषित किये गये थे। तत्पश्चात् जिला कलक्टर जयपुर द्वारा श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा, तत्कालीन पटवारी (प्रतिनियुक्ति पर) का राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के तहत आरोप पत्र दिनांक 14-11-2000 को जारी किये गये थे तथा उक्त प्रकरण में उप खण्ड अधिकारी (प्रथम) को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था। जिला कलक्टर जयपुर की आज्ञा 25-8-2003 के तहत श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा तत्कालीन पटवारी (प्रतिनियुक्ति पर) के विरूद्ध आरोप सिद्ध नहीं होने के कारण उक्त प्रकरण समाप्त कर दिया गया था।

3. श्री मदन लाल वर्मा, वरिष्ठ मानचित्रक को भूखण्ड संख्या 40-41 बरवाड़ा हाउस अजमेर रोड़ के प्रकरण में दोषी ठहराया गया। श्री वर्मा द्वारा भवन निर्माण स्वीकृति के सम्बन्ध में भवन निर्माण मानचित्र रिहायशी के स्थान पर होटल के उपयोग में दिये जाने योग्य पारित किया गया था। इस सम्बन्ध में श्री वर्मा वरिष्ठ मानचित्रक को निलम्बित किया गया था तथा विभागीय जांच को लम्बित रखते हुये कार्यालय आदेश क्रमांक एफ.3(50)जविप्रा/जांच/विविध/2000 दिनांक 30-6-2000 के द्वारा बहाल किया गया है। जांच अधिकारी नियुक्त कर दिया गया है तथा जांच विचाराधीन है।

(नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री)

4. जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के विरूद्ध सिविल जज जयपुर नगर न्यायालय में अब्दुल समद महमूद एवं अन्य बनाम जयपुर विकास प्राधिकरण के एक रेफरेन्स पेण्डिंग था जिसमें श्री पी.पी. अग्रवाल तहसीलदार प्रभारी अधिकारी नियुक्त थे। यह प्रकरण दिनांक 2-12-1993 को जयपुर विकास प्राधिकरण के विरूद्ध निर्णित कर दिया गया। परन्तु प्रभारी अधिकारी व तहसीलदार-1 ने जयपुर विकास प्राधिकरण के किसी वरिष्ठ अधिकारी या विधि शाखा को इस बारे में सूचना नहीं दी, जिससे प्राधिकरण को आर्थिक हानि हुई। इस कारण से राजस्व मण्डल, अजमेर को अनुशासनात्मक कार्यवाही करने हेतु लिखा गया था। उक्त प्रकरण में अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा आज्ञा दिनांक 10-10-2000 के द्वारा श्री पी.पी. अग्रवाल सेवानिवृत्त तहसीलदार के विरूद्ध सीसीए नियम-16 का प्रकरण समाप्त किया गया।

अन्य प्रकरणों में कार्यवाही विचाराधीन है।

परिशिष्ट-अ

दवे जांच आयोग द्वारा ठहराये गये दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची

क्र. सं.	नाम व पद	प्रकरण का विवरण
1.	श्री अमरसिंह, तहसीलदार (प्रति. पर)	खसरा नं. 222 श्रीमती विमला देवी के प्रकरण में।
2.	श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा, पटवारी (प्रति. पर)	खसरा नं. 222 श्रीमती विमला देवी के प्रकरण में।
3.	श्री मदनलाल वर्मा, वरिष्ठ मानचित्रक	भूखण्ड 40-41 बरवाड़ा हाउस, अजमेर रोड़ के सम्बन्ध में।

क्र. सं.	नाम व पद	प्रकरण का विवरण
4.	श्री पी.पी. अग्रवाल, पूर्व तहसीलदार (प्रति. पर)	श्री अब्दुल समद महमूद व अन्य बनाम प्राधिकरण व अन्य के प्रकरण के सम्बन्ध में।

सहायक आयुक्त (जांच)

रूकमणी देवी बिड़ला अस्पताल एवं विद्यालय को प्रदत्त भूमि का वाणिज्यिक उपयोग

780. श्री अमराराम (धोद) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) रूकमणी देवी बिड़ला अस्पताल एवं स्कूल के अधिग्रहण से छूट देकर समय-समय पर कितनी-कितनी भूमि कितनी कीमत व लीज राशि दी गई है ? आदेशों की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(2) भूमि की कीमत व लीज मनी में कमी करने का क्या कारण व आधार था ?

(3) उपरोक्त आबंटन आदेशों की समय-समय पर क्या शर्तें लगाई गई ? अंतिम रूप में लगाई गई शर्तों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि स्कूल और अस्पताल के कार्यों के अलावा भूमि का व्यापारिक एवं वाणिज्यिक उपयोग करने की छूट भी दी गई है ? यदि हां, तो उसका क्या कारण है ?

(5) क्या यह सही है कि करीब 10 वर्ष पूर्व उक्त अस्पताल भवन का शिलान्यास तत्कालीन मुख्य मंत्री द्वारा किया गया था ? यदि हां, तो अभी तक निर्माण कार्य पूरा नहीं होने के कारण क्या रहे ? अब उक्त कार्य कब तक पूर्ण करवा दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) रूकमणी देवी बिरला अस्पताल एवं स्कूल हेतु नेशनल इन्जीनियरिंग इण्डस्ट्रीज के नाम से 213 बीघा 14 बिस्वा भूमि का आबंटन हार्ट अस्पताल एवं अनुसंधान केन्द्र उसकी सहायक गतिविधियां, मेडिकल कॉलेज, उच्च माध्यमिक विद्यालय तथा आवासीय सुविधा हेतु 1 रूपये टोकन राशि पर भूमि का आबंटन किया गया व लीज रेन्ट भी 1 रूपये निर्धारित की गई। आदेशों की प्रति परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न है।

(2) उक्त भूमि सार्वजनिक हित में राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.6(15)नविवि/3/84 दिनांक 18-8-1999 के अन्तर्गत 1 रूपये टोकन राशि व 1 रूपये लीज रेन्ट पर आबंटित की गई है।

(3) उपरोक्त आबंटन बाबत् समय-समय पर लगाई गई शर्तों तथा अन्तिम शर्त की फोटो प्रति (सम्बन्धित शर्त) परिशिष्ट-"ब" पर संलग्न है।

(4) जी नहीं।

(5) जी हां। श्रीमती रूकमणी देवी बिरला अस्पताल एवं स्कूल का निर्माण जारी लीज डीड की शर्तों के अनुसार स्कूल भवन का निर्माण किया जाकर शैक्षणिक सत्र प्रारम्भ कर दिया है एवं प्रस्तावित चिकित्सालय भवन मौके पर निर्माणाधीन है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

बनीपार्क के वार्ड संख्या 8 में सीवर लाइन

781. **प्रो. बीरू सिंह राठौड़** (बनीपार्क) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र बनीपार्क के किस-किस वार्ड में सीवर लाइन डालने का कार्य चल रहा है और कहां-कहां पूरा हो चुका है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में सीवर लाइन डालने का कार्य किस किस एजेन्सी या विभाग द्वारा किया जा रहा है ? वार्ड अनुसार ठेकेदार का नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(प्रो. बीरूसिंह राठौड़)

(3)-क्या वार्ड संख्या 8 में सीवर कार्य स्वीकृत हो चुका है ? यदि हां, तो कब और किस विभाग एवं एजेन्सी द्वारा तथा किस ठेकेदार के नाम से ठेका स्वीकृत हुआ ? ठेके की समय सीमा एवं वर्तमान में उक्त कार्य की स्थिति का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार वार्ड संख्या 8 में सीवर लाइन डालने का कार्य प्रारम्भ करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बनीपार्क में चल रहे एवं पूर्ण हुए सीवर लाइन डालने का कार्य का विवरण परिशिष्ट-"क" पर संलग्न है।

(2) सीवर लाइन डालने का कार्य जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर नगर निगम तथा आर.यू.आई.डी.पी. द्वारा कराया जा रहा है। ठेकेदारों का नाम सहित विवरण परिशिष्ट-"ख" में दर्शित है।

(3) वार्ड संख्या 8 में सीवर का कोई कार्य करवाया जाना वर्तमान में स्वीकृत नहीं है।

(4) वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर कार्य करवाया जाना सम्भव होगा।

परिशिष्ट-क

आर.यू.आई.डी.पी. के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र बनीपार्क में सीवर लाइन के कार्यों का विवरण

क्र. सं.	वार्ड सं.	ठेकेदार का नाम	कार्य की वर्तमान सूची
1.	9 व 10 का आंशिक भाग	मै. आन्दीलाल लालपुरिया, जयपुर	60 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है।
2.	14 व 21 का आंशिक भाग	मै. रामकी इन्फ्रास्ट्रक्चर लि., हैदराबाद	90 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है।

क्र. सं.	वार्ड सं.	ठेकेदार का नाम	कार्य की वर्तमान सूची
3.	19 व 20 का आंशिक भाग	मै. रामकी इन्फ्रास्ट्रक्चर लि., हैदराबाद	70 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है।
4.	14 का आंशिक भाग	मै. मैकनली भारत, कोलकाता	30 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है।
5.	21 का आंशिक भाग	मै. कृष्णा कॉन्ट्रेक्टर, जयपुर	100 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है।
6.	21 का आंशिक भाग	मै. लार्सन एण्ड टूब्रो, अहमदाबाद	90 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है।

परिशिष्ट-"ख"

जयपुर नगर निगम, जयपुर

नगर निगम के विधान सभा क्षेत्र बनीपार्क में चल रहे सीवर कार्यों की सूची

1. सिविल लाइन्स जोन

(लाखों में)

क्र. सं.	वार्ड सं.	कार्य का नाम	कार्यादेश सं. व दिनांक	संवेदक का नाम	स्वीकृत राशि	कार्य प्रारम्भ/ समाप्ति तिथि	अब तक व्यय राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	3	गिरनार कॉलोनी, गांधीपथ वैशाली नगर में सीवर कार्य	27/ 24.9.03	मै. चावला कन्सं	10.54	29.09.03 28.03.05	8.50
2.	4	मेहनत नगर में सीवर लाइन डालने का कार्य	20/ 05.02.03	मै. कान्ता कन्सं	22.05	15.02.03 14.08.04	16.00

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	5	हसनपुरा बी. एण्ड सी. में सीवर कार्य	26/ 22.02.03	मै. आर.एस. एन्टरप्राईजेज	16.31	08.03.03 07.09.04	11.00
4.	7	हसनपुरा ए में उत्तरी भाग में सीवर लाइन कार्य	25/ 22.02.03	मै. शर्मा ब्रदर्स	10.92	08.03.03 07.09.04	5.60
5.	7	हसनपुरा ए के दक्षिण भाग में सीवर लाइन का कार्य	27/ 22.02.03	मै. डी.के. कन्सं कं.	20.35	06.03.03 07.09.04	16.00
6.	11	पंचशील कॉलोनी में सीवर कार्य	8/ 20.05.03	मै. सैनी ब्रदर्स	9.68	23.05.03 22.11.04	7.17
7.	11	अशोकपुरा कच्ची बस्ती में शेष रही गलियों में सीवर कार्य	35/ 30.09.03	मै. आशीष एन्टरप्राईजेज	4.10	06.10.03 05.04.05	3.78
8.	16	शर्मा कॉलोनी 22 गोदाम में सीवर लाइन का कार्य	18/ 10.09.03	मै. न्यू सैनी कन्सं कं.	18.22	20.09.03 19.03.05	10.00
9.	17	नन्दपुरी अ व ब में सीवर का कार्य	29/ 24.09.03	मै. डी.के. कन्सं.	16.22	29.09.03 28.03.05	11.00
10.	सम्पूर्ण जोन	सिविल लाइन्स जोन में मैनहॉल मरम्मत का कार्य	20/ 10.09.03	मै. अनु एन्टरप्राईजेज	15.54	20.09.03 19.03.05	10.00
		कुल योग			**143.93**		**99.05**

2. सांगानेर जोन

1.	14	विश्वकर्मा नगर महारानी फार्म में सीवर कार्य	10/ 06.06.03	मै. आर.एस. एन्टर प्राईजेज	8.30	10.06.03 09.06.04	8.29

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	14	माधव नगर सेक्टर-1 में सीवर लाइन बिछाने का कार्य	43/ 28.02.04	मै. उदय कन्सं.	10.59	29.02.04 28.08.05	0.75
		कुल योग			18.89		9.04

जयपुर नगर निगम, जयपुर

नगर निगम के विधान सभा क्षेत्र बनीपार्क में पूर्ण हुए सीवर कार्यों की सूची

जोन - सिविल लाइन जोन

क्र. सं.	वार्ड सं.	कार्य का नाम	व्यय राशि	एजेन्सी का नाम
1	2	3	4	5
1.	3	वित्त विहार सिरसी रोड में सीवर का कार्य	9.00	मै. आर. एस. एण्टरप्राइजेज
2.	3	क्वीन्स रोड भाननगर (विद्युत नगर प्रिन्स रोड के सहारे) सीवर कार्य	7.00	मै. पाटनी ट्रेडर्स
3.	4	कुमावत कॉलोनी अजमेर रोड पर सीवर लाइन डालने का कार्य	9.00	मै. शर्मा ब्रदर्स
4.	4	जमना नगर में सीवर लाइन डालने का कार्य	17.00	मै. पाटनी ट्रेडर्स
5.	4	श्याम नगर से जमना डेयरी	26.19	मै. वी.पी. शर्मा

1	2	3	4	5
		तक मुख्य सीवर लाइन का कार्य		
6.	4	अजमेर रोड़ पर सोडाला थाना क्षेत्र में मुख्य सीवर लाइन का कार्य	26.40	मै. सुनील कुमार जैन
7.	5	सन्तोष नगर एवं मजदूर नगर में सीवर कार्य	21.00	मै. वी.पी. शर्मा
8.	5	राय कॉलोनी में सीवर कार्य	19.00	मै. महावीर कन्सट्रक्शन कम्पनी
9.	5	फतेहनगर में सीवर कार्य	16.00	मै. महावीर कन्सट्रक्शन कम्पनी
10.	5	एस एण्ड डी क्वाटर्स शान्ति नगर में सीवर कार्य	23.00	मै. पाटनी ट्रेडर्स
11.	5	हटवाडा रोड से राजीव नगर तक मुख्य सीवर लाइन का कार्य	24.60	मै. आर. एस. एन्टरप्राइजेज
12.	6	हथरोई गढ़ी कच्ची बस्ती में सीवर लाइन का कार्य	6.54	मै. अनिल गोयल
13.	6	धूलेश्वर गार्डन में सीवर लाइन डालने का कार्य	4.18	मै. आर. एस. एन्टरप्राइजेज
14.	6	हथरोई बावड़ी एवं मिशन कम्पाउन्ड में सीवर लाइन डालने का कार्य	7.60	मै. गोविन्द राम

1	2	3	4	5
15.	6	फतेह सिंह मार्केट रेलवे स्टेशन के पास सीवर लाइन डालने का कार्य	2.50	मै. वेलकम कन्सट्रक्शन
16.	6	गोपाल बाड़ी में सीवर लाइन डालने का कार्य	5.65	मै. जगदीश महावर
17.	6	हथरोई गढ़ी में सीवर लाइन डालनें का कार्य	7.00	मै. रघुवीर शरण गुप्ता
18.	7	एन.बी.सी. रोड पर हसनपुरा ए तक मुख्य सीवर लाइन का कार्य	20.00	मै. मनीष कन्सट्रक्शन
19.	11	अशोकपुरा कच्ची बस्ती में सीवर कार्य	18.48	मै. पाटनी ट्रेडर्स
20.	11	शिव मार्ग गवर्नर हाउस के पीछे सीवर कार्य	1.72	मै. जगदीश महावर
21.	11	डी.पी. कॉलोनी, सीवरेज फार्म, पंचोली विहार, गोवर्धन पुरी आदि में मुख्य सीवर लाइन का कार्य	29.02	मै. वी.पी. शर्मा
22.	16	22 गोदाम कच्ची बस्ती में सीवर लाइन डालने का कार्य	19.00	मै. तिरूपति कन्सट्रक्शन

1	2	3	4	5
23.	16	गीजगढ़ हाउस/22 गोदाम कॉलोनी में सीवर लाइन डालने का कार्य	22.00	मै. दीनदयाल जैन
24.	16	शर्मा कॉलोनी 22 गोदाम में सीवर लाइन डालने का कार्य	18.00	मै. न्यू सैनी कन्सट्रक्शन कम्पनी
25.	16	अवधपुरी एवं पास की कच्ची बस्ती लाल कोठी योजना में सीवर लाइन डालने का कार्य	3.52	मै. वेलकम कन्सट्रक्शन
26.	16	सीवरेज फार्म रोड पर रामनगर विस्तार, नन्दपुरी, हरीजन बस्ती 22 गोदाम आदि में मुख्य सीवर लाइन का कार्य	29.26	मै. कपूर चन्द
27.	16	आउटफाल सीवर में 350 एम.एम. व्यास से ज्योति नगर का मिलान कार्य	1.20	मै. प्रभात कन्सट्रक्शन
28.	16	ज्योति नगर में सीवर लाइन डालने का कार्य	6.70	मै. महावीर कन्सट्रक्शन
29.	17	गोविन्दपुरी में सीवर लाइन डालने का कार्य	18.60	मै. रघुवीर शरण गुप्ता

1	2	3	4	5
30.	17	रामनगर विस्तार में सीवर लाइन डालने का कार्य	17.00	मै. तिरूपति कन्सट्रक्शन
31.	17	केशव नगर एवं भगत वाटिका में सीवर लाइन डालने का कार्य	9.89	मै. विष्णु कन्सट्रक्शन
32.	17	हवा सड़क पर पंचवाटिका एवं यश विद्या मंदिर के पास सीवर लाइन का कार्य	4.98	मै. पवन कन्सट्रक्शन
33.	17	तेजाजी मार्ग न्यू सांगानेर रोड सोडाला सीवर लाइन का कार्य	8.40	मै. आर. एस. एन्टरप्राइजेज
34.	17	बजरंग कॉलोनी राम नगर, सोडाला में सीवर का कार्य	7.80	मै. दीनदयाल जैन
35.	17	रामनगर सोडाला थाने के पीछे सीवर लाइन का कार्य	7.75	मै. पाटनी ट्रेडर्स
36.	17	गौरव नगर सिविल लाइन में सीवर लाइन डालने का कार्य	1.04	मै. बकोलिया कन्सट्रक्शन
37.	17	कामधेनू शापिंग सेन्टर के पीछे सीवर कार्य	0.60	मै. बकोलिया कन्सट्रक्शन
38.	17	मैसूर हाउस में सीवर लाइन डालने का कार्य	5.92	मै. शिवचन्द मौर्य

1	2	3	4	5
39.	17	गणेश नगर ए में सीवर लाइन डालने का कार्य	6.50	मै. दुआ कन्सट्रक्शन
40.	17	शिव मार्ग गोविन्दपुरी 80 रोड़ पर मुख्य सीवर लाइन का कार्य	21.00	मै. रघुवीर शरण गुप्ता
41.	17	सुल्तान नगर एवं राधा विहार में मुख्य सीवर लाइन का कार्य	22.11	मै. मनीष कन्सट्रक्शन क.
42.	17	कल्याणपुरी मन्दिर मार्ग में सीवर लाइन का कार्य	9.50	मै. गोपी राम
43.	17	सीवरेज फार्म सोडाला में सीवर लाइन का कार्य	25.50	मै. सुनील कुमार जैन
44.	21	एस-225-250 महावीर नगर में सीवर लाइन डालने का कार्य	5.60	मै. शिवचन्द मौर्य
45.	6 व 17	सरदार पटेल कॉलोनी में सीवर लाइन डालने का कार्य	3.23	मै. दुआ कन्सट्रक्शन
46.	सम्पूर्ण जोन	सिविल लाइन जोन में सीवर लाइन यूरिनल मेनहोल मरम्मत कार्य	10.00	मै. अनु. एन्टरप्राइजेज
		कुल योग	585.98	

1	2	3	4	5
जोन का नाम - विधाधर नगर जोन				
1	01	आर्य नगर, मुरलीपुरा में सीवर लाइन निर्माण कार्य	9.99	मै. आर. एस. एन्टरप्राइजेज
		कुल योग	9.99	

जोन का नाम - मोती डूंगरी जोन

1.	33	आदर्श नगर में सीवर लाइन डालने का कार्य	9.64	मै. सुनील कुमार जैन
2.	33	तिवारी की बगीची में सीवर लाइन डालने का कार्य	3.49	मै. चौथमल नावरिया
3.	33	सिन्धी कॉलोनी में सीवर लाइन डालने का कार्य	5.76	मै. अटल कन्स.
4.	33	फ्रंटीयर कॉलोनी में सीवर लाइन डालने का कार्य	10.40	मै. गोपीराम
5.	35	उनियारा गार्डन में सीवर लाइन डालने का कार्य	9.95	मै. अटल कन्स.
6.	35	मेहनतों का बाग में सीवर लाइन डालने का कार्य	6.94	मै. कपूर चन्द
7.	35	आनन्दपुरी में सीवर लाइन डालने का कार्य	7.68	मै. राजस्थान कन्सट्रक्शन
8.	35	आनन्दपुरी में सीवर लाइन डालने का कार्य	10.61	मै. एस.के. जैन

1	2	3	4	5
9.	35	तख्तेशाही रोड में सीवर लाइन डालने का कार्य	12.00	मै. शर्मा ब्रदर्स
10.	35	संग्राम कॉलोनी में सीवर लाइन डालने का कार्य	0.35	मै. श्रीराम एन्टरप्राइजेज
11.	35	चाट हाउस की गली में सीवर लाइन का कार्य	2.00	मै. जगदीश महावर
12.	35	राधामार्ग में सीवर लाइन कार्य	3.20	मै. सागर कन्स.
		कुल योग	82.02	

परिशिष्ट-"अ"

JAIPUR DEVELOPMENT AUTHORITY, JAIPUR

प्रपत्र-'अ'

बनीपार्क क्षेत्र में विभिन्न वार्डों की कालोनियों में पूर्ण हुये/चल रहे सीवर कार्यों का विवरण					
Ward No.	**Package**	**Agency**	**Schemes completed**	**Scheme under progress**	**Re-marks**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
3	Nirman Nagar	M/s Vinod Kr. Goyal	Brijlalpur	Nirman Nagar A,B	
			Santosh Nagar		
			Padmawati II	Nirman Nagar C	
			Everest Vihar		
			Padmawati I		

1	2	3	4	5	6
			Kastoorba Nagar	Parshwanath Colony	
			Shiv Shakti Nagar		
			Udai Nagar A,B		
			Gyan Vihar		
			Shanti Nagar		
			Vrandavan Vihar	Nirman Nagar D	
14	Maharani Farm	M/s Rajdhani Const. Company	Gayatri Nagar 'A'		
			Mahaveer Nagar II		
			Ayuvan Singh Nagar	Moti Nagar	
			Gangaram Nagar		
			Shri Gopal Nagars	Vishvesaria Nagar	
			Raghu Vihar		
			Vishwa karma Nagar	Shanti Nagar	
			Prithiviraj Nagar		
			Mangal Vihar		
			Scheme No. 10A		
			Vishwa Karma Nagar 1.2 (fesible portion)		
			Sukh Vihar		
			Shri Puram		
			Karol Bagh 16B		

1	2	3	4	5	6
			Gopalpura C		
11	Shyam Nagar	M/s Ram Das Gupta	Scheme No. 8B		
			Devi Nagar		
			Kateva Nagar	Vivek Vihar	
			Surendrapal	Sarti Nagar	
			Laxman Nagar	Shyam Nagar Exten.	
			Kishan Nagar		
14	Mahesh Nagar	M/s Rajdhani const. Company	Devi Chiranjiv colony	Shakti Nagar	
			Ashok Vihar	Krishna Vihar	
			Krishna Vihar Exten.	Pushpanjaly	
			Scheme No. 11	Mahesh Nagar B-C	
			Govind Colony (56)	Gopal Nagar-A	
				Scheme No. 8	
				Dayal Nagar	
				Jagdish Colony	
				Roop Nagar-II	
				Patel Nagar	
				Kajod Colony	
14	Mahesh Nagar	M/s Vrandavan Cons.	Madhav Nagar	Tagore Nagar	

1	2	3	4	5	6
			Scheme No. 17	Tajaji Nagar	
			Bhagwati Nagar-II	Saini Colony	
			Hanuman Colony		
			Chodhary Colony		
			Ganesh Colony		
			Vijay Nagar A		
			Vijay Nagar B		
			Barathi Nagar		
			Shri Gopal Nagar		
3, 9	Between Gandhi Path & Railway Line	M/s Krishna Consts.	Karni Nagar	Ratore Nagar Green Avenue	
			Cosmo Colony	Climar Colony Chinkara Colony	
			Gulmohar Lane	Marudhar Vihar	
			Veer Vihar	Officer Campus Ext. Maharana Pratap Nagar	
			K5	Officers Campus	
			Gome's Defence (GNSS Nanakpuri)	Gome's Defence (GNSS Madhev)	
				Amar Nagar	

1	2	3	4	5	6
				Om Nagar	
				Ganga Colony	
3, 9	Between Gandhi Path & Ajmer Road	M/s Ramdas Gupta	Doctors Colony Marudhar Nagar	M.G. Nagar	
			Vidhut Nagar 'A'		
			Vidhut Nagar 'B'		
			Bhan Nagar		
			Nityanand Nagar A		
			Bhoora Patel Nagar A & B		
			Heera Nagar		
			Tagore Nagar-J		
			Vimal Nikuj		
			Neel Kanth		
			Tagore Nagar		
			Shalimar Bagh		
			Girnar Colony		
			Mahadev Nagar		

Zonal Engineer (PHE-I/II)

परिशिष्ट-"क"

बनीपार्क विधान सभा क्षेत्र

Ward No.	Agency	Name of Contractor	Main Submain	Remarks
1	2	3	4	5
1	JDA	M/s. Vinod Kumar Goyal M/s. Vrindawan Construction	Main Sewer Submain Sewer	Murlipura Area
3	JDA	M/s. Ram Das Gupta M/s. Krishna Contractors M/s. Vinod Kumar Goyal	Lateral Sewer Lateral Sewer Lateral Sewer	Area between Queens road, 200' By pass Ajmer Rly line & Ajmer Road. Nirman Nagar area.
7	JDA	M/s. Krishna Contractors	Lateral Sewer	Area between Queens road, 200' By pass Ajmer Rly line & Gandhi path.
9	JDA (Partial)	M/s. Krishna Contractors	Lateral Sewer	Area between Queens road, 200' By pass Ajmer Rly line & Gandhi path.
11	JDA	M/s. Vinod Kumar Goyal	Lateral Sewer	Nirman Nagar area.
14	JDA	M/s. Rajdhani Construction M/s. Rajdhani Contruction	Lateral Sewer Lateral Sewer	Mahesh Nagar area between 80' road & Gopalpura Bye pass. Maharani Farm area.
15	JDA	M/s. Vrindawan Contruction	Lateral Sewer	Mahesh Nagar area between 80' road & Kartarpura Nallah.

अजमेर पर्यटक नगर आवासीय योजना का नियमन

782. श्री कन्हैया लाल मीणा (बस्सी) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि "दी जयनगर को-आपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड अजमेर" ने ग्राम चौरियावास, तहसील व जिला अजमेर की खसरा नम्बर 341, 340, 343, मि 344 व 349 कुल क्षेत्रफल 6 बीघा 8 बिस्वा को सम्बन्धित खातेदारों से रजिस्ट्री/इकरारनामा द्वारा क्रय कर "पर्यटक नगर" आवासीय योजना के नाम से भू-आबंटन पत्र जारी किए एवं नियमन हेतु सूची मय रिकार्ड नगर सुधार न्यास अजमेर में जमा कराई है ? यदि हां, तो कब ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार शीघ्र उक्त पर्यटक नगर का यथास्थान नियमन करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि सरकार उक्त भूमि पर पृथ्वीराज नगर योजना बसाने की कार्यवाही कर रही है ? यदि हां, तो उक्त भूमि पर ही "पर्यटक नगर" सोसायटी के पट्टेधारियों को बसाए जाने की क्या योजना प्रस्तावित है ?

(4) वर्तमान में उक्त भूमि का वास्तविक स्वामित्व किसके पास है ?

उत्तर

(1) जी हां। ग्राम चौरसियावास के खसरा नम्बर 341, 340, 343 मि. 344 व 349 कुल क्षेत्रफल 6 बीघा 8 बिस्वा भूमि जयनगर को आपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड अजमेर द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा क्रय कर इस भूमि में पर्यटक नगर योजना के नाम से भू-आबंटन पत्र जारी किये हैं। यह सही है कि समिति ने नियमन हेतु आवेदन किया।

(2) पर्यटक नगर योजना की भूमि नगर सुधार न्यास, अजमेर की प्रस्तावित पृथ्वीराज नगर योजना का भाग है। प्रश्नगत भूमि न्यास योजना क्षेत्र का भाग होने से यथा स्थान नियमन करने का विचार नहीं है।

(नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री)

(3) हां। यह सही है कि इस भूमि पर पृथ्वीराज नगर योजना बनाने की कार्यवाही की जा रही है। खातेदारी भूमि अवाप्ति हेतु केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम, 1894 की धारा 4 एवं 6 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी की जा चुकी है। खातेदारों को नियमानुसार मुआवजा दिया जाना प्रस्तावित है।

(4) वर्तमान में प्रचलित राजस्व अभिलेख वर्किंग जमाबंदी में ख.नं. 340, 341, 343 मि. 344 कुल रकबा 6-02-00 बीघा श्री हनुमान एग्रीकल्चर फार्म अनासागर सरक्यूलर रोड, अजमेर बजरिये मैसर्स हनुमान प्रसाद, किशनलाल पाराशर एण्ड संस एण्ड ब्रदर्स के नाम तथा ख.नं. 349 रकबा 0-06-00 बीघा श्री विक्रम सिंह, देवेन्द्र सिंह पुत्रगण गुलाब सिंह के नाम खातेदारी में अंकित है।

जयपुर गोविन्द नगर विस्तार (पूर्व) आमेर रोड की क्षतिग्रस्त सड़कें

783. **श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (नदबई)** : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र जयपुर ग्रामीण की आमेर रोड़ स्थित आवासीय कालोनी गोविन्द नगर पूर्व विस्तार के मकानों का नियमन किया जा चुका है ? यदि हां, तो कब ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि नियमन के उपरान्त भी उक्त कालोनी में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या अब सरकार उक्त सुविधाएं उपलब्ध कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त कालोनी की सड़कें सीवर लाइन डालने के कारण टूट-फूट गई हैं यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़कों को पुन: बनवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

(श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर)

(4) क्या यह सही है कि उक्त कालोनी में प्रवेश के मुख्य मार्ग दशहरा कोठी रोड़ की सड़क पूर्णतः टूट-फूट गई है एवं इससे बने गहरे गड्डों में सदैव पानी जमा रहने से आवागमन में काफी असुविधा होती है ? यदि हां, तो अब सरकार कब तक उक्त सड़क का पुनर्निर्माण कराने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। गोविन्द नगर पूर्व का प्रथम नियमन शिविर दिनांक 12-1-2000 को एवं गोविन्द नगर विस्तार का प्रथम नियमन शिविर दिनांक 10-4-2002 को आयोजित किया गया था।

(2) वर्तमान में इस क्षेत्र में सड़कें एवं नालियां, पार्क, रोड़ लाइट मौजूद है; वार्ड नम्बर 52 के अन्तर्गत आने वाला गोविन्द नगर पूर्व विस्तार का क्षेत्रफल काफी बड़ा है। अतः आर्थिक संसाधनों की उपलब्धता पर ही विकास कार्य कराना सम्भव होंगे।

(3) आर.यू.आई.डी.पी. द्वारा सीवर लाइन डालने का कार्य करवाया जा रहा है। जिसके कारण कालोनी की कुछ सड़कें सीवर लाइन डालने से कटी है सीवर लाइन डालने के उपरान्त मेन होल बनाये जाते हैं तत्पश्चात सड़कों की मरम्मत की जाती है। सीवर लाइन डालने के ठेके में ही रोड़ मरम्मत का कार्य सम्मिलित है। अतः तदनुसार सड़कें ठीक करवाई जा रही हैं।

(4) जी हां। दशहरा कोठी रोड़ मुख्य मार्ग एवं सैक्टर रोड़ होने के कारण जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा संधारित की जा रही हैं। सड़क पर जहां-जहां गढ्ढे हैं उन्हें भरवाने की कार्यवाही की जा रही है तथा सम्पूर्ण सड़क का पुर्ननिर्माण वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने के उपरान्त करना प्रस्तावित है।

डिप्लोमाधारी सिविल अभियन्ताओं की नियुक्ति में अनियमितताएं

784. श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़) : क्या आयोजना (जनशक्ति) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि डिप्लोमाधारी सिविल इंजीनियर्स की विभिन्न विभागों/निगमों द्वारा जन शक्ति विभाग की अवहेलना कर बिना उचित विज्ञप्ति के कई वर्षों से काफी तादाद में की गई नियम विरूद्ध भर्ती की तत्कालीन मंत्री/उपमुख्य मंत्री द्वारा जांच कराई गई थी ? यदि हां, तो उक्त जांच के क्या परिणाम रहे ? जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार उक्त नियम विरूद्ध भर्ती को अब कब तक निरस्त कराने व भविष्य में ऐसी भर्तियों को रोकने हेतु क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) दिनांक 12-3-2003 को माननीय सदस्य श्री राजेन्द्र सिंह राठौड़ द्वारा विधान सभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जो कि विभिन्न विभागों/निगमों/बोर्डों द्वारा 1995-96 से 1999-2000 तक 1070 अभियन्ताओं की सीधी भर्ती कार्मिक विभाग द्वारा जारी निर्देशों की अवहेलना के सम्बन्ध में था, उस समय पर विचार विमर्श के उपरान्त आयोजना (जनशक्ति) मंत्री महोदय द्वारा यह घोषणा की गई कि 1070 इंजीनियर्स की जो सीधी भर्ती की गई है उसमें राजकीय परिपत्र की अवहेलना हुई है या नहीं के सम्बन्ध में जांच करवाई जाएगी। उक्त जांच रिपोर्ट विभाग द्वारा सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर को दिनांक 14-7-2003 को प्रेषित कर दी गई थी। इसकी प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) विभिन्न विभागों ने जांच रिपोर्ट में अवगत कराया कि विभागों द्वारा सीधी भर्ती उनके सेवा नियमों के प्रावधानों के अनुसार की गई थी।

परिशिष्ट-"अ"

क्रमांक :-एफ.7(15)जश./निदे./2000/1398 दिनांक : 14-7-03

सचिव,

राजस्थान विधान सभा,

जयपुर।

विषय : दिनांक 12-3-2003 को माननीय सदस्य श्री राजेन्द्र राठौड़ के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर हुई चर्चा के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में लेख है कि दिनांक 12-3-2003 को माननीय सदस्य श्री राजेन्द्र सिंह राठौड़ द्वारा विधान सभा में रखे गये ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जो कि विभिन्न विभागों/निगमों/बोर्डों द्वारा वर्ष 1995-96 से 1999-2000 तक 1070 अभियन्ताओं की सीधी भर्ती कार्मिक विभाग द्वारा जारी निर्देशों की अवहेलना के सम्बन्ध में था उस पर विचार विमर्श के उपरान्त आयोजना (जनशक्ति) मंत्री महोदय द्वारा यह घोषणा करी कि 1070 इंजीनियर्स की जो सीधी भर्ती की गई हैं उसमें राजकीय परिपत्र की अवहेलना हुई है या नहीं इसके सन्दर्भ में जांच करवाई जाएगी।

इस सम्बन्ध में विभिन्न विभागों द्वारा की गई सीधी नियुक्ति के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त की गई। प्राप्त सूचना के अनुसार वस्तुस्थिति निम्न प्रकार से है :-

क्र. सं.	विभाग का नाम	सीधी भर्ती से की गई नियुक्तियां	कार्मिक विभाग द्वारा 25-8-1998 को जारी परिपत्र से पूर्व की गई सीधी भर्ती	25-8-1998 के बाद की गई सीधी भर्ती
1	2	3	4	5
1.	विद्युत निरीक्षणलाय	1	1	-

1	2	3	4	5
1.	विद्युत निरीक्षणलाय	1	1	-
2.	स्थानीय निकाय विभाग	97	97	-
3.	जनस्वास्थ्य अभि. विभाग	92	84	8
4.	सार्वजनिक निर्माण विभाग	277	277	-
5.	राज. स्टेट इन्डस्ट्रीयल डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन	94	94	-
6.	खान एवं भू विज्ञान विभाग, उदयपुर	21	21	-
7.	राज. राज्य खान एवं भू खान वि.लि., जयपुर	4	4	-
8.	तकनीकी शिक्षा विभाग	20	20	-
9.	भारत संचार निगम लिमिटेड	56	23	33
10.	सिंचाई विभाग	167	167	-
11.	जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर	150	29	121

1	2	3	4	5
12.	एम.एल.वी. टैक्सटाईल इन्स्टीटयूट, भीलवाड़ा	9	9	-
13.	अभियांत्रिकी महाविद्यालय, कोटा	30	27	3
14.	मालबीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जयपुर	42	12	30
15.	राजस्थान आवासन मण्डल	10	10	-
	योग	**1070**	**875**	**195**

उपरोक्त 1070 अभियांत्रिकी स्नातकों एवं डिप्लोमाधारियों की सीधी भर्ती विभागों के सेवा नियमों में प्रावधान के अनुसार की गई है।

राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र सं. एफ.2(1)कार्मिक/क-2/अ.प्र./91 दिनांक 25-8-1998 में यह निर्देश दिये गये हैं कि राज्य सरकार से सम्बन्धित विभाग/निगम/बोर्डों आदि में अभियांत्रिकी पदों पर आवश्यक/अस्थाई भर्ती हेतु जनशक्ति विभाग से मैरिट सूची मंगवा कर नियुक्ति आदेश जारी करेंगे तथा नियमित सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन प्रकाशित कर आवेदन पत्र आमंत्रित करने के साथ-साथ आयोजना जनशक्ति विभाग से 1:5 के अनुपात में मैरिट सूची के नाम अनिवार्य रूप से मंगवाये जावेंगे।

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि 875 अभियांत्रिकी स्नातकों एवं डिप्लोमाधारियों की सीधी भर्ती राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र 25-8-1998 से पूर्व की गई है। इन भर्तियों के सम्बन्ध में जनशक्ति विभाग से सम्बन्धित

विभागों को सूची प्राप्त करना आवश्यक नहीं था। शेष 195 अभियांत्रिकी की नियुक्ति 25-8-1998 को जारी निर्देशों के उपरान्त की गई है। जिनमें से 99 भर्तियां राजस्थान राज्य विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर द्वारा आयोजना (जनशक्ति) विभाग से सूची मंगवाकर की गई है। इसी प्रकार भारत संचार निगम लिमिटेड जो कि भारत सरकार का उपक्रम है उसके द्वारा 33 नियुक्तियां दिनांक 25-8-1998 के बाद की गई हैं उसमें आयोजना (जनशक्ति) विभाग से सूची प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं थी। जिन विभागों ने 25-8-1998 को जारी परिपत्र के उपरान्त सीधी नियुक्तियां दी हैं, उनके द्वारा कारण निम्न प्रकार से बताये गये हैं :-

क्र. सं.	विभाग का नाम	कारण
1.	मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जयपुर	मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान एक स्वायत्तशासी संस्था है। अत: पदों पर सीधी भर्ती विज्ञापन प्रसारित करके की गई है।
2.	भारत संचार निगम लिमिटेड (भारत सरकार का उपक्रम) जयपुर	यह एक भारत सरकार का उपक्रम है तथा सीधी भर्ती भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार की जाती है।
3.	जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर	वर्ष 1996 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा व्यवस्था दी गई थी कि रिक्त पदों को भरने हेतु नियोजन विभाग से अभियांत्रिकों के नाम मंगवाने के साथ-साथ समाचार पत्रों, रेडियो, दूरदर्शन व अन्य नियोजन बुलेटिनों के माध्यम से भी नाम मंगवाये जाने चाहिए। अत: सर्वोच्च

1	2	3
		न्यायालय द्वारा दी गई व्यवस्था के पश्चात् उक्त आदेशों की पालना की गई है।
4.	जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर	चूरू-हनुमानगढ़-झुन्झुनूं पेयजल परियोजना पर सीमित पदों को भरने हेतु माह जनवरी, 1999 में वित्त विभाग से मुख्य अभियन्ता, परियोजना प्रबन्ध प्रकोष्ठ (पी.एम.सी.) चूरू ने स्वीकृति प्राप्त कर माह फरवरी, 1999 में कनिष्ठ अभियन्ताओं की नियुक्तियां की गई है।
5.	अभियांत्रिकी महाविद्यालय, कोटा	ए.आई.सी.टी.ई. से सम्बद्धता के कारण महाविद्यालय में पदों पर नियुक्तियां अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के मानदण्डों एवं महाविद्यालयो भर्ती सम्बन्धी नियमों के आधार पर खुली चयन प्रक्रिया से की जाती है।

उपरोक्त विवरण के अनुसार 63 अभियन्ताओं (जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग-8, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड-22, अभियांत्रिकी महाविद्यालय कोटा-3, मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जयपुर-30) की सीधी भर्ती के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों द्वारा जारी परिपत्र संख्या-एफ.2 (1)कार्मिक/क-2/अ.प्र./91 दिनांक 25-8-1998 के निर्देशों की पालना नहीं की गई है किन्तु उपरोक्त विभागों द्वारा सीधी भर्ती उनके सेवा नियमों के प्रावधानों के अनुसार की गई है।

भवदीय
सचिव
आयोजना विभाग

चूरू जिले की तहसील राजगढ़ एवं तारानगर में चयनित परिवारों को कुटीर ज्योति योजनान्तर्गत विद्युत कनेक्शन

785. डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला चूरू की तारानगर एवं राजगढ़ तहसील में बी.पी.एल. परिवार के चयनित सदस्यों में से कई सदस्यों के घरों में कुटीर ज्योति विद्युत् कनेक्शन नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो इन्हें कनेक्शन कब तक दे दिया जावेगा ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त क्षेत्र में बी.पी.एल. परिवारों को जो कुटीर ज्योति कनेक्शन दिये हुए हैं उन लोगों द्वारा विद्युत बकाया राशि जमा नहीं कराने के कारण कनेक्शन काट दिये गये हैं ? यदि हां, तो उनकी सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार इन लोगों की अकाल एवं जटिल आर्थिक स्थिति एवं मानवीय आधार पर बकाया राशि माफ करने एवं पुनः कनेक्शन देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब ?

उत्तर

(1) जी हां। चूरू जिले की तारानगर एवं राजगढ़ तहसील में बी.पी.एल. परिवारों की सूची में से चयनित कई सदस्यों (चयनित परिवारों) के घरों में कुटीर ज्योति विद्युत कनेक्शन बकाया हैं। इन बकाया चयनित सदस्यों (चयनित परिवारों) को वित्तीय वर्ष 2004-05 में निर्धारित लक्ष्यों के तहत निगम के नियमानुसार एक बत्ती घरेलू कनेक्शन दिये जाने की कार्यवाही की जावेगी।

(2) जी हां। चूरू जिले की तारानगर एवं राजगढ़ तहसील में कुटीर ज्योति योजना में दिये गये कनेक्शनों में से 72 कनेक्शनों की विद्युत राशि उपभोक्ताओं द्वारा निर्धारित समयावधि में जमा न कराने पर उनके विद्युत सम्बन्ध निगम नियमानुसार विच्छेद किये गये हैं। जिनका विवरण परिशिष्ट-"अ" पर उपलब्ध है।

(ऊर्जा मंत्री)

(3) जी नहीं। कुटीर ज्योति योजना के उपभोक्ताओं की बकाया राशि माफ करने एवं बकाया राशि पर पुनः कनेक्शन देने सम्बन्धी कोई प्रावधान नहीं है।

नागौर जिले के विद्युत सब स्टेशनों पर शिकायत रजिस्टर का संधारण

786. श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या नागौर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में बने 33/11 के.वी. सब स्टेशनों पर उपभोक्ता शिकायत रजिस्टर रखने के निर्देश सम्बन्धित विद्युत अधिकारियों द्वारा दिये गये हैं ? यदि हां, तो कब से ?

(2) उक्त आदेशों की पालना में किन-किन सब स्टेशनों पर शिकायत रजिस्टर रख दिये गये व किन-किन पर अभी तक नहीं रखे गये ? बिना शिकायत रजिस्टर वाले सब-स्टेशनों के अन्तर्गत आने वाले उपभोक्ताओं द्वारा अपनी शिकायतें कहां पर दर्ज कराई गई ? वर्ष 2003 से 2004 तक का विवरण ग्रिड सब-स्टेशनवार सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। नागौर जिले के तहसील लाडनूं के क्षेत्र को छोड़कर शेष ग्रामीण क्षेत्र में बने सभी 33/11 के.वी. सब-स्टेशनों पर उपभोक्ता शिकायत रजिस्टर रखने के निर्देश अधिकारियों द्वारा सम्बन्धित कर्मचारियों को दिये गये हैं। ये आदेश जनवरी, 2004 से लागू है।

(2) उक्त आदेशों की पालना में जिला नागौर में तहसील लाडनूं में स्थित 33/11 के.वी. सब स्टेशनों को छोड़कर शेष सभी 33/11 के.वी. सब-स्टेशनों पर विद्युत उपभोक्ता शिकायत रजिस्टर रखे हुये हैं व उपभोक्ता उनमें शिकायत दर्ज करा सकता है। तहसील लाडनूं क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में लेडी, बाकलियां, सुनारी, रताऊ, निम्बीजोधा और भरमाड़ा के 33/11 के.वी. सब-स्टेशनों पर उपभोक्ता शिकायत रजिस्टर नहीं रखे गये हैं। इन सब-स्टेशनों के अन्तर्गत आने वाले गांवों में पदस्थापित निगम के कर्मचारी सी.सी.ए. का ही कार्य करते हैं। वे सामान्यतः उपभोक्ताओं की मौखिक सूचना पर ही उनकी

(ऊर्जा मंत्री)

शिकायतों का निवारण करते हैं। अत: वर्ष 2003 से 2004 तक का विवरण उपलब्ध नहीं है।

प्रपत्र-"अ"

पंचायत समितिवार बकाया राशि पर काटे गये चयनित परिवारों के कनेक्शन की सूची

क्र. सं.	उपभोक्ता का नाम	गांव	खाता सं.	बकाया	कनेक्शन काटने की तिथि
1	2	3	4	5	6
पंचायत समिति - राजगढ़					
1.	श्रीमती माया देवी/बलबाग	बंशीयावास	1511/96	5000/-	19-8-2003
2.	श्री प्रताप/माईधन धानक	पहाड़सर	1614/04	512.16	1-3-1995
3.	" ताराचन्द/हरचन्द	"	" /05	610.00	1-3-1995
4.	" राजवीर/हरी धानक	नांगल छोटी	1708/54	5299.00	26-2-2002
5.	" बालूराम/सोहनराम	"	" /59	5353/-	1-5-2001
6.	श्रीमती विधादेवी/भगतलाल	"	" /95	1935/-	1-5-2001
7.	श्री रामप्रताप/राजवीर	"	" /98	3905/-	31-1-2003
8.	श्रीमती गुड्डी/मीतुराम	"	" /97	977/-	1-5-2001
9.	" बसशाना/पवन कु.	"	" /98	2578/-	1-5-2001
10.	" पंकजकुमार/शीशपाल	"	" /99	2253/-	1-5-2001
11.	" भगवानाराम/सीताराम	"	" /100	2534/-	18-12-2003
12.	श्रीमती अमरीदेवी/भगवानसिंह	ड़ोकवा	1805/205	2457/-	1-11-2002

1	2	3	4	5	6
13.	" मनकोरी/सुरजराम	महलाना	2218/65	7152/-	28-3-2003
14.	श्री मानकराम/मोहनराम	दिखनाया धोलिया	2219/73	1802/-	18-10-2003
15.	" धर्मवीर/ऊमंगसिंह	धोलिया	2219/74	1960/-	18-10-2003
16.	" ब्रजलाल/अमीचन्द	धुंवासेरी	2312/28	2412/-	1-10-2003
17.	" धनोदेवी/रणवीर	रामसरालाल	2314/91	4319/-	31-12-2002
18.	" चिरंजीलाल/श्योलाल	भैरासर गुमाना	1607/19	2257/-	1-9-2002
19.	श्रीमती सरोज/जोगीराम	खैरू थड़ी	1705/25	4431/-	1-11-2003
20.	" विमला/मालाराम सांखू	सांखू	1803/169	2409/-	1-11-2003
21.	श्री जोहराराम/हरचन्दराम सांखू	सांखू	1804/121	4025/-	1-5-2001
22.	" लक्ष्मणराम/मालाराम	सांखू	" /124	8462/-	1-1-2002
23.	" रामकुमार/बस्तीराम	सांखू	" /125	2883/-	1-9-2002
24.	" किशनाराम/गिरधारी	"	" /123	8076/-	1-1-2002
25.	" सांवरमल/नागरमल	"	" /124	4193/-	1-9-2002
26.	" किशनलाल/ईश्वरलाल	"	" /125	2430/-	1-9-2002
27.	" द्वारका प्रशाद/नागरमल	"	" /126	4221/-	1-9-2002
28.	" पीलूराम/प्रहलादराम	"	" /127	4243/-	1-5-2001

1	2	3	4	5	6
29.	" गोपालराम/मालाराम	"	" /131	5192/-	1-9-2002
30.	श्रीमती कमला/गिरधारीलाल	नेशल छोटी	1867/67	3258/-	1-9-2002
31.	" किस्तुरी/नेभीराम	गुदन्द	2306/70	851/-	1-4-2002
पंचायत समिति तारानगर					
1.	श्री भंवरलाल/हरजीराम	ढाणीकुम्हारान	1508/140	2802/-	18-8-1999
2.	" अमरसिंह/हिराराम	"	1504/214	850/-	1-5-2002
3.	" भंवरलाल/जीताराम	"	" /216	1019/-	1-5-2002
4.	" रेवंतराम/जसुराम	किम्सानालाल	1505/148	5061/-	12-12-2002
5.	" गुगनराम/पुर्णाराम	"	" /149	4821/-	12-12-2002
6.	" मोटाराम/चन्दुराम	"	" /150	8478/-	12-12-2002
7.	" मंगलाराम/धलाराम	"	" /151	9289/-	12-12-2002
8.	" प्रताप/सुलतानाराम	ढाणा पख सांस्यु	1506/62	1819/-	1-3-2002
9.	" लिक्ष्मणराम/रेवंताराम	"	" /82	557/-	1-11-2002
10.	" पूर्णाराम/मुरजाराम	"	" /441	1037/-	1-11-2002
11.	" रामेश्वर/सुरजाराम	ढाणा पख सात्यू	1506/242	1053/-	1-1-2003
12.	" शीशपाल/मंशीराम	हाबड़ी बड़ी	1507/89	1974/-	1-11-2001

1	2	3	4	5	6
13.	" फूलचन्द/मोतीदास	चंगोई	1708/27	473/-	1-3-2001
14.	" कुम्भाराम/मूलाराम	थैलाना	1709/87	1554/-	1-1-2002
15.	" चानणराम/कालूराम	पुनरास	1709/97	2424/-	1-3-2001
16.	" नरसाराम/उदमीराम	थैलाना	1709/121	1412/-	1-1-2002
17.	" रतनाराम/उमाराम	पुनरास	1709/142	1422/-	1-5-2002
18.	" ताराचन्द/श्योचन्द	"	1709/196	1430/-	1-5-2002
19.	" लुणाराम/कालूराम	"	1709/197	931/-	1-5-2002
20.	" सुधाराम/कालूराम	"	1709/198	1512/-	1-5-2002
21.	" रामचन्द्र/हंसाराम	"	1909/199	1658/-	1-5-2002
22.	" मोहरसिंह/सोहनलाल	"	1709/200	930/-	1-5-2002
23.	" माणकराम/ताजूराम	कोहिणा	1804/178	755/-	1-1-2002
24.	" बीरबलराम/हरखाराम	"	" /179	1368/-	1-1-2002
25.	" किसनाराम/शेराराम	"	" /241	1173/-	1-1-2002
26.	" ओम प्रकाश/सुलतान	सारायण	1805/130	3176/-	1-5-2002
27.	" धन्नानाथ/पन्नानाथ	"	" /133	1830/-	1-1-2003
28.	" बीरबलनाथ/गोमदनाथ	"	" /134	1999/-	1-5-2002
29.	" पालसिंह/दानसिंह	बीलिया	2103/73	2163/-	1-4-2001
30.	" केदारमल/हरचन्द	कर्णपुरा	" /78	1756/-	1-12-2000

1	2	3	4	5	6
31.	" हुणतराम/पुराराम	भामरा	2104/135	2078/-	1-6-1997
32.	" लिक्ष्मणराम/मोहनराम	ढाणा माकरान	2108/10	1852/-	1-12-2000
33.	" दीपाराम/सलाराम	गाजनार	" /60	1957/-	1-12-2000
34.	" लालचन्द/सुगनाराम	गड़ाना	" /198	927/-	11-3-1999
35.	" लिलूराम/किशनाराम	"	" /199	957/-	1-4-2002
36.	" मनीराम/रूधाराम	बुचावास	2110/57	1835/-	1-4-2001
37.	" किशनाराम/हरिराम	बांय	2201/151	2081/-	1-4-2002
38.	" हाबरराम/मोट्राम	"	2201/158	3725/-	1-10-1998
39.	" बीलूराम/चलरूराम	राजपुरा	2302/92	764/-	17-11-2002
40.	" ओमप्रकाश/दुर्गाराम	"	" /98	665/-	1-12-2001
41.	" महावीर/पुर्णाराम	"	" /190	966/-	13-11-2002

जैसलमेर जिले के लम्बित कृषि कनेक्शनों का निस्तारण

787. श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला जैसलमेर में कृषि कनेक्शनों के कितने आवेदन कब से विचाराधीन हैं ? उक्त लम्बित आवेदनों का कब तक निस्तारण कर कृषि कनेक्शन जारी कर दिये जायेंगे ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 2003-04 में किन-किन श्रेणियों के कितने कृषि कनेक्शन जारी किये गये तथा लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जैसलमेर जिले में अब तक कुल सामान्य श्रेणी के कृषि कनेक्शन हेतु कुल 1157 एवं फार्म हाउस श्रेणी के 3, कुल 1160 आवेदन दिनांक 1-4-1999 से लेकर अब तक प्राप्त हुए हैं जिनका विवरण परिशिष्ट-"अ" पर उपलब्ध है। इनमें से सामान्य श्रेणी के मार्च, 2003 तक के आवेदकों की संख्या 797 है, जिनको अगले तीन वर्षों में कनेक्शन देने का लक्ष्य है। तत्पश्चात् बचे हुए आवेदकों को मार्च, 2007 के बाद सामान्य कृषि कनेक्शन देने की कार्यवाही की जावेगी। वर्ष 2004-05 की कृषि नीति के अनुसार पंचायत समितिवार कट-ऑफ-डेट के अनुसार लम्बित कृषि कनेक्शनों का अगले तीन वर्षों में निस्तारण करने का लक्ष्य निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	पंचायत समिति	वर्ष 04-05 के लक्ष्य	वर्ष 05-06 के लक्ष्य	वर्ष 06-07 के लक्ष्य
1.	जैसलमेर	मार्च, 01 तक आवेदित 220	मार्च, 02 तक आवेदित 59	मार्च, 03 तक आवेदित 63
2.	सम	मार्च, 03 तक आवेदित 76	-	-
3.	सांकड़ा	मार्च, 03 तक आवेदित 379	-	-
	योग	675	59	63

(2) जैसलमेर जिले के क्षेत्रान्तर्गत वर्ष 2003-04 में दिये गये कृषि कनेक्शनों का श्रेणीवार विवरण निम्न है :-

क्र. सं.	जिले का नाम	लक्ष्य	श्रेणीवार जारी किये गये कनेक्शनों की संख्या				
			सा. श्रे.	अ.जा. श्रे.	वि. श्रे.	फा. हा. श्रे.	कुल योग
1.	जैसलमेर	130	87	39	1	7	134

~~Arrangement [illegible] 787 [illegible]~~

परिशिष्ट 'अ'

प्र. क्र. 694

O&M - Division, Jaisalmer.

Category wise

YEAR WISE BREAK-UP OF PENDING AGRICULTURE APPLICATION AS ON 28.2004

Panchayat Samiti	1999-2000				2000-2001				2001-2002				2002-2003			
	SC	GEN	FH	TOTAL	SC	GEN	FH	TOTAL	SC	GEN	FH	TOTAL	SC	GEN	FH	TOTAL
Jaisalmer	-	133	-	133	-	70	-	70	-	58	-	58	1	127	-	128
Sam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	9	-	67	-	67
Sankara	-		-	-	-	-	-	-	-	107	-	107	-	259	-	259
Total	-	133	-	133	-	70	-	70	-	174	-	174	1	453	-	454

Panchayat Samiti	2003-2004				2004-2006				Conn. to be released during 04-05				
	SC	GEN	FH	TOTAL	SC	GEN	FH	TOTAL	SC	GEN	FARM HOUSE	TOTAL	Target 20 Pt.
Jaisalmer	10	79	1	90	3	37	2	42	14	203	3	220	SC Gen.
Sam	-	54	-	54	-	-	-	-	-	76	-	76	4 + 236
Sankara	13	53	-	66	-	74	-	74	13	366	-	379	
Total	23	186	1	210	3	111	2	116	27	645	3	675	

Kind Attention to Suptdg. Engineer (Plan) in Conn. with Assembly Question No. 694.

Executive Engineer (O&M)
J.V.V.N.L., Jaisalmer

सिकराय में 132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन की स्थापना

788. श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला दौसा में 132 के.वी. के ग्रिड स्टेशन कहां-कहां हैं तथा इन्हें कब-कब स्थापित किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या 132 के.वी. ग्रिड स्टेशन स्थापित होने से विद्युत छीजत में कमी आई है ? यदि हां, तो ग्रिड स्टेशन से पूर्व कितनी-कितनी छीजत थी तथा इनकी स्थापना के पश्चात् कितनी छीजत दर्ज हुई ?

(3) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र सिकराय में पूर्व में 132 के.वी. ग्रिड स्टेशन की मांग हुई थी ? यदि हां, तो स्वीकृति की घोषणा कब हुई ?

(4) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र सिकराय में 132 के.वी. ग्रिड स्टेशन की मांग को देखते हुए यथाशीघ्र ग्रिड स्टेशन स्थापित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जिला दौसा में वर्तमान में 132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन मण्डावर, बांदीकुई व लालसोट में क्रमशः दिनांक 20-1-1976, 31-3-1987 व 31-3-1993 को स्थापित किये गये।

दौसा में 132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन वर्ष 1981-82 में चालू किया गया था जिसे दिनांक 26-1-1993 को क्रमोन्नत कर 220 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन में परिवर्तित कर दिया गया है।

(2) जी हां। 132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन बनने पर 33 के.वी. की लाइनों की लम्बाई व उन पर सम्बद्ध भार में कमी आने से लाइनों में विद्युत की छीजत में कमी आती है।

यह छीजत लाइनों की लम्बाई व उन पर सम्बद्ध भार के वर्ग के गुणन के अनुपात में होती है। अतः उसमें कमी के अनुपात में ही छीजत में

(ऊर्जा मंत्री)

भी कमी आती है। इसका आंकलन योजना की स्वीकृति के समय किया गया था किन्तु इतने वर्ष उपरान्त अब वह उपलब्ध नहीं है।

(3) जी हां। घोषणा के बारे में निगमों को कोई जानकारी नहीं है।

(4) सिकन्दरा में 132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन बनाये जाने के प्रस्ताव की तकनीकी-आर्थिक साध्यता का आंकलन किया जा रहा है। साध्य पाये जाने पर उपलब्ध संसाधनानुसार उसे योजना में शामिल कर स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया जावेगा।

खुमारिया ग्राम (बून्दी) के कृषि उपभोक्ता का विद्युत सम्बन्ध विच्छेद प्रकरण

789. श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम खुमारिया, ग्राम पंचायत माणी, तहसील नैनवां, जिला बूंदी के कतिपय कृषि विद्युत उपभोक्ताओं का विद्युत सम्बन्ध विच्छेद किया गया है ? यदि हां, तो किस तारीख को किसके आदेश से ? आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त उपभोक्ता द्वारा जयपुर विद्युत वितरण निगम के अधिकारियों को लिखित में यह प्रार्थना पत्र दिया गया था कि उसके विद्युत मोटर मौके पर 3 हार्स पावर की है, किन्तु बिल 6 हार्स पावर का आ रहा है, जिसे दुरस्त किया जावे ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में की गई समस्त कार्यवाही एवं पत्रों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त कृषि उपभोक्ता की समस्या का समाधान किये जाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक उक्त समस्या का समाधान कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां। कतिपय उपभोक्ताओं द्वारा निगम की विद्युत बिलों की

(ऊर्जा मंत्री)

राशि जमा न कराने एवं नोटिस देने पर भी राशि जमा न कराने के कारण उनका विद्युत सम्बन्ध विच्छेद किया गया। उपभोक्तावार विद्युत सम्बन्ध विच्छेद की दिनांक का विवरण परिशिष्ट-"अ" पर उपलब्ध है। आदेश सहायक अभियन्ता (पवस), जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. नैनवां द्वारा जारी किये गये जिनकी पालना उपरान्त कनिष्ठ अभियन्ता का प्रतिवेदन परिशिष्ट-"अ" पर उपलब्ध है।

(2) जी हां। उक्त उपभोक्ता श्री अमरा पुत्र श्री बरधा बैरवा ने इस आशय का लिखित आवेदन दिनांक 21-6-2004 को किया था जो परिशिष्ट-"ब" पर है।

दिनांक 28-1-2003 की वी.सी.आर. संख्या 8108/46 के अनुसार उपभोक्ता के कुए में की गई बोरिंग में लगी सबमर्सिबल मोटर 13.3 ए.एम.पी. करंट ले रही थी जो कि 6 एच.पी. की मोटर लेती है। अतः उसका सम्बद्ध भार 3 एच.पी. से 6 एच.पी. का करने के लिए आर.ई.ओ. 71 की अनुपालना में उपभोक्ता को उक्त सहायक अभियन्ता के कार्यालय के पत्र संख्या 3523 दिनांक 3-3-2003 द्वारा इस भार वृद्धि को चोरी न मानकर इसे नियमित करने की सूचना दी गई थी। उसके उपरान्त मार्च, 2003 में रूपये 750 प्रति एच.पी. की दर से रूपये 2250/- उसके खाते में नाम लिखकर उसकी 3 एच.पी. से 6 एच.पी. सम्बद्ध भार वृद्धि को नियमित कर उसे 6 हॉर्स पावर संबद्ध भार के अनुसार फ्लेट रेट कृषि श्रेणी के बिल जारी किये गये। जिसे उपभोक्ता ने जमा नहीं कराया व दिनांक 15-6-2004 को कनेक्शन कट जाने पर अधिशासी अभियन्ता (पवस), जयपुर विद्युत वितरण निगम लि., बूंदी को प्रतिवेदन किया। उपभोक्ता के इस प्रतिवेदन पर अधिशासी अभियन्ता, बूंदी, ने सहायक अभियन्ता, नैनवां से प्रकरण की पूरी जानकारी मांगी। सहायक अभियन्ता, नैनवा द्वारा प्रस्तुत जानकारी परिशिष्ट-"क" से "घ" पर उपलब्ध है।

(3) उपभोक्ता को अपना प्रकरण वृत्त स्तरीय समझौता समिति में दर्ज करवाने हेतु सहायक अभियन्ता, नैनवां के कार्यालय के पत्र संख्या 984 दिनांक 26-7-2004 द्वारा सूचित कर दिया गया है। उसके द्वारा इस हेतु निर्धारित शुल्क जमा करवाने पर प्रकरण उचित निर्णयार्थ उक्त समझौता समिति के समक्ष प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

परिशिष्ट-"अ"

निम्न उपभोक्ताओं के कनेक्शन व मीटर सर्विस व LT लाइन के तार खोलकर गये

क्र. सं.	A.No.	नाम	श्रेणी	राशि	M.N.	Reading		
1.	20023	श्री देवलाल/भंवरलाल	Ag.	4217.00	0334922	01157.1	मीटर सीवरज खोल कर DC 6.6.99	
2.	20032	" हेमराज/कल्याण धाकड़	--"--"--	2667.00	243293	5715.8	--"--"--	5.6.2004
3.	20065	" भंवरलाल/रामधन धाकड़	--"--"--	4725.00	2697680	03080.6	--"--"--	6.6.2004
4.	20069	" छीतरलाल/शंकरलाल	--"--"--	3762.00	726981	6107.1	--"--"--	6.6.2004
5.	20073	" मांगीलाल/भूटालाल	--"--"--	4707.00	1023254	004998	--"--"--	5.6.2004
6.	20076	" रामधन/जगनाथ धाकड़	--"--"--	2556.00	711727	1643.0	--"--"--	5.6.2004
7.	20077	" पप्पूलाल/जगदीश धाकड़	--"--"--	2893.00	1097030 4	3357.4	--"--"--	5.6.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.	20190	" रामदेव/छंज्जा धाकड़	--"--"--	6396.00	ट्रासफार्म हटाकर D.C. किया			8.6.2004
9.	06144	" आरा/बरधा बैरवा	--"--"--	15889.00	LT लाइन के तार खोल कर DC किया			15.6.2004
10.	06119	" देवीलाल/भागोता गुर्जर	--"--"--	18393.00	सर्विस लाइन खोल कर DC किया			14.6.2004
11.	62220	" राधेश्याम/मांगीलाल	--"--"--	19958.00	M.N. 996139 - 044192 मीटर सर्विस खोलकर DC			16.6.2004
12.	66218	" रघुनाथ/रूश्जी बजाज	--"--"--	11966.00	उपभोक्ता का मीटर सर्विस मार्च, 2003 में खोलकर DC कर दिया था।			

परिशिष्ट-"अ"

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

अस्थाई/स्थाई विद्युत सम्बन्ध विच्छेद ओदश

कनिष्ठ अभियन्ता क्रमांक - नोटिस संख्या 102982

.... करवर दिनांक 18-5-2004

चूंकि उक्त उपभोक्ता ने नोटिस देने के उपरान्त भी बकाया राशि जमा नहीं करवाई है, अतः आप उक्त उपभोक्ता का विद्युत सम्बन्ध अस्थाई रूप से अविलम्ब विच्छेद करके आवश्यक विवरण सहित अपनी रिपोर्ट 5 दिवस के अन्दर-अन्दर अवश्य प्रस्तुत करें।

सहायक अभियन्ता

क्रमांक .... दिनांक ....

उक्त आदेशानुसार उपभोक्ता का विद्युत सम्बन्धी पोल/कट आउट से श्री भंवर लाल नागर, देवीलाल के द्वारा दिनांक 15-6-2004 को विच्छेदित कर दिया गया है। सूचनार्थ रिपोर्ट प्रस्तुत है।

मीटर संख्या ....

मीटर रीडिंग ....

सहायक अभियन्ता
ज.वि.वि.नि.लि.

ह. उपभोक्ता

कनिष्ठ अभियन्ता (OEM)
ज.वि.वि.नि.लि., करवर

परिशिष्ट-"ब"

श्रीमान् अधिशासी अभियन्ता महोदय,

जयपुर विद्युंत वितरण निगम लिमिटेड, जिला बून्दी (राज.)

विषय : कुंआ का विद्युत कनेक्शन वर्तमान खाता संख्या के डब्ल्यू 15 06144 के सम्बन्ध में।

महोदय,

निवेदन है कि मेरा कुंआ का विद्युत कनेक्शन वर्तमान खाता संख्या के डब्ल्यू 15 06144 का विद्युत भार 3 एच.पी. का था तथा मेरे वर्तमान बिल 6 एच.पी. का आया है। मेरे कुएं पर मोटर 3 एच.पी. की ही लगा रखी है। तीन एच.पी. व 6 एच.पी. के बिलों की छाया प्रति संलग्न है। मेरा नाम अमरा पिता बरधा जाति बैरवा गांव कुम्हारिया तहसील नैनवां विद्युत सब स्टेशन नैनवां के अधीन विद्युत कनेक्शन वर्तमान खाता संख्या के डब्ल्यू 15 06144 है।

इस सम्बन्ध में मैं तीन बार व्यक्तिगत रूप से विद्युत वितरण केन्द्र नैनवां के कार्यालय में उपस्थित होकर निवेदन किया गया परन्तु वहां पर मेरी कोई सुनवाई नहीं की गई। मैं एक गरीब परिवार का हूं तथा मेरे बिल में राशि 1426 रूपये बकाया निकाली गई है। प्रार्थी के विद्युत कनेक्शन के दिनांक 10-6-2004 को विद्युत लाइन के तार भी खोल लिये गये है। जबकि श्रीमान द्वारा ए.ई.एन. नैनवां को दिनांक 16-1-2004 को आदेश प्रदान किये हुये है जिसकी फोटो प्रति साथ में संलग्न है।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि आप मेरे कुंआ के विद्युत कनेक्शन पावर की जांच करवाकर मेरे कुंआ के मोटर 3 एच.पी. के ही है। मेरा बिल 3 एच.पी. जारी करने के आदेश प्रदान करावे ताकि गरीब को उचित न्याय मिल सके तथा मेरा विद्युत कनेक्शन वापस चालू करवाया जावे।

दिनांक : 21-6-2004

प्रार्थी

अमरा पुत्र श्री बरधा जाति बैरवा

निवासी ग्राम कुम्हारिया तहसील नैनवां

जिला बून्दी (राज.)

8108

29/01/2002

06144

[illegible]

398

... वितरण निगम ...

[illegible]

परिशिष्ट-"ग"

क्र. सं.	रीडिंग	यूनिट	बिल	बकाया	टोटल बिल	L.P.S.	टोटल बिल	जमा
1.	0	0	565.50	2488.79	3065	107.63	3173	
2.	0	0	576.3	3172.72	3749	139.98	3882	3882 22.3.02
3.	0	0	576.3	-132.98	443	16.71	460	
4.	0	0	709.28	460.03	1169	44.06	1213	
5.	0	0	576.3	1213.37	1790	66.10	1856	
6.	0	0	576.3	1855.77	2432	88.13	2520	
7.	0	0	526.3	8590.2	7079	110.16	3807	
8.	0 6 HP	0	3372	3206.66	6579	239.34	6818	
9.	0	0	1122	6818.2	7940	282.38	8223	
10.	0	0	1122	8222.56	9345	325.29	9670	
11.	0	0	1122	9669.8	10792	368.06	11160	
12.	0	0	1122	11159.86	12282	410.90	12693	
13.	0	0	1122	12692.76	13815	453.74	14269	
14.	0	0	1122	14268.85	15391	496.58	15887	6000 26.3.04
15.	0	0	1122	9669.92	10792	322.26	11114	
16.	0	0	1122	11114	12336	365.10	12601	

स. राजस्व अधिकारी

ज.वि.वि.नि.लि., नैनवां

परिशिष्ट-"घ"

कार्यालय - सहायक अभियन्ता (O&M) नैनवां

क्रमांक : 984 दिनांक : 26-3-2004

श्री अमरा पुत्र श्री बरधा बैरवा
निवासी ग्राम कुम्हारिया
तह. नैनवां, जिला बून्दी

विषय : प्रकरण को समझौता समिति द्वारा निस्तारण करवाने बाबत्।

उक्त विषय में आपको सूचित किया जाता है कि दिनांक : 21-6-2004 को आप द्वारा इस कार्यालय में विद्युत मीटर का भार कम करवाने हेतु प्रार्थना पत्र दिया था, अतः आप अपना प्रकरण वृत्त स्तरीय समझौता से निस्तारण हेतु इस कार्यालय में सम्पर्क करें ताकि अगले माह होने वाली बैठक में आपके प्रकरण का निस्तारण किया जा सके।

इसे अति आवश्यक समझे।

(O&M)

J.V.V.N.L., Nainwah

भीम के लम्बित विद्युत कनेक्शन

790. **श्री हरीसिंह रावत** (भीम) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र भीम में कितने घरेलू एवं कृषि कनेक्शन कब से लम्बित हैं ?

(2) क्या यह सही है कि जिन आवेदकों द्वारा मांगी गई राशि जमा करवा दी गई उनको भी विद्युत कनेक्शन नहीं दिये गये ? यदि हां, तो क्यों व अब सरकार कब तक उक्त कनेक्शन देने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र भीम में माह जून, 2004 तक घरेलू श्रेणी के विद्युत कनेक्शन के 160 आवेदन लम्बित हैं। उपरोक्त विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 1994-95 से वर्ष 2003-04 तक कृषि कनेक्शन हेतु लम्बित आवेदनों का विवरण निम्न है :-

वित्तीय वर्ष	कृषि कनेक्शन हेतु लम्बित आवेदनों की संख्या
1994-95	33
1995-96	6
1996-97	3
1997-98	4
1998-99	8
1999-2000	26
2000-01	1
2001-02	1
2002-03	1
2003-04	63
कुल	146

(2) यह सही है कि मांग पत्र जमा होने के बाद भी कुछ घरेलू विद्युत कनेक्शन जारी नहीं किये गये हैं। इनके कार्यादेश जारी कर दिये गये थे एवं कार्य प्रगति पर हैं। कार्य समाप्त होने पर कनेक्शन जारी किए जावेंगे।

कृषि श्रेणी में मांग पत्र जमा वाले सभी विद्युत कनेक्शन जारी कर दिये गये हैं।

धौलपुर जिले के गांवों का विद्युतीकरण

791. श्री बनवारी लाल शर्मा (धौलपुर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) धौलपुर जिले की धौलपुर तहसील व सेपऊ तहसील व उप तहसील मनियां के किन-किन ग्रामों का विद्युतीकरण नहीं हुआ है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त तहसीलों में विद्युतीकरण से वंचित गांवों को विद्युतीकृत करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सरकार पंचायत समिति धौलपुर व पंचायत समिति राजाखेड़ा के सभी ग्रामों को विद्युतीकृत करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त क्षेत्र में सरकार द्वारा नए राजस्व ग्राम घोषित किए गए हैं ? यदि हां, तो क्या उक्त ग्रामों का सरकार विद्युतीकृत करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जनगणना 1991 के अनुसार धौलपुर तहसील एवं सेपऊ तहसील के सभी गांवों को विद्युतीकृत घोषित किया जा चुका है। उप तहसील मनियां, धौलपुर तहसील का ही हिस्सा है अतः इसके भी सभी ग्राम विद्युतीकृत घोषित हैं।

(2) जिन ग्रामों में वर्तमान में विद्युत तंत्र उपलब्ध नहीं है वहां विद्युत कनेक्शनों की मांग आने पर उन्हें नियमानुसार जारी करने हेतु वांछित विद्युत तंत्र का विस्तार किया जावेगा।

(3) जनगणना 1991 के अनुसार पंचायत समिति धौलपुर व पंचायत समिति राजाखेड़ा के समस्त ग्रामों को विद्युतीकृत घोषित किया जा चुका है।

(ऊर्जा मंत्री)

(4) वर्ष 1991 की जनगणना पश्चात् पूर्व विद्युतीकृत ग्रामों से पृथक होकर बने नये राजस्व ग्रामों को स्वतः विद्युतीकृत घोषित माना जाता है। इनमें विद्युत कनेक्शनों की मांग होने पर उन्हें नियमानुसार जारी करने हेतु वांछित विद्युत तंत्र स्थापित किया जावेगा।

तारानगर के आरक्षित वर्ग के छात्रों हेतु कल्याणकारी योजनाएं

792. डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़े वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों के लिए क्या-क्या कल्याणकारी योजना/सुविधाएं संचालित हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला चूरू एवं चूरू जिले की तारानगर एवं राजगढ़ तहसील में उक्त योजनाओं में किस-किस वर्ग के छात्रों को किस-किस योजना में कितनी राशि/सुविधाएं गत तीन वर्षों में उपलब्ध कराई गई ?

(3) क्या बी.पी.एल. धारक परिवारों के विद्यार्थियों को विशेष सुविधाएं आदि देने का अलग से प्रावधान है ? यदि हां, तो ऐसे विद्यार्थियों को क्या-क्या लाभ प्राप्त हुए ?

उत्तर

(1) सरकार द्वारा समाज कल्याण विभाग के माध्यम से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़े वर्ग एवं अल्प संख्यक वर्ग के विद्यार्थियों के लिए संचालित कल्याणकारी योजनाएं/सुविधाएं निम्न प्रकार हैं :

1. <u>छात्रावास योजना</u>

2. <u>छात्रवृत्ति योजना -</u>

<u>(अनुसूचित जाति एवं जनजाति विद्यार्थियों के लिए)</u>

1. पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति

(समाज कल्याण मंत्री)

2. पूर्व मैट्रिक विशेष छात्रवृत्ति

3. उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति

4. स्वच्छकार छात्रवृत्ति

5. बुक बैंक योजना

6. परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण योजना

<u>अन्य पिछड़ा वर्ग विद्यार्थियों के लिए -</u>

1. पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति

2. उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति

3. परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण योजना

<u>अल्प संख्यक वर्ग के विद्यार्थियों के लिए -</u>

परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण योजना

(विस्तृत विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है)

<u>माध्यमिक शिक्षा विभाग, बीकानेर द्वारा संचालित योजनाएं</u>

1. छात्राओं के लिए बुक बैंक योजना (मात्र 2002-03 में संचालित)

2. ग्रामीण क्षेत्र की छात्राओं की योग्यता अभिवृद्धि छात्रवृत्ति योजना (कक्षा 9 उत्तीर्ण छात्राओं के लिए)

3. प्रतिभा विकास कार्यक्रम (छात्रों के लिए)

4. नि:शुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण योजना (सत्र 2004-05 से प्रारम्भ)

<u>राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड के माध्यम से</u>

अल्पसंख्यक वर्ग के गरीब छात्रों के लिए शैक्षणिक ऋण योजना (वर्ष 2003-04 से प्रारम्भ)

(2) योजनावार विवरण संलग्न परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है।

(समाज कल्याण मंत्री)

(3) जी नहीं। बी.पी.एल. चयनित परिवारों के छात्रों हेतु अंलग से कोई योजना नहीं है।

परिशिष्ट-1

अनुसूचित जाति/जनजाति एवं कमजोर वर्गों के शैक्षणिक विकास हेतु संचालित योजनाओं/कार्यक्रमों का विवरण

1. छात्रावास योजना/सुविधा

समाज कल्याण विभाग शैक्षणिक सत्र 1952-53 से छात्रावास योजना का संचालन करता रहा है। वर्तमान में प्रदेश में सभी जिलों में अनु. जाति, अनु. जनजाति, विमुक्त एवं घुमन्तु जातियों के छात्र/छात्राओं के लिये छात्रावास संचालित है। इन छात्रावासों में सभी छात्र/छात्राओं को निःशुल्क रूप से निवास, शिक्षा, स्टेशनरी एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। इस प्रकार इन छात्रावासों के माध्यम से गरीब एवं पिछड़े परिवार के बच्चों को शिक्षित कर उन्हें समाज में योग्य, संस्कारवान, अनुशासित एवं स्वावलम्बी बनाने के प्रयास किये जाते हैं ताकि वे आर्थिक रूप से सुदृढ़तापूर्वक जीवनयापन कर अपना भविष्य उज्जवल बना सके।

वर्तमान में 527 राजकीय एवं 65 अनुदानित छात्रावास संचालन किये जा रहे हैं। इन छात्रावासों के माध्यम से वर्तमान में कुल 25586 छात्र/छात्राओं को निम्न प्रकार से लाभान्वित किया जा रहा है :

क्र. सं.	छात्रावास	छात्रावासों की संख्या			स्वीकृत कुल लाभान्वित छात्र-छात्राओं की संख्या		
		छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्राऐं	योग
	राजकीय छात्रावास						
1.	अनु. जाति	249	27	276	10757	1020	11777
2.	अनु. जनजाति	125	33	158	6175	1450	7625

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	स्वच्छकार	57	06	63	1865	215	2080
4.	वि. एवं घुमन्तु जाति	29	1	30	1375	40	1415
	योग	**460**	**67**	**527**	**20172**	**2725**	**22897**

अनुदानित छात्रावास

1.	अनु. जाति	22	4	26	934	375	1309
2.	अनु. जनजाति	36	3	39	1175	205	1380
	योग	**58**	**7**	**65**	**2109**	**580**	**2689**
	महायोग	**518**	**74**	**592**	**22281**	**3305**	**25586**

527 राजकीय छात्रावासों में से 293 राजकीय छात्रावास सरकारी भवनों में संचालित हैं, शेष 234 राजकीय छात्रावास किराये के भवन में चल रहे हैं। पिछले 5 वर्षों में 138 राजकीय छात्रावास भवनों के भवन निर्माण के कार्य स्वीकृत किये गये हैं, जिनमें से 106 छात्रावास भवनों का निर्माण का कार्य पूर्ण करवाया गया एवं 27 भवनों में निर्माण कार्य प्रगति पर है तथा 5 भवनों के निर्माण कार्य बजट उपलब्ध होने पर पूर्ण करवाये जायेंगे।

राजकीय एवं अनुदानित छात्रावासों में रहने वाले छात्र-छात्राओं को भोजन एवं पोशाक, तेल, साबुन, बिजली-पानी आदि के लिये 675/- रूपये प्रति छात्र प्रतिमाह साढ़े नौ माह तक उपलब्ध कराये जाते हैं। बिस्तर एवं रहने की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाती है। इसके अतिरिक्त कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों के लिये रूपये 40/- तथा कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के लिये 60/- रूपये प्रति छात्र प्रतिवर्ष स्टेशनरी शुल्क एवं पुस्तकों के लिये एकमुश्त दिये जाते हैं। छात्रावासों में रहने वाले छात्रों के शैक्षणिक स्तर सुधारने के लिये गणित, अंग्रेजो, विज्ञान जैसे कठिन विषयों में विशेष कोचिंग देने की व्यवस्था

है। साथ ही शारीरिक सुदृढ़ता हेतु खेलकूद का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है इनमें ज्ञानोपार्जन हेतु ज्ञान-वर्द्धक पुस्तकें नि:शुल्क उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था भी है।

2. छात्रवृत्ति योजना

i) पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति

अनुसूचित जातियों, जनजातियों, विमुक्त एवं घुमन्तु जातियों तथा सीमा क्षेत्र की अन्य पिछड़ी जातियों के कक्षा 6 से 10 तक छात्र/छात्राओं को एक शिक्षा सत्र में 10 माह के लिए देय होती है। यह छात्रवृत्ति छात्र/छात्राओं, जिनके माता-पिता/अभिभावक आयकरदाता न हों, उन्हें देय हैं। वित्तीय वर्ष 1996-97 से राज्य सरकार द्वारा इस योजना हेतु बजट सीधा शिक्षा विभाग के बजट मद में रखा गया है, जिनके माध्यम से यह छात्रवृत्ति वितरित की जाती हैं।

पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति की दरें निम्न प्रकार हैं :-

कक्षा	दर छात्रवृत्ति	
	छात्र	छात्राएं
6 से 8	15/-	20/-
9 से 10	30/-	40/-

ii) पूर्व मैट्रिक विशेष छात्रवृत्ति

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मेधावी छात्र/छात्राओं को, जिन्होंने पूर्व परीक्षा में 55 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त किये हों, पब्लिक स्कूलों/उच्च प्रतिष्ठित स्कूलों में पढ़ने हेतु यह विशेष छात्रवृत्ति दी जाती है। वर्तमान में यह 38 स्कूलों में दी जा रही है। इस पर होने वाला व्यय पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति के मद से किया जाता है, जो शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन है। इस योजना में 1100 छात्र-छात्राऐं लाभान्वित करने का प्रावधान रखा गया है।

iii) राज्य में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के छात्र/छात्राओं को देय उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना

भारत सरकार द्वारा जारी मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति नियमों के अनुसार दस जमा दो योजना एवं कॉलेज स्तर पर यह छात्रवृत्ति उन छात्र/छात्राओं को दी जा रही है, जिनके माता-पिता/अभिभावकों की वार्षिक आय वर्तमान नियमानुसार दिनांक 1-4-2003 से भारत सरकार द्वारा संशोधित की जाकर रूपये 1 लाख निर्धारित की गई है। यह छात्रवृत्ति संशोधित दरों के अनुसार निम्न दरों से देय है :-

पूर्व प्रचलित दरें			संशोधित दरें		
समूह	छात्रावासी	डे-स्कॉलर	समूह	छात्रावासी	डे-स्कॉलर
A	425	190	1	740	330
B	290	190	2	510	330
C	290	190	3	355	185
D	230	120	4	235	140
E	150	.90	-	-	-

iv) <u>अस्वच्छ कार्यों में लगे लोगों के बच्चों को पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति</u>

भारत सरकार की इस योजना का उद्देश्य शुष्क शौचालयों की सफाई करने वालों, चर्मशोधन करने वालों, चमड़ा उतारने वालों तथा सफाई कार्य से परम्परागत रूप से जुड़े हुए लोगों के बच्चों को मैट्रिक पूर्व स्तर तक (कक्षा 1 से 10 तक) शिक्षा प्राप्त करने हेतु छात्रवृत्ति के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

यह योजना राज्य एवं केन्द्र सरकार की 50:50 प्रतिशत बजट के आधार पर संचालित है। योजनानुसार राज्य की कमिटेड लाइबिलिटी के ऊपर होने वाले व्यय की आधी-आधी (50 प्रतिशत) राशि राज्य एवं केन्द्रीय अर्थ प्रबन्धित योजना के अन्तर्गत व्यय की जाती है।

भारत सरकार द्वारा इस योजना के सम्बन्ध में दिनांक 1-4-2003 से छात्रवृत्ति की दरों एवं तदर्थ सहायता राशि में वृद्धि की गई है। गत वर्ष तक देय छात्रवृत्ति की दरें एवं परिवर्तित दरें निम्न प्रकार हैं :-

कक्षा	पूर्व निर्धारित (दर प्रतिमाह)	दिनांक 1-4-2003 से परिवर्तित दरें।
1 - 5	25 रूपये	40 रूपये
6 - 8	40 रूपये	60 रूपये
9 - 10	50 रूपये	75 रूपये

छात्रवृत्ति की उपरोक्त दरों के अतिरिक्त प्रत्येक छात्र/छात्रा को प्रतिवर्ष एकमुश्त तदर्थ सहायता जो पूर्व वर्ष तक रूपये 500 दी जाती थी, को भी बढ़ाया जाकर रूपये 550 कर दिया गया है।

v) अन्य पिछड़ा वर्ग पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति

केन्द्र प्रायोजित ओ.बी.सी. पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा 50:50 के अनुपात में खर्चा वहन किये जाने की योजना है। वर्ष 2003-04 में योजना को राज्य में लागू किये जाने बाबत 10.50 करोड़ रूपये का आयोजना मद में प्रावधान रखा गया था परन्तु भारत सरकार की केन्द्रीय हिस्सा राशि प्राप्त नहीं होने के कारण योजना को आरम्भ नहीं किया जा सका। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2003-04 के लिए 31-3-2004 को राजस्थान राज्य हेतु केवल 1.94 करोड़ रूपये की स्वीकृति जारी की गई थी जो कि दिनांक 8-4-2004 को इस विभाग को प्राप्त हुई थी जिसके कारण योजना प्रारम्भ नहीं हो सकी। भारत सरकार से अपर्याप्त बजट प्राप्त होने के कारण यह योजना प्रारम्भ होने नहीं हो सकी।

अन्य पिछड़ा वर्ग पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति की दरें निम्न प्रकार हैं :-

कक्षा	दर छात्रवृत्ति
1 से 5	25/-
6 से 8	40/-
9 से 10	50/-

vi) अन्य पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति

केन्द्र प्रायोजित ओ.बी.सी. उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत सम्पूर्ण व्यय भार भारत सरकार द्वारा वहन किये जाने की योजना होने के कारण गत वर्ष 2003-04 में भारत सरकार द्वारा केवल छात्रावासीय विद्यार्थियों के लिए ही योजना लागू किये जाने की स्वीकृति मिली है। इस योजना में अभिभावकों की आय सीमा रूपये 44,500/- है। छात्रवृत्ति की दरें निम्न प्रकार हैं :-

समूह	दर (प्रतिमाह)	
	छात्रावासीय	डेस्कालर
ए	425	190
बी	290	190
सी	290	190
डी	230	120
ई	150	90

vii) बुक बैंक योजना

राज्य में संचालित मेडिकल, इंजीनियरिंग, कृषि, वेटरीनेरी एवं पोलीटेक्निक कालेजों के अलावा लॉ., सी.ए., एम.बी.ए. एवं बायो साईस कालेजों में अध्ययन करने वाले अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के विद्यार्थियों को लाभान्वित करने हेतु इन कालेजों की लाइब्रेरी के लिए इस योजना के अन्तर्गत पाठ्य पुस्तकें क्रय करने हेतु राशि उपलब्ध कराई जाती है।

यह योजना 50:50 के अनुपात पर आधारित है जिसका 50 प्रतिशत हिस्सा भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाता है।

viii) परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण योजना

अनुसूचिज जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ी एवं अल्पसंख्यकों को परीक्षा

पूर्व प्रशिक्षण दिये जाने हेतु राज्य में लगभग सभी जिला मुख्यालयों पर परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण के केन्द्र संचालित हैं। वर्ष 2002-03 एवं वर्तमान में उक्त प्रशिक्षण केन्द्रों पर प्री-बी.एड., रेलवे भर्ती बोर्ड (ए.एस.एम. परीक्षा, गुड्स गार्ड, ट्रेफिक अपरेन्टिस), राजस्थान पुलिस एस.आई. परीक्षा, एस.एस.सी. भर्ती परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

ix) अल्प संख्यक वर्ग के विद्यार्थियों के लिए योजना

राष्ट्रीय अल्प संख्यक विकास एवं वित्त निगम द्वारा वर्ष 2003-04 में अल्पसंख्यक वर्ग के गरीब छात्रों के लिए शैक्षिक ऋण योजना चालू की गई है इस योजना के अन्तर्गत निगम द्वारा एक छात्र को अधिकतम रूपये 75,000/- का ऋण उपलब्ध करांया जा सकता है। शैक्षिक ऋण योजना के अन्तर्गत गरीबी रेखा से दुगुनी सीमा से नीचे जीवन यापन करने वाले अल्पसंख्यक वर्ग के परिवार के छात्र, जिनकी आयु 16 से 32 वर्ष हो, रोजगारन्मुखी व्यवसायिक व तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए जिनकी अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं हो ऋण के लिए पात्र है। ऐसे पाठ्यक्रम केन्द्र/राज्य सरकार अथवा ए.आई.सी.टी.ई. से अनुमोदित होने चाहिए। इस योजना के अन्तर्गत वर्णित क्षेत्रों से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं।

परिशिष्ट-2

जिला चूरू एवं चूरू जिले के तारानगर एवं राजगढ़ तहसीलों में निम्न योजनाओं में निम्न वर्णित वर्ग के छात्रों को गत तीन वर्षों में निम्नानुसार राशि/सुविधायें उपलब्ध कराई गई है :-

उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति समाज कल्याण विभाग द्वारा - (सम्पूर्ण चूरू जिला)

(निजी महाविद्यालय)

वर्ष	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	पिछड़ी जाति
2001-02	557875	239615	-

1	2	3	4
2002-03	598720	312855	-
2003-04	1333475	325355	393290

उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति - राजकीय महाविद्यालयों द्वारा - (सम्पूर्ण चूरू जिला)

वर्ष	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	पिछड़ी जाति
2001-02	1277204	148613	-
2002-03	1155076	201828	-
2003-04	1358633	319420	-

उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति - शिक्षा विभाग (मा.) द्वारा - (सम्पूर्ण जिला)

वर्ष	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	पिछड़ी जाति
2001-02	1175000	375000	-
2002-03	1275000	700000	-
2003-04	900000	1723000	

पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति/स्वच्छकार छात्रवृत्ति - शिक्षा विभाग (प्रा.)
(सम्पूर्ण चूरू जिला)

वर्ष	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	ओ.बी.सी.	स्वच्छकार
2001-02	501265	18620	-	39750
2002-03	440115	23720	197790	125800
2003-04	603765	20085	64780	77085

अनुसूचित जाति/स्वच्छकार/अनुदानित छात्रावासों का संधारण

वर्ष	अनुसूचित जाति छात्रावास	स्वच्छकार छात्रावास	अनुदानित छात्रावास
2001-02	1030531	144668	115148
2002-03	1881641	302633	473959
2003-04	1998209	278572	462399

चूरू जिले की तारानगर एवं राजगढ़ तहसील में गत तीन वर्षों में उपलब्ध कराई गई राशि का विवरण :

उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति - समाज कल्याण विभाग द्वारा - (अनुदानित कॉलेजों को)

वर्ष	तहसील	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	ओ.बी.सी.
2001-02	तारानगर	-	-	-
2001-02	राजगढ़	48480	7500	-
2002-03	तारानगर	-	-	-
2002-03	राजगढ़	35790	22470	-
2003-04	तारानगर	-	-	-
2003-04	राजगढ़	343670	60550	-

उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति-राजकीय महाविद्यालयों

वर्ष	तहसील	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	ओ.बी.सी.
2001-02	तारानगर	65190	-	-

वर्ष	तहसील	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	ओ.बी.सी.
2001-02	राजगढ़	-	-	-
2002-03	तारानगर	84430	-	-
2002-03	राजगढ़	-	-	-
2003-04	तारानगर	146407	-	-
2003-04	राजगढ़	-	-	-

उत्तर मैट्रिक/पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति-शिक्षा विभाग (मा.) द्वारा

वर्ष	तहसील	अनुसूचित जाति		अनुसूचित जनजाति		स्वच्छकार छात्रवृत्ति
		पूर्व मैट्रिक	उत्तर मैट्रिक	पूर्व मैट्रिक	उत्तर मैट्रिक	
2001-02	तारानगर	133600	99360	4980	-	10700
2001-02	राजगढ़	471980	171540	32600	13680	-
2002-03	तारानगर	138685	81990	3400	3600	34920
2002-03	राजगढ़	403580	201420	35850	28215	-
2003-04	तारानगर	167827	121050	3740	3150	14140
2003-04	राजगढ़	494715	308025	29110	38250	-

पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति/स्वच्छकार छात्रवृत्ति/पिछड़ी जाति छात्रवृत्ति-शिक्षा विभाग (प्रा.)

वर्ष	तहसील	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	ओ.बी.सी.	स्वच्छकार
2001-02	तारानगर	71000	3910	-	-
2001-02	राजगढ़	133930	8700	-	-
2002-03	तारानगर	51420	5200	72960	-
2002-03	राजगढ़	123810	11230	-	-
2003-04	तारानगर	58890	4095	400	-
2003-04	राजगढ़	192860	11350	-	-

राजकीय छात्रावास/अनुदानित छात्रावासों का संधारण

वर्ष	तहसील	अनुसूचित जाति छात्रावास
2001-02	तारानगर	147160
2001-02	राजगढ़	153600
2002-03	तारानगर	215333
2002-03	राजगढ़	179406
2003-04	तारानगर	218148
2003-04	राजगढ़	226318

काणूजा ग्राम पंचायत (पाली) द्वारा जारी पट्टे

793. श्री सी.डी. देवल (रायपुर) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि काणूजा, पंचायत समिति रायपुर, जिला पाली का बाडीया उजीणा प्रथम आबादी क्षेत्र में नहीं बसा है ? यदि हां, तो किस किस्म की भूमि में उक्त बाडीया बसा है ? उसकी जमाबन्दी मय ट्रेस नक्शे की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या ग्राम पंचायत काणूजा पंचायत समिति रायपुर, जिला पाली ने उक्त बाडीया के लोगों को वर्ष 2000 से 2004 तक में रहवासी प्लाटों हेतु पट्टे दिए हैं ? यदि हां, तो उक्त व्यक्तियों की सूची मय पट्टों की नकल के सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत ने उक्त बाडीया में दिए गए समस्त पट्टे नियम विरूद्ध दिये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे पट्टे रद्द करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। ग्राम पंचायत काणूजा पंचायत समिति रायपुर (पाली) का बाडीया उजीणा प्रथम आबादी क्षेत्र में है।

(2) ग्राम पंचायत काणूजा ने उक्त बाडीया के एक व्यक्ति श्री मीठुसिंह पुत्र गैनसिंह निवासी उजीणा प्रथम ग्राम पंचायत काणूजा को वर्ष 2000 से 2004 की अवधि में रहवासी प्लाट हेतु पट्टा दिया पट्टे की नकल की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) जी नहीं। ग्राम पंचायत काणूजा द्वारा उक्त बाडीया में दिये गये पट्टे नियम विरूद्ध नहीं है।

आबादी भूमि का विक्रय-विलेख

(पट्टा)

पट्टा No. 001048 मिसल नं./वर्ष 11/2001

फैसला दिनांक : 6-5-02 दायर दिनांक : 13-12-01

यह विक्रय विलेख आज दिनांक 6-5-02 को प्रथम पक्ष, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 (1994 का राजस्थान अधिनियम सं. 13) के अधीन स्थापित पंचायत, जो उस अधिनियम की धारा 9 के उपबन्धों के आधार पर एक निगमित निकाय है (जिसे इसमें आगे "विक्रेता" कहा गया है) और दूसरे पक्ष श्री मीयूसिंह चौहान पुत्र श्री गैनसिंह जी निवासी उजीणा (काणुजा) (जिन्हें इसमें आगे "क्रेता" कहा गया है) के बीच किया जाता है।

यतः

1. इसकी अनुसूची में वर्णित और इससे उपाबद्ध योजना में अधिक विशिष्ठ रूप से वर्णित भूमि जो उसे लाल रंग में सीमाबद्ध दर्शित करती है, विक्रेता के प्रयोजन के लिए विक्रेता में निहित है।

2. उक्त भूमि दिनांक Nil को विक्रेता की ओर से विक्रय के लिए, निलाम के लिए (भूमि के क्रय हेतु श्री Nil के आवेदन के अनुसरण में) प्रस्तावित की गई थी और क्रेता की रूपये Nil की बोली सबसे ऊंची होने के कारण स्वीकार कर ली गई थी।

या

उक्त भूमि 100/- रूपये की बाजार दर (बातचीत द्वारा विक्रय के लिए लागू) पर बातचीत द्वारा बेची गई है। और विक्रेता पंचायत के संकल्प सं. 9 दिनांक 6-5-02 द्वार मंजूर की गई तथा पंचायत समिति/जिला परिषद/राज्य सरकार के आदेश रशीद सं. 43 दिनांक 8-3-02 द्वारा पुष्ट की गई है।

3. उक्त नीलाम अद्यतन यथा संशोधित राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 150 से 152 के अनुसरण में किया गया था; और

4. क्रेता ने सौ रूपये की उक्त राशि विक्रेता के खाते में जमा कराई है।

अब यह विलेख निम्न लिखित रूप में साक्ष्य प्रस्तुत करता है :-

1. उक्त नीलाम/विक्रय के अनुसरण में और पूर्वोक्त क्रेता द्वारा संदत 100 रूपये की राशि के प्रति फल में (जिसकी प्राप्ति विक्रेता इसके द्वारा अभि स्वीकृत करता है) विक्रेता इसकी अनुसूची में वर्णित और इससे उपाबद्ध योजना में, जो इसे लाल रंग में सीमाबद्ध दर्शित करती है, में अधिक विशिष्टतः वर्णित भूमि क्रेता को ऐसे उप-करो और करो के सदाय के अध्यधीन रहते हुए जो उस पर विधि पूर्वक निर्धारित या अधिरोपित किये जाये, और तत्समय प्रवृत राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों और उप-विधियों द्वारा अधिरोवित निर्बन्धनों के अध्यधीन रहते हुए क्रेता को पूर्ण स्वामी के रूप में उसे धारित करवाने के लिए, इसके द्वारा क्रेता को अन्तरित करता है।

2. इसके द्वारा यह करार किया जाता है कि इसमें इसके पूर्व प्रयुक्त अभिव्यक्ति "विक्रेता" में विक्रेता के उत्तराधिकारी और समनुदेशिती सम्मिलित है और इसमें इसके पूर्व प्रयुक्त अभिव्यक्ति "क्रेता" में इसके बारिश, प्रतिनिधी, उतराधिकारी और समनुदेशिती सम्मिलित है।

(क) पूर्व में - [illegible]
(ख) पश्चिम में - [illegible]
(ग) उत्तर में - [illegible]
(घ) दक्षिण में - [illegible]

2. मानचित्र भूमि-

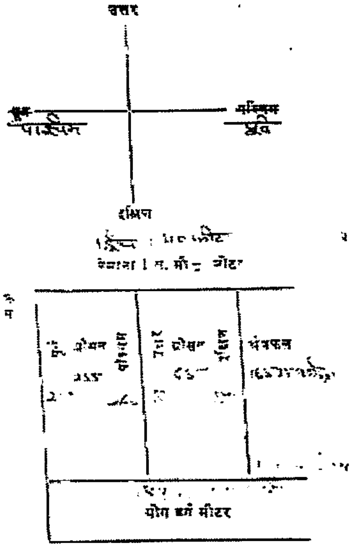

पंचायत [illegible] की ओर से पंचायत प्रस्ताव नं. [illegible] दिनांक [illegible]
के अनुसरण में हस्ताक्षर किये गये।

नेता [illegible]

ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव
ग्राम पंचायत [illegible]

सरपंच
ग्राम पंचायत [illegible]

1. साक्षी का नाम व पता [illegible] हस्ताक्षर

2. साक्षी का नाम व पता .... हस्ताक्षर

आयोजना समितियों का गठन एवं उद्देश्य

794. श्री गंगाराम चौधरी (चौहटन) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि प्रत्येक जिले में पंचायत अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आयोजना समिति का गठन किया गया है ? यदि हां, तो क्या इन कानूनों के प्रावधानों के अनुसार इन समितियों को जिले की योजना बनाने का कार्य सौंपा गया है ? यदि नहीं, तो इन समितियों के क्या कृत्य हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। (एक जिले में ऐसी समिति के गठन के आदेश की प्रति संलग्न है) जिले की विकेन्द्रीकृत योजना निर्माण के लिये आयोजना की प्रक्रिया की रूप रेखा विकसित करने तथा योजना निर्माण हेतु सरल प्रपत्र इत्यादि तैयार करने हेतु एक समिति का गठन किया गया था, जिसने विभिन्न स्तरों पर जनता एवं संस्थाओं से विचार विमर्श कर अपनी रिपोर्ट दिनांक 2-8-2002 को राज्य सरकार को प्रस्तुत की है। समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर अन्तिम निर्णय हेतु कार्यवाही की जा रही है। जिला आयोजना समिति की शक्तियां और कृत्य परिशिष्ट-"क" पर संलग्न है।

परिशिष्ट-क

राजस्थान सरकार

पंचायती राज विभाग

क्रमांक : एफ.28(ई)ग्राविप/विधि/95/4134 जयपुर, दिनांक : 14 नवम्बर, 2000

<u>आदेश</u>

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 121 (सपठित राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 का नियम 350) के अनुसरण में

जिला अजमेर के लिये जिला आयोजना समिति का निम्नानुसार गठन किया जाता है :-

क्र. सं.	नाम	अध्यक्ष/सदस्य	निर्वाचित/नामित
1.	श्री रामस्वरूप चौधरी (प्रमुख)	अध्यक्ष	निर्वाचित (ग्रामीण क्षेत्र)
2.	श्री अनिल कुमार	सदस्य	निर्वाचित (ग्रामीण क्षेत्र)
3.	श्री अभयराज	सदस्य	निर्वाचित (ग्रामीण क्षेत्र)
4.	श्री तेजपाल चौधरी	सदस्य	निर्वाचित (ग्रामीण क्षेत्र)
5.	पुष्पा	सदस्य	निर्वाचित (ग्रामीण क्षेत्र)
6.	श्री प्रेमराज जाट	सदस्य	निर्वाचित (ग्रामीण क्षेत्र)
7.	भंवरी देवी	सदस्य	निर्वाचित (ग्रामीण क्षेत्र)
8.	श्री महेन्द्र सिंह	सदस्य	निर्वाचित (ग्रामीण क्षेत्र)
9.	श्री शरीफ मोहम्मद	सदस्य	निर्वाचित (ग्रामीण क्षेत्र)
10.	श्री शाबू	सदस्य	निर्वाचित (ग्रामीण क्षेत्र)
11.	संजु	सदस्य	निर्वाचित (ग्रामीण क्षेत्र)
12.	सीमा	सदस्य	निर्वाचित (ग्रामीण क्षेत्र)
13.	श्री हरिसिंह गुर्जर	सदस्य	निर्वाचित (ग्रामीण क्षेत्र)

1	2	3	4
14.	श्री जसवन्त सिंह	सदस्य	निर्वाचित (शहरी क्षेत्र)
15.	ज्योति फेरवानी	सदस्य	निर्वाचित (शहरी क्षेत्र)
16.	श्री जीवनचंद महावर	सदस्य	निर्वाचित (शहरी क्षेत्र)
17.	श्री पवन सिंह बोरदिया	सदस्य	निर्वाचित (शहरी क्षेत्र)
18.	श्री राधेश्याम पोरवाल	सदस्य	निर्वाचित (शहरी क्षेत्र)
19.	श्री वीरेन्द्र सिंह राठौड़	सदस्य	निर्वाचित (शहरी क्षेत्र)
20.	सपना	सदस्य	निर्वाचित (शहरी क्षेत्र)
21.	श्री सेवाराम	सदस्य	निर्वाचित (शहरी क्षेत्र)

जिला परिषद् एवं स्थानीय निकायों के ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों की जनसंख्या के अनुपात में निर्वाचित किये गये सदस्य जिला आयोजना समिति के तब तक ही सदस्य रहेंगे जब तक वे जिला परिषद/स्थानीय निकाय के सदस्य रहते हैं।

उपरोक्त के अतिरिक्त जिला कलक्टर, अतिरिक्त कलक्टर (विकास) एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद एवं अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद स्थायी रूप से सदस्य नामित किये जाते हैं।

आशीष बहुगुणा
शासन सचिव
पंचायती राज

जिला आयोजन समिति

350. जिला आयोजन समिति के सदस्य : (1) अधिनियम की धारा 121 में यथा-परिकल्पित जिला आयोजन समिति में कुल 25 सदस्य होंगे उनमें से 20 सदस्य जिले के ग्रामीण क्षेत्रों और नगरीय क्षेत्रों की जनसंख्या के अनुपात में जिला परिषद और नगरपालिका निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों में से और उनके द्वारा निर्वाचित किये जायेंगे।

(2) निम्नलिखित पांच नाम निर्देशित सदस्य होंगे :-

(क) जिला का कलक्टर

(ख) अपर कलक्टर, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण

(ग) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, जिला परिषद

(घ) संसद सदस्यों, विधान सभा सदस्यों या राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित स्वैच्छिक अभिकरणों का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तियों में से दो व्यक्ति।

351. सदस्यों का निर्वाचन : (1) निर्वाचन की प्रक्रिया वैसी ही होगी जैसी जिला परिषद की किसी स्थायी समिति के सदस्य के लिए विहित है।

(2) सदस्यों के निर्वाचन के लिए ऐसी बैठक की अध्यक्षता जिला कलक्टर या उनके द्वारा नामित अधिकारी जो अतिरिक्त कलक्टर से नीचे का ना हो, करेगा जिनकी सहायता मुख्य कार्यपालक अधिकारी करेगा।

352. जिला आयोजन समिति की शक्तियां और कृत्य : (1) मुख्य कृत्य, जिले की पंचायत समितियों और नगरपालिका निकायों द्वारा तैयार की गयी वार्षिक योजनाओं का समेकन करना होगा।

(2) अधिनियम की धारा 121 की उपधारा (7) में यथा-अधिकथित सामान्य हित के मुद्दों पर विचार करना।

(3) मुख्य आयोजन अधिकारी, समिति के सचिव के रूप में कार्य करेगा।

121. जिला आयोजन के लिए समिति -

(1) सरकार जिले में की पंचायती राज संस्थाओं और नगरपालिकाओं द्वारा तैयार की गयी योजनाओं को समेकित करने के लिए और सम्पूर्ण जिले के लिए कोई एक विकास योजना प्रारूप तैयार करने के लिए प्रत्येक जिले में एक जिला आयोजन समिति गठित करेगी जिसे इस धारा में आगे "समिति" कहा गया है।

(2) समिति में इतनी संख्या में सदस्य होंगे जितनी राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत की जाये और समिति के सदस्यों की कुल संख्या इस प्रकार नियत करने में, राज्य सरकार, क्रमशः नाम निर्दिष्ट सदस्यों और निर्वाचित सदस्यों की संख्या विनिर्दिष्ट करेगी :

परन्तु ऐसी समिति के सदस्यों की कुल संख्या चार बटे पांच से अन्यून, जिले में की जिला परिषद और नगर पालिका के निर्वाचित सदस्यों, द्वारा और उनमें से, जिले में के ग्रामीण क्षेत्र और नगरीय क्षेत्र की जनसंख्या के बीच के अनुपात के समानुपात में निर्वाचित किए जायेंगे।

(3) निर्वाचित सदस्य ऐसी रीति से चुने जायेंगे जो विहित की जाये।

(4) नामनिर्दिष्ट सदस्यों में निम्नलिखित हो सकेंगे -

(क) राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति;

(ख) लोक सभा या राजस्थान विधान सभा के ऐसे सदस्य, जो किसी ऐसे निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसमें सम्पूर्ण जिला या उसका भाग समाविष्ट हैं;

(ग) राज्य सभा के ऐसे सदस्य, जो जिले में निर्वाचकों के रूप में रजिस्ट्रीकृत हैं; और

(घ) ऐसे संगठनों और संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति, जो सरकार द्वारा आवश्यक समझे जायें।

(5) समिति के-

(क) जिला आयोजन से सम्बन्धित ऐसे कृत्य होंगे, जो उसे सरकार द्वारा समनुदिष्ट किये जायें; और

(ख) ऐसी शक्तियां होंगी जो उसे सरकार द्वारा प्रदत्त की जायें।

(6) ऐसी समिति का अध्यक्ष सम्बन्धित जिला परिषद का प्रमुख होगा।

(7) प्रत्येक समिति, विकास योजना प्रारूप तैयार करने में-

(क) निम्नलिखित का ध्यान रखेगी-

(i) स्थानिक आयोजन, जल और अन्य भौतिक और प्राकृतिक स्त्रोतों के अंश-बंटन, अधोसंरचना के एकीकृत विकास और पर्यावरण संरक्षण को सम्मिलित करते हुए, पंचायती राज संस्थाओं और नगरपालिकाओं के बीच के सामान्य हित के विषय; और

(ii) उपलब्ध स्त्रोतों का, चाहे व वित्तीय हों या अन्य, विस्तार और प्रकाश; और

(ख) ऐसी संस्थाओं और संगठनों से परामर्श करेगी जिन्हें सरकार आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करें।

(8) प्रत्येक समिति का अध्यक्ष, सरकार को ऐसी समिति द्वारा यथा - अभिशंसित विकास योजना अग्रेषित करेगा।

स्पष्टीकरण - इस धारा के प्रयोजनार्थ शब्द "नगरपालिका" का वह अर्थ होगा जो उसे राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 द्वारा समनुदिष्ट किया गया है।

कुचामन सिटी पंचायत समिति की पंचायतों को आबंटित राशि

795. श्री हरीश चन्द्र कुमावत (नावां) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 2003-04 तथा 2004-05 में पंचायत समिति कुचामन सिटी को कितनी राशि ग्यारहवें वित्त आयोग व राज्य वित्त आयोग की कब-कब प्राप्त हुई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त राशि का वितरण ग्राम पंचायतों को पंचायत समिति कुचामन सिटी ने कर दिया है ? यदि हां, तो यह वितरण किस आधार पर कौन-कौन सी पंचायत को कब-कब कितनी राशि का किया गया ? इन ग्राम पंचायतों की कितनी-कितनी जनसंख्या है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) ग्राम पंचायतों द्वारा उक्त वर्णित राशि से खर्च करने के लिए किस-किस कार्य का चयन किया गया ? इसके लिए ग्राम सभा कब बुलाई गई व किस प्रस्ताव से खर्च करने की स्वीकृति दी गई ? प्रत्येक प्रस्ताव की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) किस-किस ग्राम पंचायत ने कितनी राशि किस-किस कार्य पर अब तक खर्च की ?

(5) क्या ग्यारहवें वित्त आयोग व राज्य वित्त की राशि का कुछ हिस्सा जिला परिषद व पंचायत समिति के पास भी उपलब्ध रखा गया है ?

(श्री हरीश चन्द्र कुमावत)

यदि हां, तो यह राशि कितनी-कितनी है तथा उसका वितरण किस-किस पंचायत को कितनी-कितनी राशि का कब-कब किया गया ? यह राशि किस आधार पर वितरित की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1)

वर्ष 2003-2004

दिनांक	एस.एफ.सी. II	ई.एफ.सी.
2-5-2003	4936892	2130860
10-12-2003	-	2282160
24-1-2004	-	558950
9-3-2004	2088600	-
योग	7025492	4971970

वर्ष 2004-2005

दिनांक	एस.एफ.सी. II	ई.एफ.सी.
27-5-2004	8215540	-
योग	8215540	-

(ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री)

(2) जी हां। ग्यारहवें वित्त आयोग एवं राज्य वित्त आयोग द्वितीय के दिशा-निर्देशों के अनुसार राशि का वितरण पंचायत समिति कुचामनसिटी द्वारा वर्ष 1991 की जनसंख्या के आधार पर ग्राम पंचायतों को कर दिया गया है। ग्राम पंचायतवार जनसंख्या एवं आबंटित राशि, मय दिनांक, का विवरण संलग्नक 1 पर उपलब्ध है।

(3) ग्राम पंचायतों द्वारा उक्त वर्णित राशि खर्च करने के लिये स्वीकृत कार्यों की सूची संलग्नक-2 से 5 तक संलग्न है। तथा उक्त सूची में ग्राम सभा बुलाने की तिथि व प्रस्ताव अंकित है। तथा प्रस्तावों की प्रतियां भी संलग्न है।

(4) स्वीकृत कार्यों पर ग्राम पंचायतों द्वारा खर्च राशि का विवरण संलग्नक संख्या 2 से 5 में अंकित है।

(5) ग्यारहवें वित्त आयोग की राशि का कोई भी हिस्सा जिला परिषद अथवा पंचायत समिति स्तर पर नहीं रखा गया है और सम्पूर्ण राशि का आबंटन ग्राम पंचायतों को ग्यारहवें वित्त आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार कर दिया गया है।

राज्य वित्त आयोग द्वितीय के तहत आबंटित राशि में से दिशा-निर्देशों के अनुसार 3 प्रतिशत राशि जिला परिषद एवं 12 प्रतिशत राशि पंचायत समितियों को दी जाती है। अतः वर्ष 2003-04 के लिये आबंटित राशि 4,64,96,000/- में से राशि रूपये 1394880/- जिला परिषद नागौर तथा राशि रूपये 1828924/- पंचायत समिति कुचामन सिटी द्वारा नियमानुसार रखी गई है। पंचायत समिति की उक्त राशि 1828924/- में से स्थाई समिति बैठक दिनांक 27-12-2003 के प्रस्ताव संख्या 8 एवं 9 के निर्णय की पालना में पंचायत समिति द्वारा 4 ग्राम पंचायतों को संलग्नक 6 के अनुसार राशि का वितरण किया गया है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

जीवद (सवाईमाधोपुर) ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच से बकाया राशि की वसूली

796. श्री जगन्नाथ (मनोहरथाना) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत जीवद तहसील बामनवास के पूर्व मृत सरपंच के विरूद्ध 4 फरवरी, 2000 के पश्चात् 3,98,620/- की राशि बकाया निकाली गई है ? यदि हां, तो अब तक कितनी राशि वसूल की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? अब कब तक उसके वारिसान से बकाया राशि वसूल कर ली जायेगी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव ग्राम पंचायत जीवद, तहसील बामनवास, जिला सवाई माधोपुर के विरूद्ध वर्गीकरण नियन्त्रण एवं अपील नियम, 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत दिनांक 15 मार्च, 2002 को कार्यवाही प्रारम्भ की गई थी ? यदि हां, तो अब तक कार्यवाही का क्या निर्णय रहा तथा दोषियों के विरूद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि ग्राम पंचायत जीवद तहसील बामनवास के पूर्व मृत सरपंच के विरूद्ध 4 फरवरी, 2000 के पश्चात् 3,98,620/- रूपये की राशि बकाया निकाली गई है। अब तक मृत सरपंच से कोई भी राशि वसूल नहीं हो पाई है। मृत सरपंच की बकाया राशि वारिसान से वसूली हेतु पी.डी.आर. एक्ट के तहत प्रकरण प्रस्तुत कर कार्यवाही जारी हैं।

(2) जी हां। ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव ग्राम पंचायत जीवद तहसील बामनवास जिला सवाई माधोपुर के विरूद्ध वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील नियम 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत 15/3/2002 को कार्यवाही प्रारम्भ की गई थी। अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सवाई माधोपुर ने 19-3-2004 को पंचायती राज विभाग में जांच रिपोर्ट भिजवाई है। यह जांच रिपोर्ट विधि संगत नहीं होने से प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु

(ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री)

मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सवाई माधोपुर को दिनांक 30-7-2004 को भेज दिया गया है।

सटावट सरपंच, ग्राम पंचायत (अलवर) द्वारा धार्मिक स्थल की भूमि का अवैध आबंटन

797. **श्री धर्मेन्द कुमार मोची (टिब्बी)** : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरपंच ग्राम, सटावट ग्राम पंचायत मल्लाना, पंचायत समिति राजगढ़, जिला अलवर के द्वारा वर्ष 2003 में सार्वजनिक पूजा स्थल का आवासीय पट्टा जारी किया गया है ? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि सरपंच एवं दोषियों के विरूद्ध शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई ? क्या इसकी जांच करवाई गई ? यदि हां, तो जांच प्रतिवेदन की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार इस पट्टे को निरस्त करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) इस पूजा स्थल एवं इससे लगती जमीन के असली मालिक कौन-कौन हैं एवं इस पर पूर्व में किसका कब्जा रहा है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि ग्राम सटावट, पंचायत समिति राजगढ़, जिला अलवर में ईष्टदेव भैरूजी का चबूतरा बना हुआ था ? यदि हां, तो उसके आस-पास की जमीन का पुश्तैनी मालिक कौन था ?

(5) क्या यह भी सही है कि उक्त जमीन का पट्टा सरपंच, ग्राम पंचायत मल्लाना श्री बद्री प्रसाद ने अपने छोटे भाई श्री रामचन्द्र पुत्र श्री पांचू राम के नाम से बनवा लिया है ? यदि हां, तो किस नियम के तहत ? नियम की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या सरकार उक्त व्यक्ति के विरूद्ध धोखाधड़ी करने के मामले

(श्री धर्मेन्द कुमार मोची)

में कठोर कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

(7) उक्त सरपंच द्वारा जनवरी, 2003 से जून, 2004 तक कितने पट्टे जारी किए गए ? जारी किए गए पट्टों की प्रतियों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि ग्राम पंचायत मल्लाना द्वारा सार्वजनिक पूजा स्थल का आबादी पट्टा संख्या 2947 दिनांक 26-9-2003 को श्री रामचन्द्र मीणा पुत्र श्री पांचूराम मीणा ग्राम सटावट को 200/- रूपये में 76'x140' दिया है। जी हां, यह भी सही है कि सरपंच एवं दोषियों के विरूद्ध शिकायतें पंचायत समिति को प्राप्त हुई हैं, जिसकी जांच विकास अधिकारी, पंचायत समिति राजगढ़ से करवाई गई है। जांच रिपोर्ट की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी हां। पट्टे को निरस्त कर दिया गया है। आदेश की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई।

(3) इस पूजा स्थल जमीन की भूमि श्री औमकार दान से श्रीराम चन्द्र मीणा पुत्र श्री पांचूराम मीना सटावट ने खरीदी है। इससे पूर्व श्री औमकार दान का कब्जा था और वह मालिक था। इक़रारनामा की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

(4) जी हां। यह सही है क़ि ग्राम पंचायत मल्लाना के ग्राम सटावट में ईष्टदेव भेरूजी का चबूतरा जर्जर अवस्था में है। इकरारनामे के अनुसार भेरूजी के चबूतरे के आस-पास की जमीन का मालिक श्री औमकार दान था।

(5) सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम मल्लाना द्वारा श्री रामचन्द्र मीणा पुत्र श्री पांचूराम मीणा ग्राम सटावट के नाम जारी किया गया है, वह सरपंच का सगा भाई नहीं है। पट्टा नियम विरूद्ध होने के कारण पट्टे को निरस्त कर दिया गया है।

(ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री)

(6) जी हां। श्री ईश्वर प्रसाद शर्मा, ग्राम सेवक एवं श्री बद्री प्रसाद मीणा सरपंच ग्राम पंचायत मल्लाणा के विरूद्ध कार्यवाही प्रारम्भ कर दी है।

(7) जी हां। सरपंच ग्राम पंचायत मल्लाना द्वारा जनवरी, 2003 से जून, 2004 तक कुल 8 पट्टे दिये गये हैं। पट्टों की प्रतियां सदन के पटल पर रख दी गई हैं।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

अलवर जिले में सांख्यिकी सहायकों की पदोन्नति

798. श्री रमेश खींची (कठूमर) : क्या आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) अलवर जिले में सांख्यिकी सहायक व सांख्यिकी निरीक्षक के कितने-कितने पद कब-कब से किस-किस विभाग में सृजित हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि विभाग में सांख्यिकी सहायकों के पद रिक्त हैं ? यदि हां, तो कितने व कब-कब से ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त जिले में सांख्यिकी सहायक के रिक्त पदों के विरूद्ध सांख्यिकी निरीक्षक को लगा रखा है ? यदि हां, तो किस किस को व किस-किस विभाग में, कब-कब से ?

(4) क्या यह भी सही है कि विभाग में सांख्यिकी सहायकों की विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक कर पदोन्नति नहीं की जा रही है ? यदि हां, तो उक्त बैठकें कब से नहीं की जा रही हैं ?

(5) क्या सरकार विभाग में सांख्यिकी सहायकों की विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकें आयोजित कर पदोन्नति देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) अलवर जिले में सांख्यिकी सहायक व सांख्यिकी निरीक्षक के

(आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्री)

सृजित पदों की विभागवार सूची परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। अलवर जिले में सांख्यिकी सहायक का कोई पद रिक्त नहीं है।

(3) जी हां। अलवर जिले में सांख्यिकी सहायक के 4 पदों के विरूद्ध लगे सांख्यिकी निरीक्षकों की सूची परिशिष्ट-"ब" पर संलग्न है।

(4) जी नहीं। दिनांक 11-6-2004 को सांख्यिकी सहायक की वर्ष 1998-99 तक की डी.पी.सी. की जाकर पदस्थापन किया जा चुका है।

(5) जी हां। वर्ष 1999-2000 से आगामी वर्षों की डी.पी.सी. कर पदोन्नति दिया जाना प्रक्रियाधीन है।

परिशिष्ट-"अ"

अलवर जिले में सांख्यिकी सहायकों के स्वीकृत पदों का विभागवार विवरण

क्र. सं.	विभाग का नाम	स्वीकृत पदों की संख्या	पद सृजन का वर्ष
1.	जिला सांख्यिकी कार्यालय	5	1985
2.	स्वर्ण जयन्ति शहरी रोजगार योजना	1	1993
3.	जिला साक्षरता एवं सतत् शिक्षा	1	1987
4.	जिला आयोजना प्रकोष्ठ	2	1989 एवं 1994
5.	उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधि. (प.क.)	1	1968
6.	शिशु एवं प्रजनन स्वा. अधिकारी	1	1990
7.	सामान्य चिकित्सालय	1	1994

1	2	3	4
8.	अनु.जाति/जन जाति वित्त एवं विकास निगम	1	1990
9.	क्षेत्रीय उप निदेशक बाल विकास विभाग, रामगढ़/रेणी/बानसूर/कोटकासिम/थानागाजी/मण्डावर/ तिजारा/बहरोड/नीमराना/किशनगढ़	11	1999

अलवर जिले में सांख्यिकी निरीक्षकों के स्वीकृत पदों का विभागवार विवरण

क्र. सं.	विभाग का नाम	स्वीकृत पदों की संख्या	पद सृजन का वर्ष
1.	जिला सांख्यिकी कार्यालय	4	1994
2.	जिला उद्योग केन्द्र	1	1981
3.	जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)	1	1966
4.	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाईट) अलवर	1	1989
5.	प्रादेशिक परिवहन कार्यालय	1	1991
6.	जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा.)	1	1990

अलवर जिले में सांख्यिकी सहायक के पद के विरूद्ध कार्यरत सांख्यिकी निरीक्षक

क्र. सं.	विभाग का नाम	कार्यरत कर्मचारी का नाम एवं पद	कार्यरत दिनांक
1.	राजस्थान अनुसूचित जाति जन जाति वित्त	श्री नानकचन्द गुप्ता, सांख्यिकी निरीक्षक	6-10-2001

1	2	3	4
	एवं विकास सहकारी निगम		
2.	महिला एवं बाल विकास विभाग कोटकासिम	श्री चेलाराम तोलानी, सांख्यिकी निरीक्षक	28-7-2003
3.	उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (प.क.)	श्री लीलाधर कथूरिया, सांख्यिकी निरीक्षक	16-8-2003
4.	महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी, तिजारा	श्री लक्ष्मणदास, सांख्यिकी निरीक्षक	23-8-2003

पर्यटन पथ प्रदर्शनों (गाइडों) हेतु अनुज्ञा-पत्र

799. श्री अमराराम (धोद) : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि पथ प्रदर्शकों (गाइडों) के क्रम में राजस्थान का कोई अधिनियम अथवा नियम है ? इस क्रम में क्या केन्द्र सरकार का भी कोई अधिनियम या नियम है जिसके अन्तर्गत पथ प्रदर्शकों को लाइसेन्स अथवा पहचान पत्र दिए जाने का प्रावधान हो ? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा पथ प्रदर्शकों को लाइसेन्स दिए जाने की नीति कब बनायी गई ? सरकार को वर्ष 2000 से अब तक कितने पथ प्रदर्शकों के लाइसेन्स अथवा पहचान पत्र प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए ? वर्षवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त में से कितने लोगों को किस-किस श्रेणी में अभी तक लाइसेन्स दिए जा चुके हैं ?

(श्री अमराराम)

(4) क्या यह सही है कि अन्य विभागों एवं निजी संस्थाओं द्वारा भी पथ प्रदर्शकों को लाइसेन्स दिए जाते हैं, यदि हां, तो किस-किस विभाग व संस्था द्वारा ?

(5) निजी संस्थाओं द्वारा दिए जा रहे लाइसेन्सों पर सरकार का नियन्त्रण किस प्रकार रहता है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) पूर्व में पथ प्रदर्शकों का कार्य कर रहे स्मारकों/धार्मिक स्थलों के जुड़े पथ प्रदर्शकों को सरकार द्वारा क्या संरक्षण दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। पथ-प्रदर्शकों (गाईडों) के क्रम में राजस्थान सरकार अथवा केन्द्र सरकार का कोई अधिनियम अथवा नियम विद्यमान नहीं है। अपितु राज्य पर्यटन विभाग द्वारा पथ-प्रदर्शकों हेतु "गाईड चयन दिशा-निर्देश 1991" जारी किये गये हैं, जिसके तहत राज्य पर्यटन विभाग द्वारा परिचय-पत्र जारी किये जाते हैं। भारत सरकार द्वारा भी उनके दिशा-निर्देश 2003 के तहत परिचय-पत्र जारी किये जाते हैं।

(2) राज्य के पर्यटन विभाग द्वारा लाईसेन्स नहीं दिये जाते है तथापि पर्यटन विभाग द्वारा पथ-प्रदर्शकों को परिचय-पत्र जारी करने के लिये 1991 में दिशा-निर्देश जारी किये गये थे।

राजस्थान में स्थानीय स्तर के पर्यटक गाईडों को प्रशिक्षण के लिये चयन हेतु जनवरी, 2002 में विज्ञापन जारी कर आवेदन-पत्र आमंत्रित किये गये थे। विभाग को राजस्थान में कुल 13 स्थानों पर 2860 आवेदन पत्र प्राप्त हुये थे।

(3) प्राप्त आवेदन-पत्रों में से स्थानीय स्तर के 2199 गाईडों को परिचय-पत्र जारी किये गये हैं।

(4 राज्य पर्यटन विभाग के अतिरिक्त भारत सरकार के पर्यटन विभाग, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, उदयपुर, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एवं

(पर्यटन मंत्री)

वन विभाग द्वारा भी पथ-प्रदर्शकों को परिचय-पत्र जारी किये जाते हैं। निजी संस्थाओं में सिटी पैलेस, जयपुर, जयगढ़ ट्रस्ट, जयपुर, मेहरानगढ़ ट्रस्ट, जोधपुर, महाराजा रायसिंह ट्रस्ट, जूनागढ़ किला, महाराजा गंगासिंह ट्रस्ट, लालगढ़ पैलेस, बीकानेर तथा सिटी पैलेस, उदयपुर द्वारा भी गाईड लाइसेन्स जारी किये जाते है।

(5) निजी संस्थाओं द्वारा दिये जा रहे लाईसेन्सों पर सरकार का किसी प्रकार का नियन्त्रण नहीं है।

(6) पर्यटक गाईडों का कार्य स्व-रोजगार योजना के अन्तर्गत आता है, जिसमें विभाग द्वारा कोई संरक्षण नहीं दिया जाता है।

फुलेरा में राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना के अन्तर्गत लाभान्वित महिलाएं

800. **श्री नवरतन राजोरिया (फुलेरा) :** क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में दिनांक 1 अप्रेल, 1999 से दिनांक 31 मार्च, 2004 तक राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना में कितनी महिलाओं को लाभान्वित किया गया तथा उन्हें कितनी राशि का भुगतान किया गया ? नाम, वर्ग, पते सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में 1 अप्रेल, 1999 से 31 मार्च, 2004 तक राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना अन्तर्गत पंचायत समिति सांभरलेकर द्वारा 325 महिलाओं एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी, दूदू द्वारा 6 महिलाओं, कुल 331 महिलाओं को 500/- रू. प्रति महिला के हिसाब से 1,65,500/- रू. की राशि का भुगतान किया गया है। सूची परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

निवाई में संचालित निगम बस सेवा

801. श्री हीरालाल (निवाई) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र निवाई के विभिन्न गांवों/कस्बों में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की कितनी-कितनी बसों का संचालन हो रहा है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में ऐसे कितने मार्ग हैं जिन पर नई बसें चलाने या बसों की संख्या या चक्र बढ़ाने के प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं ? उक्त प्रस्तावों पर कब तक निर्णय ले लिया जावेगा ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र निवाई में संचालित निगम की बस सेवाओं का मार्गवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। इन मार्गों के मध्य पड़ने वाले कस्बों/गांवों को पृथक से दर्शाया गया है। निवाई कस्बे होकर विभिन्न आगारों द्वारा लम्बी दूरी की सेवायें भी संचालित हैं जिनका विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र निवाई के राष्ट्रीयकृत मार्गों पर निगम द्वारा पर्याप्त संख्या में बस सेवाओं का संचालन किया जा रहा है। निवाई विधान सभा क्षेत्र में नौ अराष्ट्रीयकृत मार्ग विद्यमान है। जिन पर 31 बसें संचालित हैं। निजी वाहन स्वामी द्वारा नई बस चलाने अथवा किसी अनुज्ञापत्रधारी द्वारा परिचक्रों में वृद्धि सम्बन्धी विकल्प वाहन स्वामी पर निर्भर है।

परिशिष्ट-1

विधान सभा क्षेत्र निवाई के कस्बों/गांवों में निगम द्वारा संचालित बस सेवाओं का विवरण

क्र. सं.	मार्ग का नाम	दैनिक संचालित एकल परिचक्र
1.	टोंक-जयपुर	23
2.	जयपुर-टापुर	2

चैनपुरा	बुरजा बावड़ी	जोधपुरिया
मडिया	करीरिया	चतरपुरा
गुनसी	नोहटा मोड़	सूरिया
नारवाडी	जामडोली	सजिया
नयागांव	रहड	कनेसर
पराना	बहड	राहोली
नटवांडा	भैरू बूलिया	बोली
चौरपुरा	खोडा	भुरटिया
खाणदेवत	मौजा	खारेडा
डागरथल	श्योसिंहपुरा	तुर्किया
हिंगोटिया	सिरस	दतवास
सुरजपुरा	बनस्थली	मित्रपुरा
चिकाना	लोदेडा	

परिशिष्ट-2

...दर होकर विभिन्न आगारों द्वारा मार्गवार संचालित एकल परिचक्रों का विवरण

	संचालित एकल परिचक्र
	1
छुरिया	
...	
इलाई,	

1	2	3
		2
6.	जयपुर-बनस्थली	24
7.	जयपुर-सुनारा	2
8.	जयपुर-जोधपुरिया	2
9.	जयपुर-चतरपुरा	2
10.	जयपुर-राहोली	4
11.	जयपुर-सवाईमाधोपुर	2
12.	जयपुर-बोली	10
13.	जयपुर-मित्रपुरा	16

इन मार्गों के मध्य विधान सभा क्षेत्र निवाई के निम्न गांव/कस्बे पड़ते है :-

बरौनी ढाणी जुगलपुरा सुनारा

पहाडी भगवानपुरा जगत[illegible]

निवाई

1	2	3	4
		सवाईमाधोपुर-दिल्ली	1
		टोंक-फरीदाबाद	4
		टोंक-फिरोजाबाद	2
		टोंक-फर्रूखाबाद	2
		श्योपुर-जयपुर	1
		जयपुर-गुना	2
		जयपुर-कोटा	16
		टोंक-जयपुर	44
		जयपुर-टापुर वाया निवाई	2
4.	मत्स्यनगर	अलवर-टोंक	2
5.	झालावाड़	इकलेरा-दिल्ली	1
		दिल्ली-पाटन	1
		पाटन-अलवर	2
		पाटन-जयपुर	6
		झालावाड़-जयपुर	2
		इकलेरा-जयपुर	2
		पिडावा-जयपुर	2
		झालावाड-दिल्ली	2
6.	बारां	बारां-दिल्ली	2
		बारां-जयपुर	2

1	2	3	4
		बारां-अलवर	2
7.	कोटा	कोटा-दिल्ली	12
		कोटा-जयपुर	8
		कोटा-पिलानी	2
8.	बून्दी	जयपुर-ओंकारेश्वर	2
		कोटा-दिल्ली	6
		कोटा-गोवर्धन	2
		जयपुर-कोटा	3
		बून्दी-जयपुर	3
9.	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा-जयपुर वाया देवली-निवाई	2
10.	जयपुर	जयपुर-इन्दौर	6
		जयपुर-भोपाल	2
		जयपुर-सवाईमाधोपुर	2
11.	झुन्झुनूं	झुन्झुनूं-कोटा	2
12.	सीकर	चूरू-कोटा	2
13.	वैशालीनगर	जयपुर-बोली वाया निवाई	8
		जयपुर-बनस्थली	21

1	2	3	4
		चतरपुर-जयपुर वाया निवाई	1
		जयपुर-जोधपुरिया वाया निवाई	2
14.	चित्तौड	चित्तौड-जयपुर वाया माडलगढ़ देवली-निवाई	3
		चित्तौड़-दिल्ली	1
15.	सांगानेर	सांगानेर थाना-निवाई	1
		निवाई-लालनिवास	1
16.	दौसा	दौसा-निवाई	2
		कुल	200
		इसके अतिरिक्त	
		हरियाणा रोडवेज	2
		मध्य प्रदेश राज्य परिवहन निगम	8
			10

राजसमन्द में गरीबी उन्मूलन योजनान्तर्गत स्वीकृत क्लस्टर

802. श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री बंशीलाल खटीक)

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द जिला गरीबी उन्मूलन योजना के अन्तर्गत स्वीकृत हैं ? यदि हां, तो किस-किस पंचायत समिति में प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ एवं पंचम क्लस्टरों में कितनी-कितनी राशि किस-किस वर्ष में किस-किस संस्था के माध्य से स्वीकृत हुई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि स्वयं सेवी संस्थाओं का परिवीक्षण/स्वीकृति जिला या राज्य स्तरीय संस्था द्वारा किया जाता है ? यदि हां, तो किस-किस संस्था द्वारा ? विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द में इन संस्थाओं द्वारा गरीबी रेखा से नीचे के कितने लोगों को लाभान्वित किया गया तथा कितने गरीब परिवारों के स्तर में सुधार किया गया ? तहसीलवार ग्रामवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) हां। विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द जिला गरीबी उन्मूलन योजना के अन्तर्गत स्वीकृत है।

पंचायत समितिवार विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ एवं पंचम क्लस्टर में स्वीकृत राशि का विवरण दी गई तालिका में दर्शाया गया है तथा पूर्ण विवरण परिशिष्ट-"A" पर उपलब्ध है। यहां पर उल्लेखनीय है कि कार्य, समूहों अथवा ग्राम पंचायतों द्वारा स्वयं कराये जाते हैं तथा समस्त राशि स्वयं सहायता समूह/पंचायत के खाते में सीधे ही जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई (डीपीएमयू) द्वारा जमा कराई जाती है, जिसका उपयोग उपरोक्त दोनों संस्थाएं ही कर सकती हैं। राशि के उपयोग में स्वयं सेवी संस्था की कोई भूमिका नहीं होती है। स्वयं सेवी संस्थाएं, CIG/पंचायत के माध्यम से सम्पादित किये जा रहे कार्यों में, विषय विशेषज्ञों की मदद से तकनीकी व प्रबन्धकीय सहायता प्रदान करती है।

पंचायत समिति	क्लस्टर	संस्था का नाम	स्वीकृत राशि	
			उप परि.	राशि
राजसमन्द	चतुर्थ एवं पंचम	रूरल डवलपमेन्ट एण्ड टेक्नोकल एजुकेशन सोसायटी	24	7284020

(ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री)

1	2	3	4	5
रेलमगरा	चतुर्थ एवं पंचम	रूरल डवलपमेन्ट एण्ड टेक्नीकल एजुकेशन सोसायटी	05	1843563
रेलमगरा	चतुर्थ एवं पंचम	रचना संस्थान	52	22385691
राजसमन्द	चतुर्थ एवं पंचम	उदयपुर डेयरी	05	2698592
रेलमगरा	चतुर्थ एवं पंचम	उदयपुर डेयरी	17	8183900

(2) हां। स्वयं सेवी संस्थाओं (एनजीओ) का परिवीक्षण/स्वीकृति राज्य परियोज़ना प्रबन्धन इकाई द्वारा किया जाता है। डीपीआईपी परियोजना के अन्तर्गत स्वयं सेवी संस्थाओं के चयन की प्रक्रिया राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की हुई है। इस प्रक्रिया के अनुसार समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी कर जो स्वयं सेवी संस्थायें डीपीआईपी में कार्य करना चाहती हैं, उनके Expression of Interest आमन्त्रित किये जाते हैं। तत्पश्चात् राज्य सरकार द्वारा गठित एनजीओ चयन समिति प्राप्त प्रस्तावों की जांच कर एनजीओ की Short Listing करती है। इस प्रकार Short Listing किए गए एनजीओ के कार्यों का निरीक्षण अरावली एनजीओ द्वारा कराया जाता है। अरावली एनजीओ द्वारा प्रत्येक एनजीओ के सम्बन्ध में डीपीआईपी में कार्य करने की क्षमता बाबत् अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। अरावली से रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् एनजीओ चयन समिति की बैठक पुनः बुलाई जाती है। अरावली की रिपोर्ट को दृष्टिगत रखते हुए एनजीओ चयन समिति, Selection List का प्रस्ताव तैयार करती है। तत्पश्चात् सूची को अनुमोदन हेतु प्रमुख शासन सचिव महोदय के माध्यम से माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज के पास भेजा जाता है। माननीय मंत्री महोदय के अनुमोदन के पश्चात् ही एनजीओ का चयन

(ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री)

Final होता है। चयनित एनजीओ से इसके पश्चात् Technical & Financial Bids निर्धारित प्रक्रिया अनुसार आमन्त्रित की जाती है, जिनके आधार पर एनजीओ को गांव आबंटित किये जाते हैं तथा उनके साथ विधिवत् रूप से कानूनी अनुबन्ध किया जाता है। उपरोक्त प्रक्रिया के अन्तर्गत कुछ ऐसी स्वयं सेवी संस्थाएं जो राष्ट्रीय स्तर की हैं और जिन्होंने विकास तथा रोजगार क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए हैं उन्हें एनजीओ चयन समिति द्वारा Proactive Approach पर भी अनुबन्ध हेतु आमंत्रित किया जा सकता है।

राजसमन्द विधान सभा क्षेत्र में कार्यरत संस्थायें निम्न है :-

1. रचना संस्थान, रेलमगरा
2. रूरल डवलपमेन्ट एण्ड टेक्नीकल एजुकेशन सोसायटी राजसमन्द
3. चेतना आरोग्य मन्दिर, राजसमन्द
4. उदयपुर डेयरी, राजसमन्द

उपरोक्त संस्थाओं के माध्यम से लाभान्वितों की संख्या तहसीलवार, ग्रामवार परिशिष्ट-'B' पर संलग्न है।

एन.जी.ओ., रूरल डवलपमेन्ट एण्ड टेक्नीकल एजुकेशन सोसायटी, राजसमन्द

परिशिष्ट-'A'

पंचायत समिति-राजसमन्द

क्र. सं.	संस्था	ग्राम पंचायत	ग्राम	समूह का नाम	गतिविधि	जारी राशि	लाभान्वित की संख्या
1.	रूड्स	नोगामा	एमडी	सरस्वती	सिलाई एवं कशीदाकारी	267036	12
2.	--"--"--	माटोली	फतहपुरा	जय संतोषी मां	--"--"--	267036	12
3.	--"--"--	राज्यावास	राज्यावास	दुर्गा माता	--"--"--	244030	10

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	--"--"--	पीपली आचार्यान	लालपुरा	जय अम्बे	--"--"--	244030	10
5.	--"--"--	फियावडी	फियावडी	भगवती	--"--"--	244030	10
6.	--"--"--	कुंवारिया	कुंवारिया	सांवरिया सेठ	--"--"--	244030	10
7.	--"--"--	फियावडी	फियावडी	सांवरिया	टेण्ट एवं लाईट	262178	10
8.	--"--"--	भाटोली	नाकली	विष्णु	--"--"--	262178	12
9.	--"--"--	एमडी	एमडी	विश्वास	--"--"--	262178	12
10.	--"--"--	राज्यावास	अमलोई	पंचरत्न	--"--"--	262178	11
11.	--"--"--	कुंवारिया	कुंवारिया	भोलेनाथ	--"--"--	262178	13
12.	--"--"--	भाटोली	भाटोली	वाल्मिकी	--"--"--	262178	12
13.	--"--"--	राज्यावास	एमडी	भैरूनाथ	बकरी पालन	369600	11
14.	--"--"--	फियावडी	पदमपुरा	भोलेनाथ	--"--"--	336000	10
15.	--"--"--	फियावडी	खातीखेडा	हनुमान	--"--"--	369600	11
16.	--"--"--	मोही	पाण्डोलाई	रामदेव	--"--"--	336000	10
17.	--"--"--	भाटोली	अमलोई	रामदेव	--"--"--	336000	10
18.	--"--"--	फियावडी	गाडरियावास	जय भवानी	--"--"--	369600	11
19.	--"--"--	भाटोली	मेगठिया कलां	जय श्री राम	--"--"--	369600	11
20.	--"--"--	फियावडी	जोधपुरा	पवनपुत्र	--"--"--	336000	10

1	2	3	4	5	6	7	8
21.	--"--"--	भाटोली	भाटोली	दुर्गामाता	--"--"--	403200	12
22.	--"--"--	राज्यावास	राज्यावास	रामदेव	--"--"--	336000	13
23.	--"--"--	फियावडी	फियावडी	रामदेव	--"--"--	369600	11
24.	--"--"--	एमडी	नान्दोली	चारभुजानाथ	टेण्ट एवं लाईट	269560	11
Total						**7284020**	**265**
पंचायत समिति - रेलमगरा							
1.	रूड्स	पीपली आचार्यान	लालपुर	जय अम्बे	सिलाई एवं कशीदाकारी	244030	10
2.	--"--"--	चराणा	चराणा	बजरंग	बकरी पालन	369600	11
3.	--"--"--	सादडी	भराई	श्री रामदेव	--"--"--	470400	14
4.	--"--"--	राजपुरा	सिन्देसर खुर्द	मातेश्वरी	--"--"--	504000	15
5.	--"--"--	राजपुरा	राजपुरा	त्रिपुरा सुन्दरी	सिलाई एवं कशीदाकारी	255533	11
Total						**1843563**	**61**

उदयपुर डेयरी, राजसमन्द

परिशिष्ट-'A'

पंचायत समिति - रेलमगरा

क्र. सं.	संस्था	ग्राम पंचायत	ग्राम	समूह का नाम	गतिविधि	जारी राशि	लाभान्वित की संख्या
1.	उदयपुर डेयरी	राजपुर	राजपुर	सुरज	डेयरी	412368	12
2.	--"--"--	चराणा	चराणा	जय श्री कृष्ण	--"--"--	503176	9
3.	--"--"--	राजपुरा	राजपुरा	बजरंग	--"--"--	605668	12
4.	--"--"--	चराणा	चराणा	श्री जय माता दी	--"--"--	273408	8
5.	--"--"--	चराणा	चराणा	हनुमान दल	--"--"--	343640	10
6.	--"--"--	महेन्दुरिया	महेन्दुरिया	चामुण्डा	--"--"--	428336	12
7.	--"--"--	महेन्दुरिया	महेन्दुरिया	भैरूनाथ	--"--"--	393972	11
8.	--"--"--	महेन्दुरिया	श्योपुर	भैरूनाथ	--"--"--	531428	15
9.	--"--"--	सांसेरा	छडंगा खेडी	जय बजरंग	--"--"--	359608	10
10.	--"--"--	सांसेरा	सांसेरा	चावण्डा	--"--"--	531428	15
11.	--"--"--	सादडी	भराई	बाबा रामदेव	--"--"--	531428	12
12.	--"--"--	सादडी	भराई	श्रीराम	--"--"--	531428	12
13.	--"--"--	सांसेरा	सांसेरा	शिव	--"--"--	462800	13
14.	--"--"--	कुरज	भाऊ	आराधना	--"--"--	736884	15
15.	--"--"--	सादडी	सादडी	श्री जय बलदेव	--"--"--	633792	12
16.	--"--"--	सांसेरा	सांसेरा	जल देवी	--"--"--	359608	10

1	2	3	4	5	6	7	8
17.	--"--"--	कुरज	कानाखेडा	जय जोगणिया माता	--"--"--	544928	15
Total						8183900	203
पंचायत समिति - राजसमन्द							
1.	रूड्स	भाटोली	फतहपुर	चारभुजा नाथ	डेयरी	412368	12
2.	--"--"--	भाटोली	फतहपुर	गाटोलिया श्याम	--"--"--	605668	12
3.	--"--"--	भाटोली	फतहपुर	राडाजी बावजी	--"--"--	412368	12
4.	--"--"--	फियावडी	फियावडी	गीता	--"--"--	531428	15
5.	--"--"--	राज्यावास	अमलोई	बजरंग	--"--"--	736760	15
Total						2698592	66

रचना संस्थान, रेलमगरा

परिशिष्ट-'A'

पंचायत समिति-रेलमगरा

क्र. सं.	संस्था	ग्राम पंचायत	ग्राम	समूह का नाम	गतिविधि	जारी राशि	लाभान्वित की संख्या
1.	रचना	सकरावास	मदारा	भोलेनाथ	डेयरी	352640	10
2.	--"--"--	लापस्या	खण्डेल	बजरंग	--"--"--	387904	11
3.	--"--"--	लापस्या	बगतपुरा	सांवरिया	--"--"--	562358	13
4.	--"--"--	कुरज	कुरज	प्रताप	--"--"--	423168	12
5.	--"--"--	पीपली अहीरान	पीपली अहीरान	चारभुजा	--"--"--	352640	10
6.	--"--"--	सिन्देसर कलां	लाठिया खेडी	चारभुजा	--"--"--	597622	11
7.	--"--"--	चौकडी	भुरवाडा	मातेश्वरी	--"--"--	562358	10

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	--"--"--	पीपली डोडियान	भामाखेडा	बजरंग	--"--"--	352640	10
9.	--"--"--	बामनिया कलां	लक्ष्मीपुरा	देवनारायण	--"--"--	369600	10
10.	--"--"--	सकरावास	मोरी	चारभुजा	--"--"--	668150	13
11.	--"--"--	ओडा	ओडा	चारण माता	--"--"--	562358	10
12.	--"--"--	जीतावास	जीतावास	भैरूनाथ	--"--"--	387904	11
13.	--"--"--	जुणदा	जुणदा की खेडी	चावण्डा माता	--"--"--	632886	12
14.	--"--"--	बामनिया कलां	बामनिया कलां	बनास	--"--"--	597622	11
15.	--"--"--	सादडी	सादडी	चावण्डा माता	बकरी पालन	504000	15
16.	--"--"--	सकरावास	मदारा	मातेश्वरी	--"--"--	336000	10
17.	--"--"--	पीपली डोडियान	पीपली डोडियान	सांवरिया सेठ	--"--"--	336000	10
18.	--"--"--	बनेडिया	बनेडिया	भोलेनाथ	--"--"--	403200	12
19.	--"--"--	रेलमगरा	रेलमगरा	बाबा रामदेव	--"--"--	403200	12
20.	--"--"--	जुणदा	जुणदा	सेठ सांवरिया	--"--"--	403200	12
21.	--"--"--	पीपली अहीरन	प्रेमपुरा	कालिका माता	--"--"--	336000	10
22.	--"--"--	पीपली अहीरन	पीपली अहीरन	चामुण्डा माता	--"--"--	336000	10
23.	--"--"--	ओडा	ओडा	भैरूनाथ	--"--"--	336000	10
24.	--"--"--	सकरावास	सकरावास	दुर्गामाता	--"--"--	33600	10
25.	--"--"--	सासेरा	गमेरपुर	मदीना	--"--"--	403200	12
26.	--"--"--	सादडी	सादडी	चारभुजा	डेयरी	562358	10

1	2	3	4	5	6	7	8
27.	--"--"--	लापस्या	ताराखेडा	लक्ष्मी	बकरी पालन	336000	10
28.	--"--"--	लापस्या	रामपुरिया	शिव	--"--"--	336000	10
29.	--"--"--	लापस्या	खण्डेल	गणेश	--"--"--	369600	11
30.	--"--"--	गोगाथला	गोगाथला	अम्बामाता	--"--"--	336000	10
31.	--"--"--	गोगाथला	माऊ	जय अम्बे	--"--"--	504000	15
32.	--"--"--	जीतावास	जीवाखेडा	विकास	डेयरी	562358	10
33.	--"--"--	जुणदा	गणेशपुरा	महाराणा प्रताप	--"--"--	336000	13
34.	--"--"--	पीपली डोडियान	फुंकिया	चारभुजा	--"--"--	562358	10
35.	--"--"--	सादडी	मेणिया	द्वारकाधीश	--"--"--	597622	11
36.	--"--"--	सिन्देसर कलां	सिन्देसर कलां	लक्ष्मी माता	--"--"--	632886	12
37.	--"--"--	बनेडिया	बनेडिया	गोराजी बावजी	--"--"--	570604	11
38.	--"--"--	पीपली डोडियान	पीपली डोडियान	भोलेनाथ	--"--"--	536040	10
39.	--"--"--	जीतावास	जुणदा	गाता श्याम	--"--"--	702850	14
40.	--"--"--	सांसेरा	नमेरपुरा	शिवशंकर	--"--"--	352640	10
41.	--"--"--	चौकडी	चौकडी	देव भैरूनाथ	--"--"--	352640	10
42.	--"--"--	सादड़ी	करोलिया	सांवरिया सेठ	--"--"--	352640	10
43.	--"--"--	जीतावास	जीवाखेडा	बाबा रामदेव	सिलाई एवं काशीदाकारी	286039	13
44.	--"--"--	ओडा	ओडा	बाबा रामदेव	--"--"--	247030	10
45.	--"--"--	चौकडी	भुरवाडा	दुर्गामाता	--"--"--	247030	10

1	2	3	4	5	6	7	8
46.	--"--"--	आडा	अरडकिया	सरस्वती	--"--"--	247030	10
47.	--"--"--	कुरज	कुरज	शिवशक्ति	--"--"--	286039	13
48.	--"--"--	पीपली डोडियान	पीपली डोडियान	लक्ष्मी बाई	--"--"--	260033	11
49.	--"--"--	सिन्देसर कलां	लाठिया खेड़ी	रामदेव	बकरी पालन	336000	10
50.	--"--"--	पीपली डोडियान	भामाखेड़ा	जय भवानी	--"--"--	336000	10
51.	--"--"--	लापस्या	बगतपुरा	महावीर	भेड़ पालन	597622	11
52.	--"--"--	लापस्या	दौलतपुरा	चारभुजा	डेयरी	597622	11
Total						22385691	573

परिशिष्ट-'B'

विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द में परियोजनान्तर्गत लाभान्वितों की ग्रामवार संख्या

तहसील राजसमन्द			तहसील रेलमगरा		
क्र. सं.	गांव का नाम	लाभान्वितों की संख्या	क्र. सं.	गांव का नाम	लाभान्वितों की संख्या
1.	एमडी	36	1.	सिन्देसर खुर्द	25
2.	फतहपुरा	48	2.	चराणा	38
3.	राज्यावास	35	3.	भराई	43
4.	पीपली आर्चायान	10	4.	जगतसिंह का खेड़ा	30
5.	राजपुरा	11	5.	सरवडिया खेड़ी	15

1	2	3	4	5	6
6.	फियावड़ी	46	6.	ससिरा	49
7.	कुंवारिया	23	7.	राजपुरा	33
8.	नाकली	12	8.	छडगा खेडी	21
9.	अमलोई	21	9.	श्योपुरा	46
10.	भाटोली	34	10.	कुरज	28
11.	पदमपुरा	10	11.	काना खेडा	15
12.	खातीखेडा	11	12.	ढिल्ली	17
13.	पाण्डालाई	10	13.	मदारा	20
14.	गाडरियावास	11	14.	खण्डेल	22
15.	मेगटिया कलां	11	15.	बैठुम्बी	21
16.	जोधपुरा	10	16.	पीपली अहीरान	20
17.	केरोट	12	17.	लाठिया खेडी	21
18.	करणी	10	18.	भामाखेडा	20
19.	संथाणा	12	19.	मोरा	13
20.	देवगांव	11	20.	ओडा	30
21.	नान्दोली	11	21.	जीतावास	11

1	2	3	4	5	6
			22.	जूणदा	38
			23.	बामनियां कलां	11
			24.	सादडी	37
			25.	पीपली डोडियान	31
			26.	रेलमगरा	12
			27.	प्रेमपुरा	10
			28.	सकरावास	10
			29.	गमेरपुरा	10
			30.	ताराखेड़ा	10
			31.	रामपुरिया	10
			32.	गोगाथला	10
			33.	माऊ	15
			34.	जीवाखेडा	20
			35.	फूंकिया	10
			36.	मेणिया	11
			37.	सिन्देसर कलां	12

1	2	3	4	5	6
			38.	बनेडिया	11
			39.	कारोलिया	10
			40.	भूरावडा	20
			41.	बामनखेडा	10
			42.	लापस्या	10
			43.	दौलतपुरा	11
			44.	चौकडी	10

अतारांकित प्रश्न संख्या-320

(स्थगित)

सदस्य सूची

बुधवार, 4 अगस्त, 2004

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री अध्यक्ष	
सदन की कार्यवाही	
-राष्ट्र-गान	270
श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर पूर्व)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
स्वायत्त शासन	
-अजमेर नगरपरिषद् में कार्यरत सफाई कर्मी	349
श्री अमराराम (धोद)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
नगरीय विकास एवं आवासन	
-रूकमणी देवी बिड़ला अस्पताल एवं विद्यालय को प्रदत्त भूमि का वाणिज्यिक उपयोग	396
पर्यटन	
-पर्यटन पथ प्रदर्शनों (गाइडों) हेतु अनुज्ञा-पत्र	477
तारांकित प्रश्नोत्तर	
आबकारी	
-सीकर जिले में संचालित अवैध मदिरा विक्रय केन्द्र	298
यातायात एवं परिवहन	
-परिचालकों की पदोन्नति में अनुसूचित जाति/जनजाति का बैकलाग	30
सहकारिता	
-जिला दुग्ध संघों में निर्वाचित संचालक मण्डल	38
विभिन्न विषयों पर विचार	
ऊर्जा	
-राज्य में बिजली की स्थिति पर विचार	153

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री अर्जुन लाल जीनगर (गंगरार)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
समाज कल्याण	
-बस्सी (गंगरार) में निर्मित छात्रावास भवन	335
श्री अशोक बैरवा (खण्डार)	
स्थगन प्रस्ताव	
-हिण्डौली तहसील के रानीपुरा में एक विधवा महिला की कथित भूख से हुई मौत	58
डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
नगरीय विकास एवं आवासन	
-बीकानेर शहर के विकास कार्यों हेतु एशियन विकास बैंक से प्राप्त राशि	27
यातायात एवं परिवहन	
-परिचालकों की पदोन्नति में अनुसूचित जाति/जनजाति का बैकलाग	31
विभिन्न विषयों पर विचार	
ऊर्जा	
-राज्य में बिजली की स्थिति पर विचार	137
श्री ओ. पी. महेन्द्रा (केसरीसिंहपुर)	
विभिन्न विषयों पर विचार	
ऊर्जा	
-राज्य में बिजली की स्थिति पर विचार	150
श्री कन्हैया लाल मीणा (बस्सी)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
नगरीय विकास एवं आवास	
-अजमेर पर्यटक नगर आवासीय योजना का नियमन	414
-पालड़ी मीणा-लूनियावास (जयपुर) का सड़क निर्माण	392

नाम	पृष्ठ संख्या

तारांकित प्रश्नोत्तर

ऊर्जा

-जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा ट्रान्सफार्मर्स की मरम्मत पर व्यय 348

विभिन्न विषयों पर विचार

ऊर्जा

-राज्य में बिजली की स्थिति पर विचार 192

डा. किरोड़ी लाल मीणा (सवाईमाधोपुर)

स्थगन प्रस्ताव

-हिण्डौली तहसील के रानीपुरा में एक विधवा महिला की कथित भूख से हुई मौत 55

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर दीपा (नदबई)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

नगरीय विकास एवं आवासन

-जयपुर गोविन्द नगर विस्तार (पूर्व) आमेर रोड की क्षतिग्रस्त सड़कें 415

श्री केसरदेव बाबर (लक्ष्मणगढ़)

विभिन्न विषयों पर विचार

ऊर्जा

-राज्य में बिजली की स्थिति पर विचार 165

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा)

विभिन्न विषयों पर विचार

ऊर्जा

-राज्य में बिजली की स्थिति पर विचार 230

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री गंगाराम चौधरी (चौहटन)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
ग्रामीण विकास	
-आयोजना समितियों का गठन एवं उद्देश्य	462
श्री गोविन्द राम चौहान (नोखा)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
नगरीय विकास एवं आवासन	
-बीकानेर शहर के विकास कार्यों हेतु एशियन विकास बैंक से प्राप्त राशि	19
श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर), मंत्री	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
ऊर्जा	
-रामगढ़ ताप विद्युत केन्द्र का विस्तार	18
विभिन्न विषयों पर विचार	
ऊर्जा	
-राज्य में बिजली की स्थिति पर विचार	87
-राज्य में बिजली की स्थिति पर विचार	264
डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
ऊर्जा	
-चूरू जिले के तहसील राजगढ़ एवं तारानगर में चयनित परिवारों को कुटीर ज्योति योजनान्तर्गत विद्युत कनेक्शन	423
समाज कल्याण	
-तारानगर के आरक्षित वर्ग के छात्रों हेतु कल्याणकारी योजनाएं	445
श्री जगन्नाथ (मनोहरथाना)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
ग्रामीण विकास	
-जीवद (सवाईमाधोपुर) ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच से बकाया राशि की वसूली	471

नाम	पृष्ठ संख्या
डा. जालम सिंह रावलोत (शिव)	
विभिन्न विषयों पर विचार	
ऊर्जा	
-राज्य में बिजली की स्थिति पर विचार	210
श्री जीतमल खांट (बागीडोरा)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
ग्रामीण विकास	
-बागीडोरा की पंचायतों में हैण्डपम्प खुदाई हेतु आमंत्रित निविदाएं	302
यातायात एवं परिवहन	
-परिचालकों की पदोन्नति में अनुसूचित जाति/जनजाति का बैकलाग	30
विभिन्न विषयों पर विचार	
ऊर्जा	
-राज्य में बिजली की स्थिति पर विचार	208
श्री जीतराम (मालपुरा)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
ऊर्जा	
-रामगढ़ ताप विद्युत केन्द्र का विस्तार	18
श्री जुबेर खान (रामगढ़)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
पर्यटन	
-अलवर जिले में पर्यटन विकास हेतु कार्य योजना	280
विभिन्न विषयों पर विचार	
ऊर्जा	
-राज्य में बिजली की स्थिति पर विचार	101
श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
यातायात एवं परिवहन	
-वाहनों में प्रेशर होर्न के प्रयोग पर प्रतिबन्ध	275

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर)	
विभिन्न विषयों पर विचार	
ऊर्जा	
-राज्य में बिजली की स्थिति पर विचार	189
डा. दिगम्बर सिंह (कुम्हेर)	
स्थगन प्रस्ताव	
-हिण्डौली तहसील के रानीपुरा में एक विधवा महिला की कथित भूख से हुई मौत	55
श्री देवीशंकर भूतड़ा (ब्यावर)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
नगरीय विकास एवं आवासन	
-ब्यावर नगरपरिषद् को मानसून पूर्व सफाई हेतु आबंटित राशि	383
श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर)	
विभिन्न विषयों पर विचार	
ऊर्जा	
-राज्य में बिजली की स्थिति पर विचार	234
श्री धर्मेन्द्र कुमार मोची (टिब्बी)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
ग्रामीण विकास	
-सरपंच ग्राम पंचायत सटावट (अलवर) द्वारा धार्मिक स्थल की भूमि का अवैध आबंटन	472
श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
स्वायत्त शासन	
-राजगढ़ (चूरू) नगरपालिका द्वारा कराये गये निर्माण कार्य	339

नाम	पृष्ठ संख्या
विभिन्न विषयों पर विचार	
ऊर्जा	
-राज्य में बिजली की स्थिति पर विचार	199
श्री नवरतन राजोरिया (फुलेरा)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
महिला एवं बाल विकास	
-फुलेरा में राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना के अन्तर्गत लाभान्वित महिलाएं	479
तारांकित प्रश्नोत्तर	
महिला एवं बाल विकास	
-कुपोषण ग्रस्त बच्चों एवं महिलाओं की स्थिति में सुधार हेतु कार्य-योजना	271
श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
यातायात एवं परिवहन	
-परिचालकों की पदोन्नति में अनुसूचित जाति/जनजाति का बैकलाग	28
श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा), राज्य मंत्री	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
नगरीय विकास एवं आवासन	
-बीकानेर शहर के विकास कार्यों हेतु एशियन विकास बैंक से प्राप्त राशि	19
श्रीमती प्रतिभा सिंह (नवलगढ़)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
ग्रामीण विकास	
-नवलगढ़ (झुन्झुनूं) पं. समिति द्वारा चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन	333
विभिन्न विषयों पर विचार	
ऊर्जा	
-राज्य में बिजली की स्थिति पर विचार	243
श्री प्रमोद जैन "भाया" (बारां)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
समाज कल्याण	
-राज्य के बन्द कामकाजी महिला छात्रावास	340

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
ग्रामीण विकास	
-राजसमन्द में गरीबी उन्मूलन योजनान्तर्गत स्वीकृत क्लस्टर	485
नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख	
-राजसमन्द झील एवं नन्दसमन्द बांध के कैचमेन्ट एरिया में बाघेरी नाका बनाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में	64
श्री बत्तीलाल (टोडाभीम)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
ग्रामीण विकास	
-टोडाभीम के क्षतिग्रस्त एनीकट	340
श्री बद्रीलाल जाट (कपासन)	
विभिन्न विषयों पर विचार	
ऊर्जा	
-राज्य में बिजली की स्थिति पर विचार	218
श्री बनवारी लाल (धौलपुर)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
ऊर्जा	
-धौलपुर जिले के गांवों का विद्युतीकरण	444
श्री बहादुर सिंह गोदारा (नोहर)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
ऊर्जा	
-निम्न वर्ग के नागरिकों को रियायती दर पर विद्युत कनेक्शन	305
श्री बाबूलाल (पाटन), राज्य मंत्री	
स्थगन प्रस्ताव	
-हिण्डौली तहसील के रानीपुरा में एक विधवा महिला की कथित भूख से हुई मौत	59

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री बाबूलाल नागर (दूदू)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
सहकारिता	
-दी जयपुर सैंट्रल को-आपरेटिव बैंक, जयपुर में अनुसूचित जाति/जनजाति का बैकलाग	1
श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़)	
विभिन्न विषयों पर विचार	
ऊर्जा	
-राज्य में बिजली की स्थिति पर विचार	121
प्रो. बीरूसिंह राठौड़ (बनीपार्क)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
नगरीय विकास एवं आवासन	
-बनीपार्क के वार्ड संख्या 8 में सीवर लाइन	397
याचिका	
-बरकतनगर, जयपुर की सैक्टर रोड को 40 फीट चौड़ा किया जाना	78
-महेशनगर एवं दयालनगर (जयपुर) में बस स्टेण्ड का निर्माण	78
-महेशनगर, जयपुर में राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय खोला जाना	78
डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर), नेता, प्रतिपक्ष	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
नगरीय विकास एवं आवासन	
-बीकानेर शहर के विकास कार्यों हेतु एशियन विकास बैंक से प्राप्त राशि	22
समिति प्रतिवेदन : जन लेखा	
-जन लेखा समिति वर्ष 2004-2005 के 6 प्रतिवेदन	76
श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
नगरीय विकास एवं आवासन	
-अजमेर गेट-ट्रांसपोर्ट नगर (जयपुर) का फोर लेन सड़क निर्माण कार्य	390

नाम	पृष्ठ संख्या
तारांकित प्रश्नोत्तर	
सहकारिता	
-दी सैंट्रल को-आपरेटिव बैंक, जयपुर में अनुसूचित जाति/जनजाति का बैकलाग	10
स्वायत्त शासन	
-जयपुर शहर में सफाई व्यवस्था में सुधार हेतु कार्य योजना	306
विभिन्न विषयों पर विचार	
ऊर्जा	
-राज्य में बिजली की स्थिति पर विचार	178
डा. भंवरलाल राजपुरोहित (मकराना)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
यातायात एवं परिवहन	
-परिचालकों की पदोन्नति में अनुसूचित जाति/जनजाति का बैकलाग	33
श्री भंवरू खान (फतेहपुर)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
स्वायत्त शासन	
-फतेहपुर (सीकर) नगरपालिका द्वारा जनरेटर खरीद में अनियमितता	380
श्री भरत सिंह (दीगोद)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
नगरीय विकास एवं आवासन	
-कोटा में प्रस्तावित डायवर्जन चैनल के स्थान पर एनीकट/चैकडेम	391
विभिन्न विषयों पर विचार	
ऊर्जा	
-राज्य में बिजली की स्थिति पर विचार	185
श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़)	
नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख	
-खातोली मोड़ (निम्बार्क तीर्थ द्वार) से सलेमाबाद तक की 10 किलोमीटर सड़क को चौड़ा करने के सम्बन्ध में	69

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री मंगलाराम गोदारा (श्रीडूंगरगढ़)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
ग्रामीण विकास	
-दुसारणा ग्राम पंचायत (श्रीडूंगरगढ़) द्वारा सड़क निर्माण कार्य	284
विभिन्न विषयों पर विचार	
ऊर्जा	
-राज्य में बिजली की स्थिति पर विचार	205
श्री मदन दिलावर (अटरू), मंत्री	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
सहकारिता	
-जिला दुग्ध संघों में निर्वाचित संचालक मण्डल	34
-दी सैंट्रल को-आपरेटिव बैंक, जयपुर में अनुसूचित जाति/जनजाति का बैकलाग	2
श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर)	
नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख	
-किसानों को जैविक खाद का वितरण तथा उत्पाद करने वाले किसानों को ऋण/अनुदान उपलब्ध करवाने का प्रावधान	63
विभिन्न विषयों पर विचार	
ऊर्जा	
-राज्य में बिजली की स्थिति पर विचार	203
श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी)	
विभिन्न विषयों पर विचार	
ऊर्जा	
-राज्य में बिजली की स्थिति पर विचार	213

नाम	पृष्ठ संख्या

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक), मुख्य सचेतक

सदन की कार्यवाही

-विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि 181

-विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि 247

श्री महीपाल सिंह यादव (बानसूर)

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

-अलवर जिले की तहसील मुण्डावर के ग्राम हुलमाना खुर्द में किये गये एक भू-आबंटन को निरस्त करने के सम्बन्ध में 66

विभिन्न विषयों पर विचार

ऊर्जा

-राज्य में बिजली की स्थिति पर विचार 254

श्री मुरारी लाल मीणा (बांदीकुई)

तारांकित प्रश्नोत्तर

यातायात एवं परिवहन

-परिचालकों की पदोन्नति में अनुसूचित जाति/जनजाति का बैकलाग 31

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल)

तारांकित प्रश्नोत्तर

नगरीय विकास एवं आवासन

-बीकानेर शहर के विकास कार्यों हेतु एशियन विकास बैंक से प्राप्त राशि 25

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर)

तारांकित प्रश्नोत्तर

वित्त

-गैर सरकारी संस्थानों में सेवा निवृत्ति आयु 327

विभिन्न विषयों पर विचार

ऊर्जा

-राज्य में बिजली की स्थिति पर विचार 126

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री युनूस खान (डीडवाना), मंत्री	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
यातायात एवं परिवहन	
-परिचालकों की पदोन्नति में अनुसूचित जाति/जनजाति का बैकलाग	28
श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
वित्त	
-राजस्व मण्डल में निगरानी दायर करने पर वसूली जाने वाली राशि	357
पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे	
-सार्वजनिक निर्माण विभाग में पदोन्नति से अनुसूचित जाति/जनजाति के पद भरा जाना	81
श्री रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर)	
नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख	
-प्रतापगढ़ के पी.जी. महाविद्यालय में स्थापित महाराणा प्रताप की मूर्ति को समाजकंटकों द्वारा खण्डित करने के सम्बन्ध में	68
श्री रमेश खींची (कठूमर)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
आर्थिक एवं सांख्यिकी	
-अलवर जिले में सांख्यिकी सहायकों की पदोन्नति	474
श्री राकेश मेघवाल (परबतसर)	
विभिन्न विषयों पर विचार	
ऊर्जा	
-राज्य में बिजली की स्थिति पर विचार	169
श्रीमती राजकुमारी शर्मा (सीकर)	
पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे	
-सीकर शहर के जीवन नगर एवं पीपराली रोड तक अम्बेडकर नगर में विद्युत लाइन के तार ऊपर से गुजरने से होने वाले नुकसान के सम्बन्ध में	80

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू), मंत्री	
पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे	
-सार्वजनिक निर्माण विभाग में पदोन्नति से अनुसूचित जाति/जनजाति के पद भरा जाना	83
श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
ऊर्जा	
-सिकराय में 132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन की स्थापना	432
याचिका	
-अमोल को राणोली से मोरोली सड़क से जोड़ने बाबत	78
-कालाखो अम्बाडी से राजाड-महाना ग्राम तक सड़क स्वीकृति	77
-खारण्डी (दौसा) नदी पर पुलिया निर्माण	77
-बहरावड़ा से कौलाई (दौसा) तक सड़क निर्माण	78
-सिकराय में बालिका सीनियर विद्यालय की क्रमोन्नति	77
श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
आयोजना	
-डिप्लोमाधारी सिविल अभियन्ताओं की नियुक्ति में अनियमितताएं	417
विभिन्न विषयों पर विचार	
ऊर्जा	
-राज्य में बिजली की स्थिति पर विचार	248
श्री रामनारायण मीणा (नैनवां)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
ऊर्जा	
-खुमारिया ग्राम (बून्दी) के कृषि उपभोक्ता का विद्युत सम्बन्ध विच्छेद प्रकरण	433

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
वित्त	
-राज्य सरकार पर विभिन्न संस्थाओं का बकाया ऋण	335
सहकारिता	
-जिला दुग्ध संघों में निर्वाचित संचालक मण्डल	37
विभिन्न विषयों पर विचार	
ऊर्जा	
-राज्य में बिजली की स्थिति पर विचार	264
श्री राव राजेन्द्र सिंह (बैराठ)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
सहकारिता	
-कृषकों को सहकारी/व्यापारिक बैंकों द्वारा जारी क्रेडिट कार्ड में एकरूपता	306
श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
ऊर्जा	
-नागौर जिले के विद्युत सब स्टेशनों पर शिकायत रजिस्टर का संधारण	424
विभिन्न विषयों पर विचार	
ऊर्जा	
-राज्य में बिजली की स्थिति पर विचार	161
श्री लक्ष्मीनारायण दवे (सोजत), मंत्री	
पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे	
-किशनगंज शाहबाद वन क्षेत्र में अवैध कटाई बाबत	86
श्रीमती वसुन्धरा राजे (झालरापाटन), मुख्य मंत्री	
घोषणा	
-माननीय सदस्यों की सुविधाओं के सम्बन्ध में	260

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री विष्णु मोदी (मसूदा)	
विभिन्न विषयों पर विचार	
ऊर्जा	
-राज्य में बिजली की स्थिति पर विचार	113
श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
नगरीय विकास एवं आवासन	
-सुखपुरिया ग्राम सांगानेर (जयपुर) में ड्राइव इन सिनेमा निर्माण की अनुमति	386
श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
यातायात एवं परिवहन	
-वाहनों में प्रेशर होर्न के प्रयोग पर प्रतिबन्ध	275
श्री शांतिलाल चपलोत (मावली)	
विभिन्न विषयों पर विचार	
ऊर्जा	
-राज्य में बिजली की स्थिति पर विचार	229
समिति प्रतिवेदन : राजकीय उपक्रम	
-राजकीय उपक्रम समिति 2004-2005 के 3 प्रतिवेदन	77
श्री श्रवण कुमार (पिलानी)	
विभिन्न विषयों पर विचार	
ऊर्जा	
-राज्य में बिजली की स्थिति पर विचार	237
डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
आबकारी	
-लक्ष्य से अधिक आबकारी बकाया की वसूली करने वाले अधिकारियों को प्रोत्साहन	368

नाम	पृष्ठ संख्या

तारांकित प्रश्नोत्तर

नगरीय विकास एवं आवासन

-बीकानेर शहर के विकास कार्यों हेतु एशियन विकास बैंक से प्राप्त राशि 27

सहकारिता

-जिला दुग्ध संघों में निर्वाचित संचालक मण्डल 33

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

सामान्य प्रशासन

-जयपुर सर्किट हाउस एवं नई दिल्ली राजस्थान हाउस में पूर्व सांसद/विधायकों को ठहरने की सुविधा 358

तारांकित प्रश्नोत्तर

यातायात एवं परिवहन

-परिचालकों की पदोन्नति में अनुसूचित जाति/जनजाति का बैकलाग 30

समाज कल्याण

-निजी क्षेत्र में अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण 297

सहकारिता

-जिला दुग्ध संघों में निर्वाचित संचालक मण्डल 38

-दी सैंट्रल को-आपरेटिव बैंक, जयपुर में अनुसूचित जाति/जनजाति का बैकलाग 12

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

ऊर्जा

-जैसलमेर जिले के लम्बित कृषि कनेक्शनों का निस्तारण 429

श्री सी. डी. देवल (रायपुर)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

ग्रामीण विकास

-काणूजा ग्राम पंचायत (पाली) द्वारा जारी पट्टे 458

नाम	पृष्ठ संख्या
डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
स्वायत्त शासन	
-नाथद्वारा नगरपालिका की वन भूमि का आबादी भूमि में परिवर्तन	379
स्थगन प्रस्ताव	
-हिण्डौली तहसील के रानीपुरा में एक विधवा महिला की कथित भूख से हुई मौत	59
श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली)	
विभिन्न विषयों पर विचार	
ऊर्जा	
-राज्य में बिजली की स्थिति पर विचार	195
श्री सुरेन्द्र पारीक (हवामहल)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
नगरीय विकास एवं आवासन	
-दवे आयोग के प्रतिवेदन में अनुशंसित दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही	393
डा. सुरेश चौधरी (भादरा)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
स्वायत्त शासन	
-भादरा (हनुमानगढ़) नगरपालिका द्वारा कच्ची बस्ती विकास पर व्यय	382
तारांकित प्रश्नोत्तर	
स्वायत्त शासन	
-भादरा नगरपालिका मण्डल की आयोजित बैठकें	301
श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
सहकारिता	
-जोधपुर के सहकारी बाजार से पेन्शनरों को उपलब्ध औषधियां	304

नाम पृष्ठ संख्या

श्री हरज्ञान सिंह गुर्जर (महुआ)

तारांकित प्रश्नोत्तर

ग्रामीण विकास

-पंचायती राज संस्थाओं में कनिष्ठ लिपिक की भर्ती हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 277

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

स्वायत्त शासन

-कोटा संसदीय क्षेत्र की नगरपालिकाओं के अध्यक्षों/सचिवों के विरूद्ध प्राप्त शिकायतें 375

स्थगन प्रस्ताव

-हिण्डौली तहसील के रानीपुरा में एक विधवा महिला की कथित भूख से हुई मौत 51

श्री हरीशचन्द्र कुमावत (नावां)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

ग्रामीण विकास

-कुचामन सिटी पंचायत समिति की पंचायतों को आबंटित राशि 468

विभिन्न विषयों पर विचार

ऊर्जा

-राज्य में बिजली की स्थिति पर विचार 174

श्री हरीसिंह रावत (भीम)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

ऊर्जा

-भीम के लम्बित विद्युत कनेक्शन 442

श्री हीरालाल (निवाई)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

आबकारी

-निवाई में नियम विरूद्ध संचालित मदिरा विक्रय केन्द्र 373

नाम	पृष्ठ संख्या
कार्मिक	
-अनुसूचित जाति को जनसंख्या प्रतिशत के अनुपात में सरकारी सेवाओं में आरक्षण	367
यातायात एवं परिवहन	
-निवाई में संचालित निगम बस सेवा	480
श्री हीरालाल (बामनवास)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
ग्रामीण विकास	
-सवाई माधोपुर जिले में इन्दिरा आवास/व्यक्तिगत आवास योजनान्तर्गत रहे अपूर्ण आवास	278
श्री हेमराज मीणा (किशनगंज)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
स्वायत्त शासन	
-बारां नगरपालिका द्वारा कराये गये विकास कार्यों में अनियमितताओं की जांच	281
पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे	
-किशनगंज शाहबाद वन क्षेत्र में अवैध कटाई बाबत	84
विभिन्न विषयों पर विचार	
ऊर्जा	
-राज्य में बिजली की स्थिति पर विचार	225
श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी)	
विभिन्न विषयों पर विचार	
ऊर्जा	
-राज्य में बिजली की स्थिति पर विचार	221